# लोक सभा वाद-विवाद

## (हिन्दी संस्करण)

**नौवां सत्र**
**(चौदहवीं लोक सभा)**

सत्यमेव जयते

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No. 61
Dated 1 May 2008

**(खण्ड 23 में अंक 1 से 10 तक हैं)**

**लोक सभा सचिवालय**
**नई दिल्ली**
मूल्य : अस्सी रुपये

## सम्पादक मण्डल

**पी. डी. टी. आचारी**
महासचिव
लोक सभा

**ए. के. सिंह**
संयुक्त सचिव

**हरनाम दास टक्कर**
निदेशक

**प्रतिमा श्रीवास्तव**
संयुक्त निदेशक–I

**सरिता नागपाल**
संयुक्त निदेशक–II

**अरुणा वशिष्ट**
सम्पादक

**सुनीता थपलियाल**
सहायक सम्पादक

---

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी क र्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।)

# विषय सूची

*चतुर्दश माला, खंड 23, नौवां सत्र, 2006/1928 (शक)*

**अंक 6, बुधवार, 29 नवम्बर, 2006/8 अग्रहायण (शक)**


| विषय | | कॉलम |
|---|---|---|
| **अध्यक्ष द्वारा उल्लेख** | | |
| (एक) | दो सक्रिय प्रक्षेपास्त्रों का उपयोग करके प्रक्षेपास्त्र इंटरसेप्शन का सफल परीक्षण | 1 |
| (दो) | नई दिल्ली में आयोजित विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने पर सुश्री "मैरी कॉम" को बधाई | 1 |
| **प्रश्नों के लिखित उत्तर** | | |
| | तारांकित प्रश्न संख्या 102 से 121 | 9-52 |
| | अतारांकित प्रश्न संख्या 1067 से 1076 और 1078 से 1260 | 52-305 |
| **सभा पटल पर रखे गए पत्र** | | 305-307 |
| **गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति** | | |
| | 23वां प्रतिवेदन | 308 |
| **अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति** | | |
| | 15वां से 17वां प्रतिवेदन | 308-309 |
| **सदस्यों द्वारा निवेदन** | | |
| | शिबु सोरेन की दोष–सिद्धि तथा गिरफ्तारी के बारे में | 312-340 |
| **स्थगन प्रस्ताव** | | |
| | देश में आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने में, विशेष रूप से आतंकवाद के तेजी से बढ़ते हुए खतरे से निपटने में सरकार की विफलता के संबंध में | 309-312, 340-453 |
| | श्री लाल कृष्ण आडवाणी | 340-358, 447-452 |
| | श्री प्रियरंजन दासमुंशी | 358-369 |
| | श्री बाजू बन रियान | 369-371 |
| | श्री मोहन सिंह | 371-377 |
| | श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव | 377-382 |
| | श्री ए. कृष्णास्वामी | 382-384 |
| | श्री सुबोध मोहिते | 384-389 |
| | श्री बृज किशोर त्रिपाठी | 389-395 |
| | श्री गुरूदास दासगुप्त | 395-400 |
| | श्री इलियास आजमी | 400-403 |

डा. रतन सिंह अजनाला ..... 404-407

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन ..... 407-414

डा. राजेश मिश्रा ..... 414-416

श्री प्रभुनाथ सिंह ..... 416-419

प्रो. एम. रामदास ..... 419-422

योगी आदित्यनाथ ..... 423-426

श्री सर्वानन्द सोनोवाल 426

श्री सुब्रत बोस 427-428

श्री अब्दुल रशीद शाहीन ..... 428-429

श्री रामदास आठवले ..... 430-431

श्री अधीर चौधरी ..... 431-434

श्री तापिर गाव ..... 434-436

श्री शिवराज वि. पाटील ..... 436-447

**नियम 377 के अधीन मामले**

(एक) देश में मधुमेह के बढ़ते हुए मामलों को रोकने हेतु कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री एन.एस.वी. चित्तन ..... 453-454

(दो) गुजरात में मेहसाणा में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा अर्जित लाभ में से उन किसानों को हिस्सा दिए जाने की आवश्यकता जिनकी जमीन तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा तेल और गैस की खोज के लिए अधिगृहीत की गई थी

श्री जीवाभाई ए. पटेल ..... 454-455

(तीन) तमिलनाडु में कोयम्बटूर और मदुरै में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय खोले जाने की आवश्यकता

श्री एस.के. खारवेनथन ..... 455

(चार) गुजरात वन विभाग द्वारा जूनागढ़ जिले के ग्रामवासियों की अधिगृहीत भूमि पर उनका भू–स्वामित्व अधिकार बहाल किए जाने की आवश्यकता

श्री जसुभाई धानाभाई बारड़ ..... 455-456

(पांच) अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के किसानों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से राजसहायता प्राप्त राशन प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री मनोरंजन भक्त ..... 456

(छह) हिमाचली भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता

डा. कर्नल (सेवानिवृत्त) धनीराम शांडिल्य ..... 457

(सात) उड़ीसा में खनन कार्य के लिए महानदी कोलफील्ड लिमिटेड द्वारा भूमि अधिग्रहण के कारण विस्थापितों का पुनर्वास किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव ..... 457-458

(आठ) महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में बैंकों/स्थानीय प्राधिकरणों को किसानों को नये फसल ऋण संवितरण के समय बकाया ऋण की कटौती न करने का अनुदेश दिए जाने की आवश्यकता

श्री हरिभाऊ राठौड़ ..... 458

(नौ) कर्नाटक के हवेरी जिले में रसोई गैस की पर्याप्त आपूर्ति किए जाने की आवश्यकता

श्री मंजुनाथ कुन्नुर ..... 458-459

(दस) पंजाब के होशियारपुर, रोपड़ और गुरूदासपुर जिलों के चहुंमुखी विकास के लिए विशेष पैकेज दिए जाने की आवश्यकता

श्री अविनाश राय खन्ना ..... 459

(ग्यारह) राजस्थान के अजमेर जिले को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत शामिल किए जाने की आवश्यकता

प्रो. रासा सिंह रावत ..... 459-460

(बारह) एच एफ सी एल, एफ सी एल और पी पी सी एल के बंद पड़े संयंत्रों को पुनः चालू किए जाने की आवश्यकता

श्री सुनील खां ..... 460-461

(तेरह) मत्स्य गांधी एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 2619/2620 को मंगलौर से कुन्नुर तक बढ़ाए जाने की आवश्यकता

श्री पी. करूणाकरन ..... 461

(चौदह) दिल्ली विकास प्राधिकरण और रजिस्ट्रार आफ को–आपरेटिव सोसायटी को उन को–आपरेटिव सोसायटियों के फ्लैटों के आबंटन की प्रक्रिया शुरू करने का अनुदेश दिए जाने की आवश्यकता जो किसी घोटाले में संलिप्त नहीं है

श्री रेवती रमन सिंह ..... 461-462

(पन्द्रह) उत्तर प्रदेश में आगरा और औरैया के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 के निर्माण में प्रयुक्त की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता के बारे में जांच किए जाने की आवश्यकता

श्री रघुराज सिंह शाक्य ..... 462

(सोलह) बिहार के सीतामढ़ी और शिवहर जिले के लिए टी.डी.एम. के पदों का सृजन किए जाने की आवश्यकता

श्री सीताराम यादव ..... 462

(सत्रह) नई दिल्ली के नेताजी नगर स्थित वरिष्ठ नागरिक सदन, सांध्य के कार्यकरण की जांच किए जाने की आवश्यकता

श्री सुव्रत बोस 463-464

(अठारह) पश्चिम बंगाल में सुंदरबन में बी एस एन एल की सेवाओं में सुधार किए जाने की आवश्यकता

श्री सनत कुमार मंडल ..... 463-464

(उन्नीस) किसानों को ऋण राहत देने के लिए केन्द्रीय कृषि ऋण राहत कानून बनाए जाने की आवश्यकता

श्री के. फ्रांसिस जार्ज 464

**मंत्री द्वारा वक्तव्य**

पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य

श्री मुरली देवड़ा ..... 465-466

**अनुबंध-I**

तारांकित प्रश्नों की सदस्य–वार अनुक्रमणिका ..... 467

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य–वार अनुक्रमणिका ..... 468-476

**अनुबंध-II**

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय–वार अनुक्रमणिका ..... 473-474

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय–वार अनुक्रमणिका ..... 473-476

## लोक सभा के पदाधिकारी

**अध्यक्ष**

श्री सोमनाथ चटर्जी

**उपाध्यक्ष**

श्री चरणजीत सिंह अटवाल

**सभापति तालिका**

श्री गिरिधर गमांग

डा. सत्यनारायण जटिया

श्रीमती सुमित्रा महाजन

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय

श्री बालासाहिब विखे पाटील

श्री वरकला राधाकृष्णन

श्री अर्जुन सेठी

श्री मोहन सिंह

श्रीमती कृष्णा तीरथ

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

**महासचिव**

श्री पी.डी.टी. आचारी

## लोक सभा

---

**बुधवार, 29 नवम्बर, 2006/8 अग्रहायण, 1928 (शक)**

---

*लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।*

**(अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए)*

### अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

**(एक) दो सक्रिय प्रक्षेपास्त्रों का उपयोग करके प्रक्षेपास्त्र इंटरसेप्शन का सफल परीक्षण**

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्यों, यह एक गौरवपूर्ण बात है कि भारत ने हवाई सुरक्षा क्षमता में उस समय एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की जब रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने 27 नवम्बर, 2006 को उड़ीसा तट से दूर बंगाल की खाड़ी में सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों का सफल इंटरसेप्शन परीक्षण किया। दो जिंदा मिसाइलों को छोड़ते हुए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के द्वारा किया गया यह प्रथम इंटरसेप्शन परीक्षण था। इस अभूतपूर्व सफलता के साथ भारत ने मिसाइल – रोधी क्षमता हासिल कर ली है।

यह सभा इस उपलब्धि से जुड़े सभी वैज्ञानिकों को और तकनीशियनों को बधाई देती है।

---

**11.01 बजे**

**(दो) नई दिल्ली में आयोजित विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने पर सुश्री "मैरी कॉम" को बधाई**

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्यों, मुझे यह बताते हुए भी अपार हर्ष, प्रसन्नता और गर्वानुभूति होती है कि हमारी एक महिला बॉक्सर सुश्री मैरी कोम ने हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित हुई विश्व महिला बॉक्सिंग चैम्पियनशिप में एक स्वर्ण पदक जीता है। यह उपलब्धि देश में विशेष रूप से महिला खिलाड़ियों और सामान्य रूप से सभी खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा और गर्वानुभूति का स्रोत बनेगी।

यह सभा उनकी इस उपलब्धि पर उन्हें बधाई देती है।

---

*[अनुवाद]*

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : मैं आपको प्रश्न काल के बाद अनुमति दूंगा। आडवाणी जी, मैं आपको प्रश्नकाल के बाद अनुमति दूंगा।

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किसकी बात सुनूं। सभा किसकी बात सुनेगी और सभा की कार्यवाही कैसे चलेगी। मैं केवल यह कह रहा हूं कि आप यह मुद्दा प्रश्न काल के पश्चात् उठा सकते हैं। अभी सूची में महत्त्वपूर्ण प्रश्न हैं।

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : मुझे समझ नहीं आ रहा कि यह क्या हो रहा है; मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा।

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : आप क्या कहना चाहते हैं, मुझे नहीं पता। मैं केवल यह अनुरोध कर रहा हूँ कि प्रश्न काल के पश्चात् मेरी अनुमति से आप जो मुद्दा चाहे उठा सकते हैं।

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। मैं सभी गणमान्य सदस्यों से विनम्र अनुरोध करता हूं कि वे कृपया यह समझने का प्रयास करें कि क्या यह भारतीय संसद की चर्चा करने वाली निकाय हैं। मैं इस तरह से सबकी बात कैसे सुन सकता हूं? हमने प्रश्न काल के लिए रोज एक घंटा निश्चित किया है। कई ऐसे महत्त्वपूर्ण प्रश्न हैं जो सदस्य पूछना चाहते हैं। मैं केवल यह कह रहा हूं कि इसे प्रश्न काल के बाद करें। अब केवल 55 मिनट बचे हैं और 55 मिनट में कुछ नहीं हो सकता है। मैं आपसे अपील करता हूं कि कृपया सदन की कार्यवाही चलने दें विपक्ष के कई माननीय सदस्यों को प्रश्न पूछने हैं। मैं केवल यही चाहता हूं कि यह सदन ठीक प्रकार से कार्य करे ताकि लोग यह देख सकें कि हम अच्छा कार्य कर रहे हैं। मेरा कोई व्यक्तिगत मामला नहीं है, मैं केवल यह चाहता हूं कि सदन की कार्यवाही ठीक ढंग से चलनी चाहिए। मैं विपक्ष के नेता का अपमान नहीं कर रहा हूं। सभी यह जान लें कि मैं उनका बहुत आदर करता हूं। मुझे विश्वास है कि वे भी यह जानते हैं। मैं विपक्ष के नेता का अनादर नहीं कर रहा हूं। मैं आश्वासन देता हूं कि मध्याह्न 12 बजे मैं आपको सबसे पहले बुलाऊंगा। देखो, यह सब क्या हो रहा है। मुझे बताएं कि मैं इससे अधिक और क्या कर सकता हूं।

*...(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री हरिन पाठक** (अहमदाबाद) : यह कोई सामान्य बात नहीं है। ...*(व्यवधान)* भारतीय संसद के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि एक मंत्री को यहां से सीधा जेल ले जाया गया हो ...*(व्यवधान)* सरकार इस बारे में कुछ नहीं कह रही है और चुप बैठी है।...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी)** : हमारे प्रधानमंत्री में यह कहने का साहस है कि एक दोषी मंत्री को सरकार में नहीं रहना चाहिए और उन्होंने तत्काल इस्तीफा स्वीकार कर लिया...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : मुझे लगता है कि आपको पीठासीन अधिकारी की आवश्यकता ही नहीं है। यदि आपको स्वयं ही हर निर्णय लेना है तो यहां पर अध्यक्ष की जरूरत ही नहीं है। आप एक समस्या उठा रहे हैं, वे दूसरी समस्या उठा रहे हैं लेकिन क्या किया जा सकता है? मैं केवल यही आशा कर सकता हूं कि देश के लोग हमें नजदीक से देख रहे होंगे और वे हमारे बारे में अपनी राय बना लेंगे।

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : मैं विपक्ष के नेता को दोपहर 12 बजे अनुमति दूंगा। कृपया मुझे प्रश्न काल शुरू करने दें। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए। मैं आपको अगले 50 मिनट में अनुमति दे दूंगा। अब प्रश्न काल आरंभ करते हैं। कई और महत्वपूर्ण मामले हैं। आप लोग मेहरबानी करके बैठ जाएं।

*...(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री राम कृपाल यादव** (पटना) : अध्यक्ष महोदय, हमारी बात सुन लें।

**अध्यक्ष महोदय** : अभी मैं नहीं सुनूंगा।

*...(व्यवधान)*

**श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव** (झंझारपुर) : हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : कुछ भी कार्यवाही – वृतांत में शामिल नहीं किया जाएगा। मैंने उनसे अनुरोध किया है और मैं आपसे भी अनुरोध कर रहा हूं। कृपया मेरी बात सुनें। कृपया मेरा सहयोग करें।

*...(व्यवधान)**

*कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**अध्यक्ष महोदय** : मैं उनको अनुमति नहीं दे रहा हूं। मैं उनसे बैठ जाने का अनुरोध कर रहा हूं। संतोषजी, मैं उनको अनुमति नहीं दे रहा हूं, कृपया आप अपने स्थान पर बैठ जाइए। आप यह मुद्दा मध्याह्न 12 बजे उठा सकते हैं। मैं अभी तक नहीं जानता हूं कि यह किस बारे में है।

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : मैं आपको मध्याह्न 12 बजे अनुमति दूंगा। मैं आपको विपक्ष के नेता के बाद अनुमति दूंगा। मध्याह्न 12 बजे मैं पहले उन्हें बुलाऊंगा फिर आपको बताऊंगा। मैं विपक्ष के माननीय नेता से गंभीरतापूर्वक अपील करता हूं कि वह अपनी बात मध्याह्न 12 बजे उठाएं। मेरी उनसे अपील है। आइए, हम सब कुछ अच्छा कार्य करें। यह प्रश्न काल है।

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : मैं विपक्ष के माननीय नेता से अपील कर रहा हूं। कि मैं उन्हें 12 बजे सबसे पहले बुलाऊंगा।

*...(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**अध्यक्ष महोदय** : इस तरह सब बोलने के लिए खड़े हो जाएंगे।

*...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : सभी खड़े हो जाएंगे, तो यहां पर समस्या हो जाएगी। मैंने उन्हें पहले ही अनुमति दे दी है लेकिन प्रश्न यह है कि सभी खड़े हो रहे हैं।

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : मैं उनका बहुत आदर करता हूं। कृपया इस पर उंगली न उठाएं। मैं उनसे अपील कर रहा हूं।

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : मैंने उसके महत्व पर कुछ नहीं कहा है। उसके महत्व के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है।

*...(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**अध्यक्ष महोदय** : यह क्या हो रहा है?

*...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : मैं आपसे बार–बार विनम्रतापूर्वक अनुरोध, कर

रहा हूं कि आप यह मामला 12 बजे उठाएं। मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं।

*...(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**अध्यक्ष महोदय** : मेहरबानी करके आप सब बैठिए।

*[अनुवाद]*

आप अपनी सीटों पर जाइये। मैं नहीं जानता कि क्या भारतीय संसद की कार्यवाही चलनी चाहिए। संसद का सत्र किसलिए बुलाया जाता है? हमें यह जानना चाहिए कि यह सत्र क्यों बुलाया गया है? हमें सड़कों पर उतर जाना चाहिए और फिर जो हम करना चाहते हैं, करना चाहिए।

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : श्री आठवले, कृपया अपनी सीट पर जाइये। यहां से कुछ मत कहिये।

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : क्या आप यह आश्वासन दे सकते हैं कि कोई अन्य माननीय सदस्य ऐसा नहीं करेगा? आप यह आश्वासन नहीं दे सकते हैं कि कोई अन्य माननीय सदस्य ऐसा नहीं करेगा। तब प्रश्न काल को जारी रखना चाहिए।

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : सभी कुछ महत्वपूर्ण है। मैं उन्हें 12 बजे इसकी अनुमति दूंगा। जैसे ही प्रश्न काल समाप्त होगा, मैं सबसे पहले उन्हें मौका दूंगा। मैं बार–बार उनसे अपील कर रहा हूं। मैं उनसे विनम्र अनुरोध कर रहा हूं। यह एक वरिष्ठ सदस्य है। एक नोटिस भी नहीं दिया गया है। देश की देखने दीजिए ! इस महान देश के लोगों को देखने और अपने आप निर्णय करने दीजिए।

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : कार्यवाही वृतांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*...(व्यवधान)**

**श्री प्रियरंजन दासमुंशी** : अब वे सभा की कार्यवाही में बाधा डाल रहे हैं और कह रहे हैं कि सभा की कार्यवाही नहीं चल सकती। हम इसका विरोध करते हैं। हम उचित प्रस्ताव के रुप में आए किसी भी मामले पर चर्चा करने के इच्छुक हैं। लेकिन जिस प्रकार से वे बाधा उत्पन्न कर रहे हैं उसकी अनुमति आप भी नहीं दे सकते और सभा भी उसे स्वीकृत नहीं कर सकती *...(व्यवधान)* अब वे शोर मचा रहे हैं; उन्हें उनका ट्रैक रिकार्ड देखने दीजिए कि उनके विरूद्ध कितने मामले हैं और कितने मामलों पर कार्रवाई चल रही है। पूरे देश को देखने दीजिए कि उनका ट्रैक रिकार्ड क्या है और इस सरकार का ट्रैक रिकार्ड क्या है। हमारे प्रधान मंत्री ने तत्काल इस्तीफा ले लिया, लेकिन उनके मामले में, वे बचाने की कोशिश करते *...(व्यवधान)* आप पर मुकदमा चल रहा है ! आप शोर क्यों मचा रहे हैं? आप हमें आपके अपने खिलाफ सारे मामलों को उठाने का मौका क्यों दे रहे हैं? आप कृपया अपने आप को बचाइये! हम आपको अपने आपको बचाने का अवसर दे रहे हैं ! आप अपने लोगों और नेताओं को बचाने के लिए एक योग्य वकील नियुक्त करें ! आप अपनी स्वयं की पोल खोलने का प्रयास न करें! *...(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**अध्यक्ष महोदय** : 18 मिनट चले गए हैं, कोई फायदा नहीं है।

*...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : हालांकि विपक्ष के नेता द्वारा कोई नोटिस नहीं दिया गया है, मैं उन्हें 12 बजे बुलाऊंगा। मैं यह वायदा करता हूं। मैं उनसे वायदा करता हूं कि मैं उन्हें सबसे पहले वक्ता के रुप में मध्याह्न 12 बजे बुलाऊंगा। मैं उन्हें अगले 43 मिनटों में बुलाऊंगा।

*[हिन्दी]*

**श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन** (भागलपुर) : हम सिर्फ दो मिनट चाहते हैं। *...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : मुझे खेद है। नहीं। इसके लिए नियम हैं। प्रतिदिन नियमों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। मैं इससे सहमत नहीं हूं। आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं।

*...(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**अध्यक्ष महोदय** : आप मेहरबानी करके बैठ जाएं। अब बहुत हो गया है।

*...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : मैं फिर से अनुरोध कर रहा हूं। मुझे कितनी बार अनुरोध करना पड़ेगा?

*...(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृतात में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया गया।

**अध्यक्ष महोदय** : अध्यक्ष के विचारों को कोई महत्व नहीं दिया जाता है और आप जैसा चाहेंगे, वैसा ही होगा ! माफ कीजिए। मैं प्रतिदिन विपक्ष के साथ सहयोग कर रहा हूं। मुझे माफ कीजिए। आप जो करना चाहते हैं, कीजिए। आप जारी रखिए।

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : मैं केवल हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री और इस देश के महान संसदविदों में से एक, श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा अनुमोदन किए नियम का ही अनुसरण कर रहा हूं। उन्होंने कहा था कि :

"अध्यक्ष महोदय, इस सभा में शुरू से ही यह मांग की जाती रही है कि प्रश्न काल को जारी रखना चाहिए और जो भी मामले हैं, उन्हें माननीय अध्यक्ष की सहमति से बाद में उठाने की अनुमति दी जानी चाहिए।

आज, आपने वही बात दोहराई है। मैं आपके विचारों से सहमत हूं। अतः प्रश्न काल को जारी रखा जाना चाहिए। यह किसी एक दल के लिए ही नहीं अपितु सभी सदस्यों, सभी राजनीतिक दलों के सदस्यों के लिए है।"

मैं केवल इसका अनुसरण कर रहा हूं।

*...(व्यवधान)*

**श्री प्रियरंजन दासमुंशी** : महोदय, आपके द्वारा श्री अटल बिहारी वाजपेयी के पत्र का उल्लेख करने के बावजूद, वे क्या कर रहे हैं, वे यह दिखा रहे हैं कि वे श्री अटल बिहारी वाजपेयी की बात को मानना छोड़ चुके हैं *...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : मैं आपको यह मामला उठाने की अनुमति दूंगा। आप यह सब क्यों कर रहे हैं? प्रश्न काल के 32 मिनट अभी शेष हैं।

*...(व्यवधान)*

**श्री प्रियरंजन दासमुंशी** : महोदय, आपके द्वारा श्री अटल बिहारी वाजपेयी के पत्र का उल्लेख करने के बाद भी वे वैसा ही कर रहे हैं। इसका तात्पर्य है कि, उन्होंने बहुत पहले से ही उनको अपना नेता मानना छोड़ दिया है और शायद इसीलिए वे सभा में नहीं आ रहे हैं। महोदय, यही उनके दल का चरित्र है। आपकी अपील का उन पर कोई असर नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने पहले से ही श्री अटल बिहारी वाजपेयी को अपना नेता मानना छोड़ दिया है *...(व्यवधान)*

**श्री मधुसूदन मिस्त्री** (साबरकंठा) : महोदय, वे श्री वाजपेयी द्वारा दी गई सलाह का अनुसरण नहीं कर रहे हैं *...(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री राम कृपाल यादव** : अध्यक्ष जी, आप श्री अटल बिहारी वाजपेयी का बोला हुआ पढ़ रहे हैं। *...(व्यवधान)*

**श्री रघुनाथ झा** (बेतिया) : आपने अभी श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को कोट किया *...(व्यवधान)*

**श्री राम कृपाल यादव** : सर, आप कुछ भी पढ़कर सुनायें, कुछ होने वाला नहीं है। *...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : हाउस में क्या हो रहा है, आप लोग समझते नहीं हैं।

*[अनुवाद]*

भारत की लोक सभा में क्या हो रहा है। हम इस बात का गर्व करते हैं कि हमारा लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। क्या हम इसी तरह कार्य करते हैं? क्या हम इसी तरह का उदाहरण पेश करेंगे? यही कारण है कि एक क्रिकेट कोच भी हमें बुरा–भला कह रहा है।

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : कृपया बैठ जाइए। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि कम से कम आधे घंटे तक प्रश्न काल को चलाने दीजिए।

*...(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**अध्यक्ष महोदय** : शाहनवाज जी, आप सदन में चुनकर आये हैं, हमें इस बात की बहुत खुशी है। लेकिन आप अपनी इनर्जी वेस्त मत कीजिए।

*[अनुवाद]*

आप अपनी ऊर्जा इस तरह बर्बाद मत कीजिए। मैंने आपका यहां स्वागत किया है। अपनी ऊर्जा बर्बाद मत कीजिए।

*[हिन्दी]*

कुछ अच्छा भाषण दीजिए, हम सुनेंगे। 35 मिनट क्वैश्चन ऑवर चलने दीजिए।

*[अनुवाद]*

मैं आपसे पुनः अपील करता हूं। मुझे आपसे कितनी बार अपील करनी होगी? कृपया प्रश्न काल को पूरा होने दीजिए। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : क्या आप मेरी अपील नहीं मानना चाहते हैं?

*...(व्यवधान)*

## प्रश्नों के लिखित उत्तर

*[अनुवाद]*

### आदर्श अस्पतालों की स्थापना

*102. **श्री के. सी. पल्लानी शामी :**
**श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में अनुसंधान तथा प्रशिक्षण सुविधा–युक्त आदर्श अस्पताल स्थापित करने संबंधी एक प्रस्ताव को स्वीकृति दी है;

(ख) यदि हां, तो राज्य–वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन पर कितना खर्च आने की संभावना है; और

(घ) ये अस्पताल मातृत्व शिशु स्वास्थ्य परिचर्या में सुधार लाने और साथ ही देश में मृत्यु दर को भी कम करने में किस सीमा तक सहायक होंगे?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास) :** (क) से (घ) सरकार ने मार्च, 2006 में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना का अनुमोदन किया। इस योजना के अंतर्गत अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जैसी 6 संस्थाएं स्थापित करने और 13 विद्यमान सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय संस्थानों का उन्नयन करने का प्रस्ताव है।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जैसी प्रत्येक नई संस्था में 850 पलंगों वाला अस्पताल (500 सामान्य पलंग, 300 विशेषज्ञता/अति विशेषज्ञता वाले पलंग और गहन परिचर्या एकक/अभिघात के लिए 50 पलंग) होगा और इसमें 39 विभाग होंगे जिसमें सभी मुख्य विभागों को कवर किया जाएगा। प्रत्येक संस्था में प्रति वर्ष 100 अवर स्नातकों की प्रवेश क्षमता भी होगी और इतनी ही संख्या में स्नातकोत्तर/पोस्ट डाक्टरल पाठ्यक्रमों की सीटें होंगी। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के प्लिन्थ क्षेत्र की दरों के आधार पर प्रत्येक संस्थान को स्थापित करने की अनुमानित लागत 322 करोड़ रुपए है।

बिहार (पटना), छत्तीसगढ़ (रायपुर), मध्य प्रदेश (भोपाल), उड़ीसा (भुवनेश्वर), राजस्थान (जोधपुर), और उत्तरांचल (ऋषिकेष) में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थाएं स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है।

राज्य सरकारों ने कम से कम 100 एकड़ भूमि प्रदान की है और वे पेयजल, बिजली आपूर्ति और सड़क व्यवस्था की सुविधाएं प्रदान करने के लिए सहमत हो गई है। भारत सरकार ने निम्नलिखित कार्यकलाप अर्थात् पूर्व निर्माण सर्वेक्षण, (भू–तकनीकी, स्थलाकृति और जल विज्ञान संबंधी) पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन (ईआईए) शुरू किया है। पटना को छोड़कर अन्य संस्थानों की चार दीवारी के निर्माण का कार्य पूरा कर लिया गया है। पटना में यह कार्य दिसम्बर, 2006 के अन्त तक पूरा कर लिया जाएगा। वैश्विक प्रतियोगी बोली के माध्यम से एक प्रोटोटाइप वास्तुकीय डिजाइन का चयन कर लिया गया है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को तैयार करने, परियोजना प्रबंध परामर्शदाता और निष्पादन के माडल के चयन की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त, बुनियादी ढांचे और उपकरणों की दृष्टि से विद्यमान 13 चिकित्सा महाविद्यालय संस्थाओं को सुदृढ़ करने का भी प्रस्ताव है। उन्नत की जा रही संस्थाओं की सूची संलग्न विवरण में दी गई है। भारत सरकार प्रत्येक संस्था के लिए 100 करोड़ रुपए का निवेश कर रही है और राज्य सरकारों का हिस्सा 20 करोड़ रुपए है। एसवीआईएमएस तिरूपति के लिए टीटीडी न्यास आधी लागत अर्थात् 60 करोड़ रुपए का वहन कर रहा है और भारत सरकार का अंश केवल 60 करोड़ रुपए है। इसी तरह आईएमएस (बीएचयू) वाराणसी, जो एक भारत सरकार की संस्था है के लिए मानव व संसाधन विकास मंत्रालय 20 करोड़ रुपए प्रदान कर रहा है।

देश के विभिन्न क्षेत्रों में तृतीयक स्वास्थ्य परिचर्या, चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में क्षमता निर्माण से प्रशिक्षित जनशक्ति मिलने तथा लोगों को गुणवत्ता युक्त स्वास्थ्य परिचर्या सुलभ करने में सहायता मिलेगी। इससे प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक स्तर की परिचर्या सुविधाओं में आवश्यक रेफरल सम्पर्क भी प्रदान किया जाएगा और क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/जिला अस्पतालों को एक अग्रणीय भूमिका निभाने का मौका भी मिलेगा। अतः अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जैसी इन संस्थाओं को स्थापित करने से मातृ एवं बाल स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं की परिष्कृत गुणवत्ता के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या प्रदानगी प्रणाली के क्षमता निर्माण में सहायता मिलेगी।

***विवरण***

*प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत*
*13 चिकित्सीय संस्थानों का उन्नयन*

1. राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, जम्मू (जम्मू कश्मीर)
2. राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, श्रीनगर (जम्मू कश्मीर)
3. कोलकाता चिकित्सा महाविद्यालय, कोलकाता (प. बंगाल)
4. संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)
5. आयुर्विज्ञान संस्थान, बनारस हिन्दु विश्व विद्यालय, वाराणसी (उत्तर प्रदेश)

6. निजाम आयुर्विज्ञान संस्थान, हैदराबाद (आंध्र प्रदेश)
7. श्री वेंकेटश्वर आयुर्विज्ञान संस्थान, तिरूपति (आंध्र प्रदेश) (टीडीएस न्यास उन्नयन के कार्य की 50 प्रतिशत लागत वहन करेगी)
8. राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, सलेम (तमिलनाडु)
9. पाटलिपुत्र चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, धनबाद (झारखण्ड)
10. बी. जे. चिकित्सा महाविद्यालय, अहमदाबाद (गुजरात)
11. बंगलूर चिकित्सा महाविद्यालय, बंगलूर (कर्नाटक)
12. ग्रांट्स चिकित्सा महाविद्यालय, सर जे. जे. ग्रुप अस्पताल समूह, मुम्बई (महाराष्ट्र)
13. चिकित्सा महाविद्यालय, तिरूवनन्तपुरम (केरल)

*[हिन्दी]*

**काला-आजार का उन्मूलन**

***103. श्री गिरिधारी यादव :**
**श्री हन्नान मोल्लाह :**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य–वार तथा वर्ष–वार काला–आजार से कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई है;

(ख) क्या गत तीन वर्षों के दौरान उक्त रोग के फैलने की घटनाओं में वृद्धि है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) सरकार द्वारा देश से इस बीमारी के उन्मूलन हेतु क्या कदम उठाए गए हैं और उक्त प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(ङ) इन कदमों के परिणामस्वरूप सरकार को कितनी सफलता प्राप्त हुई है?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास) :** (क) से (ग) कालाआजार के रोगियों की गहन खोज के कारण पिछले तीन वर्षों के दौरान सूचित किए गए कालाआजार के रोगियों की संख्या में वृद्धि हुई है और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, सामुदायिक केन्द्रों, जिला अस्पतालों और तृतीयक स्वास्थ्य परिचर्या संस्थाओं में औषधों की उपलब्धता बढ़ी है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान सूचित किए गए कालाआजार के रोगियों और इसके कारण हुई मौतों का राज्यवार ब्यौरा इस प्रकार है:

| राज्य | 2003 | | 2004 | | 2005 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | रोगी | मौतें | रोगी | मौतें | रोगी | मौतें |
| बिहार | 13960 | 187 | 17324 | 107 | 23383 | 124 |
| दिल्ली* | 126 | 10 | 78 | 9 | 62 | 4 |
| उत्तर प्रदेश | 34 | 1 | 34 | 2 | 73 | 2 |
| पश्चिम बंगाल | 1487 | 7 | 3015 | 23 | 2706 | 15 |
| झारखण्ड | 2607 | 5 | 4028 | 14 | 6578 | 12 |
| कुल | 18214 | 210 | 24479 | 155 | 32802 | 157 |

*आयातित रोगी

(घ) कालाआजार उन्मूलन कार्यक्रम के उद्देश्य प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

1. शुरू में ही रोग का पता लगाना और पूरे उपचार की व्यवस्था।
2. प्रभावित गांवों में घरों और गौशालाओं में अवशिष्ट कीटनाशक छिड़काव शुरू करके वेक्टर नियंत्रण के कार्य को सुनिश्चित करना।
3. सभी स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों के माध्यम से उपचार के लिए औषधों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
4. वर्ष 2006–07 के दौरान शुरू में ही निदान और बेहतर उपचार के अनुपालन के लिए तीव्र नैदानिक क्विट आर के 39 और मुख सेव्य औषध माइलेटफोसिन को शुरू करना।
5. इस रोग के उपचार और नियंत्रण के लिए सभी स्तरों पर कार्यकर्ताओं के तकनीकी कौशलों के उन्नयन के लिए प्रशिक्षण।
6. नियमित पर्यवेक्षण और मानीटरिंग।
7. रोग नियंत्रण संबंधी उपायों में समुदाय को शामिल करने के लिए सूचना, शिक्षा व सम्प्रेषण कार्यकलाप।
8. पिछले तीन वर्षों के दौरान बिहार, झारखण्ड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश राज्यों को आबंटित किए गए धन का ब्यौरा इस प्रकार है:

(लाख रुपए में)

| वर्ष | नकद | वस्तुगत | योग |
|---|---|---|---|
| 2003–04 | 761.00 | 2318.00 | 3079.00 |
| 2004–05 | 1125.00 | 2922.94 | 4047.94 |
| 2005–06* | 50.00 | 2600.00 | 2650.00 |

*राज्यों द्वारा अपर्याप्त करने के कारण वर्ष 2005–06 में जारी की जाने वाली धनराशि में कमी की जानी पड़ी थी।

(ङ) औषधों की निःशुल्क उपलब्धता के कारण सरकारी संस्थाओं में रोगियों की संख्या बढ़ी है। क्षमता निर्माण और नियमित मानीटरिंग से सेवा प्रदानगी में सुधार हुआ है।

**प्रमुख पत्तनों की कार्गो-संचालन क्षमता**

***104. श्री काशीराम राणा :**
**श्री हितेन बर्मन :**

क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रमुख पत्तनों की मौजूदा कार्गो–संचालन–क्षमता का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रमुख पत्तनों में किए गए अवसंरचनात्मक विकास का पत्तन–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) कार्गो कंटेनरों द्वारा इन पत्तनों तक पहुंचने के लिए उपलब्ध मौजूदा सड़क–अवसंरचना की क्षमता का ब्यौरा क्या है और कंटेनर को पत्तन से लौटने में औसतन कितना समय लगता है;

(घ) क्या पत्तनों तक जाने वाली सड़कों की विद्यमान अवसंरचना निर्यात–आयात व्यापार में अपेक्षित विकास प्राप्त करने के लिए पर्याप्त है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या सरकार की प्रमुख पत्तनों की कार्गो–संचालन–क्षमता में वृद्धि करने की कोई योजना है; और

(छ) यदि हां, तो ग्यारहवीं योजना के दौरान कार्गो–संचालन क्षमता को बढ़ाने के लिए पत्तन – वार क्या कदम उठाने पर विचार किया गया है और इस संबंध में क्या समय–सीमा तय की गई है?

**पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू)** : (क) 31.03.2006 को रही स्थिति के अनुसार, महापत्तनों की जहाज़ी माल संभालने की मौजूदा क्षमता का विवरण निम्नानुसार है:

| क्रम सं. | वस्तु | कुल (मिलियन टन में) |
|---|---|---|
| 1. | पी ओ एल | 162.25 |
| 2. | लौह अयस्क | 55.80 |
| 3. | कोयला (थर्मल) | 46.25 |
| 4. | उर्वरक | 7.60 |
| 5. | सामान्य ब्रेक बल्क कार्गो | 122.20 |
| 6. | कंटेनर | 62.10 |
| | (लाख ट्वेंटीफीट इक्विलेंट यूनिट्स) | (51.76) |
| | कुल | 456.20 |

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान महापत्तनों में किए गए अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास के कार्यों का पत्तन–वार ब्यौरा, संलग्न विवरण – I में दर्शाया गया है।

(ग) से (ङ) सभी महापत्तन, राष्ट्रीय राजमार्गों के एक नेटवर्क से जुड़े हैं। ज़रुरतों के आधार पर, सड़कों सहित अवसंरचनात्मक सुविधाओं को विकसित किए जाने के माध्यम से महापत्तनों की क्षमता में वृद्धि किया जाना, एक लगातार चलती रहने वाली प्रक्रिया है। कुछ मामलों में पत्तन–क्षेत्र में आने वाले सड़क के छोटे टुकड़ों को पत्तनों द्वारा स्वयं ही विकसित किए जाने के सिवाए, महापत्तनों से संबंधित सड़क–संपर्क–परियोजनाएं, सामान्यतः, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग–प्राधिकरण द्वारा निष्पादित की जाती है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग–प्राधिकरण द्वारा निष्पादित किए जाने हेतु स्वीकार की गई पत्तन–संपर्क–परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण–II में दर्शाया गया है।

कंटेनरों के पत्तन से वापस आने में लगने वाला समय, अन्य बातों के साथ–साथ, वार्ड की क्षमता, क्रेनों की संख्या और जहाज़ी माल को संभालने में प्रयुक्त होने वाले अन्य उपस्करों, सीमा शुल्क से संबंधित औपचारिकताओं, सड़कों की क्षमता और स्थितियों तथा यात्रा के प्रारंभिक और अंत के स्थानों पर निर्भर करता है।

(च) और (छ) राष्ट्रीय समुद्री विकास कार्यक्रम के अंतर्गत, 12 महापत्तनों में अवसंरचनात्मक सुविधाओं का उन्नयन और आधुनिकीकरण करवाने की दृष्टि से कुल 276 परियोजनाएं चुन ली गई हैं। इन परियोजनाओं में घाटी के निर्माण/उनके उन्नयन, जलमार्गों को और गहरा किए जाने, रेल और सड़क से संपर्क कायम किए जाने, उपस्करों के उन्नयन और अन्य सहायक सुविधाओं को विकसित किए जाने की परियोजनाएं शामिल हैं। कुछ परियोजनाओं का कार्यान्वयन पहले से ही प्रारंभ किया जा चुका है और अन्य परियोजनाएं, वर्ष, 2011–12 तक कार्यान्वित कर दी जाएंगी, जो कि 11 वीं पंचवर्षीय योजना का अंतिम वर्ष है। इस संबंध में पत्तन–वार ब्यौरा संलग्न विवरण–III में दर्शाया गया है।

***विवरण-I***

*पिछले तीन वर्षों के दौरान महापत्तनों में किए गए अवसंरचनात्मक विकास कार्यों अन्य कार्यों के साथ–साथ निम्नलिखित शामिल हैं:–*

| क्रम सं. | पत्तन | परियोजना |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | कोलकाता पत्तन न्यास | (i) हल्दिया में बंद कर दी गई डॉक प्रणाली में दो अतिरिक्त घाटों का निर्माण किया जा रहा है। |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| | | (ii) कोलकाता डॉक–प्रणाली में तीन रीच स्टैकरों के साथ दो मोबाइल हार्बर क्रेनें लगाई गईं। |
| | | (iii) हल्दिया डॉक–परिसर में रेल की पटरी पर चलने वाली दो ट्रेनों क्वे क्रेनों ने कार्य करना प्रारंभ किया। |
| | | (iv) उपर्युक्त पत्तन पर जलयान–यातायात–प्रबंधन–प्रणाली और स्वचालित पहचान–प्रणाली का प्रयोग किया गया। |
| | | (v) साउगर एनकरेज पर एक मूरिंग घाट विकसित किया गया। |
| | | (vi) रबड़ के टायरों वाली गेंट्री क्रेनें शामिल की गईं। |
| | | (vii) घाटों, वार्डों, शेडों आदि का विकास और पार्किंग की सुविधा सहित सड़कों का विकास किया जा रहा है। |
| | | (viii) कोलकाता डॉक–प्रणाली में रेलवे यार्ड और सुविधाओं का पुनःउद्धार। |
| | | (ix) हल्दिया डॉक–परिसर में भीतरी और बाहरी डॉक में ड्रेनेज सहित सड़क अवसंरचना का विकास। |
| | | (x) हल्दिया डॉक–परिसर के भीतर रेल–संपर्क स्थापित करने के द्वारा बैक आप क्षेत्र में सुधार। |
| | | (xi) एक पायलट सह सर्वेक्षण–जलयान की खरीद। |
| 2. | पारादीप पत्तन न्यास | (i) भंडारण प्लॉट विकसित किए गए |
| | | (ii) सात रेलमार्ग साइडिंग्ज़ |
| | | *(iii) तेल जेटी का कार्य प्रारंभ 12 कि.मी. की कंकरीट से निर्मित सड़क* |
| | | (iv) लौह अयस्क–घाट का विस्तार |
| | | (v) दो नई क्रेनों की स्थापना |
| 3. | विशाखापट्टनम पत्तन न्यास | (i) एक फायर प्लांट की खरीद |
| | | (ii) अयस्क संभलाई परिसर के लिए स्टेकर की ख़रीद। |
| | | (iii) सड़क का विकास |
| | | (iv) 20 टन की क्षमता से युक्त चार इलैक्ट्रिकल व्हार्फ क्रेनों की ख़रीद |
| | | (v) ड्रेजर बदला जाना |
| | | (vi) बहु–उद्देशीय लाँच की ख़रीद |
| | | (vii) स्टेकिंग क्षेत्र/रेल और सड़क नेटवर्क में सुधार |
| | | (viii) भीतरी बंदरगाह की उत्तरी शाखा में पश्चिमी क्वे घाट का निर्माण |
| | | (ix) 30 टन की क्षमता से युक्त बोलॉर्ड पुल टग को बदलने के लिए 50 टन की क्षमता से युक्त टग की ख़रीद |
| | | (x) बनाओ, चलाओ और हस्तांतरित कर दो के आधार पर भीतरी बंदरगाह की उत्तरी शाखा में पूर्वी क्वे. सं. 8 और पूर्वी क्वे सं. 9 घाटों का निर्माण। |
| 4. | इन्नौर पत्तन लिमिटेड | (i) तिरूवोत्तयूर पोन्नेरी पन्वेटी सड़क को चार लेनों का बनाया जाना। |
| | | (ii) कोयले और लौह अयस्क यार्डों का रेल से संपर्क स्थापित करना। |
| 5. | चेन्नई पत्तन न्यास | (i) भीतरी बंदरगाह डॉ. अम्बेडकर डॉक बेसिन और घाटों का गहरा बनाया जाना। |
| | | (ii) 150 टन क्षमता से युक्त फ्लोटिंग क्रेन की ख़रीद |
| | | (iii) 15 टन की क्षमता से युक्त चार इलैक्ट्रिक लैवल लफिंग व्हार्फ क्रेनों की ख़रीद |
| | | (iv) 15 टन की क्षमता से युक्त दो जेसोप क्रेनों की ख़रीद |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| | | (v) पानी पर तैरने वाले तेल के प्रदूषण को साफ करने की दृष्टि से अत्याधुनिक उपकरणों की खरीद/स्थापना |
| 6. | तूतीकोरिन पत्तन न्यास | पर्यावरण से संबंधित अनापत्ति के अभाव में पिछले तीन वर्षों के दौरान अवसंरचना के विकास से संबंधित किसी परियोजना को कार्यान्वित नहीं किया जा सका। |
| 7. | कोचीन पत्तन न्यास | (i) मार्च, 2004 के दौरान रीच स्टेकर ने कार्य करना प्रारंभ कर दिया। |
| | | (ii) भीतरी जलमार्गों को 12.5 मीटर डुबाव तक गहरा किया जाना। |
| 8. | नव मंगलूर पत्तन न्यास | गहरे डुबाव वाले, 14 मीटर के डुबाव से युक्त बहुउद्देशीय घाट का निर्माण |
| 9. | मुरगांव पत्तन न्यास | (i) बार्ज अनलोडर्स को बदला जाना |
| | | (ii) घाट सं. 9 और पहुंच जलमार्ग को गहरा किया जाना। |
| | | (iii) बंदरगाह में मार्शलिंग यार्ड उपलब्ध कराना |
| | | (iv) बनाओं, चलाओ और हस्तांतरित कर दो के आधार पर दो बहुउद्देशीय बल्क कार्गो घाटी का निर्माण |
| | | (v) तीन मुरिंग डॉल्फिनों का निर्माण। |
| 10. | मुंबई पत्तन न्यास | (i) मुंबई पत्तन न्यास रेलवे खंड II का उन्नयन |
| | | (ii) पीयर पाऊ के मेनीफोल्ड से सेवरी, वडाला के भंडारण यार्ड तक सामान्य प्रयोक्ता पाइपलाइनों का बदला जाना। |
| | | (iii) जे डी पर 1, 2 और 3 नंबर जेटियों का आधुनिकीकरण |
| 11. | जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास | (i) सड़क को चौड़ा करने और यातायात द्वीप का निर्माण करने, राज्य के राजमार्ग को चौड़ा करने का कार्य चल रहा है। |
| | | (ii) 4 – लेनों वाले रा. रा.–4बी को 21 जुलाई, 2005 को प्रयोग के लिए खोल दिया गया। |
| | | (iii) पनवेल और जे एन पी डी के बीच रेल लाइन को दोहरा बनाया जाना। |
| 12. | कांडला पत्तन न्यास | (i) 2 एम एम टी की क्षमता से युक्त एक ड्राई कार्गो घाट का निर्माण। |
| | | (ii) 12वें घाट का निर्माण |
| | | (iii) रेल/सड़क संपर्क में सुधार |
| | | (iv) आवृत्त भंडारण–क्षेत्र में वृद्धि |
| | | (v) खुले भंडारण क्षेत्र में वृद्धि |
| | | (vi) जलमार्ग को 11.20 मीटर तक गहरा किया जाना |
| | | (vii) भारी कार्य करने की क्षमता से युक्त आठ क्रेनों की खरीद |
| | | (viii) पश्चभूमि से रेल–संपर्क में सुधार के लिए गेज कनवर्जन रेल–परियोजना के लिए विशेष प्रयोजनीय वाहन भागीदार। |

*विवरण-II*

*पत्तन–संपर्क–परियोजनाओं का ब्यौरा और उनकी वस्तुस्थिति*

| क्रम सं. | पत्तन | कि. मी. में लंबाई | कार्य का क्षेत्र | परियोजना का कुल अनुमोदित लागत (करोड़ रु. में.) | सिविल कार्यों की निर्धारित लागत (करोड़ रु. में.) | अक्तूबर, 2006 तक संचयी प्रगति का प्रतिशत | निर्माण–कार्यों की वस्तुस्थिति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | मुंबई | 30 | | | | | न्यू लिंक (30 कि.मी.) प्रस्तावित लिंक नमक की क्यारियों के ऊपर से गुजरता है और इसमें सतह से उठे हुए ढांचों का निर्माण शामिल है, जिसमें निर्माण की उच्च लागत निहित है। मुंबई पत्तन न्यास ने मई, 2004 में यह सूचित किया कि वह यह कार्य स्वयं ही करेगा। |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | कांडला | 18 | रा.रा.–8ए (समाख्याली गांधीधाम सड़क परियोजना पैकेज–I) कि.मी. 306 से 324 कि.मी. तक के मार्ग को चार लेनों का बनाया जाना | 43.75 | 31.61 | 100 | कार्य प्रारंभ किए जाने के लिए की तिथि : अगस्त, 1998 कार्य कर लिए जाने की निर्धारित तिथि : अगस्त, 2000 कार्य पूरा कर लिया गया: फरवरी, 2001 |
| | | 22 | रा.रा.–8ए (समाख्याली गांधीधाम सड़क परियोजना पैकेज–II) कि.मी. 324 से 346 कि.मी. तक के मार्ग को चार लेनों का बनाया जाना | 91.43 | 54.17 | 100 | कार्य प्रारंभ किए जाने के लिए की तिथि : मई, 1998 कार्य पूरा कर लिए जाने की निर्धारित तिथि : मई, 2000 कार्य पूरा कर लिया गया : फरवरी, 2002 |
| | | 16.16 | रा.रा.–8ए (समाख्याली गांधीधाम सड़क परियोजना पैकेज–III) कि.मी. 346 से 362.160 कि.मी. तक के मार्ग को चार लेनों का बनाया जाना | 62.59 | 35.70 | 100 | कार्य प्रारंभ किए जाने के लिए की तिथि : मई, 1999 कार्य पूरा कर लिए जाने की निर्धारित तिथि : मई, 2001 कार्य पूरा कर लिया गया : जनवरी, 2002 |
| 3. | जवाहरलाल नेहरू पत्तन | 30 | चरण–I रा. रा.–4बी को 5000 कि.मी. से 26/987 कि.मी. तक और कि.मी. 0/000 कि.मी. से 4/440 कि.मी. तक चार लेनों का बनाया जाना और रा.रा.–4 को 106/000 कि.मी. से 109/500 कि.मी. तक चार लेनों का बनाया जाना | 177.00 | 142.72 | 100 | कार्य प्रारंभ किए जाने की तिथि: फरवरी, 2002 कार्य पूरा कर लिए जाने की तिथि : जुलाई, 2005 राष्ट्र को समर्पित किया गया : 21 जुलाई, 2005 |
| | | 14.35 | चरण – II राज्य राजमार्ग–54 को 6.400 कि.मी. से 14.500 कि.मी. तक चार लेनों का बनाया जाना और महाराष्ट्र राज्य में पनवेल क्रीक के आर पार (बेतरपुर से गवनफटा तक -- 6.202 कि.मी.) छः लेनों वाले प्रमुख पुल सहित चार लेनों वाले आम्रा मार्ग का निर्माण | 143.00 | 127.21 | 53.49 | कार्य प्रारंभ किए जाने की तिथि: नवंबर, 2004 कार्य पूरा कर लिए जाने की निर्धारित तिथि : मई, 2007 कार्य पूरा कर लिए जाने की संभावित तिथि : मई, 2007 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | मुरगांव | 18.3 (इस समय 13.1 कि.मी. 4 लेनों से युक्त | रा. रा.–17 पर वरना जंक्शन से मुरगांव पत्तन तक रा.रा.–17 बी को चार लेनों का बनाया जाना | 80.00 | 53 | 100 (13.1 कि.मी.) | 13.1 कि.मी. से संबंधित कार्य पूरा कर लिया गया<br>कार्य प्रारंभ किए जाने की तिथि: 1998<br>कार्य पूरा कर लिए जाने की तिथि : जून, 2004<br>13.1 कि.मी. तक पहुंच मार्ग मई, 2004 में पूरा कर लिया गया। राज्य सरकार, शेष 5.2 कि.मी. का कार्य पूरा करने के लिए बाधा रहित भूमि उपलब्ध नहीं करवा सकी। 5.2 कि.मी. के शेष खंड का कार्य राज्य–सरकार द्वारा उपादेयता, स्थानांतरण, भूमि–अधिग्रहण और आर एंड आर आदि कार्यों के पूरा कर लिए जाने के बाद ही किया जाएगा, जिसके लिए राज्य–सरकार को भुगतान कर दिया गया है। |
| 5. | नव–मंगलूर | 37.5 | रा. रा.–17 (सूरतकल–नन्तूर प्रखंड), रा.रा.–48 (पादिल–बंतवाल प्रखंड) को चार लेनों का बनाया जाना और रा.रा.–17 पर नन्तूर जंक्शन से रा.रा.–48 पर पादिल जंक्शन तक एक बाईपास | 196.50 | 168.22 (आर ओ बी एस/आर/यू. बी की लागत को छोड़कर) | 1.0 | कार्य प्रारंभ किए जाने की तिथि: जून, 2005<br>कार्य पूरा कर लिए जाने की संभावित तिथि : जून 2008 |
| 6. | कोचीन | 10.40 | रा.रा.–47 को 348/382 कि.मी. से 358/750 कि.मी. तक चार लेनों का बनाया जाना | 106.00 | 79.53 | 42 | कार्य चल रहा है<br>कार्य प्रारंभ किए जाने की तिथि: फरवरी, 2004<br>कार्य पूरा कर लिए जाने की निर्धारित तिथि : अगस्त, 2006<br>कार्य पूरा कर लिए जाने की संभावित तिथि : दिसंबर, 2007 |
| 7. | तूतीकोरिन | 47.2 | रा. रा. – 7ए को 4/000 कि.मी. से 51/200 कि.मी. तक चार लेनों का बनाया जाना | 231.20 | 137.80 | 22 | कार्य चल रहा है<br>कार्य प्रारंभ किए जाने की तिथि: फरवरी, 2004<br>कार्य पूरा कर लिए जाने की निर्धारित तिथि : अगस्त, 2006<br>कार्य पूरा कर लिए जाने की संभावित तिथि : दिसम्बर, 2007 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. | चेन्नई | 30 | चेन्नई–इन्नौर पत्तन संपर्क परियोजना<br>(i) तट–रक्षण–कार्य (लागत 25 करोड़) | 309 | 24.57 करोड़ रु. | कार्य पूरा कर लिया गया (जून, 06) | (i) इंन्नौर एक्सप्रैस वे के साथ सागर–रक्षण कार्य<br>कार्य प्रारंभ किए जाने की तिथि: जून, 2003<br>कार्य पूरा कर लिए जाने की निर्धारित तिथि: जून, 2005<br>कार्य पूरा कर लिए जाने की वास्तविक स्थिति : जून, 2006 |
| | | | (ii) टी पी पी मार्ग (लागत 37.5 करोड़ रु.) | | | | (ii) टी पी पी मार्ग को चार लेनों का बनाया जाना<br>कार्य प्रारंभ किए जाने की तिथि: मई, 2006<br>कार्य पूरा कर लिए जाने की निर्धारित तिथि : नवम्बर, 2007 |
| | | | (iii) (क) एम ओ आर आर (5.4 कि.मी.)<br>(ख) आई आर आर (8.1 कि.मी.)<br>(ग) 1.6 कि.मी. पत्तन–द्वार से इन्नौर एक्सप्रैस वे तक (लागत 54 करोड़ रु.) | | | | कार्य का क्षेत्र दिसंबर, 05 से संशोधित किया गया<br>(iii) आई आर आर, एम ओ आर और 1.6 कि.मी. ई ई के लिए प्राप्त वित्तीय बोली 46% से अधिक है।<br>(iv) पीए एफ़ज के आर एंड आर के लिए इन्नौर एक्सप्रैस वे का कार्य प्रारंभ नहीं किया जा सका। |
| | | | (iv) शेष इन्नौर एक्सप्रैस वे (लागत 34 करोड़ रु.) | | | | इन्नौर एक्सप्रैस वे के शेष कार्य को प्रारंभ किए जाने की संभावित तिथि : दिसम्बर, 2007 |
| 9. | विशाखापट्टणम | 12.47 | विशाखापट्टणम–पत्तन–संपर्क | 94.00 | 77.78 | 99.0 | कार्य चल रहा है<br>कार्य प्रारंभ किए जाने की तिथि: जून, 2002<br>कार्य पूरा कर लिए जाने की निर्धारित तिथि : दिसम्बर, 2004<br>कार्य पूरा कर लिए जाने की संभावित तिथि : नवंबर, 2006<br>दो रैंपों का कार्य 30.11.2006 तक पूरा कर लिया जाएगा और पहुंच मार्ग 01.12.2006 तक खोल दिए जाने की संभावना है। |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. | पाराद्वीप | 77 | रा.रा.–5ए को 0/0 कि.मी. से 77/0 कि.मी. तक चार लेनों तक बनाया जाना | 427.40 | 327.77 | 47.3 | कार्य चल रहा है।<br>कार्य प्रारंभ कर लिए जाने की तिथि : फरवरी, 2004<br>कार्य पूरा कर लिए जाने की निर्धारित तिथि : फरवरी, 2007<br>कार्य पूरा कर लिए जाने की संभावित तिथि : दिसंबर, 2007<br>(यातायात में भीड़भाड़) |
| 11. | हल्दिया | 52.2 | पश्चिम बंगाल राज्य में रा.रा.–41 के कोलाघाट–हल्दिया प्रखंड के 0/500 कि.मी. से 52/700 कि.मी. तक के मार्ग को चार लेनों का बनाया जाना | 273.00 | 219.99 | 38.6 | कार्य चल रहा है<br>कार्य प्रारंभ किए जाने की तिथि: सितम्बर, 2002<br>कार्य पूरा कर लिए जाने की निर्धारित तिथि : मार्च, 2005<br>कार्य पूरा कर लिए जाने की संभावित तिथि : दिसम्बर, 2007 |
| 12. | कोलकाता (बारासात बाई पास) | 10 | | | | | विद्यासागर सेतु और स्विंग ब्रिज के बीच 1.7 कि.मी. लंबे उठे हुए सड़क–संपर्क सहित कोलकाता पत्तन से 10 कि.मी. के सड़क–संपर्क का उन्नयन किया जाना प्रस्तावित किया गया बशर्ते कि यह व्यवहार्य हो।<br>विस्तृत परियोजना–रिपोर्ट के प्राप्त हो जाने पर सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से निदेश का फैसला किया जाएगा। |

*सैंट्रल डिवाइडर और 1.5 मीटर के पक्के फुटपाथ से युक्त 4 लेनों वाली सड़कों की क्षमता, लगभग 40,000 पी सी यूज (पैसेंजर कार यूनिट) प्रति दिन की है। यह राजमार्ग 80 से 100 कि.मी. प्रति घंटा की गति के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।

***विवरण-III***

*महापत्तनों की क्षमता का आवर्धन करने के लिए राष्ट्रीय समुद्री विकास कार्यक्रम के अंतर्गत विचारित परियोजनाएं*

| क्रम सं. | महापत्तन | परियोजनाओं की संख्या | वर्ष 2011–12 तक हासिल की जाने वाली क्षमता (मिलियन टन में) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | कोलकाता पत्तन न्यास | 40 | 82.87 |
| 2. | पारादीप पत्तन न्यास | 28 | 88.86 |
| 3. | विशाखापट्टणम पत्तन न्यास | 38 | 106.60 |
| 4. | इन्नौर पत्तन लिमिटेड | 14 | 45.24 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 5. | चेन्नई पत्तन न्यास | 14 | 60.58 |
| 6. | तूतीकोरिन पत्तन न्यास | 24 | 39.52 |
| 7. | कोचीन पत्तन न्यास | 14 | 42.90 |
| 8. | नव मंगलूर पत्तन न्यास | 20 | 54.94 |
| 9. | मुरगांव पत्तन न्यास | 12 | 53.30 |
| 10. | मुंबई पत्तन न्यास | 14 | 51.48 |
| 11. | जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास | 32 | 82.95 |
| 12. | कांडला पत्तन न्यास | 26 | 92.17 |
| | कुल | 276 | 800.41 |

*[अनुवाद]*

**ग्रामीण क्षेत्रों में डाकघर खोलना**

***105. श्री राम कृपाल यादव :** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2002 से देश में कोई नया डाकघर नहीं खोला है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार के पास देश में, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में, डाकघरों की संख्या बढ़ाने की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो देश में राज्य-वार कितने डाकघर खोले जाने की संभावना है तथा उन्हें किन-किन स्थानों पर खोला जाएगा?

**संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री दयानिधि मारन) :** (क) जी नहीं। वर्ष 2002-03 और 2003-04 के दौरान देशभर में 485 नए डाकघर खोले गए।

(ख) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) डाकघर दूरी, जनसंख्या और आय संबंधी मानदंडों को पूरा होने और संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर खोले जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों, विशेष रूप से पहाड़ी, जनजातीय, रेगिस्तानी और दूर-दराज के क्षेत्रों में डाकघर खोलने के मानदंडों में काफी ढिलाई दी गई है और ये डाकघर काफी सब्सिडी प्राप्त हैं।

डाक नेटवर्क को युक्तिसंगत बनाने के संबंध में 10वीं पंचवर्षीय योजना के नीति-निर्देशों के अनुरूप वर्ष 2004-05 से नए डाकघर खोलने के योजना लक्ष्य आबंटित नहीं किए जा रहे हैं। अतः, अगर कोई डाकघर खोलना औचित्यसम्मत पाया जाता है तो वह प्रत्येक मामले के आधार पर मात्र किसी ऐसे डाकघर की पुनर्स्थापना के माध्यम से ही खोला जा सकता है जो विभागीय मानदंडों के मुताबिक अपने मौजूदा स्थान पर औचित्यसम्मत नहीं रहा।

**पत्तनों का उन्नयन और आधुनिकीकरण**

***106. श्री जसुभाई धानाभाई बारड़ :** क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बड़े पत्तनों के उन्नयन और आधुनिकीकरण के कार्य में निजी क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा किन-किन पत्तनों का उन्नयन करने का विचार है?

**पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी. आर. बालू) :** (क) और (ख) सरकार ने महापत्तनों में गैर सरकारी क्षेत्र की प्रतिभागिता की एक योजना, चलानी पहले से ही आरंभ कर दी है। महापत्तनों में गैर सरकारी क्षेत्र की प्रतिभागिता के बारे में सरकार द्वारा जारी किए गए व्यापक मार्गदर्शी सिद्धान्तों में अन्य बातों के साथ-साथ, ऐसी प्रतिभागिता के लिए चुने गए क्षेत्र, विनियामक फ्रेमवर्क, प्रतिभागिता के तौर-तरीके, कीमतों से युक्त बोलियां आमंत्रित किए जाने और उनकी जांच-पड़ताल किए जाने की प्रक्रिया, चयन के मानदण्ड और सामान्य निबंधन और शर्तें निर्धारित हैं। सरकार ने ऐसी प्रतिभागिता के बारे में, किसी परियोजना विशेष से संबंधित दस्तावेज तैयार किए जाने की दृष्टि से मार्गदर्शन हेतु कीमतों से युक्त बोलियां आमंत्रित किए जाने हेतु आदर्श (मॉडल) दस्तावेज, लाइसेंस-करार इत्यादि भी निर्धारित किए हैं। सरकार ने अब तक महापत्तनों में गैर सरकारी क्षेत्र की 21 परियोजनाएं अनुमोदित कर दी हैं। राष्ट्रीय समुद्रीय विकास-कार्यक्रम के अंतर्गत, गैर सरकारी क्षेत्र की प्रतिभागिता की दृष्टि से सभी 12 महापत्तनों में कई

परियोजनाएं चुन ली गई हैं। फिर भी, समुद्रीय व्यापार की मांगे ध्यान में रखते हुए, उन्नयन तथा आधुनिकीकरण किए जाने की विशिष्ट परियोजनाओं को चुनने और उन्हें निष्पादित किए जाने हेतु सौंपे जाने की प्रक्रिया, एक लगातार चलती रहने वाली प्रक्रिया है।

*[हिन्दी]*

**डेंटल कॉलेज खोलना**

*107. **श्री कीरेन रिजीजू :**
**श्री संतोष गंगवार :**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में वर्ष 2001 के पश्चात कई निजी डेंटल कॉलेज खुले हैं जैसा कि दिनांक 30 अगस्त, 2006 के 'जनसत्ता' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित समाचार के तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या देश में कुछ डेंटल कॉलेज निर्धारित मानदंडों के अनुरूप नहीं हैं तथा ये छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास) :** (क) से (घ) केन्द्र सरकार ने डेंटिस्ट अधिनियम, 1948 (1948 का 16) के अंतर्गत बनाए गए विनियमों के अनुसार शिक्षण संकाय सहित बुनियादी ढांचे और सुविधाओं की उपलब्धता का विधिवत मूल्यांकन करने के पश्चात वर्ष 2001 से 106 निजी दन्त–चिकित्सा महाविद्यालयों को स्थापित करने की अनुमति प्रदान कर दी है। दन्त–चिकित्सा महाविद्यालयों की बढ़ी हुई संख्या को देखते हुए केन्द्र सरकार ने अर्हता–प्राप्त और अनुभवी दन्त–चिकित्सा शिक्षकों की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए दन्त–चिकित्सा शिक्षण संकाय की सेवानिवृत्ति की अधिकतम आयु सीमा को 65 वर्ष से बढ़ाकर 70 वर्ष कर दिया है।

दन्त–चिकित्सा शिक्षा के मानक को यह सुनिश्चित करके बनाए रखा जाता है कि केन्द्र सरकार द्वारा नए दन्त–चिकित्सा महाविद्यालयों को खोलने की/अनुमति के नवीकरण की अनुमति केवल यह सुनिश्चित करने के बाद प्रदान की जाए कि इन महाविद्यालयों में विनियमों के अनुसार अपेक्षित बुनियादी ढांचा है और नियमानुसार भारतीय दन्त–चिकित्सा परिषद द्वारा समय–समय पर इनका निरीक्षण करके यह सुनिश्चित किया जाता है।

किसी स्थान विशेष पर नए दन्त–चिकित्सा महाविद्यालय को स्थापित करने के लिए अनिवार्यता प्रमाण पत्र स्वीकृत करते समय राज्य में विद्यमान दन्त महाविद्यालयों की संख्या, उपलब्ध दन्त–शल्यचिकित्सकों तथा डेंटिस्टों की संख्या : राज्य में जनसंख्या के अनुपात को ध्यान में रखते हुए नए दन्त–चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना की आवश्यकता तथा व्यावहारिकता पर विचार करना राज्य सरकार का प्राथमिक दायित्व है।

**भारत संचार निगम लिमिटेड (बी.एस.एन.एल.)
का वित्तीय कार्यनिष्पादन**

*108. **श्री जीवाभाई ए. पटेल :**
**श्री हरिकेवल प्रसाद :**

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान भारत संचार निगम लिमिटेड (बी.एस.एन.एल.) द्वारा कुल कितना राजस्व अर्जित किया गया;

(ख) क्या निर्धारित लक्ष्य की तुलना में बी.एस.एन.एल. द्वारा अर्जित राजस्व में पिछले कुछ वर्षों में कमी आई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

**संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री दयानिधि मारन) :** (क) वर्ष 2004–05 और 2005–06 के दौरान बीएसएनएल द्वारा अर्जित (संग्रहीत) कुल राजस्व क्रमशः 33450 करोड़ रु. और 36139 करोड़ रु. था।

(ख) जी, नहीं। पिछले वर्षों में बीएसएनएल द्वारा अर्जित राजस्व में कोई कमी नहीं आयी है। पिछले दो वर्षों के लिए संग्रहण हेतु निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नानुसार है:–

| वर्ष | लक्ष्य | वास्तविक |
|---|---|---|
| 2004–05 | 32052 करोड़ रु. | 33450 करोड़ रु. |
| 2005–06 | 33159 करोड़ रु. | 36139 करोड़ रु. |

(ग) और (घ) उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

*[अनुवाद]*

**तपेदिक के संबंध में सर्वेक्षण**

*109. **श्री किसनभाई वी. पटेल :**
**श्री रशीद मसूद :**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रति वर्ष तपेदिक (टी.बी.) से ग्रस्त होने वाले व्यक्तियों की संख्या का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो किए गए अध्ययन का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सर्वेक्षण का नमूना आकार (सैम्पल साइज) क्या है;

(ग) क्या सरकार देश में पलमेनरि टी.बी. के रोगियों का उपचार करने में विफल रही है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं;

(च) क्या सरकार को इस रोग के उन्मूलन के संबंध में विश्व स्वास्थ्य संगठन की तपेदिक संबंधी संयुक्त निगरानी समिति से कोई सुझाव प्राप्त हुआ है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास) :** (क) से (छ) क्षयरोग की मौजूदा जानपदिक रोग संबंधी स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए जनवरी, 2000 से 2003 के बीच क्षयरोग संक्रमण के वार्षिक जोखिम का अनुमान लगाकर भारत के विभिन्न जोनों में एक राष्ट्रव्यापी क्रास सेक्शनल सर्वेक्षण किया गया था। अनुमान के अनुसार, भारत में प्रति एक लाख लोगों पर 75 नए लोगों के थूक में क्षयरोग के लक्षण पाए गए। इस प्रकार प्रति वर्ष (क्षयरोग) के कुल लगभग 8 लाख नए रोगी हो जाते हैं। क्षयरोग संबंधी सर्वेक्षण का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

थूक में रोग के लक्षण वाले 85 प्रतिशत रोगियों को रोगमुक्त करने और कम से कम 70 प्रतिशत ऐसे रोगियों का पता लगाने के उद्देश्य के साथ-साथ क्षयरोग नियंत्रण हेतु देश में 1997 से चरणबद्ध ढंग से संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम कार्यान्वित किया गया है जिसे डॉटस (प्रत्यक्ष देखरेख में उपचार) के नाम से जाना जाता है और यह विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा संस्तुत कार्यनीति है। पूरे देश को मार्च, 2006 तक संशोधित क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत कवर कर लिया गया था। संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत एक्स-रे की बजाय माइक्रोस्कोपी उपकरण द्वारा थूक की जांच करने से संक्रमित रोगियों का शीघ्र पता लगाने और उन्हें रोगमुक्त करने में सहायता मिलती है। माइक्रोस्कोपी द्वारा थूक की जांच की सुविधाओं को विकेन्द्रीकृत तथा सुदृढ़ किया गया है। औषधें सीधी देखरेख में दी जाती हैं तथा रोगियों की निगरानी की जाती है ताकि वे अपना पूरा ईलाज करवा सकें। औषधें रोगीवार-डिब्बों में निशुल्क दी जाती है। संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग निवारण कार्यक्रम के तहत अब तक 63.00 लाख से ज्यादा रोगियों को डॉट्स उपचार पर रखा गया है और 11.33 लाख से अधिक लोगों को मृत्यु से बचाया गया है। प्रत्येक माह 1.0 लाख से अधिक रोगियों को डॉटस उपचार पर रखा जाता है। केवल 2005 में ही भारत में 12.93 लाख से अधिक रोगियों को डॉटस उपचार पर रखा गया जो कि विश्व के किसी भी देश में एक वर्ष में उपचार पर रखे गए रोगियों की संख्या से अधिक है। संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोगी नियंत्रण कार्यक्रम का निष्पादन उत्तम रहा है जिसमें रोगमुक्ति/पूर्ण उपचार की दर लगातार 85 प्रतिशत से अधिक तथा मृत्यु दर 5 प्रतिशत से कम रही है। इस कार्यक्रम के तहत दी जाने वाली सुविधाओं तक लोगों की पहुंच बढ़ाने के लिए संशोधित कार्यनीति में सूचना, शिक्षा व सम्प्रेषण, गैर-सरकारी संगठनों, प्राइवेट क्षेत्र तथा मेडिकल कालेजों की सहभागिता पर विशेष जोर दिया गया है। इसलिए यह कहना सही नहीं होगा कि सरकार देश में फुफ्सीय (पल्मनरी) क्षयरोगियों का उपचार करने में असफल रही है।

अक्तूबर, 2006 में एक संयुक्त मानीटरिंग मिशन द्वारा इस कार्यक्रम की समीक्षा की गई थी। इस मिशन ने भारतीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम की महत्वपूर्ण प्रगति की सराहना की है तथा इसे विश्व में डॉटस का सबसे तेज प्रसार बताया है। इस कार्यक्रम की महत्वपूर्ण उपलब्धियों के संरक्षण और सुदृढ़ीकरण के लिए मिशन ने निम्नलिखित सुझाव दिए हैं:-

1. इस कार्यक्रम की वित्तीय एवं मानव संसाधनों की उपलब्धता दीर्घकाल तक सुनिश्चित करना।
2. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत क्षयरोगी रोधी औषधों की खरीद, कोर पूर्णकालिक आर एन टी सी पी स्टाफ, रिपोर्टिंग और क्षयरोग विशिष्ट वित्त की निरन्तरता सुनिश्चित करना।
3. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के शुरू होने से इस कार्यक्रम के विस्तार के अवसरों को देखते हुए केन्द्र और राज्य स्तरों पर कार्यक्रम प्रबंधन क्षमता को बढ़ावा देना अनिवार्य है।
4. संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत रोगियों का पता लगाने में सुधार करके, डॉटस का विकेन्द्रीकरण, रिपोर्टिंग तंत्र का सरलीकरण, अन्य क्षेत्रों में स्वास्थ्य परिचर्या प्रदायकों की सहभागिता का और अधिक सुदृढ़ीकरण तथा मुफ्त माइक्रोस्कोपी तथा क्षयरोग परिचर्या के बारे में बेहतर जागरूकता बढ़ाने के लिए सम्प्रेषण कार्यनीतियों का प्रभावी उपयोग करके कार्यक्रम की प्रभावकारिता को बढ़ाना।
5. बहुऔषध प्रतिरोधक क्षयरोग और एच आई वी/क्षयरोग के लिए और कार्यनीतियां तैयार करना और उन्हें कार्यान्वित करना।

**विवरण**

*क्षयरोग संक्रमण के वार्षिक जोखिम राष्ट्रीय सर्वेक्षण*

यह अध्ययन केन्द्रीय क्षयरोग प्रभाग के सहयोग से राष्ट्रीय संस्थान, बंगलौर और क्षयरोग अनुसंधान केन्द्र, चैन्नई एवं अन्य संस्थाओं द्वारा जनवरी, 2000 और वर्ष 2003 के बीच किया गया था।

सर्वेक्षण के प्रयोजन के लिए देश को चार क्षेत्रों अर्थात उत्तर, दक्षिण, पूर्व एवं पश्चिम में बांटा गया था जिनकी जनसंख्या लगभग बराबर थी। 26 जिलों में 1 से 29 वर्ष की आयु के कुल 1,88,103 बच्चों की जांच की गई :

सर्वेक्षण के लिए जिलों का क्षेत्र–वार चयन निम्न प्रकार से किया गया था:

उत्तर क्षेत्र : रायबरेली, हरदोई, जौनपुर, गुरदासपुर, कांगड़ा, दिल्ली

दक्षिण क्षेत्र : दक्षिण कन्नड, बेलगांव, मल्लापुरम, मेडक, कन्याकुमारी, चिंगेलपुट

पश्चिम क्षेत्र : जूनागढ़, नागपुर, रत्नागिरी, थाणे, झबुआ, कोटा

पूर्वी क्षेत्र : समस्तीपुर, पूर्वी सिंहभूम, पापूम पारे, कटक, कामरूप, पूर्वी सिक्किम, जलपाईगुडी, बर्धमान।

इस सर्वेक्षण का उद्देश्य इन चार में से प्रत्येक क्षेत्र में क्षयरोग के संक्रमण के औसत वार्षिक जोखिम का आकलन करना था। विभिन्न राज्यों/संघ क्षेत्रों का क्षेत्र–वार वितरण और क्षयरोग संक्रमण के क्षेत्रीय वार्षिक जोखिम के आधार पर प्रति लाख जनसंख्या पर कुल अनुमानित नए स्मीयर पाजीटिव रोगियों का संक्षिप्त ब्यौरा निम्नलिखित है:

| क्षेत्र | राज्य/संघ क्षेत्र | प्रति लाख जनसंख्या पर अनुमानित नए स्मूटम पाजीटिव रोगी | क्षयरोग संक्रमण का वार्षिक जोखिम |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| उत्तर | हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, चण्डीगढ़, दिल्ली, उत्तरांचल | 95 | 1.9 प्रतिशत |
| पूर्वी | असम, बिहार, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, सिक्किम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, अंडमान व निकोबार, अरूणाचल प्रदेश, झारखण्ड | 65 | 1.3 प्रतिशत |
| दक्षिण | आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पांडिचेरी, लक्षद्वीप | 50 | 1 प्रतिशत |
| पश्चिम | गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, दादरा व नागर हवेली, दमण व दीव, छत्तीसगढ़ | 80 | 1.6 प्रतिशत |

इस अध्ययन के आधार पर क्षयरोग संक्रमण के क्षेत्रीय वार्षिक जोखिम अनुमान का प्रयोग क्षयरोग संक्रमण के राष्ट्रीय जोखिम का अनुमान लगाने के लिए भी किया गया जो कि 1.5 प्रतिशत है (अनुमानित नए स्मीयर पाजिटीव रोगी – 70 प्रति लाख जनसंख्या पर 75 लाख)

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि क्षयरोग संक्रमण का वार्षिक जोखिम उत्तरी क्षेत्र में सर्वाधिक है। इसके बाद पश्चिमी क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र का स्थान आता है। दक्षिणी क्षेत्र में यह सबसे कम है।

**सेवा क्षेत्र की विकास दर**

***110. श्री के. एस. राव : क्या प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों के दौरान सेवा क्षेत्र की विकास दर कितनी रही और सकल घरेलू उत्पाद में इसका हिस्सा कितना रहा;

(ख) स्वास्थ्य, सूचना प्रौद्योगिकी, शिक्षा, विधिक सेवाओं, पर्यटन आदि के क्षेत्र में विकास दर को बनाए रखने के लिए कितनी कुशल जनशक्ति की आवश्यकता है और कितनी उपलब्ध है;

(ग) भविष्य में कितनी कुशल जनशक्ति की आवश्यकता पड़ने का अनुमान है और हमारी जनसांख्यिकी का लाभ उठाने के लिए मेडिकल आउटसोर्सिंग तथा पर्यटन विकास की मांगों को पूरा करने हेतु विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा प्रदान करने वाले और अधिक संस्थानों की स्थापना के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार कुशल जनशक्ति की उभरती मांगों तथा उपलब्धता के बीच संतुलन सुनिश्चित करते हुए सेवा क्षेत्र की वृद्धि तथा प्रतिस्पर्धात्मकता को बनाए रखने के लिए कुशल जनशक्ति का एक पूल बनाने के लिए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश शुरू करने हेतु एक नई नीति बनाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. राजशेखरन)** : (क) पिछले पांच वर्षों में सेवा क्षेत्र की वार्षिक विकास दर और सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में इसका हिस्सा से संबंधित सूचना नीचे तालिका में दी गई है:–

*तालिका : स्थिर (1999–2000) मूल्यों पर सेवा क्षेत्र की वार्षिक दर और जीडीपी में इसका हिस्सा*

| वर्ष | वार्षिक विकास दर (%) | प्रतिशत योगदान (%) |
|---|---|---|
| 1999–2000 | – | 49.2 |
| 2000–2001 | 5.6 | 49.8 |
| 2001–2002 | 7.1 | 50.5 |
| 2002–2003 | 7.3 | 52.2 |
| 2003–2004 | 8.2 | 52.1 |
| 2004–2005 | 9.9 | 53.2 |
| 2005–2006 | 10.0 | 54.0 |

स्रोत : केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित "राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी, 2006"

(ख) और (ग) विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि स्वास्थ्य, सूचना प्रौद्योगिकी, शिक्षा, विधिक सेवाओं, पर्यटन आदि में कुशल जनशक्ति की विशिष्ट आवश्यकता और उपलब्धता के आकलन एवं प्राक्कलन की कोई केन्द्रीकृत प्रणाली नहीं है। इनका अध्ययन/मूल्यांकन विशेषज्ञता प्राप्त निकायों/अभिकरणों द्वारा किया जाता है। उद्योग संघ, व्यापार, निकाय और वाणिज्य मंडल समय–समय पर अपने–अपने विशिष्ट क्षेत्रों में कुशल जनशक्ति की आवश्यकता का आकलन करते हैं।

देश की उच्च शिक्षा प्रणाली विश्व विद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के व्यापक नियंत्रण में है, जो मानकों के समन्वय निर्धारण और अनुरक्षण आदि के उत्तरदायी है तथा व्यावसायिक परिषदें पाठयक्रमों को मान्यता प्रदान करने, व्यावसायिक संस्थाओं आदि के लिए उत्तरदायी हैं।

सांविधिक परिषदों के अलावा, उच्च शिक्षा प्रदान करने वाली बहुत सी अन्य स्वायत्त समितियां और संस्थाएं हैं जो कुशल जनशक्ति विकास के मुद्दों पर कार्य कर रही हैं।

(घ) और (ङ) शिक्षा और प्रशिक्षण में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

*[हिन्दी]*

**अस्पतालों में जीवन रक्षक उपकरण**

***111. प्रो. महादेवराव शिवनकर :**
**श्री कैलाश नाथ सिंह यादव :**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार के सभी अस्पतालों में नवीनतम जीवन रक्षक उपकरण उपलब्ध हैं;

(ख) यदि हां, तो इस समय प्रत्येक अस्पताल में उपलब्ध उपकरणों की कुल संख्या कितनी है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) इन अस्पतालों में वास्तव में ऐसे कुल कितने उपकरणों की आवश्यकता है; और

(ङ) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं तथा इस कार्य के लिए प्रत्येक अस्पताल को कितनी धनराशि उपलब्ध कराई जा रही है?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास)** : (क) से (ङ) केन्द्रीय सरकारी अस्पतालों नामतः सफदरजंग अस्पताल, डा. राममनोहर लोहिया अस्पताल, लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज एवं संबद्ध अस्पताल और जिपमेर, पांडिचेरी में जीवन रक्षक उपकरण उपलब्ध हैं। केन्द्रीय सरकारी अस्पतालों में एक लाख रुपए से अधिक कीमत के उपलब्ध उपकरणों की कुल संख्या नीचे दी गई है:–

| | |
|---|---|
| सफदरजंग अस्पताल | 544 |
| डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल | 564 |
| लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज | 222 |
| जिपमेर | 206 |

अस्पतालों का सुदृढ़ीकरण एक सतत गतिशील प्रक्रिया है। आवश्यकता के अनुसार और उपलब्ध संसाधनों के भीतर अद्यतन उपकरणों का प्रापण किया जाता है।

केन्द्रीय सरकारी अस्पतालों को उपकरणों की खरीद के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रदान की गई निधियां नीचे दी गई हैं:–

रुपए करोड़ में

| अस्पताल | 2004–05 | 2005–06 | 2006–07 |
|---|---|---|---|
| सफदरजंग अस्पताल | 22.90 | 20.90 | 12.99 |
| डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल | 7.75 | 21.25 | 11.00 |
| लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल | 4.50 | 5.50 | 6.00 |
| जिपमेर, पांडिचेरी | 5.63 | 45.37 | 23.33 |

*[अनुवाद]*

**कुष्ठ रोग का उन्मूलन**

***112. श्री तुकाराम गंगाधर गदाख** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कुष्ठ रोगियों की राज्य–वार, वर्ष–वार अनुमानित संख्या कितनी है;

(ख) क्या कुष्ठ रोग के लिए आबंटित धनराशि में विगत वर्षों में कमी की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) देश में कुष्ठ रोग का उन्मूलन करने के लिए सरकार द्वारा क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास) :** (क) से (ङ) वर्ष के अन्त में पता लगाए गए नए रोगियों और दर्ज किए गए रोगियों के बारे में राज्यवार और वर्षवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

10वीं योजना (2002–07) के दौरान राज्यों को वर्षवार आबंटित की गई और जारी की गई निधियां नीचे दी गई हैं:–

(रुपए करोड़ों में)

| वर्ष | निधि आबंटन (बजट अनुमान) | संशोधित अनुमान | वास्तविक विमुक्ति |
|---|---|---|---|
| 2002–03 | 75.00 | 75.00 | 74.97 |
| 2003–04 | 74.20 | 54.97 | 50.22 |
| 2004–05 | 55.00 | 42.84 | 42.34 |
| 2005–06 | 41.75 | 28.32 | 23.46 |
| 2006–07 | 42.25 | 38.36 | 24.59 (31.10.06 की स्थिति के अनुसार) |

राज्यों को जारी की गई निधियां में पिछले वर्षों में मामूली कमी हुई है और उसके कारण नीचे दिए गए हैं:–

(i) देश में कुष्ठ रोग के घटते हुए रूझान के कारण बहु–औषध चिकित्सा (एमडीटी) की आवश्यकता में भी कमी हुई है।

(ii) द्वितीय राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम परियोजना के अधीन मौजूद अधिकांश संविदात्मक शीर्षस्थ स्टाफ को मार्च, 2004 के बाद चरणबद्ध ढंग से हटा दिया गया।

(iii) 2004–05 के बाद से राज्यों के मध्य वर्ष फिर भी एक वर्ष बकाया धनराशि को जारी की जाने वाली वास्तविक धनराशियों की गणना करते समय ध्यान में रखा गया।

सरकार ने देश में कुष्ठ रोग के उन्मूलन के लिए कोई भी लक्षित तारीख नियत नहीं की है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2002 के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर जन स्वास्थ्य समस्या के रूप में कुष्ठ के उन्मूलन को हासिल करने का लक्ष्य था (प्रति 10,000 जनसंख्या पर व्याप्तता दर 1 से कम) जिसे दिसंबर, 2005 में प्राप्त किया गया। इस समय देश, शेष राज्यों/जिलों, जिन्होंने उन्मूलन प्राप्त नहीं किया है, से कुष्ठ के भार को और कम करने और उसे सभी स्वास्थ्य केन्द्रों से कुष्ठ की गुणवत्तायुक्त सेवाओं की व्यवस्था के साथ बनाए रखने के लिए कार्य कर रहा है।

राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम को निम्नलिखित पर विशेष बल देते हुए जारी रखा जा रहा है:–

(i) ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं से कुष्ठ रोगियों को नैदानिक और उपचार सेवाओं की उपलब्धता को बनाए रखना।

(ii) स्थानिकमारी वाले जिलों, स्थानिकमारी वाले ब्लाकों, स्थानिकमारी वाले शहरी इलाकों, उच्च अशक्तता दर वाले राज्यों और उच्चतर शिशु अनुपात वाले राज्यों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए गुणवत्तायुक्त बहु–औषध चिकित्सा सेवाएं प्रदान करके शेष राज्यों, जिलों और ब्लाकों में कुष्ठ का उन्मूलन करना।

(iii) सभी श्रेणियों के स्टाफ को शामिल करके पुनरअभिविन्यास प्रशिक्षण प्रदान करके उनका क्षमता निर्माण।

(iv) जनता के बीच कुष्ठ रोग के बारे में जागरूकता तथा सामाजिक कलंक को हटाने के लिए अन्तर वैयक्तिक सम्प्रेषण में वृद्धि करना।

*विवरण*

*पिछले 3 वर्षों में पता लगाए गए और दर्ज किए गए नए रोगी*

| क्रम सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | 2003–04 | | | | 2004–05 | | | | 2005–06 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | पता लगाए गए नए रोगी | प्रति 10,000 पर वार्षिक नए रोगी पहचान दर | मार्च की स्थिति के अनुसार दर्ज रोगी | व्याप्तता दर | पता लगाए गए नए रोगी | प्रति 10,000 पर वार्षिक नए रोगी पहचान दर | मार्च की स्थिति के अनुसार दर्ज रोगी | व्याप्तता दर | पता लगाए गए नए रोगी | प्रति 10,000 पर वार्षिक नए रोगी पहचान दर | मार्च की स्थिति के अनुसार दर्ज रोगी | व्याप्तता दर |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 31816 | 4.04 | 15628 | 1.99 | 18751 | 2.35 | 6323 | 0.79 | 8171 | 1.01 | 4567 | 0.57 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 104 | 0.89 | 82 | 0.70 | 66 | 0.55 | 69 | 0.58 | 56 | 0.46 | 61 | 0.50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | असम | 1331 | 0.47 | 1293 | 0.46 | 1227 | 0.43 | 1182 | 0.41 | 1176 | 0.41 | 1098 | 0.38 |
| 4. | बिहार | 65019 | 7.28 | 44351 | 4.97 | 40395 | 4.42 | 16532 | 1.81 | 25835 | 2.76 | 12166 | 1.30 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 15385 | 7.04 | 12918 | 5.91 | 13110 | 5.90 | 7994 | 3.60 | 9040 | 4.00 | 4515 | 2.00 |
| 6. | गोवा | 320 | 2.28 | 263 | 1.88 | 290 | 2.04 | 200 | 1.41 | 186 | 1.29 | 132 | 0.92 |
| 7. | गुजरात | 10229 | 1.90 | 6946 | 1.29 | 6900 | 1.26 | 3651 | 0.67 | 6399 | 1.14 | 4082 | 0.73 |
| 8. | हरियाणा | 643 | 0.28 | 477 | 0.21 | 449 | 0.19 | 423 | 0.18 | 333 | 0.14 | 388 | 0.16 |
| 9. | हिमाचल प्रदेश | 308 | 0.48 | 275 | 0.43 | 252 | 0.39 | 241 | 0.37 | 231 | 0.35 | 205 | 0.31 |
| 10. | झारखंड | 17719 | 6.19 | 11636 | 4.06 | 19131 | 6.54 | 7823 | 2.68 | 7357 | 2.47 | 3912 | 1.31 |
| 11. | जम्मू और कश्मीर | 356 | 0.33 | 366 | 0.34 | 298 | 0.27 | 348 | 0.31 | 253 | 0.22 | 292 | 0.26 |
| 12. | कर्नाटक | 10598 | 1.92 | 7742 | 1.40 | 7850 | 1.40 | 4921 | 0.88 | 5307 | 0.93 | 3272 | 0.57 |
| 13. | केरल | 1891 | 0.58 | 1627 | 0.50 | 1500 | 0.45 | 1282 | 0.39 | 1159 | 0.35 | 998 | 0.30 |
| 14. | मध्य प्रदेश | 12699 | 1.97 | 10329 | 1.60 | 7626 | 1.16 | 6182 | 0.94 | 6850 | 1.02 | 4932 | 0.73 |
| 15. | महाराष्ट्र | 44192 | 4.30 | 29497 | 2.87 | 32618 | 3.11 | 16513 | 1.57 | 13844 | 1.29 | 6888 | 0.64 |
| 16. | मणिपुर | 53 | 0.21 | 38 | 0.15 | 41 | 0.15 | 33 | 0.12 | 45 | 0.17 | 35 | 0.13 |
| 17. | मेघालय | 17 | 0.07 | 32 | 0.13 | 27 | 0.11 | 42 | 0.16 | 16 | 0.06 | 31 | 0.12 |
| 18. | मिजोरम | 18 | 0.19 | 10 | 0.10 | 18 | 0.18 | 10 | 0.10 | 24 | 0.24 | 16 | 0.16 |
| 19. | नागालैंड | 55 | 0.24 | 33 | 0.14 | 59 | 0.24 | 38 | 0.16 | 98 | 0.39 | 47 | 0.19 |
| 20. | उड़ीसा | 21201 | 5.53 | 13382 | 3.49 | 20595 | 5.29 | 8325 | 2.14 | 8477 | 2.15 | 4177 | 1.06 |
| 21. | पंजाब | 1345 | 0.52 | 1218 | 0.48 | 1173 | 0.45 | 1047 | 0.40 | 1143 | 0.43 | 1084 | 0.41 |
| 22. | राजस्थान | 2000 | 0.33 | 2291 | 0.38 | 1299 | 0.21 | 1996 | 0.32 | 1442 | 0.23 | 1479 | 0.23 |
| 23. | सिक्किम | 47 | 0.80 | 40 | 0.68 | 39 | 0.64 | 26 | 0.43 | 37 | 0.59 | 36 | 0.58 |
| 24. | तमिलनाडु | 16051 | 2.50 | 8868 | 1.38 | 11244 | 1.74 | 5503 | 0.85 | 6654 | 1.02 | 3919 | 0.60 |
| 25. | त्रिपुरा | 93 | 0.28 | 92 | 0.28 | 60 | 0.18 | 47 | 0.14 | 73 | 0.21 | 83 | 0.24 |
| 26. | उत्तर प्रदेश | 80072 | 4.50 | 62575 | 3.52 | 48010 | 2.64 | 33884 | 1.86 | 36409 | 1.96 | 21761 | 1.17 |
| 27. | उत्तरांचल | 1917 | 2.15 | 1226 | 1.37 | 1280 | 1.41 | 850 | 0.93 | 894 | 0.97 | 661 | 0.71 |
| 28. | पश्चिम बंगाल | 25050 | 2.97 | 25757 | 3.06 | 20891 | 2.44 | 18041 | 2.11 | 15755 | 1.81 | 10794 | 1.24 |
| 29. | अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह | 55 | 1.44 | 29 | 0.76 | 48 | 1.23 | 36 | 0.92 | 26 | 0.65 | 28 | 0.70 |
| 30. | चंडीगढ़ | 346 | 3.48 | 290 | 2.91 | 289 | 2.81 | 285 | 2.77 | 247 | 2.32 | 188 | 1.77 |
| 31. | दादरा और नागर हवेली | 616 | 24.38 | 311 | 12.31 | 195 | 7.38 | 66 | 2.50 | 157 | 5.67 | 47 | 1.70 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32. | दमन और द्वीव | 5 | 0.28 | 3 | 0.17 | 2 | 0.11 | 2 | 0.11 | 6 | 0.31 | 2 | 0.10 |
| 33. | दिल्ली | 5362 | 3.48 | 6052 | 3.92 | 4221 | 2.64 | 4958 | 3.10 | 3705 | 2.23 | 3221 | 1.94 |
| 34. | लक्षद्वीप | 4 | 0.63 | 16 | 2.52 | 3 | 0.46 | 5 | 0.77 | 5 | 0.76 | 5 | 0.76 |
| 35. | पांडिचेरी | 226 | 2.20 | 88 | 0.85 | 106 | 1.01 | 32 | 0.31 | 47 | 0.44 | 28 | 0.26 |
| | कुल | 367143 | 3.37 | 265781 | 2.44 | 260063 | 2.34 | 148910 | 1.34 | 161457 | 1.43 | 95150 | 0.84 |

**राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन**

***113. श्री चन्दभूषण सिंह :**
**श्री एल. राजगोपाल :**

**क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन आर एच एम) की सफलता का आकलन करने हेतु निजी निकायों के साथ समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में राज्यों में कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(घ) यदि हां, तो सर्वेक्षण के क्या परिणाम निकले;

(ङ) राज्यों में, विशेषकर आंध्र प्रदेश में, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन आर एच एम) की सफलता की निगरानी/आकलन करने वाले निकायों का ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में कितने ए.एस.एच.ए. की नियुक्ति की गई है?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास)** : (क) से (घ) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में समुदाय आधारित मानीटरिंग, बाह्य अध्ययनों और कड़ी आन्तरिक मानीटरिंग की एक त्रिस्तरीय प्रक्रिया के जरिए एक उत्तरदायी कार्यढांचे की बात सोची गई है। की गई पहलों की प्रगति की मानीटरिंग का एक सक्षम तंत्र प्रतिष्ठित स्वतंत्र अभिकरणों के जरिए मूल्यांकन करना है। तद्नुसार मिशन के अधीन विभिन्न पहलों के समवर्ती मूल्यांकन का कार्य उपयुक्त अभिकरणों को आबंटित किया जा रहा है। इस संबंध में निम्नलिखित कार्रवाइयां पहले ही कर दी गई हैं:–

1. रोग प्रतिरक्षण पहल का स्वतंत्र मूल्यांकन करने का कार्य यूनिसेफ को सौंपा गया था और प्रारंभिक रिपोर्टें प्राप्त हो गई हैं। इनसे बीसीजी की अखिल भारतीय कवरेज के 83 प्रतिशत, डीपीटी 3 के 67 प्रतिशत, ओपीवी 3 के 61.3 प्रतिशत और खसरा के 68.1 प्रतिशत होने का पता चलता है।
2. भारतीय लोक लेखा परीक्षक संस्थान, नई दिल्ली को स्वास्थ्य क्षेत्र में सभी स्तरों पर वित्तीय पद्धतियों की समीक्षा करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। यह प्रायोगिक अध्ययन पांच राज्यों अर्थात् उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, केरल और तमिलनाडु के एक–एक जिले के लिए आबंटित किया गया है।
3. यूएनएफपीए को तीन राज्यों अर्थात् मध्य प्रदेश, राजस्थान और उड़ीसा में **आशा** पहल और जननी सुरक्षा योजना के द्रुत मूल्यांकन का कार्य आबंटित किया गया है।
4. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की अधिकार–सम्पन्न कार्यक्रम समिति ने चुनिंदा प्रतिष्ठित संस्थाओं के जरिए मिशन कार्यकलापों के व्यापक स्वतंत्र मूल्यांकन के एक प्रस्ताव को अनुमोदित किया है।
5. सरकार भी नियमित रूप से जिला स्तरीय परिवार सर्वेक्षण करती है (जिससे जन स्वास्थ्य सेवाओं के उपयोग और प्रयोक्ता संतुष्टि पर ध्यान केन्द्रित करते हुए जिला स्तरीय आंकड़े तैयार होते हैं)। इसके अलावा, हर पांच वर्षों में देश भर में नमूना परिवारों में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण भी किया जाता है। यह भारत में प्रजननता, नवजात शिशु और शिशु मृत्यु दर, परिवार नियोजन के प्रचलन, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, प्रजनन स्वास्थ्य, पोषण और अन्य संबद्ध सेवाओं पर राज्य और राष्ट्रीय सूचना प्रदान करता है।

भारत के महापंजीयक द्वारा किए जाने वाले नमूना पंजीयन सर्वेक्षण से राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत विभिन्न कार्यनीतियों की प्रभावकारिता के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी भी मिलेगी।

(ङ) राज्यों में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के कार्यकलापों की मानीटरिंग राज्य स्वास्थ्य मिशन एवं समेकित राज्य स्वास्थ्य सोसाइटी के समग्र पर्यवेक्षण में की जाती है। राज्य स्वास्थ्य मिशन का प्रमुख मुख्य मंत्री होता है। मिशन के अंतर्गत प्रगति का पर्यवेक्षण एवं मूल्यांकन करने के लिए राज्य स्तर पर मुख्य सचिव/विकास आयुक्त की अध्यक्षता वाली राज्य स्वास्थ्य सोसाइटी का शासी निकाय तथा प्रधान सचिव/सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण) की अध्यक्षता वाली कार्यकारी समिति

सर्वोच्च निर्णयकर्ता प्राधिकरण है। जिला स्तर पर यह कार्य जिला स्वास्थ्य मिशन द्वारा किया जाता है जिसका प्रमुख अध्यक्ष, जिला परिषद होता है। जिला मजिस्ट्रेट जिला स्वास्थ्य सोसाइटी के शासी निकाय का प्रमुख होता है तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद कार्यकारी समिति का प्रमुख होता है। ये निकाय जिला स्तर पर राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की प्रगति का पर्यवेक्षण एवं मूल्यांकन करने हेतु सर्वोच्च निर्णयकर्ता प्राधिकरण है। संबंधित सुविधा केन्द्र के स्तर पर राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की पहलों की सफलता का पर्यवेक्षण एवं मूल्यांकन संबंधित सुविधा केन्द्र को रोगी कल्याण समिति द्वारा किया जाता है। इन समितियों में निर्वाचित प्रतिनिधियों का प्रतिनिधित्व होता है तथा ये स्वास्थ्य अवसंरचना पर समुदाय का नियंत्रण सुनिश्चित करती हैं।

आंध्र प्रदेश में राज्य तथा जिला स्वास्थ्य मिशनों का पहले ही गठन एवं प्रचालन किया जा चुका है। सुविधा केन्द्रों में राष्ट्रीय ग्रामीण मिशन की पहलों के पर्यवेक्षण के लिए आंध्र प्रदेश में विभिन्न स्तरों पर 1062 से अधिक रोगी कल्याण समितियां भी गठित की गई हैं। यूनिसेफ द्वारा राज्य में किए गए स्वतंत्र प्रतिरक्षण मूल्यांकन से बीसीजी की 97% कवरेज, डीपीटी 3 की 85% कवरेज, ओपीवी 4 की 83.4% कवरेज तथा खसरे की 82.7% कवरेज सूचित की गई है। इस मूल्यांकन से राज्य में बच्चों के पूर्ण प्रतिरक्षण की कवरेज 72.3% सूचित हुई है। पल्स पोलियो पहल 96.3% सूचित की गई है।

(घ) **आशा** की परिकल्पना एक प्रशिक्षित, स्वयंसेवी, सामुदायिक सम्पर्क कार्यकर्ता के रूप में की गई है जिनसे व्यापक प्रतिरक्षण के लिए सामुदायिक कार्रवाई, सुरक्षित प्रसव, नवजात शिशु परिचर्या, जलजनित एवं अन्य संचारी रोगों का निवारण, पोषण एवं सफाई इत्यादि सुदृढ़ होगी। **आशा** का चयन विशेष ध्यान दिए जाने वाले 18 राज्यों एवं अन्य राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों में परिकल्पित है। आज की स्थिति के अनुसार 2.39 लाख **आशा** का विभिन्न राज्यों द्वारा चयन सूचित किया गया है जिनमें से 1.18 लाख ने प्रथम माडयूल प्रशिक्षण भी प्राप्त किया है। आंध्र प्रदेश, हरियाणा तथा छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों ने प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम–II में **आशा** की तरह के स्वास्थ्य संबद्ध कार्यकर्ताओं का चयन किया है एवं उन्हें प्रशिक्षित किया है।

**भारत-यूरोपीय संघ संबंध**

*114. **श्री अनवर हुसैन** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार द्वारा यूरोपीय संघ के साथ अपने संबंधों को सुदृढ़ बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या गत एक वर्ष के दौरान शैक्षणिक, जन संचार एवं कारोबार के क्षेत्र में कोई विनियम/प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है;

(ग) यदि हां, तो कार्यक्रम–वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या यूरोपीय संघ द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र में वित्त–पोषण करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी)** : (क) से (ग) भारत, यूरोपीय संघ के साथ अपने संबंधों को हमेशा से महत्वपूर्ण मानता आया है और भारत सरकार ने यूरोपीय संघ के साथ अपने संबंधों को मजबूत बनाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। विभिन्न स्तरों पर अनेक द्विपक्षीय क्रियाकलाप हुए हैं, जिसमें राजनैतिक, आर्थिक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, शिक्षा, सभ्य समाज, संसदीय और सांस्कृतिक संबंध शामिल है। भारत–यूरोपीय संघ संबंध जो पहले सिर्फ व्यापार और आर्थिक आधार पर थे, 2004 में हेग में आयोजित 5वें भारत–यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन में हुई सहमति के आधार पर सामरिक भागीदारी का रूप ले चुका है। सितम्बर, 2005 में नई दिल्ली में आयोजित छठे शिखर सम्मेलन में एक संयुक्त कार्य–योजना का अनुमोदन किया गया। सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भारत–यूरोपीय संघ के लिए एक व्यापक योजना है। 13 अक्तूबर, 2006 को हेलसिंकी में आयोजित 7वें भारत–यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के दौरान यह संबंध और संवर्धित हुआ, जब दोनों पक्ष एक व्यापक और निवेश करार पर बातचीत आरंभ करने पर सहमत हुए।

शिक्षा, मीडिया और व्यापार क्षेत्र में सहयोग के लिए भी अनेक कार्यक्रम हैं।

भारतीय विद्यार्थियों के लिए एरास्मस मुंडस कार्यक्रम के अंतर्गत अलग से एक, भारत विंडो, है, जो 2005 से ही कार्य कर रहा है। इसके अंतर्गत अनेक विषयों में स्नातकोत्तर पाठयक्रमों के लिए छात्रवृत्तियों का प्रावधान है। यूरोपीय संघ–भारत अन्योन्य आर्थिक–सांस्कृतिक कार्यक्रम (ई सी सी पी) विद्यमान है जिसके अंतर्गत मीडिया, उद्यम और शैक्षिक सहयोग के क्षेत्र में भारत और यूरोपीय संघ के सभ्य समाजों के बीच क्रियाकलापों का संवर्धन किया जाता है और उन्हें और सुविधाजनक बनाया जाता है। 25–28 नवम्बर, 2006 तक आयोजित प्रथम यूरोपीय संघ–भारत उच्चतर शिक्षा मेले के जरिए भी ऐसे कार्यकलाप आरंभ हुए हैं।

दोनों पक्षों के वाणिज्य परिसंघों के नेतृत्व में हेलसिंकी में अक्तूबर में आयोजित सातवें भारत–यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के दौरान भारत–यूरोपीय संघ मुख्य कार्यकारी अधिकारियों का गोलमेज सम्मेलन भी आयोजित किया गया। शिखर सम्मेलन के साथ–साथ प्रति वर्ष आयोजित होने वाला भारत–यूरोपीय संघ व्यापार शिखर सम्मेलन भी आयोजित किया गया।

यूरोपीय आयोग समय–समय पर भारतीय पत्रकारों को भी आमंत्रित करता है, जिससे वे अन्य बातों के साथ–साथ यूरोपीय संघ और इसके कार्यकरण से भी परिचित होते हैं।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

**अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के जाली प्रमाण-पत्र**

*115. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़ी संख्या में लोगों ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के जाली प्रमाण–पत्रों के आधार पर सरकारी नौकरियां प्राप्त कर ली हैं;

(ख) यदि हां, तो कितने मामलों का पता चला है;

(ग) क्या दोषी पाए गए लोगों के विरूद्ध कोई कार्रवाई की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

**कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी)** : (क) से (ङ) श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद द्वारा दायर 2003 की सिविल रिट याचिका संख्या 5976 में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के निदेशों के अनुसार, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो उन कर्मचारियों के कतिपय मामलों की जांच–पड़ताल कर रही है जिन्होंने वर्ष, 1995–2000 के दौरान अनुसूचित जनजाति के जाली/झूठे प्रमाणपत्रों के आधार पर भारत सरकार/राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अथवा इसके अभिकरणों के अधीन नौकरियां प्राप्त की हैं।

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने अनुसूचित जनजाति के जाली प्रमाणपत्रों के आधार पर नौकरियां पाने के 34 मामले दायर किए हैं। इन 34 मामलों में से, 14 मामलों में 25 व्यक्तियों के विरूद्ध आरोप पत्र दायर किए गए हैं और 7 मामले साक्ष्य के अभाव में बंद कर दिए गए हैं। एक मामले में भारी शास्ति के लिए नियमित विभागीय कार्रवाई की सिफारिश की गई है और शेष 12 मामलों में जांच–पड़ताल पूरी नहीं हुई है।

जहां तक अनुसूचित जाति के जाली प्रमाणपत्र के आधार पर नौकरियां पाने का संबंध है, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने 3 व्यक्तियों के विरूद्ध 2 मामले दायर किए हैं और इन दोनों मामलों में जांच–पड़ताल पूरी नहीं हुई है।

सरकार ने समय–समय पर यह अनुदेश जारी किए हैं कि प्रारंभिक नियुक्ति और पदोन्नति के समय नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पदाधिकारियों की जातिगत स्थिति का सत्यापन करना अनिवार्य है। इन अनुदेशों को दिनांक 09.09.2005 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36011/3/2005–स्थापना (आरक्षण) के तहत पुनः दोहराया गया है।

**पूर्वोत्तर राज्यों के लिए सड़क विकास कार्यक्रम**

*116. **श्री सर्वानन्द सोनोवाल** :
**श्री मणी कुमार सुब्बा** :

क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के पास पूर्वोत्तर राज्यों की प्रमुख सड़कों के विकास के लिए कार्यक्रम है;

(ख) यदि हां, तो राज्य–वार तथा कार्यक्रम–वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्य–वार इस पर कितनी लागत आएगी;

(घ) गत दो वर्षों के दौरान इनके विकास पर राज्य–वार वास्तव में कितनी धनराशि खर्च हुई है; और

(ङ) इन कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए क्या समय–सीमा निर्धारित की गई है?

**पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू)** : (क) से (ग) जी हां। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना–II अर्थात् उत्तर – दक्षिण और पूर्व पश्चिम महामार्ग तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र में विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम के चरण क के अंतर्गत असम, मेघालय, नागालैंड और सिक्किम राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्गों के 1227 कि.मी. लंबे खंडों के निर्माण और चौड़ीकरण का कार्य तथा राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना–III ख तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र में विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम के चरण ख के अंतर्गत असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा में राष्ट्रीय राजमार्गों के 1381 कि.मी. लंबे खंडों को चार लेन का बनाने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का कार्य भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है। लागत सहित इसके ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) असम में पूर्व–पश्चिम महामार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण–II) के निर्माण पर ही व्यय किया गया है जो नीचे दिया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम चरण क के अंतर्गत सड़कों के निर्माण और चौड़ीकरण का कार्य 2005–06 के अंत तक शुरू नहीं हुआ था।

| वर्ष | व्यय (करोड़ रु.) |
|---|---|
| 2004–05 | 15.82 |
| 2005–06 | 98.77 |

(ङ) राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण–II और पूर्वोत्तर क्षेत्र में विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम के चरण क के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण और चौड़ीकरण का कार्य काफी हद तक क्रमशः दिसंबर, 2008 और मार्च, 2009 तक पूरा कर लिए जाने का लक्ष्य है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना–III ख तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र में विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम के चरण ख के अंतर्गत चार लेन बनाने के लिए समय–सीमा को निवेश निर्णय के साथ अंतिम रूप दिया जाएगा।

*विवरण*

*भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण और चौड़ीकरण तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्गों को चार लेन का बनाने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना।*

| क्र.सं. | राष्ट्रीय राजमार्ग खंड | लंबाई (कि.मी.) | लागत (करोड़ रु.) | राज्य |
|---|---|---|---|---|
| | **निर्माण और चौड़ीकरण** | | | |
| 1. | एनएचडीपी के अंतर्गत पूर्व–पश्चिम महामार्ग के भाग के तौर पर श्रीरामपुर से सिल्चर तक 4 लेन का निर्माण और चौड़ीकरण | 678 | 6000 | असम |
| 2. | एसएआरडीपी–एनई, चरण क के अंतर्गत रा.रा. 37 को नागौन से डिब्रुगढ़ तक 4 लेन का निर्माण और चौड़ीकरण | 315 | 1890 | असम |
| 3. | एसएआरडीपी–एनई, चरण क के अंतर्गत रा.रा. 40 को जोरबाट से बड़ापानी तक 4 लेन का निर्माण और चौड़ीकरण | 62 | 372 | मेघालय |
| 4. | एसएआरडीपी–एनई, चरण क के अंतर्गत रा.रा. 39 को दीमापुर से कोहिमा तक 4 लेन का निर्माण और चौड़ीकरण | 81 | 486 | नागालैंड |
| 5. | एसएआरडीपी–एनई, चरण क के अंतर्गत शिलांग बाइपास का निर्माण | 50 | 300 | मेघालय |
| 6. | एसएआरडीपी–एनई, चरण क के अंतर्गत रा.रा. 31ए को पश्चिम बंगाल/सिक्किम सीमा से गंगटोक तक पेव्ड शोल्डर के साथ 2 लेन का निर्माण और चौड़ीकरण | 41 | 246 | सिक्किम |
| | जोड़ | 1227 कि.मी. | | |
| | **चार लेन बनाने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना** | | | |
| 1. | दबोका से दीमापुर तक 4 लेन बनाना, रा.रा. 36 व 39 एनएचडीपी–III ख | 124 | अभी आकलन किया जाना है। | असम व नागालैंड |
| 2. | बेहाटा चराली–ईटानगर तक 4 लेन बनाना, रा.रा. 52 व 52ए, एनएचडीपी–III ख | 345 | अभी आकलन किया जाना है। | असम और अरुणाचल प्रदेश |
| 3. | कोहिमा से इम्फाल तक 4 लेन बनाना, एनएचडीपी–III ख | 140 | अभी आकलन किया जाना है। | नागालैंड और मणिपुर |
| 4. | शिलांग बाइपास को छोड़कर शिलांग से चुरईबाड़ी तक 4 लेन बनाना, रा.रा. 44 एनएचडीपी–III ख | 252 | अभी आकलन किया जाना है। | असम, मेघालय, और त्रिपुरा |
| 5. | सिल्चर से आइजोल तक 4 लेन बनाना, रा.रा. 54 एनएचडीपी–III ख | 190 | अभी आकलन किया जाना है। | असम और मिजोरम |
| 6. | एसएआरडीपी–एनई, चरण ख के अंतर्गत चुरईबाड़ी से अगरतला से सबरूम तक 4 लेन बनाना, रा.रा. 44 | 330 | अभी आकलन किया जाना है। | त्रिपुरा |
| | जोड़ | 1381 कि.मी. | | |

**केमिस्टों की हड़ताल**

***117. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सी.जी.एच.एस. डिस्पेंसरियों की दवाओं की आपूर्ति करने वाले केमिस्टों द्वारा विशेषरूप से दिल्ली में बार–बार हड़ताल करने से सी.जी.एच.एस. लाभार्थियों को भारी असुविधा हो रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान केमिस्टों ने कितनी बार हड़ताल की है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या प्राधिकृत केमिस्ट डाक्टर द्वारा लिखी गई दवाओं की आपूर्ति नहीं करते हैं और लाभार्थियों को इन दवाओं को लेने के लिए कई बार डिस्पेंसरी जाना पड़ता है;

(घ) यदि हां, तो सरकार का विचार विशेषज्ञों द्वारा लिखी दवाएं खरीदने की प्रणाली की समीक्षा करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास) :** (क) और (ख) दिल्ली में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों की औषधों की आपूर्ति कर रहे केमिस्टों ने जनवरी, 2006 से हड़ताल नहीं की है और इस कारण से किसी भी लाभार्थी को असुविधा नहीं हुई है। तथापि, केमिस्टों ने पिछले 3 वर्षों के दौरान निम्नलिखित तारीखों को हड़ताल की थी:–

(1) 1.1.2003 से 17.1.2003 तक

(2) 1.11.2003 से 16.1.2004 तक
8.3.04 से 4.4.04 तक
26.8.04 से 31.8.04 तक

(3) 17.2.05 से 28.2.05 तक
25.3.05 से 18.4.05 तक
24.11.05 से 14.12.05 तक

अधिकतर हड़ताल का कारण वित्तीय वर्ष के लगभग अन्त में निधियों की कमी की वजह से उनके बिलों का भुगतान न किया जाना था और केमिस्टों के बिलों का भुगतान करने हेतु अतिरिक्त निधि की व्यवस्था करने में समय लगा। मार्च, 2005 में भी केमिस्टों ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा वेट लागू करने के मुद्दे को उठाया था।

(ग) जी, नहीं। कुल मिलाकर प्राधिकृत केमिस्टों ने नुस्खों में लिखी गई औषधों की आपूर्ति की। जब कभी स्थानीय केमिस्टों द्वारा नुस्खे में लिखी गई औषधों की आपूर्ति नहीं की जाती है, लाभार्थियों को उन्हें खुले बाजार में खरीदने और प्रतिपूर्ति प्राप्त करने की अनुमति है।

(घ) और (ङ) ऊपर (ग) को देखते हुए ये प्रश्न नहीं उठते।

*[हिन्दी]*

**"कोल विदेश" नाम से एक कंपनी की स्थापना**

***118. श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता : क्या कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लिमिटेड का विचार विदेशों में कोयला खनन की संभावनाओं का पता लगाने के लिए "कोल इंडिया" नामक कंपनी की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है?

**कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव) :** (क) जी, हां।

(ख) कोल इंडिया लिमिटेड (सी.आई.एल.) ने विदेशों में कोयला इक्विटियां अर्जित करने के लिए "कोल विदेश लिमिटेड" नामक एक नयी सहायक कंपनी की स्थापना करने का प्रस्ताव किया है।

(ग) सी.आई.एल. ने सरकार के अनुमोदन के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है और यह सरकार के विचाराधीन है।

*[अनुवाद]*

**बायो-मीट्रिक पासपोर्ट शुरू करना**

***119. श्री निखिल कुमार :**
**श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़ :**

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में देश में अत्याधुनिक फिंगर प्रिंटिंग टेक्नोलोजी के उपयोग से बायो–मीट्रिक पासपोर्ट शुरू करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वर्तमान में पासपोर्टों के साथ छेड़छाड़ और हेराफेरी की जा सकती है; और

(घ) यदि हां, तो बायो मैट्रिक पासपोर्ट शुरू करने से पासपोर्टों के साथ कथित छेड़छाड़ को किस सीमा तक रोका जा सकेगा?

**विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) :** (क) और (ख) जी हां। सरकार ने ई–पासपोर्ट, जिन्हें बायो–मीट्रिक पासपोर्ट भी कहा जाता है, प्रारंभ करने का निर्णय लिया है, शुरूआत में एक प्रायोगिक परियोजना के रूप में राजनयिकों तथा पदाधिकारियों के लिए बनाए जाएंगे।

(ग) मौजूदा पासपोर्ट मशीन–मुद्रित और मशीन द्वारा पठनीय हैं; और ये अंतर–राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (आई सी ए ओ) द्वारा

निर्धारित विनिर्देशों के अनुरूप हैं। ऐसे कुछ मामले हुए हैं, जिनमें कुछ बेईमान लोगों ने फोटो अथवा वैयक्तिक विवरण को बदलकर पासपोर्ट में हेर–फेर करने का प्रयास किया है।

(घ) पासपोर्टों में अंगुलियों की छाप जैसे बायोमीट्रिक शामिल करने से पासपोर्ट की हेर–फेर किए जाने पर रोक लगेगी और वे अंतर–राष्ट्रीय मानकों के अनुसार अधिक सुरक्षित यात्रा दस्तावेज बन जाएंगे।

**दूरसंचार कंपनियों हेतु एक समान सुरक्षा दिशा-निर्देश**

***120. श्री बसुदेव आचार्य :**
**श्री असादुद्दीन ओवेसी :**

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि दूरसंचार क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 प्रतिशत करते समय देश की सुरक्षा से समझौता नहीं किया जाएगा जैसाकि दिनांक 27 अक्तूबर, 2006 के द बिजनेस लाइन में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस समाचार में प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या दूरसंचार विभाग ने विदेशी निवेश वाली अथवा विदेशी नागरिकों की अध्यक्षता वाली कंपनी का विचार न करते हुए दूरसंचार कंपनियों हेतु एक समान सुरक्षा दिशा–निर्देशों का सुझाव दिया है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में दूरसंचार विभाग द्वारा बनाए गए विस्तृत दिशा–निर्देश क्या हैं;

(ङ) क्या इन दिशा–निर्देशों को गृह मंत्रालय द्वारा स्वीकृति दी गई है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) दूरसंचार आपरेटरों को सुरक्षा दिशा–निर्देश कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

**संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री दयानिधि मारन)** : (क) और (ख) सरकार द्वारा दिनांक 03.11.2005 के प्रेस नोट संख्या 5 (2005 सीरीज) के जरिए दूरसंचार के क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अधिकतम सीमा 49% से 74% तक बढ़ाने संबंधी नीति अधिसूचित की जा चुकी है जिसमें सुरक्षा संबंधी सरोकारों का निराकरण करने हेतु कतिपय शर्तें भी निर्धारित की गई हैं। विभिन्न स्टेकहोल्डरों से अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें दूरसंचार क्षेत्र और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र, जो दूरसंचार अवसंरचना पर निर्भर है, के सतत विकास के हित में कतिपय शर्तों में ढील देने का अनुरोध किया गया है। सरकार इन अभ्यावेदनों पर विचार कर रही है।

(ग) से (छ) जैसाकि ऊपर किया गया है, प्राप्त हुए अभ्यावेदनों की अंतर–मंत्रालयी परामर्श के जरिए जांच की जा रही है जिसमें दूरसंचार विभाग और गृह मंत्रालय सहित संबंधित मंत्रालयों/विभागों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं।

यदि दूरसंचार क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश संबंधी नीति में कोई संशोधन किया जाना है तो उसकी घोषणा 2 जनवरी, 2007 को या उससे पूर्व कर दिए जाने की संभावना है।

*[हिन्दी]*

**ग्रामीण क्षेत्रों के डाकघरों में कंप्यूटर सुविधाएं**

***121. कुंवर मानवेन्द्र सिंह** : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ग्रामीण डाकघरों में ई–मेल, इंटरनेट और कंप्यूटर सुविधाएं प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में इस समय कितने ग्रामीण डाकघर ई–मेल, इंटरनेट और कंप्यूटर सुविधाओं से युक्त हैं;

(घ) क्या सरकार ने देश के शेष ग्रामीण डाकघरों में कंप्यूटर सुविधाएं प्रदान करने हेतु कोई समयबद्ध कार्यक्रम बनाया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री दयानिधि मारन)** : (क) से (ग) जी हां। सरकार ने कंप्यूटर सुविधाओं से युक्त दो सार्वजनिक काउंटर वाले विभागीय ग्रामीण डाकघर उपलब्ध कराए हैं। ऐसे 2,355 डाकघर हैं, जिनमें से 243 में इंटरनेट और 181 में ई–मेल भेजने की सुविधाएं उपलब्ध हैं।

(घ) और (ङ) वर्तमान स्थिति के अनुसार देश के बाकी ग्रामीण डाकघरों में कंप्यूटर सुविधाएं उपलब्ध कराने का विभाग का कोई अनुमोदित समयबद्ध कार्यक्रम नहीं है। हालांकि, इस संबंध में कार्यक्रमों पर काम चल रहा है।

(च) उपर्युक्त (घ) और (ङ) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

*[अनुवाद]*

**माध्यस्थम बोर्ड के निर्णय का कार्यान्वयन**

**1067. श्री कुलदीप बिश्नोई** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने सरकार तथा अपने कर्मचारियों के बीच के विवाद को निपटाने के लिए माध्यस्थम बोर्ड की नियुक्ति की है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में आवश्यक प्रावधान क्या हैं;

(ग) बोर्ड द्वारा दिए गए कितने निर्णय अभी तक कार्यान्वित नहीं किए गए हैं;

(घ) बोर्ड के निर्णय क्रियान्वित नहीं किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में हुई प्रगति सहित माध्यस्थम बोर्ड के निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिए सरकार द्वारा क्या ठोस उपाय किए गए हैं;

**कार्मिक, लोक शिकायत और पैंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी)** : (क) और (ख) केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए संयुक्त परामर्शदायी तंत्र और अनिवार्य विवाचन की योजना के पैरा 19 के अंतर्गत, विवाचन बोर्ड की नियुक्ति किए जाने का प्रावधान है। इस बोर्ड में एक अध्यक्ष और कर्मचारी पक्ष एवं सरकारी पक्ष में एक–एक सदस्य होता है जो प्रत्येक पक्ष द्वारा प्रस्तुत पांच व्यक्तियों के नामों में से चुना जाता है।

विवाचन बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त होने के परिणामस्वरूप, नए अध्यक्ष की नियुक्ति की प्रक्रिया, श्रम मंत्रालय द्वारा शुरू कर दी गई है।

(ग) से (ङ) इस समय, विवाचन बोर्ड के 16 अधिनिर्णय ऐसे हैं जो विचाराधीन हैं। इनमें 8 अधिनिर्णय सरकार के पास विचाराधीन हैं जबकि अन्य 8 अधिनिर्णयों के संबंध में संसद में संकल्प पेश किया जाना है।

अधिनिर्णयों के कार्यान्वयन संबंधी मामलों पर, संयुक्त परामर्शदायी तंत्र के कर्मचारी पक्ष के साथ चर्चा की गई थी। कर्मचारी पक्ष ने यह इच्छा व्यक्त की थी कि विवाचन के 16 लंबित अधिनिर्णयों पर, सरकार द्वारा आगे की कार्रवाई किए जाने से पूर्व, इन पर कर्मचारी पक्ष से चर्चा की जाए।

तद्नुसार, लंबित अधिनिर्णयों पर संबंधित मंत्रालयों, जैसे वित्त मत्रालय, डाक विभाग और कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा चर्चाएं की गई हैं।

*[हिन्दी]*

**रोजगार के अवसर**

**1068. श्री कैलाश मेघवाल** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों के सृजन हेतु कृषि मंत्रालय तथा योजना आयोग द्वारा तैयार की गई प्रस्तावित योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

**योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. राजशेखरन)** : सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रकों में रोजगार की संभावनाओं वाली विभिन्न विकास स्कीमें कार्यान्वित की जाती है। कुछेक स्कीमों में सर्व शिक्षा अभियान, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, मध्याह्न भोजन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, सफाई व्यवस्था संबंधी राष्ट्रीय मिशन, राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन, ग्रामीण अवसंरचना के निर्माण हेतु भारत निर्माण स्कीम, महिला स्वः सहायता दलों के लिए स्कीमें जैसे कि स्वयंसिद्धा, स्वः शक्ति, राष्ट्रीय महिला कोष आदि, एकीकृत बाल विकास सेवाएं, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की उत्कृष्टता केन्द्रों के रूप में उन्नयन, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना, राष्ट्रीय रेल विकास योजना, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना, पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष तीव्रकृत सड़क विकास कार्यक्रम, खादी और ग्रामोद्योगों के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, खादी और ग्रामोद्योगों के लिए स्कीमें, पर्यटन सेवा प्रदाताओं का क्षमता निर्माण, पर्यटन क्षेत्रों का एकीकृत विकास और पर्यटन के लिए आधारिक संरचना का प्रवर्धन और स्थल विकास शामिल हैं।

मुख्यतः गरीबी उपशमन और रोजगार सृजन की स्कीमें स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, शहरी क्षेत्रों के लिए स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना, शिक्षित बेरोजगारों के लिए प्रधान मंत्री की रोजगार योजना और ग्रामीण उद्योग स्थापित करने के लिए ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम हैं।

सरकार ने सितम्बर, 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम (एनआरईजीए) अधिनियमित किया है। अधिनियम किसी भी ग्रामीण परिवार को, जिसका वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने की इच्छा रखता है 100 दिनों के रोजगार की गारन्टी देता है। यह अधिनियम पांच वर्ष के भीतर पूरे देश को कवर कर लेगा। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम (एनआरईजीए) के पहले चरण में कार्यान्वयन हेतु 200 जिलों की पहचान की गई है।

कृषि विकास के लिए दसवीं पंचवर्षीय योजना में महत्वपूर्ण क्षेत्र बंजर भूमि का उपयोग, जल संभर विकास, वर्षा जल संग्रहण, सिंचाई का विकास विशेष रुप से माइक्रो सिंचाई, उच्च मूल्य की फसलों का विविधीकरण, बीज और रोपण सामग्री उत्पादन, कृषि क्लिनिक/कृषि व्यापार केन्द्र, फसल तीव्रता में वृद्धि जैव कृषि, डेरी, कुक्कुट, मत्स्य उद्योग, आदि को बढ़ावा देना है।

किसानों की आय बढ़ाने के लिए बागबानी फसलों में कृषि के विविधीकरण के लिए वर्ष 2005–06 में राष्ट्रीय बागबानी मिशन शुरू किया गया है।

किसानों में कृषि प्रौद्योगिकी के प्रचार–प्रसार के लिए और कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु अभी तक 537 कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना की जा चुकी है।

**सूचना का अधिकार अधिनियम का क्रियान्वयन**

**1069. श्री रघुवीर सिंह कौशल** : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू.एन.डी.पी.) के साथ सूचना का अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु संयुक्त पहल की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी)** : (क) और (ख) "सूचना तक पहुंच के लिए क्षमता निर्माण" परियोजना (प्रोजेक्ट) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू.एन.डी.पी.) की संयुक्त पहल है जिसका उद्देश्य, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए क्षमता का निर्माण करना है। इस परियोजना के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं:–

(i) चुनिंदा राज्यों और ज़िलों में सरकारी अधिकारियों की क्षमता का निर्माण करना।

(ii) सूचना की मांग करने के संबंध में नागरिकों और सिविल सोसायटी की क्षमता का विकास करना और जागरूकता पैदा करना।

(iii) उन्नत नागरिक–सरकार संबंध स्थापित करने के लिए संस्थागत तंत्र की स्थापना करना और

(iv) सर्वोत्तम पद्धतियों में भागीदारी के माध्यम से अनुसंधान, प्रलेखन, संचार आदि कार्य करना।

वर्तमान में, यह परियोजना प्रत्येक राज्य में दो चुनिंदा ज़िलों के साथ 12 राज्यों (आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तरांचल और पश्चिम बंगाल) में कार्यान्वित की जा रही है।

*[अनुवाद]*

**एमटीएनएल द्वारा संशोधित वन इंडिया प्लान**

**1070. श्री असदुद्दीन ओवेसी** : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एमटीएनएल ने दिल्ली तथा मुम्बई के लैंडलाइन, डब्ल्यूएलएल तथा मोबाइल उपभोक्ताओं के लिए संशोधित "वन इंडिया प्लान" की शुरूआत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) "वन इंडिया प्लान" सहित एमटीएनएल के पास वर्तमान में कितने उपभोक्ता हैं;

(घ) क्या ग्राहकों को इस नई योजना में शामिल होने में संचार हाट में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) एमटीएनएल द्वारा राजस्व सृजन तथा ग्राहक बनाने के संबंध में क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं?

**संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद)** : (क) जी, हां। एमटीएनएल ने लैंडलाइन और डब्ल्यू एलएल (स्थिर) में संशोधित "वन इंडिया प्लान" शुरू किया है। मोबाइल प्रयोक्ताओं के लिए वन इंडिया प्लान के किराये में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

(ख) "वन इंडिया प्लान" के अंतर्गत मासिक किराया 299/– रु. से घटाकर 180/– रु. कर दिया गया है जिसमें लैंडलाइन और डब्ल्यूएलएल (स्थिर) प्रयोक्ताओं के लिए निःशुल्क कॉलें समाप्त कर दी गई हैं।

(ग) 31.10.2006 की स्थिति के अनुसार एमटीएनएल के "वन इंडिया प्लान" सहित सभी प्रकार के उपभोक्ताओं की कुल संख्या 61,70,954 है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) उपर्युक्त (घ) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(च) एमटीएनएल ने 5582.52 करोड़ रु. के सकल राजस्व सृजन और अपने नेटवर्क में सभी प्रकार के उपभोक्ताओं की संख्या में 10 लाख की वृद्धि करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

*[हिन्दी]*

**छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय सम विकास योजना**

**1071. श्री पुन्नूलाल मोहले** : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छत्तीसगढ़ में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों की संख्या कितनी है; और

(ख) वित्तीय वर्ष 2005–06 के दौरान अब तक केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय सम विकास योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ को कितनी धनराशि प्रदान की गई तथा इसके अंतर्गत कौन–कौन सी विभिन्न योजनाएं/परियोजनाएं क्रियान्वित की गई हैं?

**योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन)** : (क) पारिवारिक उपभोग व्यय के संबंध में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के 55वें दौर (1999–2000) के यूनिट लेवल डाटा के आधार पर छत्तीसगढ़ में वर्ष 1999–2000 के दौरान गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या 89.52 लाख थी।

(ख) आरएसवीवाई के अंतर्गत कवर किए गए आठ जिलों हेतु क्रमशः प्रत्येक वित्तीय वर्ष 2005–06 और 2006–07 के दौरान राज्य सरकार को 120.00 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की गई थी। इन आबंटनों की तुलना में वर्ष 2005–06 और 2006–07 आज तक, क्रमशः 90.00 करोड़ रुपए की राशि और 52.50 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। राज्य में कार्यान्वित की जा रही विभिन्न स्कीमें/परियोजनाएं कृषि, सिंचाई, संपर्कता, स्वास्थ्य, जीविकोपार्जन संवर्धन, ग्रामीण विद्युतीकरण आदि से संबंधित हैं।

*[अनुवाद]*

**तमिलनाडु में केन्द्रीय भंडार**

**1072. श्री ई. जी. सुगावनम** : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में स्थानवार कितने केन्द्रीय भंडार हैं;

(ख) क्या तमिलनाडु में और केन्द्रीय भंडार खोलने की मांग काफी समय से लंबित है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी)** : (क) केन्द्रीय भण्डार ने तमिलनाडु में 9 शाखा स्टोर खोले हैं जिनमें से तीन चेन्नई में, दो त्रिची में, तीन कोयम्बटूर में और एक मदुरै में है।

(ख) जी नहीं, श्रीमान।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते हैं।

**महाराष्ट्र में मोबाइल टावर**

**1073. श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील** : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार महाराष्ट्र के सतारा जिले की पाटन तहसील में मोबाइल टावर लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो इसमें कवर किए जाने वाले क्षेत्र तथा संभावित लाभार्थी गांवों की संख्या सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह टावर कब तक कार्य करने लगेगा?

**संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद)** : (क) जी हां।

(ख) और (ग) महाराष्ट्र की पाटन तहसील में जिन अतिरिक्त मोबाइल बेस स्टेशनों की योजना बनाई गई है और उनसे जो गांव लाभान्वित हो सकते हैं उनका ब्यौरा नीचे दिया गया है। इन स्टेशनों के अगले वर्ष के दौरान उत्तरोत्तर रुप से चालू होने की आशा है जो समय पर स्थान/जमीन और विद्युत कनेक्शनों की उपलब्धता पर निर्भर है। सामान्यतः मोबाइल बेस टावर के कवरेज क्षेत्र की परिसीमा 2 से 6 कि. मी. तक होती है, जो एंटीना की ऊंचाई और टावर/बेस स्टेशन के चारों ओर के भू–भाग पर निर्भर करती है:–

| क्र. सं. | सतारा जिले की पाटन तहसील में नियोजित किए गए अतिरिक्त मोबाइल बेस स्टेशनों (टावरों) की संख्या | संभावित रूप से कवर किए जाने वाले गांव |
|---|---|---|
| 1. | अधुल–नवारास्ता | अधुल नवारास्ता नाडे |
| 2. | कोयानानगर | कोयानानगर, रसाती, हेलवाक |
| 3. | मारूल हवेली (गांधी टेकड़ी) | मारूल हवेली, पापर्डे, बहुते |
| 4. | कुम्भारगांव | कुम्भारगांव, टाल्मावाले, मानेवाड़ी |
| 5. | चाफाल | चाफाल, शिगनवाडी, डेरवान |

**पवित्र तालाब को कॉमर्शियल प्लाजा में बदला जाना**

**1074. श्री दलपत सिंह परस्ते** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की सम्पत्ति की सरकारी देखरेख करने वाले इवैक्यूई प्रोपर्टी ट्रस्ट बोर्ड का विभाजन के समय से हिन्दुओं द्वारा पवित्र स्नान हेतु उपयोग में लाये जाने वाले तालाब को कॉमर्शियल प्लाजा में बदलने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में भारत द्वारा कोई विरोध दर्ज कराया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर पाकिस्तान की क्या प्रतिक्रिया है?

**विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी)** : (क) और (ख) पाकिस्तानी समाचार पत्र 'द डेली टाइम्स' में 18 अक्तूबर, 2006 को एक समाचार

प्रकाशित हुआ था कि लाहौर में एक स्थान पर जहां कि पूर्व में स्थानीय हिन्दू समुदाय के सदस्यों द्वारा समारोहपूर्वक पवित्र स्नान करने हेतु उपयोग किया जाता था, पाकिस्तान के इवैक्यूई प्रोपर्टी ट्रस्ट बोर्ड (ई पी टी बी) ने वहां पर एक बारह मंजिली इमारत का निर्माण करने के लिए ठेकेदारों से आवेदन आमंत्रित किया था। हालांकि उसी समाचार में ई पी टी बी के अध्यक्ष का हवाला देते हुए यह कहा गया था कि "निर्माणकर्ताओं को सिर्फ लुभाने के लिए" आवेदन आमंत्रित किए गए थे। हम वास्तव में स्नान घाट के ऊपर किसी प्रकार का निर्माण कराने की इच्छा नहीं रखते हैं।

(ग) और (घ) पाकिस्तान में मंदिरों की देख-रेख का कार्य पाकिस्तान प्राधिकारियों की जिम्मेदारी है। अन्तर्राष्ट्रीय एवं द्विपक्षीय सहयोग का अनुसरण करते हुए भारत अन्य देशों के साथ इस प्रयास में लगा है कि दूसरे देशों में स्थित धार्मिक स्थलों को कोई क्षति न पहुंचे।

*[हिन्दी]*

**मिलावटी पोलियो वैक्सीन**

**1075. श्री जय प्रकाश** (मोहनलाल गंज) :
**श्री शिशुपाल पटले :**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम में उपयोग में लाए गए पोलियो वैक्सीन मिलावटी पाए गए हैं जैसा कि 4 नवम्बर, 2006 के 'दैनिक जागरण' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन राज्यों में ऐसे वैक्सीन वितरित किए गए थे;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच कराई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी)** : (क) पंजाब सरकार ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार को मैसर्स भारत इम्यूनोलोजिकल्स एण्ड बायोलोजिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड, बुलन्द शहर उत्तर प्रदेश द्वारा विनिर्मित मुख्य सेब्य पोलियो वैक्सीन के बैच नम्बर के-042 की एक शीशी में कीट जैसी वस्तु होने के बारे में सूचित किया था।

तब केन्द्रीय औषध प्रयोगशाला, कसौली द्वारा शीशी की जांच की गई और 'कीट जैसी किसी बाहरी वस्तु' के होने की पुष्टि हुई थी।

(ख) नेमी रोग प्रतिरक्षण के लिए देश भर के विभिन्न भागों में इस वर्ष के दौरान भेजी गई मुख्य सेब्य वैक्सीनों में से केवल एक शीशी संदूषित पाई गई थी। पंजाब राज्य को इसी शीशी का पूरा बैच भेजा गया था।

(ग) और (घ) इसे तुरन्त बाद, पंजाब राज्य को बैच नं. के-042 की वैक्सीन का प्रयोग बन्द कर देने को कहा गया था तथा भारत के औषध महानियंत्रक से इस मामले की जांच करने का अनुरोध किया गया था।

इसी बैच की पांच (5) सीलबन्द शीशियां जांच के लिए केन्द्रीय औषध प्रयोगशाला, कसौली भेजी गई थीं और उन्हें सन्तोषजनक पाया गया था।

**झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में डाकघर**

**1076. डा. धीरेंद्र अग्रवाल :**
**श्री सुनिल कुमार महतो :**

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तारीख में झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में कितने डाकघर संचालित किए जा रहे हैं;

(ख) कितने गांवों में राज्यवार कोई डाकघर नहीं है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन गांवों में डाकघर स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं तथा इस संबंध में कितनी सफलता मिली है?

**संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद)** : (क) झारखंड के कुल 3091 डाकघरों में से 2819 डाकघर ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत हैं।

(ख) और (ग) डाकघर रहित गांवों की संख्या का राज्यवार ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है।

डाकघर दूरी, जनसंख्या और आय संबंधी मानदंडों के पूरा होने के आधार पर खोले जाते हैं, जिनका ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है। अतः, डाकघर केवल उन गांवों में खोले जा सकते हैं, जो इन मानदंडों को पूरा करते हों।

10वीं पंचवर्षीय योजना के पहले दो वर्षों में योजना लक्ष्यों की तुलना में देशभर के गांवों में 440 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर खोले गए। हालांकि डाक नेटवर्क को युक्तिसंगत बनाने के 10वीं योजना के नीति-निर्देशों के अनुरूप 2004-05 से नए डाकघर खोलने के कोई योजना लक्ष्य आबंटित नहीं किए जा रहे। अतः, अगर किसी डाकघर के खोलने को औचित्यसम्मत पाया जाता है तो वह अब केवल ऐसे डाकघर की पुनर्स्थापना के माध्यम से ही खोला जा सकता है जो विभागीय मानदंडों के मुताबिक अपने मौजूदा स्थान पर औचित्यसम्मत न रह गया हो।

*विवरण-I*

*31-3-2005 की स्थिति के अनुसार डाकघर सहित और डाकघर रहित गांवों का सर्किलवार ब्यौरा*

| क्र. सं. | सर्किल | गांवों की कुल संख्या (आबाद) | डाकघर सहित गांवों की संख्या | डाकघर रहित गांवों की कुल संख्या |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 26586 | 15015 | 11571 |
| 2. | असम | 26247 | 3708 | 22539 |
| 3. | बिहार | 38475 | 8622 | 29853 |
| 4. | छत्तीसगढ़ | 19720 | 2929 | 16791 |
| 5. | दिल्ली | 165 | 81 | 84 |
| 6. | गुजरात | 18066 | 8121 | 9945 |
| | दमण और दीप | 23 | 13 | 10 |
| | दादरा और नागर हवेली | 70 | 38 | 32 |
| 7. | हरियाणा | 6759 | 2329 | 4430 |
| 8. | हिमाचल प्रदेश | 17495 | 2658 | 14837 |
| 9. | जम्मू और कश्मीर | 6476 | 1687 | 4789 |
| 10. | झारखंड | 22745 | 2777 | 19968 |
| 11. | कर्नाटक | 27575 | 8362 | 19213 |
| 12. | केरल | 1453 | 1453 | 0 |
| | लक्षद्वीप | 10 | 10 | 0 |
| | माहे (पांडिचेरी) | 0 | 0 | 0 |
| 13. | मध्य प्रदेश | 51808 | 7471 | 44337 |
| 14. | महाराष्ट्र | 41068 | 16125 | 24943 |
| | गोवा | 351 | 215 | 136 |
| 15. | उत्तर पूर्व | | | |
| | अरूणाचल प्रदेश | 3649 | 303 | 3346 |
| | मणिपुर | 2391 | 644 | 1747 |
| | मेघालय | 1216 | 299 | 917 |
| | मिजोरम | 699 | 405 | 294 |
| | नागालैंड | 1216 | 299 | 917 |
| | त्रिपुरा | 856 | 659 | 197 |
| 16. | उड़ीसा | 46989 | 7572 | 39417 |
| 17. | पंजाब | 12278 | 3418 | 8860 |
| | चंडीगढ़ | 25 | 8 | 17 |
| 18. | राजस्थान | 37889 | 9679 | 28210 |
| 19. | तमिलनाडु | 16742 | 10424 | 6318 |
| | पांडिचेरी | 292 | 59 | 233 |
| 20. | उत्तरांचल | 15761 | 2496 | 13265 |
| 21. | उत्तर प्रदेश | 105843 | 15778 | 90065 |
| 22. | पश्चिम बंगाल | 37910 | 7639 | 30271 |
| | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 504 | 89 | 415 |
| | सिक्किम | 447 | 197 | 250 |
| | कुल | 589799 | 141582 | 448217 |

*विवरण-II*

*आश्वासन के अनुसार पहुंच का स्तर और डाकघर खोले जाने एवं उन्हें बनाए रखने के मानदंड*

- **जनसंख्या एवं दूरी संबंधी मानदंड**
  - शहरी क्षेत्र–20 लाख से अधिक जनसंख्या, निकटतम डाकघर से दूरी 1.5 कि.मी.
  - शहरी क्षेत्र–20 लाख तक जनसंख्या, निकटतम डाकघर से दूरी 2 कि.मी.
  - सामान्य ग्रामीण क्षेत्र–जनसंख्या 3000, निकटतम डाकघर से दूरी 3 कि.मी.
  - पहाड़ी, जनजातीय, रेगिस्तान – प्रत्येक गांव के लिए जनसंख्या 500 और ग्रामों के समूह के लिए 1000, निकटतम डाकघर की दूरी 3 कि.मी.
- **विभागीय उप डाकघर खोलने के लिए आय संबंधी मापदंड**
  - सामान्य ग्रामीण क्षेत्र – हानि की अनुमत सीमा – 2400 रुपए प्रतिवर्ष
  - जनजातीय तथा पहाड़ी क्षेत्र – हानि की अनुमत सीमा – 4800 रुपए प्रतिवर्ष
  - शहरी क्षेत्र – प्रारंभ में स्वतः समर्थ, एक वर्ष के बाद 5% का लाभ
- **शाखा डाकघर के लिए आय संबंधी मानदंड**
  - सामान्य ग्रामीण क्षेत्र – लागत की अपेक्षा आय का प्रतिशत 33 1/3% अर्थात 66 2/3% की सब्सिडी
  - पहाड़ी, जनजातीय, रेगिस्तानी क्षेत्र–लागत की अपेक्षा आय का प्रतिशत 15% अर्थात 85% की सब्सिडी

*[अनुवाद]*

**सुपर स्पेशिलिटी हॉस्पिटल पर रिपोर्ट**

**1078. श्री तथागत सत्पथी :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की तर्ज पर प्रस्तावित छह सुपर स्पेशिलिटी अस्पतालों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इन अस्पतालों का निर्माण कार्य कब तक शुरू हो जाएगा?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) :** (क) से (घ) वैश्विक खुली प्रतियोगी बोली के माध्यम से प्रोटोटाइप वास्तुकीय डिजाइन का चयन किया गया है। इस पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जैसी छह संस्थाओं के लिए संकल्पना योजना के रूप में विचार किया जा रहा है। छह स्थानों पर पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन शुरू कर दिया गया है। परियोजना परामर्शदाता हेतु बोलियों को गैर–अनुक्रियात्मक पाया गया और इस प्रक्रिया को पुनः शुरू किया जाना होगा। परियोजना परामर्शदाता के चयन की प्रक्रिया को पुनः तैयार किया जा रहा है और इसके निष्पादन/बनाने के प्रस्तावित माडल को भी अंतिम रूप दिया जा चुका है। चयनित परियोजना परामर्शदाता डीपीआर तैयार करेगा।

इन अस्पतालों का निर्माण कार्य वर्ष 2007 के अंत तक शुरू होने की संभावना है।

**खेलों के संवर्धन हेतु नीतिगत पहल**

**1079. श्री मंजुनाथ कुन्नुर :** क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में खेलकूद के संवर्धन हेतु सरकार द्वारा की गई/प्रस्तावित नीतिगत पहलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इसके परिणामस्वरूप खोजी गई खेल प्रतिभाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में खेलकूद के विकास तथा इससे संबंधित अव–संरचनात्मक सुविधाओं हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

**पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) :** (क) से (ग) खेलों के संवर्धन का दायित्व मुख्यतः राज्य सरकारों तथा खेल परिसंघों का है। तथापि, भारत सरकार अपनी योजनाओं तथा भारतीय खेल प्राधिकरण (भाखेप्रा) के माध्यम से खेलों के संवर्धन के लिए राज्य सरकारों तथा परिसंघों के प्रयासों को बढ़ावा देती है।

इस उद्देश्य के लिए, भारत सरकार देश में खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित कर रही है:–

1. खेल गतिविधियों के संवर्धन के लिए प्रोत्साहन से संबंधित योजना। योजना के निम्नलिखित पांच घटक हैं :–
   - (क) उत्कृष्ट खिलाड़ियों को पेंशन के लिए खेलनिधि
   - (ख) स्कूलों में खेल–कूद का संवर्धन
   - (ग) ग्रामीण खेल कार्यक्रम
   - (घ) खेल छात्रवृत्ति योजना
   - (ङ) राष्ट्रीय खेल विकास निधि
2. पुरस्कारों से संबंधित योजनाएं इनमें :–
   - (1) (क) राष्ट्रीय राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार
     - (ख) अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में विजेताओं और उनके प्रशिक्षकों को विशेष पुरस्कार
     - (ग) सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय के लिए मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्राफी (माका)
   - (2) अर्जुन पुरस्कार
   - (3) द्रोणाचार्य पुरस्कार
   - (4) खेलकूद में जीवनपर्यंत उपलब्धियों के लिए ध्यानचन्द पुरस्कार
3. खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय कल्याण निधि
4. महिलाओं के लिए राष्ट्रीय खेल चैम्पियनशिप
5. राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सहायता की योजना
6. खेल प्रतिभा एवं प्रशिक्षण

इसके अलावा, भारतीय खेल प्राधिकरण देश में निम्नलिखित खेल संवर्धनकारी योजनाएं कार्यान्वित करती हैं:–

1. राष्ट्रीय खेल प्रतिभा स्पर्धा (एनएसटीसी)
2. सेना बाल खेल कंपनी (एबीएससी)
3. भारतीय खेल प्राधिकरण प्रशिक्षण केन्द्र (एसटीसी)
4. विशेष क्षेत्र खेल (एसएजी) योजना
5. उत्कृष्टता केन्द्र (सीओएक्स)।

जिन खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित प्रतियोगिताओं जैसे ओलंपिक, एशियाई, राष्ट्रमंडल खेल तथा विश्व चैम्पियनशिप में उत्कृष्टता हासिल की है, वे सरकार की उपर्युक्त योजनाओं और भारतीय खेल प्राधिकरण के माध्यम से लाभान्वित हुए थे। लेफ्टिनेंट कर्नल आर. वी. एस. राठौर, अंजू बॉबी जॉर्ज, अभिनव बिन्द्रा, अंजलि भागवत, गगन नारंग, समरेश जंग और पंकज आडवाणी जैसे खिलाड़ियों को सहायता दी गयी थी तथा उन्हें देश और विदेश दोनों में वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान की गयी।

31 मार्च, 2005 तक मंत्रालय खेल अवस्थापना के सृजन हेतु अनुदानों की योजना के मार्गनिर्देशों के अनुसार समय-समय पर प्राप्त होने वाले विशिष्ट प्रस्तावों के आधार पर खेल सुविधाओं के सृजन के लिए राज्य सरकारों आदि को सहायता प्रदान कर रहा था। तथापि, 1 अप्रैल, 2005 से योजना राज्य क्षेत्र को हस्तांतरित कर दी गई थी। अतः किसी भी नए प्रस्ताव के लिए भारत सरकार द्वारा धन नहीं दिया जा रहा है किंतु 10वीं पंचवर्षीय योजना अवधि की शेष अवधि के दौरान, केवल चल रही अनुमोदित परियोजनाओं के लिए प्रतिबद्धदेयता की सीमा तक धनराशि दी जाएगी। तथापि, खेल अवस्थापना की कमी को ध्यान में रखते हुए, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, मंत्रालय "पंचायत युवा खेल अभियान" नामक योजना प्रारंभ करने पर विचार कर रही है जिसका उद्देश्य युवाओं के विकास के लिए अभिन्न गतिविधि के रूप में खेलकूद दोनों के आयोजन हेतु युवाओं तथा बच्चों के एक बड़े वर्ग को सुविधा प्रदान करना, तथा प्रतिभा का पता लगाने और उनमें पोषण के लिए कार्य को व्यापक बनाना तथा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर प्रतियोगितात्मक खेलों में प्रदर्शन का सुधार करना।

**सिविल अस्पतालों/सीएचसी/पीएचसी की स्थापना**

**1080. श्री जी. करुणाकर रेड्डी :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आगामी पांच वर्षों के दौरान देश में विशेषरूप से कर्नाटक में स्थापित किए जाने वाले सरकारी सिविल अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (सीएचसी) तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (पीएचसी) की संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या राज्य में इन अस्पतालों तथा स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना हेतु स्थानों की पहचान कर ली गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी)** : (क) से (ग) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना लोगों की आवश्यकता और मौजूदा जनसंख्या मानदण्ड के आधार पर संबंधित राज्य/संघ क्षेत्र द्वारा की जाती है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के जनसंख्या मानदण्ड मैदानी क्षेत्रों में 30,000 और पहाड़ी/आदिवासी/दुर्गम क्षेत्रों में 20,000 तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए मैदानी क्षेत्रों में 1,20,000 और पहाड़ी/आदिवासी दुर्गम क्षेत्रों में 80,000 हैं। सितम्बर, 2005 की स्थिति के अनुसार कर्नाटक राज्य में 1681 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और 254 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं। स्वास्थ्य प्रणाली का और अधिक विस्तार, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत राज्य की कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना के अनुसार किया जाएगा।

**नेत्र बैंकों की स्थापना**

**1081. श्री एस. के. खारवेनथन :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न भागों में स्थित नेत्र बैंकों की स्थान-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार का देश के विभिन्न भागों विशेषरूप से तमिलनाडु में ऐसे और नेत्र बैंक स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन्हें कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी)** : (क) आई बैंक एसोसिएशन आफ इण्डिया के अनुसार देश में विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 453 आई बैंक हैं। इसका स्थानावार ब्यौरा इस प्रकार है:-

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | आई बैंकों की संख्या |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 74 |
| 2. | तमिलनाडु | 13 |
| 3. | कर्नाटक | 41 |
| 4. | पांडिचेरी | 4 |
| 5. | दिल्ली | 11 |
| 6. | चंडीगढ़ | 7 |
| 7. | पंजाब | 23 |
| 8. | राजस्थान | 21 |
| 9. | हरियाणा | 14 |
| 10. | गुजरात | 33 |
| 11. | महाराष्ट्र | 82 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 12. | उत्तर प्रदेश | 36 |
| 13. | मध्य प्रदेश | 28 |
| 14. | पश्चिम बंगाल | 29 |
| 15. | उड़ीसा | 4 |
| 16. | असम | 3 |
| 17. | बिहार | 8 |
| 18. | केरल | 22 |
| | कुल | 453 |

(ख) से (घ) वित्तीय वर्ष 2006–07 (मार्च, 2007 तक) के दौरान राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम के तहत तमिलनाडु सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 25 आई बैंक स्थापित करने का प्रावधान है।

*[हिन्दी]*

**टेलीफोन कनेक्शनों का स्थानांतरण**

**1082. श्री सुनिल कुमार महतो :** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एक टेलीफोन एक्सचेंज से दूसरे टेलीफोन एक्सचेंज में टेलीफोन कनेक्शन स्थानांतरित करने में सामान्यतः कितना समय लगता है;

(ख) क्या टेलीफोनों के स्थानांतरण के मामले में पालन किए जाने वाले नियमों तथा समयावधि का अनुपालन नहीं किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान दिल्ली में ऐसे कितने मामलों की पहचान की गई है; और

(घ) इस संबंध में दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

**संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) :** (क) तकनीकी दृष्टि से व्यवहार्य मामलों में एक टेलीफोन एक्सचेंज से दूसरे टेलीफोन एक्सचेज में टेलीफोन के स्थानान्तरण में लगने वाले सामान्य समय का ब्यौरा निम्नानुसार है:–

(i) एक ही अल्पदूरी के प्रभारण क्षेत्र (एसडीसी) के भीतर उपभोक्ता के अनुरोध से 3 दिनों के भीतर।

(ii) एक ही गौण स्विचन क्षेत्र (एसएसए) में उपभोक्ता के अनुरोध से 5 दिनों के भीतर।

(iii) अखिल भारत स्तर पर स्थानान्तरण के मामले में उपभोक्ता के अनुरोध से 30 दिनों के भीतर।

(ख) इस संबंध में नियमों और समय–सीमाओं का पालन किया जाता है। कभी–कभी निम्नलिखित कारणों से विलंब हो जाता है:–

(i) उपभोक्ता का अपना निजी अनुरोध

(ii) क्षेत्र का तकनीकी दृष्टि से अव्यवहार्य होना

(iii) किरायेदार के लिए टेलीफोन संस्थापित करने पर मकान मालिक की आपत्ति

महानगर टेलीफोन निगम लि., दिल्ली में अक्तूबर, 2006 के दौरान टेलीफोन स्थानान्तरण के 2130 अनुरोधों में से 1973 (अर्थात् 93.06%) से संबंधित कार्य तीन दिनों के भीतर पूरे कर लिये गये हैं।

(ग) दिल्ली में विगत दो वर्षों के दौरान, उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित कारणों के अलावा, इस प्रकार का कोई मामला सामने नहीं आया है।

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

**विदेश सचिव द्वारा राजनैतिक दलों के कार्यालयों का दौरा करना**

**1083. मेजर जनरल (सेनानिवृत्त) भुवन चन्द खंडूडी :** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेश सचिव के पद पर नियुक्ति के उपरांत विदेश सचिव राजनैतिक दलों के कार्यालयों का दौरा करते हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) यदि नहीं, तो वर्तमान विदेश सचिव की नियुक्ति के तुरंत बाद उनके द्वारा किन–किन राजनैतिक दलों के कार्यालयों का दौरा किया गया;

(घ) क्या इस संबंध में नयाचार का पालन किया गया था,

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्द शर्मा) :** (क) से (च) विदेश नीति के निर्धारण और कार्यान्वयन में विदेश सचिव महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन कर्त्तव्यों का निर्वाह करते हुए वह विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं, संसद सदस्यों, अन्य उच्च पदधारियों तथा भारत एवं दूसरे देशों के सिविल सोसायटी के सदस्यों से उनके विचार जानने और उन पर सरकार का दृष्टिकोण उन्हें बताने के लिए मिलते हैं।

वर्तमान विदेश सचिव ने इन प्रक्रिया को जारी रखा है और भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी (माओवादी) जो कि संयुक्त प्रगतिशील

गठबंधन का एक महत्वपूर्ण घटक है, के नेताओं, मुख्य विपक्षी दल, भारतीय जनता पार्टी तथा अन्य से मिलने गए।

*[अनुवाद]*

**अनुमोदित अस्पतालों को हटाया जाना**

**1084. श्री एन. जनार्दन रेड्डी :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपातकालीन स्थिति के दौरान सीजीएचएस लाभार्थियों को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने वाले कई सीजीएचएस अनुमोदित निजी अस्पतालों को अनुमोदित अस्पतालों को सूची से हटा दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) अनुमोदित सूची में शेष रह गए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अस्पतालों के नाम क्या हैं जहां आपातकालीन स्थिति में सीजीएचएस लाभार्थी अपना इलाज करवा सकते हैं?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) :** (क) और (ख) सीजीएचएस लाभार्थियों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए सीजीएचएस के तहत प्राइवेट अस्पतालों/जांच केन्द्रों की सूची तैयार करने हेतु स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा वर्ष 2004 में जारी निविदा के उत्तर में उनसे आवेदन प्राप्त हुए और मंत्रालय ने उन पर विचार किया गया। परामर्श और अन्य सुविधाओं के लिए शुल्क दरें विभिन्न अस्पतालों/जांच केन्द्रों द्वारा बताई गई दरों के आधार पर निर्धारित की गई हैं। आवेदकों द्वारा बताई गई न्यूनतम दरों के आधार पर संशोधित पैकेज, 1 नवम्बर, 2006 से प्रभावी किया गया है।

पहले ही सूची में डाले गए कुछ प्राइवेट अस्पतालों ने प्रस्तावित दरों को स्वीकार नहीं किया और सीजीएचएस की सूची से बाहर होने का निर्णय लिया। सूची तैयार करने की प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है और निर्धारित शर्तों को पूरा करने वाले प्राइवेट अस्पताल/जांच केन्द्र किसी भी समय सूची में स्थान पाने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

(ग) आपात स्थिति में सीजीएचएस आभार्थी उपचार के लिए नजदीक के किसी भी अस्पताल में जा सकता है।

*[हिन्दी]*

**हज यात्रा**

**1085. श्री इलियास आजमी :** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन निजी टूर आपरेटरों के नाम क्या हैं जिन्हें देश में हज के लिए यात्रियों को भेजने की अनुमति है;

(ख) चालू वर्ष के लिए किन टूर आपरेटरों का कोटा बढ़ा दिया गया है;

(ग) क्या हज यात्रा का कोटा बढ़ा दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो क्या अंतर्राष्ट्रीय पासपोर्ट पर जाने वाले व्यक्तियों का कोटा भी बढ़ा दिया गया है;

(ङ) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार कितने हज यात्रियों द्वारा यात्रा किए जाने की आशा है; और

(च) इनके लिए क्या व्यवस्थाएं की गई हैं?

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद) :** (क) जिन निजी यात्रा प्रचालकों को हज 2006-II का प्रचालन करने की अनुमति दी गई है, उनका विवरण-I संलग्न है।

(ख) पुनः शामिल किए टूर प्रचालकों को दिया गया कोटा, उन्हें आबंटित पिछले कोटे के बराबर ही रखा गया है। चालू वर्ष के लिए अर्थात् हज 2006-II के लिए कोटा बढ़ाया नहीं गया है।

(ग) जी हां। सउदी अरब किंगडम की सरकार ने हज 2006- II के लिए भारतीय हज यात्रियों के लिए केवल 10,000 के अतिरिक्त कोटे का प्रावधान किया है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) भारतीय हज समिति के जरिए हज 2006 के दौरान यात्रियों का राज्य-वार मूल कोटा और वास्तविक रूप में हज यात्रा पर गए हज यात्रियों का ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

(च) सरकार, भारतीय हज समिति के माध्यम से जाने वाले 110,000 हज यात्रियों के सउदी अरब जाने-आने को सुसाध्य बनाने और उनके लिए आवास तथा अन्य संभारतंत्रीय सहायता का प्रावधान करने की व्यवस्था कर रही है। भारत का प्रधान कौंसलावास जद्दा द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सहायता के अतिरिक्त सरकार हज यात्रियों के कल्याण की देखरेख के लिए स्थानीय रूप से भर्ती किए गए 600 कर्मचारियों के अतिरिक्त 506 भारत आस्थानी अधिकारियों को तैनात कर रही है, जिनमें डॉक्टर, अर्धचिकित्सक, सहायक हज अधिकारी तथा हज सहायक शामिल हैं। एक अस्पताल और 11 शाखा औषधालय मक्का में खोले जाएंगे ताकि हज की अवधि के दौरान हज यात्रियों को 24 घंटे चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई जा सके। इसी प्रकार मदीना में 5 शाखा औषधालय और एक मुख्य औषधालय खोला जाएगा। इस वर्ष के दौरान 1.25 करोड़ रु. कीमत की औषधियां तीर्थ यात्रियों के लिए उपलब्ध कराई जा रही है।

*विवरण-I*

| क्रम सं. | निजी यात्रा प्रचालकों के नाम मुंबई ऐसोसिएशन |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 1. | मुस्लिम टूर कार्पोरेशन, मुंबई (1) |
| 2. | कास्मिक ट्रवल एण्ड टूर्स, मुंबई (2) |
| 3. | बाखला टूर्स एण्ड ट्रवल, मुंबई (3) |
| 4. | मिर्जा टूर एण्ड ट्रवल, मुंबई (4) |
| 5. | मर्चेन्ट टूर सर्विसेज प्रा. लि., मुंबई (5) |
| 6. | अल–हाफिज टूर्स एण्ड ट्रवल, धुले (6) |
| 7. | अमन टूर्स एण्ड ट्रवल्स, आनन्द (7) |
| 8. | एम के ट्रवल्स, मुंबई (8) |
| 9. | अल–अकबर टूर्स, मुंबई (9) |
| 10. | खादिम टूर्स एण्ड ट्रवल्स, मुंबई (10) |
| 11. | अल–इरफान टूर्स एण्ड ट्रवल्स, मुंबई (11) |
| 12. | रीगल टूर सर्विस, मुंबई (12) |
| 13. | अराफत ट्रवल सर्विसेज, ठाणे (14) |
| 14. | अरफा टूर्स एण्ड ट्रवल्स, मुंबई (15) |
| 15. | अल बुहीन टूर्स एण्ड ट्रवल्स कुहार्नपुर (16) |
| 16. | मार्शल ट्रवलस, मुंबई (17) |
| 17. | मक्का हज कार्पोरेशन, मुंबई (18) |
| 18. | अल–मदनी टूर्स एण्ड ट्रवल्स, मुंबई (19) |
| 19. | मार्डन टूर्स एण्ड ट्रवल्स, कोलकाता (20) |
| 20. | अल–मुल्ताजिम हज टूर्स एण्ड ट्रवल्स, ठाणे (21) |
| 21. | अल–मिसबाह हज एण्ड उमराह सर्विसेज, चेन्नै (22) |
| 22. | सोज इण्टरनेशनल्स, नवसारी (23) |
| 23. | मास्टर ट्रवल्स, पुणे (24) |
| 24. | हाजीपीर हज टूर्स, मुंबई (25) |
| 25. | अल–फरीद टूर्स एण्ड ट्रवल्स, नवसारी (26) |
| 26. | तवा एफ – ए – मक्का टूर्स एण्ड ट्रवल्स, मुंबई (27) |
| 27. | अल–सफा टूर, पुणे |
| 28. | विलास हज एण्ड उमरा टूर एण्ड ट्रवल्स, भड़ौच (29) |
| 29. | मोमीन हज उमरा टूर्स, मुंबई (30) |
| 30. | अल–हमद अज एण्ड उमरा टूर्स, मुंबई (31) |
| 31. | अल–कबीर टूर्स एण्ड ट्रवल्स, मुंबई (32) |
| 32. | कोटवाला टूर्स एण्ड ट्रवल्स, मुंबई (33) |
| 33. | एशियन टूर्स एण्ड ट्रवल्स, मुंबई (34) |
| 34. | दरवेश टूर्स एण्ड ट्रवल्स, अहमदाबाद (35) |
| 35. | स्काई शिप इण्टरनेशनल प्रा. लि., मुंबई (36) |
| 36. | तवक्कल टूर्स एण्ड ट्रवल्स, अहमदाबाद (37) |
| 37. | अल–अक्सा टूर एण्ड ट्रवल्स, अहमदाबाद (38) |
| 38. | दयार–ए–हबीब टूर्स एण्ड ट्रवल्स, मुंबई (39) |
| 39. | गुजरात हज टूर्स, अहमदाबाद (41) |
| 40. | काजी सरकार ट्रवल्स, नीमच (42) |
| 41. | सूरज हज टूर्स, सूरत (43) |
| 42. | दारूल, हरम टूर्स एण्ड ट्रवल्स, मुंबई (44) |
| 43. | इकराम हज कार्पोरेशन, डोंगरी (45) |
| 44. | दयार–ए–हरम टूर्स एण्ड ट्रवल्स, मुंबई (46) |
| 45. | अल उमैर टूर्स एण्ड ट्रवल्स, ठाणे (48) |
| 46. | तब्बैक टूर–एण्ड ट्रैवल्स, मुंबई (49) |
| 47. | कादरी हज सर्विस, जबलपुर (50) |
| 48. | मौलवी हज एण्ड उमरा टूर्स एण्ड ट्रवल्स, भड़ौच (51) |
| 49. | अल–हिमाज टूर्स एण्ड ट्रवल्स, भड़ौच (52) |
| 50. | औलिया हज टूर, इन्दौर (53) |
| 51. | तवक्कल टूर्स, बड़ौदा (56) |
| 52. | मासूम टूर्स एण्ड ट्रवल्स, भड़ौचा (57) |
| 53. | अल–जमील हज टूर, मुंबई (58) |
| 54. | एम. के. हज एण्ड उमरा ट्रवल्स, कोलकाता (60) |
| 55. | अदनवाला टूर्स एण्ड ट्रवल्स, अहमदाबाद (61) |
| 56. | अल–अकीब ट्रवल्स सर्विस, ठाणे (62) |
| 57. | ताज टूर्स एण्ड ट्रवल्स, हुगली + बी 42 (63) |
| 58. | मुखलिस हज एण्ड उमरा टूर, ठाणे (64) |
| 59. | मुल्ताजीम हज कार्पोरेशन, ठाणे (66) |
| 60. | वेलकम टूर्स एण्ड ट्रवल्स, मुंबई (69) |
| 61. | अल हबीब टूर्स, मुंबई (71) |

| 1 | 2 |
|---|---|
| 62. | अल–जोआवी इण्टर नेशनल, मुंबई (72) |
| 63. | अल–मीनार टूर्स एण्ड ट्रवल्स, हिम्मत नगर (73) |
| 64. | अल मंसूर टूर्स एण्ड ट्रवल्स, अहमदाबाद (75) |
| 65. | जम जम टूर्स एण्ड ट्रवल्स, अहमदाबाद (76) |
| 66. | मोहम्मदिया टूर्स एण्ड ट्रवल्स, अहमदाबाद (77) |
| 67. | हजरत ख्वाजा गरीब नवाज हज टूर, अहमदाबाद (79) |
| 68. | अल–मदीना हज उमरा टूर्स, नासिक (83) |
| 69. | इंडियन हज कार्पोरेशन, ठाणे (84) |
| 70. | मरियम हज टूर्स, इंदौर (85) |
| 71. | मतीन टूर्स एण्ड ट्रवल, मुंबई (86) |
| 72. | अल–हुसाम इंडिया हज एण्ड उमरा, कोची (87) |
| 73. | रहबर टूर्स एण्ड ट्रवल्स, मुंबई (88) |
| 74. | सउदी टूर्स एण्ड ट्रवल्स, मुंबई (89) |
| 75. | अल हुसाम ट्रवल एण्ड टूर्स इंडिया (प्रा.) लि., चेन्नै (91) |
| 76. | मिल्लत हज सर्विस, चेन्नै (92) |
| 77. | अल हिदायत टूर्स एण्ड ट्रवल्स, मुंबई (93) |
| 78. | हिना ट्रवल सर्विस, लखनऊ (94) |
| 79. | अल–यासीन टूर्स एण्ड, ट्रवल्स, हैदराबाद (95) |
| 80. | अलबन हज उमरा सर्विस, कोचीन (96) |
| 81. | दि वफादर टूर, साबरकंठा (97) |
| 82. | रिलीफ ट्रवल्स एण्ड टूर्स, गोधरा (99) |
| 83. | शाहीन हज टूर एण्ड ट्रवल्स, बरेली (100) |
| 84. | अल–अकरम हज टूर्स, मुंबई (101) |
| 85. | सैदिना टूर्स एण्ड ट्रवल्स, बंगलौर (103) |
| 86. | आल्टन ट्रवल्स एण्ड कारगो, हैदराबाद (104) |
| 87. | ट्रवल हाउस, भोपाल (105) |
| 88. | अल–हीरा टूर्स एण्ड ट्रवल्स, हैदराबाद (106) |
| 89. | हमदान ट्रवल सर्विसेज, कोलकाता (107) |
| 90. | अल–मेहदी टूर्स, मुंबई (108) |
| 91. | आरफत हज टूर्स, वीरमगांव (109) |
| 92. | सरकार ट्रवल्स, भीलवाड़ा (110) |
| 93. | अल–सीरत टूर्स, मुंबई (111) |
| 94. | रजा टूर्स एण्ड ट्रवल्स, भीड़वाड़ा (112) |
| 95. | जिगर टूर्स एण्ड ट्रवल्स, अहमदाबाद (113) |
| 96. | अल फारूकी हज उमरा टूर्स–इदर, डिस्ट, एस. के. (114) |
| 97. | मदानी ट्रवल्स, वाराणसी (116) |
| 98. | फ्लाई इण्टरनेशनल, मुंबई (117) |
| 99. | बादशाह टूर्स एण्ड ट्रवल्स, मुंबई (118) |
| 100. | अलिफ टूर्स एण्ड ट्रवल्स, अहमदाबाद (119) |
| 101. | बिस्मिल्ला हज टूर्स एण्ड ट्रवल्स, पुणे (121) |
| 102. | दीन हज सर्विस, चेन्नै (123) |
| 103. | अल–सफा हज सर्विस, पुडुकोट्टई (124) |
| 104. | अल–नूर हज सर्विस, थानजवुर (126) |
| 105. | शरिफ टूर्स एण्ड ट्रवल्स, हैदराबाद (127) |
| 106. | संजर ट्रवल्स, अहमदाबाद (128) |
| 107. | सलामथ हज सर्विस, नगाई (130) |
| 108. | गोल्डन ट्रवल्स, हैदराबाद (131) |
| 109. | अल–उक्बा टूर्स एण्ड ट्रवल्स, कानपुर (132) |
| 110. | एलायंस इण्टरनेशनल टूर्स एण्ड ट्रवल्स, मुंबई (133) |
| 111. | एटलस टूर्स एण्ड ट्रवल्स प्रा. लि., मुंबई (134) |
| 112. | अल खालिद टूर्स एण्ड ट्रवल्स, मुंबई (135) |
| 113. | हज टूर्स कारपोरेशन, इंदौर (136) |
| 114. | एयर फ्लोत ट्रवल, मुंबई (137) |
| 115. | अल हमजा ट्रवल्स, मुंबई (138) |
| 116. | सफर हज टूर्स, अहमदाबाद (139) |
| 117. | अल असन ट्रवल्स, मुंबई (140) |
| 118. | शाह हज सर्विस, कोयमबतूर (141) |
| 119. | बाखला इण्टरनेशनल ट्रवल्स, मुंबई (142) |
| 120. | मदीना टूर्स एण्ड ट्रवल्स, हैदराबाद (143) |
| 121. | एस वाई एस हज सेल, कोझीकोड (145) |
| 122. | अल–अमानत हज सर्विस इंडिया प्रा. लि., चेन्नै (146) |
| 123. | जी. बी. टूर्स एण्ड ट्रवल्स, लखनऊ (147) |
| 124. | जे. एस. टूर्स एण्ड ट्रवल्स, बंगलौर (148) |

| 1 | 2 |
|---|---|
| 125. | ताशकंद टूर्स एण्ड ट्रवल्स, सूरत (149) |
| 126. | पीएकेए एम ट्रवल्स, पुन्नतला (150) |
| 127. | अल अतर हज कार्पोरेशन, मुंबई (151) |
| 128. | नोबल टूर्स एण्ड, ट्रवल्स, अहमदाबाद (152) |
| 129. | सोशल टूर्स एण्ड, ट्रवल्स, (अलमाबुक हज ग्रुप), मल्लापुरम (153) |
| 130. | अस–सफा हज टूर्स, नवसारी (154) |
| 131. | लवबैक हज टूर्स एण्ड ट्रवल्स, नवसारी (155) |
| 132. | अल अमीन टूर्स एण्ड ट्रवल्स, कानपुर (157) |
| 133. | जज जम हज टूर्स एण्ड ट्रवल्स, मुंबई (158) |
| 134. | क्लासिक टूर्स एण्ड ट्रवल्स, मुंबई (160) |
| 135. | अजमी टूर्स एण्ड ट्रवल्स, मुंबई (161) |
| 136. | अनाम टूर्स एण्ड ट्रवल्स, मुंबई (162) |
| 137. | असफहन टूर्स एण्ड ट्रवल्स, मुंबई (163) |
| 138. | अल–अमीन हज कार्पोरेशन, रायगढ़ (164) |
| 139. | अल इखलस हज कार्पोरेशन, रायगढ़ (195) |
| 140. | तंबोली टूर्स एण्ड ट्रवल्स प्रा. लि., अहमदनगर (166) |
| 141. | अल फलह ट्रवल्स एण्ड हज ग्रुप, मल्लापुरम (168) |
| 142. | पूना टूर्स एण्ड ट्रवल्स, पुणे (169) |
| 143. | मबरूक हज ग्रुप, मल्लापुरम (171) |
| 144. | अशरफ हज उमरा टूर्स एण्ड ट्रवल्स, अमरावती (172) |
| 145. | अरबियन टूर्स एण्ड ट्रवल्स, मुंबई (173) |
| 146. | कोल्हापुर हज कार्पोरेशन, कोल्हापुर (174) |
| 147. | अल–सलम हज–ओ–उमराह टूर्स, अकोला (175) |
| 148. | सागर टूर्स एण्ड ट्रवल्स, गोरखपुर (179) |
| 149. | फैज ट्रवल्स, मेरठ (180) |
| 150. | अल–हिन्द टूर्स एण्ड ट्रवल्स (प्रा.) लि. कालीकट (182) |
| 151. | अरहबा हज उपरा टूर्स, मुंबई (184) |
| 152. | अस सौद टूर्स, नवसारी (185) |
| 153. | केरला इस्लाम हज एण्ड उमराह सर्विस, कालीकट (186) |
| 154. | फथीमागानी हज सर्विस, रामानाथपुरम (188) |
| 155. | हारी टूर्स हज एण्ड अमराह, मलेगांव (189) |

| 1 | 2 |
|---|---|
| 156. | अल अनसार हल एण्ड उमरा आर्गनाइजर, मुंबई (190) |
| 157. | अल हुसामी हज एण्ड उमरा टूर्स, ठाणे (191) |
| 158. | अल खिजैर टूर्स, बड़ोदरा (192) |
| 159. | रिलैइबर हज उमरा टूर्स, ठाणे (194) |
| 160. | सोफी हज एण्ड उमरा टूर्स, अहमदनगर (195) |
| 161. | हल इस्साद हज ग्रुप, पालाखाड (197) |
| 162. | कालानंतर हज ट्रवल्स, पुडोकोट्टयी (199) |
| 163. | बाखा हज उमरा सर्विस, अनाक्याम (200) |
| 164. | रूमानी इंटरप्राइजस, मुंबई (203) |
| 165. | अलवाहा हज टूर, मुंबई (204) |
| 166. | मुक्कदास हज कार्पोरेशन, वसई (205) |
| 167. | अल क्यूबा टूर एण्ड ट्रवल्स, पुणे (206) |
| 168. | मालाबार हज ग्रुप, मल्लापुरम (208) |
| 169. | शक्रिया ट्रवल्स, मुंबई (209) |
| 170. | हिजरा हज ग्रुप, मालापुरम (210) |
| 171. | महदी टूर्स एण्ड ट्रवल्स, मुंबई (211) |
| 172. | अल हासिम हज टूर्स, अहमदाबाद (213) |
| 173. | खंडेस हज कार्पोरेशन, जलगांव (214) |
| 174. | अमन टूरिजम कोल्हापुर (217) |
| 175. | रिघवे टूर्स एण्ड ट्रवल्स, कोयम्बटूर (218) |
| 176. | ख्वाजागरीब नवाज टूर्स एण्ड ट्रवल्स, अहमदाबाद (219) |
| 177. | मुल्ताजाम टूर्स प्रा. लि., मुंबई (220) |
| 178. | जन्नत टूर्स एण्ड ट्रवल्स, फैजाबाद (221) |
| 179. | फदहिल ग्रुप टूर्स एण्ड ट्रवल्स, कन्नूर (222) |
| 180. | अंसार टूर्स एण्ड ट्रवल्स, पुणे (223) |
| 181. | रोयल ट्रवल्स एण्ड कार्गो सर्विस, हैदराबाद (224) |
| 182. | इमाम इंटरनेशनल, मुंबई (225) |
| 183. | मीरा इंटरनेशनल टूर्स एण्ड ट्रवल्स, अहमदनगर (226) |
| 184. | आराफत हज ग्रुप, मल्लापुरम (227) |
| 185. | मीजब–ए–रहमद हज उमराह, नासिक (228) |
| 186. | तवक्कल टूरिजम कार्पोरेशन, नागपुर (229) |
| 187. | अल–अराफत हज उमरा टूर्स, नागपुर (231) |

| 1 | 2 |
|---|---|
| 188. | किबला हज उमराह सर्विस, मुंबई (232) |
| 189. | मैट्रो टूर्स एण्ड ट्रवल्स, कटक (233) |
| 190. | महराबा मुकद्स उमराह हज टूर्स, मुंबई (234) |
| 191. | रोसन हज उमरा टूर्स एण्ड ट्रवल्स, थाणे (235) |
| 192. | अकोला हज टूर्स, अकोला (237) |
| 193. | अकबर ट्रवल्स ऑफ इंडिया प्रा. लि., मुंबई (238) |
| 194. | अरबीया टूर्स एण्ड ट्रवल्स, पुणे (239) |
| 195. | रजक एण्ड सन्स, अहमदाबाद (240) |
| 196. | बिन्जी टूर्स एण्ड ट्रवल्स प्रा. लि., मुंबई (241) |
| 197. | अफजल हज टूर्स एण्ड ट्रवल्स प्रा. लि., चेन्नै (242) |
| 198. | क्रिएटीव टूर्स एण्ड ट्रवल्स (इंडिया), मुंबई (243) |
| 199. | अल–बुराक टूर्स एण्ड ट्रवल्स, कोलकाता (244) |
| 200. | डेल्टा टूर्स एण्ड ट्रवल्स, मुंबई (245) |
| 201. | अलमदीना हज सर्विस, चेन्नै (245) |
| 202. | अलहरामीन हज सर्विस, प्रा. लि. चेन्नै (248) |
| 203. | मौलाना हज सर्विस, चेन्नै (249) |
| 204. | क्रिएटीव इंटरप्राइजज, मुंबई (250) |
| 205. | अल–मराज टूर्स एण्ड ट्रवल्स, जोधपुर (251) |
| 206. | साहब हज सर्विस, गुलबर्ग (253) |
| 207. | कदरी हज एण्ड उमरा टूर्स आर्गनाइजर, अहमद नगर (254) |
| 208. | अल–फारूख हज सर्विस, फेरोख (256) |
| 209. | अल–मुल्ताजीम हज एण्ड उमरा सर्विस, मुंबई (259) |
| 210. | अकबरी टूर्स, अहमदाबाद (262) |
| 211. | घौउज टूर्स एण्ड ट्रवल्स, बेल्लारी (263) |
| 212. | अल–रिफाई हज उमरा सर्विस, पालाखाड़ (264) |
| 213. | हाजीर टूर्स एण्ड ट्रवल्स, सिकंदराबाद (266) |
| 214. | बैतुल्लाह टूर्स इंटरनेशनल टूर्स, बंगलौर (267) |
| 215. | अस साफा टूर्स एण्ड ट्रवल्स, मुंबई (268) |
| 216. | अल जमील हज ग्रुप, मल्लापुरम (269) |
| 217. | मौलाना टूर्स कारपोरेशन, थाणे (272) |
| 218. | एयर ट्रवल्स इंटरप्राइजेस इंडिया लि., त्रिवेन्द्रम (275) |
| 219. | रविता हज उमरा टूर्स, औरंगाबाद (276) |
| 220. | अल हुडा हज सर्विस प्रा. लि., कोयम्बटूर (277) |
| 221. | अल–हरमेन हज उमरा ट्रवल्स, कोल्लाम (278) |
| 222. | द ग्रेट इंडिया टूर कं. प्रा. लि., त्रिवेन्द्रम (279) |
| 223. | हुडा टूर्स एण्ड ट्रवल्स, मुंबई (281) |
| 224. | अल्टमी टूर्स एण्ड ट्रवल्स प्रा. लि., त्रिवेन्द्रम (282) |
| 225. | अल–हिजरा ट्रवल्स एण्ड टूर्स, मुंबई (284) |
| 226. | चिस्ती ट्रवल्स एण्ड टूर्स, कानपुर (286) |
| 227. | जम्जम हज सर्विस, कालीकट (287) |
| 228. | अस्लाम हज ट्रवल्स एण्ड टूर्स, मंगलापुर (288) |
| 229. | उम्मुलखुरा हज सर्विस, मालापुरम (289) |
| 230. | अल–अक्सा टूर्स एण्ड ट्रवल्स, कोलकाता (291) |
| 231. | अल जुनाइद हज उमरा कंपनी, मेरठ (292) |
| 232. | अकबर ट्रवल्स एण्ड टूर्स, मालापुर (294) |
| 233. | अल हिदाया हज सर्विस, पालाखाट (295) |
| 234. | कोलकाता टूर्स एण्ड ट्रवल्स प्रा. लि., कोलकाता (296) |
| 235. | एम.जी. टूर्स एण्ड ट्रवल्स, बारासात (297) |
| 236. | एस.वाई.एस. हज ग्रुप, मालापुरम (298) |
| 237. | मदीना हज टूर्स एण्ड ट्रवल्स एजेन्सी, बांगीगांव (299) |
| 238. | अल–अमल हज उमरा सर्विस, एर्नाकुलम (300) |
| 239. | अल–फतेह हज सर्विस प्रा. लि., कायलपट्नम (303) |
| 240. | ए.आर.के. इंटरप्राइजज ट्रवल्स एजेंसी, हैदराबाद (306) |
| 241. | अल–खुद्दाम हज एण्ड उमरा सर्विस, श्रीनगर (308) |
| 242. | रूबी टूर्स एण्ड ट्रवल्स, पुणे (309) |
| 243. | फैजल टूर्स एण्ड ट्रवल्स, कनाट प्लेस (310) |
| 244. | बसरा हज सर्विस, चेन्नै (311) |
| 245. | नज खीदमाथुल हुज्जाज पालाखड (312) |
| 246. | इंडियन हज सर्विस कार्पोरेशन, त्रिवन्तपुरम (314) |
| 247. | इल बुरूक ट्रवल्स, डी. एल. (315) |
| 248. | रज्जाक इंटरप्राइजेज डक एण्ड हज ग्रुप, हैदराबाद (316) |
| 249. | नुसरत हज सर्विस, मालापुरम (319) |
| 250. | त्रिची सनसाईन हज सर्विस, त्रिची (323) |

| क्रम सं. | निजी यात्रा प्रचालकों के नाम दिल्ली ऐसोसिएशन |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 251. | अजमेरी टूर्स एण्ड ट्रवल्स, भीलवाड़ा |
| 252. | आसियाना टूर्स एण्ड ट्रवल्स, दिल्ली |
| 253. | ए. एस. इंटरप्राइजज, दिल्ली |
| 254. | ग्लोबल टूर्स एण्ड ट्रवल्स, श्रीनगर |
| 255. | हमीदीया टूर्स एण्ड ट्रवल्स, मुंबई |
| 256. | इस्लामिक टूर्स एण्ड ट्रवल्स, लखनऊ |
| 257. | महेदी टूर्स एण्ड ट्रवल्स, लखनऊ |
| 258. | सम्राट टूर्स एण्ड ट्रवल्स, जयपुर |
| 259. | सुल्तान जी इंटरप्राइजज प्रा. लि., दिल्ली |
| 260. | युनाइटेड टूर्स एण्ड ट्रवल्स, इलाहाबाद |
| 261. | हिजाज टूर्स एण्ड ट्रवल्स, मुंबई |
| 262. | युनाइटेड ट्रवल्स सर्विस, दिल्ली |
| 263. | अलहराम टूर्स एण्ड, ट्रवल्स, रूड़की |
| क्रम सं. | निजी यात्रा प्रचालकों के नाम व्यक्तिगत |
| 264. | पीरजादा ट्रवल्स, मुंबई |
| 265. | एवन टूर्स एण्ड ट्रवल्स, मुंबई |
| 266. | इफतखान ट्रवल्स सर्विस, दिल्ली |
| 267. | 3एन ट्रवल्स एण्ड टूरिस्ट ब्यूरो, मुंबई |
| 268. | कोलम टूर्स कार्पोरेशन, मुंबई |
| 269. | नवाब ट्रवल्स प्रा. लि., दिल्ली |
| 270. | अल तवाफ हज उमरा ट्रवल्स एवं टूरिज्म |
| 271. | अल हरामेनी अज ग्रुप, करेला |
| 272. | अहलाज हज एण्ड उमरा सर्विस, दिल्ली |
| 273. | फैज ए हुसैनी ट्रस्ट, मुंबई |
| 274 | एलिफिया टूर्स एण्ड ट्रवल्स |
| क्रम सं. | निजी यात्रा प्रचालकों के नाम कर्नाटक एसोसिएशन |
| 275. | हज कार्पोरेशन इंडिया, बंगलौर |
| 276. | मुकदस टूर्स एण्ड ट्रवल्स, बंगलौर |
| 277. | सैइर हज सर्विस, बंगलौर |
| 278. | अलं सैयद टूर्स, इंटरनेशनल, बंगलौर |
| 279. | लब्बाइक टूर्स एण्ड ट्रवल्स, बंगलौर |
| 280. | कर्नाटक हज ग्रुप, बंगलौर |
| 281. | तवाल्कू टूर्स एण्ड ट्रवल्स, बंगलौर |
| 282. | अलमदिना टूर्स एण्ड ट्रवल्स, बंगलौर |
| 283. | अल्लाहू अकबर टूर्स एण्ड ट्रवल्स, बंगलौर |
| 284. | अलतैयबा टूर्स एण्ड ट्रवल्स, बंगलौर |
| 285. | अलमनासिब टूर्स इंटरनेशनल, बंगलौर |
| 286. | अल–रहमान हज टूर्स एण्ड ट्रवल्स, बंगलौर |
| 287. | बिस्मिल्ला टूर्स एण्ड ट्रवल्स, बंगलौर |
| 288. | अतिक हज टूर्स एण्ड ट्रवल्स, बंगलौर |
| 289. | अरफत टूर्स, हैदराबाद |
| 290. | अल–अजाम टूर्स एण्ड ट्रवल्स, हैदराबाद |
| 291. | मदनी हज ग्रुप, गुलबर्ग |

*विवरण-II*

| राज्य | मूल कोटा | प्राप्त आवेदनों की संख्या | प्रक्रिया में आए यात्री |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| अंडमान निकोबार | 21 | 40 | 38 |
| आंध्र प्रदेश | 4955 | 6384 | 6206 |
| असम | 5967 | 2150 | 2026 |
| बिहार | 9731 | 2200 | 2104 |
| चंडीगढ़ | 25 | 33 | 33 |
| छत्तीसगढ़ | 291 | 595 | 580 |
| दादर और नगर हवेली | 5 | 4 | 4 |
| दमन दीव | 9 | 14 | 14 |
| दिल्ली | 1151 | 3705 | 2688 |
| गोवा | 65 | 34 | 36 |
| गुजरात | 3257 | 7986 | 6359 |
| हरियाणा | 867 | 954 | 949 |
| हिमाचल प्रदेश | 85 | 61 | 94 |
| जम्मू–कश्मीर | 4818 | 9300 | 9196 |
| झारखण्ड | 2646 | 1068 | 1045 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| कर्नाटक | 4584 | 5646 | 5527 |
| केरल | 5577 | 13002 | 10742 |
| लक्षद्वीप | 41 | 231 | 226 |
| मध्य प्रदेश | 2724 | 5276 | 5297 |
| महाराष्ट्र | 7284 | 11452 | 11359 |
| मणिपुर | 135 | 197 | 191 |
| उड़ीसा | 540 | 432 | 423 |
| पांडिचेरी | 42 | 88 | 85 |
| पंजाब | 271 | 258 | 256 |
| राजस्थान | 3396 | 5611 | 5522 |
| तमिलनाडु | 2461 | 3900 | 3812 |
| त्रिपुरा | 180 | 25 | 23 |
| उत्तर प्रदेश | 21800 | 18800 | 18389 |
| उत्तरांचल | 718 | 1404 | 1377 |
| पश्चिम बंगाल | 14354 | 3382 | 3316 |
| सरकारी कोटा | 2000 | 1947 | 1743 |
| कुल | 100000 | 106180 | 99660 |

$ महराम सहित और आदान–प्रदान के मामलों के बिना

*[अनुवाद]*

**टेलीमेडिसिन परियोजना**

**1086. श्री रवि प्रकाश वर्मा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने देश में कुछ चयनित जिलों में टेलीमेडिसिन परियोजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो राज्य–वार अब तक किन–किन जिलों में टेलीमेडिसिन परियोजना शुरू कर दी गई है;

(ग) क्या उत्तर प्रदेश के लखिमपुर–खीरी जिले में टेलीमेडिसिन परियोजना शुरू किए जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो इसे कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी)** : (क) और (ख) जी, हां। देश के ऐसे जिलों की राज्यवार सूची संलग्न विवरण में दी गई है जहां टेलीमेडिसीन परियोजनाएं क्रमशः भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डी आई टी) द्वारा शुरू की गई है।

(ग) और (घ) इस समय उत्तर प्रदेश के लखिमपुर खीरी जिले में ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया गया है और न ही कोई परियोजना चल रही है।

***विवरण***

*दिनांक 15.11.2006 की स्थिति के अनुसार*
*इसरो टेलीमेडिसीन का स्थापित नेटवर्क*

* अस्पतालों की कुल संख्या–184 अस्तपाल
* दूरदराज/ग्रामीण/जिला अस्पतालों/स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या–150 (पांच मोबाइल यूनिटों सहित)
* विशेषज्ञता वाले अस्पतालों की संख्या–34

आंध्र प्रदेश – 3 अस्पताल : आरगोन्डा (चित्तूर जिला), श्रीहरिकोटा और हैदराबाद एम एन जे (ओनकोनेट)।

अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह – 4 अस्पताल : पोर्ट ब्लेयर – 1, कार निकोबार, कमोरता और कैम्पबेल बे।

बिहार – 1 अस्पताल : रक्सोल (सी एम सी नेटवर्क)

पश्चिम बंगाल – 6 अस्पताल : कोलकाता 3 (ए एच एफ, एस बी के एम और राधाकृष्ण), कृष्ण नगर (नदिया), मालदा, बलूरघाट (पश्चिम दिनाज पुर)

छत्तीसगढ़ – 16 अस्पताल : रायपुर, जगदलपुर, मारवाही, दुर्ग, राजनन्द गांव, धमतेरी, कंकर, कोरवा, बिलासपुर, रायगढ़, जंगीर, बैकुंठपुर, अम्बीकापुर, जसपुर, कवरधा, महासमुंद।

गुजरात – 1 अस्पताल : अहमदाबाद (ओनकोनेट)

हिमाचल प्रदेश – 1 अस्पताल : कूल्ल (सी एम सी नेटवर्क)

हरियाणा – 2 अस्पताल : गोहाना और सोनीपत

झारखण्ड – 1 अस्पताल : रांची

जम्मू व कश्मीर – 12 : श्रीनगर – 2 अस्पताल (एस के एम सी एवं जी एम सी), लेह (लद्दाख), कटवा, जम्मू, कुपवाड़ा, कारगिल, दोदा, पूंछ, जंस्कर, उरी ,तंगधार

कर्नाटक – 25 अस्पताल – बंगलौर 9 (एनएन, निमहांस, सेंटजार्न, बोरिंग, बीएनसी, वीआईटीएम, एसएन, वीआईआईओ, सामतवम) एव दो चल अस्पताल (वीआईआईओ एवं एसएन), मैसूर, कामराजनगर, सुरगुर, मधुर, सागर, चित्रदुर्ग, मांडया, तुमकुर, सिरसी कारवाड, गडग, बागलकोट, यादगीर, बटगेरी, (सीएमसी नेटवर्क)

केरल–26 अस्पताल–त्रिवेन्द्रम–3 अस्पताल (टीएमसी, आरसीसी, एससीटीआईएसएस), कोची–1 अस्पताल एवं एक चल अस्पताल (एआईएमएस), पाठनमिट्टा, पम्पा, कोट्टायम, कोझीकोड़, पेरियारम, त्रिचूर, एलेपी, मनंथवाड़ी, मजेरी, अट्टापेडी, पालाकाड़–2 अस्पताल, इडुक्की, एरनाकुलम–2 अस्पताल, कोलम – 2 अस्पताल, कन्नूर–2 अस्पताल, काननगाड़, कोझनचेरी।

लक्षद्वीप द्वीप समूह – 5 अस्पताल : कावारती, अगाती, अमीनी, मिनीकोष, अंडरोट द्वीपसमूह

मध्य प्रदेश – 1 अस्पताल : ग्वालियर (ऑनकोनेट)

महाराष्ट्र – 3 अस्पताल : मुम्बई (टीएमसी), चिपलून (रत्नागिरी), नागपुर, जालना (सीएमसी नेटवर्क)

पूर्वोत्तर राज्य–21 अस्पताल :
असम– 4 अस्पताल : गोवाहाटी – 2 (जीएमसी एण्ड बीबीआरसी) एवं जोरहट, बजरेचारा (सीएमसी नेटवर्क)

सिक्किम – 1 अस्पताल : गंगटोक

मणिपुर – 1 अस्पताल : इम्फाल

अरूणाचल प्रदेश – 4 अस्पताल : इटानगर, नहारलागुन, तवांग एवं पासीघाट

नागालैण्ड – 2 अस्पताल : मोकोकचुंग एवं कोहिमा

मेघालय – 1 अस्पताल : शिलांग

मिजोरम – 4 अस्पताल : आइजोल, लुगलई, सैफा, चम्पई

त्रिपुरा – 4 अस्पताल : उदयपुर, धर्म नगर, कैलाशहर एवं कमालपुर

नई दिल्ली – 4 अस्पताल : एम्स, अपोलो, फोर्टिस, सर गंगाराम

उड़ीसा – 3 मेडिकल कालेज अस्पताल : कटक, बुर्ला, और बहरामपुर

पंजाब – 4 अस्पताल – चंडीगढ़ (पीजीआईएमईआर), दौस्या, (होशियारपुर), अजनाला (अमृतसर) और पटियाला

पांडिचेरी – 5 अस्पताल – पांडिचेरी – 2 (जीएच एवं जिपमेर), कराइकल, माहे, यनम

राजस्थान – 12 अस्पताल – झालावाड़ (कोटा) जयपुर, अलवर, भरतपुर, उदयपुर, अजमेर (2), सिरोही, बीकानेर, नागौर, बांसवाडा, जोधपुर

तमिलनाडु – 12 अस्पताल – चेन्नई–3 (अपोलो, एसआरएमसी और एसएन) एवं 1 चल अस्पताल, मदुरै–4 (2 अस्पताल एवं दो चल अस्पताल), थेनी–1, कोयम्बटूर–2 चल अस्पताल सहित, सीएमसी–वेल्लोर

उत्तर प्रदेश – 3 अस्पताल – लखनऊ, शाहजहांपुर, मुंशीगंज (जिला सुल्तानपुर)

अन्य–सशस्त्र सेनाओं के लिए 12 अस्पताल

थल सेना – 6 : नई दिल्ली (आर एंड आर), श्रीनगर, उद्यमपुर, लेह कारगिल, परतापुर

वायु सेना – 5 : बंगलौर, (कमांड अस्पताल), हलवारा, नालिया, जोरहाट और जैसलमेर

नौ सेना – 1 : पोर्टब्लेयर – अंडमान (आईएनएचएस धनवन्तरी)

**चल टेलीमेडिसिन इकाइयों का ब्यौरा**

कार्य कर रही चल टेलीमेडिसिन इकाइयों की संख्या–5 (पांच) निम्नलिखित हैं:–

1. शंकर नेत्रालय, चेन्नई
2. शंकर नेत्रालय, बंगलौर
3. अरविन्द नेत्र अस्पताल, मदुरै
4. परियोजना दिशा, मदुरै
5. वीआईआईओ, बंगलौर

निम्नलिखित स्थानों पर चल टेलीमेडिसिन इकाइयों की संख्या–6 (छह)

1. मद्रास मधुमेह अनुसंधान फाउण्डेशन, चेन्नई
2. एसआरएमसी, चेन्नई
3. केजी अस्पताल, कोयम्बटूर
4. मनीपाल राजमार्ग अभिघात केन्द्र, बंगलौर
5. एवी दावले मेडिकल फाउण्डेशन अम्बाजोगई बीड डिस्ट्रिक, महाराष्ट्र
6. अपोलो टेलीमेडिसिन नेटवर्क फाउण्डेशन, हैदराबाद

| क्र. सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | डीआईटी द्वारा शुरू किए गए टेलीमेडिसिन परियोजना वाले जिले |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | चंडीगढ़ | चंडीगढ़ |
| 2. | दिल्ली | नई दिल्ली |
| 3. | हरियाणा | रोहतक |
| 4. | हिमाचल प्रदेश | शिमला |
| 5. | केरल | 1. त्रिवेन्द्रम |
| | | 2. कन्नूर |
| | | 3. एरनाकुलम |
| | | 4. पथानामथिटा |
| | | 5. कोलम |
| | | 6. पलाकड |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| | | 7. अलपुझा |
| | | 8. वायन्द |
| | | 9. कोझीकोड |
| | | 10. मालापुरम |
| 6. | मिजोरम | आइजोल |
| 7. | उड़ीसा | कटक |
| 8. | सिक्किम | नामीची |
| 9. | त्रिपुरा | 1. साउथ त्रिपुरा |
| | | 2. नार्थ त्रिपुरा |
| | | 3. धलाल |
| | | 4. वेस्ट त्रिपुरा |
| 10. | उत्तर प्रदेश | लखनऊ |
| 11. | पश्चिम बंगाल | 1. कोलकाता |
| | | 2. 24 परगना (नार्थ) |
| | | 3. कोचबिहर |
| | | 4. बर्दवान |
| | | 5. पुरूलिया |
| | | 6. बीरभूम |
| | | 7. पश्चिम मिदनापुर |
| | | 8. मुर्सिदाबाद |

**अप्सरा रिएक्टर का स्थानांतरण**

**1087. श्री जी. वी. हर्ष कुमार :** क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अप्सरा रिएक्टर को स्थानांतरित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) देश में प्रत्येक रिएक्टर की वर्तमान स्थिति क्या है?

**प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) :** (क) और (ख) जी, नहीं। सरकार का विचार 'अप्सरा' रिएक्टर को शिफ्ट करने का नहीं है। संयुक्त राज्य अमरीका तथा भारत के बीच असैन्य नाभिकीय सहकार आरंभ करने के लिए प्रतिक्रियात्मक कार्रवाई के एक हिस्से के रूप में, मार्च, 2006 में निर्धारित पृथक्करण योजना के अंतर्गत, 'अप्सरा रिएक्टर' के क्रोड को शिफ्ट करने का प्रावधान है। मौजूदा क्रोड को जब शिफ्ट किया जाएगा तो उसके स्थान पर एक नया क्रोड लगाया जाएगा।

(ग) इस समय ट्रॉम्बे स्थित सभी अनुसंधान रिएक्टर नामतः अप्सरा, साइरस तथा ध्रुव प्रचालनरत है और सामान्य ढंग से काम कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, कलपक्कम स्थित फास्ट ब्रीडर टैस्ट रिएक्टर (एफबीटीआर) और कलपक्कम मिनी रिएक्टर (कामिनी) भी सामान्य रूप से काम कर रहे हैं।

**विदेश में कार्यरत महिलाओं संबंधी अध्ययन**

**1088. श्रीमती मिनाती सेन :** क्या **प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेश में कार्यरत भारतीय महिलाओं की देश–वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार का विचार उनकी वर्तमान स्थिति के संबंध में एक अध्ययन करवाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि) :** (क) आज के समय में कुल 191 मिलियन उत्प्रवासी जनसंख्या में, यह अनुमान है कि लगभग 49 प्रतिशत महिलाएं हैं। हालांकि विदेशों में कार्यरत भारतीय महिलाओं की संख्या के स्पष्ट आंकड़े उपलब्ध नहीं है, यह अनुमान है कि दक्षिण एशिया के उत्प्रवासियों में लगभग 44 प्रतिशत महिलाएं हैं।

(ख) और (ग) जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

*[हिन्दी]*

**आरक्षण नीति**

**1089. श्री रामदास आठवले :**
**श्री के. एस. राव :**

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण का प्रावधान कौन से वर्ष में किया गया था तथा उस समय देश की कुल जनसंख्या में इस श्रेणी की जनसंख्या का प्रतिशत कितना था;

(ख) क्या सरकार का विचार 2001 जनगणना को आधार वर्ष मानते हुए एक नई आरक्षण नीति बनाकर आरक्षण नियमों में संशोधन करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार का विचार 50 प्रतिशत की सीलिंग से ज्यादा न जाने की बात के मद्देनजर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की प्रणाली को युक्तिसंगत बनाने का भी है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी)** : (क) अनसूचित जातियों के लिए आरक्षण वर्ष 1947 में और अनुसूचित जनजातियों के लिए वर्ष 1950 में हुआ था। वर्ष 1951 की जनगणना के अनुसार, देश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की प्रतिशतता क्रमशः 15.05 और 6.31 थीं।

(ख) जी नहीं, श्रीमान्।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए अधिकतम 50 प्रतिशत आरक्षण की एक युक्तिसंगत व्यवस्था पहले से मौजूद है।

*[अनुवाद]*

**क्रय प्राथमिकता नीति**

**1090. श्री रघुनाथ झा** : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की तरह केन्द्रीय भण्डार को क्रय प्राथमिकता देने का कोई प्रस्ताव है क्योंकि सरकार ने इसकी शेयर पूंजी में निवेश किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या केन्द्रीय भण्डार ने बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (एम. एस.सी.एस.) अधिनियम, 2002 के अंतर्गत इसके उप–नियमों का उल्लंघन करते हुए निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को अपना शेयरधारक/सदस्य नामित किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या एक मौजूदा शेयरधारक सेवानिवृत्ति/मृत्यु के बाद इसका सदस्य नहीं बना रह सकता; और

(छ) यदि हां, तो चुनाव से पूर्व ऐसे सदस्यों को केन्द्रीय भण्डार की सदस्यता से हटाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

**कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी)** : (क) से (ग) वित्त मंत्रालय ने केन्द्रीय भण्डार तथा एन.सी.सी.एफ. आदि के लिए कतिपय शर्तों को पूरा करने के अधीन विशेष व्यवस्था मुहैया कराने का एक सूत्र प्रस्तावित किया है।

(घ) और (ङ) केन्द्रीय भण्डार ने सूचित किया है कि 31.3.2006 की स्थिति के अनुसार, संस्था के 82056 व्यक्तिगत शेयर धारक है तथा शेयर धारकों की बड़ी संख्या के मद्देनजर, यह सत्यापित करने में कुछ समय लगना सम्भावित है कि क्या इस संस्था ने निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को शेयर धारकों/सदस्यों के रूप में पंजीकृत किया है।

(च) और (छ) उपर्युक्त संस्था के उप नियम 5(iii) के अनुसार, कोई मौजूदा शेयर धारक, सेवानिवृत्त होने पर, सहयोगी सदस्य बन जाएगा। फिर भी, न तो उसे मताधिकार का हक होगा ना ही वह प्रतिनिधि/निर्वाचित निदेशक के लिए चुनाव हेतु पात्र होगा। जहां तक उसकी मृत्यु की दशा में शेयर धारक की सदस्यता का संबंध है उप–नियमों में प्रावधान है कि उसके द्वारा नामित व्यक्ति अथवा उत्तराधिकारी को उसको नाम पर उसके (मृत व्यक्ति के) शेयर स्थानांतरित हो जाएंगे यदि वह संस्था के उप–नियमों के अंतर्गत उसके लिए अर्हक है अथवा वैकल्पिक रूप में उसे उस पर संस्था की बकाया रकम काटकर उसके शेयरों की कीमत का भुगतान कर दिया जाएगा। उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर, शेयर धारक की सूची से सेवानिवृत्त हो चुके ऐसे शेयर धारकों का नाम हटाने के लिए भरसक प्रयास किया जाता है जो चुनाव में मताधिकार का प्रयोग करने का पात्र हों।

*[हिन्दी]*

**सैन्य सूची में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को शामिल करना**

**1091. श्री कृष्णा मुरारी मोघे** : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वैज्ञानिकों ने सुझाव दिया है कि न्यूनतम मारक क्षमता प्राप्त करने के लिए फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को सैन्य सूची में शामिल किया जाए;

(ख) क्या सिविल लिस्ट अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेन्सी के पास जांच हेतु उपलब्ध है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण)** : (क) से (ग) ऊर्जा संबंधी हमारी बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए और हमारे यूरेनियम के सीमित तथा थोरियम के विशाल स्त्रोतों को ध्यान में रखते हुए, भारत ने एक त्रि–चरणीय परमाणु विद्युत कार्यक्रम तैयार किया है। पहले चरण के अंतर्गत दाबित भारी पानी रिएक्टर आते

हैं। दूसरे चरण के अंतर्गत, पहले चरण से प्राप्त प्लूटोनियम पर आधारित फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (एफबीआर) की परिकल्पना की गई है। ऐसा, दूसरे चरण में विद्युत उत्पादन क्षमता को तेज़ी से बढ़ाने के लिए और तीसरे चरण में थोरियम का उपयोग बड़े पैमाने पर कर सकने के लिए ज़रूरी है। अत:, दूसरे चरण में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का पूर्ण रूप से संबंध, प्लूटोनियम निकालने के लिए भुक्तशेष ईंधन के पुनर्संसाधन से है, जिसके तात्विक रूप से सामरिक प्रभाव हैं। हमारे त्रि–चरणीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की, और हमारे सामरिक कार्यक्रम की प्रभुसत्ता और स्वायत्तता बनाए रखने के लिए, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को असैन्य प्रक्षेत्र से बाहर रखा गया है और इसे 02 मार्च, 2006 को संसद के पटल पर प्रस्तुत की गई 'पृथक्करण योजना' में असैन्य सुविधाओं के अंतर्गत सूचीबद्ध नहीं किया गया है।

*[अनुवाद]*

**सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग द्वारा जानकारी उपलब्ध करवाना**

**1092. श्री पी. मोहन :** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ लोक आयोग (यू.पी.एस.सी.) ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत मांगी गई लोक सेवा परीक्षा के परिणामों की जानकारी देने से इन्कार कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह सूचना का अधिकार अधिनियम का उल्लंघन है;

(घ) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार वादी को जानकारी देने के लिए निर्देश जारी करेगी;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

**कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी) :** (क) जी नहीं, श्रीमान्। सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा, 2006 का परिणाम 10.8.2006 को घोषित हुआ था।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) जी नहीं, श्रीमान्।

(घ) से (छ) प्रश्न नहीं उठते हैं।

**स्वास्थ्य परियोजनाओं को विश्व बैंक सहायता**

**1093. श्रीमती निवेदिता माने :**
**श्री जी. वी. हर्ष कुमार :**

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने देश में कतिपय स्वास्थ्य परियोजनाओं को वित्तीय सहायता देने का आश्वासन दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कुल कितनी वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार ने उच्चतम मानदंडों के अनुरूप पारदर्शी खरीद प्रक्रिया के संबंध में कोई प्रतिबद्धता जताई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त सहायता कब तक प्रदान की जाएगी?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) :** (क) जी, हां।

(ख) विश्व बैंक और भारत सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में हाल ही में दिनांक 16.10.2006 को तीन ऋण समझौतों पर हस्ताक्षर किए। ये तीन समझौते निम्नलिखित के लिए हैं:

(i) प्रजनन और बाल स्वास्थ्य परियोजना–II (आरसीएच–II)–360 मि. अमरीकी डालर के लिए

(ii) द्वितीय राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण परियोजना (टीबी–II)–170 मिलियन अमरीकी डालर के लिए और

(iii) कर्नाटक स्वास्थ्य प्रणाली विकास और सुधार परियोजना – 141.83 मिलियन अमरीकी डालर के लिए।

(ग) जी, हां।

(घ) भारत सरकार और विश्व बैंक, विश्व बैंक द्वारा सह–वित्तपोषित स्वास्थ्य सेवा संबंधी परियोजनाओं के तहत गुणवत्तायुक्त सामग्री की खरीद एवं समयबद्ध प्रदानगी के कार्य में प्रतिस्पर्धा एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए साझा "शासन और दायित्व कार्ययोजना (जीएएपी)" पर सहमत हुए हैं। शासन और दायित्व कार्ययोजना में प्रापण की प्रत्येक विधि अर्थात् सामग्री एवं कार्य और परामर्शदात्री की सेवाओं के लिए अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा बोली (आईसीबी), राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा बोली (एनसीबी) प्रत्यक्ष संविदा (डीसी) के तहत अनुपालन किए जा रहे उपायों के अनुरूप प्रापण के विभिन्न तरीकों के लिए मार्गदर्शन किया गया है।

(ङ) दिनांक 16.10.2006 को तीन ऋण समझौतों पर हस्ताक्षर

किए जाने के परिणामस्वरूप समय–समय पर भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए परियोजना व्यय के प्रतिपूर्ति संबंधी दावों के आधार पर विश्व बैंक की सहायता की जाएगी।

*[हिन्दी]*

**आर्थिक वृद्धि दर**

**1094. श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे** : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार द्वारा अगले पांच वर्षों के लिए कितनी वृद्धि दर निर्धारित की गई है;

(ख) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है; और

(ग) गरीबी उन्मूलन और अवसरंचना विकास के लिए क्या कार्ययोजना बनाई गई है?

**योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन)** : (क) राष्ट्रीय विकास परिषद के विचार हेतु ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007–2012) के प्रारूप दृष्टिकोण पत्र में ग्यारहवीं योजना के पांच वर्षों के लिए औसत वार्षिक विकास दर के लक्ष्य को 9% रखने का प्रस्ताव किया गया है।

(ख) और (ग) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के लिए विकास लक्ष्य को प्राप्त करने और गरीबी उपशमन एवं अवसंरचना विकास की कार्य योजना पर सरकार द्वारा किए जाने वाले उपायों पर निर्णय नहीं लिया गया है।

*[अनुवाद]*

**परमाणु ऊर्जा उत्पादन में निजी क्षेत्र**

**1095. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया** : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में विदेशों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों सहित निजी क्षेत्र की भागीदारी की अनुमति देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) परमाणु ऊर्जा संयंत्रों और संबंधित अवसंरचना को वाज़िब सुरक्षा प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाने पर विचार किया गया है?

**प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण)** : (क) और (ख) देश में परमाणु विद्युत उत्पादन में निजी क्षेत्र की भागीदारी संभव बनाने के लिए परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 में संशोधन करने का एक प्रस्ताव इस समय सरकार के विचाराधीन है। तथापि, कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

(ग) सुविधाओं की भौतिक सुरक्षा के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय, हमारे सभी परमाणु विद्युत संयंत्रों तथा संबद्ध आधारभूत संरचनाओं में पहले से ही मौजूद है। यही उपाय, नए विद्युत संयंत्रों में भी प्रयोग में लाए जाएंगे।

*[हिन्दी]*

**ब्राडबैंड सेवा के लिए ट्राई नियम**

**1096. राजनरायन बुधौलिया** : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने ब्राडबैंड सेवा में सुधार करने के लिए नए नियम लागू किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन नए नियमों की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं?

**संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद)** : (क) जी, हां।

(ख) ट्राई ने, ब्राडबैण्ड सेवा प्रदाताओं द्वारा प्राप्त किए जाने वाली सेवा की गुणवत्ता के मानदण्ड निर्धारित करने के लिए ब्राडबैण्ड सेवा गुणवत्ता विनियमन 2006 जारी किया है। यह विनियमन 1 जनवरी, 2007 से लागू होगा। उक्त विनियमन सेवा की गुणवत्ता संबंधी निम्नलिखित पैरामीटरों हेतु बैंचमार्क निर्धारित करता है:

* सेवा प्रदान करना/एक्टिवेशन टाइम
* दोष सुधार/सेवा बहाल करने में लगने वाला समय
* बिलिंग निष्पादन
* उपभोक्ता की सहायतार्थ कार्य करने में लगने वाला समय
* बैण्डविड्थ उपयोग/उपभोक्ता संख्या
* सेवा उपलब्ध/अपटाइम
* पैकेट हानि
* नेटवर्क मौजूदगी
* उपभोक्ता का सेवाओं संबंधी बोध

*[अनुवाद]*

**शीतल पेय में कीटनाशक का स्तर**

**1097. श्रीमती मेनका गांधी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछेक मृदु पेय कंपनियों ने विभिन्न समाचार पत्रों में अपने विज्ञापनों में यह दावा किया है कि उनके उत्पादों में कीटनाशक का स्तर अनुमत सीमा में है और स्वास्थ्य के लिए हानिकारण नहीं है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उनके दावों के सत्यापन की कोई जांच की है

(घ) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी)** : (क) और (ख) पेप्सिको और कोका कोला ने अपने विज्ञापनों में दावा किया है कि उनके उत्पाद सभी भारतीय और अंतराष्ट्रीय मानकों को पूरा करते हैं।

(ग) से (ङ) कोलकाता, मैसूर, पुणे की केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशालाओं और गुजरात की राज्य खाद्य प्रयोगशाला में जुलाई, 2006 से सितम्बर, 2006 के बीच शीतल पेय के कुल 155 नमूनों की जांच की गई थी तथा परीक्षण प्रयोगशालाओं से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार सभी जांचे गए नमूनों मे बोतल बन्द पेय जल के लिए विनिर्दिष्ट सीमा से कम कीटनाशी अवशिष्ट पाए गए थे।

**शिशुओं में एच आई वी ग्रस्तता**

**1098. श्री हरिभाऊ राठौड़ : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा शिशुओं में एच आई वी ग्रस्तता के मामलों पर विचार करने के लिए राज्य सरकारों के साथ विचार–विमर्श करने हेतु समन्वयन समिति का गठन किए जाने की संभावना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

**असुरक्षित सेक्स का खतरा**

**1099. श्री उदय सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असुरक्षित सेक्स देश में बीमारी और मौत का दूसरा सबसे बड़ा कारण है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में असुरक्षित सेक्स के चिंताजनक रूझान को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानबाका लक्ष्मी)** : (क) और (ख) जी, नहीं। प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) असुरक्षित यौन संबंध के कारण यौन संचारित संक्रमणों की किसी भी संभावना को रोकने के लिए राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन 'ए.बी.सी.' कार्यनीति अर्थात संयम, वफादारी, कण्डोम का उपयोग '(एब्सटीनेंस, बी फेथफूल एण्ड कण्डोम यूज) को बढ़ावा दे रहा है। उच्च जोखिम वाले लोगों में कण्डोम के प्रयोग को लक्षित कार्यकलाप परियोजनाओं के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाता है। एकमात्र रोग निरोधक कण्डोमों की सुलभता एवं उपलब्धता को सामाजिक विपणन दृष्टिकोण के जरिए बढ़ावा दिया जा रहा है।

**पश्चिम बंगाल के ग्रामीण क्षेत्रों में डाकघर**

**1100. श्री सुव्रत बोस : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में कितने डाकघर कार्यशील हैं;

(ख) क्या राज्य के सभी गांवों में डाकघर की सुविधाएं हैं;

(ग) यदि नहीं, तो कितने गांवों में किसी भी प्रकार की डाकघर सुविधा मौजूदा नहीं है; और

(घ) राज्य में शतप्रतिशत गांवों को शामिल करने हेतु डाक सुविधाओं को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा किन कदमों, यदि कोई हों तो, पर विचार किया गया है?

**संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद)** : (क) पश्चिम बंगाल में कार्यरत डाकघरों की संख्या 9062 है।

(ख) जी हां। राज्य के सभी गांवों में डाकघर संबंधी सुविधाएं उपलब्ध करा दी गई हैं।

(ग) और (घ) उपर्युक्त (ख) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

*[हिन्दी]*

**अमरीका द्वारा भारतीय कंपनियों पर प्रतिबंध**

**1101. श्री अवतार सिंह भडाना :** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय निर्यात कानून के उल्लंघन के मुद्दे पर अमरीका द्वारा प्रतिबंधित भारतीय कंपनियों का बचाव करने के लिए कदम उठाए गए हैं/उठाये जाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) :** (क) और (ख) अमरीकी सरकार ने अपने राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत 27 दिसंबर, 2004 को दो भारतीय कंपनियों पर तथा 4 अगस्त, 2006 को अन्य दो भारतीय कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। इस मामले को अमरीकी सरकार के साथ उठाया जा रहा है।

*[अनुवाद]*

**बंगलौर महानगरीय क्षेत्र का विकास**

**1102. श्री एम. शिवन्ना :** क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक ने केंद्र सरकार को राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (एन एच डी पी) चरण–सात के अंतर्गत बंगलौर महानगरीय क्षेत्र – सैटेलाइट टाउन रिंग रोड (बीएमआर–एसटीआरआर) और बीएमआर इंटरमीडियेट रिंग रोड (बीएमआर–आईआरआर) का विकास करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर केंद्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा) :** (क) और (ख) कर्नाटक राज्य सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (एन एच डी पी) चरण–VII के अंतर्गत बंगलौर शहर के चारों ओर 1150 करोड़ रु. और 750 करोड़ रु. की लागत से क्रमशः सैटेलाइट टाउन रिंग रोड (283 कि.मी.) और इंटरमीडियेट रिंग रोड (178 कि.मी.) का निर्माण शामिल करने का अनुरोध किया है।

(ग) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से सर्वाधिक उपयुक्त संरेखण पर बंगलौर शहर के चारों ओर रिंग रोड के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा गया है।

*[हिन्दी]*

**उपभोक्ता सेवा केन्द्रों की स्थापना**

**1103. श्री हेमलाल मुर्मू :** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) द्वारा अर्जित राजस्व में उनके द्वारा पेश की गई अनेक रियायतों के परिणामस्वरूप और वन इंडिया प्लान के कार्यान्वयन की वजह से वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वन इंडिया प्लान के अंतर्गत ग्राहकों के पास किसी अन्य नई योजना में परिवर्तित करने का विकल्प नहीं है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उपभोक्ता सेवा केन्द्रों की स्थापना और वन इंडिया प्लान के अंतर्गत मोबाइल और लैंड लाइन ग्राहकों को सुविधाओं की पेशकश करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

**संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) :** (क) और (ख) उपभोक्ताओं को दी गई विभिन्न रियायतों और वन इण्डिया प्लान सहित विभिन्न प्रशुल्क योजनाओं की शुरूआत के कारण, वर्ष 2004–05 और 2005–06 के दौरान, बीएसएनएल के कुल अर्जित राजस्व (संग्रहण) में समग्र रूप से क्रमशः 33450 करोड़ रु. और 36139 करोड़ रु. की वृद्धि हुई है।

एमटीएनएल के विषय में 31.10.96 की स्थिति के अनुसार 63174 उपभोक्ताओं ने वन इण्डिया प्लान को चुना है तथा इन उपभोक्ताओं से लगभग 5.05 करोड़ रु. का मासिक राजस्व अर्जित हुआ है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। वन इण्डिया प्लान के अंतर्गत ग्राहकों के पास किसी अन्य नई योजना में परिवर्तन करने का विकल्प है।

(ङ) बीएसएनएल में, क्षेत्रीय इकाइयों में कुल 3778 उपभोक्ता सेवा केन्द्र प्रचालनरत हैं जो किसी एक स्थान पर वन इण्डिया प्लान में परिवर्तन के अनुरोध सहित, उपभोक्ताओं की अन्य समस्याओं/अनुरोधों का भी समाधान करते हैं।

वन इण्डिया प्लान, एमटीएनएल के लैण्डलाइन और मोबाइल उपभोक्ताओं की प्रशुल्क योजनाओं में से एक योजना है। मौजूदा/भावी उपभोक्ताओं हेतु वन इण्डिया प्लान सहित सभी प्रकार की सेवाओं के पंजीकरण हेतु दिल्ली में कॉल सेंटर/संचार हॉट और मुंबई में क्विक कस्टमर सर्विस सेंटर (क्यूसीएससी) की सुविधाएं उपलब्ध हैं।

*[अनुवाद]*

**चीनी सैनिकों की तथाकथित घुसपैठ**

**1104. श्री रायापति सांबासिवा राव :**
**श्रीमती सुशीला बंगारु लक्ष्मण :**
**श्री इकबाल अहमद सरडगी :**

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी सैनिक पूर्वोत्तर में नई जगहों पर तथाकथित रूप से घुसपैठ कर चुके हैं;

(ख) यदि हां, इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत ने इस संबंध में चीन के साथ अपना विरोध दर्ज किया है;

(घ) यदि हां, तो क्या भारत–चीन सीमा की ओर कोई अवसंरचनात्मक निर्माण भी ध्यान में आया है;

(ङ) यदि हां, तो क्या चीनी राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान इन मामलों पर भी चर्चा की गई थी; और

(च) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला है?

**विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकार, राजनयिक माध्यमों तथा सीमा कार्मिकों की बैठकों जैसे स्थापित तंत्रों के माध्यम से चीनी पक्ष के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा के उल्लंघनों के मामले को उठाती है।

(घ) जी हां।

(ङ) और (च) राष्ट्रपति हू जिन्ताओ की भारत यात्रा के दौरान, दोनों पक्ष, सीमा प्रश्न का समाधान होने तक सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने पर सहमत हुए।

**गैर-कोकिंग कोयला धोवनशालाओं की स्थापना**

**1105. श्री चंद्रकांत खैरे :** क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लि. (सीआईएल) का विचार कोल इंडिया लि. की प्रत्येक सहायक कोयला कम्पनी के अधिकार क्षेत्र में गैर–कोकिंग कोयला धोवनशालाओं की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या धोवनशालाओं की स्थापना के लिए निजी निवेशकों को आमंत्रित किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में हस्ताक्षरित किए जाने वाले समझौते के लिए क्या–क्या नियम और शर्तें निर्धारित किए जाने का विचार है?

**कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव)** : (क) और (ख) कोल इंडिया लि. (सीआईएल) से प्राप्त सूचना के अनुसार सीआईएल का उसकी किसी भी सहायक कोयला कंपनी में अपनी ओर से अब तक नॉन–कोकिंग कोयला वाशरियों की स्थापना से संबंधित कोई ठोस प्रस्ताव नहीं है। तापीय विद्युत संयंत्रों को धुले हुए कोयले की आपूर्ति को बढ़ाने की आवश्यकता को अधिकांशतः स्वीकार किया जा रहा है। फिर भी, सीआईएल ने लिंकड कोर क्षेत्र के उपभोक्ताओं को धुले हुए कोयले की आपूर्ति के लिए नॉन–कोकिंग कोयला वाशरियों की स्थापना हेतु प्रस्ताव का समर्थन किया है।

(ग) और (घ) नॉन–कोकिंग कोयले की धुलाई हेतु सीआईएल कोयला वाशरियों की स्थापना के लिए जहां तक संभव हो, अपने उपभोक्ताओं तथा निजी निवेशकों को प्रोत्साहन देती है। इस संबंध में, सीआईएल लीज पर/वसूलनीय आधार पर यथा उपलब्ध भूमि और अन्य ढांचागत सुविधाओं की पेशकश करती है। सीआईएल की सहायक कंपनियों द्वारा विचारित ढांचागत सुविधाएं प्रदान करने के लिए समझौता–ज्ञापन (एमओयू)/करार की व्यापक शर्तें तथा निबंधन निम्नवत हैः–

* केवल वाशरी और उससे सम्बद्ध सुविधाओं की स्थापना के लिए भूमि का उपयोग किया जाना है।
* भूमि का लीज किराया वार्षिक रूप से अदा किया जाना है।
* भूमि का विकास वाशरी आपरेटर का उत्तरदायित्व है।
* अनुमोदित पर्यावरण प्रबंध योजना के अनुसार धुलाई की प्रक्रिया में प्राप्त रिजेक्ट को पर्यावरण अनुकूल पद्धति में बेचा जाना है।
* उपभोक्ताओं को दिए गए लिंकेज की सीमा तक उपभोक्ताओं की ओर से कोयले के परिष्करण के लिए वाशरी।
* वाशरी उन उपभोक्ताओं को धुला हुआ कोयला और रिजेक्ट वापस करे जिन्हें धुलाई के लिए कोयला सप्लाई किया गया।
* वाशरी किसी भी पार्टी को कच्चा कोयला, धुला कोयला और रिजेक्ट की बिक्री नहीं करेगी।
* वाशरी आपरेटर को यथा अनुमत विभिन्न विधानों के अधीन अपेक्षित सभी सांविधिक अनुमोदन प्राप्त करने हैं।
* वाशरी आपरेटर को इस बात को सुनिश्चित करना है कि वाशरी का प्रचालन किसी भी प्रकार से कोयला खनन को सीमित नहीं करता है अथवा उस पर प्रभाव डालता है।

*[हिन्दी]*

**चिकित्सीय उपस्करों का आयात**

**1106. श्री राकेश सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में चिकित्सा क्षेत्र में उपयोग किये जा रहे अधिकतर चिकित्सीय उपस्कर आयातित हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन उपस्करों को स्वदेश में तैयार करने की कोई योजना बनाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी)** : (क) सरकार, औषध एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत केवल अधिसूचित विसंक्रमित चिकित्सा उपकरणों के विनिर्माण और विपणन को ही विनियमित करती है। देश में आयात किए जाने वाले चिकित्सा उपकरणों की संख्या के आंकड़े केन्द्र स्तर पर नहीं रखे जाते हैं।

(ख) इस समय चिकित्सा उपकरणों के देश में विनिर्माण को बढ़ावा देने की कोई स्कीम इस मंत्रालय के विचाराधीन नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता है।

*[अनुवाद]*

**काला-अजार के लिए नया उपचार**

**1107. श्री बृज किशोर त्रिपाठी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में काला–अजार की वजह से प्रत्येक वर्ष अनुमानतः कितने लोग मारे जाते हैं;

(ख) क्या भारत के महाऔषधि नियंत्रक ने हाल ही में देश में काला–अजार के नये उपचार को अनुमति दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) अब तक तैयार की गई औषधियों के नैदानिक परीक्षणों के परिणामों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में रोगियों के लिए नया उपचार और परीक्षण की गई दवाइयां कब तक उपलब्ध होने की संभावना है?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी)** : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कालाअजार के कारण होने वाली मौतों की सूचित संख्या निम्नलिखित है:

| वर्ष | मृत्यु |
|---|---|
| 2003 | 210 |
| 2004 | 155 |
| 2005 | 157 |

(ख) और (ग) भारत के औषध महानियंत्रक ने कालाजार रोगियों के उपचार के लिए कालाजार रोधी औषध मुख सेव्य 'मिलटेफोसिन' को हाल ही में अनुमोदित किया है।

(घ) और (ङ) मुख सेव्य औषध मिलटेफोसिन की नैदानिक, जांच, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली द्वारा की गई है। नैदानिक जांचों के निष्कर्षों के आधार पर स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय की विशेषज्ञ समिति ने उपचार के पहले चरण में मिलटेफोसिन का प्रयोग करने की अनुशंसा की है।

भारत सरकार ने देश के 10 कालाजार स्थानिकमारी जिलों में इस औषध का प्रयोग शुरू करने का निर्णय किया है और औषध की खरीद की जा रही है।

**कन्या भ्रूण हत्या के विरूद्ध कानून**

**1108. श्री रूपचन्द मुर्मू : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने कन्या भ्रूण हत्या के विरूद्ध एक कानून पर चर्चा के लिए एक बैठक आयोजित की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उस बैठक में कितनी महिला संसद सदस्य उपस्थित थीं; और

(घ) इस बैठक के क्या परिणाम निकले?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी)** : (क) और (ख) गर्भ–पूर्व एवं प्रसवपूर्व नैदानिक तकनीक अधिनियम, 1994 के अंतर्गत गठित केन्द्रीय पर्यवेक्षक बोर्ड की 14वीं बैठक माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री की अध्यक्षता में दिनांक 14 जून, 2006 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में की गई थी। इस बैठक में सात संसद सदस्यों ने भाग लिया था। केन्द्रीय पर्यवेक्षक बोर्ड, प्रसवपूर्व नैदानिक तकनीकों के प्रयोग के संबंध में केन्द्रीय सरकार को नीतिगत मामलों में सलाह देने के लिए गठित किया गया निकाय है। यह निर्णय लिया गया था कि केन्द्रीय पर्यवेक्षक बोर्ड अधिनियम के कार्यान्वयन में सकारात्मक (प्रो एक्टिव) भूमिका निभाएगा। गैर–सरकारी संगठनों को शामिल करके जिला विनियोजन प्राधिकरण को सुदृढ़ किया जाएगा। राज्यों को विभिन्न टीवी चैनलों द्वारा किए गए स्ट्रिंग आपरेशनों

के संबंध में तत्काल कार्रवाई करने का निदेश दिया गया था। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद की नीतिगत संहिता (कोड) में परिवर्तन को आवश्यकता व्यक्त की गई थी। संसद सदस्यों की राज्य सरकारों के साथ बैठक करने और मादा भ्रूण हत्या के मुद्दे को राजनीतिक कार्य सूची (एजेंडा) का एक अंग बनाने की अपेक्षा की गई थी। इस मुद्दे के बारे में जागरूकता लाने को विद्यालय के पाठ्यक्रम का एक अंग बनाने और लड़कों की तुलना में लड़कियों को और अधिक वर्षों तक मुफ्त शिक्षा देने का निर्णय लिया गया है। पंजाब और हरियाणा जैसे अधिक खराब स्थिति वाले क्षेत्रों को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया गया था और व्यावसायिक चिकित्सा संगठनों को इस मामले में सक्रिय तौर पर शामिल करने का संकल्प किया गया था। यह विचार व्यक्त किया गया था कि सभी महिला संगठन एक जुट होकर इस मुद्दे से निपटें। दण्ड के भागी केवल डाक्टर ही न होकर परिवार के सदस्य और गर्भवती महिला भी होने चाहिएं।

(ग) और (घ) केन्द्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड की इस विशेष बैठक में पंजाब, हरियाणा, चण्डीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात से सभी माननीय संसद–सदस्यों तथा सभी महिला संसद सदस्यों को कन्या भ्रूण हत्या जैसे अति महत्वपूर्ण मुद्दे तथा गर्भपूर्व एवं प्रसवपूर्व नैदानिक तकनीक अधिनियम के कार्यान्वयन के बारे में उनके विचार जानने तथा सुझाव प्राप्त करने के लिए विशेष अतिथियों के रूप में आमंत्रित किया गया था।

श्रीमती रेणुका चौधरी माननीया महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री ने केन्द्रीय पर्यवेक्षक बोर्ड की संयुक्त अध्यक्ष की हैसियत से बैठक में भाग लिया।

श्रीमती वृंदा करात, संसद सदस्या (राज्य सभा) ने भी बैठक में भाग लिया।

**सिजोफ्रेनिया का मुकाबला**

**1109. श्री मधुसूदन मिस्त्री :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सिजोफ्रेनिया फैल रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) राज्य–वार इस बीमारी से कितने लोग ग्रसित हैं;

(घ) ऐसे रोगियों के उपचार के लिए क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं, और

(ङ) देश भर में इस बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी)** : (क) से (ग) देश भर में सिजोफ्रेनिया के फैलने के कोई साक्ष्य नहीं हैं। देश के विभिन्न भागों में किए गए महामारी आधारित अध्ययनों से पता चलता है कि प्रति हजार 2–3 व्यक्ति सिजोफ्रेनिया से ग्रस्त है। जागरूकता के कारण स्वास्थ्य परिचर्या सुविधायें अपनाने वाले रोगियों में वृद्धि हुई है। सिजोफ्रेनिया से ग्रस्त रोगियों की राज्य वार संख्या केन्द्रीय रूप से नहीं रखी जाती है।

(घ) चिकित्सा महाविद्यालयों के मनस्चिकित्सीय विभाग (संख्या 262), निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र दोनों के सामान्य अस्पतालों की मनस्चिकित्सीय विंग, मानसिक अस्पतालों और मानसिक स्वास्थ्य के संस्थान (सरकार के अंतर्गत 37) सिजोफ्रेनिया से ग्रस्त रोगियों को आंतरिक रोगी एवं बाह्य रोगी दोनों प्रकार की सुविधायें प्रदान करते हैं।

इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम का एक घटक जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम जो देश में 94 जिलों में संचलित है, भी समुदाय में ऐसे रोगियों को ईलाज की सुविधा प्रदान कर रहा है।

(ङ) सूचना, शिक्षा एवं सम्प्रेषण 94 जिलों में चल रहे जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम का एक घटक है। राष्ट्रीय स्तर पर सूचना, शिक्षा एवं सम्प्रेषण कार्यकलापों के लिए निधियां रखी जाती हैं।

**एम्स द्वारा धनराशि संग्रहण**

**1110. श्री प्रबोध पाण्डा :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ए आई आई एम एस वर्ष 1999 से विशिष्ट शल्य चिकित्सा के लिए रोगियों से कथित रूप से धनराशि संग्रहित करता रहा है जैसा कि दिनांक 19 अक्तूबर, 2006 के 'द हिन्दू' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित तथ्य क्या है; और

(ग) इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास)** : (क) से (ग) सी टी और एन एस केन्द्रों की जा रही क्रियाविधि ।/शल्यचिकित्सा के लिए रोगी से एकत्र की गई निधियों में तथाकथित अनियमितता की जांच करने के लिए सरकार ने स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक तथा अपर सचिव तथा वित्तीय सलाहकार से कहा है। जांच रिपोर्ट प्राप्त कर ली गई है, निदेशक – एम्स तथा प्रमुख कार्डियो– न्यूरो केन्द्र से इस रिपोर्ट पर अपना उत्तर देने के लिए कहा गया है। इस रिपोर्ट पर आगे की कार्रवाई एम्स के निदेशक से रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद की जाएगी।

*[हिन्दी]*

**उप स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना**

**1111. श्री शिशुपाल पटले :**
**श्री कैलाश नाथ सिंह यादव :**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तिथि तक राज्य–वार निर्धारित लक्ष्य की तुलना में अब तक कितने उप स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना की गई है; और

(ख) इसके निर्धारित लक्ष्य से कम की स्थापना के क्या कारण हैं?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी)** : (क) सितम्बर, 2005 तक देश में कुल 1,46,026 उपकेन्द्र चल रहे हैं। पंचवर्षीय योजना के दौरान उपकेन्द्रों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार संस्थापना का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) मैदानी क्षेत्रों में 5000 और पर्वतीय / आदिवासी / दुर्गम क्षेत्रों में 3000 के जनसंख्या मानदंड के अनुसार उपकेन्द्र स्थापित किए जाते हैं। चूंकि देश में जनसंख्या की सघनता एक समान नहीं है इस लिए देश भर में समान मानदंड को लागू करने से उपकेन्द्रों की संख्या में व्यापक भिन्नता हो गई है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत जनसंख्या मानदंडों के संशोधित करने तथा उपकेन्द्रों की संख्या को उपकेन्द्रों में रोगियों की संख्या कवर की जाने वाली दूरी इत्यादि के साथ जोड़ने का अनुमोदन किया गया है।

***विवरण***

*पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान उपकेन्द्रों की स्थापना*

| क्र.सं. | राज्य/संघ क्षेत्र | छठी योजना (1981–85) | सातवीं योजना (1985–90) | आठवीं योजना (1992–97) | नौवीं योजना (1997–2002) | दसवीं योजना लक्ष | सितम्बर 05 को कार्य कर रहे उपकेन्द्र |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 6129 | 7894 | 10568 | 10568 | 0 | 12522 |
| 2. | अरूणाचल प्रदेश | 55 | 155 | 223 | 273 | 0 | 379 |
| 3. | असम | 1711 | 5109 | 5109 | 5109 | 0 | 5109 |
| 4. | बिहार | 8299 | 14799 | 14799 | 14799 | 1210 | 10337 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | | | | | 874 | 3818 |
| 6. | गोवा | 156 | 166 | 172 | 172 | 0 | 172 |
| 7. | गुजरात | 4869 | 6834 | 7274 | 7274 | 0 | 7274 |
| 8. | हरियाणा | 1591 | 2299 | 2299 | 2299 | 183 | 2433 |
| 9. | हिमाचल प्रदेश | 1299 | 1851 | 1980 | 2069 | 0 | 2068 |
| 10. | जम्मू और कश्मीर | 609 | 1460 | 1700 | 1700 | 0 | 1879 |
| 11. | झारखण्ड | | | | | 0 | 4462 |
| 12. | कर्नाटक | 4964 | 7793 | 8143 | 8143 | 0 | 8143 |
| 13. | केरल | 2270 | 5094 | 5094 | 5094 | 0 | 5094 |
| 14. | मध्य प्रदेश | 6615 | 11910 | 11938 | 11947 | 0 | |
| 15. | महाराष्ट्र | 6391 | 9248 | 9725 | 9725 | 808 | 10453 |
| 16. | मणिपुर | 301 | 420 | 420 | 420 | 6 | 420 |
| 17. | मेघालय | 172 | 272 | 377 | 413 | 51 | 401 |
| 18. | मिजोरम | 162 | 220 | 324 | 346 | 0 | 366 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19. | नागालैंड | 133 | 244 | 244 | 302 | 23 | 394 |
| 20. | उड़ीसा | 4127 | 5927 | 5927 | 5927 | 447 | 5927 |
| 21. | पंजाब | 2602 | 2852 | 2852 | 2852 | 6 | 2858 |
| 22. | राजस्थान | 3790 | 8000 | 9400 | 9926 | 461 | 10512 |
| 23. | सिक्किम | 82 | 132 | 147 | 147 | 0 | 147 |
| 24. | तमिलनाडु | 5860 | 8681 | 8681 | 8682 | 0 | 8682 |
| 25. | त्रिपुरा | 230 | 506 | 537 | 539 | 40 | 539 |
| 26. | उत्तरांचल | | | | | 240 | 1576 |
| 27. | उत्तर प्रदेश | 15653 | 20153 | 20153 | 20153 | 1944 | 20521 |
| 28. | पश्चिम बंगाल | 6100 | 7873 | 7873 | 8126 | 2230 | 10356 |
| 29. | अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह | 32 | 84 | 96 | 100 | 0 | 107 |
| 30. | चण्डीगढ़ | 12 | 12 | 12 | 13 | 0 | 13 |
| 31. | दादरा और नागर हवेली | 19 | 34 | 34 | 36 | 4 | 18 |
| 32. | दमन और द्वीप | 14 | 14 | 21 | 21 | 0 | 21 |
| 33. | दिल्ली | 42 | 42 | 42 | 42 | 148 | 41 |
| 34. | लक्षद्वीप | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 14 |
| 35. | पांडिचेरी | 73 | 73 | 80 | 80 | 0 | 76 |
| | अखिल भारत | 84376 | 130165 | 136258 | 137311 | 8669 | 146026 |

**ग्रामीण क्षेत्रों में महिला डाक्टरों की कमी**

**1112. श्रीमती रूपाताई डी. पाटील :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और अस्पतालों में महिला डाक्टरों विशेष कर प्रसूति विशेषज्ञों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो राज्य–वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन क्षेत्रों में महिला डाक्टरों की नियुक्ति के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) जो डाक्टर भेदभाव करते हैं और मरीजों का ठीक से उपचार नहीं करते हैं उनके विरूद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जायेगी?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) :** (क) से (ग) वर्तमान में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (पी एच सी) में एक चिकित्सा अधिकारी तैनात होता है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के उन्नयन के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत तैयार किए गए भारतीय जन स्वास्थ्य मानकों (आई पी एच एस) के अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की देखभाल दो चिकित्सा अधिकारियों द्वारा की जाएगी, जिसके एक पुरूष तथा एक महिला एवं एक आयुष प्रैक्टीशनर तैनात होगा।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में प्रसूति विशेषज्ञ और स्त्री रोग

विशेषज्ञ के सितम्बर, 2005 के अनुसार 2376 स्वीकृत पदों की तुलना में 1643 पद खाली पड़े हैं।

एन आर एच एम के तहत राज्य सरकार ठेके के आधार पर प्रसूति रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ तथा अन्य विशेषज्ञों को कार्योजित करने के लिए प्राधिकृत है।

(घ) भ्रष्ट डाक्टरों के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाती है।

*[अनुवाद]*

**सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र का विस्तार और प्रोन्नयन**

**1113. श्री प्रहलाद जोशी :**
**श्री बालासोवरी वल्लभनेनी :**
**श्रीमती प्रतिभा सिंह :**

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के सभी राज्यों विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी के विस्तार और प्रोन्नयन के लिए केन्द्र सरकार द्वारा उठाए गए अथवा उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अनुमानतः कितने रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे;

(ग) क्या सरकार का विचार इस बारे में केन्द्रीय सूचना प्रौद्योगिकी की समिति की पुनर्गठित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी मुख्य विशेषताएं क्या होंगी; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद)** : (क) 29 राज्यों और 6 संघशासित क्षेत्रों सहित समस्त देश में ई–शासन के लिए सम्पर्क की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए भारत सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के जरिए 3,334 करोड़ रुपए के कुल अनुमानित परिव्यय से राज्यव्यापी क्षेत्र नेटवर्क (स्वान) योजना अनुमोदित की है। इससे प्रत्येक राज्य को प्रयोक्ताओं का एक छोटा समूह स्थापित करने में सहायता मिलेगी जिससे सभी जिला मुख्यालयों, राज्य विकास मुख्यालयों तथा ब्लॉक/तालुक मुख्यालयों को राज्य की राजधानी से न्यूनतम 2 मेगाबाइटस प्रति सेकण्ड बैंडविड्थ क्षमता से जोड़ा जा सकेगा। इससे राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की विशेष रूप से सरकार से नागरिक सेवाओं की डिलीवरी के संदर्भ में क्षमता कई गुणा बढ़ जाएगी। अब तक 24 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों ने स्वान योजना का लाभ उठाया है तथा इन्हें इनकी अलग–अलग स्वान परियोजनाओं के लिए अनुमोदन किया गया है। इन राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में स्वान परियोजनाएं इस समय कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

सरकार ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में 10,000 ब्रोडबैण्ड तथा इन्टरनेट समर्थित सामान्य सेवा केन्द्र (सीएससी) स्थापित करने के लिए सहयोग प्रदान करने के लिए एक योजना भी अनुमोदित की है। यह योजना सितम्बर, 2006 में अनुमोदित की गई। ये केन्द्र नागरिकों के द्वार पर ही सरकारी तथा निजी सेवाएं प्रदान करेंगे। नागरिक इन केन्द्रों के जरिए इन्टरनेट से भी सम्पर्क स्थापित कर पाएंगे। इस योजना को 4 वर्षों में 5742 करोड़ रुपए की कुल लागत से अनुमोदित किया गया है जिसमें से भारत सरकार का अंशदान 856 करोड़ रुपए तथा राज्य सरकारों का अंशदान 793 करोड़ रुपए होगा। शेष संसाधन निजी क्षेत्र से एकत्रित किए जाएंगे। यह योजना सार्वजनिक निजी भागीदारी के जरिए कार्यान्वित की जाएगी। 11 राज्यों के लिए सीएससी प्रस्ताव सीएससी पर गठित अधिकार प्राप्त समिति द्वारा 877.66 करोड़ रुपए के कुल अनुमानित सरकारी अंशदान से अनुमोदित किए गए हैं जिसमें केन्द्र तथा राज्य सरकारों का अंशदान शामिल है।

(ख) सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के लिए मानव संसाधन की आवश्यकता का मूल्यांकन एक सतत् प्रक्रिया है। भारत सरकार नैसकॉम जैसे औद्योगिक संघ के साथ मिलकर सतत् रूप से समय–समय पर इस क्षेत्र की आवश्यकताओं को ध्यान में रखे हुए है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) ये प्रश्न ही नहीं उठते।

*[हिन्दी]*

**वार्षिक स्वास्थ्य मेला**

**1114. श्री बापू हरि चौरे :**
**श्री संजय धोत्रे :**
**श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली :**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और फिक्की के सहयोग से दिल्ली में हाल ही में छठा वार्षिक स्वास्थ्य मेला आयोजित किया गया;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस स्वास्थ्य मेले में कितने लोगों ने भाग लिया; और

(घ) उपरोक्त मेले के आयोजन के पीछे क्या लक्ष्य हैं और इसमें किन मुद्दों पर प्रकाश डाला गया?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी)** : (क) से (घ) जी, हां। आयुष विभाग द्वारा 14 से 17 अक्तूबर, 2006 के दौरान राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम प्रदर्शनी केंद्र, ओखला औद्योगिक संपदा, निकट कालकाजी मंदिर, नई दिल्ली में फिक्की के सहयोग से छठा वार्षिक स्वास्थ्य मेला "आरोग्य" आयोजित किया गया।

यह विभाग जनसाधारण के बीच आयुष पद्धतियों के निवारक और उपचारात्मक पहलुओं को प्रोत्साहित करने और अनुसंधान, औषधि मानकीकरण आदि के क्षेत्र में आयुष क्षेत्रक की उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के प्रयोजनार्थ वर्ष 2001 से आरोग्य का आयोजन करता आ रहा है। इस मेले में आयुष औषधि और उपकरण उद्योगों तथा अन्य पणधारियों को एक ऐसा मंच भी उपलब्ध कराया जाता है जिसमें वे एक-दूसरे और जनसाधारण के साथ विचारों का आदान-प्रदान कर सकें। आयुष विभाग ने वर्ष 2005 और 2006 के दौरान चेन्नई में 2 और हैदराबाद में 1 क्षेत्रीय आरोग्य भी आयोजित किए।

दिल्ली में बैठे आरोग्य में आयुष विभाग के अधीन एकांशों सहित लगभग 100 पणधारियों और 13 राज्य सरकारों ने भाग लिया। मेले में लगभग 3 लाख लोग आए। विशेषज्ञों द्वारा व्याख्यान, विशेषज्ञता क्लिनिक और प्रत्यक्ष योग प्रदर्शन मेले के विशेष आकर्षण थे।

*[अनुवाद]*

**केरल में डाकघरों की स्थापना**

**1115. श्री पी. सी. थामस** : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक विभाग ने केरल में डाकघरों की स्थापना के लिए भूमि का अधिग्रहण कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो स्थल-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्य में स्थल-वार कितने डाकघर किराये के भवनों में चल रहे हैं; और

(घ) डाकघरों के लिए अधिग्रहित की गई भूमि पर भवनों का निर्माण कब तक आरम्भ हो जायेगा?

**संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद)** : (क) जी हां।

(ख) केरल में डाकघरों की स्थापना के लिए अधिगृहीत भूखंडों का स्थानवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) राज्य में किराए के मकानों में चल रहे डाकघरों की स्थानावार (डाक डिवीजनवार) संख्या की सूची संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(घ) अधिगृहीत भूमि पर भवनों के निर्माण की शुरूआत प्राथमिकता और धन की उपलब्धता पर निर्भर करेगी।

***विवरण-I***

*केरल में डाकघर स्थापित करने के लिए अधिगृहीत भूखण्डों का ब्यौरा*

| क्र.सं. | स्थान का नाम | केरल डाक सर्किल के क्षेत्र का नाम जिसमें स्थित है। |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | अम्बलमेड | मध्य क्षेत्र |
| 2. | अम्बलपुवा पूर्व | मध्य क्षेत्र |
| 3. | अरतिंगल | मध्य क्षेत्र |
| 4. | अतिरंपुवा | मध्य क्षेत्र |
| 5. | चालककुड़ी टाउन | मध्य क्षेत्र |
| 6. | चुंगतरा | मध्य क्षेत्र |
| 7. | इडपल्ली-एक्स. अंचल | मध्य क्षेत्र |
| 8. | एरनाकुलम साउथ | मध्य क्षेत्र |
| 9. | करियामन्नूर | मध्य क्षेत्र |
| 10. | करुवरक्कुण्डू | मध्य क्षेत्र |
| 11. | करुवाट्टा | मध्य क्षेत्र |
| 12. | कूवापड़ी | मध्य क्षेत्र |
| 13. | कुन्नमकुलम | मध्य क्षेत्र |
| 14. | कुत्तियतोड़ | मध्य क्षेत्र |
| 15. | मनिमला | मध्य क्षेत्र |
| 16. | मनिमूली | मध्य क्षेत्र |
| 17. | मुलन्तुरुती | मध्य क्षेत्र |
| 18. | मुवाट्टुपुवा | मध्य क्षेत्र |
| 19. | नडुवन्नूर | मध्य क्षेत्र |
| 20. | नाट्टकम | मध्य क्षेत्र |
| 21. | नेडुमकंडम | मध्य क्षेत्र |
| 22. | नूरनाड | मध्य क्षेत्र |
| 23. | ओल्लूर | मध्य क्षेत्र |
| 24. | पाला | मध्य क्षेत्र |
| 25. | पल्लुरुति | मध्य क्षेत्र |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 26. | पम्पाडुडा | मध्य क्षेत्र |
| 27. | पनम्पल्लीनगर | मध्य क्षेत्र |
| 28. | पेरुमानूर | मध्य क्षेत्र |
| 29. | पेरुम्बाऊर | मध्य क्षेत्र |
| 30. | पुच्चाक्कल | मध्य क्षेत्र |
| 31. | पूकुटुम्पाड़ा | मध्य क्षेत्र |
| 32. | पोत्तानिकाड | मध्य क्षेत्र |
| 33. | रामापुरम | मध्य क्षेत्र |
| 34. | एस. के. पुरम | मध्य क्षेत्र |
| 35. | सान्तमपारा | मध्य क्षेत्र |
| 36. | तोट्टाकरा | मध्य क्षेत्र |
| 37. | त्रिक्कून्नपुषा | मध्य क्षेत्र |
| 38. | तुव्वूर | मध्य क्षेत्र |
| 39. | वल्लिकुन्नम | मध्य क्षेत्र |
| 40. | वाषप्पल्लि | मध्य क्षेत्र |
| 41. | अवनंचेरी | दक्षिणी (मुख्यालय) क्षेत्र |
| 42. | भूतक्कूलम | दक्षिणी (मुख्यालय) क्षेत्र |
| 43. | क्लप्पन्ना | दक्षिणी (मुख्यालय) क्षेत्र |
| 44. | इडमन | दक्षिणी (मुख्यालय) क्षेत्र |
| 45. | इरविपेरूर | दक्षिणी (मुख्यालय) क्षेत्र |
| 46. | एरविपेरूर | दक्षिणी (मुख्यालय) क्षेत्र |
| 47. | एषुमट्टूर | दक्षिणी (मुख्यालय) क्षेत्र |
| 48. | कटक्कावूर | दक्षिणी (मुख्यालय) क्षेत्र |
| 49. | कल्लार | दक्षिणी (मुख्यालय) क्षेत्र |
| 50. | कलूपारा | दक्षिणी (मुख्यालय) क्षेत्र |
| 51. | करमना | दक्षिणी (मुख्यालय) क्षेत्र |
| 52. | कोडुमन | दक्षिणी (मुख्यालय) क्षेत्र |
| 53. | कुट्टनाड | दक्षिणी (मुख्यालय) क्षेत्र |
| 54. | कोट्टारक्करा | दक्षिणी (मुख्यालय) क्षेत्र |
| 55. | कोट्टियम | दक्षिणी (मुख्यालय) क्षेत्र |
| 56. | कुलत्तुर | दक्षिणी (मुख्यालय) क्षेत्र |
| 57. | कुषिमत्तिकाडु | दक्षिणी (मुख्यालय) क्षेत्र |
| 58. | मलयालपुष एराम | दक्षिणी (मुख्यालय) क्षेत्र |
| 59. | मुखत्तला | दक्षिणी (मुख्यालय) क्षेत्र |
| 60. | मैनाकपल्लि | दक्षिणी (मुख्यालय) क्षेत्र |
| 61. | पालयमकुन्नु | दक्षिणी (मुख्यालय) क्षेत्र |
| 62. | पंगोड | दक्षिणी (मुख्यालय) क्षेत्र |
| 63. | परिपल्लि | दक्षिणी (मुख्यालय) क्षेत्र |
| 64. | पेरुंकुषि | दक्षिणी (मुख्यालय) क्षेत्र |
| 65. | पीरप्पनकोड | दक्षिणी (मुख्यालय) क्षेत्र |
| 66. | पूजप्पुरा | दक्षिणी (मुख्यालय) क्षेत्र |
| 67. | पुनलूर | दक्षिणी (मुख्यालय) क्षेत्र |
| 68. | पुत्तूर | दक्षिणी (मुख्यालय) क्षेत्र |
| 69. | शास्तमंगलम | दक्षिणी (मुख्यालय) क्षेत्र |
| 70. | त्रिवेंद्रम इंजिनीयरिंग कॉलेज | दक्षिणी (मुख्यालय) क्षेत्र |
| 71. | वल्लक्कटवु | दक्षिणी (मुख्यालय) क्षेत्र |
| 72. | वामनपुरम | दक्षिणी (मुख्यालय) क्षेत्र |
| 73. | वरक्कला | दक्षिणी (मुख्यालय) क्षेत्र |
| 74. | अलियूर | उत्तरी क्षेत्र |
| 75. | अंगाडिप्पुरम | उत्तरी क्षेत्र |
| 76. | अंजरक्कंडी | उत्तरी क्षेत्र |
| 77. | बालूश्शेरी | उत्तरी क्षेत्र |
| 78. | कालीकट आरईसी | उत्तरी क्षेत्र |
| 79. | चंगला | उत्तरी क्षेत्र |
| 80. | चेरक्करा | उत्तरी क्षेत्र |
| 81. | चेरप्लस्सेरी | उत्तरी क्षेत्र |
| 82. | चेरुकुन्नू | उत्तरी क्षेत्र |
| 83. | चेरुपुषा | उत्तरी क्षेत्र |
| 84. | चोक्लि | उत्तरी क्षेत्र |
| 85. | कोयलमन्ना | उत्तरी क्षेत्र |
| 86. | धर्माडम | उत्तरी क्षेत्र |
| 87. | डाउनहिल | उत्तरी क्षेत्र |
| 88. | इडक्करा | उत्तरी क्षेत्र |
| 89. | इटक्काड | उत्तरी क्षेत्र |
| 90. | इट्टन्नूर | उत्तरी क्षेत्र |
| 91. | इरिट्टि | उत्तरी क्षेत्र |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 92. | कडक्करपल्लि | उत्तरी क्षेत्र |
| 93. | कक्काट्टिल | उत्तरी क्षेत्र |
| 94. | कालडि–एमएलपी | उत्तरी क्षेत्र |
| 95. | कलपात्ति | उत्तरी क्षेत्र |
| 96. | करपरंबा | उत्तरी क्षेत्र |
| 97. | कलपेट्टा | उत्तरी क्षेत्र |
| 98. | केलकम | उत्तरी क्षेत्र |
| 99. | कोडुवायूर | उत्तरी क्षेत्र |
| 100. | कोरत्तूर | उत्तरी क्षेत्र |
| 101. | कोंगाड | उत्तरी क्षेत्र |
| 102. | कूट्टिलंगाडी | उत्तरी क्षेत्र |
| 103. | कोतेंचेरी | उत्तरी क्षेत्र |
| 104. | कुडलू | उत्तरी क्षेत्र |
| 105. | कुम्बिडी | उत्तरी क्षेत्र |
| 106. | कुंबला | उत्तरी क्षेत्र |
| 107. | मांबा | उत्तरी क्षेत्र |
| 108. | माम्पाड | उत्तरी क्षेत्र |
| 109. | मंजेरी | उत्तरी क्षेत्र |
| 110. | मंजेरी | उत्तरी क्षेत्र |
| 111. | मंजेश्वर | उत्तरी क्षेत्र |
| 112. | मन्नम पारूर | उत्तरी क्षेत्र |
| 113. | मण्णारकाड | उत्तरी क्षेत्र |
| 114. | मट्टन्नूर | उत्तरी क्षेत्र |
| 115. | मट्टूल | उत्तरी क्षेत्र |
| 116. | मीनंगाडी | उत्तरी क्षेत्र |
| 117. | मेप्पाडी | उत्तरी क्षेत्र |
| 118. | मोवांचेरी | उत्तरी क्षेत्र |
| 119. | मुलंकुन्नतुकावु | उत्तरी क्षेत्र |
| 120. | मुल्लारिया | उत्तरी क्षेत्र |
| 121. | नादापुरम | उत्तरी क्षेत्र |
| 122. | निलंबूर आरएस | उत्तरी क्षेत्र |
| 123. | नटस्ट्रीट | उत्तरी क्षेत्र |
| 124. | पालपुरम | उत्तरी क्षेत्र |
| 125. | पानमन्ना | उत्तरी क्षेत्र |
| 126. | पनमरम | उत्तरी क्षेत्र |
| 127. | परंगाडी | उत्तरी क्षेत्र |
| 128. | परली | उत्तरी क्षेत्र |
| 129. | पट्टिकाड | उत्तरी क्षेत्र |
| 130. | पय्यन्नूर | उत्तरी क्षेत्र |
| 131. | पेरवूर | उत्तरी क्षेत्र |
| 132. | पेरदला | उत्तरी क्षेत्र |
| 133. | पेरिंगानम | उत्तरी क्षेत्र |
| 134. | पेरिंगत्तूर | उत्तरी क्षेत्र |
| 135. | पेरला | उत्तरी क्षेत्र |
| 136. | पोनानी | उत्तरी क्षेत्र |
| 137. | एसजी प्रेस | उत्तरी क्षेत्र |
| 138. | एस. बत्तेरी | उत्तरी क्षेत्र |
| 139. | तेंजिपालम | उत्तरी क्षेत्र |
| 140. | तिरूनावाया | उत्तरी क्षेत्र |
| 141. | तिरूवनाड | उत्तरी क्षेत्र |
| 142. | वालांचेरी | उत्तरी क्षेत्र |
| 143. | वलपटनम | उत्तरी क्षेत्र |
| 144. | वेंगरा | उत्तरी क्षेत्र |
| 145. | विल्लपल्लि | उत्तरी क्षेत्र |
| 146. | वैथी | उत्तरी क्षेत्र |
| 147. | वण्डूर | उत्तरी क्षेत्र |

***विवरण-II***

*राज्य में किराये के भवनों में कार्य कर रहे डाकघरों की स्थानवार संख्या (डाक डिवीजन–वार)*

| क्र.सं. | स्थान का नाम (डाक डिवीजन–वार) | किराये के भवनों में कार्य कर रहे डाकघरों की संख्या |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | त्रिवेंद्रम उत्तर | 62 |
| 2. | त्रिवेंद्रम दक्षिण | 54 |
| 3. | कोल्लम | 73 |
| 4. | तिरुवल्ला | 58 |
| 5. | पत्तनमतिट्टा | 65 |
| 6. | आलप्पुषा | 43 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 7. | आलुवा | 61 |
| 8. | चंगनाच्चेरी | 43 |
| 9. | कोट्टयम | 69 |
| 10. | एरनाकुलम | 61 |
| 11. | इडुक्कि | 41 |
| 12. | इरिंजालकुडा | 56 |
| 13. | मावेलिकरा | 43 |
| 14. | त्रिश्शूर | 93 |
| 15. | लक्षद्वीप | 8 |
| 16. | कासरगोड | 27 |
| 17. | कन्नूर | 54 |
| 18. | तलश्शेरी | 38 |
| 19. | वडकरा | 33 |
| 20. | कालीकट | 56 |
| 21. | तिरूर | 50 |
| 22. | मंजेरी | 43 |
| 23. | ओट्टपालम | 50 |
| 24. | पालक्काड | 76 |
| | कुल | 1257 |

**खिलाड़ियों का प्रशिक्षण**

**1116. श्री जी. एम. सिद्दीश्वर** : क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा कितने खिलाड़ियों को विदेशों में प्रशिक्षण के लिए भेजा गया;

(ख) इस बारे में चयन के क्या मानदंड हैं; और

(ग) खिलाड़ियों के प्रशिक्षण पर बजट का कितने प्रतिशत खर्च किया जाता है?

**पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर)** : (क) विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजे गए खिलाड़ियों की संख्या निम्नलिखित है:–

| क्र.सं. | योजना का नाम | प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजे गए खिलाड़ियों की संख्या | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 2003–04 | 2004–05 | 2005–06 |
| 1. | प्रतिभा खोज एवं प्रशिक्षण से संबंधित योजना | 25 | 20 | 41 |
| 2. | राष्ट्रीय खेल विकास निधि | 04 | 07 | 02 |

सरकार "राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सहायता की योजना' के अंतर्गत विभिन्न प्रयोजनों जिसमें प्रशिक्षण तथा विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेना शामिल है, के लिए राष्ट्रीय खेल परिसंघों को वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है। तथापि, इस योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण के लिए भेजे गए खिलाड़ियों के संदर्भ में आंकड़ों का रखरखाव अलग से नहीं किया गया है।

(ख) उपरोक्त योजनाओं के अंतर्गत विदेश में प्रशिक्षण के लिए सहायता हेतु चयन के मानदंड निम्नलिखित हैं:–

1) **प्रतिभा खोज तथा प्रशिक्षण से संबंधित योजना** :- इस योजना के अंतर्गत, उन उदीयमान खिलाड़ियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है जिन्होंने विद्यमान राष्ट्रीय रिकार्ड की बराबरी की है अथवा उसको तोड़ा है अथवा जो पिछले राष्ट्रीय चैम्पियनशिप के स्वर्ण पदक विजेता अथवा जो विभिन्न खेल विधाओं में संबंधित श्रेणी अर्थात सीनियर, जूनियर/सब–जूनियर, में एशियाई/राष्ट्रमंडल/एफ्रो–एशियाई/ओलंपिक खेल/विश्व चैम्पियनशिप के पदक विजेता हैं।

2) **राष्ट्रीय खेल विकास निधि** :- राष्ट्रीय खेल विकास निधि की कार्यकारी समिति उन असाधारण प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के प्रस्तावों पर विचार करती है जिन्हें मुख्य अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक मिलने की संभावना है।

3) **राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सहायता** :- इस योजना के अंतर्गत, प्रशिक्षण तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए विदेश भेजे जाने वाले खिलाड़ियों का राष्ट्रीय रैंकिंग, राष्ट्रीय स्तर पर/चयन परीक्षणों के दौरान प्रदर्शन के आधार पर संबंधित राष्ट्रीय खेल परिसंघ द्वारा चयन किया जाता है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान खिलाड़ियों/टीमों की कोचिंग/प्रशिक्षण पर खर्च किए गए कुल बजट का प्रतिशत निम्नलिखित है:–

| वर्ष | 2003–04 | 2004–05 | 2005–06 |
|---|---|---|---|
| खिलाड़ियों/टीमों की कोचिंग/प्रशिक्षण पर खर्च किए गए खेल बजट का प्रतिशत | 19.18 | 21.12 | 26.08 |

*[हिन्दी]*

**डाक कर्मचारियों हेतु आवास**

**1117. श्री विजय कुमार खंडेलवाल : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश भर में डाक कर्मचारियों के लिए आवासीय कालोनियों का निर्माण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो राज्य–वार और क्षेत्र–वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस विभाग के कर्मचारियों के लिए नवनिर्मित आवासों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) जिन कर्मचारियों को सरकारी आवास प्रदान नहीं किये गए हैं उन्हें क्या सुविधाएं दी जा रही हैं?

**संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद)** : (क) जी हां।

(ख) आवासीय कॉलोनियों की राज्यवार एवं क्षेत्र–वार ब्यौरा एकत्र किया जा रहा है और सभापटल पर रख दिया जाएगा।

(ग) डाक विभाग के कर्मचारियों के लिए नवनिर्मित आवासः एम.बी. नगर, लुधियाना (पंजाब) में 12 टाईप III क्वार्टर, सुंदरनगर (हिमाचल प्रदेश) में 1 टाईप IV क्वार्टर और धर्मशाला (हिमाचल प्रदेश) में 1 टाईप–IV क्वार्टर हैं।

(घ) जिन कर्मचारियों को सरकारी आवास प्रदान नहीं किए गए हैं तो उन्हें नियमानुसार मकान किराया भत्ते की सुविधा प्रदान की जाती है।

**भारतीयों के लिए अनिवार्य पहचान पत्र**

**1118. योगी आदित्यनाथ : क्या विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल ने अपने देश की यात्रा पर आने वाले प्रत्येक भारतीय के लिए पहचान पत्र अनिवार्य कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) भारत और नेपाल के बीच संबंधों पर इसके क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है?

**विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी)** : (क) जी नहीं। फिर भी, नेपाल और भारत के सभी नागरिकों को एक दूसरे देश में वायुमार्ग से प्रवेश करते समय नेपाली और भारतीय नागरिक के रूप में अपनी पहचान स्थापित करने संबंधी कुछ पहचान के कागजात साथ रखना बाध्यकारी है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

*[अनुवाद]*

**ब्रिटेन द्वारा 'डिपेंडेंट वीजा'**

**1119. डा. के. धनराजू : क्या विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्च शिक्षा हेतु यू. के. गए अधिकांश भारतीयों की पत्नियों को 'डिपेंडेंट वीजा' नहीं दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार का विचार इस मामले को ब्रिटेन के साथ उठाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद)** : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना भारतीय उच्चायोग लंदन से एकत्र की जा रही है और यशाशीघ्र सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

**एच आई वी/एड्स पीड़ितों के प्रति भेदभाव**

**1120. श्री वाडिगा रामकृष्णा :**
**श्री रघुनाथ झा :**

**क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में एच आई वी/एड्स पीड़ितों के प्रति भेद–भाव रोकने के लिए प्रारूप/विधेयक लाने का है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित विधेयक की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) देश में एच आई वी/एड्स से राज्य–वार कुल कितने युवा पीड़ित हैं;

(घ) सरकार की विशेष रूप से एड्स से पीड़ित युवाओं के प्रति क्या नीतियां और प्राथमिकताएं हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार 'नोडल एक्सचेंज प्रोग्राम' आरंभ करने का भी है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या उद्देश्य हैं; और

(छ) प्रोग्राम को कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पामावाका लक्ष्मी)** : (क) और (ख) जी, हां। सरकार "एच आई वी/एड्स विधेयक 2005" लाने का प्रस्ताव करती है। इस विधेयक का उद्देश्य इस प्रकार है:–

- भेदभाव रोकना,
- एच आई वी स्तर के बारे में जानकारी को सार्वजनिक करने का अधिकार सुनिश्चित करना,
- परीक्षण, उपचार और परामर्श के लिए पहुंच का अधिकार,
- कार्य करने के सुरक्षित वातावरण का अधिकार,
- जोखिमों की कमी हेतु कार्यनीतियों को बढ़ावा देना,
- एच आई वी/एड्स के बारे में जानकारी और शिक्षा का अधिकार,
- समुचित सामाजिक सुरक्षा योजना तैयार करना, और
- 'स्वास्थ्य ओमबड' की नियुक्ति

(ग) वर्ष 1993 से 15–29 वर्ष के आयु–वर्ग के 49840 व्यक्तियों की एड्स के रोगियों के रुप में सूचित किया गया है। यह संख्या अक्तूबर, 2006 को देश में सूचित किए गए एड्स के कुल रोगियों की संख्या का 31.1% बैठती है। कैलेन्डर वर्ष 2006 का राज्य–वार ब्यौरा संलग्न विवरण में है।

(घ) भारत में एच. आई. वी. संचरण का मुख्य तरीका 'यौन संबंधी' है। असुरक्षित यौन संबंध के कारण एच. आई. वी. सहित योन संचारित संक्रमणों से संक्रमित होने की किसी गुंजाइश को नियंत्रित करने के लिए राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन 'ए. बी. सी' कार्यनीति अर्थात 'संयम, वफादारी और कन्डोम का उपयोग' को बढ़ावा दे रहा है। इसके अतिरिक्त युवाओं को नशीले पदार्थों और असुरक्षित आचरण पद्धतियों से दूर रखने के लिए 'जीवन कौशल शिक्षा' के बारे में भी ध्यान केन्दित किया गया है।

शिक्षा विभाग के माध्यम से इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किशोर शिक्षा कार्यक्रम तैयार किया गया है जिसके अन्तर्गत 93,848 से अधिक माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों के 187696 अध्यापकों को जीवन कौशल शिक्षा के बारेमें प्रशिक्षित किया गया है।

(ङ) से (छ) राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के चरण–II के दौरान नशीली दवाओं का प्रयोग करने वाले (व्यसनियों) व्यक्तियों (आई डी यू) के लिए सुई आदान–प्रदान–कार्यक्रम पहले से ही लक्षित कार्यकलापों का एक अंग है। इस समय आई डी यू के लिए 93 लक्षित कार्यकलापों को गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से कार्यन्वित किया जा रहा है। आई डी यूज का कम नुकसान करने के लिए एक व्यापक पैकेज के भाग के रूप में दी जाने वाली सेवाओं में नशा छुड़ाना, नशा छुड़ाना–सह–प्रतिस्थापन, मोटापा नियंत्रण, सुई और सिरिंज आदान–प्रदान और उपचर्या सेवाएं शामिल हैं।

*विवरण*

*वर्ष 2006 के दौरान सूचित किए गए एड्स के रोगियों में आयु लिंग–वार संवितरण के ब्यौरे*

| क्र.सं. | राज्य/संघ क्षेत्र | एड्स रोगियों की संख्या | | | | | | | | कुल | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | –0–14 | | 15–29 | | 30–59 | | 50+ | | | | |
| | | पुरुष | महिला | पुरुष | महिला | पुरुष | महिला | पुरुष | महिला | पुरुष | महिला | योग |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | अण्डमान निकोबार द्वीप समूह | | | | | | | | | | | |
| 2. | आंध्र प्रदेश | 122 | 100 | 1019 | 1235 | 2623 | 1219 | 341 | 113 | 4105 | 2667 | 6772 |
| 3. | अरूणाचल प्रदेश | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 8 | 5 | 13 |
| 4. | असम | 3 | 1 | 23 | 12 | 54 | 8 | 5 | 1 | 85 | 22 | 107 |
| 5. | बिहार | | | | | | | | | | | |
| 6. | चण्ड़ीगढ़ | 11 | 6 | 52 | 50 | 221 | 83 | 21 | 7 | 305 | 146 | 451 |
| 7. | छत्तीसगढ़ | | | | | | | | | | | |
| 8. | दादरा और नगर हवेली | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. | दमन और द्वीप | | | | | | | | | | | |
| 10. | दिल्ली | 17 | 3 | 59 | 42 | 154 | 49 | 15 | 7 | 245 | 101 | 346 |
| 11. | गोवा | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 8 |
| 12. | गुजरात | 7 | 4 | 45 | 10 | 185 | 64 | 23 | 9 | 260 | 97 | 357 |
| 13. | हरियाणा | 0 | 0 | 35 | 14 | 65 | 13 | 10 | 6 | 110 | 33 | 143 |
| 14. | हिमाचल प्रदेश | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 |
| 15. | जम्मू और कश्मीर | | | | | | | | | | | |
| 16. | झारखण्ड | 1 | 0 | 63 | 37 | 104 | 53 | 0 | 0 | 168 | 90 | 258 |
| 17. | कर्नाटक | | | | | | | | | | | |
| 18. | केरल | | | | | | | | | | | |
| 19. | लक्षद्वीप | | | | | | | | | | | |
| 20. | मध्य प्रदेश | 2 | 3 | 30 | 14 | 83 | 20 | 9 | 0 | 124 | 37 | 161 |
| 21. | महाराष्ट्र | 212 | 164 | 484 | 275 | 1061 | 527 | 166 | 70 | 1923 | 1036 | 2959 |
| 22. | मणिपुर | 2 | 1 | 4 | 6 | 48 | 17 | 0 | 2 | 54 | 26 | 80 |
| 23. | मेघालय | | | | | | | | | | | |
| 24. | मिजोरम | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 25. | नागालैंड | | | | | | | | | | | |
| 26. | उड़ीसा | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 |
| 27. | पांडिचेरी | | | | | | | | | | | |
| 28. | पंजाब | 4 | 4 | 21 | 18 | 47 | 9 | 6 | 3 | 78 | 34 | 112 |
| 29. | राजस्थान | 8 | 10 | 46 | 26 | 126 | 66 | 16 | 4 | 196 | 106 | 302 |
| 30. | सिक्किम | | | | | | | | | | | |
| 31. | तमिलनाडु | 137 | 105 | 726 | 1010 | 2539 | 1190 | 290 | 109 | 3692 | 2414 | 6106 |
| 32. | त्रिपुरा | | | | | | | | | | | |
| 33. | उत्तर प्रदेश | | | | | | | | | | | |
| 34. | उत्तरांचल | | | | | | | | | | | |
| 35. | पश्चिम बंगाल | | | | | | | | | | | |
| | योग | 527 | 401 | 2610 | 2754 | 7328 | 3326 | 904 | 331 | 11369 | 6822 | 18191 |

*[हिन्दी]*

**सॉफ्टवेयर पायरेसी**

**1121. श्री हंसराज गं. अहीर : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सॉफ्टवेयर पायरेसी के कारण सूचना प्रौद्योगिकी उद्योगों को करोड़ों रुपयों का घाटा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अनुमानित घाटा कितना है;

(ग) क्या असेंबल्ड कम्प्यूटरों की बिक्री और खरीद के कारण भी सरकार को राजस्व का घाटा होता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सॉफ्टवेयर क्षेत्र में पायरेसी पर नियंत्रण पाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

**संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद)** : (क) जी, हां।

(ख) बिज़नेस सॉफ्टवेयर अलायंस, जो विश्व के अग्रणी सॉफ्टवेयर विकासकर्त्ताओं का अन्तर्राष्ट्रीय संघ है, के अनुसार भारत में वैयक्तिक कम्प्यूटर के सॉफ्टवेयर चोरी का स्तर वर्ष 2005 में 72% था जिसके फलस्वरूप 566 मिलियन अमरीकी डॉलर (2547 करोड़ रुपए) का अनुमानित नुकसान हुआ। किन्तु, ये आंकड़े प्रमाणित नहीं किए जा सकते क्योंकि यह संगठन उक्त चोरी की सीमा के मूल्यांकन की कार्यविधि स्पष्ट नहीं करता है।

(ग) और (घ) कम्प्यूटरों का उत्पादन उनके पुर्जों के संयोजन से किया जाता है। यदि यह संयोजन असंगठित क्षेत्र में किया जाता है तो सरकारी राजस्व में हानि होने की संभावना है।

(ङ) सरकार द्वारा सॉफ्टवेयर की चोरी रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(i) भारत में सॉफ्टवेयर का बौद्धिक सम्पदा अधिकार (आईटीआर) प्रतिलिप्याधिकार कानून के अंतर्गत आता है जिसका उल्लंघन करने पर अनिवार्य रूप से जुर्माना एवं कारावास हो सकता है। उप–निरीक्षक स्तर का एक अधिकारी बिना किसी वारंट के चोरी से बनाई जाने वाली प्रतियों, अनुलिपियों एवं चोरी से बनाई जाने वाली प्रतियों के लिए इस्तेमाल किए गए अन्य उपस्करों को जब्त करने के लिए सशक्त है। प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम में प्रतिलिप्याधिकार धारक के विशिष्ट प्राधिकरण के बिना कम्प्यूटर कार्यक्रम की किसी प्रति को बेचना अथवा भाड़े पर देना, अथवा बिक्री या भाड़े पर देने की पेशकश करना भी वर्जित है।

(ii) सरकार ने प्रतिलिप्यधिकार प्रवर्तन सलाहकार परिषद भी गठित की है (मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत; जो केन्द्रीय प्रशासनिक मंत्रालय है) जो प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम के प्रवर्तन की प्रगति की समीक्षा करेगी तथा इसके बेहतर प्रवर्तन के लिए नीतिगत एवं प्रवर्तन स्तर पर उपायों की सलाह भी देगी। प्रतिलिप्यधिकार के प्रवर्तन की निगरानी के लिए विशेष कक्ष राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के पुलिस मुख्यालयों में स्थापित किए गए हैं।

(iii) कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर सीमा शुल्क से मुक्त है।

(iv) विभिन्न सरकारी विभागों को सॉफ्टवेयर की वैध प्रतियों का ही इस्तेमाल करने के लिए अनुदेश जारी किए गए हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार और नेसकॉम जागरूकता में वृद्धि करने के लिए सॉफ्टवेयर प्रबंध सेमिनार प्रायोजित करते हैं।

(v) सरकार नैसकॉम के चोरी–विरोधी अभियान को समर्थन दे रही है। नेसकॉम के अन्य उपायों में ये शामिल है : (i) नैसकॉम की सदस्य कम्पनियों के लिए आचरण संहिता का कठोरता से अनुपालन करना; (ii) "सॉफ्टवेयर की चोरी एवं कानून" के बारे में बताने वाली पुस्तिकाओं एवं स्टिकरों का वितरण करना; (iii) चोरी–विरोधी बिलबोर्ड, चोरी संबंधी शिकायतों के लिए हॉटलाइन।

(vi) सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, एक राष्ट्रीय निःशुल्क/मुक्त स्त्रोत सॉफ्टवेयर संसाधन केन्द्र की स्थापना भी कर रहा है जिससे शैक्षणिक तथा लघु एवं मझौले उद्यमों में प्रतिपक्ष स्वामित्व के विकल्प के रूप में प्रमाणित एफ/ओएसएस पैकेजों के समूह का पता लगाकर, मूल्यांकन करके तथा लोकप्रिय बनाकर देश में ऐसे सॉफ्टवेयर की चोरी में कमी करने की प्रभावशीलता का पता लगाया जा सके।

*[अनुवाद]*

**भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा खेलकूद को प्रोत्साहन**

**1122. श्री हितेन बर्मन : क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खेल प्राधिकरण ने खेलकूद को प्रोत्साहन देने तथा राज्य में खिलाड़ियों (एथलीटों) हेतु समुचित प्रशिक्षण सुविधा मुहैय्या कराने हेतु पश्चिम बंगाल में पूर्ण अवसंरचना स्थापित की है;

(ख) यदि हां, तो राज्य में स्थापित ऐसी अवसंरचना, इसकी वर्तमान गतिविधियां/उपलब्धियां तथा दीर्घावधि योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर)** : (क) से (ग) भारतीय खेल प्राधिकरण ने अपने पूर्वोत्तर क्षेत्रीय केन्द्र के प्रशासनिक कार्यालय, खेल अवस्थापना, खेल मैदान, खेल विज्ञान केन्द्र इत्यादि को कोलकाता केन्द्र में स्थापित किया है। भारतीय खेल प्राधिकरण निम्नलिखित केन्द्रों में खिलाड़ियों को प्रशिक्षण भी दे रहा है:–

**भारतीय खेल प्राधिकरण प्रशिक्षण केन्द्र**

1. कोलकाता
2. बर्दवान
3. लेवांग
4. सिलीगुड़ी

**उत्कृष्टता केन्द्र**

कोलकाता

**राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता योजना**

सुकान्त नगर विद्यानिकेतन साल्टलेक सिटी, कोलकाता

**देशज खेल एवं मार्शल आर्टस**

शारदा विहार मंदिर सुदर्शनपुर पो.–रायगंज, जिला–दीनाजपुर।

पिछले दो वर्षों के दौरान, भारतीय खेल प्राधिकरण क्षेत्रीय केन्द्र कोलकाता के विभिन्न खेल विधाओं में राष्ट्रीय स्तर पर 27 खिलाड़ियों ने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 92 खिलाड़ियों ने पदक जीते हैं।

दीर्घावधिक अंग के रुप में, भारतीय खेल प्राधिकरण ने 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पश्चिम बंगाल राज्य सहित देश में निम्नलिखित परिणाम प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है:–

1) योजना अवधि के अंदर विभिन्न खेल संवर्धनकारी योजनाओं में प्रशिक्षणार्थियों की संख्या को बढ़ाना।
2) प्रशिक्षणार्थियों की संख्या बढ़ाने के लिए अपेक्षित खेल सुविधाओं और अन्य अवस्थापना का सृजन करना।
3) खिलाड़ियों को अपेक्षित वैज्ञानिक समर्थन उपलब्ध कराना।
4) राष्ट्रमण्डल खेल 2010, एशियाई खेल, 2008 और ओलम्पिक खेल, 2012 में भारत के पदक तालिका में योगदान देना।
5) भारतीय खेल प्राधिकरण के क्षेत्रीय केन्द्रों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को आवासीय रहन–सहन तथा खानपान का व्यवस्था करना।

*[हिन्दी]*

**आर्थिक विकास और गरीबी उपशमन**

**1123. डा. चिन्ता मोहन :**
**श्री रामजीलाल सुमन :**

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले व्यक्तियों के प्रतिशत में वार्षिक आधार पर केवल 0.79 तक कमी आई है जबकि वर्ष 1999–2000 से 2004–2005 तक की अवधि हेतु औसत वार्षिक विकास दर 6 प्रतिशत रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) उच्च वार्षिक–आर्थिक विकास दर के बावजूद गरीबी उपशमन में प्राप्त असंतोषजनक प्रतिशत का क्या कारण हैं;

(घ) क्या वर्तमान आर्थिक–विकास कार्यक्रमों में परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. राजशेखरन)** : (क) जी, हां। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (एनएसएस) के 61वें दौर के अनंतिम उपभोक्ता व्यय आंकड़ों के आधार पर वर्ष 2004–05 में राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी के अनुपात का लगभग 22 प्रतिशत के रूप में अनुमान लगाया गया है जिसमें ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप दृष्टिकोण पत्र में मिश्रित रिकाल अवधि (एमआरपी) का प्रयोग किया गया है (जिसमें पांच गैर–खाद्य मदों अर्थात् वस्त्र, जूते, टिकाऊ वस्तुओं, शिक्षा और संस्थागत चिकित्सा व्यय के उपभोक्ता व्यय आंकड़े 365 – दिन की रिकाल अवधि से एकत्र किए गए हैं और शेष मदों के लिए उपभोग आंकड़े 30–दिन की रिकाल अवधि से एकत्र किए गए हैं)। एमआरपी उपभोग पर आधारित वर्ष 2004–05 में गरीबी के अनुमानों की (लगभग 22 प्रतिशत) मोटे तौर पर (किन्तु पक्की तरह से नहीं) 1999–2000 के गरीबी आकलनों से तुलना की जा सकती है जो 26.1 प्रतिशत है। इससे वर्ष 1999–2000 से 2004–05 की अवधि के दौरान गरीबी अनुपात में प्रतिवर्ष 0.79 प्रतिशत की कमी होने का संकेत मिलता है।

वर्ष 1999–2000 से 2004–05 के लिए वास्तविक रूप से सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की औसत वार्षिक विकास दर 6 प्रतिशत होने का अनुमान है।

(ख) और (ग) अर्थ व्यवस्था की विकास दर में बढ़ोतरी और गरीबी में कमी के संबंध में जटिल कारक समूहों द्वारा निर्धारित होते हैं। आय में बढ़ोतरी की दर (जीडीपी की विकास दर द्वारा मापित) के अतिरिक्त देश में गरीबी के भार में परिवर्तन को स्पष्ट करने के लिए समस्त क्षेत्रकों

और क्षेत्रों, व्यवसाय एवं सामाजिक वर्ग के बीच इसके फैलाव और जनसंख्या वृद्धि दर पर भी विचार किए जाने की आवश्यकता है।

(घ) और (ङ) ग्यारहवीं योजना अवधि (2007–2012) के दौरान आर्थिक विकास की विस्तृत कार्यनीति को ग्यारहवीं योजना प्रारूप दृष्टिकोण पत्र में निर्दिष्ट किया गया है जिसे राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा विचारार्थ तैयार किया गया है।

*[अनुवाद]*

**बी पी ओ केन्द्रों के लिए**
**प्रशिक्षित व्यक्ति**

**1124. श्री हंसराज गं. अहीर : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आउटसोर्सिंग सेवाएं प्रदान करने में लगे बी पी ओ केन्द्रों के लिए प्रशिक्षित व्यक्तियों का अभाव इस क्षेत्र में देश के एकाधिकार को कथित रूप से खतरा प्रस्तुत कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा देश की बी पी ओ कंपनियों की सफलता सुनिश्चित करने के लिए उनमें प्रशिक्षित कार्मिक लगाये जाने के प्रयास किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या संगठनों द्वारा अपने अनुबंधों के नवीकरण में अनिच्छा दर्शायी गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) आउटसोर्सिंग क्षेत्र में देश के एकाधिकार को बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

**संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद)** : (क) सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अनुभवी एवं क्वालिटी विशेषज्ञों की कमी चिन्ता का विषय है।

(ख) सरकार द्वारा इस संबंध में उठाए गए कदम विवरण में दिए गए हैं।

कई सूचना प्रौद्योगिकी कम्पनियों के अपने प्रशिक्षण केन्द्र हैं जिनमें कर्मचारियों को बीपीओ संबंधी कार्य करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अतिरिक्त, कम्पनियां क्वालिटी तथा सुरक्षा पर अधिक व्यय कर रही हैं जो भारतीय बीपीओ कम्पनियों की वास्तविक क्षमता है।

(ग) जी, नहीं। सॉफ्टवेयर तथा सेवा निर्यात में वर्ष 2005--06 के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में डॉलर की दृष्टि से अनुमानतः 32 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

(घ) और (ङ) ये प्रश्न ही नहीं उठते।

*विवरण*

**सरकार द्वारा उठाए गए कदम** : भारत सरकार तथा नैसकॉम जैसे औद्योगिक संघ समय–समय पर सतत् रूप से सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की आवश्यकताओं पर नज़र रखे हुए हैं। भारत सरकार ने 'सूचना प्रौद्योगिकी में मानव संसाधन विकास' पर एक कार्य दल का गठन किया है जिसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक अनुमानों के अनुसारण में यथोचित रूप से प्रशिक्षित सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों की संख्या से पर्याप्त वृद्धि करने के लिए एक दीर्घावधि नीति तैयार करना है। कार्यदल ने नोट किया है कि जनशक्ति में अंतराल का मुद्दा संस्थागत स्थान की उपलब्धता से उतना संबंधित नहीं है जितना कि इन संस्थानों में उपलब्ध कराई जाने वाली कुशलताओं की प्रकृति और प्रशिक्षण से संबंधित है। अनुवर्ती कार्रवाई में ये शामिल हैं–जैव सूचना विज्ञान, वीएलएसआई डिज़ाइन तथा सूचना सुरक्षा जैसे मुख्य क्षेत्रों में जनशक्ति सृजन के लिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा उपाय करना; नैसकॉम द्वारा एनएसी कार्यक्रम का प्रायोगिक चरण शुरू करना–आईटीईएस–बीपीओ उद्योग की सहायता के लिए नैसकॉम का योग्यता मूल्यांकन; तथा आईटीईएस–बीपीओ क्षेत्र में रोज़गार के लिए युवकों की कुशलताओं में वृद्धि के लिए पूर्वोत्तर एवं जम्मू और कश्मीर में डीओईसीसी द्वारा–आईटीईएस–बीपीओ पाठ्यक्रम कार्यान्वित करना।

इसके अतिरिक्त एआईसीटीई द्वारा किए गए उपायों में ये शामिल हैं : औद्योगिक संघ के साथ सहयोगात्मक परियोजनाओं के जरिए प्रभावशाली उद्योग–संस्था सम्पर्क, पाठ्यचर्या में संशोधन करना ताकि क्वालिटी एवं औद्योगिक उपयुक्तता आदि सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक अपेक्षाएं एवं शिक्षक वर्ग के विकास संबंधी कार्य पूरे किए जा सकें। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा किए गए उपायों में ये शामिल हैं–अनुसंधान एवं प्रशिक्षण सामग्री का अंकीय भण्डार, विश्वविद्यालयों के लिए इंटरनेट सम्पर्क, सूचना संचार एवं कम्प्यूटर शिक्षण, विभिन्न विषयों में शैक्षिक नवीनताएं तथा कैरियर उन्मुखी शिक्षण कार्यक्रम।

उद्योग को अर्हता प्राप्त सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी जनशक्ति उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार, राज्य सरकारों द्वारा निजी क्षेत्र में भी सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किए गए हैं।

**राजस्थान परमाणु ऊर्जा केन्द्र इकाई**
**बंद किया जाना**

**1125. श्री दुष्यंत सिंह** : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान परमाणु ऊर्जा केन्द्र की एक इकाई अक्तूबर, 2004 से बंद है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार की राजस्थान परमाणु ऊर्जा केन्द्र ईकाई द्वारा ऊर्जा उत्पादन के नुकसान हेतु राजस्थान को क्षतिपूर्ति करने की योजना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण)** : (क) और (ख) राजस्थान परमाणु बिजलीघर (आरएपीएस) के यूनिट–। को, उसके पुनर्सज्जीकरण के लिए उसके सामान्य कार्यकरण का विस्तृत अध्ययन करने और तकनीकी–आर्थिक मूल्यांकन करने के लिए अक्तूबर, 2004 से बंद रखा हुआ है।

(ग) और (घ) राजस्थान राज्य को, राजस्थान परमाणु बिजलीघर की 2 से 4 तक की यूनिटों से प्राप्त होने वाले हिस्से के अलावा, नरोरा परमाणु बिजलीघर (एनएपीएस), नरोरा (उत्तर प्रदेश) से भी विद्युत का हिस्सा प्राप्त होता है। राजस्थान राज्य को, राजस्थान परमाणु बिजलीघर यूनिट 5 तथा 6 के वर्ष 2007–08 में प्रत्याशित रूप से पूरा होने पर, विद्युत मंत्रालय द्वारा किए जाने वाले विद्युत के आबंटन में से, इन परियाजनाओं से भी हिस्सा प्राप्त होगा।

(ङ) यह लागू नहीं होता।

*[हिन्दी]*

**भारतीयों के साथ कथित दुर्व्यवहार**

**1126. श्रीमती सुमित्रा महाजन** : क्या **प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुंबई आने वाली उड़ान को दिनांक 23 अगस्त, 2006 को एम्सटर्डम में उतरने के लिए बाध्य किया गया था और इसके यात्रियों से पूछ–ताछ की गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या एम्सटर्डम में अधिकारियों ने यात्रियों से कथित रूप से दुर्व्यवहार भी किया था;

(ग) यदि हां, तो क्या भारत ने इस संबंध में हालैंड से अपना विरोध जताया है, और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में हालैंड की क्या प्रतिक्रिया है?

**प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि)** : (क) से (घ) एम्सटर्डम से मुम्बई आ रही नॉर्थ वेस्ट की उड़ान संख्या एनडब्ल्यू 0042 को पायलट/विमान में मौजूद अमरिकन स्काई मार्शलों के अनुरोध पर वापस एम्सटर्डम बुला लिया गया था। इस उड़ान को 23 अगस्त, 2006 को डच वायुसेना के विमान द्वारा शिफॉल एयरपोर्ट एम्सटर्डम ले जाया गया था। विमान में मौजूद 12 भारतीय यात्रियों को डच प्राधिकारियों द्वारा पूछताछ के लिए रोका गया था।

डच राजदूत को विदेश मंत्रालय में बुलाकर इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना, विशेषकर रोके गये यात्रियों के साथ दुर्व्यवहार पर कड़ी आपत्ति दर्ज की गई थी।

डच प्राधिकारियों ने भारत सरकार द्वारा व्यक्त की गई चिन्ता पर सहमति प्रकट की किन्तु 12 भारतीय यात्रियों के सन्देहास्पद व्यवहार, जिसपर तत्काल सुरक्षात्मक कार्रवाई की जानी आवश्यक थी, की ओर ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने बताया कि डेढ़ दिन में पूछ–ताछ पूरी होते ही न केवल यात्रियों को रिहा कर दिया गया अपितु डच प्राधिकारियों ने उनकी यथाशीघ्र भारत वापसी की व्यवस्था भी की।

हेग में भारतीय मिशन ने न केवल उनकी शीघ्र रिहाई के लिए अपितु उनकी सुरक्षित मुम्बई वापसी को सुनिश्चित करने के लिए डच प्राधिकारियों के साथ मिलकर कार्य किया।

*[अनुवाद]*

**आंध्र प्रदेश में यूरेनियम प्रसंस्करण संयंत्र**

**1127. डा. एम. जगन्नाथ** : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का विचार आंध्र प्रदेश के नलगोंडा जिले में पेड्डागट्टू में यूरेनियम प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रस्तावित परियोजना इस क्षेत्र में ग्रामीणों/किसानों तथा उगाई गई नकदी फसलों को प्रभावित करेगी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

**प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण)** : (क) और (ख) जी, हां। यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (यूसीआई एल) का विचार नालगोंडा जिला, आंध्र प्रदेश में यूरेनियम खानें और एक संसाधन संयंत्र स्थापित करने का है। इन खानों को लम्बापुर–पेड्डागुट्टू में अवस्थित किया जाना प्रस्तावित है। संसाधन संयंत्र को सेरीपल्ली में स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। आशा है कि सभी खानों में प्रतिदिन लगभग 1250 मीटरी टन अयस्क का उत्पादन होगा और उसे संयंत्र में संसाधित किया जाएगा। यह कार्य सभी आवश्यक सांविधिक अनुमतियां प्राप्त होने के बाद ही आरंभ किया जाएगा।

(ग) और (घ) संयंत्र तथा पछोड़न–कुण्ड के लिए 400 एकड़ भूमि की आवश्यकता है, जिसमें से केवल 40 एकड़ भूमि पर ही खेती हो रही है। परियोजना से प्रभावित परिवारों की कुल संख्या, सेरीपल्ली,

मुडीगोंडा तथा वेंकटमपेट गांवों में 306 है। इस प्रकार प्रस्तावित संयंत्र से केवल मामूली–सा प्रभाव पड़ेगा। ग्रामीणों/किसानों और संयत्र के आसपास उगाई जाने वाली नकदी फसल पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(ङ) यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने एक विस्तृत पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना योजना तैयार की है जिसे आंध्र प्रदेश सरकार के साथ परामर्श करके क्रियान्वित किया जाएगा। यह, भूमि के अधिग्रहण के लिए देय मुआवज़े के अतिरिक्त होगा।

**राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की सिफारिशें**

**1128. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने जल, ऊर्जा, पर्यावरण, ज्ञान नेटवर्क, उच्च शिक्षा, बौद्धिक संपदा अधिकारों, परंपरागत ज्ञान और स्वास्थ्य मुद्दों के संबंध में 'पोर्टल्स' स्थापित करने के संबंध में दस सिफारिशों का सेट प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो आयोग द्वारा दी गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इसकी सिफारिशों पर कब तक विचार किए जाने की संभावना है?

**योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन)** : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

**स्तन कैंसर**

**1129. श्री मोहन रावले : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आधुनिक (फास्ट–पेस्ट) जीवन शैली के कारण अनेक युवतियां स्तन कैंसर का शिकार हो रही हैं जैसा कि दिनांक 7 नवम्बर, 2006 "द टाइम्स ऑफ इंडिया" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में आम जनता के बीच जागरूकता उत्पन्न करने के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी)** : (क) और (ख) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार जनसंख्या आधारित कैंसर रजिस्ट्री, दिल्ली के आंकड़ों से 40 वर्ष की आयु से कम की महिलाओं में स्तन कैंसर की आयु विशिष्ट घटना दर में कोई खास बढ़ोत्तरी का पता नही चलता है।

(ग) संशोधित राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम स्कीम के अनुसार, जागरूकता पैदा करके कैंसर का शुरू में पता लगाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। आम जनता में जागरूकता पैदा करने के लिए गैर सरकारी संगठन को सहायता अनुदान दिया जाता है। दूरदर्शन पर 'कल्याणी' नामक कार्यक्रम प्रसारित करके भी कैंसर के बारे में लोगों को जागरूकता पैदा की जा रही है। प्रतिवर्ष 7 नवम्बर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष 7 नवम्बर को 25 क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों समेत देश भर में कैंसर के बारे में राष्ट्र स्तरीय स्वास्थ्य जागरूकता संबंधी गति विधियां की गई थी। इसके अतिरिक्त, कैंसर के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए समाचार पत्र में विज्ञापन तथा रेडियो/टेलीविजन पर भी अभियान चलाए गए हैं।

**परमाणु ऊर्जा संबंधी अध्ययन**

**1130. श्री तरित बरण तोपदार : क्या प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने देश में ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए परमाणु ऊर्जा की लागत प्रभाविता के संबंध में कोई अध्ययन कराया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं?

**योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. राजशेखरन)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

*[हिन्दी]*

**महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के उपभोक्ताओं पर बकाया धनराशि**

**1131. श्री ब्रजेश पाठक : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तिथि तक महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड की दिल्ली के टेलीफोन उपभोक्ताओं पर कुल कितनी धनराशि बकाया है और कितने टेलीफोन उपभोक्ताओं पर धनराशि बकाया है और उनकी क्या–क्या श्रेणियां हैं; और

(ख) टेलिफोन उपभोक्ताओं से बकाया धनराशि वसूलने के लिए सरकार द्वारा कदम उठाए गए हैं?

**संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद)** : (क) दिनांक 31.10.2006 की स्थिति के अनुसार महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के बुनियादी (सीडीएमए सहित)

टेलीफोन उपभोक्ताओं पर छह माह से अधिक समय से कुल बकाया राशि 677.64 करोड़ रु. है तथा छह माह से कम समय से बकाया राशि (मौजूदा बिलिंग) 58.73 करोड़ रु. है। छह माह से अधिक समय से बकाया राशि श्रेणी–वार निम्नानुसार है:–

| | |
|---|---|
| राज्य | 0.58 करोड़ रु. |
| केन्द्र | 6.99 करोड़ रु. |
| प्रतिरक्षा | 2.55 करोड़ रु. |
| संसद सदस्य | 8.65 करोड़ रु. |
| निजी | 658.87 करोड़ रु. |

जीएसएम उपभोक्ताओं के लिए छह माह से अधिक समय से बकाया राशि 75.35 करोड़ रु. है तथा छह माह से कम समय से बकाया राशि 7.68 करोड़ रु. है।

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के गठन से लेकर 31.10. 2006 तक कुल बिलशुदा राशि 73,452.92 करोड़ रु. जिसमें से 31. 10.2006 की स्थिति के अनुसार कुल 819.40 करोड़ रु. (मौजूदा बिलिंग सहित) बकाया हैं। यह बकाया राशि बिल की गई कुल राशि का 1.12 प्रतिशत है।

बिल केवल पोस्ट–पेड उपभोक्ताओं को जारी किए जाते हैं तथा ये बिल ग्राहकों द्वारा दूरसंचार सुविधाओं का उपयोग करने के बाद जारी किए जाते हैं। इसके अलावा बिलों के भुगतान के लिए उपभोक्ताओं को 21 दिन का समय दिया जाता है। इसीलिए, हर समय, अधिकांश ग्राहकों पर एक देय राशि बकाया होती है। 31.10.2006 की स्थिति के अनुसार, कुल मिलाकर लगभग 58.78 लाख रु. के बिलों का भुगतान लंबित है, जिनमें से अधिकांश वर्तमान बिल हैं।

(ख) बकाया देय राशि को कम करने के लिए विभिन्न प्रयास किए जाते हैं नामतः

(i) उन उपभोक्ताओं को 'आटोमेटिड टेलीफोन रिमाइन्डर्स (अनुस्मारक) दिए जाते हैं जो अपने टेलीफोन बिलों के भुगतान में चूक करते हैं।

(ii) इसके अलावा, उपभोक्ताओं के अन्य कार्यरत कनैक्शन यदि कोई है तो, को काटने सहित टेलीफोन काटने संबंधी कार्रवाई भी शुरू की जाती है।

(iii) इसके बाद, उपभोक्ताओं को कानूनी नोटिस भेजे जाते हैं।

(iv) उपर्युक्त प्रयासों का कोई परिणाम न निकलने पर, जहां कहीं संभव हो न्यायालयों में वसूली संबंधी मुकदमें दायर किए जाते हैं।

(v) वसूली एजेंटों के माध्यम से भी बकाया देय, राशि की वसूली के प्रयास किए गए हैं।

*[अनुवाद]*

**चिकित्सा वीजा को जारी करना**

**1132. श्रीमती प्रतिभा सिंह :** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले एक वर्ष के दौरान आज की तिथि तक केन्द्र सरकार को विदेशियों से चिकित्सा वीजा के कुल कितने अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(ख) इनमें से देश–वार कितने लोगों को चिकित्सा वीजा प्रदान किये गये हैं?

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद) :** (क) और (ख) विदेश स्थित भारतीय मिशनों/केन्द्रों से अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और यथा–शीघ्र सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

*[हिन्दी]*

**उत्तर पूर्व क्षेत्र का विकास**

**1133. श्री मोहन सिंह :** क्या **उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय औसत की तुलना में उत्तर पूर्वी राज्यों में कितनी प्रतिशत गरीबी है;

(ख) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा उत्तर पूर्व क्षेत्र के विकास के लिए शुरू की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु क्या आर्थिक और वास्तविक लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं और इनमें अभी तक कितनी प्रगति हुई है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार का विचार उत्तर पूर्वी राज्यों के आर्थिक विकास हेतु एक विशेष पैकेज की घोषणा करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) उत्तर पूर्वी राज्यों के लोगों के उत्थान के लिए क्या उपाय किये गये हैं अथवा किये जाने का विचार है?

**पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) :** (क) योजना आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार उत्तर–पूर्वी राज्यों में गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या की प्रतिशतता 1999–2000 में राष्ट्रीय औसत की तुलना मे निम्न प्रकार था:–

| अरूणाचल प्रदेश | असम | मणिपुर | मेघालय | मिजोरम | नागालैण्ड | सिक्किम | त्रिपुरा | अखिल भारत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.47 | 36.09 | 28.84 | 33.87 | 19.47 | 32.67 | 36.55 | 34.44 | 26.10 |

(ख) और (ग) उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय अव्यपगत केन्द्रीय संसाधन पूल (एन एल सी पी आर) और पूर्वोत्तर परिषद (एन ई सी) के तहत अवस्थापना विकास की परियोजनाएं संस्वीकृत करता है। उन परियोजनाओं जिन्हें इन दो स्कीमों के तहत गत तीन वर्षों के दौरान निधियां आबंटित की गई थीं, के ब्यौरे मंत्रालय की वेबसाईट क्रमशः www.indoner.gov.in / और www.mdoner.gov.in / index3.asp?ssid=148 पर उपलब्ध हैं।

(घ) और (ङ) उत्तर–पूर्वी राज्यों के लिए समय–समय पर अनेक सामाजिक – आर्थिक पैकेजों की घोषणा की गई है। इसके ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :–

| क्र.सं. | घोषणा के माह और वर्ष | शामिल राज्य |
|---|---|---|
| 1. | अक्तूबर, 1998 | सभी उत्तर पूर्वी राज्य |
| 2. | मई, 1997 | असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैण्ड और त्रिपुरा |
| 3. | अप्रैल, 1998 | सभी उत्तर पूर्वी राज्य |
| 4. | जनवरी, 2000 | सभी उत्तर पूर्वी राज्य |
| 5 | अप्रैल, 2003 | सिक्किम |
| 6. | अक्टूबर, 2003 | नागालैण्ड |
| 7. | नवंबर, 2004 | असम और मणिपुर |
| 8 | अक्तूबर, 2005 | त्रिपुरा |
| 9. | जनवरी, 2006 | असम |

(च) उत्तर–पूर्वी राज्यों के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों से केवल उन्हें छोड़कर जिन्हें विशेष रूप से छूट दी गई है, 1998–99 से ही उत्तर–पूर्वी राज्यों के लिए अपने कुल बजट–सहायता (जीबीएस) का 10 प्रतिशत निर्धारित करना अपेक्षित होता है। इन प्रावधानों से खर्च न की गई राशि एन एल सी पी आर में जमा होती है, जिसका प्रशासन इस क्षेत्र में अवसंरचना विकास परियोजनाओं की सहायता के लिए डोनर मंत्रालय द्वारा किया जाता है।

**मोबाइल सेवाओं के कार्यनिष्पादन**

**1134. श्री अजीत जोगी : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छत्तीसगढ़ में ऐसे कितने जिले हैं जहां पर समुचित अवसंरचना के अभाव में मोबाइल सेवाओं में सुधार नहीं हो पा रहा है; और

(ख) सरकार द्वारा ऐसे जिलों में स्थिति को सुधारने के लिए स्थान–वार क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

**संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद)** : (क) और (ख) छत्तीसगढ़ सहित संपूर्ण देश में मोबाइल सेवाओं में तीव्र गति से वृद्धि हो रही है।

भारत संचार निगम लिमिटेड छत्तीसगढ़ के सभी 16 जिला मुख्यालयों और 97 तहसील मुख्यालयों में से 90 मुख्यालयों में सेल्युलर मोबाइल सेवा प्रदान कर रहा है। भा.सं.नि.लि. के अलावा, छत्तीसगढ़ के अधिकतर जिलों/कस्बों में चार निजी दूरसंचार सेवा प्रदाता भी मोबाइल सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।

इस बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए सभी दूरसंचार सेवा प्रदाता अपनी मोबाइल नेटवर्क अवसंरचना में लगातार वृद्धि कर रहे हैं और कार्यनिष्पादन तथा सेवा गुणवत्ता में सुधार करने हेतु अवसंरचना का इष्टतम उपयोग कर रहे हैं।

*[अनुवाद]*

**प्रसव-पूर्व निदान तकनीक**

**1135. डा. के. एस. मनोज : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में प्रसव–पूर्व निदान तकनीक (लिंग निर्धारण निषेध) अधिनियम को कार्यान्वित करने की लागत का आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या चालू वित्तीय वर्ष के दौरान पी एन डी टी अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु बजटीय आबंटन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में कितनी बजटीय सहायता प्रदान की गई है?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी)** : (क) से (घ) कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए प्रसवपूर्व नैदानिक तकनीक (लिंग चयन निषेध) अधिनियम, 1994 बनाया गया था जिसे 1 जनवरी, 1996 से लागू किया गया है। सरकार राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को गर्भपूर्व एवं प्रसवपूर्व नैदानक तकनीक अधिनियम और इस बारे में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों को कड़ाई से लागू करने के लिए समय–समय पर निर्देश जारी करती रही है।

केन्द्र और राज्य दोनों सरकारें गर्भपूर्व एवं प्रसवपूर्व नैदानिक

तकनीक अधिनियम को लागू करने के लिए जागरूकता अभियान चलाती है। इन कार्यकलापों के अलावा, भारत सरकार की राष्ट्रीय निरीक्षण एवं राज्य और जिला स्तर पर निगरानी समिति तथा विनियोजन प्राधिकारी, क्षेत्र स्तर पर अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी करते हैं।

देश में अधिनियम की लागतों का मूल्यांकन करने का कोई कार्य नहीं किया गया है। तथापि राज्यों को प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य–II परियोजना कार्यान्वयन योजना के अंतर्गत खर्चों को शामिल करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। इसके अलावा केन्द्र स्तर पर सूचना शिक्षा एवं सम्प्रेषण बजट के तहत वर्ष 2006–07 के दौरान जागरूकता के लिए 4 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की गई है। मीडिया योजना के अनुसार दूरदर्शन और सेटेलाइट चैनलों पर पी एन डी टी विडियो स्पॉट प्रसारित करने के लिए डी ए वी पी को यह बजटीय सहायता प्रदान की गई है इण्डियन रेडियोंलाजीकल एण्ड इमेजिंग एसोसिएशन को सदस्यों से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार उनके लिए विषय परिचालन कार्यशालाएं आयोजित करने हेतु निधियां प्रदान की गई हैं। उपरोक्त के अलावा, मंत्रालय के सामान्य सूचना शिक्षा एवं सम्प्रेषण (आई ई सी) बजट से पी एन डी टी विषयों के प्रचार–प्रसार को समुचित महत्व दिया गया है।

**वृद्धि और संवितरण के बीच असंतुलन**

**1136. श्रीमती सुशीला बंगारू लक्ष्मण : क्या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन की रिपोर्ट के अनुसार इस अवधि के दौरान बेहतरीन आर्थिक वृद्धि के बावजूद पिछले दशक में गरीब में मात्र 0.74 प्रतिशत तक की गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वृद्धि और संवितरण के बीच इस असंतुलन के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस अंतर को पाटने के लिए क्या उपाय किए जाने पर विचार किया जा रहा है?

**सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी. के. वासन)** : (क) गरीबी अनुमान राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (रा.प्र.सर्वे.सं.) द्वारा आयोजित पंचवर्षीय आधार पर परिवार उपभोक्ता व्यय से संबंधित बृहत्त प्रतिदर्श सर्वेक्षणों के परिणामों के आधार पर तैयार किए जाते हैं। ऐसा पिछला सर्वेक्षण 2004–05 के दौरान रा.प्र. सर्वेक्षण (एनएसएस) के 61वें दौर के भाग के रूप में किया गया था। उपभोग व्यय से संबंधित रिपोर्ट अभी जारी नहीं की गई है। तथापि, 11वीं पंचवर्षीय योजना के अप्रोच पेपर में उपयोग हेतु उपलब्ध कुछ प्रारंभिक परिणामों के आधार पर 2004–05 में राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी अनुपात लगभग 22 प्रतिशत अनुमानित किया गया है। इसके लिए मिश्रित अनुस्मरण अवधि (एमआरपी, जिसमें 365–दिन की अनुस्मरण (रिकॉल) अवधि के आधार पर पांच गैर–खाद्य मदों अर्थात् वस्त्र, जूते–चप्पल, टिकाऊ सामान, शिक्षा तथा संस्थागत चिकित्सा व्यय से संबंधित उपभोक्ता व्यय के आंकड़ों को एकत्रित किया जाता है तथा शेष मदों के लिए उपभोग आंकड़े 30–दिन की अनुस्मारक अवधि के आधार पर एकत्रित किए जाते हैं) का प्रयोग किया गया था। 1993–94 से 2004–05 की अवधि के दौरान गरीबी में गिरावट 0.74 प्रतिशत प्रति वर्ष रही है।

(ख) 2004–05 के दौरान, गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या की प्रतिशतता लगभग 28 प्रतिशत थी जबकि 1993–94 में यह 36 प्रतिशत थी। इस का अर्थ यह हुआ कि इस अवधि के दौरान गरीबी के अनुपात में 0.74 प्रतिशत की गिरावट आई। वस्तुतः 1993–94 से 2004–05 की अवधि के संबंध में सकल घरेलू उत्पादन (जीडीपी) की औसत वार्षिक वृद्धि दर 6.3 प्रतिशत अनुमानित है। अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर में बढ़ोत्तरी और गरीबी–दर में गिरावट के बीच का संबंध विभिन्न घटकों के आधार पर निर्धारित किया जाता है। असमान कृषि विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था में अस्थायित्व एवं जटिलता विकास और वितरण के बीच असंतुलन के कुछ कारण हैं। असमान कृषि विकास के कारण ऐसे कुछ राज्यों एवं क्षेत्रों में जहां रोजगार के अवसर सृजित किए जा सकते थे, विकास बहुत धीमे हुआ और इस विकास के लाभ विभिन्न वर्गों और व्यक्तियों के समुदायों के बीच भिन्न–भिन्न रूप से पहुंच पाए हैं।

(ग) इस अंतर को पाटने के लिए ग्यारहवीं योजना अवधि (2007–2012) के दौरान आर्थिक विकास की व्यापक रणनीति ग्यारहवीं योजना के ड्राफ्ट अप्रोच पेपर में दी गई है जिसे राष्ट्रीय विकास परिषद् के विचारार्थ तैयार किया गया है।

**सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के क्रियान्वयन पर आने वाली लागत**

**1137. एडवोकेट सुरेश कुरुप :**
**डा. वल्लभभाई कथीरिया :**

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के क्रियान्वयन की वित्तीय लागत का आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार अनुमानित लागत का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या चालू वित्तीय वर्ष के दौरान सूचना का अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु बजटीय आबंटन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

**कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा**

**संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी)** : (क) से (घ) सभी लोक प्राधिकारियों को सूचना का अधिकार, अधिनियम के कार्यान्वयन पर होने वाले खर्च को अपने ही साधनों से पूरा करना पड़ता है। तथापि, केन्द्रीय सूचना आयोग को वर्ष 2006–07 के लिए 6.00 (छह) करोड़ रुपए की धनराशि आबंटित की गई है। राज्य सरकारों द्वारा किए गए आबंटनों का ब्योरा केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखा जाता।

*[हिन्दी]*

**भारत-चीन संबंध**

**1138. श्री टेक लाल महतो** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 2006 को भारत–चीन मित्रता वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो पिछले वर्ष की तुलना में मित्रता के इस वर्ष में दोनों देशों के बीच निवेश, व्यापार और लोगों के आवागमन में कुल कितनी वृद्धि हुई है;

(ग) क्या चीनी राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान अनेक समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इनसे भारत को कितना लाभ होने की संभावना है; और

(ङ) चीन के साथ संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

**विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी)** : (क) जी हां।

(ख) वित्तीय वर्ष 2005–06 के दौरान द्विपक्षीय व्यापार 17.62 बिलियन अमरीकी डालर था जो कि पिछले वित्तीय वर्ष 2004–05 के 12.71 बिलियन अमरीकी डालर की तुलना में 38.65 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। दोनों ओर से निवेशों के प्रवाह और लोगों का लोगों के साथ आदान–प्रदान के रूप में सकारात्मक प्रवृत्तियों भी देखने में आयी हैं।

(ग) जी हां।

(घ) चीन के राष्ट्रपति हू जिन्ताओ की भारत यात्रा के दौरान 21 नवंबर, 2006 को एक संयुक्त घोषणा जारी की गई थी। दोनों पक्षों ने निम्नलिखित द्विपक्षीय करारों पर हस्ताक्षर किए गुआंगझु और कोलकाता में प्रधान कौंसलवास खोलना; दोनों विदेश कार्यालयों के बीच सहयोग; भारतीय प्रधान कौंसलवास के लिए शंघाई में भूमि का प्रावधान; निवेशों का संवर्धन एवं संरक्षण; लौह अयस्क निर्यातों के निरीक्षण में सहयोग, भारत से चीन के लिए चावल निर्यात करने के लिए पादप–स्वच्छता आवश्यकता, कृषि अनुसंधान मे सहयोग; शैक्षणिक आदान–प्रदान; सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण; भावी पण्य विनियमन सहयोग; वानिकी सहयोग; चोरी की रोकथाम, प्रच्छन्न उत्खनन तथा सांस्कृतिक संपत्तियों का अवैध आयात एवं निर्यात और भारतीय लोक प्रशासन संस्थान तथा चीन कम्यूनिस्ट पार्टी का सेंट्रल पार्टी स्कूल के साथ सहयोग।

ये अन्याय करार भारत–चीन संबंधों की प्रगति और विविधीकरण में योगदान करेंगे।

(ङ) भारत–चीन संबंधों को एक नए मुकाम पर पहुंचाने के लिए भारत–चीन संबंधों को और आगे बढ़ने और उनकी सामरिक एवं सहयोगी सह–भागिता को और अधिक सुदृढ़ और बल प्रदान करने के लिए राष्ट्रपति हू जिन्ताओ की भारत यात्रा के दौरान 21 नवंबर, 2006 को जारी संयुक्त घोषणा–पत्र में एक दस स्तरीय रणनीति का खुलासा किया गया है। इस रणनीति के तत्वों में शामिल हैं; द्विपक्षीय संबंधों का व्यापक विकास सुनिश्चित करना; वाणिज्यिक एवं आर्थिक आदान–प्रदानों को समन्वित करना; समग्र परस्पर लाभकारी सहयोग का विस्तार करना; रक्षा सहयोग के माध्यम से विश्वास एवं भरोसा जागृत करना; बकाए मुद्दों का शीघ्र समाधान चाहना; सीमा–पार संपर्क एवं सहयोग को बढ़ावा देना; विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में सहयोग को बल देना; सांस्कृतिक संबधों को सुदृढ़ करना और लोगों का लोगों के साथ आदान–प्रदान को संपुष्ट करना; और क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर सहयोग का विस्तार करना।

*[अनुवाद]*

**'एम्स' के कार्यकरण में सुधार**

**1139. श्री परशुराम माझी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के कार्यकरण में सुधार का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई कदम उठाया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में गरीब रोगियों की भर्ती को सुकर बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पल्लाबाका लक्ष्मी)** : (क) से (घ) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की कार्यप्रणाली में सुधार लाने के लिए डा. एम. एस. वलायथन, श्री पी. के. होता, तत्कालीन सचिव, (स्वा. एवं प.क.), डा. एम. के. भान, सचिव, जैवप्रौद्योगिकी विभाग और डा. आर. के. श्रीवास्तव, स्वास्थ्य सेवा

महानिदेशक वाली एक समिति गठित की गई थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जिसकी जांच की जा रही है।

(ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

**काल सेन्टरों/बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग हेतु व्यापक विधान**

**1140. श्री के. सुब्बारायण :** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में कार्यरत काल सेन्टरों/बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग और ऐसे कार्य करने वाले लोगों की संख्या का पता लगाने के संबंध में कोई आकलन कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार इन काल सेन्टरों/बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंगों के कार्यों को विनियमित करने के लिए व्यापक केन्द्रीय विधान बनाने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

**संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद)** : (क) और (ख) भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (इंडिया) के अनुसार लगभग 1250 आईटीईएस–बीपीओ इकाइयां निर्यातोन्मुखी इकाइयों के रूप में पंजीकृत की गई हैं। नैसकॉम के अनुसार देश में लगभग 450 काल सेंटर/बीपीओ हैं। नैसकॉम के अनुमान इस समय लगभग 415,000 प्रत्यक्ष रोज़गार हैं।

(ग) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) से (च) आईटीईएस–बीपीओ क्षेत्र लाइसेंस मुक्त कर दिया गया है तथा पक्षों के बीच पारस्परिक सहमति से प्रचालन किए जाते हैं। आंकड़ा तथा सूचना सुरक्षा एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है तथा यह किसी देश विशेष के लिए अनूठा नहीं है। सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

(i) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 में संशोधन करना ताकि आंकड़ा संरक्षण और सूचना की गोपनीयता से संबंधित विनियामक ढांचे को सुदृढ़ किया जा सके।

(ii) देश में सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं तथा बीपीओ प्रचालन के लिए व्यापक सुरक्षा आश्वासन ढांचा तैयार करना।

(iii) नैसकॉम ने देश में सूचना प्रौद्योगिकी सेवा उद्योग के कर्मचारियों की राष्ट्रीय रजिस्ट्री का गठन कर लिया है।

**अनिवासी भारतीयों को मताधिकार**

**1141. श्री चेंगरा सुरेन्द्रन :**
**श्रीमती सी. एस. सुजाता :**

क्या **प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनिवासी भारतीय को मताधिकार देने के संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या इस संबंध में प्रस्तुत की गई रिपोर्ट की जांच कर ली गई है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले?

**प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि)** : (क) से (ग) उन भारतीय नागरिकों, जो भारत से बाहर अपने रोजगार, शिक्षा अथवा अन्य कारण से अपने सामान्य निवास के स्थान से अनुपस्थित रहते हैं, को मतदाता सूचियों में अपना नाम दर्ज कराने और चुनाव के समय जब वे अपने निर्वाचन क्षेत्र में हों तो उन्हें वोट डालने में सक्षम बनाने की दृष्टि से, सरकार ने 27.02.2006 को राज्य सभा में जन प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 2006 प्रस्तुत किया था। इस विधेयक को जांच के लिए कार्मिक, लोक शिकायत, विधि एवं न्याय विभाग से संबंधित संसदीय स्थायी समिति को भेजा गया था। समिति ने 4 अगस्त, 2006 को अपनी रिपोर्ट राज्य सभा में प्रस्तुत की/लोक सभा में रखी। विधायी विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय में इस रिपोर्ट का अध्ययन किया जा रहा है।

**संयुक्त राष्ट्र पर बकाया धनराशि**

**1142. श्री रेवती रमन सिंह :** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र पर शांति अभियानों में इसकी भूमिका हेतु भारतीय सेना की तैनाती के संबंध में तथा अन्य शीर्षों में कितनी धनराशि बकाया है, यदि कोई हो तो;

(ख) भुगतान में विलंब के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए है?

**विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी)** : (क) 31 अक्तूबर, 2006 तक की स्थिति के अनुसार संयुक्त राष्ट्र शाति रक्षा अभियानों में भारत की मौजूदा तैनाती से संबंधित 147.516 मिलियन अमरीकी डालर की राशि संयुक्त राष्ट्र संघ में बकाया है।

(ख) और (ग) भारत तथा अन्य देश, जिनके सैनिक शांति

अभियानों में भाग लेते हैं, को भुगतान करने में विलंब का मुख्य कारण संयुक्त राष्ट्र के कुछ सदस्य–राष्ट्रों द्वारा अपने अनिवार्य वित्तीय अंशदान को रोक रखना अथवा देने में विलंब करना है। सरकार निरन्तर इस मसले को संयुक्त राष्ट्र संघ के प्राधिकारियों तथा अन्य सदस्य–राष्ट्रों के साथ सक्रियतापूर्वक उठा रही है। सरकार ने इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र महासभा तथा उसकी प्रशासनिक एवं बजटीय प्रश्नों संबंधी परामर्शदात्री समिति में भी उठाया है।

*[हिन्दी]*

**अनुकंपा के आधार पर नौकरी**

**1143. चौधरी मुनव्वर हसन :** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत 31 अक्तूबर, 2006 की स्थिति के अनुसार अनुकम्पा के आधार पर नौकरी प्रदान करने संबंधी विभिन्न सर्किलों में लंबित मामलों की संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ख) एमटीएनएल/बीएसएनएल/डाक सेवाओं के विभिन्न सर्किलों के अंतर्गत लंबित मामलों का वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ग) लंबित मामलों को निपटाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं; और

(घ) सभी लंबित मामलों को कब तक निपटा दिए जाने की संभावना है?

**संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) :** (क) दिनांक 31 अक्तूबर, 2006 की स्थिति के अनुसार एमटीएनएल, बीएसएनएल तथा डाक सेवाओं में विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत अनुकंपा के आधार पर नौकरी के संबंध में विभिन्न सर्किलों में लंबित मामलों के सर्किल–वार ब्यौरे क्रमशः विवरण – I, II और III में दिए गए हैं।

(ख) एमटीएनएल, बीएसएनएल तथा डाक सेवाओं के विभिन्न सर्किलों के अंतर्गत लंबित मामलों के वर्षवार ब्यौरे क्रमशः विवरण IV, V और VI में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) **एमटीएनएल :** महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) प्रबंधन ने दिनांक 16.02.2004 को आयोजित बोर्ड की बैठक में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्णय किया है।

**बीएसएनएल :** भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा निर्धारित अनुकंपा के आधार पर नियुक्तियों से संबंधित मानदंडों का अनुपालन किया जा रहा है। अनुकंपा आधार पर नियुक्तियां गैर–कार्यपालक श्रेणी के पदों में सीधी भर्ती कोटे के अंतर्गत वर्ष के भीतर होने वाले रिक्त पदों के अधिकतम 5% तक की जा सकती है। लंबित मामलों का निपटान अनुकंपा आधार पर नियुक्त कोटे में रिक्त पदों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए उत्तरोत्तर रूप से किया जाता है। इस प्रकार यह एक सतत प्रक्रिया है।

**डाक सेवाएं :** प्रत्येक डाक सर्किल में एक सर्किल रियायत समिति होती है जिसकी बैठक वार्षिक सीधी भर्ती योजना की शुरूआत से पूर्व शीर्ष (नोडल) मंत्रालय द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार मामलों की उद्देश्यपरक ढंग से जांच करने के लिए आयोजित होती है। सर्किल रियायत समिति द्वारा सभी मामलों की जांच की जाती है और अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए केवल दीनहीन मामलों की संस्तुति की जाती है। अत्यंत निर्धन आवेदकों के मामलों पर तीन वर्षों की अवधि तक विचार किया जाता है। इस प्रकार यह एक सतत् प्रक्रिया है।

***विवरण-I***

*दिनांक 31 अक्तूबर, 2006 की स्थिति के अनुसार – एमटीएनएल में अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति की सर्किल–वार स्थिति*

| क्र.सं. | सर्किल का नाम | मामलों की संख्या |
|---|---|---|
| 1. | दिल्ली | 676 |
| 2. | मुंबई | 604 |
| | कुल | 1280 |

**टिप्पणी :**

(i) सार्वजनिक क्षेत्र के एक उपक्रम के रूप में एमटीएनएल के स्टाफ की केवल दो श्रेणियां है। अर्थात् कार्यपालक और गैर–कार्यपालक। अनुकंपा आधार पर नियुक्तियां केवल गैर–कार्यपालक श्रेणी में प्रदान की जाती है।

***विवरण-II***

*31 अक्तूबर, 2006 की स्थिति के अनुसार बीएसएनएल में अनुकंपा आधार पर नौकरी देने संबंधी लंबित मामलों की सर्किलवार स्थिति*

| सर्किल | गैर–कार्यपालक श्रेणी में अनुकंपा आधार पर नौकरी दिए जाने के लिए अनुमोदित अभ्यर्थी |
|---|---|
| 1 | 2 |
| अंडमान और निकोबार | 0 |
| आंध्र प्रदेश | 7 |
| असम | 29 |
| बिहार | 90 |
| छत्तीसगढ़ | 21 |
| गुजरात | 0 |
| हरियाणा | 15 |

| 1 | 2 |
|---|---|
| हिमाचल प्रदेश | 0 |
| जम्मू और कश्मीर | 0 |
| कर्नाटक | 153 |
| केरल | 185 |
| मध्य प्रदेश | 60 |
| महाराष्ट्र | 45 |
| पूर्वोत्तर–I | 0 |
| पूर्वोत्तर–II | 17 |
| पंजाब | 72 |
| उड़ीसा | 30 |
| राजस्थान | 39 |
| तमिलनाडु | 118 |
| उत्तर प्रदेश (पश्चिम) | 63 |
| उत्तर प्रदेश (पूर्व) | 224 |
| झारखंड | 0 |
| उत्तरांचल | 18 |
| चेन्नई टेलीफोन्स | 59 |
| पश्चिम बंगाल | 9 |
| कलकत्ता दूरसंचार जिला | 0 |
| एनटीआर | 1 |
| जोड़ | 1255 |

नोट:

(i) सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम होने के नाते बीएसएनएल के पास स्टाफ की केवल दो ही श्रेणियां हैं कार्यपालक और गैर कार्यपालक। अनुकंपा आधारित नियुक्तियां केवल गैर–कार्यपालक श्रेणी में ही दी जाती हैं।

(ii) ऊपर दर्शाए गए आंकड़े अनुमोदित मामलों के संबंध में है और इनमें उच्चाधिकार प्राप्त समितियों के विचारार्थ पड़े लंबित मामले शामिल नहीं हैं।

*विवरण-III*

*विभिन्न डाक सर्किलों में लंबित मामलों का श्रेणीवार विवरण*

| क्र. सं. | सर्किल का नाम | 31.10.2006 की स्थिति के अनुसार लंबित मामलों का श्रेणीवार ब्यौरा | | | कुल |
|---|---|---|---|---|---|
| | | पीए/एसए | डाकिया | समूह ध | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | असम | 5 | 6 | 3 | 14 |
| 2. | आंध्र प्रदेश | 66 | 49 | 39 | 154 |
| 3. | बिहार | 133 | 69 | 48 | 250 |
| 4. | छत्तीसगढ़ | 15 | 6 | 3 | 24 |
| 5. | दिल्ली | 38 | 23 | – | 61 |
| 6. | गुजरात | 19 | 37 | 28 | 84 |
| 7. | हरियाणा | 26 | 12 | 12 | 50 |
| 8. | हिमाचल प्रदेश | 9 | 4 | 9 | 23 |
| 9. | जम्मू और कश्मीर | 1 | 2 | 10 | 13 |
| 10. | झारखंड | 17 | 6 | 9 | 32 |
| 11. | कर्नाटक | 46 | 63 | 50 | 159 |
| 12. | केरल | 11 | 16 | 11 | 38 |
| 13. | मध्य प्रदेश | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 14. | महाराष्ट्र | 215 | 119 | 235 | 569 |
| 15. | पूर्वोत्तर | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 16. | उड़ीसा | 20 | 18 | 30 | 68 |
| 17. | पंजाब | 24 | 14 | 25 | 63 |
| 18. | राजस्थान | 31 | 3 | 16 | 50 |
| 19. | तमिलनाडु | 216 | 158 | 248 | 622 |
| 20. | उत्तर प्रदेश | 148 | 57 | 53 | 258 |
| 21. | उत्तरांचल | 26 | 12 | 5 | 43 |
| 22. | पश्चिम बंगाल | 88 | 37 | 81 | 206 |

*विवरण-IV*

*अनुकंपा आधार पर नियुक्ति के लिए एमटीएनएल में लंबित मामलों का वर्षवार ब्यौरा*

| वर्ष | लंबित मामलों की कुल संख्या | |
|---|---|---|
| | दिल्ली | मुंबई |
| 1995 | 2 | 1 |
| 1998 | 1 | 4 |
| 1999 | 3 | 3 |
| 2000 | 8 | 7 |
| 2001 | 49 | 33 |
| 2002 | 127 | 83 |
| 2003 | 84 | 158 |
| 2004 | 173 | 107 |
| 2005 | 148 | 138 |
| 2006 (31.10.06) | 81 | 70 |
| जोड़ | 676 | 604 |

**विवरण-V**

*भारत संचार निगम लिमिटेड में अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति देने हेतु लंबित अनुमोदित मामलों का वर्ष–वार ब्यौरा*

| सर्किल | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 31.10.06 की स्थिति के अनुसार जोड़ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| अंडमान और निकोबार | – | – | – | – | – | – | 0 |
| आंध्र प्रदेश | – | – | – | – | 7 | – | 7 |
| असम | – | – | 29 | – | – | – | 29 |
| बिहार | – | – | 38 | – | 52 | – | 90 |
| छत्तीसगढ़ | – | – | – | – | 21 | – | 21 |
| गुजरात | – | – | – | – | – | – | 0 |
| हरियाणा | – | – | – | – | – | 15 | 15 |
| हिमाचल प्रदेश | – | – | – | – | – | – | 0 |
| जम्मू और कश्मीर | – | – | – | – | – | – | 0 |
| कर्नाटक | – | – | – | – | – | 153 | 153 |
| केरल | – | – | 2 | 60 | 59 | 64 | 185 |
| मध्य प्रदेश | – | – | 60 | – | – | – | 60 |
| महाराष्ट्र | – | – | – | – | 29 | 16 | 45 |
| पूर्वोत्तर–I | – | – | – | – | – | – | 0 |
| पूर्वोत्तर–II | – | – | – | – | 2 | 15 | 17 |
| पंजाब | – | – | 2 | 20 | 22 | 28 | 72 |
| उड़ीसा | – | 6 | 8 | 15 | 1 | – | 30 |
| राजस्थान | – | – | – | – | – | 39 | 39 |
| तमिलनाडु | – | – | – | – | 69 | 49 | 118 |
| उत्तर प्रदेश (पश्चिम) | – | – | 34 | 21 | 7 | 1 | 63 |
| उत्तर प्रदेश (पूर्व) | – | 15 | 124 | 34 | 22 | 29 | 224 |
| झारखंड | – | – | – | – | – | – | 0 |
| उत्तरांचल | – | – | – | – | 5 | 13 | 18 |
| चेन्नई टेलीफोन | – | – | – | – | 8 | 51 | 59 |
| पश्चिम बंगाल | – | – | – | – | – | 9 | 9 |
| कलकत्ता दूरसंचार जिला | – | – | – | – | – | – | 0 |
| एनटीआर | – | – | – | – | 1 | – | 1 |
| जोड़ | – | 21 | 297 | 150 | 305 | 482 | 1255 |

*विवरण-VI*

*विभिन्न डाक सर्किलों में लंबित मामलों का वर्ष-वार ब्यौरा*

| क्र. सं. | सर्किल का नाम | वर्ष | 31 अक्तूबर 2006 की स्थिति के अनुसार श्रेणीवार लंबित मामलों का ब्यौरा | | | जोड़ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | पीए/एसए | डाकिया | समूह घ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | असम | 2002 | – | – | – | – |
| | | 2003 | – | – | – | – |
| | | 2004 | – | – | – | – |
| | | 2005 | – | – | – | – |
| | | 2006 | 5 | 6 | 3 | 14 |
| 2. | आंध्र प्रदेश | 2002 | – | – | – | – |
| | | 2003 | – | – | – | – |
| | | 2004 | – | – | – | – |
| | | 2005 | 32 | 25 | 20 | 77 |
| | | 2006 | 34 | 24 | 19 | 77 |
| 3. | बिहार | 2002 | 32 | 12 | 16 | 60 |
| | | 2003 | 30 | 14 | 6 | 50 |
| | | 2004 | 29 | 20 | 13 | 62 |
| | | 2005 | 27 | 13 | 5 | 45 |
| | | 2006 | 15 | 10 | 8 | 33 |
| 4. | छत्तीसगढ़ | 2002 | – | – | – | – |
| | | 2003 | – | – | – | – |
| | | 2004 | 4 | 2 | – | 6 |
| | | 2005 | 7 | 2 | 3 | 12 |
| | | 2006 | 4 | 2 | – | 6 |
| 5. | दिल्ली | 2002 | – | – | – | – |
| | | 2003 | – | – | – | – |
| | | 2004 | – | – | – | – |
| | | 2005 | 21 | 13 | – | 34 |
| | | 2006 | 17 | 10 | – | 27 |
| 6. | गुजरात | 2002 | – | 2 | – | 2 |
| | | 2003 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| | | 2004 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| | | 2005 | 4 | 15 | 10 | 29 |
| | | 2006 | 13 | 15 | 14 | 42 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | हरियाणा | 2002 | – | – | – | – |
| | | 2003 | – | – | – | – |
| | | 2004 | – | – | – | – |
| | | 2005 | 14 | 5 | 7 | 26 |
| | | 2006 | 12 | 7 | 5 | 24 |
| 8. | हिमाचल प्रदेश | 2002 | – | – | – | – |
| | | 2003 | 1 | – | 2 | 3 |
| | | 2004 | 2 | – | – | 2 |
| | | 2005 | 1 | 3 | 5 | 9 |
| | | 2006 | 5 | 1 | 2 | 8 |
| 9. | जम्मू और कश्मीर | 2002 | – | – | 3 | 1 |
| | | 2003 | – | 2 | 4 | 6 |
| | | 2004 | – | – | 2 | 2 |
| | | 2005 | – | – | 1 | 1 |
| | | 2006 | 1 | – | 2 | 3 |
| 10. | झारखंड | 2002 | – | – | – | – |
| | | 2003 | – | – | – | – |
| | | 2004 | – | – | – | – |
| | | 2005 | 7 | 5 | 7 | 19 |
| | | 2006 | 10 | 1 | 2 | 13 |
| 11. | कर्नाटक | 2002 | – | – | – | – |
| | | 2003 | – | – | – | – |
| | | 2004 | – | – | – | – |
| | | 2005 | 18 | 42 | 36 | 96 |
| | | 2006 | 28 | 21 | 14 | 63 |
| 12. | केरल | 2002 | – | – | – | – |
| | | 2003 | – | – | – | – |
| | | 2004 | 2 | 3 | 1 | 6 |
| | | 2005 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| | | 2006 | 8 | 12 | 9 | 29 |
| 13. | मध्य प्रदेश | 2002 | – | – | – | – |
| | | 2003 | – | – | – | – |
| | | 2004 | – | – | – | – |
| | | 2005 | – | – | – | – |
| | | 2006 | 2 | 1 | 2 | 5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14. | महाराष्ट्र | 2002 | 46 | 33 | 38 | 117 |
| | | 2003 | 46 | 23 | 71 | 140 |
| | | 2004 : 2005 | 109 | 58 | 122 | 389 |
| | | 2006 | 14 | 05 | 04 | 19 |
| 15. | पूर्वोत्तर | 2002 | – | – | – | – |
| | | 2003 | – | – | 1 | 1 |
| | | 2004 | – | – | – | – |
| | | 2005 | – | – | – | – |
| | | 2006 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 16. | उड़ीसा | 2002 | – | – | – | – |
| | | 2003 | – | – | – | – |
| | | 2004 | 1 | – | – | 1 |
| | | 2005 | 1 | 4 | 20 | 25 |
| | | 2006 | 18 | 14 | 10 | 42 |
| 17. | पंजाब | 2002 | 1 | 1 | – | 2 |
| | | 2003 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| | | 2004 | 2 | – | 5 | 7 |
| | | 2005 | 2 | 4 | 10 | 16 |
| | | 2006 | 16 | 7 | 9 | 32 |
| 18. | राजस्थान | 2002 | – | – | – | – |
| | | 2003 | – | – | – | – |
| | | 2004 | 5 | – | 4 | 9 |
| | | 2005 | 9 | 7 | 4 | 16 |
| | | 2006 | 17 | – | 8 | 25 |
| 19. | तमिलनाडु | 2000 तक | 216 | 158 | 248 | 622 |
| 20. | उत्तर प्रदेश | 2002 | 6 | 3 | 4 | 13 |
| | | 2003 | 7 | 4 | 6 | 17 |
| | | 2004 | 9 | 6 | 8 | 23 |
| | | 2005 | 79 | 21 | 10 | 110 |
| | | 2006 | 47 | 23 | 25 | 95 |
| 21. | उत्तरांचल | 2002 | – | – | – | – |
| | | 2003 | 4 | 3 | – | 7 |
| | | 2004 | 4 | 4 | 1 | 9 |
| | | 2005 | 8 | 2 | 2 | 12 |
| | | 2006 | 10 | 3 | 2 | 15 |
| 22. | पश्चिम बंगाल | 2002 | 5 | 5 | 6 | 16 |
| | | 2003 | 8 | 1 | 9 | 18 |
| | | 2004 | 11 | 3 | 18 | 32 |
| | | 2005 | 32 | 17 | 19 | 68 |
| | | 2006 | 32 | 11 | 29 | 72 |

*[अनुवाद]*

**अन्य पिछड़े वर्गों/अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या**

**1144. श्री काशीराम राणा** : क्या **सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एन एस एस ओ) के अद्यतन अध्ययन के अनुसार अन्य पिछड़े वर्गों/अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों की अलग-अलग जनसंख्या कितनी है; और

(ख) पिछली सर्वेक्षण रिपोर्ट की तुलना में प्रत्येक समुदाय में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है?

**सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी. के. वासन)** : (क) और (ख) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के 55वें (1999-2000) और 61वें (2004-05) दौर के सर्वेक्षणों के परिणामों के अनुसार कुल अनुमानित जनसंख्या की तुलना में अनुसूचित जनजाति/ अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या के अनुमानित प्रतिशत के साथ पिछले सर्वेक्षण के परिणामों की तुलना में प्रत्येक समुदाय में वृद्धि का प्रतिशत नीचे दिया गया है:

| वर्ष | अनुसूचित जनजाति (प्रतिशत) | अनुसूचित जाति (प्रतिशत) | अन्य पिछड़ा वर्ग (प्रतिशत) |
|---|---|---|---|
| 1999-2000 | 8.9 | 19.6 | 35.8 |
| 2004-05 | 8.4 | 19.7 | 41.1 |
| प्रतिशत वृद्धि | -0.5 | 0.1 | 5.3 |

**एड्स के बढ़ते मामले**

**1145. श्री असादूद्दीन ओवेसी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन तथा नेशनल काउन्सिल ऑफ अपलाइड इकोनामिक रिसर्च (एन सी ए ई आर) ने जानकारी दी है कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर तथा नागालैंड राज्यों में देश में सबसे ज्यादा एच आई वी/एड्स के मामले हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या प्रभावित परिवारों के बच्चों को शिक्षा के अधिकार से वंचित किया जा रहा है;

(घ) क्या इसके परिणामस्वरूप व्यस्क व्यक्तियों को भी नौकरियां नहीं दी जा रही हैं; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी)** : (क) और (ख) राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान और राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान सांख्यिकी संस्थान (भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद) की सहायता से उच्च जोखिम वाले लोगों, यौन संचारित संक्रमण वाले रोगियों और प्रसवपूर्ण माताओं में प्रत्येक वर्ष प्रहरी निगरानी करता है। विभिन्न वर्ग के लोगों में एच आई वी व्याप्तता के परिणामों के आधार पर छह राज्यों को उच्च व्याप्तता वाले राज्य घोषित किए गए हैं जहां प्रसव पूर्व माताओं में एच आई वी व्याप्तता 1% से अधिक पाई गई है। ये राज्य तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर एवं नागालैंड।

(ग) से (ङ) राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम में अधिकार आधारित दृष्टिकोण अपनाया गया है और इस प्रकार प्रभावित परिवारों के किसी भी बच्चे को शिक्षा या रोजगार के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा।

**विदेशों में निवेश केन्द्रों की स्थापना**

**1146. श्री ई. जी. सुगावनम :**
**श्री के. सी. पल्लानी शामी :**

क्या **प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का प्रवासी भारतीयों से निवेश आकर्षित करने के लिए विदेशों में ओवरसीज निवेश केन्द्रों की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इनकी स्थापना हेतु किन-किन स्थानों की पहचान की गई है;

(ग) किन-किन देशों में ओवरसीज़ केन्द्रों की स्थापना की जा चुकी है;

(घ) इन केन्द्रों का कार्यकरण क्या होगा तथा भविष्य में किन-किन देशों में इनकी स्थापना किए जाने की संभावना है; और

(ङ) इन केन्द्रों की कब तक स्थापना किए जाने की संभावना है?

**प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि)** : (क) से (ङ) जी नहीं। यद्यपि खाड़ी देशों में प्रवासी भारतीय श्रमिकों को चिकित्सकीय, कानूनी और वित्तीय परामर्श आदि प्रदान करने हेतु शीघ्र ही दुबई में एक प्रवासी भारतीय केन्द्र स्थापित करने का निर्णय किया गया है।

**राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन हेतु विदेशी सहायता**

**1147. श्री के. सी. पल्लानी शामी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन हेतु केन्द्र सरकार को विदेशी सहायता प्राप्त हुई है/प्राप्त होने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसकी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इसकी सफलता के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी)** : (क) और (ख) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन निम्नलिखित कार्यक्रमों सहित चल रहे स्वास्थ्य क्षेत्र के कई कार्यक्रमों को एकीकृत करता है जिनको विदेशी धन की सहायता प्राप्त होती है:–

(i) प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आर सी एच–II)–3748 करोड़ रुपए–इसके समान विदेशी सहायता

(ii) संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम –1297.80 करोड़ रुपए–इसके समान विदेशी सहायता

(iii) राष्ट्रीय वेक्टर जन्य रोग नियंत्रण कार्यक्रम –317 करोड़ रुपए–इसके समान विदेशी सहायता

(iv) एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम – 306.27 करोड़ रुपए – इसके समान विदेशी सहायता

भारत सरकार कार्यक्रम की अवधि में वास्तविक व्यय के लिए चरणों में इंगित स्तर में विदेशी सहायता प्राप्त करती है।

(ग) केन्द्रीय सरकार ने संबंधियों से परामर्शों की एक प्रक्रिया के माध्यम से राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की विभिन्न कार्यनीतियों को तैयार करने और उनका ब्यौरा देने में सहायता की। इन कार्यनीतियों को क्रियान्वित करने के लिए जिन राज्यों में संस्थागत ढांचा स्थापित किया गया है उनको विभिन्न कार्यनीतियों से संबंधित दिशानिर्देश भेज दिए गए हैं। राज्य और जिला स्वास्थ्य मिशन चला दिए गए हैं और राज्यों को जारी दिशानिर्देशों के आधार पर एकीकृत राज्य स्वास्थ्य सोसाइटियां बना दी गई हैं। केन्द्र सरकार ने भी राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के कार्यान्वयन का एक विस्तृत ढांचा तैयार कर लिया है और उसके कार्यान्वयन हेतु राज्यों को जानकारी दी गई है। इस ढांचे में कार्यनीतियों, समय (टाइमलाइन्स), मानदंडों और संभावित परिणामों का ब्यौरा दिया गया है जो राज्यों की इस मिशन को चलाने के लिए सहायता करता है।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के कार्यकलापों को समय पर पूरा करने के कार्य को सुनिश्चित करने के लिए, मंत्रालय राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन से संबंधित प्रचालनात्मक मुद्दों को स्पष्ट करने के लिए राज्य के प्रतिनिधियों की नियमित रूप से समीक्षा बैठकें बुलाता है।

**पंचायती राज प्रणाली के लिए धनराशि**

**1148. श्री जी. करुणाकर रेड्डी** : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य/संघ शासित प्रदेशों द्वारा पंचायती राज प्रणाली के अंतर्गत आबंटित/जारी तथा उपभोग में लाई गई धनराशि का राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कर्नाटक राज्य सरकार ने और धनराशि की मांग की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर)** : (क) पंचायती राज मंत्रालय मई, 2004 में गठित किया गया था। वर्ष 2004–05 में मंत्रालय के पास पंचायत विकास तथा प्रशिक्षण की केवल एक स्कीम थी जिसके तहत राज्य सरकारों को निधियां दी गयी थीं। वर्ष 2005–06 के दौरान भी पंचायती राज संस्थानों के निर्वाचित प्रतिनिधियों तथा कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण के लिए राज्यों को निधियां दी गयी थी। राज्य सरकारों को निर्मुक्त निधियों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। निधियों के समुपयोजन की प्रक्रिया चल रही है तथा राज्य सरकारों से समुपयोजन प्रमाण–पत्र/भौतिक प्रगति रिपोर्ट अभी भी पूर्ण रूपेण प्राप्त करनी शेष हैं।

(ख) और (ग) कर्नाटक सरकार ने वर्ष 2005–06 के दौरान पंचायती राज संस्थानों के निर्वाचित प्रतिनिधियों तथा कार्यकर्त्ताओं के सेटलाइट आधारित प्रशिक्षण के लिए निधियां देने का अनुरोध किया था।

(घ) पंचायती राज मंत्रालय ने 3,63,95,250/– रुपये अब्दुल नाजिर साब स्टेट इंस्टीच्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट (ए एन एस एस आई आर डी) मैसूर कर्नाटक के लिए केन्द्रीय अनुदान के रूप में मंजूर किए थे तथा अक्तूबर, 2005 में कर्नाटक में पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के सैटेलाइट आधारित प्रशिक्षण देने के लिए केन्द्रीय हिस्से की प्रथम किस्त के रूप में 1,81,97,625/– रुपये निर्मुक्त किए थे। शेष राशि प्रगति रिपोर्ट तथा समुपयोजन प्रमाण–पत्र प्राप्त हो जाने पर चालू वर्ष के दौरान दे दी जाएगी।

*विवरण*

*अनुमोदित परियोजना/जारी की गई निधियों के राज्य-वार ब्यौरे*

*(2004-05)*

| | | |
|---|---|---|
| | **आंध्र प्रदेश** | |
| एपीएआरडी, हैदराबाद-पीआरआई प्रशिक्षण दिनांक 28/2, 23/3, 31/3, 2005 | रु. 3,20,00,000/- | रु. 3,20,00,000/- |
| | **महाराष्ट्र** | |
| महाराष्ट्र-पीआरआई के निर्वाचित प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण | रु. 92,00,000/- | रु. 92,00,000/- |
| | **पश्चिम बंगाल** | |
| पी आर आई के निर्वाचित सदस्यों का प्रशिक्षण | रु. 2,05,96,000/- | रु. 2,05,96,000/- |
| | **नागालैंड** | |
| निर्वाचित पंचायत जनप्रतिनिधियों का प्रशिक्षण | रु. 2,96,000/- | रु.2,96,000 |
| कुल योग | रु. 6,20,92,000/- | रु. 6,20,92,000/- |

*(2005-06)*

| | | |
|---|---|---|
| | **हरियाणा** | |
| हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान (एच आई आर डी) निलोखेरी-पीआरआई प्रशिक्षण | रु. 1,28,12,000/- | |
| राज्य सामुदायिक विकास प्रशिक्षण केन्द्र निलोखेरी, हरियाणा-पीआरआई की महिला प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण | रु. 7,50,000/- | रु. 1,35,62,000/- |
| | **आंध्र प्रदेश** | |
| ए पी ए आर डी, हैदराबाद - पीआरआई प्रशिक्षण | रु. 2,22,49,000/- | |
| ए पी ए आर डी, हैदराबाद - लेखा प्रशिक्षण | रु. 82,15,875/- | रु. 3,04,64,875/- |
| | **महाराष्ट्र** | |
| यशदा (महाराष्ट्र) पी आर आई के निर्वाचित प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण | रु. 2,13,59,500/- | |
| महाराष्ट्र पी आर आई के निर्वाचित प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण | रु 1,37,41,384/- | रु. 3,51,00,884/- |
| | **पश्चिम बंगाल** | |
| पश्चिम बंगाल-उपग्रह आधारित प्रशिक्षण | रु. 2,21,25,000/- | रु. 2,21,25,000/- |
| | **कर्नाटक** | |
| कर्नाटक-उपग्रह आधारित प्रशिक्षण | रु. 1,81,97,625/- | रु. 1,81,97,625/- |
| | **केरल** | |
| पीआरआई से संबद्ध विभिन्न प्रकार के सदस्यों के आई एल ए के जरिए प्रशिक्षण | रु. 44,00,000/- | रु. 44,00,000/- |
| | **पंजाब** | |
| एस आई आर डी, नाभा, पंजाब-पी आर आई के निर्वाचित प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण | रु. 86,19,500/- | रु. 86,19,500/- |

| | | |
|---|---|---|
| | **असम** | |
| असम–पी आर आई के निर्वाचित प्रतिनिधियों एवं कार्यकर्ताओं का क्षमता निर्माण | रु. 77,60,363/– | रु.94,60,363/– |
| एस आई आर डी, गुवाहाटी–जन किरोसिन परियोजना–केन्द्रीय अनुदान | रु. 17,00,000/– | |
| | **छत्तीसगढ़** | |
| छत्तीसगढ़ ग्रामीण विकास संस्थान–पी आर आई के निर्वाचित प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण | रु. 1,47,59,000/– | रु. 1,94,50,875/– |
| छत्तीसगढ़ ग्रामीण विकास संस्थान– छत्तीसगढ़ में अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार पर प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम | रु. 46,91,875/– | |
| | **उत्तरांचल** | |
| यू आई आर डी, – उत्तरांचल–पी आर आई के निर्वाचित प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण | रु. 1,67,74,116/– | रु. 1,67,74,116/– |
| | **गुजरात** | |
| गुजरात–पी आर आई की ई–गर्वनेंस के लिए क्षमता निर्माण | रु. 2,10,00,000/– | रु. 2,10,00,000/– |
| | **गोवा** | |
| गोवा–गोवा इन्फोटेक निगम लिमिटेड गोवा इन्फोग्राम स्कीम | रु. 1,00,00,000/– | रु. 1,00,00,000/– |
| | **अरूणाचल प्रदेश** | |
| अरूणाचल प्रदेश – पंचायत विस्तार प्रशिक्षण केन्द्रों का निर्माण | रु. 2,00,00,000/– | रु. 2,00,00,000/– |
| | **सिक्किम** | |
| सिक्किम – ग्राम सूचना केन्द्र की स्थापना | रु. 2,00,00,000/– | रु. 2,00,00,000/– |
| | **उड़ीसा** | |
| एस आई आर डी. उड़ीसा–ग्राम पंचायतों का कम्प्यूटरीकरण | रु. 1,00,00,000/– | रु. 1,00,00,000/– |
| कुल योग | रु. 25, 91, 55,238/– | रु. 25,91,55,238/– |

**स्वास्थ्य अवसंरचना में सुधार**

**1149. श्री एस. के. खारवेनथन** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में स्वास्थ्य अवसंरचना को सुधारने के संबंध में सरकार का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी)** : (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत (एन आर एच एम 2005–2012), सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा उप–केन्द्र के लिए भारतीय जन स्वास्थ्य मानक तैयार किए गए हैं तथा जिला अस्पताल और उप–जिला/उप प्रभाग अस्पतालों के लिए तैयार किए जा रहे हैं। भारतीय जन स्वास्थ्य मानकों में इन संस्थानों में आधारभूत सुविधाओं सहित सभी विषयों का उन्यन करने का प्रस्ताव है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का भारतीय जन स्वास्थ्य मानको के अनुरुप उन्नयन करने के लिए वर्ष 2005–06 और 2006–07 में क्रमशः 393.80 करोड़ रुपए तथा 326.40 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। राज्यों से सभी सामुदायिक केन्द्रों में सुविधा सर्वेक्षण करने का अनुरोध किया गया है ताकि उनके भारतीय जन स्वास्थ्य मानकों के अनुरूप उन्नयन के लिए अपेक्षित वास्तिविक वित्तीय आवश्यकता का अनुमान लगाया जा सके। इसके अतिरिक्त, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भौतिक आधारभूत सुविधाओं के उन्नयन और रखरखाव के लिए 50,000 रुपए प्रति स्वास्थ्य केन्द्र की दर से वार्षिक रखरखाव अनुदान अनुमोदित किया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता है।

**कैलाश-मानसरोवर तीर्थयात्रा हेतु वैकल्पिक मार्ग**

**1150. श्री तुकाराम गंगाधर गदाख :** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में कैलाश–मानसरोवर तीर्थयात्रा हेतु एक वैकल्पिक मार्ग के बारे में कई बार चीन से प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर चीन की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस मार्ग को चालू करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं; और

(घ) उक्त प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है?

**विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) :** (क) जी हां।

(ख) और (ग) सरकार ने चीनी पक्ष के समक्ष जम्मू कश्मीर में डेमचोंक अथवा हिमाचल प्रदेश में शिपकी ला के जरिए कैलाश मानसरोवर के लिए वैकल्पिक मार्ग खोलने का प्रस्ताव रखा है। चीनी पक्ष ने इस आधार पर इन मार्गों को खोलने में असमर्थता व्यक्त की है कि इसमें खराब सड़कों और आवास और संचार के लिए समुचित आधार भूत संरचनाओं के न होने से उनके पक्ष की भू–भाग स्थलाकृति से और लंबी यात्रा से गुजरना होगा।

(घ) 20–23 नवम्बर, 2006 के बीच चीन के राष्ट्रपति हू जिंताओ की हाल ही की भारत यात्रा के दौरान दोनों पक्षों ने यात्रा के लिए अतिरिक्त मार्ग खोलने की संभावना का पता लगाने के लिए सहमति व्यक्त की।

**भारत और रूस के बीच अंतरिक्ष अन्वेषण संबंधी समझौता**

**1151. श्री किसनभाई वी. पटेल :** क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और रूस का विचार अंतरिक्ष सहयोग समझौते के अंतर्गत संयुक्त अंतरिक्ष अन्वेक्षण करने तथा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस समझौते की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ग) उक्त समझौते के संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(घ) इससे भारत को कितना लाभ होगा?

**प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) :** (क) और (ख) शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए बाह्य अंतरिक्ष के अन्वेषण और उपयोग के क्षेत्र में सहयोग पर भारतीय गणराज्य सरकार और रूसी गणराज्य सरकार के बीच दिसंबर 3, 2004 को किए गए समझौते के अंतर्गत चयनित क्षेत्रों में संयुक्त अंतरिक्ष अन्वेषण और प्रौद्योगिकियों के संयुक्त विकास के लिए अलग से सहमति कायम करने का प्रावधान है। यह समझौता पारस्परिक हित के विभिन्न क्रियाकलापों को आयोजित करने हेतु एक कानूनी और संगठनात्मक ढ़ांचा प्रदान करता है।

(ग) रूसी ग्लोबल नौवहन उपग्रह प्रणाली, ग्लोनॉस के संयुक्त विकास, प्रचालन और उपयोग, यूथसैट नामक एक वैज्ञानिक उपग्रह का संयुक्त विकास, कोरोनॉस–फोटोन नामक रूसी वैज्ञानिक उपग्रह में भारतीय योगदान सहित विविध सहयोगी क्रियाकलाप विकास के विविध चरणों में हैं।

(घ) इस समझौते के अंतर्गत रूस के साथ सहयोगी क्रियाकलापों से भारत को अपने कार्यक्रमों के कार्य क्षेत्र में विस्तार करने, संसाधनों के इष्टतमी उपयोग तथा विभिन्न क्षेत्रों में शीघ्रतर प्रगति के अवसर प्राप्त होंगे।

**सी जी एच एस लाभार्थियों द्वारा नगर निगम के अस्पतालों में उपचार कराना**

**1152. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थी नगर–निगम के अस्पतालों में चिकित्सा उपचार करा सकते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या लाभार्थी नगर–निगम के अस्पतालों द्वारा बताई गई दवाओं को सी जी एच एस औषधालयों से प्राप्त कर सकते हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) :** (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) उपरोक्त (क) और (ख) को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता हैं।

**भूकम्प राहत धनराशि का कथित रूप से अन्यत्र उपयोग**

**1153. श्री दलपत सिंह परस्ते :** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान द्वारा भूकम्प राहत धनराशि का कथित रूप से आतंकवाद के वित्तपोषण हेतु प्रयोग किया जा रहा था;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने भूकम्प सहायता हेतु पाकिस्तान को 25 मिलियन अमरीकी डालर देने की वचनबद्धता जताई थी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस वर्ष के आरंभ में भारत और पाकिस्तान के गृह

सचिवों के बीच वार्ता में भारत ने जयात–उद–दवा प्रमुख हाफिज मोहम्मद सईद को भारत को सौंपने की मांग की थी;

(ङ) यदि हां, तो क्या भारत ने मांग की है कि कुछ अन्य आतंकवादियों, जिनका आधार पाकिस्तान में है, को भी भारत को सौंप दिया जाना चाहिए;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इस पर पाकिस्तान की क्या प्रतिक्रिया है?

**विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी)** : (क) मीडिया में इस प्रकार के समाचार थे कि 8 अक्तूबर, 2005 के भूकम्प के पश्चात पाकिस्तान स्थित आंतरिक धार्मिक संगठनों के माध्यम से दी गई देशीय चन्दे और विदेशी राहत सहायता से वहां काम कर रहे जिहादी संगठन लाभान्वित हुए।

(ख) और (ग) अक्तूबर, 2005 में जिनीवा में आपात राहत हेतु संयुक्त राष्ट्र, समन्वयक द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रदाता सम्मेलन में भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार को भूकम्प राहत सहायता के रूप में 25 मिलियन अमरीकी डालर की राशि प्रदान की थी। नवम्बर, 2005 में इस्लामाबाद में हुए प्रदाता सम्मेलन में भारत ने अपनी प्रतिबद्धता की पुनः पुष्टि की और पाकिस्तान सरकार से अनुरोध किया कि वह इस निधि का उपयोग भारत से निर्माण सामग्री मंगाने के लिए करे। भारतीय निर्यात कंपनियों को सीधे यह भुगतान हो, इसके लिए एक प्रक्रिया लागू करने हेतु जुलाई, 2006 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए।

(घ) से (छ) भारत सरकार ने समय–समय पाकिस्तान सरकार को भारत में अपराधों/आतंकवादी गतिविधियों के लिए वांछित भारतीय कानून से भागे हुए ऐसे व्यक्तियों की सूची सौंपी, जिनके पाकिस्तान में होने की सूचना है जिसमें यह अनुरोध भी किया गया है कि उन्हें पकड़कर भारत को सौंप दिया जाए। इस मुद्दे को इस्लामाबाद में 30–31 मई, 2006 के बीच आयोजित गृह सचिव स्तर की वार्ता में दोबारा उठाया गया। प्रधान मंत्री डा. मनमोहन सिंह और राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ के बीच 16 सितम्बर, 2006 को हवाना में हुई बैठक के दौरान आतंकवाद विरोधी उपायों पर विचार हेतु आतंकवाद विरोधी संस्थागत तंत्र के गठन पर सहमति व्यक्त की गई। इस संयुक्त वक्तव्य के अनुसरण में 14–15 नवम्बर, 2006 को विदेश सचिव वार्ता के दौरान अपर सचिवों की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय आतंकवादी–विरोधी तंत्र का गठन करने पर सहमति व्यक्त की गई। इसके अधिदेश में नियमित रूप से और समय पर सूचना का आदान–प्रदान करने सहित आतंकवाद–विरोधी उपायों पर विचार करना शामिल होगा।

*[हिन्दी]*

**भारत और पाकिस्तान के बीच माल गाड़ी सेवा**

**1154. श्री संतोष गंगवार** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत तथा पाकिस्तान के बीच व्यापार को बढ़ावा देने हेतु मुनाबाव–खोखरापार तथा अटारी–लाहौर के बीच माल गाड़ी सेवा चल रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा निकट भविष्य में अन्य कौन–कौन से मार्ग खोले जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप देश को कितना लाभ होने की संभावना है?

**विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी)** : (क) से (ग) अटारी–लाहौर के बीच एक मालगाड़ी चल रही है। एक माह में दोनों देशों के बीच औसतन 10–12 माल गाड़ियों चलती हैं। पाकिस्तान, मुनाबाओ–खोकरापार से रेल रूट को व्यापार के लिए उपयोग किए जाने पर सहमत नहीं हुआ है। विगत दो वर्ष के दौरान अटारी–लाहौर मार्ग पर मालगाड़ी द्वारा 31,40,58,929 रु. (2005–06) और 26, 37, 07, 115 रु. (2004–05) की राशि अर्जित की।

**ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों में ऋणग्रस्तता**

**1155. श्री रामदास आठवले :**
**श्री सर्वे सत्यनारायण :**

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की स्थिति के अनुसार देश में ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में राज्य–वार प्रति व्यक्ति ऋणग्रस्तता कितनी है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ख) गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान आज तक इस पर कितने ब्याज का भुगतान किया गया; और

(ग) इसे कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

**योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. राजशेखरन)** : (क) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) ने देश में पारिवारिक संपत्तियों एवं ऋण को मूल्यांकित करने हेतु अपने 59वें दौर (जनवरी–दिसम्बर 2003) में "अखिल भारतीय ऋण एवं निवेश सर्वेक्षण" नामक एक सर्वेक्षण किया था और "भारत में पारिवारिक संपत्तियां और ऋण (30.06.2002 तक)" रिपोर्ट सं. – 500 शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की थी। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में राज्यवार अखिल भारत औसत ऋण प्रति परिवार संलग्नक विवरण में दिया गया है। ये आंकड़े प्रति व्यक्ति आधार पर उपलब्ध नहीं हैं, क्योंकि सर्वेक्षण परिवारों के लिए ऋण के प्रसार को आंकता है न कि वैयक्तिक का।

ग्रामीण क्षेत्रों में ऋणों का 41% कृषि व्यापार हेतु और 35% परिवार व्यय के लिए लिया जाता है। शहरी क्षेत्रों में परिवार द्वारा ऋण का 55.4% परिवार व्यय होता है और 19.7% गैर कृषि व्यापार के लिए होता है।

(ख) परिवार द्वारा लिए गए ऋण पर भुगतान किए गए ब्याज संबंधी आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। हालांकि एनएसएसओ द्वारा जारी "30.06.2002 को भारत में पारिवारिक ऋण" शीर्षक की रिपोर्ट सं. 501 के अनुसार 30.06.2002 को करीब 8% ग्रामीण परिवारों के पास बिना ब्याज का नकदी ऋण 2% परिवारों के पास 6% से कम ब्याज वाला नकदी ऋण, 3% परिवारों के पास 6% से 10% ब्याज दर का नकदी ऋण और उनमें से शेष के पास 10% से ऊपर ब्याज दर का कुल नकदी ऋण था। शहरी क्षेत्रों के लिए परिवारों के लिए 10% के पास बिना ब्याज का नकदी ऋण, 3% परिवारों के पास 6% से कम ब्याज का नकदी ऋण, 9% परिवारों के पास 6 से 10% तक ब्याज दर का नकदी ऋण और शेष के पास 10% से ज्यादा ब्याज दर का नकदी ऋण था।

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन लगभग दस वर्षों में एक बार "अखिल भारतीय ऋण और निवेश सर्वेक्षण" को संचालित करता आ रहा है। फिलहाल, ताजा वित्तीय वर्ष और पिछले तीन वर्षों के अनुमान उपलब्ध नहीं है।

(ग) सरकार ने आबादी हेतु ऋण के बोझ को कम करने के लिए कई उपाय जैसे अत्यधिक ब्याज दर वसूलने वाले साहूकारों द्वारा शोषण को कम करने हेतु संस्थानिक उधारी को प्रोत्साहित करना, कृषि क्षेत्रक हेतु प्राथमिक क्षेत्रक उधार, सूक्ष्म वित्त हेतु मुख्य पहलों और कृषि उत्पादन और निवेश गतिविधियों को वित्तपोषित करने हेतु स्वयं सहायता समूहों को औपचारिक बैंकिंग क्षेत्रक से जोड़ना। सरकार द्वारा ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में कई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम भी कार्यान्वित किए जा रहे हैं। जो कि वित्तीय रूप से वंचित हुए लोगों की जरूरतों को पूरा करते हैं।

*विवरण*

*30.6.2005 के अनुसार प्रति परिवार औसत ऋण*

(रु. में)

| | राज्य | शहरी | ग्रामीण |
|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 19901 | 10590 |
| 2. | असम | 2126 | 643 |
| 3. | बिहार | 2616 | 2992 |
| 4. | झारखंड | 4587 | 1124 |
| 5. | दिल्ली | 1444 | एन. ए. |
| 6. | गुजरात | 15715 | 11794 |
| 7. | हरियाणा | 12929 | 12359 |
| 8. | हिमाचल प्रदेश | 25951 | 5196 |
| 9. | जम्मू और कश्मीर | 4438 | 1114 |
| 10. | कर्नाटक | 10544 | 9193 |
| 11. | केरल | 28446 | 19663 |
| 12. | मध्य प्रदेश | 15029 | 9031 |
| 13. | छत्तीसगढ़ | 8809 | 3933 |
| 14. | महाराष्ट्र | 15192 | 10391 |
| 15. | उड़ीसा | 13406 | 3609 |
| 16. | पंजाब | 10297 | 16502 |
| 17. | राजस्थान | 9130 | 12031 |
| 18. | तमिलनाडु | 11936 | 9304 |
| 19. | उत्तरांचल | 4484 | 1113 |
| 20. | उत्तर प्रदेश | 4275 | 5059 |
| 21. | पश्चिम बंगाल | 8071 | 3194 |
| | भारत | 11771 | 7539 |

स्त्रोत : एनएसएसओ रिपोर्ट सं. 500, 'पारिवारिक संपत्तियां और ऋण' पृ. 31, 33

*[अनुवाद]*

**जी. एस. एल. वी. संबंधी असफलता मूल्यांकन समिति**

**1156. श्री राम कृपाल यादव :**
**श्री बाडिगा रामकृष्णा :**
**श्री कुलदीप बिश्नोई :**

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जी. एस. एल. वी. की असफलता के कारणों की जांच करने के लिए गठित की गई असफलता मूल्यांकन समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(ख) यदि हां, तो समिति के क्या निष्कर्ष हैं;

(ग) निष्कर्षों के मद्देनजर भविष्य के मिशनों के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो रिपोर्ट सौंपने में विलम्ब के क्या कारण हैं?

**प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) :** (क)

जी, हां। इसरो, एकेडमिया और राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला के विशेषज्ञों को मिला कर गठित असफलता मूल्यांकन समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट पहले ही सौंप दी है।

(ख) असफलता मूल्यांकन समिति के निष्कर्ष हैं कि द्रव स्ट्रैप–ऑन मोटरों में से एक मोटर में प्रणोद की कमी मिशन की असफलता का प्रारंभिक कारण है। एक द्रव स्ट्रैप–ऑन मोटर की गैस जनित्र प्रणाली के प्रणोद नियंत्रक के भली प्रकार काम नहीं कर पाने के कारण राकेट के व्यवहार में विसंगति पाई गई। इसके परिणामस्वरूप प्रणोद द्रव्यमान प्रवाह को दर अपेक्षित मात्रा में अधिक हो गई। फलस्वरूप राकेट की उड़ान के तुरंत बाद इंजन ने काम करना बंद कर दिया। विनिर्माण त्रुटि से उत्पन्न बृहत्तर प्रवाह क्षेत्र के कारण प्रणोद नियंत्रक ने ठीक से काम नहीं किया।

(ग) असफलता मूल्यांकन समिति की अनुशंसाओं के आधार पर इसरो तथा बाह्य कार्य केंद्रों में गुणवत्ता नियंत्रण, गुणवत्ता आश्वासन दोनों को और अधिक सुदृढ़ करने, कार्य केंद्रों में सभी महत्वपूर्ण अवयवों एवं उप–समुच्चयों की प्राप्ति के बाद आंतरिक एजेंसियों द्वारा स्वतंत्र निरीक्षण तथा गुणवत्ता जांच, स्वीकृति प्रक्रियाओं एवं मानकों की समीक्षा जैसी कार्रवाई प्रारंभ की जा चुकी है। महत्वपूर्ण इंजन अवयवों के लिए अतिरिक्त जांच की भी व्यवस्था की गई है।

(घ) लागू नहीं।

*[हिन्दी]*

**राष्ट्रीय औषधि प्राधिकरण की स्थापना**

**1157. प्रो. महादेवराव शिवनकर : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में औषधि उद्योग के विनियमन के लिए राष्ट्रीय औषधि प्राधिकरण की स्थापना की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) औषधियों की निगरानी तथा उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने की संभावना है?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी)** : (क) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन केन्द्रीय औषध प्राधिकरण भारत स्थापित करने का प्रस्ताव है।

(ख) भारत सरकार ने देश में औषध प्रशासन के नियंत्रण और प्रबंधन को सुधारने के लिए सुझाव देने और औषध सुरक्षा, प्रभावकारिता आदि के विषयों की समीक्षा करने के लिए डा. आर. ए. माशेलकर, महानिदेशक, केन्द्रीय वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था। भारत सरकार द्वारा इस विशेषज्ञ समिति की प्रमुख सिफारिशों को मान लिया गया था। इन सिफारिशों में से कुछ सिफारिशें नकली, मिलावटी औषधों के विनिर्माण, बिक्री और वितरण के लिए भारी जुर्माना और एक स्वतंत्र केन्द्रीय औषध प्राधिकरण की स्थापना करना है। उपरोक्त सिफारिशों के अनुपालन के लिए औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम में संशोधित करने वाले प्रारूप विधेयक को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

(ग) उपभोक्ताओं को सुरक्षित और प्रभावी औषधों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम और नियमावली के विभिन्न उपबंधों के अंतर्गत औषधों का विनिर्माण और बिक्री नियंत्रित की जाती है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने औषध गुणवत्ता और विपरीत प्रभावों की मॉनीटरिंग के लिए फार्मोको–विजिलेंस कार्यक्रम और औषध सुरक्षा के संबंध में उपभोक्ता जागरूकता पैदा करने के लिए सूचना, शिक्षा और संप्रेषण कार्यक्रम भी शुरू किए हैं।

*[अनुवाद]*

**बी. फार्मेसी पाठयक्रम**

**1158. श्री एल. राजगोपाल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में पांच वर्षीय बी. फार्मेसी पाठयक्रम शुरू करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) किन–किन राज्यों में पहले ही पांच वर्षीय बी. – फार्मेसी पाठयक्रम शुरू किया जा चुका है और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्रदान की गई है;

(घ) क्या आंध्र प्रदेश में काकतिया विश्वविद्यालय ने 5 वर्षीय बी.–फार्मेसी पाठयक्रम शुरू किया है जिसे विद्यार्थियों तथा अन्य लोगों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है; और

(ङ) यदि हां, तो देश में पांच वर्षीय बी.–फार्मेसी पाठयक्रम की नेशनल फार्मेसी काउंसिल द्वारा अनुशंसा न किये जाने के क्या कारण हैं?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी)** : (क) और (ख) जी नहीं, सरकार देश में कोई 5 वर्षीय बी–फार्मेसी पाठयक्रम शुरू करने पर विचार नहीं कर रही है।

(ग) सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) ने किसी 5 वर्षीय बी–फार्मेसी पाठयक्रम को मान्यता नहीं दी है।

(घ) काकतिया विश्वविद्यालय, आंध्र प्रदेश से 5 वर्षीय बी–फार्मेसी पाठयक्रम शुरू करने हेतु एआईसीटीई को एक अनुरोध प्राप्त हुआ था जिसे 7 अप्रैल, 2006 को आयोजित अखिल भारतीय फार्मास्यूटिकल शिक्षा बोर्ड की 25वीं बैठक में रखा गया था लेकिन बोर्ड द्वारा काकतिया विश्वविद्यालय से प्राप्त अनुरोध को अनुमोदित नहीं करने का निर्णय किया गया था।

(ङ) भारतीय फार्मेसी परिषद से प्राप्त सूचना के अनुसार 5 वर्षीय बी–फार्मेसी पाठयक्रम अन्तर्राष्ट्रीय मानकों/अपेक्षाओं को पूरा नहीं करेगा।

**भ्रष्टाचार मिटाने के लिए प्रावधान**

**1159. डा. धीरेंद्र अग्रवाल :**
**श्री जीवाभाई ए. पटेल :**

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपराध प्रक्रिया संहिता, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम तथा केन्द्रीय सतर्कता आयोग के कतिपय प्रावधान लोक सेवाओं में भ्रष्टाचार मिटाने में बाधक हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इन प्रावधानों में संशोधन करने के लिए कोई आवश्यक विधान लाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी)** : (क) जी, नहीं, श्रीमान्।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते हैं।

**उत्तर पूर्व अवसंरचना विकास निगम**

**1160. श्री अनवर हुसैन :** क्या **उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर–पूर्व अवसंरचना विकास निगम गठित करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त निगम के लिए आबंटित किये गये बजट का ब्यौरा क्या है;

(घ) प्रस्तावित निगम द्वारा कौन–कौन से क्षेत्रों को शामिल किये जाने की संभावना है; और

(ङ) उक्त निगम को कब तक गठित किये जाने की संभावना है?

**पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर)** : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

*[हिन्दी]*

**ग्रामीण तथा जनजातीय क्षेत्रों में टेलीफोन नेटवर्क**

**1161. श्री गिरिधारी यादव :**
**श्री सनत कुमार मंडल :**
**श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव :**

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तकनीकी रूप से अर्धक्षम दूरदराज, ग्रामीण तथा जनजातीय क्षेत्रों में टेलीफोन नेटवर्क स्थापित नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में गत दो वर्षों के दौरान सरकार द्वारा शुरू किये गए कार्यों का ब्यौरा क्या है?

**संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद)** : (क) से (ग) आज की स्थिति के अनुसार, देश के 90% से अधिक गांवों में टेलीफोन सुविधाएं उपलब्ध करा दी गई हैं। सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) ने देश के टेलीफोन सुविधा से रहित शेष 66,822 गांवों में ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (वीपीटी) उपलब्ध कराने के लिए नवंबर, 2004 में भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) से करार किया था। इनमें 100 से कम की जनसंख्या वाले, घने जंगलों वाले क्षेत्रों/नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्रों आदि में स्थित गांव शामिल नहीं हैं। 31 अक्तूबर, 2006 की स्थिति के अनुसार इनमें से 36,014 गांवों में बीएसएनएल द्वारा ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन उपलब्ध कराए जा चुके हैं। शेष 30,808 गांवों में नवंबर, 2007 तक उत्तरोत्तर रूप से वीपीटी प्रदान कर दिए जाएंगे। निजी सेवा प्रदाता सामान्यतः वाणिज्यिक व्यवहार्यता के कारण दूरदराज, ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में सेवाएं प्रदान करने के इच्छुक नहीं होते।

जनजातीय क्षेत्रों सहित देश के ग्रामीण और दूर–दराज के क्षेत्रों में दूरसंचार सुविधाएं प्रदान करने के लिए विगत दो वर्षों के दौरान सरकार द्वारा शुरू किए गए कार्य निम्नानुसार हैं:–

(i) 2000 से अधिक की जनसंख्या वाले तथा सार्वजनिक टेलीफोन बूथों (पीसीओ) की सुविधा से रहित गांवों में ग्रामीण सामुदायिक फोन उपलब्ध कराना–31 अक्तूबर, 2006 की स्थिति के अनुसार 33,239 आरसीपी उपलब्ध करा दिए गए हैं।

(ii) 1,86,872 मल्टी एक्सेस रेडिया रिले (एमएआरआर) वीपीटी का प्रतिस्थापन–31 अक्तूबर, 2006 की स्थिति के अनुसार 1,63,436 एमएआरआर वीपीटी प्रतिस्थापित कर दिए गए हैं।

(iii) वाणिज्यिक रूप से अव्यवहार्य 1685 अल्प दूरी प्रभारण क्षेत्रों में मांग पर ग्रामीण वैयक्तिक फोन कनेक्शन (आरडीईएल) उपलब्ध कराना–31 अक्तूबर, 2006 की स्थिति के अनुसार 11,13,638 आरडीईएल उपलब्ध करा दी गई है।

(iv) इसके अलावा, ग्रामीण क्षेत्रों में संस्थापित लगभग 1.09 करोड़ सीधी एक्सचेंज लाइनों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है।

*[अनुवाद]*

**गांवों में सूचना प्रौद्योगिकी कियोस्क**

**1162. श्री जसुभाई धानाभाई बारड़ : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में, गांवों में सूचना प्रौद्योगिकी कियोस्कों के लिए 200 करोड़ रुपये से अधिक आबंटित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार के विचारार्थ कार्य योजना का ब्यौरा क्या है?

**संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद)** : (क) सरकार ने हाल ही में देश के ग्रामीण क्षेत्रों में 1,00,000 ब्रॉड बैण्ड इन्टरनेट समर्थित सामान्य सेवा केन्द्र (सीएससी) स्थापित करने के लिए एक योजना अनुमोदित की है। यह योजना 4 वर्षों में 5742 करोड़ रुपए की कुल लागत से अनुमोदित की गई है, जिसमें भारत सरकार अनुमानतः 856 करोड़ रुपए तथा राज्य सरकार 793 करोड़ रुपए का अंशदान करेगी। शेष संसाधन निजी क्षेत्र से एकत्रित किए जाएंगे।

(ख) ये सामान्य सेवा केन्द्र किसी राज्य में प्रति 6 गांव के निवासियों के लिए 1 सामान्य सेवा केन्द्र के अनुपात में स्थापित किए जाएंगे।

(ग) योजना के कार्यान्वयन के विस्तृत दिशा–निर्देश सरकार द्वारा अनुमोदित किए गए हैं तथा इन्हें वेबसाइट www.mit.gov.in पर देखा जा सकता है। यह योजना सार्वजनिक–निजी भागीदारी में कार्यान्वित की जाएगी।

*[हिन्दी]*

**चिकित्सा पद्धति हेतु बजटीय आबंटन**

**1163. श्री जीवाभाई ए. पटेल :**
**श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील :**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में किन–किन भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के अंतर्गत लोगों का उपचार किया जा रहा है तथा गत दो वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष के दौरान वर्ष–वार प्रत्येक पद्धति के अंतर्गत बजट में कितनी धनराशि आबंटित की गई;

(ख) क्या आयुर्वेद को प्रोत्साहन देने के लिए बजटीय आबंटन पर्याप्त नहीं है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए जा रहे हैं?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पाणाबाका लक्ष्मी)** : (क) आयुर्वेद, यूनानी तथा सिद्ध भारतीय चिकित्सा पद्धतियां हैं जिन्हें भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 के अंतर्गत मान्यता प्रदान की गई है। निधियों को पद्धति क्रम से आबंटित नहीं किया गया है। वर्ष 2004–05, 2005–06 और 2006–07 के लिए आयुष विभाग का बजट संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) आयुर्वेद के प्रोत्साहन के लिए निधियों की कोई कमी नही है।

(ग) और (घ) उपर्युक्त (ख) के उत्तर को दृष्टिगत रखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

***विवरण***

*(वर्ष 2004–05, 2005–06 और 2006–07 के लिए आयुष विभाग हेतु बजट आबंटन)*

(करोड़ रुपयों में)

| क्रम. सं. | वर्ष | योजना | योजनेत्तर | कुल |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2004–05 | 173.00 | 52.73 | 225.73 |
| 2. | 2005–06 | 345.00 | 60.98 | 405.98 |
| 3. | 2006–07 | 381.60 | 66.29 | 447.89 |

**राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम की परियोजनाएं**

**1164. श्री के. एस. राव :**
**श्री पारस नाथ यादव :**
**श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी :**
**श्री पी. एस. गढ़वी :**

**श्री बालासोवरी वल्लभनेनी :**

**प्रो. एम. रामदास :**

क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम (एन.एच.पी.डी.) के अंतर्गत शुरू की गई विभिन्न परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा वर्ष 2006–07 के दौरान उनको पूरा करने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(ख) इन परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) लक्ष्यों को शीघ्र पूरा करने में आ रही समस्याओं की प्रकृति क्या है तथा इसके परिणामस्वरूप इनकी लागत में कितनी वृद्धि हुई है;

(घ) इन समस्याओं से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ङ) क्या सरकार का विचार नए मॉडल नियायत समझौते (एम.सी.ए.) द्वारा निर्धारित कुछ कठोर शर्तों में छूट देने का है जो संविदा करने की प्रक्रिया को प्रभावित कर रहे हैं तथा टॉल रोड के निर्माण में लगे निजी क्षेत्र की तर्कसंगत संक्रियात्मक वित्तीय मांगों को पूरा करने के लिए प्रावधान करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा)** : (क) और (ख) 31.10.2006 की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत परियोजनाओं की स्थिति विवरण–I में दी गई है। प्राधिकरण की वर्ष 2006–07 की वार्षिक योजना के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण–I से संबंधित 633 कि.मी. और राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण–II से संबंधित 650 कि.मी. लंबाई में 4/6 लेन बनाने का लक्ष्य है।

(ग) परियोजनाओं की प्रगति को प्रभावित करने वाली समस्याओं में भूमि अधिग्रहण, सुविधाओं के स्थानांतरण, पर्यावरण और वन स्वीकृति, सड़क उपरि पुल डिजाइन की स्वीकृति/अनुमोदन, ठेकेदारों का निम्न स्तरीय कार्य निष्पादन आदि समस्याएं शामिल हैं।

(घ) परियोजनाओं के कार्य में तेजी लाने के लिए किए गए उपायों की सूची संलग्न विवरण–II में दी गई है।

(ङ) और (च) सरकार आदर्श रियायत करार में कुछ परिवर्तनों का प्रस्ताव कर रही है जो सरकार की ओर से हरजाने से बचाने के लिए निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण ठेकों के लिए नियत तारीख को अथवा उससे पहले 80 प्रतिशत कार्य स्थल सौंपने की पूर्व शर्त में छूट देने जैसी प्रचालन संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक है।

***विवरण-I***

***31.10.2006 की स्थिति के अनुसार परियोजनाओं की स्थिति***

| क्र.सं. | एनएचडीपी घटक | कुल लंबाई (कि.मी.) | 4 लेन पुरी हो चुकी (कि.मी.) | कार्यान्वयन के अधीन | | सौंपे जाने के के लिए शेष सिविल कार्य (कि.मी.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | लंबाई (कि.मी.) | ठेकों की संख्या | |
| 1. | स्वर्णिम चतुर्भज | 5846 | 5453 (93.3%) | 393 | 35 | – |
| 2. | उत्तर–दक्षिण और पूर्व पश्चिम | 7300 | 840 | 5055 | 139 | 1306* |
| 3. | पत्तन सड़क संपर्क | 380 | 122 | 237 | 8 | 21 |
| 4. | अन्य राष्ट्रीय राजमार्ग | 945 | 287 | 638 | 16 | 20 |
| 5. | एनएचडीपी चरण–III क | 6139 | 30 | 1090 | 17 | 5019 |
| 6. | एनएचडीपी चरण–V | 6500 | – | 148 | 2 | 6352 |
| | जोड़ | 27110 | 6732 | 7561 | 217 | 12718 |

*कुल लंबाई में अंतर कार्यों को सौंपने के पश्चात् लंबाई में परिवर्तन के कारण है।

*विवरण-II*

*परियोजना का कार्य शीघ्र पूरा किया जाना सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:–*

(क) पर्यवेक्षण परामर्शदाता, परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जैसे विभिन्न स्तरों पर ठेकों पर नियमित निगरानी रखी जाती है। अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग और पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री के स्तर पर प्रगति की समीक्षा भी की जाती है।

(ख) राज्य सरकारों द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के कार्यान्वयन से संबंधित समस्याओं जैसे भूमि अधिग्रहण, सुविधाओं के स्थानांतरण, वन/प्रदूषण/पर्यावरण स्वीकृति आदि के समाधान के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की नोडल अधिकारियों के रूप में नियुक्त की गई है। ये नोडल अधिकारी परियोजनाओं की समीक्षा के लिए आवधिक बैठकें करते हैं तथा समस्याओं के समाधान के लिए कार्रवाई करते हैं।

(ग) भूमि अधिग्रहण, सुविधाओं के स्थानांतरण, पर्यावरण संबंधी अनुमोदन, सड़क उपरि पुलों की स्वीकृति आदि जैसे अंतर–मंत्रालयी और केंद्र–राज्य मुद्दों के समाधान के लिए मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में सचिवों की एक समिति का गठन किया गया है।

(घ) भूमि अधिग्रहण की अधिसूचनाएं जारी करने की प्रक्रिया अब आसान बना दी गई है। पहले राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के तहत सभी अधिसूचनाओं की जांच विधि मंत्रालय द्वारा की जाती थी। अभी हाल में कार्य आबंटन नियमावली में संशोधन किया गया है जिसके तहत इन अधिसूचनाओं को विधि मंत्रालय को भेजा जाना आवश्यक नहीं है। विधि मंत्रालय ने भूमि अधिग्रहण अधिसूचनाओं के समान स्वरूप को ध्यान में रखते हुए विभिन्न अधिसूचनाओं के मानक प्रपत्र अनुमोदित कर दिए हैं।

(ङ) सड़क उपरि पुलों के शीघ्र निर्माण के लिए रेलवे के एक अधिकारी को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में तैनात किया गया है ताकि रेल मंत्रालय के साथ समन्वय किया जा सके। कुछ सड़क उपरि पुलों के निर्माण के लिए मै. इरकॉन इंटरनेशनल लि. के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(च) कार्य न करने वाले ठेकेदारों के विरूद्ध कार्रवाई की गई है और उन्हें तब तक भावी परियोजनाओं के लिए निविदाएं देने की अनुमति नहीं दी जाती जब तक वे विद्यमान ठेकों में अपने निष्पादन में सुधार नहीं कर लेते।

(छ) ठेकेदार के अनुरोध पर ब्याजशुदा विवेकाधीन अग्रिम प्रदान करके, समान राशि की बैंक गारंटी के लिए अवधारण राशि जारी करके, अग्रिम (ब्याज आधार पर) की वसूली स्थगित करके तथा न्यूनतम अंतरिम भुगतान प्रमाणपत्र (आई पी सी) राशि में छूट प्रदान करके ठेकेदारों की नकद प्रवाह समस्या में सुधार के लिए उपाय किए गए हैं।

*[अनुवाद]*

**शीतल पेयों में कीटनाशक/अवशिष्ट**

**1165. श्री चन्द्रभूषण सिंह :**
**श्री राजीव रंजन सिंह "ललन"**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेन्टर फॉर साइन्स एण्ड एनवायरमेंट ने शीतल पेयों में कीटनाशकों/अवशिष्टों के संबंध में कोई रिपोर्ट सौंपी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी)** : (क) से (ग) सेंटर फॉर साइंस एण्ड एनवायरनमेंट (सी एस ई) ने शीतल पेयों में पेस्टीसाइड अवशिष्टों के विश्लेषण पर एक रिपोर्ट जारी की थी।

सी एस ई ने अपनी रिपोर्ट में यह बताया था कि 11 ब्रांडों के कुल 57 शीतल पेय नमूनों की आर्गेनोक्लोरिन पेस्टीसाइड्स और आर्गेनोफास्फोरस पेस्टीसाइड्स के लिए जांच की गई थी। रिपोर्ट में आगे यह बताया गया कि :–

* सभी 57 नमूनों में कुल आर्गेनोक्लोरिन का औसत संकेन्द्रण 6.97 पीपीबी था।
* सभी 57 नमूनों में आर्गेनोफास्फोरस पेस्टीसाइड्स का औसत संकेन्द्रण 4.88 पीपीबी था।
* सभी 57 नमूनों में पता चले कुल पेस्टीसाइड्स का औसत संकेन्द्रण 11.85 था जो शीतल पेयों में कुल पेस्टीसाइड की बीआईएस सीमा से 24 गुणा अधिक है।

शीतल पेयों में पेस्टीसाइड अवशिष्टों के विश्लेषण पर सी एस ई की रिपोर्ट में निहित तथ्यों की जांच करने हेतु स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने नमूना लेने की प्रक्रियाविधि, जांच और वैधता की प्रक्रियाविधि तथा सीएसई द्वारा निकले गए परिणामों में सामन्जस्य की जांच करने हेतु एक विशेषज्ञ समिति गठित की।

सीएससी की रिपोर्ट पर विस्तृत–विचार के बाद विशेषज्ञ समिति ने निष्कर्ष निकाला कि सीएसई द्वारा अपनी रिपोर्ट में निकाले गए परिणामों एवं निष्कर्षों को इसके मापदंड के आधार पर स्वीकार नहीं किया जा सकता है। विशेषज्ञ समिति की विस्तृत रिपोर्ट स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट (www.mohfw.nic.in) पर उपलब्ध है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कार्बोनेटिड पेयों, फल सब्जी के जूस तथा अन्य तैयार उत्पादों में पेस्टीसाइड के एमआरएल के नियतन में पेस्टीसाइड अवशिष्ट उप–समिति का मार्गदर्शन करने के लिए पहले ही एक राष्ट्रीय विशेषज्ञ समिति गठित की है।

खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अंतर्गत कार्यान्वयन प्राधिकरणों, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को शीतल पेयों का नियमित तौर पर नमूना लेने को सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है जिससे कि उच्च स्तरीय मानक कायम हो सके।

जुलाई, 2006 से सितम्बर, 2006 के बीच कोलकाता, मैसूर तथा पुणे की केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशालाओं तथा राज्य खाद्य प्रयोगशला, गुजरात द्वारा कुल 155 शीतल पेय के नमूनों की जांच की गई तथा जांच प्रयोगशालाओं में प्राप्त सूचनाओं के अनुसार पेस्टीसाइड अवशिष्ट जांचे गए सभी नमूनों में बोतलबंद पेयजल के लिए विनिर्दिष्ट सीमाओं के नीचे पाए गए।

*[हिन्दी]*

**केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत निधियों का उपयोग**

**1166. श्री हेमलाल मुर्मू** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत पूर्व में जारी की गई निधियों के 90 प्रतिशत उपयोग के पश्चात् ही दूसरी किस्त को जारी करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने उन राज्यों की पहचान की है जहां केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत जारी की गई निधियों का उपयोग नहीं किया गया है;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान और वर्तमान वर्ष में केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत जारी की गई तथा उनमें से उपयोग की गई/उपयोग नहीं की गई निधियों का योजना–वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा उन राज्यों के विरूद्ध क्या कार्रवाई की गई है जो जारी की गई निधियों का उपयोग करने में विफल रहे हैं?

**योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. राजशेखरन)** : (क) और (ख) जी, नहीं, इस समय सरकार के विचाराधीन ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) से (ङ) केन्द्र प्रायोजित स्कीमें केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से तैयार की जाती हैं तथा ये राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों/उनकी एजेंसियों द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं। केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीमों के कार्यान्वयन से संबंधित रीति–विधान संबंधित कार्यान्वयनकर्ता मंत्रालयों/केन्द्रीय सरकार के विभागों द्वारा तैनात किए जाते हैं। इन स्कीमों की मानीटरिंग संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा की जाती है।

*[अनुवाद]*

**खेलों के लिए आबंटित/व्यय की गई निधियां**

**1167. श्री रायापति सांबासिवा राव** : क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान मंत्रालयों द्वारा आबंटित की गई निधियों तथा उनमें से व्यय की गई राशि का खेल–वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) इसके क्या परिणाम निकले हैं?

**विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (कपिल सिब्बल)** : (क) और (ख) मंत्रालय की योजनाओं के अंतर्गत विशेष खेल विधाओं के लिए कोई विशिष्ट आबंटन नहीं किये गये हैं जिसका उद्देश्य खेलों के संवर्धन में तथा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तरों पर उत्कृष्टता हासिल करने में राज्य सरकारों तथा खेल परिसंघों के प्रयासों का समर्थन करना है जहां तक विशिष्ट खेल विधाओं का सम्बन्ध है, मंत्रालय राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सहायता की योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण, शिविरों के आयोजन, जिसमें आवश्यकतानुसार भारतीय एवं विदेशी प्रशिक्षकों की सहभागिता हैं, अंन्तर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों एवं प्रतियोगिताओं में टीमों की भागीदारी, देश में टूर्नामेंट के आयोजन, उपस्करों की खरीद आदि के लिए धनराशि प्रदान कर रहा है। विभिन्न खेल विधाओं से संबंधित राष्ट्रीय खेल परिसंघों को वर्षवार प्रदान की गई धनराशि संलग्न विवरण में दर्शायी गई है।

भारत सरकार की सहायता ने अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन के स्तरों को बढ़ाने में सहायता की है तथा विभिन्न खेल विधाओं विशेषकर निशानेबाज़ी, तीरंदाजी टेबल टेनिस, बिलियर्डस एवं स्नूकर आदि के क्षेत्रों में सराहनीय उपलब्धियां पाई गई हैं।

विवरण

(रुपये लाखों में)

| क्र. सं. | परिसंघ का नाम | 2004–2005 | 2005–2006 | 2006–07 (15.11.06 तक की स्थिति के अनुसार) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | अखिल भारतीय कैरम परिसंघ | 14.25 | 13.98 | 9.00 |
| 2. | अखिल भारतीय शतरंज परिसंघ | 111.90 | 78.94 | 43.09 |
| 3. | अखिल भारतीय फुटबाल परिसंघ | 119.36 | 39.04 | 14.50 |
| 4. | अखिल भारतीय कराटे–डो परिसंघ | 0 | 00.00 | 00.00 |
| 5. | अखिल भारतीय बधिर खेल परिषद | 30.02 | 13.43 | 11.36 |
| 6. | भारतीय एथलेटिक परिसंघ | 215.08 | 227.95 | 71.11 |
| 7. | भारतीय एमेच्योर बेसबाल परिसंघ | 12.50 | 07.00 | 9.49 |
| 8. | भारतीय एमेच्योर हैंडबाल परिसंघ | 14.00 | 34.57 | 38.64 |
| 9. | भारतीय एमेच्योर कबड्डी परिसंघ | 25.00 | 24.89 | 1.00 |
| 10. | भारतीय तीरंदाजी संघ | 58.95 | 51.75 | 33.74 |
| 11. | भारतीय आत्यमात्स्य परिसंघ | 7.50 | 12.00 | 10.50 |
| 12. | भारतीय बैडमिंटन संघ | 169.16 | 271.94 | 45.84 |
| 13. | भारतीय बाल बैडमिंटन परिसंघ | 5.50 | 00.00 | 00.00 |
| 14. | भारतीय बास्केटबाल परिसंघ | 49.61 | 41.21 | 22.63 |
| 15. | भारतीय बिलियर्डस और स्नूकर परिसंघ | 23.52 | 28.57 | 8.07 |
| 16. | भारतीय साईकल पोलो परिसंघ | 6.75 | 00.00 | 27.25 |
| 17. | भारतीय साईकल परिसंघ | 16.38 | 11.73 | 00.00 |
| 18. | भारतीय घुड़सवारी परिसंघ | 32.76 | 31.30 | 12.10 |
| 19. | भारतीय फेसिंग संघ | 17.07 | 43.71 | 50.76 |
| 20. | भारतीय जिम्नास्टिक परिसंघ | 18.88 | 14.88 | 15.25 |
| 21. | भारतीय एमेच्योर मुक्केबाजी परिसंघ | 81.28 | 142.74 | 38.61 |
| 22. | भारतीय शरीर सौष्ठव परिसंघ | 0 | 00.00 | 00.00 |
| 23. | भारतीय गोल्फ संघ | 32.48 | 37.84 | 4.38 |
| 24. | भारतीय हाकी परिसंघ | 194.21 | 96.46 | 80.15 |
| 25. | भारतीय कयाकिंग और केनोइंग संघ | 16.06 | 38.50 | 18.13 |
| 26. | भारतीय ओलंपिक संघ | 1241.45 | 00.00 | 393.33 |
| 27. | भारतीय पोलो संघ | 1.62 | 01.10 | 0.75 |
| 28. | भारतीय पावर लिफ्टिंग परिसंघ | 13.00 | 15.00 | 8.00 |
| 29 | भारतीय भोरोत्तोलन परिसंघ | 79.88 | 51.41 | 00.00 |
| 30. | भारतीय महिला हाकी परिसंघ | 110.35 | 78.81 | 56.25 |
| 31. | भारतीय जूडो परिसंघ | 56.37 | 64.66 | 37.06 |
| 32. | भारतीय खो–खो परिसंघ | 18.92 | 12.00 | 4.00 |
| 33. | भारतीय कोर्फ बाल परिसंघ | 12.50 | 09.00 | 9.00 |
| 34. | अखिल भारतीय टेनिस संघ | 136.87 | 77.45 | 60.20 |
| 35. | भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ | 218.37 | 433.43 | 254.75 |
| 36. | भारतीय नेटबाल परिसंघ | 7.50 | 11.50 | 0.50 |
| 37. | भारतीय रोलर स्केटिंग परिसंघ | 15.00 | 09.00 | 00.00 |
| 38. | भारतीय रोइंग परिसंघ | 118.43 | 51.65 | 8.32 |
| 39. | भारतीय स्कूल गेम्स परिसंघ | 0 | 0 | 0.00 |
| 40. | भारतीय सेपक टकारों परिसंघ | 7.50 | 10.50 | 10.00 |
| 41. | भारतीय शूटिंग बाल परिसंघ | 12.00 | 00.00 | 00.00 |
| 42. | भारतीय साफ्टबाल परिसंघ | 14.00 | 9.80 | 4.50 |
| 43. | भारतीय स्क्वैश राके परिसंघ | 119.37 | 15.42 | 21.20 |
| 44. | भारतीय तैराकी परिसंघ | 11.76 | 53.33 | 2.67 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 45. | भारतीय टेबल टेनिस परिसंघ | 116.78 | 165.10 | 148.25 |
| 46. | भारतीय ताइक्वांडो परिसंघ | 6.00 | 00.00 | 00.00 |
| 47. | भारतीय टेनीकोइट परिसंघ | 10.50 | 11.00 | 10.00 |
| 48. | भारतीय टेनिस बाल क्रिकेट परिसंघ | 7.00 | 17.00 | 4.50 |
| 49. | भारतीय रस्साकशी परिसंघ | 12.50 | 11.50 | 15.50 |
| 50. | भारतीय वालीबाल परिसंघ | 32.17 | 94.97 | 27.56 |
| 51. | भारतीय महिला क्रिकेट संघ | 5.00 | 00.00 | 1.00 |
| 52. | भारतीय कुश्ती परिसंघ | 225.35 | 209.82 | 15.47 |
| 53. | भारतीय याटिंग संघ | 159.88 | 141.30 | 136.26 |
| 54. | भारतीय वुशू संघ | 10.50 | 07.10 | 0.39 |
| 55. | भारतीय शीतकालीन खेल परिसंघ | 9.64 | 12.51 | 0.39 |
| 56. | भारतीय पोलो संघ | 1.62 | 1.10 | 0.75 |
| 57. | पैरा ओलंपिक्स | 00.00 | 13.50 | 33.34 |
| 58. | विशेष ओलंपिक भारत | 00.00 | 00.00 | 4.50 |

**सॉफ्ट ड्रॉयज में विषैले तत्वों के संबंध में एनजीओ अध्ययन**

**1168. श्री रवि प्रकाश वर्मा :**
**श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :**
**श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :**
**श्री विजय कृष्ण :**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बिना ब्रांड वाले सॉफ्ट ड्रॉयज में विषैले तत्वों के संबंध में गैर-सरकारी संगठन द्वारा किए गए अध्ययन की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके क्या परिणाम निकाले?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी)** : (क) से (ग) हाल ही में दिनांक 19.9.2006 को हिन्दुस्तान टाइम्स में एक समाचार छपा जिसमें एक गैर सरकारी संगठन टाक्सिस लिंक्स द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट उद्धृत की गई है। इस अध्ययन, जिसमें सॉफ्ट ड्रवायज में प्रयुक्त पी वी सी में कैडमियम और शीशे के उच्च स्तर सूचित किए गए हैं, को विनियामक तंत्र के परिप्रेक्ष्य में अधिप्रमाणित/वैध किया जाना और विश्लेषित किया जाना अपेक्षित है।

*[हिन्दी]*

**निजी कम्पनियों को कोयला ब्लाकों का आबंटन**

**1169. श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता :** क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1991 से निजी कम्पनियों को सौंपे गए कोयला ब्लाकों की संख्या कितनी है;

(ख) ऐसे कितने ब्लाकों में कोयले का उत्पादन आरंभ हो गया है;

(ग) कितने कोयला ब्लाकों में उत्पादन आरंभ नहीं हुआ है;

(घ) उन कोयला ब्लाकों के संबंध में सरकार द्वारा क्या उपाय किए जाने का प्रस्ताव है जिनमें पर्याप्त समय बीतने के पश्चात भी उत्पादन आरंभ नहीं हुआ है;

(ङ) इस संबंध में कब तक कार्रवाई किए जाने की संभावना है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दसारि नारायण राव)** : (क) अब तक निजी क्षेत्र की कंपनियों को 55 कोयला ब्लॉकों का आबंटन किया गया है।

(ख) 8 कोयला ब्लॉकों में उत्पादन शुरू हो गया है।

(ग) से (च) उत्पादन के स्तर तक पहुंचने के लिए कोयला ब्लॉकों के विकास में लगभग 3 से 5 वर्ष का समय लग जाता है और उसके अनुकूलतम क्षमता को प्राप्त करने में आगे लगभग दो वर्ष लग जाते हैं। कोयला ब्लॉकों के आबंटी द्वारा केप्टिव खान और अन्त्य उपयोग संयंत्र के विकास की प्रगति की अपर सचिव (कोयला) के स्तर पर कोयला मंत्रालय द्वारा नियमित रूप से समीक्षा की जाती है जिसमें संबंधित मंत्रालयों/विभागों एवं संबंधित राज्य सरकारों के प्रतिनिधि भी भाग लेते हैं।

आबंटी कोयला ब्लॉकों के विकास और अपने-अपने अन्त्य उपयोग की परियोजनाओं की स्थापना के विभिन्न चरणों में हैं। कंपनी के पक्ष में कोयला ब्लॉक को आबंटित करने संबंधी पत्र की शर्तों और निबंधनों के अनुसार अन्त्य उपयोग संयंत्र के कार्यान्वयन एवं कोयला परियोजना के विकास से असंतोषजनक प्रगति के संबंध में इस पत्र में उल्लिखित आबंटन की शर्तों के किसी प्रकार के उल्लंघन के लिए ब्लॉक

को रद्द किया जा सकता है। अब तक पांच कोयला ब्लॉकों का आबंटन पहले ही रद्द कर दिया गया है। सरकार ने केप्टिव ब्लॉकों के समयबद्ध तथा उपयुक्त विकास को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं:–

(1) कोयला नियंत्रक के संगठन के माध्यम से नियमित निगरानी;

(2) मंत्रालय के स्तर पर आवधिक समीक्षा जिसमें अन्य संबंधित मंत्रालयों/विभागों तथा संबंधित राज्य सरकारों का भी प्रतिनिधित्व होता है।

(3) राज्य सरकारों द्वारा खनन पट्टे की शर्तों एवं निबंधनों को लागू कराना।

(4) कोयला ब्लाकों के विकास में विभिन्न क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं।

**कोयला खानों में सुरक्षा नियम**

**1170. श्री सुनिल कुमार महतो :**
**डा. धीरेन्द्र अग्रवाल :**

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला खानों में सुरक्षा नियमों का समुचित रूप से पालन नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इस संबंध में कोई जांच और निरीक्षण करती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सुरक्षा नियमों का समुचित रूप से पालन नहीं किए जाने के लिए किसी अधिकारी को उत्तरदायी ठहराया गया है;

(च) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और चूककर्ता अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव)** : (क) और (ख) श्रम तथा रोजगार मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार खान अधिनियम, 1952 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों तथा विनियमों में खानों में सुरक्षित कार्य क्रियाविधियां निर्धारित की जाती हैं। खान प्रबंधक को खान में कार्य करते समय इन प्रावधानों का अनुपालन करना अपेक्षित है। श्रम तथा रोजगार मंत्रालय के अधीन खान सुरक्षा महानिदेशालय (डीजीएमएस) के अधिकारी खानों का नियमित निरीक्षण करते हैं। खानों में तत्काल तथा शीघ्र खतरे का पता चलने पर डीजीएमएस सुधार नोटिस जारी करता है और खान अधिनियम, 1952 के अधीन निषेधात्माक आदेश भी जारी करता है। डीजीएमएस के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के दौरान बताए गए उल्लंघनों में सुधार करना खान प्रबंधन के लिए अनिवार्य होता है।

(ग) और (घ) खान अधिनियम, 1952 और इसके तहत बनाए गए नियम और विनियमों में सुरक्षा प्रावधान निर्धारित किए जाते हैं। खान अधिनियम की धारा 18 के अनुसार स्वामी, एजेंट और प्रबंधक वित्तीय और अन्य प्रावधान तैयार करने तथा ऐसे अन्य कदम उठाने के लिए उत्तरदायी हैं जो अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम तथा विनियमों के प्रावधानों के अनुपालन के लिए आवश्यक हों। श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत डीजीएमएस के अधिकारी खानों के आवधिक निरीक्षणों के अनुपालन का पर्यवेक्षण करते हैं। अधिकारी सभी घातक दुर्घटनाओं और गंभीर शिकायतों की जांच भी करते हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान निरीक्षणों का ब्यौरा और की गई जांच नीचे दिए अनुसार हैं:–

| वर्ष | निरीक्षण की संख्या | जांच की संख्या |
|---|---|---|
| 2003 | 5574 | 966 |
| 2004 | 5214 | 834 |
| 2005 | 5247 | 933 |

(ङ) जी, हां।

(च) और (छ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

**जिला स्वास्थ्य मिशन की स्थापना**

**1171. श्री कैलाश नाथ सिंह यादव** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जिला स्वास्थ्य मिशन की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या ए एस एच ए (आशा) को इस मिशन के अंतर्गत कार्य के अनुरूप मजदूरी का भुगतान किया जाएगा;

(घ) क्या इस मिशन के अंतर्गत व्यय किए जाने के लिए वार्षिक निधि निर्धारित करने हेतु कोई नीति तैयार की जा रही है;

(ङ) क्या उक्त मिशन के क्रियान्वयन के लिए क्षेत्रों की पहचान उनकी जनसंख्या के अनुसार की गई हैं; और

(च) यदि हां, तो उक्त मिशन के क्रियान्वयन के लिए निर्धारित समय–सीमा क्या है?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी)** : (क) और (ख) जी, हां, सभी राज्यों में जिला स्वास्थ्य मिशन स्थापित कर दिए गए हैं।

(ग) आशा एक स्वैच्छिक कार्यकर्ता है जिसे कार्य–निष्पादन में सम्बद्ध प्रोत्साहन मिलेगा। उसे कोई वेतन/मजदूरी नहीं मिलेगा।

(घ) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अधीन आबंटन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के समग्र आबंटन का भाग होगा।

(ङ) और (च) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को देश भर में कार्यान्वित किया जा रहा है जिसमें विशेष ध्यान 18 राज्यों, जिनमें बिहार, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, उड़ीसा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर और आठ पूर्वोत्तर राज्य अर्थात असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम शामिल हैं, पर केन्द्रित किया जा रहा है। अत्यधिक ध्यान केन्द्रित किए जाने वाले राज्यों का चयन अपेक्षाकृत कमजोर स्वास्थ्य और जनसांख्यिकीय संकेतकों/स्वास्थ्य अवसंरचना को देखते हुए किया गया है। मिशन 2005 से 2012 तक कार्यान्वित होगा। राज्यों को निधियों के आबंटन के लिए जनसंख्या भी एक मानदण्ड है।

*[अनुवाद]*

**चिरंजीवी योजना**

**1172. श्री मधुसूदन मिस्त्री :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या केन्द्र सरकार ने गुजरात सरकार की "चिरंजीवी योजना" का आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके प्रमुख निष्कर्ष क्या है;

(ग) क्या चिरंजीवी योजना गर्भावस्था के दौरान मातृ मृत्यु दर रोकने के लिए केन्द्र सरकार की योजना से भिन्न है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान मातृ मृत्यु दर राज्य–वार कितनी रही है?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) :** (क) और (ख) मुख्यतः सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लाभ के लिए आपाती प्रसूति परिचर्या और आपाती परिवहन सेवाओं के लिए यह स्कीम प्रायोगिक आधार पर गुजरात के पांच जिलों में दिसम्बर, 2005 में शुरू की गई थी। बाद में इस स्कीम को गुजरात के सभी जिलों तक बढ़ा दिया गया है। स्कीम के प्रभाव का मूल्यांकन करने का अभी समय नहीं हुआ है।

(ग) और (घ) जी, हां। यह स्कीम, संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देकर मातृ मृत्यु और नवजात शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा शत प्रतिशत प्रायोजित जननी सुरक्षा योजना थोड़ी सी भिन्न है। जननी सुरक्षा योजना में गर्भवती महिलाओं को सीधे नकद सहायता प्रदान की जाती है, जबकि चिरंजीवी योजना के अन्तर्गत मातृ सेवाएं प्रदान करने के लिए निजी स्वास्थ्य संस्थाओं को भुगतान किया जाता है।

(ङ) भारत के महापंजीकार ने हाल ही में "भारत में मातृ मृत्यु दर : 1997–2003 रूझान, कारण और जोखिम कारक" रिपोर्ट प्रकाशित की है। रिपोर्ट के अनुसार कुछ बड़े राज्यों की राज्यवार मातृ मृत्यु दर संलग्न विवरण में दी गई है।

***विवरण***

*भारत में मातृ मृत्यु दर*

| रैंक | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/एजेंसी | मातृ मृत्यु दर | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 1997–98 | 1998 -01 | 2001–03 |
| | अखिल भारत | 398 | 327 | 301 |
| 1. | केरल | 150 | 149 | 110 |
| 2. | तमिलनाडु | 131 | 167 | 134 |
| 3. | महाराष्ट्र | 166 | 169 | 149 |
| 4. | हरियाणा | 136 | 176 | 162 |
| 5. | गुजरात | 46 | 202 | 172 |
| 6. | पंजाब | 280 | 177 | 178 |
| 7. | पश्चिम बंगाल | 303 | 218 | 194 |
| 8. | आंध्र प्रदेश | 197 | 220 | 195 |
| 9. | कर्नाटक | 245 | 266 | 228 |
| 10. | उड़ीसा | 346 | 424 | 358 |
| 11. | बिहार | 531 | 400 | 371 |
| 12. | मध्य प्रदेश | 441 | 407 | 379 |
| 13. | राजस्थान | 508 | 501 | 445 |
| 14. | असम | 568 | 398 | 490 |
| 15. | उत्तर प्रदेश | 606 | 539 | 517 |

स्रोत : 1997–2003, भारत के महापंजीकार

*[अनुवाद]*

**सरकारी अस्पतालों की कथित उदासीनता**

**1173. श्री रघुनाथ झा :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गर्भवती महिलाओं ने कथित रूप से दिल्ली और गुडगांव के फुटपाथों पर बच्चों को जन्म दिया है क्योंकि उन्हें सरकारी अस्पतालों में भर्ती होने नहीं दिया गया;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस मामले की कोई जांच की गई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(ङ) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) :** (क) से (ङ) जहां तक दिल्ली में केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों का संबंध है, अस्पताल द्वारा दाखिल करने से इनकार किए जाने के कारण फुटपाथ पर जन्म देने वाली किसी महिला का ऐसा कोई मामला नहीं हुआ है। जहां तक गुडगांव का संबंध है, स्वास्थ्य सेवा

महानिदेशक, हरियाणा सरकार, पंचकुला से प्राप्त हुई सूचना के अनुसार सरकारी अस्पताल द्वारा दाखिल करने से इनकार करने के कारण फुटपाथ पर जन्म देने वाली किसी गर्भवती महिला का कोई मामला नहीं हुआ है। गुड़गांव में अस्पताल परिसर में एक महिला द्वारा दिनांक 10.09.06 को प्रसव किए जाने के संबंध में समाचार–पत्रों में छपी रिपोर्टों पर ध्यान देते हुए जाचं कराई गई है। जांच से पता चला है कि रोगी को प्रसूति वार्ड में दाखिल किया गया था और उसकी जांच की गई थी लेकिन सम्भवतः रोगी के परिचर/पति आशंकित थे और वे चिन्तित होकर रोगी को प्रसूति कक्ष से बाहर अस्पताल के परिसर क्षेत्र में ले गए। यह मामला चौथी बार प्रसव का था और ऐस मामलों में हड़बड़ी में प्रसव होने के काफी अधिक आसार होते हैं। रोगी ने हड़बड़ी में प्रसव होने के अप्रत्याशित परिणाम होने के कारण अस्पताल क्षेत्र में बच्चे को जन्म दे दिया। जांच समिति ने निष्कर्ष निकाला कि विवरण और रिकार्डों के अनुसार रोगी से डील करने में अस्पताल स्टाफ का कोई दोष नहीं था।

*[हिन्दी]*

**प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट**

**1174. श्री रशीद मसूद :**
**श्री इकबाल अहमद सरडगी :**

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है;

(ख) यदि हां, तो उसमें की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) इन सिफारिशों को कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

**कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी)** : (क) और (ख) प्रशासनिक सुधार आयोग ने अभी तक (i) सूचना का अधिकार–सुशासन की मास्टर कुंजी, (ii) मानव पूंजी को खोलना – पात्रताएं एवं गवर्नेंस – एक मामला अध्ययन, तथा (iii) आपदा प्रबंधन – निराशा से आशा तक, नामक तीन रिपोर्टें सरकार को प्रस्तुत की हैं। जहां प्रथम रिपोर्ट सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रभावी क्रियान्वयन से संबंधित है, वहीं दूसरी रिपोर्ट राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 के क्रियान्वयन से संबंधित है। तीसरी रिपोर्ट में प्रणालीगत तैयारी, प्रारंभिक चेतावनी, शीघ्र प्रतिक्रिया तथा लोगों और संरचनाओं को बचाने के लिए रिकवरी एवं आपदा प्रतिक्रिया और रिकवरी की प्रभावकारिता में वृद्धि के माध्यम से आपदा परिस्थितियों से प्रभावी ढंग से निपटने के बारे में सिफारिशें की गई हैं। इन सभी रिपोर्टों को आयोग की वेबसाइट http://arc.gov.in पर आम सूचना के लिए रखा गया है।

(ग) और (घ) तीनों रिपोर्टों को कार्य आबंटन नियमों के अंतर्गत आबंटित विषयों के अनुसार संबंधित मंत्रालयों/विभागों को आवश्यक कार्यवाही के लिए भेजा गया। इस स्टेज पर कोई समय–सीमा तय करना संभव नहीं है।

*[अनुवाद]*

**सचल अस्पतालों की शुरूआत**

**1175. श्री जी. एम. सिद्देश्वर** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने के लिए सचल अस्पताल आरंभ करने की योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) ऐसे अस्पतालों द्वारा कब तक कार्य आरंभ किए जाने की संभावना है?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी)** : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय एक प्री–फेब्रिकेटेड, स्वतः पूर्ण, कंटेनर आधारित सचल अस्पताल का प्रापण कर रहा है। 100 बिस्तरों वाले इस अस्पताल में अत्याधुनिक आपरेशन थियेटर, नैदानिक सुविधाएं तथा सी टी स्कैन, रसोईघर, जल शुद्धिकरण, सफाई एकक सहित इसके अपने बिजली के जेनरेटर हैं। यह कंटेनर आधारित अस्पताल नई दिल्ली में अवस्थित होगा और इसे अल्प सूचना पर देश के किसी भी भाग में दुर्घटना स्थलों पर सड़क, रेल अथवा वायुयान द्वारा ले जाया जा सकता है।

(घ) आर्डर देने के चार माह के भीतर इस सचल अस्पताल की सुपुर्दगी कर दी जाएगी।

*[हिन्दी]*

**राष्ट्रीय राजमार्ग 59-ए पर कार्य**

**1176. श्री विजय कुमार खंडेलवाल** : क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग, संख्या 59–ए पर इंदौर से बेतुल तक इसके सुधार, चौड़ीकरण तथा सुदृढ़ीकरण का कार्य शुरू हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर कितनी धनराशि खर्च की गई है?

**पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा)** : (क) जी हां।

(ख) सुधार, चौड़ीकरण तथा सुदृढ़ीकरण के अंतर्गत इंदौर और बेतुल के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 59 ए पर चालू कार्यों और उन पर खर्च धनराशि के ब्यौरे इस प्रकार हैं:–

| शीर्ष | कार्यों की संख्या | लंबाई कि.मी. | स्वीकृत राशि (लाख रु.) | सितम्बर, 2006 तक खर्च की गई राशि (लाख रु.) |
|---|---|---|---|---|
| सड़क गुप्ता सुधार कार्य | 3 | 28.60 | 570.19 | 282.37 |
| दो लेन बनाना | 2 | 49.00 | 1552.95 | 2.96 |
| सुदृढ़ीकरण | – | – | – | – |
| जोड़ | 5 | 77.60 | 2123.14 | 285.33 |

*[अनुवाद]*

**डाक केन्द्रों की फ्रैंचाइजिंग**

**1177. श्रीमती सी.एस. सुजाता : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डाक विभाग ने देश के शहरी क्षेत्रों में डाक केन्द्रों की फ्रैंचाइजिंग के लिए योजना आरंभ करने हेतु आदेश जारी किये हैं;

(ख) यदि हां, तो अधिसूचित ऐसे केन्द्रों की संख्या का राज्य–वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) डाक कार्यों की फ्रैंचाइजिंग के क्या कारण हैं?

**संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद)** : (क) जी नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) डाक के किसी भी कार्य को फ्रैंचाइज नहीं किया गया है।

**बहरीन नौका दुर्घटना के पीड़ितों को मुआवजा**

**1178. डा. के. धनराजू : क्या प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मार्च 2006 में बहरीन नौका दुर्घटना में कई भारतीय मारे गए थे;

(ख) यदि हां, तो क्या पीड़ित लोगों के परिवारों को मुआवजा दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो शेष परिवारों को मुआवजे का भुगतान कब तक किए जाने की संभावना है?

**प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि)** : (क) भारतीय मिशन बहरीन से प्राप्त सूचना के अनुसार मार्च, 2006 में बहरीन नौका दुर्घटना में 22 भारतीय नागरिक मारे गये थे।

(ख) से (घ) बहरीन सरकार से कोई मुआवजा प्राप्त नहीं हुआ है।

**भाटीडीह कोलियरी में खान दुर्घटना**

**1179. श्री बसुदेव आचार्य : क्या कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बीसीसीएल के अंतर्गत भाटीडीह कोलियरी में हुई खान दुर्घटना की जांच की है जिसमें लगभग 50 कामगारों की मृत्यु हुई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है;

(ग) क्या उक्त खान दुर्घटना की वजह सुरक्षा मामलों में प्रबंधन की कथित लापरवाही रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस चूक हेतु दोषी पाए गए अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है;

(च) खान दुर्घटना में मृतक एवं घायल हुए कामगारों के परिवारों को उपलब्ध कराई गई राहत का ब्यौरा क्या है; और

(छ) भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने हेतु क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

**कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा दासरि नारायण राव)** : (क) से (ङ) झारखंड में भारत कोकिंग कोल लि. (बीसीसीएल) के भाटडीह खान में हुई दुर्घटना जिसमें 50 कोयला खनिकों की जानें चली गईं थीं और 4 लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की खबर मिली थी, के कारणों और परिस्थितियों की जांच करने के लिए भारत सरकार, श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा अधिसूचना सं. एस.ओ.1756(ई), दिनांक 12.10. 2006 के तहत जांच न्यायालय का गठन किया गया है। जांच न्यायालय को तीन महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट देनी है। जांच रिपोर्ट के निष्कर्षों और सिफारिशों के आधार पर, दुर्घटना के लिए जिम्मेदार पाए गए व्यक्तियों के विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी।

(च) मृतक के प्रत्येक आश्रित को दिए गए मुआवजे की कुल राशि उनकी सेवा की अवधि के आधार पर 8.78 लाख रु. से 11.06 लाख रु. के बीच है। इसमें अनुग्रह राशि, जीवन सुरक्षा–राशि, हितकारी निधि, दाह संस्कार व्यय, कामगार मुआवजा अधिनियम, 1923 के अनुसार मुआवजा तथा उपदान शामिल है। इसमें माननीय कोयला मंत्री की घोषणानुसार प्रत्येक के लिए 3.00 लाख रु. तथा प्रत्येक के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री द्वारा मंजूर 1.00 लाख रु. की अतिरिक्त अनुग्रह राशि भी शामिल है। इसके अतिरिक्त, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक को 1.00 लाख रु. की अनुग्रह राशि के भुगतान की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा, कोयला खान भविष्य निधि संगठन (सीएमपीएफओ) के द्वारा भविष्य निधि का भुगतान किया जा रहा है। 50 मृतकों में से, मृतक कामगारों के 48 आश्रितों को रोजगार पहले ही दे दिया गया है (दो अव्यवस्क आश्रित लड़कों को रोजगार रोस्टर में रखा गया है तथा उनकी माताओं को उनके व्ययस्क होने तक मौद्रिक मुआवजा दिया गया है सहित)। एक महिला आश्रित ने मौद्रिक मुआवजा का विकल्प चुना है जो उसकी 60 वर्ष की उम्र तक जारी रहेगा और एक विधवा को उसके दावे की वास्तविकता की जांच करने के पश्चात रोजगार दिया जाएगा।

(छ) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए कोयला कंपनियों द्वारा निम्नलिखित उपचारी उपाय किए जाते हैं :–

- सुरक्षा प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी को बढ़ावा देना।
- प्रबंधन द्वारा स्व–विनियमन को बढ़ावा देना।
- विभिन्न स्तरों पर सुरक्षा की स्थिति की त्रिपक्षीय और द्विपक्षीय समीक्षा करना।
- सुरक्षा सप्ताह मनाना और सुरक्षा अभियान चलाना।
- सुरक्षा जागरूकता का सृजन करना तथा सूचना का प्रचार–प्रसार करना।
- खानों में सुरक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करना।
- खानों में नियोजित व्यक्तियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न मंचों पर विचार–विमर्श करना।
- सुरक्षा मूल्यांकन की अवधारणा लागू करना, सुरक्षा प्रबंधन योजना तैयार करना और आपात स्थिति से निपटने की प्रणाली का विकास करना।
- सुरक्षा लेखापरीक्षा आयोजित करना।
- निम्न संभावित जोखिम के साथ खनन में नई तकनीक लागू करना।
- खानों की सुरक्षा की स्थिति की समीक्षा करने और अवगुणों को दूर करने के लिए सीआईएल की सभी सहायक कंपनियों को निदेश दिए गए हैं।
- गैस, रेत भराई, प्रचलित निष्कर्षण पद्धति और अन्य सुरक्षा पहलुओं के संबंध में डिग्री–III गैसीय खानों की सुरक्षा स्थिति का पुनःमूल्यांकन किया जा रहा है।

*[हिन्दी]*

**बीएसएनएल के सिम कार्ड**

**1180. श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बीएसएनएल के सिम कार्डों को उपभोक्ताओं की मांग पर उपलब्ध कराया जा रहा है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या कई राज्यों में सिम कार्डों को कथित रूप से दोगुनी दर पर बेचा जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(च) गत दो वर्षों के दौरान बीएसएनएल के मोबाइल कनेक्शनों को प्राप्त करने वाले सरकारी और निजी उपभोक्ताओं की संख्या कितनी है?

**संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद)** : (क) और (ख) पूर्वोत्तर, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य जैसे कुछ लाइसेंसयुक्त सेवा क्षेत्रों, जहां नेटवर्क क्षमता की कमी के कारण प्रतीक्षा सूची मे आवेदकों के नाम दर्ज हैं, को छोड़कर देश के अधिकांश भागों में बीएसएनएल के सिम कार्ड (मोबाइल कनेक्शन) मांग पर दिए जा रहे हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(च) पिछले दो वित्तीय वर्षों के दौरान सरकार और निजी उपभोक्ताओं द्वारा बीएसएनएल के 1,19,09,644 मोबाइल कनेक्शन प्राप्त किए गए। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान भी बीएसएनएल द्वारा 48,90,293 मोबाइल कनेक्शन दिए गए हैं।

*[अनुवाद]*

**वैवाहिक वेबसाइट**

**1181. डा. एम. जगन्नाथ : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का वैवाहिक वेबसाइटों की गतिविधियों को रोकने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इनकी गतिविधियों की निगरानी एवं विनियमित करने हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

**संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद)** : (क) से (ग) आईटीईएस क्षेत्र लाइसेंस मुक्त कर दिया गया है तथा पक्षों के बीच पारस्परिक सहमति से प्रचालन किया जाता है। वेबसाइटें काफी संख्या में हैं तथा दैनिक आधार पर उनकी निगरानी करना अपेक्षित नहीं है। पक्षों से अथवा किसी व्यक्ति से शिकायत प्राप्त होने पर निम्नलिखित प्रावधान लागू किए जा सकते हैं :

(i) ऑनलाइन धोखाधड़ी तथा इसके साथ ही अश्लील सामग्री के प्रकाशन को रोकने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 में किए गए दण्डात्मक प्रावधान।

(ii) किसी कम्प्यूटर संसाधन के जरिए प्रसारित सूचना अवरूद्ध करने के लिए प्रमाणन प्राधिकरण नियंत्रक द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69 के अंतर्गत।

भारत सरकार, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने कम्प्यूटर सुरक्षा संबंधी उल्लंघन होने पर कार्रवाई करने के लिए 'भारतीय कम्प्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल (सर्ट–इन)' की स्थापना की है। सर्ट–इन कम्प्यूटर सुरक्षा संबंधी उल्लंघनों के जोखिम को कम करने के लिए सक्रिय उपाय कार्यान्वित करने में भारतीय समुदाय के सदस्यों की भी सहायता करता है।

सर्ट–इन को वेबसाइटों को अवरूद्ध करने के संदर्भ में अनुदेश जारी करने के लिए भी प्राधिकृत किया गया है।

**प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में हैंड पंप के जल का उपयोग**

**1182. श्री इकबाल अहमद सरडगी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में 14 राज्यों के 43 जिलों में यूनिसेफ हेतु राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा कराए गए सर्वेक्षण के अनुसार केवल एक चौथाई प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में नल का पानी उपलब्ध है जैसाकि दिनांक 18 सितम्बर, 2006 के 'दि टाइम्स ऑफ इंडिया' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इससे संबंधित तथ्य क्या है;

(ग) क्या अधिकतर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सा प्रक्रिया में हैंड पंप के जल का उपयोग किया जाता है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार ने देश के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की दयनीय स्थिति की जांच कराई है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) पूरे देश में स्थिति प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी)** : (क) से (छ) देश के 46 जिलों में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा करवाए गए सर्वेक्षण के अनुसार 26.3% प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में केवल नल का ही पानी उपलब्ध है। सर्वेक्षण के अनुसार 17.5% प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में हैंडपंप हैं और 32.6% में सार्वजनिक हैंड पम्प जल स्रोत के रूप में हैं।

सितम्बर, 2005 की स्थिति के अनुसार देश में 23236 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में से केवल 16023 सरकारी भवनों में कार्य कर रहे हैं।

स्वास्थ्य सुविधाओं की खराब स्थिति को देखते हुए सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू किया है जिसके अंतर्गत सुविधाओं का उन्नयन, अवसंरचना को सहायता, पूरक कार्मिक शक्ति प्रदान की जा रही है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत स्थानीय स्वास्थ्य कार्यवाही के लिए अनटाइड फंड के रूप में प्रति प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र 25,000 रुपए की राशि अनुमोदित की गई है। इसके अलावा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भौतिक अवसंरचना के रख–रखाव और सुधार के लिए प्रति प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र 50,000 रुपए की दर से वार्षिक रख–रखाव अनुदान अनुमोदित किया गया है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का भारतीय जन स्वास्थ्य मानकों तक उन्नयन करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत राज्य सरकारों को वार्षिक परियोजना कार्यान्वयन योजना के अनुसार निधियां प्रदान की जा रही हैं।

**राष्ट्रमंडल खेल, 2010 हेतु निधियां**

**1183. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया :**
**श्री जय प्रकाश** (मोहनलाल गंज) :

क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रमंडल खेल–2010 से संबंधित तैयारियां गंभीर वित्तीय संकट का सामना कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी अनुमानित लागत कितनी है और इसको विभिन्न स्रोतों से कितनी निधियां उपलब्ध करायी गई हैं; और

(ग) पर्याप्त मात्रा में निधियां उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाए गए है अथवा उठाए जा रहे हैं?

**पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर)** : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) वर्तमान अनुमान के अनुसार खेलों की प्रस्तावित लागत लगभग 3500.00 करोड़ रुपये है। राष्ट्रमंडल खेलों की आयोजित समिति के इस बजटीय अनुमान में से खेलों के आयोजन के लिए (767.00 करोड़ रुपये ± 15%), खेल गावं व खेल स्थलों की अवस्थापना हेतु दिल्ली विकास प्राधिकरण को (325.00 करोड़ रु. ± 20%), और भारतीय खेल प्राधिकरण को अपने स्टेडियमों के उन्नयन व अतिरिक्त सुविधाएं सृजित करने के लिए (1000.00 करोड़ रु. ±10%) व्यय वित्त समिति द्वारा भारत सरकार के माध्यम से राशि देने की सिफारिश की गई है, इसके आधार पर संबंधित एजेंसियों को चरणबद्ध तरीके से राशि जारी की जा रही है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार तथा नई दिल्ली नगर पालिका को दिए गये नागरिक अवस्थापना तथा खेल अवस्थापना के उन्नयन करने संबंधित कार्य के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के 770.00 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को योजना आयोग द्वारा सैद्धान्तिक रूप से अनुमोदित कर दिया गया है। इन अनुमोदनों में खेलों के लिए अपेक्षित सभी मुख्य तत्व जैसे अवस्थापना आदि शामिल है। सरकार राष्ट्रमंडल खेल, 2010 से संबंधित परियोजनाओं की प्रगति निगरानी विभिन्न संस्थागत तंत्रों के माध्यम से कर रही है ताकि वे समय पर समाप्त हो सके।

**शारीरिक रूप से विकलांगों हेतु आरक्षित पद**

**1184. श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील** : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार के विभिन्न विभागों में शारीरिक रूप से विकलांगों हेतु कितने प्रतिशत पद आरक्षित हैं;

(ख) क्या शारीरिक रूप से विकलांगों हेतु आरक्षित कोई पद लंबे समय से रिक्त पड़े हैं;

(ग) यदि हां, तो रिक्त पदों की प्रतिशतता कितनी है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इन पदों को भरने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

**कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी)** : (क) भारत सरकार के अधीन सेवाओं में पहचानशुदा पदों में 03 प्रतिशत रिक्तियां निःशक्त व्यक्तियों के लिए आरक्षित हैं।

(ख) निःशक्त व्यक्तियों के लिए आरक्षित पिछली बकाया रिक्तियों को केवल 01 वर्ष तक आगे ले जाए जाने का प्रावधान है। इन पदों को लंबे अरसे तक खाली रखने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(ग) यह सूचना केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखी जाती है।

(घ) सभी मंत्रालयों/विभागों को यह सुनिश्चित करने के अनुदेश जारी किए गए हैं कि निःशक्त व्यक्तियों के लिए आरक्षण नीति का पूरी तरह से पालन किया जाना चाहिए। यह भी अनुदेश जारी किए गए हैं कि जिन पदों को निःशक्त व्यक्तियों द्वारा भरे जाने के लिए उपयुक्त माना गया है उन्हें भर जाने के लिए संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग को मांग भेजते हुए इस आशय का एक प्रमाण पत्र दिया जाना चाहिए कि निःशक्त व्यक्तियों के लिए आरक्षित नीति का पालन किया गया है।

*[हिन्दी]*

**सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलना**

**1185. श्री ब्रजेश पाठक** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश के सभी गांवों विशेषकर पिछड़े गांवों में प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो उन गांवों की राज्य-वार संख्या कितनी है जहां अब तक सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नहीं खोले गए हैं;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान एवं आज तक नए सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने हेतु सरकार द्वारा राज्य-वार आबंटित किया गया है; और

(घ) आगामी वित्तीय वर्ष के दौरान कितने सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने का लक्ष्य है और इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आबंटित की जाएगी?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनाबाका लक्ष्मी)** : (क) और (ख) ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य परिचर्या अवसंरचना को तीन स्तरीय प्रणाली के रूप में विकसित किया गया है और यह निम्नलिखित जनसंख्या मानकों पर आधारित है :-

*जनसंख्या मानक*

| केन्द्र | मैदानी क्षेत्र | पहाड़ी/आदिवासी/दुर्गम |
|---|---|---|
| उप केन्द्र | 5000 | 3000 |
| प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र | 30,000 | 20,000 |
| सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र | 1,20,000 | 80,000 |

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र द्वारा कवर किए गए औसत गांवों की संख्या 27 और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र द्वारा कवर किए गए औसत गांवों की संख्या 191 है। सितम्बर, 2005 की स्थिति के अनुसार देश

में 23236 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और 3346 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कार्य कर रहे थे। वर्ष 2001 के मानकों के अनुसार पूरे देश में 26022 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की आवश्यकता की तुलना में 4337 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की कमी थी। 6491 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की आवश्यकता की तुलना में 3206 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की कमी थी।

(ग) नए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना के लिए चिकित्सा और जन स्वास्थ्य के अंतर्गत वर्ष 2003–04, 2004–05 का राज्यवार अनुमोदित, संशोधित परिव्यय और वास्तविक व्यय तथा 2005–06 का अनुमोदित और संशोधित परिव्यय और 2006–07 का अनुमोदित परिव्यय विवरण–I में दिया गया है।

(घ) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के लिए 10वीं योजना लक्ष्य क्रमशः 1714 और 2565 है। 10वीं योजना के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार उपलब्धियां विवरण–II में दी गई हैं।

*विवरण-I*

*चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य*

रुपए लाखों में

| क्र.सं. | राज्य/संघ क्षेत्रों के नाम | 2003–04 | | | 2004–05 | | | 2005–06 | | 2006–07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | अनुमोदित परिव्यय | संशोधित परिव्यय | वास्तविक व्यय | अनुमोदित परिव्यय | संशोधित परिव्यय | वास्तविक व्यय | अनुमोदित परिव्यय | संशोधित परिव्यय | वास्तविक परिव्यय |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 40995.06 | 38615.04 | 35362.36 | 40995.44 | 40995.44 | 31427.72 | 43269.24 | 34769.24 | 53574.24 |
| 2. | अरूणाचल प्रदेश | 2201.05 | 2201.05 | 2099.23 | 2781.50 | 2781.35 | 3185.00 | | 1417.00 | 1970.00 |
| 3. | असम | 7882.00 | 7882.00 | 7631.46 | 6529.00 | 6529.00 | 6529.00 | 5687.00 | 7882.00 | |
| 4. | बिहार | 13698.79 | 10993.59 | 12343.11 | 14182.02 | 15082.02 | 14389.78 | 12721.80 | 16318.30 | 13700.00 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 8083.00 | 8083.00 | 11736.00 | 15076.00 | 15076.00 | 12462.52 | 14287.44 | 12122.33 | 33249.90 |
| 6. | गोवा | 3174.99 | 2624.70 | 2568.54 | 3521.33 | 4070.05 | 3149.21 | | 2568.54 | 4495.00 |
| 7. | गुजरात | 25221.00 | 22221.00 | 21472.13 | 25294.00 | 25294.00 | 25294.00 | 43494.00 | 21472.13 | 45994.00 |
| 8. | हरियाणा | 7800.00 | 5900.00 | 5757.51 | 7124.00 | 6314.00 | 5843.76 | 10200.00 | 10250.00 | 11450.00 |
| 9. | हिमाचल प्रदेश | 19517.07 | 20196.22 | 18066.07 | 18295.79 | 18779.98 | 19734.27 | 18476.60 | 19050.81 | 19948.92 |
| 10. | जम्मू और कश्मीर | 14863.66 | 15695.66 | 13752.90 | 16330.87 | 18933.29 | 17748.78 | 21061.70 | 13752.90 | 21864.25 |
| 11. | झारखंड | 9700.00 | 9700.00 | 6339.98 | 14040.00 | 14040.00 | 13371.59 | 15000.00 | 15000.00 | 26800.00 |
| 12. | कर्नाटक | 13974.00 | 16884.66 | 19189.66 | 18011.51 | 15731.51 | 15731.51 | 33239.29 | 28920.80 | 34098.61 |
| 13. | केरल | 9748.00 | 8485.00 | 5882.27 | 10130.00 | 5227.25 | 6813.87 | 10035.00 | 11901.56 | 9650.00 |
| 14. | मध्य प्रदेश | 4528.50 | 13088.15 | 15444.43 | 20298.09 | 20292.44 | 17763.95 | 20587.00 | 15444.43 | 16961.91 |
| 15. | महाराष्ट्र | 76435.18 | 62065.41 | 33244.78 | 18663.93 | 18663.93 | 31192.05 | 77874.10 | 33244.78 | 88228.54 |
| 16. | मणिपुर | 2280.00 | 2280.00 | 940.96 | 1915.91 | 1965.91 | 789.52 | 351.00 | 940.96 | 2837.00 |
| 17. | मेघालय | 3550.00 | 3800.00 | 3773.09 | 4042.00 | 4242.00 | 4071.33 | 4484.00 | 3773.00 | 4750.00 |
| 18. | मिजोरम | 2975.00 | 4105.40 | 4185.67 | 3000.00 | 3027.90 | 2950.10 | 3480.00 | 4185.67 | 4000.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19. | नागालैंड | 2383.00 | 2383.00 | 2514.00 | 2207.15 | 2219.15 | 2114.87 | 2263.00 | 2514.00 | 2363.00 |
| 20. | उड़ीसा | 21694.42 | 13449.42 | 9256.11 | 11739.19 | 6474.19 | 10281.41 | 14348.19 | 9256.11 | 4052.20 |
| 21. | पंजाब | 10450.47 | 12192.29 | 5971.99 | 7508.93 | 8766.20 | 2133.32 | 2743.13 | 5971.99 | 5019.10 |
| 22. | राजस्थान | 8236.02 | 7458.98 | 5434.80 | 10811.56 | 10963.88 | 9736.64 | 18805.59 | 5434.80 | 20618.60 |
| 23. | सिक्किम | 1606.00 | 1326.00 | 1454.87 | 2210.00 | 2210.00 | 2200.56 | 1840.00 | 1454.87 | 1690.00 |
| 24. | तमिलनाडु | 1631.44 | 16164.44 | 15963.39 | 19400.66 | 19400.66 | 17402.60 | 26874.17 | 15963.39 | |
| 25. | त्रिपुरा | 2013.34 | 3198.44 | 2107.23 | 2535.36 | 4452.31 | 3040.42 | 2813.10 | 2243.86 | 6459.60 |
| 26. | उत्तरांचल | 7358.71 | 7358.71 | 6315.44 | 8759.31 | 8759.31 | 9978.76 | 8790.92 | 6302.53 | 18600.00 |
| 27. | उत्तर प्रदेश | 33927.00 | 22600.00 | 19745.93 | 33009.00 | 33009.00 | 38352.82 | 85421.00 | 19745.93 | 188763.00 |
| 28. | पश्चिम बंगाल | 21192.98 | 26715.96 | 18584.87 | 23739.80 | 19261.69 | 15392.06 | 40207.80 | 18590.41 | 44289.68 |
| 29. | अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | 2150.00 | 2160.00 | 2312.26 | 2390.00 | 2390.00 | 2382.96 | 3321.00 | 2312.26 | 3200.00 |
| 30. | चंडीगढ़ | 3111.00 | 3111.00 | 3546.75 | 3477.00. | 3477.00 | 3355.33 | 3392.00 | 3546.75 | 3587.00 |
| 31. | दादरा और नगर हवेली | 266.00 | 266.00 | 301.67 | 343.00 | 343.00 | 403.20 | 400.00 | 301.67 | 470.00 |
| 32. | दमण और दीव | 228.00 | 227.00 | 282.85 | 290.00 | 290.00 | 301.03 | 350.00 | 282.85 | 414.00 |
| 33. | दिल्ली | 42692.00 | 42179.55 | 38942.11 | 53775.00 | 52306.60 | 46989.16 | 60600.00 | 38942.11 | 69120.00 |
| 34. | लक्षद्वीप | 227.00 | 235.00 | 228.24 | 225.00 | 225.00 | 166.73 | 242.00 | 264.90 | 17800.00 |
| 35. | पांडिचेरी | 3205.00 | 3246.48 | 3259.04 | 4160.00 | 4149.04 | 4196.59 | 5635.00 | 3259.04 | 9485.00 |
| | कुल | 457059.29 | 419411.2 | 356011.7 | 426812.2 | 415743.1 | 400876.4 | 612095.1 | 389402 | 767639.3 |

***विवरण-II***

*ग्रामीण स्वास्थ्य अवसंरचना के लक्ष्यों की तुलना में दसवीं योजना के लक्ष्य एवं उपलब्धियां*

| | | प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र | | सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र | |
|---|---|---|---|---|---|
| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | दसवीं योजना लक्ष्य | दसवीं योजना (सितम्बर, 2005 तक) के दौरान उपलब्धियां | दसवीं योजना लक्ष्य | दसवीं योजना (सितम्बर, 2005 तक) के दौरान उपलब्धियां |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 321 | 184 | 208 | 0 |
| 2. | अरूणाचल प्रदेश | | | | |
| 3. | असम | 116 | 0 | 81 | 0 |
| 4. | बिहार | 319 | 6 | 403 | 14 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5. | छत्तीसगढ़ | 159 | 0 | 28 | 0 |
| 6. | गोवा | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 7. | गुजरात | | | 4 | 4 |
| 8. | हरियाणा | 12 | 6 | 39 | 8 |
| 9. | हिमाचल प्रदेश | | | | |
| 10. | जम्मू और कश्मीर | | | | |
| 11. | झारखंड | 115 | 0 | 122 | 0 |
| 12. | कर्नाटक | | | 19 | 5 |
| 13. | केरल | | | 75 | 1 |
| 14. | मध्य प्रदेश | 123 | 0 | 100 | 0 |
| 15. | महाराष्ट्र | | | 88 | 31 |
| 16. | मणिपुर | | | | |
| 17. | मेघालय | | | 6 | 6 |
| 18. | मिजोरम | | | | |
| 19. | नागालैंड | 8 | 8 | 5 | 5 |
| 20. | उड़ीसा | | | 108 | 74 |
| 21. | पंजाब | | | 14 | 11 |
| 22. | राजस्थान | | | 49 | 49 |
| 23. | सिक्किम | | | 2 | 2 |
| 24. | तमिलनाडु | | | 237 | 0 |
| 25. | त्रिपुरा | 38 | 15 | 13 | 0 |
| 26. | उत्तरांचल | 8 | 0 | 36 | 14 |
| 27. | उत्तर प्रदेश | | | 588 | 106 |
| 28. | पश्चिम बंगाल | 464 | 0 | 332 | 0 |
| 29. | अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | | | | |
| 30. | चंडीगढ़ | | 2 | 0 | |
| 31. | दादरा और नगर हवेली | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 32. | दमण और दीव | | | | |
| 33. | दिल्ली | 24 | 0 | 8 | 0 |
| 34. | लक्षद्वीप | | | | |
| 35. | पांडिचेरी | | | | |
| | अखिल भारत | 1714 | 219 | 2565 | 330 |

नोट: उपलब्धियां कुछ राज्यों में दिए गए लक्ष्यों की तुलना में अधिशेष को नजरअंदाज करते हुए ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं संबंधी तिमाही प्रगति रिपोर्टों में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित कार्यरत केन्द्रों की संख्या पर आधारित है। उपलब्धि 10वीं पंचवर्षीय योजना की शुरूआत के समय की स्थिति की तुलना में सूचित कार्यरत केन्द्रों की संख्या बढ़ाए जाने के आधार पर तैयार की गई है।

उपलब्धि के आंकड़े अनंतिम है।

*[अनुवाद]*

**टेलीफोन एक्सचेंजों की क्षमता में वृद्धि**

**1186. श्री चंद्रकांत खैरे :** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2006–07 के दौरान महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में टेलीफोन एक्सचेंजों की विद्यमान क्षमता में वृद्धि की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी एक्सचेंज–वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान इस पर कुल कितना व्यय किया गया है?

**संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) :** (क) जी, हां।

(ख) और (ग) वर्ष 2006–07 के दौरान निम्नलिखित स्थानों पर कुल एक्सचेंज क्षमता में 2880 लाइनों (6 स्थानों पर प्रत्येक एक्सचेंज में 480 लाइनों की वृद्धि, जिस पर कुल व्यय 15,70,591/– रु. हुआ) की वृद्धि की गई :

(i) एम सेक्टर वालुज

(ii) मोहनलाल नगर

(iii) गारखेडा

(iv) शिवाजी नगर

(v) सिल्क मिल कालोनी

(vi) बडावे इंजीनियरिंग वालुज

उपर्युक्त के अतिरिक्त, इस अवधि के दौरान निम्नलिखित स्थानों पर 6 वायरलेस इन लोकल लूप (डब्ल्यूएलएल) बेस ट्रांसीवर स्टेशन (बीटीएस) (प्रत्येक 750 लाइनों की क्षमता वाला) भी स्थापित किए गए हैं, जिन पर कुल लागत 20,06,497/– रु. आई है :

(i) महलगांव

(ii) चिनेहोली लिंबाजी

(iii) सोयेगांव

(iv) गोलेगांव

(v) फुलंबरी

(vi) खुलदाबाद

**नई अवसंरचना नीति**

**1187. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :**
**श्रीमती निवेदिता माने :**
**श्री कीर्तिवर्धन सिंह :**

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का नई अवसंरचना नीति शुरू करने का कोई प्रस्ताव है जैसा कि दिनांक 09 अक्तूबर, 2006 के हिन्दी दैनिक 'नवभारत टाइम्स' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इसको कब तक शुरू किए जाने की संभावना है; और

(घ) इस नीति के अंतर्गत विभिन्न कार्यों हेतु निष्पक्ष ठेकों हेतु मानदण्ड निर्धारित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

**योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन) :** (क) से (घ) सभी क्षेत्रकों की उत्पादकता में सुधार लाने तथा अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए अवसंरचना महत्वपूर्ण है। अवसंरचना विकास के लिए व्यापक संसाधनों की आवश्यकता है। इसके लिए सार्वजनिक क्षेत्रक के साथ–साथ निजी क्षेत्रकों से निवेश में महत्वपूर्ण वृद्धि करने की आवश्यकता होगी। जबकि अवसंरचना में सार्वजनिक निवेश का बढ़ना जारी रहेगा, सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) की भूमिका को अवसंरचना सेवाओं में वर्तमान कमी को पूरा करने हेतु व्यापक रूप से बढ़ाने की आवश्यकता है।

अनुकूल माहौल पैदा करने के उद्देश्य से सरकार पूर्वसूचनीयता में सुधार, पीपीपी के लिए जोखिम कम करने तथा लागत और समय कम करने हेतु उपयुक्त संस्थागत मैकेनिज्म का सृजन तथा नीति एवं नियामक ढांचे का आधुनिकीकरण कर रही है। अन्य पहलुओं में दस्तावेजों का मानिकीकरण एवं उसे सुचारू बनाना, मॉडल रियायत समझौतों के प्रयोग सहित प्रक्रियाएं एवं प्रणाली शामिल हैं।

**राष्ट्रीय परिसंघों को सहायता**

**1188. श्री बृज किशोर त्रिपाठी :** क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2004–05 और 2005–06 के दौरान एवं आज तक अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट्स के लिए प्रशिक्षण प्राप्त करने एवं इनमें भाग लेने हेतु विभिन्न टीमों को विदेश भेजने के लिए राष्ट्रीय खेल परिसंघों को स्वीकृत एवं संवितरित सहायता का स्पर्धा–वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त व्यय की संवीक्षा करने के क्या मानदंड हैं;

(ग) क्या संवितरित धनराशि का समुचित उपयोग किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) उक्त सहायता के दुरूपयोग को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

**पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर)** : (क) राष्ट्रीय खेल परिसंघों को विभिन्न प्रयोजनों, जिनमें विभिन्न टीमों को प्रशिक्षण तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए विदेश भेजना शामिल है, के लिए वर्ष 2004–05, 2005–06 तथा 2006–07 के दौरान (15.11.2006 तक) खेल विधा–वार प्रदान की गई वित्तीय सहायता संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) से (च) सरकारी सहायता का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए सरकार स्वीकार्य सहायता का 75% अग्रिम के रूप में जारी करती है तथा बाकी सहायता राशि संबंधित परिसंघ से लेखा–परीक्षित विवरण सहित मूल बिलों/वाऊचरों, उपयोग प्रमाणपत्र तथा प्रतियोगिता की रिपोर्ट मिलने पर जारी की जाती है। इस मंत्रालय ने भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के माध्यम से एक वर्ष में एक करोड़ रु. से अधिक की सहायता प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय खेल परिसंघों के लेखों की लेखा–परीक्षा के लिए स्वीकृति भी जारी कर दी है।

*विवरण*

(रुपये लाखों में)

| क्र.सं. | परिसंघ का नाम | 2004–05 | 2005–06 | 2006–07 (15.11.06 तक की स्थिति के अनुसार) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | अखिल भारतीय कैरम परिसंघ | 14.25 | 13.98 | 9.00 |
| 2. | अखिल भारतीय शतरंज परिसंघ | 111.90 | 78.94 | 43.09 |
| 3. | अखिल भारतीय फुटबाल परिसंघ | 119.36 | 39.04 | 14.50 |
| 4. | अखिल भारतीय कराटे–डो परिसंघ | 0 | 00.00 | 00.00 |
| 5. | अखिल भारतीय बधिर खेल परिषद | 30.02 | 13.43 | 11.36 |
| 6. | भारतीय एमेच्योर एथलेटिक परिसंघ | 215.08 | 227.95 | 71.11 |
| 7. | भारतीय एमेच्योर बेसबाल परिसंघ | 12.50 | 07.00 | 9.49 |
| 8. | भारतीय एमेच्योर हैंडबाल परिसंघ | 14.00 | 34.57 | 38.64 |
| 9. | भारतीय एमेच्योर कबड्डी परिसंघ | 25.00 | 24.69 | 1.00 |
| 10. | भारतीय तीरंदाजी संघ | 58.95 | 51.75 | 33.74 |
| 11. | भारतीय आत्यापात्या परिसंघ | 7.50 | 12.00 | 10.50 |
| 12. | भारतीय बैडमिंटन संघ | 160.16 | 271.94 | 45.64 |
| 13. | भारतीय बाल बैडमिंटन परिसंघ | 5.50 | 00.00 | 00.00 |
| 14. | भारतीय बास्केटबाल परिसंघ | 49.61 | 41.21 | 22.63 |
| 15. | भारतीय बिलियर्डस और स्नूकर परिसंघ | 23.52 | 28.57 | 8.07 |
| 16 | भारतीय साईकल पोलो परिसंघ, | 6.75 | 00.00 | 27.25 |
| 17. | भारतीय साईकल परिसंघ | 16.38 | 11.73 | 00.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 18. | भारतीय घुड़सवारी परिसंघ | 32.76 | 31.30 | 12.10 |
| 19. | भारतीय फेंसिंग संघ | 17.07 | 43.71 | 50.76 |
| 20. | भारतीय जिम्नास्टिक परिसंघ | 18.88 | 14.88 | 15.25 |
| 21. | भारतीय एमेच्योर मुक्केबाजी परिसंघ | 81.28 | 142.74 | 38.61 |
| 22. | भारतीय शरीर सौष्ठव परिसंघ | 0 | 00.00 | 00.00 |
| 23. | भारतीय गोल्फ संघ | 32.48 | 37.84 | 4.38 |
| 24 | भारतीय हाकी परिसंघ | 194.21 | 96.46 | 80.15 |
| 25. | भारतीय कयाकिंग और केनोइंग संघ | 16.06 | 36.50 | 18.13 |
| 26. | भारतीय ओलंपिक संघ | 1241.45 | 00.00 | 393.33 |
| 27. | भारतीय पोलो संघ | 1.62 | 01.10 | 0.75 |
| 27. | भारतीय पावर लिफ्टिंग परिसंघ | 13.00 | 15.00 | 8.00 |
| 28. | भारतीय भारोत्तोलन परिसंघ | 79.88 | 51.41 | 00.00 |
| 29. | भारतीय महिला हाकी परिसंघ | 110.35 | 78.81 | 56.25 |
| 30. | भारतीय जूडो परिसंघ | 56.37 | 64.66 | 37.06 |
| 31. | भारतीय खो–खो परिसंघ | 18.92 | 12.00 | 4.00 |
| 32. | भारतीय कोर्फ बाल परिसंघ | 12.50 | 09.00 | 9.50 |
| 33. | अखिल भारतीय टेनिस संघ | 136.87 | 77.45 | 60.20 |
| 34. | भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ | 218.37 | 433.43 | 254.75 |
| 35. | भारतीय नेटबाल परिसंघ | 7.50 | 11.50 | 0.50 |
| 36. | भारतीय रोलर स्केटिंग परिसंघ | 15.00 | 09.00 | 00.00 |
| 37. | भारतीय रोइंग परिसंघ | 118.43 | 51.65 | 8.32 |
| 38. | भारतीय स्कूल गेम्स परिसंघ | 0 | 0 | 0.00 |
| 39. | भारतीय सेपक टकारो परिसंघ | 7.50 | 10.50 | 10.00 |
| 40. | भारतीय शूटिंग बाल परिसंघ | 12.00 | 0.00 | 00.00 |
| 41. | भारतीय साफ्टबाल परिसंघ | 14.00 | 9.80 | 4.50 |
| 42. | भारतीय स्क्वैश राकेट परिसंघ | 119.37 | 15.42 | 21.20 |
| 43. | भारतीय तैराकी परिसंघ | 11.76 | 53.33 | 2.67 |
| 44. | भारतीय टेबल टेनिस परिसंघ | 116.78 | 165.10 | 148.25 |
| 45. | भारतीय ताइक्वांडो परिसंघ | 6.00 | 00.00 | 00.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 46. | भारतीय टेनीकोइट परिसंघ | 10.50 | 11.00 | 10.00 |
| 47. | भारतीय टेनिस बाल क्रिकेट परिसंघ | 7.00 | 17.00 | 4.50 |
| 48. | भारतीय रस्साकशी परिसंघ | 12.50 | 11.50 | 15.50 |
| 49. | भारतीय वालीबाल परिसंघ | 32.17 | 94.97 | 27.56 |
| 50. | भारतीय महिला क्रिकेट संघ | 5.00 | 00.00 | 1.00 |
| 51. | भारतीय कुश्ती परिसंघ | 225.35 | 209.82 | 15.47 |
| 52. | भारतीय याटिंग संघ | 159.88 | 141.30 | 136.26 |
| 53. | भारतीय वुशू संघ | 10.50 | 07.10 | 9.00 |
| 54. | भारतीय शीतकालीन खेल परिसंघ | 9.64 | 12.51 | 0.39 |
| 55. | भारतीय पोलो संघ | 1.62 | 1.10 | 0.75 |
| 56. | पैरा ओलंपिक्स | 00.00 | 13.50 | 33.34 |
| 57. | विशेष ओलंपिक भारत | 00.00 | 00.00 | 4.50 |

**चीनी कारोबारियों को वीजा**

**1189. श्री असादूद्दीन ओवेसी :** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चीन ने अपने कारोबारियों को भारत द्वारा वीजा नहीं दिए जाने पर चिंता व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर भारत की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) चीन के साथ संबंधों को सुधारने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

**विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) :** (क) से (ग) वीजा प्रक्रिया के सरलीकरण के संबंध में 23 जून, 2003 को भारत और चीन के बीच संपन्न समझौता ज्ञापन के अनुसरण में चीनी राष्ट्रिकों को वीजा जारी किए जाते हैं। इस समझौता ज्ञापन के क्रियान्वयन से संबंधित मसलों पर दोनों पक्ष समय-समय पर विचार-विमर्श करते हैं। उपर्युक्त समझौता ज्ञापन में निहित समझबूझ के क्रियान्वयन पर सरकार ने 11 अक्तूबर, 2006 को संशोधित दिशानिर्देश जारी किए हैं।

(घ) राष्ट्रपति हू जिंताओं की हाल की भारत यात्रा के दौरान 21 नवंबर, 2006 को जारी संयुक्त घोषणा में भारत-चीन संबंधों को गुणात्मक रूप से एक नए स्तर तक उन्नत बनाने और अपनी सामरिक तथा सहयोगात्मक भागीदारी को सार्थक बनाने और बल प्रदान करने हेतु दस स्तरीय नीति की बात कही गई है। इस नीति के घटकों में; द्विपक्षीय संबंधों के व्यापक विकास को सुनिश्चित करना; वाणिज्यिक और आर्थिक आदान-प्रदानों को सघन बनाना; परस्पर लाभकारी बहुमुखी सहयोग का विस्तार करना; रक्षा सहयोग के माध्यम से परस्पर विश्वास और भरोसा उत्पन्न करना; अनसुलझे मसलों के शीघ्र समाधान के प्रयास करना; सीमा-पार संपर्कों और सहयोग का संवर्धन; विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में सहयोग को बढ़ावा देना; सांस्कृतिक संबंधों को सुदृढ़ करना और लोगों से लोगों के बीच आदान-प्रदानों का संपोषण; और क्षेत्रीय एवं अंतर राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग का विस्तार करना शामिल है।

**मधुमेह के रोगियों की संख्या में वृद्धि**

**1190. श्री ई.जी. सुगावनम :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में मधुमेह के रोगियों की संख्या में हो रही वृद्धि के कारणों का विश्लेषण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस बीमारी की रोकथाम हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनाबाका लक्ष्मी) :** (क) से (ग) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, 'रोग भार' के अनुसार अनुमान है कि 2004 में भारत में 37.77 मिलियन

मधुमेह से पीड़ित रोगी हैं। रोगियों की संख्या में वृद्धि मुख्य रूप से बदलते जीवन शैली पैटर्नों से संबद्ध है।

सभी निदान किए गए मधुमेह के रोगियों में टाइप । मधुमेह के 5 प्रतिशत से 10 प्रतिशत रोगी हो सकते हैं और इस श्रेणी के मधुमेह के विकसित होने में पर्यावरणिक कारक शामिल हैं।

मधुमेह के सभी निदान किए गए रोगियों में टाइप 2 मधुमेह के लगभग 90 प्रतिशत से 95 प्रतिशत रोगी हैं। टाईप 2 मधुमेह के जोखिम कारकों में वृद्धावस्था, मोटापा, मधुमेह का पारिवारिक इतिहास, गर्भावधि मधुमेह का पूर्व इतिहास, विकृत ग्लूकोज सह्यता, शारीरिक निष्क्रियता और जाति/जातीयता शामिल हैं।

गर्भावधि मधुमेह सभी गर्भधारणों में 2 प्रतिशत से 3 प्रतिशत में विकसित होता है और समान्यतया प्रवाह के बाद समाप्त हो जाताा है।

अन्य विशिष्ट प्रकार का मधुमेह विशिष्ट जेनेटिक संलक्षणों, शल्य चिकित्सा, औषध कुपोषण, संक्रमणों और अन्य बीमारियों से होता है। इस प्रकार का मधुमेह मधुमेह के सभी निदान किए गए रोगियों में से 1 प्रतिशत से 2 प्रतिशत हो सकता है।

(घ) प्रस्तावित राष्ट्रीय मधुमेह, कार्डियोवास्कुलर रोग और आघात निवारण और नियंत्रण कार्यक्रम की प्रायोगिक परियोजना 2006–07 में शुरू की जा रही है जिसमें रोगी की रोकथाम और उसका शीघ्र पता लगाने, उपचार करने तथा जटिलताओं से बचने पर बल दिया जाएगा। इस कार्यक्रम से विभिन्न स्तरों पर कार्यकलापों के जरिए संशोधनीय जोखिम कारकों को कम करने में भी मदद मिलेगी।

**स्पीड पोस्ट/एक्सप्रैस पार्सल पोस्ट को लोकल डाक मानना**

**1191. श्री एस.के. खारवेनथन :** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डाक विभाग के पास राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली और सभी महानगरों के अन्य निकटवर्ती कस्बों में स्पीड पोस्ट और एक्सप्रैस पार्सल पोस्ट्स को 'लोकल डाक' मानने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इससे डाक विभाग को अनुमानित कितना राजस्व प्राप्त होने की संभावना है; और

(घ) इस प्रस्ताव को कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

**संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) :** (क) से (घ) डाक विभाग ने दिल्ली/नई दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, गुड़गांव और फरीदाबाद में और के लिए बुक किए गए स्पीड पोस्ट एवं एक्सप्रेस पार्सल डाक मदों को प्रशुल्क के निर्धारण हेतु 'लोकल' मानने का निर्णय लिया है। ये आदेश 15 अगस्त, 2006 से लागू हो गए हैं।

अभी डाक विभाग के पास किसी अन्य मेट्रो शहरों और उनके निकटवर्ती नगरों में और के लिए बुक किए गए स्पीड पोस्ट और एक्सप्रेस पोस्ट मदों को 'लोकल' मानने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

इस पहल का प्रमुख उद्देश्य अतिरिक्त राजस्व को बढ़ाना नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और इसकी सीमाओं से जुड़े जिलों में रहने वाले लोगों को ग्राहकोनुकूल सेवाएं प्रदान करना है।

*[हिन्दी]*

**ग्रामीण क्षेत्रों में डाक वितरण प्रणाली**

**1192. श्री काशीराम राणा :**
**श्री जीवाभाई ए. पटेल :**

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार ने अंतिम बार किस तिथि को ग्रामीण क्षेत्रों में डाक वितरण प्रणाली की समीक्षा की थी;

(ख) उक्त समीक्षा के क्या परिणाम निकले; और

(ग) सरकार द्वारा ग्रामीण डाक वितरण प्रणाली सुधारने हेतु उक्त समीक्षा के परिणामों के आधार पर क्या कार्रवाई की गई है?

**संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) :** (क) ग्रामीण क्षेत्रों में डाक वितरण प्रणाली की सावधिक समीक्षा एक सतत प्रक्रिया है और इसे हर महीने काफी ध्यानपूर्वक किया जाताा है। डाक सर्किल इन प्रावधानों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में डाक वितरण प्रणाली की जांच की एक सुव्यवस्थित प्रणाली को अपनाते हैं। इसके अलावा, जनसाधारण से किसी व्यक्ति से या विभाग के कार्मिकों द्वारा औचक निरीक्षणों के दौरान शिकायत प्राप्त होने पर अगर देरी के कारण सामने आते हैं, उनका विश्लेषण किया जाता है और सुधार के उपाय किए जाते हैं। डाक सर्किलों द्वारा अंतिम समीक्षा अक्तूबर, 2006 में की गई थी।

(ख) इस समीक्षा के परिणाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) उपरोक्त समीक्षा के आधार पर पारेषण समय को न्यूनतम करके, मौजूदा डाकघरों की समीक्षा और डाक वितरण प्रणाली को सशक्त तथा कारगर बनाने के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में डाक वितरण प्रणाली को मजबूत बनाया जा रहा है।

*विवरण*

| सर्किल | मानदंडों के अनुसार वितरित वस्तुओं का % |
|---|---|
| | ग्रामीण डाक |
| आंध्र प्रदेश | 94.41 |
| असम | 94 |
| बिहार | 92 |
| छत्तीसगढ़ | 95.7 |
| दिल्ली | 97.53 |
| गुजरात | 98.63 |
| हरियाणा | 98.64 |
| हिमाचल प्रदेश | 97.5 |
| जम्मू और कश्मीर | 91.3 |
| झारखंड | 94.9 |
| कर्नाटक | 87.3 |
| केरल | 95 |
| मध्य प्रदेश | 95.5 |
| महाराष्ट्र | 91.11 |
| उत्तर पूर्व | रिपोर्ट प्राप्त होनी है। |
| उड़ीसा | 93.63 |
| पंजाब | 90 |
| राजस्थान | 96.67 |
| तमिलनाडु | 90.25 |
| उत्तर प्रदेश | 95.67 |
| उत्तरांचल | 96 |
| पश्चिम बंगाल | 94.5 |

**अरब देशों में मारे गए भारतीय**

**1193. प्रो. महादेवराव शिवनकर :**

**श्री अविनाश राय खन्ना :**

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने अरब देशों में मारे गए भारतीयों का कोई आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान इन देशों में मारे गए भारतीयों को वर्षवार और देशवार संख्या कितनी है;

(ग) इनमें से कितने व्यक्तियों की मृत्यु स्वभाविक रूप से हुई और कितने व्यक्तियों की अस्वाभविक मृत्यु हुई;

(घ) क्या इस संबंध में इन सभी देशों से आवश्यक सूचना मांगी गयी है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी देशवार ब्यौरा क्या है;

(च) क्या इन सभी मामलों में मुआवजे का भुगतान किया जा चुका है; और

(छ) यदि नहीं, तो मुआवजे के लंबित मामलों को कब तक निपटाए जाने की संभावना है?

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद)** : (क) जी हां। भारत सरकार इस स्थिति की आवधिक समीक्षा करती है।

(ख) से (ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान अरब देशों में मृत्यु को प्राप्त हुए भारतीयों के उनकी मृत्यु के कारणों सहित वर्षवार और देश–वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(च) और (छ) यद्यपि अधिकांश मामलों में प्रतिपूर्ति का निपटारा हो गया है, तथापि कुछ मामलों में विभिन्न प्रक्रियात्मक कारणों से कार्रवाई चल रही है। विदेश स्थित मिशन/केन्द्र बकाया प्रतिपूर्ति के शीघ्र समाधान हेतु विदेश में मरने वाले भारतीय राष्ट्रिकों के नियोक्ताओं के साथ नियमित रूप से संपर्क बनाए रखते हैं।

*विवरण*

*2003, 2004 और 2005 के दौरान अरब देशों में मारे गए/मृत्यु को प्राप्त भारतीयों की संख्या*

| देश/वर्ष | मृत्यु की सूचित संख्या | मृत्यु का कारण |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| अल्जीरिया | | |
| 2003 | शून्य | लागू नहीं |
| 2004 | शून्य | लागू नहीं |
| 2005 | शून्य | लागू नहीं |
| बहरीन | | |
| 2003 | 147 | प्राकृतिक/दुर्घटना/आत्महत्या |
| 2004 | 172 | प्राकृतिक/दुर्घटना/आत्महत्या |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 2005 | 164 | प्राकृतिक/दुर्घटना/आत्महत्या |
| जिबौती और इथियोपिया | | |
| 2003 | 2 | 2 प्राकृतिक |
| 2004 | 6 | 6 प्राकृतिक |
| 2005 | 2 | 2 प्राकृतिक |
| मिस्र | | |
| 2003 | 5 | 4 – प्राकृतिक, 1 – दुर्घटना |
| 2004 | 7 | 4 – प्राकृतिक, 3 – दुर्घटना |
| 2005 | 1 | प्राकृतिक |
| ईराक | | |
| 2003 | 5 | 1 – प्राकृतिक, 4 – दुर्घटना |
| 2004 | 9 | 1 – प्राकृतिक, 8 दुर्घटना |
| 2005 | 9 | 3 – प्राकृतिक, 6 – दुर्घटना |
| जार्डन | | |
| 2003 | शून्य | लागू नहीं |
| 2004 | 8 | 6 – रोग, 2 – दुर्घटना |
| 2005 | 5 | 4 – रोग, 1 – दुर्घटना |
| कुवैत | | |
| 2003 | 313 | 203 – प्राकृतिक, 64–दुर्घटना, 46–अन्य |
| 2004 | 358 | 228–प्राकृतिक, 71–दुर्घटना, 59–अन्य |
| 2005 | 389 | 259–प्राकृतिक, 85–दुर्घटना, 45–अन्य |
| लेबनान | | |
| 2003 | 23 | 13–रोग, 9–दुर्घटना, 1–आत्म हत्या |
| 2004 | 26 | 18–रोग, 6–दुर्घटना, 2–अन्य |
| 2005 | 17 | 8–रोग, 4–दुर्घटना, 5–अन्य |
| लीबिया | | |
| 2003 | 23 | 18–प्राकृतिक, 5–दुर्घटना, |
| 2004 | 16 | 11–प्राकृतिक, 5–दुर्घटना, |
| 2005 | 8 | 8–प्राकृतिक |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| ट्यूनीशिया | | |
| 2003 | शून्य | लागू नहीं |
| 2004 | शून्य | लागू नहीं |
| 2005 | शून्य | लागू नहीं |
| मोरक्को | | |
| 2003 | शून्य | लागू नहीं |
| 2004 | शून्य | लागू नहीं |
| 2005 | शून्य | लागू नहीं |
| ओमान | | |
| 2003 | 337 | 208–प्राकृतिक |
| 2004 | 345 | 137–अन्य/दुर्घटना/आत्महत्या |
| 2005 | 345 | 212–प्राकृतिक/133–अन्य/दुर्घटना/आत्महत्या |
| कतर | | |
| 2003 | 13 | ज्ञात नहीं |
| 2004 | 27 | ज्ञात नहीं |
| 2005 | 28 | ज्ञात नहीं |
| सऊदी अरब | | |
| 2003 | 1114 | 675–प्राकृतिक, 315–दुर्घटना, 124–अन्य |
| 2004 | 1176 | 693–प्राकृतिक, 340–दुर्घटना, 143–अन्य |
| 2005 | 1268 | 762–प्राकृतिक, 373–दुर्घटना, 133–अन्य |
| सूडान | | |
| 2003 | 2 | दुर्घटना/रोग |
| 2004 | 3 | दुर्घटना |
| 2005 | 2 | दुर्घटना/रोग |
| सीरिया | | |
| 2003 | 2 | 2–रोग (हार्ट अटैक) |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 2004 | 2 | 1–दुर्घटना/1–प्राकृतिक कारण |
| 2005 | 2 | 2–प्राकृतिक मृत्यु |
| संयुक्त अरब अमीरात | | |
| 2003 | 967 | प्राकृतिक/दुर्घटना/आत्महत्या |
| 2004 | 1139 | प्राकृतिक/दुर्घटना/आत्महत्या |
| 2005 | 1272 | प्राकृतिक/दुर्घटना/आत्महत्या |
| यमन | | |
| 2003 | 3 | 3 – प्राकृतिक कारण |
| 2004 | 6 | 6 – प्राकृतिक कारण |
| 2005 | 6 | 6 – प्राकृतिक कारण |

मॉरीतानिया, कोमोरोस और सोमालिया के संबंध में कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं है। कोई आवासी भारतीय मिशन नहीं है।

*[अनुवाद]*

**स्वास्थ्य परिचर्या प्रोत्साहनों में सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग**

**1194. श्री चन्द्रभूषण सिंह :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार स्वास्थ्य परिचर्या प्रोत्साहनों में सूचना प्रौद्योगिकी का प्रभावी प्रयोग करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) :** (क) जी, हां।

(ख) स्वास्थ्य परिचर्या में प्रयुक्त की जाने वाली सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी विभिन्न पहलें निम्नलिखित हैं :

(i) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय जैसे इसके संबद्ध कार्यालयों एवं अधीनस्थ कार्यालयों, पंजीकृत संस्थाओं, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सोसाइटियों तथा स्वास्थ्य क्षेत्र के अन्य स्वायत्त निकायों की वेबसाइट बनाना तथा उसका अनुरक्षण।

(ii) इंट्राहेल्थ पोर्टल का सृजन जिससे मंत्रालय के कार्मिकों की व्यक्ति विशिष्ट, भूमिका आधारित तथा कार्यालयी सूचना प्राप्त करना।

(iii) मंत्रालय के भीतर फाइल/सरकारी कागजात के संचलन की मानीटरिंग करने के लिए चरणबद्ध ढंग से कार्यालयी प्रक्रिया संबंधी स्वचालित साफ्टवेयर का संस्थापन।

(iv) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत लाभार्थियों का डाटाबेस रखने के लिए वेब–आधारित साफ्टवेयर को चालू/संस्थापित करना।

(v) केन्द्र, राज्य तथा जिला कार्यक्रम समन्वयकों के बीच राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों की मानीटरिंग करने के लिए वीडियो कान्फ्रेंसिंग/वेब कान्फ्रेंसिंग की सुविधा प्रदान करना।

(vi) वेब आधारित साफ्टवेयर का प्रयोग करते हुए देश में उप केन्द्र तथा उसके ऊपर के केन्द्रों से विशिष्ट प्रमुख रोग सूचकों को एकत्र करने के लिए समेकित रोग निगरानी परियोजना।

(vii) विश्व बैंक द्वारा सहायताप्राप्त परियोजना के अंतर्गत देशभर में 105 खाद्य तथा अपमिश्रण जांच प्रयोगशालाओं को हाई स्पीड ब्रोडबैंड कनेक्टिविटी के जरिए नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है।

(viii) केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो देश में सरकारी स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों के लिए एक वेब–आधारित जी आई एस मैपिंग विकसित कर रहा है जिसका उद्देश्य ग्राम स्वास्थ्य तक की अवसंरचना के संबंध में स्वास्थ्य सुविधाओं के मात्रात्मक एवं गुणात्मक मूल्यांकन को समर्थ बनाना है।

(ix) राज्य सरकारों के लिए निधियों के इलेक्ट्रानिक अंतरण हेतु विकसित प्रणाली।

(ग) और (घ) उपर्युक्त के अलावा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी उपकरणों तथा प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रव्यापी आधार पर क्षमता निर्माण तथा स्वास्थ्य परियर्चा सेवाओं की प्रदानगी में सुधार के संबंध में सहयोगात्मक कार्य के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र के राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है।

**व्यापार हेतु सीमाओं को खोलना**

**1195. श्री अनवर हुसैन :**
**श्री सर्वे सत्यनारायण :**
**श्री कीरेन रिजीजू :**

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार सीमा व्यापार बढ़ाने हेतु पड़ोसी देशों के साथ पूर्वोत्तर राज्यों की सीमाओं को खोलने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार पड़ोसी देशों के साथ सीमा व्यापार बढ़ाने हेतु ट्रक चालकों के लिए करीब, 5,000 पासपोर्ट जारी करने का है;

(घ) यदि हां, तो इन देशों के साथ लंबित सीमा संबंधी मुद्दों को सुलझाने पर भी चर्चा चल रही है;

(ङ) यदि हां, तो पिछले दो वर्षों के दौरान इस संबंध में हुई बैठकों का देशवार ब्यौरा क्या है; और

(च) इसके परिणामस्वरूप व्यापारिक कार्यकलापों में कितनी वृद्धि होने की संभावना है?

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्द शर्मा)** : (क) और (ख) जी हां। सरकार ने भारत–म्यांमा और भारत बंगलादेश सीमाओं पर अनेक अत्याधुनिक एकीकृत चेक पोस्टों के गठन का निर्णय लिया है। इन एकीकृत चेक पोस्टों के ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं।

भारत के साथ भूटान की सीमा खुली हुई है और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय समझौते के तहत मुक्त व्यापार व्यवस्था है। भूटान के साथ भारत की सीमा पर व्यापारिक बुनियादी संरचनात्मक सुविधाओं में सुधार किया जा रहा है। 2006 में प्रवेश/निर्गम बिन्दुओं को 12 से बढ़ाकर 16 कर दिया गया है।

नाथुला के जरिए 6 जुलाई 2006 को भारत और चीन के बीच सीमा व्यापार पुनः आरंभ हुआ।

(ग) व्यापार हेतु भारत और बंगलादेश के बीच आने–जाने वाले ट्रक डाइवरों को पासपोर्ट जारी करने के लिए एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

(घ) और (ङ) भारत–भूटान सीमा प्रबंधन और सुरक्षा दल की बैठक दोनों देशों के बीच सीमा की सुरक्षा और प्रबंधन से संबंधित मुद्दों पर चर्चा हेतु प्रत्येक वर्ष आयोजित होती है। फील्ड स्तर पर सीमा से जुड़े पारस्परिक हित के मुद्दों पर घनिष्ठ संपर्क और समन्वयन के संवर्द्धन हेतु सीमा जिला समन्वय बैठकों का आयोजन प्रति वर्ष होता है।

भारत और चीन ने जून 2003 में सीमा प्रश्न पर विशेष प्रतिनिधि नियुक्त किए। उनकी अब तक आठ बैठकें हो चुकी है, पिछली बैठक जून 2006 में चीन में आयोजित हुई।

बंगलादेश के साथ सीमा संबंधित मुद्दों पर संयुक्त सीमा कार्यदल में चर्चा होती है जिसकी बैठक ढाका में जुलाई, 2006 में आयोजित हुई थी।

म्यांमारके साथ इन मुद्दों पर हर साल राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा होती है। इन प्रतिनिधिमंडलों का नेतृत्व गृह सचिवों द्वारा किया जाता है।। इसकी पिछली बैठक सितम्बर, 2006 में आयोजित हुई। प्रान्तीय और फील्ड, स्तर के मुद्दों पर प्रति वर्ष आयोजित होने वाली वरिष्ठ अधिकारियों की बैठकों (पिछली बैठक मई, 2006 में आयोजित) और सैन्य सीमा संपर्क की छमाही बैठकों (पिछली बैठक अक्तूबर, 2006 में आयोजित) में चर्चा होती है।

(च) संवर्धित सीमा संपर्क से अपेक्षा की जाती है कि इससे उत्तर पूर्वी राज्यों की जनता को आर्थिक लाभ पहुंचेगा और इससे इस क्षेत्र में स्थित देशों के साथ भारत के व्यापार को बढ़ावा मिलेगा।

***विवरण***

*एकीकृत चेक पोस्टों की अवस्थिति*

*प्राथमिकता–1*

| क्रमांक | अवस्थिति | राज्य | सीमा |
|---|---|---|---|
| 1. | पेटापोल | प. बंगाल | भारत–बंगलादेश |
| 2. | मोरेह | मणिपुर | भारत–म्यांमा |

*प्राथमिकता–2*

| क्रमांक | अवस्थिति | राज्य | सीमा |
|---|---|---|---|
| 1. | इलिली | पश्चिम बंगाल | भारत–बंगलादेश |
| 2. | चंद्रबंघा | पश्चिम बंगाल | भारत–बंगलादेश |
| 3. | सूतरखाण्डी | असम | भारत–बंगलादेश |
| 4. | दावकी | मेघालय | भारत–बंगलादेश |
| 5. | अखौड़ा | त्रिपुरा | भारत–बंगलादेश |
| 6. | कावरपूचिया | मिजोरम | भारत–बंगलादेश |

**डाट्स की सुविधा मुहैय्या कराना**

**1196. श्री रवि प्रकाश वर्मा :**
**श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :**
**श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :**
**श्री के.सी. सिंह "बाबा" :**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में प्रत्येक वर्ष तपेदिक का शिकार बनने वाले मरीजों की संख्या का पता लगाने हेतु कोई अध्ययन करवाया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं;

(ग) कितने व्यक्तियों को डायरेक्टी आब्जर्ब्ड ट्रीटमेंट शार्टकोर्स (डाट्स) की सुविधा प्रदान की जा रही है;

(घ) क्या पूरे देश में डाट्स की सुविधा प्राप्त है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) पूरे देश में डाट्स की सुविधा कब तक मुहैया कराए जाने की संभावना है; और

(छ) सरकार द्वारा तपेदिक के उन्मूलन हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी)** : (क) और (ख) जी, हां। जनवरी 2000 और 2003 के बीच क्षय रोग संक्रमण के वार्षिक जोखिम का अनुमान लगाते हुए देश में क्षय रोग की व्याप्त महामारिक स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए भारत के विभिन्न जोनों में एक राष्ट्रव्यापी क्रास सेक्शनल अध्ययन किया है।

अध्ययन के अनुसार राष्ट्रीय ए आर टी आई 1.5 प्रतिशत है, भारत में प्रति एक लाख जनसंख्या पर लगभग 168 नए क्षय रोगी हैं जो कुल मिलाकर प्रति वर्ष लगभग 18 लाख नए क्षय रोगी बनते हैं।

(ग) 1997 में संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण शुरू होने के बाद से 63 लाख से ज्यादा रोगियों को डाट्स पर रखा गया है।

(घ) जी, हां। मार्च, 2006 तक पूरा देश डाट्स के अधीन कवर कर लिया गया है।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठते।

(छ) क्षयरोग की रोकथाम करने के लिए 85 प्रतिशत नए स्पूटम पॉजिटिव रोगियों की स्वस्थता दर प्राप्त करने और कम से कम ऐसे 70 प्रतिशत रोगियों का पता लगाने के उद्देश्य से व्यापक रूप से डाट्स के रूप में जाने वाला संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है। यह वर्ष 1997 से चरणबद्ध ढंग से क्रियान्वित की जा रही विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक संस्तुत कार्यनीति है और मार्च, 2006 तक पूरे देश को कवर किया जा चुका है। संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत एक्स–रे के बजाय स्पूटम सूक्ष्मदर्शी से निदान करने में रोगियों का प्राथमिकता के आधार पर पता लगाने और उनको ठीक करने में सहायता मिलती है। स्पूटम माइक्रोस्कॉपी द्वारा जांच की सुविधाओं को विकेन्द्रीकृत और सुदृढ़ किया गया है। औषध, देखरेख में दी जाती है और रोगियों की मानीटरिंग की जाती है ताकि वे अपना उपचार पूरा कर सकें। औषध रोगीवार बक्से में निःशुल्क प्रदान की जाती है। आज तक संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत 63.00 लाख से अधिक रोगियों को डॉट्स के उपचार पर रखा गया है जिससे 11.33 लाख से अधिक मौतों को रोका जा सका है। हर माह 1.0 लाख से अधिक रोगियों को डॉट्स पर रखा जाता है। अकेले वर्ष 2005 में भारत ने 12.93 लाख से अधिक रोगियों को डॉट्स पर रखा जो विश्व में किसी देश के एक वर्ष में डॉट्स पर रखे गए रोगियों की संख्या से अधिक है। संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम का समग्र कार्यनिष्पादन उत्कृष्ट रहा है। इसके अतिरिक्त, इसकी स्वस्थता/उपचार पूरा करने की दर भी लगातार 85 प्रतिशत से अधिक रही है और मृत्यु–दर घटकर 5 प्रतिशत से कम रह गई है। लोगों के लिए इस कार्यक्रम के तहत प्रदान की गई सेवाओं की सुलभता बढ़ाने के लिए सूचना, शिक्षा एवं सम्प्रेषण कार्यकलापों, संशोधित कार्यनीति में गैर–सरकारी संगठनों, प्राइवेट क्षेत्र और चिकित्सा कालेजों की सहभागिता पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

### पंचायती राज प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण

**1197. श्री जी. करुणाकर रेड्डी** : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को कर्नाटक से पंचायती राज तथा ग्राम स्वराज के प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा कब तक अपनी स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

**पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर)** : (क) जी, हां।

(ख) पंचायती राज संस्थानों के प्रतिनिधियों को सेटेलाइट आधारित प्रशिक्षण देने के लिए अब्दुल नाजिर साब स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट (ए एन एस एस आई आर डी), मैसूर, कर्नाटक से वर्ष, 2005 में प्रस्ताव प्राप्त हुआ था।

(ग) केन्द्र सरकार ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था तथा अब्दुल नाजिर साब स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट (ए एन एस एस आई आर डी) मैसूर, कर्नाटक के लिए केन्द्रीय सरकार अनुदान के रूप में 3,63,95,250/– रुपये की राशि मंजूर की थी जिसमें से 1,81,97,625/– रुपये की पहली किस्त अक्तूबर, 2005 में दे दी गयी थी। शेष राशि समुपयोजन प्रमाण पत्र तथा प्रगति रिपोर्ट प्राप्त हो जाने के पश्चात् चालू वर्ष के दौरान दे दी जायेगी।

### पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष

**1198. श्री एल. राजगोपाल** : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय पंचायती राज विकास परिषद की अधिकार प्राप्त उप–समिति ने राज्य सरकारों से पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष पर सुझाव देने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो किन–किन राज्यों ने अपने सुझाव भेज दिए हैं;

(ग) सरकार को अब तक प्राप्त सुझावों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस कोष के अंतर्गत देश के मात्र 250 जिलों को शामिल किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो ऐसे जिलों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(च) उन राज्यों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने इस कोष हेतु जिला योजना समितियां गठित कर दी हैं; और

(छ) अन्य राज्यों द्वारा ऐसी समिति गठित नहीं किए जाने के क्या कारण हैं?

**पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर)** : (क) से (ग) पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष के कार्यान्वयन के लिए व्यवस्था, 13 सितम्बर, 2006 को हुई पंचायतों के प्रशासनिक एवं वित्तीय सशक्तिकरण पर राष्ट्रीय विकास परिषद् की अधिकार प्राप्त उप समिति की बैठक के लिए कार्यसूची मदों की एक मद बनाई गई थी। पिछड़ा क्षेत्र कार्यक्रम कोष के मूल तत्व बैठक के दौरान अधिकार प्राप्त उप समिति के समक्ष प्रस्तुत किए गए थे। इस कार्यक्रम के लिए ड्राफट् दिशा निर्देश भी राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके प्रक्रिया के एक अंग के रूप में राज्यों को पहले ही परिपत्रित किए जा चुके हैं। 13 सितम्बर, 2006 को मुख्य सचिवों की समिति तथा पंचायती राज सचिवों की बैठक के दौरान तथा 10 नवम्बर, 2006 को हुई पंचायती राज के राज्य सचिवों की बैठक के दौरान राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के साथ विचार–विमर्श किया गया था। राज्यों से प्राप्त मुख्य सुझाव संलग्न विवरण–I में दिए गए हैं।

(घ) जी, हां। तथापि, वर्ष 2001 के पश्चात् इन जिलों में से विघटित किसी जिले को इस प्रावधान के साथ सम्मिलित किया जायेगा कि बी आर जी एफ के तहत पहले से अविभाजित आमेलित जिले से सृजित दो जिलों के बीच मूल जिले के लिए आबंटित राशि को बांटा जायेगा।

(ङ) बी आर जी एफ के तहत चयनित जिलों की राज्यवार सूची संलग्न विवरण–II में दी गयी है।

(च) संविधान के अनुच्छेद 243 जेड डी के तहत जिला आयोजना समितियों (डी पी सी) की स्थापना एक अनिवार्य दायित्व है। संविधान में यह आदेशित है कि सभी राज्य तथा संघ शासित क्षेत्र (मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, जम्मू एवं कश्मीर, मणिपुर राज्य के पहाड़ी क्षेत्र, दार्जिलिंग जिले के पहाड़ी क्षेत्र जिनके लिए दार्जिलिंग गोरखा पहाड़ी परिषद विद्यमान है, दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र तथा छठी अनुसूची क्षेत्र जहां पर जिला परिषदें गठित की गयी हैं को छोड़कर) डी पी सी की स्थापना के लिए पंचायतों तथा नगरपालिकाओं द्वारा तैयार की गयी योजनाओं को जिलों के लिए ड्राफ्ट विकास योजनाओं में समेकित करने के लिए संवैधानिक प्रावधान के तहत डी पी सी की स्थापना के लिए अपेक्षित पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष के अर्न्तगत 27 राज्यों में से 23 राज्यों के जिलों को शामिल किया गया है। इन 23 राज्यों में से केवल 12 ने डी पी सी स्थापित की है। ब्यौरे संलग्न विवरण–III में दिए गए हैं।

***विवरण-I***

*13.9.2006 को अधिकारप्राप्त उप समिति की हुई बैठक के दौरान तथा तत्पश्चात हुए विचार विमर्श के दौरान राज्य सरकारों द्वारा दिए गए मुख्य सुझाव*

| | | |
|---|---|---|
| 1. | बिहार | 31 मार्च, 2007 से पहले डी पी सी का गठन, कार्यकलाप मानचित्रण की पूर्णता तथा प्रशिक्षण कैलण्डर बनाना पूर्व अपेक्षाएं होंगी। राज्यों को वर्ष 2007–08 के दौरान उनकी 'वांछित' पूर्व अपेक्षा पूर्ण करने की अनुज्ञा दी जायेगी। इस कार्यक्रम को तत्कालीन राष्ट्रीय सम विकास योजना के साथ सात जिलों में शुरू किया जायेगा। |
| 2. | हरियाणा | मेवात जिले को इस स्कीम में शामिल किया जायेगा। पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष के तहत सम्मिलित किए जाने वाले जिलों का चयन करते समय राज्यों से भी परामर्श किया जायेगा। |
| 3. | हिमाचल प्रदेश | निधि आबंटन के लिए ब्लाक को एक यूनिट के रूप में विचार किया जायेगा। |
| 4. | गुजरात | निधि आबंटन के लिए तहसील को एक यूनिट के रूप में माना जायेगा। इस कार्यक्रम के लिए चयनित जिलों की सूची में कच्छ को शामिल किया जाय। |
| 5. | झारखंड | न्यायालय के हस्तक्षेप आदि जैसे कुछ अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण जहां पर चुनाव नहीं किया जा सकता उन पंचायतों के लिए एक अपवादी धारा का अवश्य ही प्रावधान किया जाय। |

| | | |
|---|---|---|
| 6. | कर्नाटक | पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष के तहत चयन के लिए तालुका आधारभूत यूनिट होगी। |
| 7. | केरल | पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष को तत्कालीन राष्ट्रीय सम विकास योजना जिलों के पूरा होने की प्रतीक्षा किए बिना इस सभी में सीधे ही शुरू करने की अनुज्ञा दी जा सकती है। एक विकेन्द्रीकृत आयोजना पद्धति विज्ञान को अपनाने के लिए केन्द्रीय मंत्रालय कार्यान्वयन फ्लैगशीप कार्यक्रमों हेतु दिशा–निर्देश जारी किए जाएं ताकि बी आर जी एफ सक्षम हो सके अन्यथा इस कार्यक्रम हेतु विकेन्द्रीकृत आयोजना के लिए सुझावों को कार्यरूप देना कठिन होगा। |
| 8. | मध्य प्रदेश | यह स्कीम राज्यों की भूवैज्ञानिक स्थिति तथा सामाजिक–आर्थिक विकास में अन्तर की दृष्टि को रखते हुए प्रजातिगत प्रावधानों पर संकेन्द्रीकृत होगी। |
| 9. | त्रिपुरा | निधि आबंटन के लिए क्षेत्र तथा जनसंख्या के अलावा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को ध्यान में रखा जायेगा। उत्तरी त्रिपुरा तथा दक्षिणी त्रिपुरा जिलों को इस सूची में शामिल किया जायेगा। |
| 10. | उत्तर प्रदेश | वर्ष 2006–07 के दौरान डी पी सी का गठन एक पूर्व अपेक्षा नहीं होगी। |
| 11. | उत्तरांचल | इस स्कीम के तहत आमेलित जिलों को आवर्ती आधार पर परिवर्तित किया जायेगा। |
| 12. | पश्चिम बंगाल | निधि आबंटन के लिए ब्लाक को एक यूनिट के रूप में विचारा जायेगा। |

*विवरण-II*

*पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष – जिलों की सूची*

**आन्ध्र प्रदेश**

1. आदिलाबाद
2. अनन्तपुर
3. चितूर
4. कुड्डप्पा
5. करीमनगर
6. खम्माम
7. महबूब नगर
8. मेडक
9. नालगोंडा
10. निजामाबाद
11. रंगारेड्डी
12. विजयनगरम
13. वारंगल

**अरूणाचल प्रदेश**

अपर सुवनश्री

**असम**

1. बारपेटा
2. बोंगईगांव
3. कचार
4. धेमाजी
5. गोलपारा
6. हैलाकंडी
7. कारवी आगलोंग
8. कोकराझार
9. मारीगांव
10. उत्तरी लखीमपुर (लक्षा)
11. उत्तरी कचार हिल्स

**बिहार**

1. अररिया
2. औरंगाबाद
3. बांका
4. बेगूसराय
5. भागलपुर
6. भोजपुर
7. बक्सर
8. दरभंगा
9. गया
10. गोपालगंज
11. जमुई
12. जहानाबाद
13. कैमूर/भभुआ
14. कटिहार
15. किशनगंज
16. खगड़िया
17. लक्खीसराय
18. मधेपुरा
19. मधुबनी
20. मुंगेर
21. मुज्जफरपुर
22. नालन्दा
23. नवादा
24. पटना
25. पश्चिम चंपारण

26. पूर्वी चंपारण
27. पूर्णिया
28. रोहतास
29. सहरसा
30. समस्तीपुर
31. सारण
32. शेखपुरा
33. शिवहर
34. सीतामढ़ी
35. सुपौल
36. वैशाली

**छत्तीसगढ़**

1. बस्तर
2. विलासपुर
3. दांतेवाड़ा
4. धमतरी
5. जसपुर
6. कांकेर
7. कवर्धा
8. कोरबा
9. कोरिया
10. महसमुंड
11. रायगढ़
12. राजनांदगांव
13. सरगुजा

**गुजरात**

1. बनस्कनथा
2. डंग्स
3. दाहोड
4. नर्मदा
5. पंचमहल
6. साबरकंथा

**हरियाणा**

1. मोहिंदरगढ़
2. सिरसा

**हिमाचल प्रदेश**

1. चंबा
2. सिरमौर

**जम्मू और कश्मीर**

1. डोडा
2. कुपवाड़ा
3. पूंछ

**झारखंड**

1. बोकारो
2. चतरा
3. देवघर
4. धनबाद
5. दुमका
6. गढ़वा
7. गिरिडीह
8. गोड्डा
9. गुमला
10. हजारीबाग
11. जामतारा
12. कोडरमा
13. लातेहार
14. लोहरदग्गा
15. पश्चिम सिंहभूम
16. पाकुड़
17. पलामू
18. रांची
19. साहिबगंज
20. सरायकेला
21. सिमडेगा

**कर्नाटक**

1. बीदर
2. चित्रदुर्ग
3. देवनगिरि
4. गुलबर्गा
5. रायचुर

**केरल**

1. पालक्कड
2. वनाड

**मध्यप्रदेश**

1. बालाघाट
2. बरवानी
3. बेतुल
4. छत्तरपुर
5. दमोह
6. धार
7. दिनदोरी
8. गुना
9. झाबुआ
10. कांटी
11. खंडवा
12. मंडला
13. पन्ना
14. राजगढ़
15. रीवा
16. सतना

17. सिनोई
18. शहडोल
19 शिवपुर
20. शिवपुरी
21. सिद्धी
22. टिकमगढ़
23. उमरिया
24. पश्चिम निमर

**महाराष्ट्र**

1. अहमदनगर
2. अमरावती
3. औरंगाबाद
4. भांडरा
5. चंद्रपुर
6. धुले
7. गदचिरोली
8. गोंदिया
9. हिंगोली
10. नादेंड़
11. नंडरवार
12. यवतमाल

**मणिपुर**

1. चंदेल
2. चुरचंद्रपुर
3. तमेंलांग

**मेघालय**

1. रि भोई
2. दक्षिण गारो हिल्स
3. पश्चिम गारो हिल्स

**मिजोरम**

1. लवंगतलाय
2. स्याहा

**नागालैंड**

1. मोन
2. तुयेनसांग
3. वोरखा

**उड़ीसा**

1. बोलांगिर
2. बौध
3. देवागढ़
4. धेंकनाल
5. गाजापट्टी
6. गंजाम
7. झरसुगुड्डा
8. कालाहांडी
9. क्योंझर
10. कोरापुट
11. मलकानगिरी
12. मयूरभंज
13. नवरंगपुर
14. नुआपाडा
15. फूलवानी
16. रायगढ़
17. संबलपुर
18. सोनपुर
19. सुंदरगढ़

**पंजाब**

1. होशियारपुर

**राजस्थान**

1. वंशवारा
2. वाडमेर
3. चितौड़गढ़
4. डुंगरपुर
5. जैसलमेर
6. जालौर
7. अलवर
8. करोली
9. सवाई माधोपुर
10. सिरोही
11. टोंक
12. उदयपुर

**सिक्किम**

1. उत्तरी सिक्किम

**तमिलनाडु**

1. कुड्डलौर
2. डिंडीगुल
3. नागपट्टनम
4. शिवगंगी
5. त्रिवनमल्ली
6. विल्लुपुरम

**त्रिपुरा**

1. धल्लाई

**उत्तर प्रदेश**

1. अंबेदकर नगर
2. आजमंगढ़
3. बहराइच
4. बलरामपुर
5. बांदा
6. बाराबंकी
7. बस्ती
8. बदायूं
9. चंदौली

10. चित्रकूट
11. एटा
12. फरूखाबाद
13. फतेहपुर
14. गोंडा
15. गोरखपुर
16. हमीरपुर
17. हरदोई
18. जालौन
19. जौनपुर
20. कौशांबी
21. कुशीनगर
22. लखीमपुर खीरी
23. ललितपुर
24. महराजगंज
25. महोबा
26. मिरजापुर
27. प्रतापगढ़
28. रायबरेली
29. संत कबीर नगर
30. सर वस्ती
31. सिद्धार्थ नगर
32. सीतापुर
33. सोनभद्र
34. उन्नाव

**उत्तरांचल**

1. चमोली
2. चंपावत
3. टिहरी गढ़वाल

**पश्चिम बंगाल**

1. बांकुरा
2. बीरभूमि
3. दक्षिण दिनाजपुर
4. जलपाईगुड़ी
5. मालदा
6. मिदनापुर (पूरब)
7. मिदनापुर (पश्चिम)
8. मुर्शिदाबाद
9. पुरूलिया
10. परगना दक्षिण
11. उत्तर दिनाजपुर

***विवरण-III***

*सारणी 'क'*

*राज्य जिन्होंने संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुरूप जिला आयोजना समितियां गठित की हैं।*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | छत्तीसगढ़ | 5. | मध्य प्रदेश | 9. | तमिलनाडु |
| 2. | हिमाचल प्रदेश | 6. | मणिपुर | 10. | पश्चिम बंगाल |
| 3. | कर्नाटक | 7. | राजस्थान | 11. | असम |
| 4. | केरल | 8. | सिक्किम | 12. | उड़ीसा |

(गोवा ने डी पी सी का गठन किया है लेकिन बी आर जी एफ के तहत शामिल नहीं किया गया है)।

**सारणी 'ख'**

*राज्य जिन्होंने डी पी सी का गठन नहीं किया है तथा तत्संबंधी कारण।*

| क्रम सं. | राज्य | नवीनतम स्थिति एवं अभियुक्ति |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | आंध्र प्रदेश ने विधान सभा में संगत विधेयक के लंबित रहते हुए डी पी सी के गठन के लिए सितम्बर, 2005 में एक अध्यादेश जारी किया था। यह अध्यादेश अब कानून द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है। इस कानून के तहत जिला पंचायत का अध्यक्ष ही डी पी सी का अध्यक्ष होगा। यह बताया गया है कि डी पी सी के चुनाव जनवरी, 2007 तक पूरे कर लिये जायेंगे। |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 2. | अरूणाचल प्रदेश | राज्य द्वारा यह सूचना दी गयी है कि डीपीसी की संरचना तथा विचारार्थ विषय अधिसूचित कर दिए गए हैं तथा अधिसूचना के तत्काल बाद इनका गठन कर लिया जायेगा। |
| 3. | बिहार | बिहार में डीपीसी के गठन के लिए घटनाक्रम का एक कैलेण्डर भी निर्धारित किया है। इसके लिए नियम तैयार कर लिये गये हैं तथा विधायी विभाग द्वारा इनकी विधीक्षा की जा रही है। |
| 4. | गुजरात | गुजरात के पास डी पी सी नहीं है लेकिन जिला आयोजना बोर्ड नामक नामित निकाय है जिसका सृजन सरकारी आदेश के माध्यम से किया गया था। यह सूचना दी गयी है कि डी पी सी के गठन के लिए एक ड्राफ्ट विधेयक तैयार किया गया है तथा विधान सभा के अगले सत्र में इसे पेश किया जायेगा। |
| 5. | हरियाणा | हरियाणा सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 243 जेड डी के अनुरूप डीपीसी के गठन का निर्णय लिया है। आवश्यक नियम तथा अधिसूचनाएं जारी की जा रही हैं। |
| 6. | झारखंड | चूंकि पंचायतों का चुनाव नहीं हुआ है इसलिए कोई डी पी सी गठित नहीं की गयी है। |
| 7. | महाराष्ट्र | महाराष्ट्र के पास एक जिला स्तर का निकाय है। जिसमें नामित सदस्य तथा चयनित सदस्यों का एक समान प्रतिनिधित्व है। डी पी सी के लिए एक विधेयक पारित हुआ था लेकिन उसे अभी तक कार्यान्वित नहीं किया जा सका। नियम आपत्ति आमंत्रण के लिए प्रकाशित किए जा चुके हैं तथा अगर कोई आपत्ति होगी तो उनपर विचार करके नियमों को अंतिम रूप दिया जायेगा तत्पश्चात् चुनाव होंगे। |
| 8. | पंजाब | पंजाब ने दिसम्बर, 2005 में डीपीसी के गठन के लिए एक विधेयक का विधेयन किया था। डी पी सी चुनाव कराने के लिए सरकार विचार कर रही है। |
| 9. | त्रिपुरा | त्रिपुरा में 70% क्षेत्र छठी अनुसूची के अंतर्गत आता है ए डी सी क्षेत्रों में एकल स्तरीय प्रणाली है। इसलिए इन जिलों में विधायी प्रावधानों के माध्यम से डीपीसी का गठन नहीं किया जा सकता। त्रिपुरा ने बताया है कि संविधान के भाग–IX के तहत आने वाले क्षेत्रों के लिए डी पी सी के गठन के लिए विधायी दृष्टिकोण से जांच कर रही है तथा कार्यकारी आदेश के माध्यम से डी पी सी के सृजन की प्रक्रिया चल रही है। |
| 10. | उत्तर प्रदेश | डी पी सी के लिए उत्तर प्रदेश ने एक विधेयक का विधेयन (1999 में) किया था लेकिन इन निकायों के गठन के लिए अभी भी अधिसूचना जारी की जानी है। उनके पास जिला स्तर पर डी पी सी एक नामित निकाय है जिसे एक डी पी सी नहीं माना जा सकता है। |
| 11. | उत्तरांचल | उत्तरांचल को उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम विरासत में मिला है, ने भी डी पी सी की न तो अधिसूचना की अथवा न ही गठन किया है। मामला सरकार के विचाराधीन है। |

*[हिन्दी]*

**केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा की कैडर समीक्षा**

**1199. श्री रशीद मसूद :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा की कैडर समीक्षा करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक किए जाने की संभावना है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार को इस संबंध में जावेद चौधरी समिति से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पान्नाबाका लक्ष्मी)** : (क) से (ग) भारत सरकार के अनुदेशों में संगठित सेवाओं की आवधिक समीक्षा का प्रावधान है। जहां तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा की संवर्ग समीक्षा किए जाने के संभावित समय का संबंध है, चूंकि इसमें केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा तथा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, व्यय विभाग इत्यादि जैसे अन्य विभागों के संबद्ध सहभागी एककों के साथ परामर्श करना निहित है, इसलिए कोई निश्चित समय–सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) यह प्रश्न नहीं उठता।

**अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. के अधिकारियों का प्रतिनिधित्व**

**1200. श्री रामदास आठवले** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों के आई.ए.एस. आई.पी.एस. और आई. एफ.एस. अधिकारियों की श्रेणीवार कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या उन्हें उनकी जनसंख्या के अनुपात में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

**कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी)** : (क) एक विवरण संलग्न है। भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा तथा भारतीय विदेश सेवा में सीधी भर्ती के समय अन्य पिछड़े वर्गों; अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए रिक्तियां क्रमशः 27%, 15% तथा 7.5% की निर्धारित दर पर आरक्षित होती हैं। इन संबंधित संवर्गों के पदोन्नति वर्ग के लिए आरक्षण लागू नहीं है क्योंकि यह फीडर ग्रेड के लिए उपलब्ध है।

(ख) और (ग) भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा में सीधी भर्ती के लिए अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व इन संबंधित श्रेणियों के लिए आरक्षण की लगभग निर्धारित प्रतिशतता तक पहुंच गया है। अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण सिविल सेवा परीक्षा, 1994 से ही शुरू हुआ था।

*विवरण*

| क्र.सं. | | भारतीय प्रशासनिक सेवा (दिनांक 27.11.2006 की स्थिति के अनुसार सूचना) | भारतीय पुलिस सेवा (दिनांक 31.1.2006 की स्थिति के अनुसार सूचना) | भारतीय विदेश सेवा (दिनांक 27.11.2006 की स्थिति के अनुसार सूचना) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | सीधी भर्ती की कुल संख्या | 3429 | 2306 | 496 |
| 2. | अनुसूचित जातियों (अ.जा.) के व्यक्तियों की संख्या, प्रतिशत सहित | 473 (13.79%) | 311 (13.48%) | 59 (11.9%) |
| 3. | अनुसूचित जनजातियों (अ.ज.जा.) के व्यक्तियों की संख्या, प्रतिशत सहित | 248 (7.23%) | 162 (7.02%) | 40 (8.1%) |
| 4. | अन्य पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों की संख्या, प्रतिशत सहित | 246@ (7.17%) | 162@ (7.02%) | 48@ (9.7%) |

@अ.पि.व. हेतु आरक्षण केवल सिविल सेवा परीक्षा, 2004 से ही लागू किया गया है और इस प्रकार, सीधी भर्ती की कुल संख्या के आधार पर की गई गणना की प्रतिशतता कम है।

**बीएसएनएल के कर्मचारियों हेतु मानव संसाधन नीति**

**1201. श्री ब्रजेश पाठक** : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) का विचार अपने कर्मचारियों हेतु कोई मानव संसाधन नीति तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त नीति के मुख्य उद्देश्य क्या हैं; और

(घ) इस नीति को कब तक क्रियान्वित किया जाएगा?

**संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद)** : (क) और (ख) भारत संचार निगम लिमिटेड ने दूरसंचार सेवा विभाग एवं दूरसंचार प्रचालन विभाग के केन्द्रीय सार्वजनिक

क्षेत्र के उपक्रम में परिवर्तित होने के फलस्वरूप दिनांक 01.10.2000 को अपने निगमितीकरण के बाद, प्रारंभतः केन्द्र सरकार की मानव संसाधन नीतियों को अपनाना। चूंकि इस परिवर्तन के परिणामस्वरूप लगभग 3.5 लाख सरकारी कर्मचारी बीएसएनएल में स्थानांतरित हो गए थे, इसलिए निगमित कार्यकरण के अनुकूल बीएसएनएल की मानव संसाधन नीति को सतत रूप से बेहतर बनाया गया है। गैर–कार्यपालक एवं कार्यपालक कर्मचारियों के लिए मजदूरी करारों की रूप–रेखा तैयार की गई है। बीएसएनएल के कर्मचारियों के लिए वेतन, अनुलब्धियां, चिकित्सा सुविधा योजना, उत्पादकता आधारित प्रोत्साहन योजनाएं, प्रशिक्षण एवं विकास कार्यक्रम, भर्ती नियम, समूह बीमा योजना बनाई गई है।

(ग) और (घ) बीएसएनएल की मानव संसाधन नीति का लक्ष्य अपनी मानव संसाधन क्षमता का पूर्ण रूप से उपयोग करना है। दूरसंचार सेवा क्षेत्र में कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए, बीएसएनएल गतिशील एवं लचीली मानव संसाधन नीति को अपनाता रहा है। आंतरिक एवं बाह्य कारकों के मद्देनजर, मानव संसाधन नीति एवं दूरसंचार बाजार के लिए आवश्यक अपेक्षित परिवर्तनों को समयबद्ध एवं चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाता है।

*[अनुवाद]*

**दसवीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों का आकलन**

**1202. श्री बृज किशोर त्रिपाठी :** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने दसवीं योजना के लक्ष्यों का कोई स्वतंत्र आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विभिन्न क्षेत्रों में कितनी वृद्धि दर का अनुमान लगाया गया है और अभी तक कितनी उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं;

(घ) चालू वर्ष में मध्यावधि मूल्यांकन के बाद चुने गए नए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों तथा संसाधन की स्थिति का ब्यौरा क्या है;

(ङ) योजनावधि के लक्षित स्तर की तुलना में अभी तक हुई वास्तविक जीडीपी वृद्धि का ब्यौरा क्या है; और

(च) चालू वर्ष की शेष अवधि में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

**योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन) :** (क) और (ख) जी, हां। योजना आयोग ने दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002–07) का मध्यावधि मूल्यांकन किया है। मध्यावधि मूल्यांकन (एमटीए) दस्तावेज की प्रतियां संसद के ग्रंथागार में रख दी गई हैं।

(ग) अर्थव्यवस्था के तीन वृहद क्षेत्रों में और सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में दसवीं योजना अवधि (2002–07) की लक्षित विकास दरों और योजना के प्रथम चार वर्षों (2002–03 से 2005–06) के दौरान प्राप्त उपलब्धियों को नीचे दर्शाया गया है :–

*दसवीं योजना में क्षेत्र–वार विकास लक्ष्य और उपलब्धियां*

| क्र.सं. | क्षेत्र | दसवीं पंचवर्षीय योजना | |
|---|---|---|---|
| | | लक्ष्य (2002–07) | वास्तविक (2002–03 से 2005–06) |
| 1. | कृषि | 4.0 | 1.8 |
| 2. | उद्योग | 8.9 | 8.0 |
| 3. | सेवाएं | 9.3 | 8.9 |
| 4. | सकल घरेलू उत्पाद (बाजार मूल्यों पर) | 8.1 | 7.3 |

(घ) मध्यावधि – मूल्यांकन में कृषि, सिंचाई, ग्रामीण विकास, जलसंभर विकास, बागबानी, उर्वरक मूल्यनिर्धारण, खाद्य प्रसंस्करण, ऊर्जा, सामाजिक क्षेत्र, विद्युत, ग्रामीण ऊर्जा, कोयला, पेट्रोलियम, परिवहन, अवसंरचना, श्रम एवं रोजगार, उद्योग, सुशासन आदि के अंतर्गत 59 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की गई। कुछ किए गए उपायों में भारत निर्माण, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन, आदि शामिल हैं। विस्तृत विवरण दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002–07) के मध्यावधि मूल्यांकन में उपलब्ध है।

दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002–03 से 2005–06) के प्रथम चार वर्षों के बजटीय संसाधनों के संदर्भ में संसाधन प्राप्ति दसवीं योजना अवधि के लिए निर्धारित लक्ष्य 6.92% की तुलना में दसवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम चार वर्षों के दौरान बाजार मूल्यों पर जीडीपी का 6.87% रहा है।

(ङ) केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी अनुमानों (1999–2000 के संशोधित आधार सहित) के आधार पर दसवीं योजना (2002–03 से 2005–06) के प्रथम चार वर्षों की (बाजार मूल्यों पर) जीडीपी की विकास दर दसवीं योजना के लिए निर्धारित लक्ष्य 8.1% की तुलना में 7.3% होने का अनुमान है।

(च) दसवीं योजना अवधि के शेष वर्षों में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों में कृषि, विद्युत, ग्रामीण सड़कों पर अधिक ध्यान केन्द्रित करते हुए सड़कों, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे अवसंरचना में सार्वजनिक निवेश बढ़ाना और वितरण प्रणाली

की कुशलता को बढ़ाना शामिल है। सरकार ने कुछ निश्चित कार्यक्रम अर्थात राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन आदि भी शुरू किया है।

*[हिन्दी]*

**अस्पतालों और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थिति में सुधार**

**1203. श्री रघुनाथ झा :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में केन्द्र सरकार के स्वामित्व वाले अस्पतालों और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थिति को सुधारने हेतु कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) चालू वित्त वर्ष के दौरान योजना के अंतर्गत कितनी धनराशि आबंटित की गई और अब तक कितनी धनराशि जारी की गई है?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) :** (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत उप प्रभागीय/उप जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का उन्नयन भारतीय जन स्वास्थ्य मानकों के स्तर पर करके इन संस्थाओं के कार्यकरण को बेहतर किया जाना है। भारतीय जनस्वास्थ्य मानकों में उन मानकों के विनिर्देशन का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है जिन मानकों के स्तर पर इन संस्थानों का उन्नयन किया जाना है जिससे कि नागरिक को स्वीकार्य मानकों वाले अस्पताल में जन स्वास्थ्य सेवाएं करने का भरोसा हो सके। भारतीय जन स्वास्थ्य मानक के भाग के रूप में प्रत्येक संस्था को एक रोगी कल्याण समिति/अस्पताल प्रबंधन समिति स्थापित करना अपेक्षित होगा जिससे सार्वजनिक अस्पतालों के प्रबंधन में सामुदायिक नियंत्रण शामिल हो जाएगा।

(ग) वर्ष 2005–06 तथा 2006–07 में राज्यों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के उन्नयन के लिए 20.00 लाख रुपए प्रति सामुदायिक स्वास्थ्य की दर से निधियां जारी की गई हैं।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से प्राप्त पंजीकरण ब्यौरे के अनुसार पांच लाख रुपए प्रति जिला अस्पताल तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिए एक लाख रुपए की दर से रोगी कल्याण समितियों के संगठन एवं पंजीकरण के लिए 588.00 लाख रुपए की राशि जारी की गई है।

इसके अलावा, वर्ष 2006–07 के दौरान भौतिक अवसंरचना के सुधार तथा अनुरक्षण के लिए 50000/–रु. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की दर से वार्षिक अनुरक्षण अनुदान तथा स्थानीय स्वास्थ्य आवश्यकताओं के लिए अनटाइड फंड के रूप में 25000/–रु. प्रति प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र वर्ष 2006–07 के दौरान जारी किए जाने हेतु अनुमोदित किए गए हैं।

*एन आर एच एम के अधीन सी एच सी का आई पी एच एस के अनुरूप उन्नयन करने हेतु जारी की गई निधियां*

*प्रति सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र 20.00 लाख रु. की दर से*

(लाख रुपए में)

| क्रम सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम | 2005–06 | 2006–07 | कुल |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 1380.00 | 1900.00 | 3280.00 |
| 2. | गोवा | 100.00 | | 100.00 |
| 3. | गुजरात | 1500.00 | 3940.00 | 5440.00 |
| 4. | हरियाणा | 1200.00 | 240.00 | 1440.00 |
| 5. | हिमाचल प्रदेश | 720.00 | 600.00 | 1320.00 |
| 6. | जम्मू और कश्मीर | 840.00 | 560.00 | 1400.00 |
| 7. | कर्नाटक | 1620.00 | 3460.00 | 5080.00 |
| 8. | केरल | 840.00 | 1280.00 | 2120.00 |
| 9. | महाराष्ट्र | 2100.00 | 5540.00 | 7640.00 |
| 10. | पंजाब | 1020.00 | 1300.00 | 2320.00 |
| 11. | तमिलनाडु | 1200.00 | 2100.00 | 3300.00 |
| 12. | पश्चिम बंगाल | 1080.00 | 820.00 | 1900.00 |
| योग | | 13600.00 | 21740.00 | 35340.00 |
| **ई ए जी राज्य** | | | | 0.00 |
| 1. | बिहार | 3080.00 | | 3080.00 |
| 2. | छत्तीसगढ़ | 1280.00 | 1040.00 | 2320.00 |
| 3. | झारखंड | 1760.00 | | 1760.00 |
| 4. | मध्य प्रदेश | 3840.00 | 740.00 | 4580.00 |
| 5. | राजस्थान | 2560.00 | 3960.00 | 6520.00 |
| 6. | उड़ीसा | 2400.00 | 2220.00 | 4620.00 |
| 7. | उत्तर प्रदेश | 5600.00 | 2120.00 | 7720.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 8. | उत्तरांचल | 1040.00 | | 1040.00 |
| | योग | 21560.00 | 10080.00 | 31640.00 |
| **संघ राज्य क्षेत्र** | | | | |
| 1. | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 80.00 | | 80.00 |
| 2. | चंडीगढ़ | 20.00 | | 20.00 |
| 3. | दादरा और नगर हवेली | 20.00 | | 20.00 |
| 4. | दमण और दीव | 20.00 | | 20.00 |
| 5. | दिल्ली | 0.00 | | 0.00 |
| 6. | लक्षद्वीप | 60.00 | | 60.00 |
| 7. | पांडिचेरी | 80.00 | | 80.00 |
| | योग | 280.00 | 0.00 | 280.00 |
| पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर कुल | | 35440.00 | 31820.00 | 67260.00 |
| **पूर्वोत्तर राज्य** | | | | 0.00 |
| 1. | असम | 1320.00 | 680.00 | 2000.00 |
| 2. | अरूणाचल प्रदेश | 580.00 | 40.00 | 620.00 |
| 3. | मणिपुर | 460.00 | | 460.00 |
| 4. | मेघालय | 400.00 | 80.00 | 480.00 |
| 5. | मिजोरम | 340.00 | | 340.00 |
| 6. | नागालैंड | 500.00 | | 500.00 |
| 7. | त्रिपुरा | 180.00 | 20.00 | 200.00 |
| 8. | सिक्किम | 160.00 | | 160.00 |
| योग पूर्वोत्तर राज्य | | 3940.00 | 820.00 | 4760.00 |
| महायोग (सभी राज्य और संघ राज्य क्षेत्र) | | 39380.00 | 32640.00 | 72020.00 |

*[अनुवाद]*

**नई योजना शुरू करना**

**1204. श्री एस.के. खारवेनथन :** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डाक विभाग ने 'डिलीवरी ऑफ कैश ऐट डोरस्टेप' नामक योजना शुरू की है/शुरू करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) योजना को कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

**संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) :** (क) से (ग) डाक विभाग द्वारा इस प्रकार की किसी योजना को अखिल भारतीय स्तर पर शुरू नहीं किया गया है। हालांकि चार डाक सर्किलों अर्थात् तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और मध्य प्रदेश ने स्वयं पहल कर प्रायोगिक आधार पर खाताधारक को पोस्टमैन के माध्यम से उसके आवास पर नकद सुपुर्दगी की सीमित सुविधा उपलब्ध कराई है। इस सुविधा के अंतर्गत खाताधारक स्वयं आवास पर पोस्टमैन को नकद प्राप्त करने के लिए और फिर अपने आवास पर उसके भुगतान करने के लिए अधीकृत कर सकता है। इस सेवा के लिए खाताधारक मामूली शुल्क अदायगी करने पर सहमत होता है।

**विदेशों में भारतीयों को रोजगार देने संबंधी विनियम**

**1205. श्री काशीराम राणा :**
**श्री जीवाभाई ए. पटेल :**

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछेक खाड़ी देशों में भारतीय मूल के लोगों को रोजगार देने पर कठोर प्रतिबंध लगाए गए हैं और नियम लागू किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने कथित भेदभाव के इस मामले को संबंधित देशों के साथ उठाया है; और

(घ) यदि हां, तो इन देशों की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद) :** (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

*[हिन्दी]*

**आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग**

**1206. प्रो. महादेवराव शिवनकर :**
**श्री संतोष गंगवार :**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मई, 2006 से देश में सभी उपभोक्ताओं के लिए आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग करना अनिवार्य कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने नमक की बढ़ती कीमतों के मद्देनजर आम आदमी को राहत पहुंचाने हेतु कोई योजना तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार द्वारा ऐसे नमक की गुणवत्ता की जांच की जा रही है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी)** : (क) और (ख) खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमावली 1955 के अन्तर्गत सीधे मानवीय उपभोग के लिए गैर–आयोडीकृत नमक की बिक्री पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। तथापि, सामान्य नमक की बिक्री आयोडीकरण, लौह पुष्टिकरण, जन्तु संबंधी प्रयोग, परिरक्षण, दवाओं के विनिर्माण एवं औद्योगिक इस्तेमाल के लिए की जा सकती है।

(ग) और (घ) कुछ राज्यों/संघ राज्यों क्षेत्रों ने युक्तिसंगत कीमत पर आयोडीकृत नमक प्रदान करने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आयोडीकृत नमक की बिक्री को शामिल किया है। प्रतिदिन प्रति व्यक्ति आयोडीकृत नमक का औसत उपयोग लगभग 10 ग्राम है।

(ङ) और (च) आयोडीकृत नमक के विनिर्माण की मानीटरिंग नमक आयुक्त द्वारा की जाती है। नमक के मापदण्ड खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमावली, 1955 के अन्तर्गत निर्धारित किए गए हैं। खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 का कार्यान्वयन राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकार द्वारा किया जाता है जिनके पास आयोडीकृत नमक सहित विभिन्न खाद्य उत्पादों के नमूनों को लेने तथा नमूनों के खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमावली, 1955 के अनुरूप न पाए जाने पर खाद्य अपमिश्रण नियमावली के तहत कार्रवाई करने का अधिदेश है।

*[अनुवाद]*

**राष्ट्रीय राजमार्ग के उपरिपुलों पर टॉल टैक्स**

**1207. श्री जी. करुणाकर रेड्डी** : क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कर्नाटक से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों पर उन उपरिपुलों की स्थलवार संख्या कितनी है जिन पर टॉल टैक्स लगाया जा रहा है;

(ख) वाहन वार किस दर से टॉल टैक्स प्रभावित किया जाता है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार कुल कितना टॉल टैक्स संग्रहीत किया गया;

(घ) टॉल टैक्स की दर निर्धारित करने के लिए क्या मानदण्ड अपनाए गए हैं;

(ङ) क्या पूरे देश में उपरिपुलों पर टॉल टैक्स एक समान है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा)** : (क) कर्नाटक से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों पर ऐसा कोई उपरि पुल नहीं है जिस पर अलग से पथकर वसूल किया जा रहा हो।

(ख) राष्ट्रीय राजमार्ग के किसी खंड पर 5.00 करोड़ रु. से अधिक लागत के पुलों के उपयोग के संबंध में प्रदत्त सेवा के लिए पथकर की दर पुल और इसके पहुंच मार्गों की प्रारंभिक लागत के आधार पर चार्ज की जाती है जो निम्नलिखित तालिका में दी गई है।

| पुल और इसके पहुंच मार्गों की प्रारंभिक लागत (करोड़ रु.) | पथकर की दरें (रुपए प्रति वाहन) | | |
|---|---|---|---|
| | कार/जीप आदि | हल्के व्यावसायिक वाहन/मिनी बसें | ट्रक/बस और बहुधुरीय वाहन |
| 50 से कम | 5 | 10 | 15 |
| 50–75 | 10 | 10 | 25 |
| 75–100 | 10 | 15 | 30 |
| 100–125 | 15 | 20 | 40 |
| 125–150 | 15 | 20 | 40 |
| 150–200 | 15 | 25 | 50 |
| 200 से अधिक | 20 | 30 | 60 |

तथापि, निजी क्षेत्र की भागीदारी से निर्मित पुलों के लिए पथ कर मामला दर मामला अलग–अलग होता है।

(ग) जैसा कि उल्लेख किया गया है, कर्नाटक से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों पर किसी उपरि पुल पर अलग से पथकर वसूल नहीं किया जा रहा है।

(घ) से (च) वर्तमान नीति के अनुसार 5.00 करोड़ रु. के कम लागत के पुलों पर कोई पथकर वसूल नहीं किया जा रहा है। 5.00 करोड़ रु. से अधिक लागत के प्रत्येक पुल के लिए पथकर, राष्ट्रीय राजमार्ग (फीस की दर) नियमावली, 1997 के अनुसार पुल और उसके पहुंच मार्गों की प्रारंभिक लागत के आधार पर नियत की जाती है। तथापि, निजी क्षेत्र की भागीदारी से निर्मित पुलों के लिए वाहनों की विभिन्न श्रेणियों के लिए पथ कर का निर्धारण, निर्माण, अनुरक्षण और प्रचालन की लागत, यातायात की मात्रा और रियायत अवधि के आधार पर किया जाता है। पथकर निर्धारण के लिए पूरे देश में इसी मापदंड का अनुपालन किया जाता है।

**असैन्य परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग**

**1208. श्री एल. राजगोपाल :**
**श्री महेश कनोडीया :**
**श्री भूपेन्द्र सिंह सोलंकी :**
**क्या विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दक्षिण अफ्रीका और फ्रांस ने असैन्य परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भारत के साथ सहयोग करने की अपनी मंशा प्रकट की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कतिपय दक्षिण अफ्रीकी और फ्रांसीसी कंपनियों ने भारत में असैन्य परमाणु संयंत्र स्थापित करने का व्यवहार्यता संबंधी अध्ययन किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी)** : (क) से (घ) भारत, दक्षिण अफ्रीका और फ्रांस सहित सभी नाभिकीय क्षमता रखने वाले देशों के साथ असैनिक नाभिकीय सहयोग की संभावनाओं का पता लगा रहा है। सहयोग के लिए क्षमता का पूर्ण उपयोग करने के लिए कंपनियों सहित विभिन्न स्तरों पर वार्ताएं की जा रही हैं।

*[हिन्दी]*

**उच्चायुक्तों/राजदूतों की नियुक्ति**

**1209. श्री रामदास आठवले** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान नियुक्त किए गए उच्चायुक्तों/राजदूतों का देशवार ब्यौरा क्या है और उनमें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों के कितने अधिकारी हैं;

(ख) उच्चायुक्तों/राजदूतों के चयन हेतु क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं; और

(ग) आज की तारीख के अनुसार आई एफ एस के अधिकारियों की कुल कितनी संख्या है और उनमें एस.सी/एस.टी./ओ. बी.सी. के कितने अधिकारी हैं?

**विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी)** : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा निम्नलिखित देशों में 116 उच्चायुक्तों/राजदूतों की नियुक्ति की गई है :

अफगानिस्तान, अल्जीरिया, अंगोला, अर्जेंटीना, आर्मेनिया, आस्ट्रिया, बहरीन, बंगलादेश, बेलारूस, बेल्जियम, भूटान, ब्राजील, बुल्गारिया, कंबोडिया, चिली, चीन, कोट डी आइवरी, क्रोएशिया, क्यूबा, चेक गणराज्य, कांगो लौकतांत्रिक गणराज्य, डेनमार्क, मिस्र, इथोपिया, फिनलैण्ड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, इंडोनेशिया, ईरान, इस्राइल, इटली, जापान, जोर्डन, कजाकिस्तान, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, कुवैत, किर्गिस्तान, लाओस, लेबनान, मेडागास्कर, मैक्सिको, मंगोलिया, मोरक्को, म्यामां, नेपाल, नीदरलैंड, नार्वे, ओमान, पनामा, फिलीपीन्स, पोलैण्ड, पुर्तगाल, कतर, रोमानिया, रूसी परिसंघ, सऊदी अरब, सेनेगल सर्बिया, स्लोवाक गणराज्य, स्पेन, सूडान, सूरीनाम, स्वीडन, स्विटजरलैंड, सीरिया, थाईलैण्ड, ट्यूनीशिया, तुर्की, तुर्कमेनिस्तान, संयुक्त अरब अमीरात, यूक्रेन, संयुक्त राज्य अमरीका, उज्बेकिस्तान, वियतनाम, यमन, जिम्बाबे, आस्ट्रेलिया, बंगलादेश, बोत्स्वाना, ब्रुनेई दार–ए–सलाम, कनाडा, साइप्रस, फिजी, घाना, जमैका, मलेशिया, मालदीव, मोजाम्बिक, नामीबिया, न्यूजीलैंड, नाईजीरिया, पाकिस्तान, पापुवा न्यू गिनी, सेशेल्स, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, तंजानिया, त्रिनिडाड एवं टोबेगो, यूगांडा, यूनाइटेड किंग्डम, जाम्बिया।

उपर्युक्त में से 18 उच्चायुक्त/राजदूत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हैं। इनमें से अल्जीरिया, बेलारूस, फिनलैंड, पनामा, ओमान, स्लोवाक गणराज्य, तुर्की, जिम्बावे, ब्रुनई, दार–ए–सलाम, मोजांबिक, पापुआ न्यू गिनी तथा त्रिनिडाड एवं टोबेगो में 12 अनुसूचित जाति के और बोत्सवाना, बुल्गारिया, उत्तर कोरिया, लेबनान, मोजाम्बिक, जाम्बिया में अनुसूचित जन–जाति के उच्चायुक्त राजदूत हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी आधार पर अधिकारियों की भर्ती 1994 से शुरू हुई जिसके फलस्वरूप अन्य पिछड़ा वर्ग के अधिकारी अभी उच्चायुक्त/राजदूत के रूप में नियुक्त किये जाने के लिए अपेक्षित वरीयता प्राप्त नहीं कर पाए हैं।

(ख) भारतीय उच्चायुक्तों/राजदूतों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये नियुक्तियां अनेक मानदण्डों के आधार पर होती हैं जिनमें अन्य बातों के साथ–साथ उनकी वरीयता, पृष्ठभूमि, संबद्ध अनुभव और उक्त कार्य तथा पद के लिए समग्र उपयुक्तता शामिल है।

(ग) आज की तारीख के अनुसार मंत्रालय में भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों की संख्या 599 है जिनमें से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अधिकारियों की संख्या क्रमशः 82, 45 और 48 है।

*[अनुवाद]*

**निजी क्षेत्र के लिए कोयला खानें खोलना**

**1210. श्री असादूद्दीन ओवेसी** : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार रक्षित उपयोग संबंधी प्रतिबंध लगाये बिना निजी क्षेत्र के लिए कोयला खानें खोलने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इस संबंध में कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 में संशोधन करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

**कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दसरि नारायण राव)** : (क) से (ङ) निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 में संशोधन करने के लिए एक विधेयक अप्रैल, 2000 में राज्य सभा में पेश किया गया था:–

(1) केप्टिव खपत के मौजूदा प्रतिबंधों के बिना वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए भारतीय कंपनियों को देश में कोयला एवं लिग्नाइट के खनन की अनुमति देना।

(2) देश में कोयला तथा लिग्नाइट संसाधनों के अन्वेषण की भारतीय कंपनियों को अनुमति देना।

यह विधेयक राज्य सभा में विचारार्थ लम्बित है।

*[हिन्दी]*

**मदर केयर स्कीम के अंतर्गत स्वास्थ्य परिचर्या संबंधी सुविधाएं**

**1211. प्रो. महादेवराव शिवनकर :**
**श्री जी.वी. हर्ष कुमार :**
**श्री कैलाश नाथ सिंह यादव :**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 'मदर केयर स्कीम' के अंतर्गत विभिन्न राज्यों में स्वास्थ्य परिचर्या संबंधी सुविधाओं की कमी वाले क्षेत्रों का कोई आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किन–किन राज्यों की पहचान की गई है;

(ग) क्या महिलाओं को निजी उपचार उपलब्ध कराने हेतु नकद सहायता देने की कोई योजना बनाई गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या यह सुविधा सभी आय वर्ग वालों को प्रदान की गई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी)** : (क) और (ख) सरकार प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत मातृ परिचर्या के लिए सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं की उपलब्धता की लगातार समीक्षा करती रही है।

(ग) से (च) जी, हां। गरीब गर्भवती महिलाओं में संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देकर मातृ और नव–जात शिशु मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत 2005 में जननी सुरक्षा योजना जो एक सुरक्षित मातृत्व कार्यकलाप है, पूरे देश में शुरू की गई है। मान्यता प्राप्त निजी संस्थाओं से सेवाएं प्राप्त करने के लिए भी गरीब महिलाओं को नकद सहायता उपलब्ध है। जननी सुरक्षा योजना का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

***विवरण***

जननी सुरक्षा योजना राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत गरीब गर्भवती महिलाओं में संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देकर मातृ एवं नवजात मृत्युदर को कम करने के उद्देश्य से कार्यान्वित किया जा रहा एक सुरक्षित मातृत्व कार्यकलाप है। 12 अप्रैल, 2005 को शुरू की गई इस योजना का कार्यान्वयन सभी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों में किया जा रहा है। जननी सुरक्षा योजना एक शत–प्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित योजना है।

2. इस योजना में मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता **आशा** का चयन निम्न निष्पादन वाले 10 राज्यों अर्थात् 8 ई ए जी राज्यों एवं असम और जम्मू और कश्मीर तथा शेष पूर्वोत्तर राज्यों में सरकार तथा गरीब गर्भवती महिलाओं के मध्य एक प्रभावी कड़ी है। उनकी मुख्य भूमिका गर्भवती महिलाओं को मातृत्व परिचर्या की सेवाओं का लाभ उठाने में मदद करना तथा रेफरल परिवहन की व्यवस्था करना है।

3. इस योजना में निम्न संस्थागत प्रसव दर वाले राज्यों नामतः उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम, उड़ीसा, राजस्थान तथा जम्मू और कश्मीर राज्यों के लिए विशेष व्यवस्था करते हुए गरीब गर्भवती महिलाओं पर बल दिया गया है। इन राज्यों को निम्न कार्य निष्पादन करने वाले राज्यों (एल पी एस) के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जबकि शेष राज्यों को उच्च कार्य निष्पादन करने वाले राज्यों (एच पी एस) के रूप में नामोदिष्ट किया गया है।

4. नकद सहायता के लिए पात्रता:

| | |
|---|---|
| निम्न कार्य निष्पादन वाले राज्य | सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रों जैसे कि जिला तथा राज्य अस्पतालों के उप–केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य |

| | |
|---|---|
| • | केन्द्र/एफ आर यू/जनरल वार्डों अथवा मान्यता प्राप्त प्राइवेट संस्थाओं में बच्चों को जन्म देने वाली सभी महिलाएं जिनमें अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जातियों के परिवारों की महिलाएं शामिल हैं। |
| उच्च कार्य निष्पादन वाले राज्य | 19 वर्ष तथा उससे अधिक उम्र वाली गरीबी रेखा के नीचे की गर्भवती महिलाएं तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की गर्भवती महिलाएं |

5. संस्थागत प्रसव के लिए नकद सहायता (रुपए में) का मापः

| श्रेणी | ग्रामीण क्षेत्र | | शहरी क्षेत्र | |
|---|---|---|---|---|
| | माता का पैकेज | आशा का पैकेज | माता का पैकेज | आशा का पैकेज |
| निम्न कार्य निष्पादन वाले राज्य | 1400 | 600 | 1000 | 200 |
| उच्च कार्य निष्पादन वाले राज्य | 700 | | 600 | |

6. संस्थागत प्रसव के लिए नकद सहायता की सीमाएं:

| | |
|---|---|
| निम्न कार्य निष्पादन वाले राज्य | स्वास्थ्य केन्द्र – सरकारी अथवा मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्वास्थ्य संस्थाओं में जन्में सभी बच्चे |
| उच्च कार्य निष्पादन वाले राज्य | 2 जीवित जन्में बच्चों तक |

7. आशा पैकेज निम्न कार्य निष्पादन वाले सभी राज्यों, पूर्वोत्तर राज्यों तथा सभी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के सभी जनजातीय जिलों में उपलब्ध है। ग्रामीण क्षेत्रों में इसमें निम्नलिखित घटक शामिल हैं:

– गर्भवती महिलाओं को प्रसव के लिए निकटतम स्वास्थ्य केन्द्र जाने हेतु रेफरल परिवहन के लिए नगद सहायता।

– आशा को उनके द्वारा प्रदत्त सेवाओं के बदले दी जाने वाली शेष राशि

8. जिस सरकारी संस्था में सरकारी विशेषज्ञ तैनात नहीं है, वहां इस योजना में सीजेरियन सेक्शन अथवा प्रसूती संबंधी जटिलताओं के उपचार के लिए प्रति प्रसव 1500/– रु. तक के व्यय हेतु सहायता दी जाती है।

9. निम्न तथा उच्च कार्य निष्पादन करने वाले राज्यों में घर में बच्चे को जन्म देने की इच्छा रखने वाली 19 वर्ष तथा उससे अधिक उम्र की गरीबी रेखा के नीचे की ऐसी सभी गर्भवती महिलाएं दो जीवित बच्चों के जन्म तक 500/– रु. प्रति प्रसव की नकद सहायता के पात्र हैं।

**विदेश जाने वाले तीर्थ यात्रियों को सहायता**

**1212. श्री रामदास आठवले :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार कितने तीर्थयात्रियो ने हज और कैलाश–मानसरोवर की तीर्थयात्रा की है;

(ख) विदेश स्थित धार्मिक स्थलों को तीर्थ केन्द्र के रूप में चुनने के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं; और

(ग) उपर्युक्त अवधि के दौरान तीर्थयात्रियों को कितनी सहायता प्रदान की गई?

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद) :** (क) विगत तीन वर्ष के दौरान भारतीय हज समिति और निजी टूर संचालकों के जरिए यात्रा करने वाले और कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने वालों के वर्ष–वार आंकड़े निम्नलिखित हैं:

| वर्ष | भारतीय हज समिति के जरिए यात्रा | कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने वाले यात्री |
|---|---|---|
| 2004 | 71,707 | 537 |
| 2005 | 80,772 | 529 |
| 2006 | 99,660 | 592 |

इसके अलावा निजी टूर संचालकों, जिनका विगत दो वर्ष के दौरान क्रमशः 45000 और 47000 का कोटा था, के माध्यम से भी यात्रा की।

(ख) विदेश में तीर्थयात्रा के लिए धार्मिक स्थलों के चयन हेतु सरकार द्वारा कोई मानदंड निर्धारित नहीं किए गए हैं।

(ग) सरकार हज यात्रियों के लिए सुविधाएं और सहायता उपलब्ध कराती है, जिनमें सउदी अरब में परिवहन और आवास की व्यवस्था, आगमन स्थल पर स्वागत, सउदी अरब में चिकित्सालय और औषधालय की स्थापना, चिकित्सीय और अर्ध चिकित्सीय एवं प्रशासनिक

कर्मचारियों की अस्थायी प्रतिनियुक्ति करना शामिल है। जद्दा स्थित भारत का प्रधान कौंसलावास भी हज यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए विभिन्न संभारतंत्रीय व्यवस्थाएं करता है।

कैलाश मानसरोवर जाने वाले तीर्थयात्रियों को भी भारत सरकार सहायता प्रदान करती है। प्रति यात्री 3250 रु. की राशि कुमांऊ मंडल विकास निगम को भुगतान की जाती है, जो कि भारतीय पक्ष में तीर्थ यात्रियों के लिए संभारतंत्रीय व्यवस्थाएं करने वाला प्राधिकृत अभिकरण है। कुमाऊं मंडल विकास निगम द्वारा किए जाने वाले व्यय की इससे आंशिक प्रतिपूर्ति होती है। इसके अलावा सुविधाओं में निःशुल्क चिकित्सा सहायता, भारतीय पक्ष में भारत–तिब्बत सीमा पुलिस द्वारा लिपुले दर्रे तथा सुरक्षा एवं मार्ग रक्षण, और चीन के साथ संचार–संपर्क तथा संपूर्ण यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों के प्रत्येक बैच के संपर्क अधिकारी के लिए सैटेलाइट टेलीफोन का प्रावधान शामिल है। भारत सरकार द्वारा तीर्थयात्रियों के प्रत्येक बैच के साथ एक संपर्क अधिकारी भेजा जाता है जो उनके सामान्य कल्याण के लिए उत्तरदायी होता है।

*[अनुवाद]*

**तत्काल योजना**

**1213. श्री एस.के. खारवेनथन :** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तमिलनाडु में जिला पासपोर्ट प्रकोष्ठों और पासपोर्ट आवेदन संग्रहण केन्द्र में विभिन्न माध्यमों से औसतन कितने आवेदन प्राप्त हो रहे हैं;

(ख) पासपोर्ट जारी करने में औसतन कितने दिन लगते हैं;

(ग) तत्काल योजना के अंतर्गत पासपोर्ट हेतु आवेदन करने वालों को क्या सुविधाएं, यदि कोई हो, दी जाती हैं; और

(घ) पासपोर्ट जल्दी जारी करने हेतु क्या उपाय किए गए हैं?

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद) :** (क) तमिलनाडु में पासपोर्ट आवेदन संग्रहण केन्द्रों और जिला पासपोर्ट सेलों के माध्यम से प्रतिदिन प्राप्त होने वाले आवेदनों की औसत संख्या लगभग 375 है।

(ख) पासपोर्ट जारी करने में औसतन 80–90 दिन लगते हैं।

(ग) तत्काल योजना के तहत पहली बार आवेदन करने वालों के पासपोर्ट पांचवें कार्य दिवस और पुनः जारी किए जाने के मामले में तीसरे कार्य दिवस पर प्रेषित किए जाते हैं। इस योजना के तहत पासपोर्ट आवेदनों पर तत्काल कार्रवाई हेतु पृथक काउन्टर भी हैं।

(घ) पासपोर्ट शीघ्र जारी किए जाएं, इसके लिए अनेक उपाय किए गए हैं जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं (i) भविष्य में कोई आपत्ति नहीं हो इसके लिए काउन्टर से प्रदान करना (ii) इच्छुक आवेदकों के लिए ऑन लाइन पंजीकरण (iii) लंबित आवेदनों की समस्या से निपटने के लिए समय–समय पर लंबित आवेदनों को निपटाने का अभियान चलाना (iv) राज्य प्राधिकारियों से पुलिस सत्यापन रिपोर्टों को शीघ्र और समय पर भेजने का अनुरोध करना जो पासपोर्ट जारी करने के लिए अपेक्षित होती है।

**आईएनएमएआरएसएटी की स्थापना**

**1214. श्री एन.एस.वी. चित्तन :** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में आईएनएमएआरएसएटी की स्थापना के क्या मानदण्ड हैं; और

(ख) यह लोगों के लिए किस सीमा तक लाभदायक रहेगा?

**संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) :** (क) और (ख) भारत संचार निगम लिमिटेड ने दूरस्थ और दुर्गम स्थानों में अवस्थित उन गांवों के लोगों के लाभार्थ ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन सुविधा प्रदान करने के लिए इनमारसेट टर्मिनलों की संस्थापना की है जिन्हें मौजूदा स्थलीय प्रौद्योगिकियों के माध्यम से कवर नहीं किया जा सकता। इन टर्मिनलों को बाढ़, सुनामी, भूकम्प इत्यादि जैसी संकट की स्थिति में बुनियादी टेलीफोन कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रकार, सेटेलाइट आधारित फोन आपदा जनित स्थितियों के दौरान विशेष रूप से लाभकारी है।

*[हिन्दी]*

**प्रशिक्षण हेतु विदेश भेजे गए अधिकारी**

**1215. श्रीमती गीता पटैरिया :** क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न रैंक के अधिकारी केन्द्र सरकार के खर्च पर प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजे गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या देश में इस प्रकार के प्रशिक्षण देने की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

**कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी) :** (क) से (घ)

जी, हां श्रीमान्। विदेश में विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए सरकारी अधिकारियों के नामांकन कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के साथ-साथ विभिन्न संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा अपनी-अपनी आवश्यकताओं/अपेक्षाओं के अनुसार किए जाते हैं। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में, अन्य देशों द्वारा प्रायोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए किए गए नामांकन भी शामिल होते हैं। विदेश में प्रशिक्षण कार्यक्रमों हेतु अधिकारियों को पूर्णतः आवश्यकता के अनुसार भेजा जाता है जिसका उद्देश्य दूसरे देशों के अनुभवों से सीख प्राप्त करना होता है। विदेशों में प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में भाग लेने से अधिकारियों को इन उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता मिलती है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता है।

*[अनुवाद]*

**वल्लारपद्म पर कंटेनर टर्मिनल का निर्माण**

**1216. श्री पी. करुणाकरण : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केरल में वल्लारपद्म पर कंटेनर टर्मिनल के निर्माण संबंधी प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) उक्त निर्माण-कार्य कब तक आरंभ होने की संभावना है?

**पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू)** : (क) और (ख) वल्लारपद्म पर अंतर राष्ट्रीय कंटेनर-यानांतरण-टर्मिनल स्थापित किए जाने का प्रस्ताव, भारत सरकार द्वारा 13 जनवरी, 2005 को अनुमोदित कर दिया गया। कोचीन-पत्तन-न्यास द्वारा बनाओ, चलाओ और हस्तांतरित कर दो के आधार पर उपर्युक्त काम-काज के संचालक, मैसर्स इंडिया गेटवे प्राइवेट लिमिटेड से किए गए लाइसेंस-करार के अनुसार, बनाओ, चलाओ और हस्तांतरित कर दो के आधार पर उपर्युक्त काम-काज के संचालक, (i) अंतर राष्ट्रीय कंटेनर-यानांतरण-टर्मिनल-परियोजनाओं के स्थल को विशेष आर्थिक क्षेत्र के एक भाग के रूप में घोषित किए जाने की तारीख से बारह (12) महीने की अवधि समाप्त होने से पहले की तारीख या (ii) अंतर राष्ट्रीय कंटेनर-यानांतरण-टर्मिनल-परियोजना के चरण-I से संबंधित निर्माण-कार्यों हेतु पर्यावरण की दृष्टि से अपेक्षित सभी अनापत्तियां लिए जाने की तारीख से छह (06) महीने की अवधि समाप्त होने की तारीख; अथवा (iii) उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा रेल से संपर्क कायम किए जाने से संबंधित निर्माण-कार्य आरंभ कर दिए जाने की तारीख; या (iv) सक्षम अधिकारी द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग से संपर्क कायम किए जाने से संबंधित निर्माण-कार्य आरंभ कर दिए जाने की तारीख; अथवा (v) राजीव गांधी कंटेनर-टर्मिनल के वाणिज्यिक रूप से कार्य-संचालन करना आरंभ कर दिए जाने की तारीख से दो (02) वर्ष की अवधि समाप्त होने की तारीख में से जो भी सबसे बाद में हो, तब तक अंतर राष्ट्रीय कंटेनर-यानांतरण-टर्मिनल को विकसित किए जाने की परियोजना के चरण-I से संबंधित निर्माण-कार्य आरंभ कर देने को बाध्य हैं।

**नेपाल के साथ की गई संधियां**

**1217. श्री मिलिन्द देवरा : क्या विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत ने नेपाल के साथ आतंकवाद तथा सीमा-पार आपराधिक गतिविधियों से निपटने के उद्देश्य से एक प्रत्यपर्णय सन्धि तथा आपसी विधिक सहायता (एम.एल.ए.) संबंधी सन्धि पर हस्ताक्षर किए हैं जैसा कि दिनांक 02 अक्टूबर, 2006 में "द इंडियन एक्सप्रेस" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दोनों देशों ने ऐसे समझौतों पर पूर्व में भी हस्ताक्षर किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ऐसी संधियों के परिणामस्वरूप दोनों देशों को किस सीमा तक लाभ होने की संभावना है?

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) भारत और नेपाल के बीच 1953 में एक प्रत्यपर्ण संधि संपन्न की गई थी। संधि के अनुसार एक-दूसरे को उन व्यक्तियों का प्रत्यर्पण किया जाता है जो एक सरकार के भू-प्रदेश में अपराध करके आरोपित, अथवा सिद्धदोष होने पर दूसरी सरकार के भू-प्रदेश में पाए जाते हैं।

**मनोरोगी**

**1218. श्री जोवाकिम बलला : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्य-वार कितने मनोरोग अस्पताल हैं तथा चिकित्सा महाविद्यालयों के मनोरोग विभाग के संकायों का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार तथा अस्पताल-वार कितने लोगों ने मनोरोग देखभाल का उपचार कराया;

(ग) देश में वर्तमान में प्रेक्टिस करने वाले प्रति व्यक्ति मनोरोग विशेषज्ञ कितने हैं तथा उक्त अवधि के दौरान रोगी-मनोरोग विशेषज्ञ अनुपात कितना रहा है;

(घ) क्या देश में महाविद्यालयों/अस्पतालों से बड़ी संख्या में मनोरोग विशेषज्ञ विदेशों में पलायन कर रहे हैं;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी)** : (क) से (ग) देश में 37 सरकारी मानसिक अस्पताल हैं। इसके अलावा सरकार के अंतर्गत 262 मेडिकल कालेज हैं। इनमें से ज्यादातर मेडिकल कालेजों में मनश्चिकित्सा विभाग हैं। मनश्चिकित्सा परिचर्या प्राप्त करने वाले लोगों की संख्या; उपचार के लिए भर्ती रोगियों की संख्या और मेडिकल कालेजों में मनश्चिकित्सा विभागों में संकाय की संख्या से संबंधित आंकड़ों का रखरखाव केन्द्रीय स्तर पर नहीं किया जाता। मई, 2002 में किए गए मानसिक स्वास्थ्य संसाधन सर्वेक्षण के दौरान किए गए मूल्यांकन के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रेक्टिसिंग मनश्चिकित्सक अनुमानतः प्रति 4,50,000 जनसंख्या पर 1 मनश्चिकित्सक है।

(घ) से (च) पिछले कुछ वर्षों के दौरान यू.के., यू.एस.ए. और आस्ट्रेलिया जैसे उन्नत देशों में रोजगार चाहने वाले मनश्चिकित्सकों की संख्या में वृद्धि हुई है और यह वृद्धि हर किसी के भविष्य, व्यवसाय और शैक्षणिक तथा वित्तीय कारणों से है जो कि एक विश्वव्यापी स्थिति है। सरकार, सरकारी मेडिकल कालेजों के मनश्चिकित्सा वार्डों का उन्नयन कर रही है ताकि उनको स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों को शुरू करने के लिए समर्थ बनाया जा सके।

**ठेकेदारों को काली सूची में डालना**

**1219. श्री सुग्रीव सिंह** : क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एन.एच.ए.आई.) ने कतिपय देशी तथा विदेशी ठेकेदारों को काली सूची में डाल दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण है;

(ग) ऐसे कदम से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजनाओं की प्रगति पर निर्धारित समय-सीमा में किस सीमा तक प्रभाव पड़ेगा; और

(घ) नए ठेकेदार कब तक नियुक्त कर दिए जाने की संभावना है?

**पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा)** : (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) रद्द ठेके (काली सूची में डाली गई फर्मों को सौंपे गए) पुनः सौंप दिए गए हैं और कार्य प्रगति पर है। यद्यपि ठेके रद्द किए जाने और ठेकेदारों को कालीसूची में डाले जाने के कारण अलग-अलग ठेकों को पूरा करने में इससे विलंब हो सकता है, इससे ठेकेदार गलत तरीके अपनाने और लापरवाही करने से बचेंगे तथा समग्र परियोजना के पूरा हो जाने पर इसका सकारात्मक असर पड़ेगा।

*विवरण*

*काली सूची में डाली गई फर्में*

| क्रम सं. | काली सूची में डाली गई फर्मों के नाम | काली सूची में डालने के कारण |
|---|---|---|
| 1. | मै. यू वन इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी लि. | |
| 2. | मै. महरिया रीसर्फेसिंग एंड कंस्ट्र. प्रा. लि. | |
| 3. | मै. यू वन – महरिया (सं.उ.) और निम्नलिखित संबद्ध फर्में: | |
| | (i) मै. यू वन इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कम्पनी लि.<br>मै. अल्ट्रा कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग कम्पनी लि.–नया नाम | नकली बैंक गारंटी प्रस्तुत करना |
| | (ii) मै. महरिया रीसर्फेसिंग एंड कंस्ट्र. प्रा. लि. | |
| 4 | मै. महरिया – राज (सं.उ.) संघटक भागीदार | |
| | (i) मै. महरिया रीसर्फेसिंग एंड कंस्ट्र. प्रा. लि. | |
| | (ii) मै. राज एंड एसोसिएट्स कंस्ट्र. डिवीजन | |
| 5. | मै. गर्ग कंस्ट्रक्शन कंपनी | अर्हता के लिए नकली दस्तावेज प्रस्तुत करना |
| 6. | मै. प्रकाश–महावीर | निर्माण के दौरान पुल के एक स्पैन के ढहने के कारण |
| 7. | मै. राना प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनल लि. | नकली बैंक गारंटी प्रस्तुत करना |

**चीन की कम्पनियों हेतु पत्तन-सेवाओं की उपलब्धता**

**1220. श्री जार्ज फर्नान्डीज़ : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चीन की कंपनियों के लिए भारतीय पत्तनों की सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या चीन ने मामला सरकार के साथ उठाया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू)** : (क) और (ख) चीन की कंपनियों सहित सभी कंपनियों को भारतीय पत्तनों की सेवाएं सुलभ हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

**गहरे समुद्री पत्तन का निर्माण**

**1221. श्री अबु अयीश मंडल : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र-सरकार को पश्चिम बंगाल में एक गहरे समुद्री पत्तन के निर्माण हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस प्रयोजनार्थ किस स्थान की पहचान की गई है; और

(ग) इस परियोजना में तेजी लाने के लिए केन्द्र-सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

**पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू)** : (क) से (ग) जी, हां। पश्चिम बंगाल की तट-रेखा पर एक नया गहरा समुद्री पत्तन स्थापित किए जाने के बारे में पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार से एक प्रस्ताव मिल गया है। सरकार ने इस बारे में तैयारी से संबंधित कार्रवाई आरंभ कर दी है। उपर्युक्त प्रस्तावित पत्तन हेतु उपयुक्त स्थल चुन लिए जाने सहित, उपर्युक्त परियोजना को विकसित किए जाने के बारे में परामर्शकों से रूचि की अभिव्यक्तियां मिल गई हैं, जिन्हें आंका जा रहा है।

**खाद्य तेलों में अपमिश्रण**

**1222. श्री तुकाराम गणपतराव रैंगे पाटील : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खाद्य तेलों में बड़े पैमाने पर अपमिश्रण किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) खाद्य तेलों में अपमिश्रण रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं; और

(घ) इसके परिणामस्वरूप सरकार को कितनी सफलता प्राप्त हुई है?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनाबाका लक्ष्मी)** : (क) से (घ) ऐसी कोई विशिष्ट रिपोर्ट इस मंत्रालय के ध्यान में नहीं लाई गई है। तथापि, अपने-अपने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के खाद्य (स्वास्थ्य) प्राधिकारियों द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार "खाद्य तेलों, वसा और वनस्पति" की श्रेणी के अधीन वर्ष 2001 से 2003 तक खाद्य तेलों में मिलावट की प्रतिशतता हेतु लिए गए और जांचे गए नमूने इस प्रकार हैं:-

| | |
|---|---|
| 2001 | 11.24% |
| 2002 | 10.37% |
| 2003 | 10.08% |

खाद्य तेलों के मानक खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमावली, 1955 के अधीन निर्धारित किए गए हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का प्रवर्त्तन स्टाफ खाद्य तेलों सहित विभिन्न खाद्य वस्तुओं के यादृच्छिक नमूने नियमित रूप से लेता है। जहां खाद्य वस्तुओं के नमूनों को निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाया जाता है, अपराधियों के विरूद्ध खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 और नियमावली, 1955 के उपबंधों के अधीन कार्रवाई की जाती है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के खाद्य क्षेत्रों के खाद्य (स्वास्थ्य) प्राधिकारियों को समय-समय पर सलाह दी गई है कि वे बाजार में बेचे जा रहे खाद्य तेलों सहित सभी खाद्य वस्तुओं की गुणवत्ता पर कड़ी नजर रखें और सभी स्रोतों अर्थात् विनिर्माताओं/थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं से यादृच्छिक खाद्य नमूने लें।

**राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ बाइपास**

**1223. श्री गणेश सिंह : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार बड़े नगरों से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ बाइपास का निर्माण करने का है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार, स्थान-वार ऐसे राष्ट्रीय राजमार्ग कौन-कौन से हैं जहां इस प्रकार के निर्माण कार्य को स्वीकृति दी गई है;

(ग) क्या सरकार का विचार मध्य प्रदेश के सतना से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 75 तथा सतना जिले में मेहर से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 7 के साथ बाइपास के निर्माण का है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार को राज्य सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

**पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा)** : (क) राष्ट्रीय राजमार्गों पर बाइपासों का निर्माण यातायात, शहर में भीड़-भाड़, पारस्परिक प्राथमिकता और धनराशि की उपलब्धता के आधार पर किया जाता है।

(ख) राष्ट्रीय राजमार्गों पर निर्माण के लिए स्वीकृत बाइपासों के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं;

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) राज्य सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं मिला है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

***विवरण***

*राष्ट्रीय राजमार्गों पर निर्माण के लिए स्वीकृत बाइपासों के राज्यवार ब्यौरे*

| क्रम सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम | राष्ट्रीय राजमार्ग सं. | शहर/कस्बे का नाम |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 7 | अदीलाबाद, इकोडा, निर्मल, बालकोडा, परकिट, कीमारेड्डी, चिकनूर, रामायमपेट, चेगूटा, तुपुरान, सादनगर, कोटकोटा, पीबैर, उलिनडाकौन्डा, उकोतापल्ली, एनुगुमारी, प्यापिली, गूटी, गारलेडनी, विद्ययामपेटा, मरुरू, ममीलापल्ली, एनएस गेट, सीके पल्ली, गुन्टूर, पैनुकॉडा, सोमनदेपल्ली |
| 2. | असम | 36 वे 37 | नागौन |
| | | 44 | करीमगंज |
| | | 52 | उत्तरी लखीमपुर |
| | | 53 | सिल्चर |
| 3. | बिहार | 57 | मुजफ्फरपुर, दरभंगा, झंझारपुर, फोरबिसगंज |
| | | 2 | धिदखिली, सासाराम, बाराचट्टी |
| 4. | गुजरात | 8बी | रानाबाव, उपलेटा, राजकोट |
| 5. | हिमाचल प्रदेश | 21 | कुल्लू |
| 6. | जम्मू और कश्मीर | 1ए | जम्मू, श्रीनगर, उधमपुर, वायिल |
| | | 1डी | कारगिल कस्बा |
| 7. | झारखंड | 2 | बरही, इसारी, दूमरी |
| 8. | कर्नाटक | 7 | चिकबल्लापुर, देवनहल्ली, एलाहंका |
| | | 4 | तुमकुर, सीरा, चित्रदुर्ग, हिरीयूर, बरमसागर, दावणगेरे-हरिहर, रानीबेलूर, हावेरी, बेलगांव |
| 9. | केरल | 17 | फलसेरी-माहे, कोईलैंडी, कोझीकोड |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | | 47 | अलपूजा, कोल्लाम, तिरुवनंतपुरम, नैयाटिंकारा |
| | | 49 | तिरुपुनीतुरा |
| 10. | मध्य प्रदेश | 7 | रीवा, कटनी शहर |
| | | 76 | शिवपुरी |
| | | 3 | गुना, मऊ, गुजरी, धामनोड |
| | | 3 व 75 | ग्वालियर |
| | | 26 | सागर |
| 11. | महाराष्ट्र | 6 | अकोला |
| | | 7 | नागपुर, काम्पटी, कहनन |
| | | 4 | वैस्टर्ली, कटराज घाट, कीनी |
| 12. | पंजाब | 64 | पटियाला |
| 13. | राजस्थान | 76 | पिंडवाड़ा, जसवंतगढ़, उदयपुर, कोटा, अंटा, बारन |
| | | 76 वे 79 | चित्तौड़गढ़ |
| | | 11 | महुआ–दौसा |
| 14. | तमिलनाडु | 7 | कावेरी पट्टनम, पेरीयामपट्टी, मतलामपट्टी, धर्मपुरी–आदियानमकोट्टई, नल्लामपल्ली, ओमालूर, मल्लूर, पुदुचत्रम, चेलापनपट्टी, बेलूर, बेतसुंदर, कोडई रोड, वादीपट्टी, मदुरै, तुरुमंगलम, चायनाओडईपट्टी, कयातर, तिरुनेवली, वेलीयूर, कवल, किनारु, पजबूर, करुनगुलाम, अंजूग्रामम, कन्याकुमारी, कोदालमपट्टी, संकारी, पालकापल्यम, चित्तोदू, नसीयानूर, पेरुमदुरई, विजयपुर, पल्लागुंडापलायम, चेंगापल्ली |
| | | 45 | टिंडीवनम, बिल्लूपुरम, उलंडरपेट, समयपुरम |
| | | 45बी | कोट्टामपट्टी, मेलूर, ओताकदई, त्रिचरापल्ली, वीरालीमलयी, तुवारनकुरिची |
| | | 46 | बनियामबाड़ी, बिल्लीर, श्रीपराम्बूर, चेन्नै |
| 15. | त्रिपुरा | 44 | अगरतला |
| 16. | उत्तर प्रदेश | 24, 28, 56ए, 56बी | लखनऊ |
| | | 25 | झांसी, चिरगांव, मोठ, उरई |
| | | 58 | मेरठ, खतौली |
| | | 11 | भरतपुर |
| | | 28 | गोरखपुर, रामस्नेहघाट, बाराबंकी, अयोध्या |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | | 24 | मुरादाबाद |
| | | 2 | आगरा, राजा का ताल, सिरसागंज, उखरेंड, इटावा, एकदिल, बार्केवर, उझयानी, महेवा, अनंतराम, बाबूपुर, अजीतमल, विजीकेपुर, गुरुंडगंज, बिलिंडा, तरईओन, इलाहाबाद, सैयदराजा, नौबतपुर, खजूरा |
| 17. | उत्तरांचल | 58 | रुद्रप्रयाग |
| 18. | पश्चिम बंगाल | 31 | इस्लामपुर |
| | | 34 | इलखोला |

**राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 24 पर कार्य की गति**

**1224. डा. शफीकुर्रहमान बर्क : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 24 को चार लेन के परिवर्तन से संबंधित कार्य की गति बहुत धीमी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) मुरादाबाद तथा बरेली तक का कार्य पूरा करने की समय-सीमा क्या है?

**पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा)** : (क) से (ग) हापुड़ बाइपास सहित राष्ट्रीय राजमार्ग 24 के दिल्ली-हापुड़ खंड को चार लेन का बनाने का कार्य पहले ही पूरा कर लिया गया है।

राष्ट्रीय राजमार्ग 24 के हापुड़-मुरादाबाद खंड जो राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना-II का हिस्सा है, को पूरा करने में निम्नलिखित कारणों से कुछ विलंब हुआ है:-

(i) वन विभाग द्वारा वृक्षों की कटाई की अनुमति में विलंब

(ii) सुविधाओं का स्थानांतरण

(iii) अतिक्रमण हटाना

(iv) ठेकेदार द्वारा धीमी गति से सामग्री जुटाया जाना

इस परियोजना को अब दिसंबर, 2007 तक पूरा किया जाना है।

राष्ट्रीय राजमार्ग 24 के मुरादाबाद-बरेली-सीतापुर खंड को राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-III ख में शामिल किया गया है जिसके लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए अनुमोदन किया गया है न कि चार लेन बनाने के कार्य के लिए।

राष्ट्रीय राजमार्ग 24 के शेष खंड अर्थात् सीतापुर-लखनऊ खंड को चार लेन का बनाने का कार्य राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-III क के अंतर्गत सौंपा गया है और इसे जून, 2009 तक पूरा किया जाना है।

**गंगा नदी में जल-परिवहन-सेवा**

**1225. श्री हरिसिंह चावड़ा :**
**श्री धीरेन्द्र अग्रवाल :**

**क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार गंगा नदी में जल-परिवहन-सेवा शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त सेवा हेतु टर्मिनल का निर्माण कर लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां इन टर्मिनलों का निर्माण किया गया है; और

(ङ) अब तक इस संबंध में कितनी प्रगति हुई?

**पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू)** : (क) से (ङ) हल्दिया और इलाहाबाद के बीच गंगा नदी को वर्ष, 1982 में संसद के एक अधिनियम के अधिनियमन द्वारा राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में घोषित कर दिया गया, जो कि अक्टूबर, 1986 में लागू हो गया। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग-प्राधिकरण, नौचालनात्मक जलमार्ग, टर्मिनलों, नौचालनों से संबंधित साधनों-सुविधाओं इत्यादि जैसे बुनियादी (अवसंरचनात्मक) सुविधाएं मुहैया करवा रहा है और उनका रख-रखाव कर रहा है। जल-परिवहन के माध्यम से जहाजी माल का परिवहन, गंगा नदी में पहले से ही किया जा रहा है। हल्दिया, कोलकाता, भागलपुर, पटना, वाराणसी और इलाहाबाद में प्लयमान टर्मिनल तथा कोलकाता, पाकुर एवं फरक्का में स्थायी टर्मिनल मुहैया करवा दिए गए

*हैं। गायघाट, पटना में एक स्थायी टर्मिनल का भी निर्माण–कार्य चल रहा है और वह पूरा हो जाने के करीब है।*

*[अनुवाद]*

**उड़ीसा में सड़क को चौड़ा किया जाना**

**1226. श्री जुएल ओराम : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को उड़ीसा से राउरकेला–सम्बलपुर राज्य सड़क को चौड़ा करने तथा इसमें सुधार लाने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) परियोजना हेतु मंजूर की गई धनराशि कितनी है; और

(घ) परियोजना कब तक पूरी कर ली जाएगी?

**पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा)** : (क) जी, नहीं। राउरकेला–सम्बलपुर सड़क एक राज्यीय सड़क है और इसका विकास राज्य सरकार के कार्य क्षेत्र में आता है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

*[हिन्दी]*

**राष्ट्रीय राजमार्गों पर पेट्रोल पंप**

**1227. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेल कंपनियों के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग पर पेट्रोल पंप का परिचालन करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है;

(ख) यदि हां, तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से राज्य–वार तथा स्थानवार बिना अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त किए राष्ट्रीय राजमार्गों पर चल रही विभिन्न तेल कंपनियों के पेट्रोल पंपों का क्या ब्यौरा है;

(ग) किन कारणों से बिना अनापत्ति प्रमाण–पत्र के इन पेट्रोल पंपों को चलाने की अनुमति दी गई है;

(घ) क्या इन पेट्रोल पंपों को बंद कर दिया जाएगा; और

(ङ) यदि हां, तो ऐसा कब तक कर दिया जाएगा?

**पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा)** : (क) यह मंत्रालय पेट्रोल पंपों को राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ जोड़ने के लिए संपर्क सड़कों के निर्माण की अनुमति प्रदान करता है न कि पेट्रोल पंपों के संचालन की अनुमति। इन मामलों में लाइसेंस डीड पर मंत्रालय द्वारा तेल कंपनियों के साथ हस्ताक्षर किए जाते हैं।

(ख) से (ङ) यह मंत्रालय पेट्रोल पंपों को राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ जोड़ने के लिए संपर्क सड़कों के निर्माण की अनुमति अथवा अनापत्ति प्रमाण–पत्र तक तक प्रदान नहीं करता है जब तक कि लाइसेंस डीड पर हस्ताक्षर नहीं हो जाते। अब तक अभिनिर्धारित ऐसे 2525 मामलों जहां राष्ट्रीय राजमार्गों के समीप पेट्रोल पंप संपर्क सड़कों के निर्माण के लिए इस मंत्रालय की अनुमति प्राप्त किए बगैर चल रहे हैं, की एक अनंतिम सूची ईंधन की आपूर्ति बंद किए जाने के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को भेजी गई है।

*[अनुवाद]*

**राष्ट्रीय राजमार्गों की बुरी स्थिति**

**1228. श्री एन.एन. कृष्णदास : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार कतिपय राष्ट्रीय राजमार्गों विशेष रूप से केरल में इनकी बुरी स्थिति से परिचित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने केरल सरकार को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47, 213, 17 के रखरखाव हेतु कोई धनराशि प्रदान की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच मुनियप्पा)** : (क) और (ख) देश में राष्ट्रीय राजमार्गों के कुछ खंडों को भारी यातायात, अधिक भार लदान, जलवायु आदि के कारण दरार, गड्ढों, बरमों के क्षरण, धंसने जैसे नुकसान हुए हैं। केरल में राष्ट्रीय राजमार्ग 17, 47, 49, 208, 212, 213 और 220 प्रभावित हुए हैं।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण के लिए धनराशि राज्यवार आबंटन की जाती है न कि राष्ट्रीय राजमार्ग–वार। केरल में राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण के लिए वर्ष 2006–07 के दौरान 33.60 करोड़ रु. आबंटित किए गए हैं।

**बाइ पास की स्थिति**

**1229. श्री पन्नियन रवीन्द्रन : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तिरुवनन्तपुरम में राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ बाइपास के निर्माण कार्य की स्थिति क्या है;

(ख) कार्य पूरा होने में विलंब के क्या कारण हैं; और

(ग) इसे कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

**पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा)** : (क) से (ग) राष्ट्रीय राजमार्ग 47 पर तिरुवनन्तपुरम बाइपास की कुल लंबाई 44.253 कि.मी. है। इसमें से कझाकुट्टम से कोवलम तक 22.633 कि.मी. लंबाई में यह कार्य पहले ही पूरा हो चुका है और यातायात के लिए खोल दिया गया है। शेष

21.620 कि.मी. लंबाई अब राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण–III क का हिस्सा है जिसके अंतर्गत संपूर्ण बाइपास को चार लेन का बनाया जाएगा। इस समय विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का कार्य चल रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण–III क को 2009 तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है।

*[हिन्दी]*

**प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की समीक्षा**

**1230. श्री मो. ताहिर :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राज्यों में प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला;

(ग) क्या केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान की गई धनराशि सभी राज्यों द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च की जा रही है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या उक्त राज्यों को स्वास्थ्य सेवाओं के लिए दी गई धनराशि को कम किया जा रहा है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) :** (क) से (घ) जी, हां। सरकार द्वारा प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की नियमित समीक्षा की जा रही है। समीक्षाएं दर्शाती हैं कि ज्यादातर राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने कार्यक्रम प्रबन्धन संरचना को सुदृढ़ किया है, विकेन्द्रीकृत राज्य स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाएं तैयार की हैं और नवजात शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु अनुपात एवं कुल प्रजननता दर की कमी के लिए सहमत मातृ स्वास्थ्य, बाल स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तकनीकी कार्यकलापों को कार्यान्वित करना शुरू कर दिया है। राज्यों ने भी अनुमोदित कार्यक्रम कार्यकलापों पर व्यय को सूचित करना शुरू कर दिया है। कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों को उपलब्ध वित्तीय सहायता को कम करने का कोई प्रस्ताव नहीं है और पूर्व निर्मुक्तियों के संबंध में उपयोगिता प्रमाणपत्रों के प्राप्त होने पर पात्रता के अनुसार निधियां निर्मुक्त करनी जारी रहेंगी।

*[अनुवाद]*

**बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों पर कार्य की स्थिति**

**1231. श्री गणेश प्रसाद सिंह :** क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार में स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के अंतर्गत शामिल किए गए राष्ट्रीय राजमार्गों का ब्यौरा क्या है;

(ख) अन्य राज्यों की तुलना में निर्माण कार्य की प्रगति कितनी है,

(ग) क्या एन एच ए आई बिहार परियोजना के 89 कि.मी. रास्ते के कार्य में इस प्रयोजनार्थ दी गई निविदाओं को स्वीकार न किए जाने के कारण विलंब हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार द्वारा इस मामले की कोई जांच की गई है;

(च) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला; और

(छ) बिहार में सड़क परियोजनाओं को पूरा करने में तेजी लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

**पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) :** (क) बिहार में स्वर्णिम चतुर्भुज के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 2 की 206 कि.मी. लंबाई है जिसमें से 182 कि. मी. में कार्य पूरा कर लिया गया है। शेष लंबाई में दिसंबर, 2006 तक कार्य पूरा किया जाना है।

(ख) पूरे देश के लिए लगभग 93 प्रतिशत के मुकाबले में बिहार में स्वर्णिम चतुर्भुज के पूरे होने का प्रतिशत लगभग 88 है।

(ग) और (घ) इस प्रश्न में संभवतः बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण–III के 890 कि.मी. का उल्लेख किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग 30 के पटना–बख्तियारपुर खंड और राष्ट्रीय राजमार्ग 19 और राष्ट्रीय राजमार्ग 77 के पटना–मुजफ्फरपुर खंड जिसकी कुल लंबाई 113 कि.मी. है, के लिए बीओटी (पथकर) आधार पर निविदाएं आमंत्रित की गई थीं किंतु कोई बोली प्राप्त नहीं हुई। इन दो खंडों को अब कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण–III ख के अंतर्गत विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए ही अनुमोदित है।

(ङ) जी नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

(छ) राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण–I और II के अंतर्गत स्वर्णिम चतुर्भुज और उत्तर–दक्षिण और पूर्व पश्चिम महामार्ग की शेष लंबाई में कार्य पूरा करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:–

विभिन्न स्तरों पर परियोजना की नियमित निगरानी, परियोजनाओं के कार्यान्वयन से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए वरिष्ठ अधिकारी की नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्ति, आर ओ बी के निर्माण के लिए एन एच ए आई में रेलवे के एक अधिकारी की तैनाती, कार्य न करने वाले ठेकेदारों के विरुद्ध कार्रवाई तथा ठेकेदारों को ब्याजशुदा विवेकाधीन अग्रिम का भुगतान।

बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण–III के कार्य में तेजी लाने के लिए निम्नलिखित कार्रवाई की गई:–

राष्ट्रीय राजमार्ग 19 और राष्ट्रीय राजमार्ग 77 के पटना – मुजफ्फरपुर खंड के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने बी ओ टी आधार पर पुनः निविदाएं आमंत्रित करने का प्रस्ताव किया है। राष्ट्रीय राजमार्ग 30 के पटना – बख्तियारपुर खंड के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को अद्यतन बनाने का कार्य शुरू किया गया है। राष्ट्रीय राजमार्गों की शेष लंबाई जो इस समय राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण–III ख के अंतर्गत है, के लिए परियोजना के कार्यान्वयन हेतु सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने का प्रस्ताव है।

**शहरी गरीबों को स्वास्थ्य सुविधाएं**

**1232. श्री निखिल कुमार : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के शहरी क्षेत्रों में रह रहे काफी व्यक्ति अभी भी बुनियादी अवसंरचना तथा जन स्वास्थ्य सेवा से वंचित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या शहरी स्वास्थ्य संसाधन केन्द्र ने सरकार से स्वास्थ्य मिशन में शहरी गरीबों को शामिल करने का अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) देश के शहरी गरीबों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने की संभावना है?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी)** : (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को "शहरी स्वास्थ्य परिचर्या के लिए कार्यनीतियों" पर सलाह देने हेतु कार्यबल की रिपोर्ट के अनुसार एक लाख से अधिक की जनसंख्या वाले नगरों की लगभग 220.87 मिलियन जनसंख्या के लक्ष्य को कवर करने हेतु प्राथमिक स्तर के 3220 स्वास्थ्य केन्द्र (शहरी स्वास्थ्य केन्द्र) अपेक्षित है।

जिला स्तर पर प्राथमिक स्तर के स्वास्थ्य सुविधाओं वाले 883 केन्द्र स्थापित करने अपेक्षित हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) भारत सरकार ने दसवीं पंचवर्षीय योजना दस्तावेज, राष्ट्रीय–जनसंख्या नीति, 2000, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2002 और प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के चरण–II (2005) में शहरी स्वास्थ्य को एक प्रमुख क्षेत्र के रूप में निर्धारित किया है। प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के चरण–II के अधीन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कमजोर वर्गों के लिए परियोजना कार्यान्वयन योजना (पीआईपी) विकसित की है जो शहरी मलिन बस्तियों की जनसंख्या को भी कवर करती है। अधिकांश राज्यों ने अपने राज्य की परियोजना कार्यान्वयन योजना में अपने राज्यों में शहरी मलिन बस्ती परियोजना का प्रस्ताव किया है।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को "शहरी स्वास्थ्य परिचर्या के लिए कार्यनीतियों" पर सलाह देने हेतु गठित एक उच्च स्तरीय कार्यबल ने अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी है। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और शहरी स्थानीय निकायों को उनके विचार/टिप्पणियां/सुझाव मांगने हेतु रिपोर्ट की एक–एक प्रति परिचालित कर दी गई है ताकि शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रमों का और अधिक प्रभावी कार्यान्वयन किया जा सके।

**जयपुर शहर में बाइपासों का निर्माण**

**1233. श्री दुष्यंत सिंह : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जयपुर शहर के आस–पास बनाए जा रहे बाइपासों की अनुमानित लागत कितनी है;

(ख) प्रत्येक ऐसी योजना के लिए केन्द्र सरकार द्वारा कितनी सहायता राशि स्वीकृत की गई है; और

(ग) इन परियोजनाओं के कब तक पूरा होने की संभावना है?

**पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा)** : (क) और (ख) इस समय जयपुर शहर के चारों ओर किसी बाइपास का निर्माण नहीं किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग 8 के पश्चिम की ओर पहले से ही जयपुर बाइपास है जो दिल्ली–जयपुर (राष्ट्रीय राजमार्ग 8) को, जयपुर–बीकानेर (राष्ट्रीय राजमार्ग 11) को और जयपुर–अजमेर (राष्ट्रीय राजमार्ग 8) को जोड़ता है।

(ग) राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण–VII के अंतर्गत कुछ शहरों के चारों ओर रिंग रोडों के निर्माण का प्रस्ताव है। तथापि, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण–VII अभी प्रस्ताव के स्तर पर है और इसमें शामिल की जाने वाली परियोजनाओं को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

**लोक स्वास्थ्य कानून**

**1234. श्री मिलिन्द देवरा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार लोक स्वास्थ्य कानून लाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) इससे आम जनता को क्या लाभ मिलने की संभावना है; और

(घ) इसके कब तक लागू होने की संभावना है?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी)** : (क) से (घ) भारत सरकार मौजूदा जानपदिक रोग अधिनियम, 1897 को बदलने के लिए "आपाती जन स्वास्थ्य विधेयक"

के प्रारूप को तैयार करने में लगी हुई है क्योंकि वह अधिनियम बहुत पुराना है और जानपदिक रोगों के निवारण और नियंत्रण के प्रति जानपदिक रोग विज्ञानी संकल्पनाओं में पर्याप्त प्रगति हुई है। इसके अतिरिक्त, नए रोग जैसे एचआईवी/एड्स, सार्स, एवियन इनफ्लूएंजा आदि जनस्वास्थ्य के लिए प्रमुख/संभावित चुनौतियों के रूप में प्रकट हुए हैं। प्रस्तावित विधेयक में देश में उपयुक्त जन स्वास्थ्य उपाय शुरू करके खतरनाक जानपदिक रोगों के अलावा आपदा और जैव–आतंकवाद की घटनाओं के परिणामस्वरूप पैदा हो रही आपाती जनस्वास्थ्य स्थितियों पर काबू पाने की बात सोची गई है।

प्रस्तावित विधेयक को शीघ्र ही राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी टिप्पणियों के लिए भेजा जाएगा।

**रोगों का फैलना**

**1235. श्री एन.एस.वी. चित्तन :**
**डा. एम. जगन्नाथ :**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में टॉयफाइड, रैट फीवर एवं हैंड–फुट और माऊथ जैसे रोगों का प्रसार बढ़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा उक्त की रोकथाम करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी)** : (क) से (ग) संदूषित जल तथा भोजन का सेवन, खराब सफाई व्यवस्था एवं स्वच्छता, आंत्र ज्वर, रेट फीवर तथा हैण्ड फुट एण्ड माऊथ (एचएफएमडी) जैसे रोगों के कुछ प्रमुख कारण हैं। एचएफएमडी वाइरस से उत्पन्न होता है जो मल–मुख मार्ग के जरिए संचरित होता है। रेट फीवर तथा एचएफएमडी से संबंधित आंकड़ें केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखे जाते हैं, तथापि, केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो द्वारा विगत पांच वर्षों के दौरान यथासूचित आंत्रज्वर से प्रभावित रोगियों की संख्या निम्नलिखित है:–

| वर्ष | रोगी | मौतें |
|---|---|---|
| 2001 | 4,90,195 | 606 |
| 2002 | 4,88,033 | 542 |
| 2003 | 5,96,684 | 839 |
| 2004 | 6,58,301 | 805 |
| 2005 | 6,95,114 | 419 |

स्वास्थ्य मुख्यतया राज्य का विषय है और प्राथमिक तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के जरिए आंत्रज्वर इत्यादि जैसे जलजनित रोगों के लिए चिकित्सा राहत की व्यवस्था की देखरेख राज्य सरकारों द्वारा की जाती है। स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकारियों द्वारा किए गए निवारक उपायों में सुरक्षित पेय जल की व्यवस्था, वैयक्तिक एवं सामुदायिक स्वच्छता में सुधार, मानव मल–मूत्र का सुरक्षित निपटान, उपयुक्त स्वास्थ्य शिक्षा, जागरूकता कार्यक्रम चलाना, निगरानी एवं मानीटरिंग, क्लोरीन की गोलियां तथा ओआरएस पैकेटों इत्यादि का वितरण शामिल हैं।

भारत सरकार ग्रामीण तथा शहरी पेय जल आपूर्ति के संबंध में गुणवत्ता संबंधी समस्याओं से निपटने के लिए त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम, त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम, पूर्ण सफाई अभियान, स्कूली स्वच्छता तथा स्वास्थ्य विज्ञान शिक्षा एवं कम खर्च वाली सफाई योजना के अंतर्गत निधियां प्रदान करके राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र के प्रयासों को पूरा करती है। राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, दिल्ली राज्य सरकारों को तकनीकी सहायता प्रदान करता है तथा जल जनित रोगों सहित संचारी रोगों के प्रकोपों की निगरानी, शीघ्र पहचान एवं निवारण तथा नियंत्रण करता है।

भारत सरकार ने आंत्रज्वर जैसे जलजनित रोगों सहित विभिन्न रोगों के प्रकोपों की पहचान को और भी सुदृढ़ करने के लिए नवम्बर, 2004 में एक समेकित रोग निगरानी कार्यक्रम भी शुरू किया है जिससे कि शुरू में ही निदान किया जा सके और विभिन्न रोगों के मामले, इनसे उत्पन्न अशक्तता तथा मौत को कम किया जा सके।

*[हिन्दी]*

**राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28 के आस-पास बाइपास का निर्माण**

**1236. योगी आदित्यनाथ** : क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28 पर बाइपास का निर्माण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उपरोक्त बाइपास के निर्माण कार्य के कब तक प्रारंभ होने की संभावना है?

**पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा)** : (क) और (ख) जी, हां। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28 पर बाइपास के निर्माण का प्रस्ताव किया गया है जो राष्ट्रीय राजमार्ग 28 के 251.70 कि.मी. से शुरू होगा और पुनः 279.80 कि.मी. पर इसमें मिलेगा। निर्माण,

प्रचालन और हस्तांतरण (बी ओ टी–वार्षिकी) आधार पर बाइपास के निर्माण के लिए रियायतग्राही के साथ एक करार पर पहले ही हस्ताक्षर हो चुके हैं।

(ग) इस कार्य को अप्रैल, 2007 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

**पत्तनों में माल की लदाई-उतराई हेतु व्यवस्था**

**1237. डा. चिन्ता मोहन :**
**श्री रामजीलाल सुमन :**

क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पत्तनों में माल की लदाई–उतराई हेतु उचित व्यवस्था की कमी है, जिसके कारण माल के आयात और निर्यात पर माल–भाड़े का अतिरिक्त भार पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो कच्चे तेल जैसे माल पर इसका कितना अतिरिक्त भार पड़ता है;

(ग) क्या सरकार का विचार पत्तनों में ऐसी सुविधाओं को सुधारने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) प्रस्तावित सुविधाएं कब तक उपलब्ध कराए जाने की संभावना है?

**पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू)** : (क) से (ङ) किसी पत्तन पर संभाले जाने वाले जहाजी माल की मात्रा ध्यान में रखते हुए, महापत्तन सामान्यतः सामान को चढ़ाने और उतारने से संबंधित काम–काज में प्रयुक्त होने वाले उपस्करों से सज्जित और अपेक्षित सुविधाओं–साधनों से युक्त हैं। फिर भी, सामान को चढ़ाने और उतारने की दृष्टि से देश में अवस्थित महापत्तनों की अवसंरचनात्मक सुविधाओं तथा अन्य सुविधाओं को बेहतर बनाया जाना, एक लगातार चलती रहने वाली प्रक्रिया है। राष्ट्रीय समुद्रीय विकास–कार्यक्रम के अंतर्गत, महापत्तनों में, घाटों को विकसित करवाए जाने, जलमार्गों को और अधिक गहरा करवाए जाने, उपस्करों का उन्नयन और उनका आधुनिकीकरण करवाए जाने, रेल और सड़क से संपर्क कायम करवाए जाने तथा अन्य सम्बद्ध परियोजनाओं से युक्त कुल 276 परियोजनाएं, वर्ष 2011–12 तक कार्यन्वित किए जाने की योजना है।

*[अनुवाद]*

**एन एच ए आई का पुनर्गठन**

**1238. श्री जुएल ओराम** : क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एन एच ए आई) के पुनर्गठन का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा)** : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के पुनर्गठन के प्रस्ताव को अंतर्मंत्रालयी समिति द्वारा अंतिम रूप दे दिया गया है जो सरकार के विचाराधीन है।

**एन एच डी पी चरण-III का क्रियान्वयन**

**1239. श्री हरिसिंह चावड़ा** : क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम चरण–III का क्रियान्वयन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य–वार कितनी राशि व्यय किए जाने की संभावना है; और

(ग) इस परियोजना को कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

**पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा)** : (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण–III के अंतर्गत निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण आधार पर राष्ट्रीय राजमार्गों की 4000 कि.मी. लंबाई को 22000 करोड़ रु. की लागत से उन्नयन करने का विचार किया है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण–IIIक के अंतर्गत अभिनिर्धारित राष्ट्रीय राजमार्ग खंडों की 6139.25 कि.मी. लंबाई में से 4000 कि.मी. खंडों को सौंपा जाएगा। 6139.25 कि.मी. की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण–IIIक को दिसंबर, 2009 तक पूरा किए जाने की परिकल्पना की गई है।

***विवरण***

*एन एच डी पी चरण–III क के अंतर्गत अधिनिर्धारित खंडों की सूची*

| क्रम सं. | राज्य | रा रा | एन एच डी पी IIIक के अंतर्गत खंड | लंबाई (कि.मी.) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | पंजाब | 1 | जालंधर–अमृतसर | 49 |
| 2. | पंजाब | 1 | अमृतसर–वाघा सीमा | 35 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 3. | मध्य प्रदेश | 3 | गुना बाइपास | 12.25 |
| 4. | महाराष्ट्र | 3 | धुले–पिंपलगांव | 118 |
| 5. | महाराष्ट्र | 3 | वडापे–गोंडे | 100 |
| 6. | मध्य प्रदेश | 3 | इंदौर–खालघाट | 83 |
| 7. | मध्य प्रदेश | 3 | खालघाट–मध्य प्रदेश/महाराष्ट्र सीमा | 85 |
| 8. | महाराष्ट्र | 3 | पिंपलगांव–नासिक–गोंडे | 60 |
| 9. | महाराष्ट्र | 3 | मध्य प्रदेश/महाराष्ट्र सीमा–धुले | 97 |
| 10. | कर्नाटक | 4 | मुलबागल–कर्नाटक/आंध्र प्रदेश सीमा | 11 |
| 11. | कर्नाटक | 4 | नीलमंगला–बंगलौर | 30 |
| 12. | कर्नाटक | 4 | बंगलौर–होसकोटे–कोलार–मूदबागल | 75 |
| 13. | कर्नाटक | 4ए | बेलगाम–गोवा–कर्नाटक सीमा | 84 |
| 14. | गुजरात | 6 | सूरत–हजीरा–पत्तन | 29 |
| 15. | छत्तीसगढ़ | 6 | रायपुर–औरंग | 45 |
| 16. | महाराष्ट्र | 6 | नागपुर–वेनगंगा पुल | 60 |
| 17. | महाराष्ट्र | 6 | वेनगंगा पुल–महाराष्ट्र/छत्तीसगढ़ सीमा | 76 |
| 18. | छत्तीसगढ़ | 6 | महाराष्ट्र/छत्तीसगढ़ सीमा–दुर्ग | 90 |
| 19. | महाराष्ट्र | 6 | नागपुर–कोंधाली | 40 |
| 20. | महाराष्ट्र | 6 | कोंधाली–तालेगांव | 50 |
| 21. | कर्नाटक | 7 | बंगलौर–होसूर | 25 |
| 22. | आंध्र प्रदेश | 9 | हैदराबाद–विजयवाड़ा (40 से 160 कि.मी.) | 120 |
| 23. | आंध्र प्रदेश | 9 | हैदराबाद–विजयवाड़ा और विजयवाड़ा–मछलीपट्टनम | 121 |
| 24. | हरियाणा | 10 | बहादुरगढ़–रोहतक | 60 |
| 25. | हरियाणा | 10 | रोहतक–हिसार | 80 |
| 26. | दिल्ली | 10 | दिल्ली–हिसार (दिल्ली भाग) | 20 |
| 27. | राजस्थान | 11 | रींगस–सीकर | 41 |
| 28. | उत्तर प्रदेश | 11 | आगरा–भरतपुर | 18 |
| 29. | राजस्थान | 11 | आगरा–भरतपुर | 45 |
| 30. | राजस्थान | 11 | भरतपुर–महुआ | 57 |
| 31. | राजस्थान | 11 | महुआ–जयपुर | 108 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 32. | राजस्थान | 11 | जयपुर–रींगस | 54 |
| 33. | राजस्थान | 12 | देवली–कोटा–झालावाड़ | 178 |
| 34. | राजस्थान | 12 | जयपुर–टोंक–देवली | 150 |
| 35. | मध्य प्रदेश | 12 | भोपाल–बरेली | 297 |
| 36. | मध्य प्रदेश | 12 | बरेली–राजमार्ग क्रासिंग | |
| 37. | मध्य प्रदेश | 12 | राजमार्ग क्रासिंग–जबलपुर | |
| 38. | कर्नाटक | 13 | बीजापुर–होसपेट | 194 |
| 39. | पंजाब | 15 | अमृतसर–पठानकोट | 101 |
| 40. | कर्नाटक | 17 | कुंदापुर–सूरतकल | 71 |
| 41. | कर्नाटक | 17 | मंगलौर–कर्नाटक/केरल सीमा | 18 |
| 42. | बिहार | 19 व 77 | पटना–मुजफ्फरपुर | 60 |
| 43. | पंजाब | 21 | चंडीगढ़–कुराली | 30 |
| 44. | पंजाब | 21 | कुराली–कीरतपुर | 43 |
| 45. | हरियाणा/पंजाब | 22 व 21 | अंबाला–जीरकपुर | 35 |
| 46. | पंजाब/हरियाणा/ हिमाचल प्रदेश | 22 | जीरकपुर–परवानू | 33 |
| 47. | पंजाब/हरियाणा/ हिमाचल प्रदेश | 22 | परवानू–शिमला | 100 |
| 48. | उत्तर प्रदेश | 24 | लखनऊ–सीतापुर | 76 |
| 59. | बिहार | 30 | पटना–बख्तियारपुर | 53 |
| 50. | झारखंड | 33 | हजारीबाग–रांची | 75 |
| 51. | पश्चिम बंगाल | 35 | बरासत–बनगांद | 60 |
| 52. | तमिलनाडु | 45 | डिंडीगुल–बनगांव | 80 |
| 53. | केरल | 47 | त्रिवेन्द्रम–केरल/तमिलनाडु सीमा | 43 |
| 54. | तमिलनाडु | 47 | केरल/तमिलनाडु सीमा–कल्याकुमारी | 70 |
| 55. | केरल | 47 | चेरथलाई–पलाकाड–तिरुअनंतपुरम | 187 |
| 56. | कर्नाटक | 48 | नीलमंगला–हासन | 154 |
| 57 | महाराष्ट्र | 50 | पुणे–खेड | 30 |
| 58. | उत्तर प्रदेश | 58 | मेरठ–मुजफ्फरनगर | 79 |
| 59. | दिल्ली/उत्तर प्रदेश | 58 | दिल्ली–मेरठ | 46 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 60. | पांडिचेरी/तमिलनाडु | 66 | पांडिचेरी–टिंडीवनम | 40 |
| 61. | तमिलनाडु | 66 | कृष्णागिरि–टिंडीवनम | 170 |
| 62. | तमिलनाडु | 67 | तंजावुर–त्रिची | 56 |
| 63. | तमिलनाडु | 67 | नागपट्टनम–तंजावुर | 74 |
| 64. | तमिलनाडु | 67 | त्रिची–करूर (त्रिची बाइपास सहित) | 88 |
| 65. | तमिलनाडु | 68 | सलेम–उलून्डुपेट | 134 |
| 66. | हरियाणा | 71 | रोहतक–बावल | 97 |
| 67. | उत्तरांचल | 72 | हरिद्वार–देहरादून | 69 |
| 68. | उड़ीसा | 200 | चंडीखोल–डुबरी | 39 |
| 69. | उड़ीसा | 200 | डुबरी–तलचर | 98 |
| 70. | उड़ीसा | 203 | भुवनेश्वर–पुरी | 59 |
| 71. | आंध्र प्रदेश तमिलनाडु | 205 | तिरुपति–तिरुथानी–चेन्नै | 138 |
| 72. | तमिलनाडु | 210 | त्रिची–कराईकुडी | 100 |
| 73. | तमिलनाडु | 210 | कराईकुडी–रामनाथपुरम | 100 |
| 74. | उड़ीसा | 215 | पनीकोइली–क्योंझर–रीमोली | 106 |
| 75. | उड़ीसा | 215 | रीमोली–रॉक्सी–राजामुंडा | 163 |
| 76. | तमिलनाडु | 45बी | मदुरै–तूतीकोरिन | 144 |
| 77. | उत्तर प्रदेश/उत्तरांचल | 58 व 72 | मुजफ्फरनगर–हरिद्वार | 77 |
| 78. | हरियाणा | 71ए | पानीपत–रोहतक | 73 |
| 79. | गुजरात | 8ए | कांडला–मुंद्र पत्तन | 73 |
| | | | कुल जोड़ | 6139.25 |

**राष्ट्रीय राजमार्गों को चौड़ा किया जाना तथा जीर्णोद्धार**

**1240. श्री जी.एम. सिद्दीश्वर** : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार ने राज्य–वार किन किन राष्ट्रीय राजमार्गों को चौड़ा किए जाने तथा जीर्णोद्धार का कार्य शुरू किया है;

(ख) क्या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से सिरा–हरियुर–चित्रदुर्ग–दावनगेरे–हरिहर–हवेरी परियोजना पर दो लेन को चार लेन वाला बनाए जाने के कार्य को धीमा कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस परियोजना के कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

**पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा)** : (क) राष्ट्रीय राजमार्गों के राज्यवार नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं जिन पर गत तीन वर्षों के दौरान सुदृढ़ीकरण और पुनरूद्धार कार्य सहित तथा चौड़ीकरण, नवीकरण आदि कार्य किए गए हैं।

(ख) से (घ) सिरा–हरियुर–चित्रदुर्ग–दावनगेरे–हरिहर–हवेरी खंड

को चार लेन का बनाने में भूमि–अधिग्रहण संबंधी समस्या, सुविधाओं के स्थानांतरण और मुख्यतः ठेकेदारों के खराब कार्य निष्पादन के कारण विलंब हुआ है। इस खंड को जून, 2007 तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है सिवाय चित्रदुर्ग बाइपास के जहां मूल ठेका, ठेकेदार के खराब कार्य निष्पादन के कारण समाप्त कर दिया गया था। चित्रदुर्ग बाइपास पर कार्य को जून, 2008 तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है।

*विवरण*

| क्रम सं. | राज्य का नाम | गत तीन वर्षों के दौरान चौड़ीकरण और नवीकरण किए जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों के नाम |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 4, 5, 7, 9, 16, 18, 43, 63, 202, 205, 214, 214ए, 219 और 221 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 52, 52ए और 153 |
| 3. | असम | 31, 31बी, 31सी, 36, 37, 39, 44, 51, 52, 52ए, 54, 61, 62 और 152 |
| 4. | बिहार | 2, 19, 28, 28ए, 30, 30ए, 57, 57ए, 77, 80, 83, 84, 85, 98, 101, 102, 103, 104, 106 और 107 |
| 5. | चंडीगढ़ | 21 |
| 6. | छत्तीसगढ़ | 6, 12ए, 16, 43, 78, 200, 216, 217 और 221 |
| 7. | दिल्ली | 1, 2, 8 और 24 |
| 8. | गोवा | 4ए, 17, 17ए और 17बी |
| 9. | गुजरात | 6, 8, 8ए, 8बी, 8डी, 14, 15, 59 और एनई–1 |
| 10. | हरियाणा | 1, 2, 8, 10, 15, 21ए, 22, 65, 71, 71ए, 72, 73 |
| 11. | हिमाचल प्रदेश | 1ए, 20, 21, 21ए, 22, 70, 71, 72 और 88 |
| 12. | जम्मू और कश्मीर | 1ए, 1बी, 1सी और 1डी |
| 13. | झारखंड | 2, 23, 31, 32, 33, 75, 78, 80 और 99 |
| 14. | कर्नाटक | 4, 4ए, 4एमबीके 7, 9, 13, 17, 48, 63, 67, 206, 207, 209, 212 और 218 |
| 15. | केरल | 17, 47, 49, 212 |
| 16. | मध्य प्रदेश | 3, 7, 12, 12ए, 12 का विस्तार, 25, 26, 27, 59, 59ए, 69, 75, 75 का विस्तार, 76, 78, 86, 86 का विस्तार और 92 |
| 17. | महाराष्ट्र | 3, 4, 4बी, 6, 7, 8, 9, 13, 16, 17, 50, 69, 204, 211 और 222 |
| 18. | मणिपुर | 39, 150 |
| 19. | मेघालय | 40, 44, 51 और 62 |
| 20. | मिजोरम | 44ए, 54, 150 और 154 |
| 21. | नागालैंड | 61, 150 |
| 22. | उड़ीसा | 5, 5ए, 6, 23, 43, 200, 201, 203, 215 और 224 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 23. | पांडिचेरी | 17, 45ए |
| 24. | पंजाब | 1, 1ए, 10, 15, 20, 21, 22, 64, 70, 71, 72 और 95 |
| 25. | राजस्थान | 3, 8, 11, 11ए, 11बी, 12, 14, 15, 65, 76, 79, 79ए, 89, 90, 112 और 113 |
| 26. | सिक्किम | 31ए |
| 27. | तमिलनाडु | 4, 5, 7, 7ए, 45, 45ए, 45बी, 45 का विस्तार, 46, 47, 49, 66, 67, 67 का विस्तार, 68, 205, 207, 208, 209, 210 और 220 |
| 28. | त्रिपुरा | 44 |
| 29. | उत्तर प्रदेश | 2, 3, 7, 11, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 28बी, 29, 56, 56ए, 56बी, 58, 72, 73, 74, 75, 75 का विस्तार, 76, 86, 91, 91ए, 93, 96, 97 |
| 30. | उत्तरांचल | 58, 72, 72ए, 73, 74, 87, 94, 108, 109 और 125 |
| 31. | पश्चिम बंगाल | 2, 6, 31, 31ए, 31सी, 32, 34, 35, 41, 55, 60, 60ए 60 का विस्तार, 81 और 117 |

*[हिन्दी]*

**पंचायती राज प्रणाली पर राष्ट्रीय कार्यशाला**

**1241. श्री हंसराज गं. अहीर** : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पंचायती राज प्रणाली को कार्यान्वित करने के लिए एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें क्या सुझाव दिए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने राष्ट्रीय कार्यशाला में दिए गए सुझावों के आलोक में पंचायती राज प्रणाली को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने के लिए कोई कार्य योजना तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसे कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

**पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर)** : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) नई दिल्ली में दिनांक 23 जून से 25 जून, 2006 तक स्व–शासन एवं पंचायती राज पर लेखकों एवं विचारकों की एक कार्यशाला आयोजित हुई थी। इस कार्यशाला में पंचायती राज से संबंधित विभिन्न मुद्दों जैसे हस्तांतरण, शासन, पारदर्शिता, सूचना का अधिकार, प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण, लिंग–भेद संबंधी मामले, नागरिक समाज एवं समानान्तर संस्थान, राज्य संबंधित मुद्दों आदि को शामिल किया गया। पंचायती राज मंत्रालय सभी मुद्दों के समाधान हेतु अपने दिन–प्रतिदिन कार्यकरण की प्रक्रिया बना रहा है। 'पंचायतों की स्थिति–2006: मध्यकालीन समीक्षा एवं मूल्यांकन' का प्रकाशन पंचायती राज मंत्रालय द्वारा किया गया एवं इसे 23 नवम्बर, 2006 को संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखा गया।

*[अनुवाद]*

**राष्ट्रीय राजमार्गों में सुधार करने के लिए धनराशि**

**1242. श्री दुष्यंत सिंह** : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को गत तीन वर्षों के दौरान राजस्थान राज्य सरकार से राज्य में से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों में सुधार करने के लिए धनराशि उपलब्ध कराने हेतु कोई प्रस्ताव मिला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

**पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा)** : (क) जी, हां।

(ख) राजस्थान सरकार ने राज्य के 4422 कि.मी. लंबे राष्ट्रीय राजमार्गों में 4 वर्षों में सुधार कार्य करने के लिए जून, 2004 में एक अनुरोध भेजा था जिसके लिए निधियों की आवश्यकता निम्नवत है:–

| | | |
|---|---|---|
| चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण के मूल कार्य | : | 960.00 करोड़ रु. |
| आवधिक नवीकरण | | 275.00 करोड़ रु. |
| अनुरक्षण | | 160.00 करोड़ रु. |
| जोड़ | : | 1395.00 करोड़ रु. |

(ग) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के माध्यम से राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण–III के अंतर्गत निर्माण–प्रचालन–हस्तांतरण आधार पर राष्ट्रीय राजमार्गों की 4422 कि.मी. लंबाई में से 937 कि. मी. लंबाई के उन्नयन के लिए पहचान की गई है। तथापि, निधियों की प्रतिबंधता के कारण, मूल कार्यों और अनुरक्षण और मरम्मत कार्यों (जिसमें आवधिक नवीकरण कार्य भी शामिल हैं) के अंतर्गत राज्य सरकारों को अभी तक 402.13 करोड़ रु. आबंटित किए गए हैं जिनके ब्यौरे इस प्रकार हैं:–

धनराशि करोड़ रु.

| वर्ष | 2004–05 | 2005–06 | 2006–07 | जोड़ |
|---|---|---|---|---|
| राष्ट्रीय राजमार्ग (मूल) कार्य | 64.72 | 88.36 | 80.37 | 233.45 |
| अनुरक्षण कार्य | 53.11 | 54.99 | 60.58 | 168.68 |
| | | | | 402.13 |

*[हिन्दी]*

**कोयला खान क्षेत्रों में भूमि का धंस जाना**

**1243. श्री सुव्रत बोस :** क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोयला खानों के एक बड़े क्षेत्र में विशेष रूप से झारखंड के धनबाद जिले में लगातार भूमि के धंसने के संकेत मिल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इससे कितने लोगों के प्रभावित होने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार ने इन लोगों को स्थानांतरित करने और उनका पुनर्वास करने के लिए किसी कार्यक्रम पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव) :** (क) से (घ) इस संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

*[अनुवाद]*

**मेडिकल अनुदान आयोग की स्थापना**

**1244. श्री रायापति सांबासिवा राव :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में मेडिकल अनुदान आयोग की स्थापना का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो आयोग की प्रमुख विशेषताएं, उसके लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं; और

(ग) इसकी कब तक स्थापना किए जाने की संभावना है?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) :** (क) से (ग) चिकित्सा अनुदान आयोग की स्थापना का प्रस्ताव है। आयोग की प्रक्रियाविधियां तैयार की जा रही हैं।

**बीसीसीएल की नागदा खान में विस्फोट**

**1245. श्री किसनभाई वी. पटेल :**
**श्री सुग्रीव सिंह :**

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सितम्बर, 2006 के दौरान भारत कोकिंग कोल लि. की नागदा खान में हुए विस्फोट का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त घटना में कितने व्यक्ति मारे गए/घायल हुए और पीड़ितों और उनके परिवारों को अब तक अदा किए गए मुआवजे का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने खान में विस्फोट के कारणों की जांच की है;

(घ) यदि हां, तो उक्त जांच के क्या परिणाम निकले हैं; और

(ङ) कोयला खानों में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

**कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव) :** (क) भारत कोकिंग कोल लि. (बीसीसीएल) की भाटडीह कोलियरी के वेस्टर्न झरिया क्षेत्र की नागदा खान में 6.9.2006 को लगभग 8.00 बजे (अप.) (द्वितीय पाली) में एक बड़ी दुर्घटना हुई जिसमें 50 लोग फंस गए। महुदा की निचली सीम के 17वें इन्क्लाइन में दुर्घटना हुई जहां खनन की बोर्ड और पिल्लर प्रणाली और रेत भराई से डिप्पिलरिंग का कार्य चल रहा था। 753 की जनशक्ति और लगभग 590 की औसत उपस्थिति के साथ इस इन्क्लाइन का औसत उत्पादन लगभग 240 टन प्रतिदिन था। दी गई जानकारी के अनुसार, 17वें इन्क्लाइन के फैन ड्रिफ्ट से एक जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी। "ओ" स्तर में लगे तीन व्यक्ति (एक हॉलेज खलासी और 2 ट्रामर) खान से बाहर आए और वे कोयले की धूल से ढंके थे। खान में विस्फोट हुआ था।

(ख) भारत कोकिंग कोल लि. (बीसीसीएल) के अधीन भाटडीह खान दुर्घटना 6.9.2006 को हुई जिसमें 50 कामगारों की जाने चली गई थी और 4 लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की सूचना मिली थी। मृतक के प्रत्येक आश्रित को दिए गए मुआवजे की कुल राशि उनकी सेवा की अवधि के आधार पर 8.78 लाख रु. से 11.06 लाख रु. के

बीच है। इसमें अनुग्रह राशि, जीवन सुरक्षा–राशि, हितकारी निधि, दाह संस्कार व्यय, कामगार मुआवजा अधिनियम, 1923 के अनुसार मुआवजा तथा उपदान शामिल है। इसमें माननीय कोयला मंत्री की घोषणानुसार प्रत्येक के लिए 3.00 लाख रु. तथा प्रत्येक के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री द्वारा मंजूर 1.00 लाख रु. की अतिरिक्त अनुग्रह राशि भी शामिल है। इसके अतिरिक्त, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक को 1.00 लाख रु. की अनुग्रह राशि के भुगतान की भी मंजूरी दी गई है। इसके अलावा, कोयला खान भविष्य निधि संगठन (सीएमपीएफओ) के द्वारा भविष्य निधि का भुगतान किया जा रहा है। 50 मृतकों में से, मृतक कामगारों के 48 आश्रितों को रोजगार पहले ही दे दिया गया है (दो अवयस्क आश्रित लड़कों को रोजगार रोस्टर में रखा गया है तथा उनकी माताओं को उनके व्ययस्क होने तक मौद्रिक मुआवजा दिया गया है सहित)। एक महिला आश्रित ने मौद्रिक मुआवजा का विकल्प चुना है जो उसकी 60 वर्ष की उम्र तक जारी रहेगा और एक विधवा को उसके दावे की वास्तविकता की जांच करने के पश्चात् रोजगार दिया जाएगा।

(ग) और (घ) झारखंड में भारत कोकिंग कोल लि. (बीसीसीएल) के भाटडीह खान में हुई दुर्घटना जिसमें 50 कोयला खनिकों की जानें चली गईं थी और 4 लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की खबर मिली थी, के कारणों और परिस्थितियों की जांच करने के लिए भारत सरकार, श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा अधिसूचना सं. एस.ओ. 1756(ई), दिनांक 12.10.2006 के तहत जांच न्यायालय का गठन किया गया है। जांच न्यायालय को तीन महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट देनी है। जांच रिपोर्ट के निष्कर्षों और सिफारिशों के आधार पर, दुर्घटना के लिए जिम्मेदार पाए गए व्यक्तियों के विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी।

(ङ) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए कोयला कंपनियों द्वारा निम्नलिखित उपचारी उपाय किए जाते हैं:–

- सुरक्षा प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी को बढ़ावा देना।
- प्रबंधन द्वारा स्व–विनियमन को बढ़ावा देना।
- विभिन्न स्तरों पर सुरक्षा की स्थिति की त्रिपक्षीय और द्विपक्षीय समीक्षा करना।
- सुरक्षा सप्ताह मनाना और सुरक्षा अभियान चलाना।
- सुरक्षा जागरूकता का सृजन करना तथा सूचना का प्रचार–प्रसार करना।
- खानों में सुरक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करना।
- खानों में नियोजित व्यक्तियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न मंचों पर विचार–विमर्श करना।
- सुरक्षा मूल्यांकन की अवधारणा लागू करना, सुरक्षा प्रबंधन योजना तैयार करना और आपात स्थिति से निपटने की प्रणाली का विकास करना।
- सुरक्षा लेखापरीक्षा आयोजित करना।
- निम्न संभावित जोखिम के साथ खनन में नई तकनीक लागू करना।
- खानों की सुरक्षा की स्थिति की समीक्षा करने और अवगुणों को दूर करने के लिए सीआईएल की सभी सहायक कंपनियों को निदेश दिए गए हैं।
- गैस, रेत भराई, प्रचलित निष्कर्षण पद्धति और अन्य सुरक्षा पहलुओं के संबंध में डिग्री–III गैसीय खानों की सुरक्षा स्थिति का पुनः मूल्यांकन किया जा रहा है।

**अर्थव्यवस्था का विकास और उसका वितरण**

**1246. श्री के.एस. राव :** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अर्थव्यवस्था के विकास और उसके समाज के विभिन्न वर्गों में वितरण की दर कितनी है;

(ख) क्या गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले व्यक्तियों को अधिकार देने और उनका सृजन करने के लिए विकास के लाभों का समान वितरण सुनिश्चित करने हेतु कोई नीति है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन) :** (क) वर्ष 1999–2000 से 2004–2005 तक की अवधि के लिए वर्ष 1999–2000 के मूल्यों पर औसत वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर निम्नलिखित तालिका में दी गई है:–

*तालिका : स्थिर मूल्यों (1999–2000) पर कारक लागत पर सकल घरेलू उत्पाद की विकास दरें*

(करोड़ रु.)

| वर्ष | 1999–2000 | 2000–01 | 2001–02 | 2002–03 | 2003–04 | 2004–05 | 2005–06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| नई श्रृंखलाएं विकास | 17,92,292 | 18,70,387 | 19,78,055 | 20,52,586 | 22,26,041 | 23,93,671 | 25,95,339 |
| दर (%) | | 4.4 | 5.8 | 3.8 | 8.5 | 7 5 | 8.4 |

राष्ट्रीय लेखा की नई श्रृंखलाएं, आधार वर्ष 1999–2000, प्रेस विज्ञप्ति 29 सितम्बर, केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय।

समाज के विभिन्न वर्गों के बीच सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि का ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

(ख) और (ग) विकास के लाभ का समान वितरण तथा गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का उत्थान सुनिश्चित करने संबंधी कार्य–नीति त्रिआयामी है: (i) रोजगार–गहन क्षेत्रकों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए आर्थिक विकास का तीव्रीकरण; (ii) न्यूनतम मूल सुविधाओं के प्रावधान के माध्यम से मानव और सामाजिक विकास; (iii) लक्षित गरीबी–रोधी कार्यक्रम

सरकार गरीबों के सीधे आय सृजन हेतु तथा गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के उत्थान के लिए विभिन्न गरीबी–रोधी कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रही है।

ग्रामीण क्षेत्रों में, बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) परिवारों के उत्थान के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे कार्यक्रम हैं – (i) सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एसजीआरवाई) (ii) स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) (iii) इन्दिरा आवास योजना (आईएवाई), और (iv) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम।

शहरी क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जा रहा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम यथा स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) है। इस कार्यक्रम का आशय माइक्रो उद्यम की स्थापना के माध्यम से और उपयोगी सार्वजनिक परिसम्पत्तियों के निर्माण हेतु उनके श्रम का उपयोग करते हुए मजदूरी रोजगार के प्रावधान के माध्यम से भी शहरी बेरोजगारों अथवा अल्प रोजगार प्राप्त गरीबों को लाभप्रद रोजगार मुहैया कराना है। चुनिंदा 63 मिशन शहरों में जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) का कार्यान्वयन किया जा रहा है। वर्ष 2001 की गणना के अनुसार 63 मिशन शहरों को छोड़कर सभी शहरों पर एकीकृत आवास और स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) लागू है। आईएचएसडीपी का मूल उद्देश्य स्लम निवासियों को पर्याप्त आश्रय और मूलभूत आधार संरचना सुविधाएं उपलब्ध कराकर स्वस्थ और समर्थ शहरी वातावरण सहित समग्र स्लम विकास हेतु प्रयास करना है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर और अधिक ध्यान केन्द्रित किया गया है और इसे अत्यधिक गरीब श्रेणी के लिए लक्षित किया गया है। "अन्त्योदय अन्न योजना" निर्धनतम परिवारों को अत्यधिक सब्सिडीकृत दर पर 35 किलोग्राम खाद्यान्न उपलब्ध कराती है इसमें गेहूं 2 रु. प्रति कि.ग्रा. और चावल 3 रु. प्रति किलोग्राम है। हाल ही में अन्त्योदय अन्न योजना की कवरेज का विस्तार 2.0 करोड़ (बीपीएल) परिवारों से वर्ष 2005 में 2.5 करोड़ परिवारों तक किया गया है। राज्य सरकारों को परामर्श दिया गया है कि वे लाभभोगियों की पहचान करते समय निर्धन और पिछड़े ब्लॉकों और/अथवा जहां पौषणिक कमी बहुत अधिक है, के परिवारों को प्राथमिकता दें।

*[हिन्दी]*

**राष्ट्रीय राजमार्ग पर पुल का निर्माण**

**1247. श्री विजय कुमार खंडेलवाल :** क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश में चंबल राष्ट्रीय राजमार्ग पर पुल के निर्माण से संबंधित कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास लंबित है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त पुल के निर्माण हेतु स्वीकृति कब तक दिए जाने की संभावना है और इसके लिए संभावित समय–सीमा क्या है?

**पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) :** (क) जी, नहीं।

(ख) चंबल नाम से कोई राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं है। चंबल नदी मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 59 से होकर गुजरता है जहां पर पहले से ही पुल विद्यमान है। तथापि, मध्य प्रदेश/राजस्थान सीमा के नजदीक राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 पर एक चंबल पुल मौजूद है जबकि राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण–II के अंतर्गत एक नया पुल बनाए जाने का प्रस्ताव है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

*[अनुवाद]*

**राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 215 का उन्नयन**

**1248. श्री जुएल ओराम :** क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उड़ीसा के जाजपुर, क्योंझर और सुंदरगढ़ जिलों से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग के उन्नयन, सुधार और चौड़ीकरण की अनुमानित लागत कितनी है;

(ख) इसमें से परियोजना के लिए कितनी धनराशि आबंटित और खर्च की गई है; और

(ग) इसे पूरा करने के लिए निर्धारित लक्ष्य तारीख क्या है और अब तक कितनी प्रगति हुई है?

**पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) :** (क) से (ग) उड़ीसा के जाजपुर, क्योंझर और सुंदरगढ़ जिलों से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 215 के विकास कार्य को निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण आधार पर राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण–IIIक के अंतर्गत शामिल किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को तैयार करने का कार्य प्रगति पर है। इस परियोजना की अनंतिम लागत और इसे पूरा करने का लक्ष्य क्रमशः 1967 करोड़ रुपए और दिसंबर, 2009 है।

**कम वजन वाले बच्चे**

**1249. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिनांक 14 अक्टूबर, 2006 के "द इंडियन एक्सप्रेस" में प्रकाशित इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट (आईएफपीआरआई) की रिपोर्ट के अनुसार कम वजन वाले बच्चों के मामले में 119 देशों में भारत का स्थान 117वां है;

(ख) यदि हां, तो उसमें प्रकाशित तथ्य क्या हैं;

(ग) कम वजन वाले बच्चों की संख्या में कमी लाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं; और

(घ) इसके परिणामस्वरूप 2001 के पश्चात् कम वजन वाले बच्चों में कितने प्रतिशत कमी हुई है?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी)** : (क) से (घ) जी, नहीं। दिनांक 14 अक्टूबर, 2006 के इण्डियन एक्सप्रेस में यथा प्रकाशित अन्तर्राष्ट्रीय खाद्यनीति अनुसंधान संस्थान की रिपोर्ट के अनुसार इंडेक्स में शामिल 119 देशों की सूची में भारत 96वें स्थान पर है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में तीन संकेतक शामिल हैं: शिशु कुपोषण, शिशु मृत्यु दर और कैलोरी की कमी वाले लोगों के अनुपात के अनुमान।

सरकार द्वारा कम वजन वाले बच्चों की संख्या में कमी लाने के लिए निम्नलिखित प्रयास किए गए हैं:–

i.) नवजात शिशुओं और शैशवकाल के रोगों के एकीकृत उपचार (आईएमएनसीआई) को कार्यान्वित करना जो नवजात शिशुओं और शैशवकाल के रोगों तथा कुपोषण के सामान्यतम कारणों के उपचार को कवर करता है।

ii.) नवजात और युवा शिशु पोषण दिशानिर्देशों को कार्यान्वित करना।

iii.) सूक्ष्म–पाषकों–विटामिन ए, आयरन फालिक एसिड के साथ पूरक पोषण और नमक को आयोडीन के साथ पुष्ट बनाने के कार्यक्रम को कार्यान्वित करना।

iv.) एकीकृत बाल विकास योजना का विस्तार और एकीकृत बाल विकास योजना के अधीन पूरक पोषण के लिए वित्तीय मानदण्डों में संशोधन करना।

v.) किशोर लड़कियों के लिए पोषण कार्यक्रम को फिर से शुरू करना।

vi.) जन प्रचार माध्यमों के जरिए अनुसंधान।

vii.) विभिन्न राज्यों ने मध्य प्रदेश के बाल संजीवनी कार्यक्रम, बिहार और झारखण्ड की दुलार परियोजना तथा तमिलनाडु और केरल सरकार के कुपोषण उन्मूलन अभियान जैसी ये पहलें शुरू की हैं।

प्रत्येक ग्राम में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ताओं, एएनएम (सहायक नर्स धात्री) और आशा (प्रत्याधिक सामाजिक कार्यकर्ता) की मदद से मासिक स्वास्थ्य और पोषण दिवस मनाए जा रहे हैं।

एन. एफ. एच. एस.–II (1998–99) के अनुसार राज्यों में बच्चों की पौषणिक स्थिति के बारे में ताजा उपलब्ध आंकड़ें संलग्न विवरण में हैं।

***विवरण***

*सारणी 7.17 राज्य द्वारा बच्चों की पोषणात्मक स्थिति राज्य, भारत 1998–99 के अनुसार पोषणात्मक स्थिति के तीन मानवकेन्द्रित सूचकों पर अल्पपोषित किए अनुसार 3 वर्ष की उम्र से नीचे के बच्चों का प्रतिशत*

| राज्य | उम्र के अनुसार वजन | | उम्र के अनुसार लंबाई | | लंबाई के अनुसार वजन | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | –3 एस डी से नीचे प्रतिशत | –2 एस डी 1 से नीचे प्रतिशत | –3 एस डी 1 से नीचे प्रतिशत | –2 एस डी 1 से नीचे प्रतिशत | –3 एस डी से नीचे प्रतिशत | –2 एस डी 1 से नीचे प्रतिशत |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| भारत | 18.0 | 47.0 | 23.0 | 45.5 | 2.8 | 15.5 |
| **उत्तर** | | | | | | |
| दिल्ली | 10.1 | 34.7 | 18.0 | 36.8 | 4.1 | 12.5 |
| हरियाणा | 10.1 | 34.6 | 24.3 | 50.0 | 0.8 | 5.3 |
| हिमाचल प्रदेश | 12.1 | 43.6 | 18.1 | 41.3 | 3.3 | 16.9 |
| जम्मू और कश्मीर | 8.3 | 34.5 | 17.3 | 38.8 | 1.2 | 11.8 |
| पंजाब | 8.8 | 28.7 | 17.2 | 39.2 | 0.8 | 7.1 |
| राजस्थान | 20.8 | 50.6 | 29.0 | 52.0 | 1.9 | 11.7 |
| **केन्द्रीय** | | | | | | |
| मध्य प्रदेश | 24.3 | 55.1 | 28.3 | 51.0 | 4.3 | 19.8 |
| उत्तर प्रदेश | 21.9 | 51.7 | 31.0 | 55.5 | 2.1 | 11.1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **पूर्व** | | | | | | |
| बिहार | 25.5 | 54.4 | 33.6 | 53.7 | 5.5 | 21.0 |
| उड़ीसा | 20.7 | 54.4 | 17.6 | 44.0 | 3.8 | 24.3 |
| पश्चिम बंगाल | 16.3 | 48.7 | 19.2 | 41.5 | 1.6 | 13.6 |
| **पूर्वोत्तर** | | | | | | |
| अरुणाचल प्रदेश | 7.8 | 24.3 | 11.9 | 26.5 | 2.0 | 7.9 |
| असम | 13.3 | 36.0 | 33.7 | 50.2 | 3.3 | 13.3 |
| मणिपुर | 5.3 | 27.5 | 11.2 | 31.3 | 1.8 | 8.2 |
| मेघालय | 11.3 | 37.9 | 24.5 | 44.9 | 1.0 | 13.3 |
| मिजोरम | 5.0 | 27.7 | 13.9 | 34.6 | 2.8 | 10.2 |
| नागालैंड | 7.4 | 24.1 | 11.7 | 33.0 | 2.4 | 10.4 |
| सिक्किम | 4.2 | 20.6 | 9.7 | 31.7 | 0.8 | 4.8 |
| **पश्चिम** | | | | | | |
| गोवा | 4.7 | 28.6 | 4.8 | 18.1 | 0.7 | 13.1 |
| गुजरात | 16.2 | 45.1 | 23.3 | 43.6 | 2.4 | 16.2 |
| महाराष्ट्र | 17.6 | 49.6 | 14.1 | 39.9 | 2.5 | 21.2 |
| **दक्षिण** | | | | | | |
| आंध्र प्रदेश | 10.3 | 37.7 | 14.2 | 38.6 | 1.6 | 9.1 |
| कर्नाटक | 16.5 | 43.9 | 15.9 | 36.6 | 3.9 | 20.0 |
| केरल | 4.7 | 26.9 | 7.3 | 21.9 | 0.7 | 11.1 |
| तमिलनाडु | 10.6 | 36.7 | 12.0 | 29.4 | 3.8 | 19.9 |

नोट : प्रत्येक सूचक को अंतर्राष्ट्रीय संदर्श जनसंख्या के औसत से मानक भिन्नता यूनिट में दर्शाया गया है।

1 अंतर्राष्ट्रीय सदर्भ जनसंख्या औसत से –3 एस डी से नीचे वाले बच्चे शामिल हैं।

**परियोजनाओं के निष्पादन में विलंब**

**1250. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़ :**
**श्रीमती निवेदिता माने :**
**श्री कीर्ति वर्धन सिंह :**

क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा भूमि अधिग्रहण के पूर्व ठेके दिए गए थे जिसके परिणामस्वरूप राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम–II के अंतर्गत विलंब एवं परियोजनाओं की लागत में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) भूमि अधिग्रहण पूर्व ठेका दिए जाने का तर्क तथा अनुमानित हानि क्या है;

(घ) क्या इस संबंध में कोई उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो चूककर्ता अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

**पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा)** : (क) से (च) राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण–II के लिए सामान्यतया भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया पूरी होने से पहले ठेके नहीं सौंपे जाते हैं। इसके अलावा, ठेके के अनुसार भूमि को चरणबद्ध तरीके से सौंपा जाना होता है और अधिकांश परियोजनाओं में ठेका करार में विहित सुपुर्दगी अनुसूची के अनुसार ठेकेदारों को भूमि सौंपी जाती है। अब तक, भूमि अधिग्रहण के कारण कोई विलंब अथवा लागत में वृद्धि नहीं हुई है। ये परियोजनाएं अभी भी निष्पादन चरण में हैं और परियोजना के पूरा होने के बाद ही ऐसे विलंब और लागत में वृद्धि का परिकलन किया जा सकेगा।

**परिवहन क्षेत्र सुधारों के लिए वित्तीय सहायता**

**1251. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :**
**श्री रवि प्रकाश वर्मा :**

क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने उन राज्यों को वित्तीय सहायता देने के लिए योजना आयोग से अनुरोध किया है जो कतिपय परिवहन क्षेत्र सुधारों के लिए सहमत हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में किए जाने वाले सुधारों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकार को परिवहन क्षेत्र सुधार के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) किन–किन राज्यों ने पहले ही समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं; और

(च) प्रत्येक हस्ताक्षरकर्ता राज्य को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की संभावना है?

**पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा)** : (क) से (च) उन राज्य सरकारों, जो कतिपय परिवहन क्षेत्र सुधार करने के लिए सहमत हैं, को वित्तीय सहायता देने के लिए न तो कोई ठोस स्कीम तैयार की गई है और न ही अनुमोदित की गई है।

*[हिन्दी]*

**उत्तर प्रदेश में सड़कों को चौड़ा करना और मजबूत बनाना**

**1252. श्री रशीद मसूद** : क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर और मुजफ्फरनगर जिलों से होकर गुजरने वाली विदोली–गंगोह सड़क वाया चोसना को चौड़ा करने और मजबूत बनाने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार से संशोधित प्राक्कलन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त परियोजना हेतु धनराशि जारी कर दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ धनराशि कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

**पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा)** : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश राज्य में विदोली–गंगोह सड़क (वाया चोसना) को चौड़ा करने और सुदृढ बनाने के लिए 1344.00 लाख रु. का एक प्राक्कलन राज्य लोक निर्माण विभाग द्वारा दिनांक 13.11.2006 को प्रस्तुत किया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) इस मंत्रालय द्वारा विस्तृत प्राक्कलन को मंजूरी प्रदान किए जाने के बाद ही धनराशि जारी किए जाने पर विचार किया जा सकता है।

*[अनुवाद]*

**लेखन सामग्री की खरीद**

**1253. श्री रघुनाथ झा :**
**श्री प्रभुनाथ सिंह :**

क्या **प्रधानमंत्री** लेखन सामग्री की खरीद के बारे में 24.8.05 और 17.5.06 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4333 और 3924 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सचिवों की समिति ने कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को केन्द्रीय सरकार के सभी विभागों, उनके सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों इत्यादि द्वारा 10,000/– रु. तक की लेखन सामग्री की खरीद स्थानीय स्तर पर करने संबंधी उसके 14 जुलाई, 1981 को जारी अनुदेशों को संशोधित करने का निदेश दिया था;

(ख) यदि हां, तो उक्त निर्णय का क्रियान्वयन नहीं करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सचिवों की समिति ने 10,000/– रु. से

2,00,000/– तक की खरीद को–ऑपरेटिव व अन्य से सीमित निविदा के माध्यम से करने का भी निर्णय लिया था;

(घ) यदि हां, तो जी.एफ.आर., 2005 में सचिवों की समिति के निर्णयों को शामिल नहीं किए जाने के क्या कारण हैं;

(ङ) जी.एफ.आर. 2005 के नियम 145 और 146 को लचीला बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ताकि सरकारी विभाग और कार्यालय 10,000/– रु. तक की लेखन सामग्री केन्द्रीय भण्डार से खरीद सकें जैसाकि सचिवों की समिति द्वारा 2 जून, 2004 को निर्णय लिया गया था;

(च) क्या सचिवों की समिति के निर्णय बाध्यकारी हैं तथा उनका अनुपालन आवश्यक रूप से किया जाना चाहिए; और

(छ) यदि नहीं, तो मामलों की समीक्षा करने हेतु सचिवों की समिति नियुक्त करने का औचित्य क्या है तथा सचिवों की समिति के निर्णयों को क्रियान्वित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

**कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी)** : (क) से (ङ) सचिवों की समिति, जिसकी बैठक 2.6.2004 को हुई, ने केन्द्रीय भण्डार के लिए खरीद सम्बन्धी प्राथमिकता के प्रश्न पर विचार किया और कुछ सिफारिशें कीं। तथापि, वित्त मंत्रालय ने, विस्तृत समीक्षा के बाद, जी. एफ.आर. 1963 के प्रावधानों को संशोधित करते हुए नई जी.एफ.आर. 2005 जारी की। उस मंत्रालय ने बाद में स्पष्ट किया कि नए जी.एफ. आर. के अंतर्गत अब केन्द्रीय भण्डार इत्यादि हेतु विशेष व्यवस्था उपलब्ध नहीं होगी और सरकारी विभाग इत्यादि को जी.एफ.आर. के प्रावधानों के अनुसार ही लेखन–सामग्री और अन्य सामान की खरीद करनी चाहिए।

(च) और (छ) सचिवों की समिति मंत्रालयों/विभागों द्वारा उसे भेजे गए महत्त्वपूर्ण विषयों पर विचार–विमर्श करने के लिए बैठक बुलाती है। यह समिति अपनी सिफारिशें करती हैं जिन पर उपयुक्त निर्णय हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार किया जाता है।

*[हिन्दी]*

**राष्ट्रीय राजमार्ग-69 को चौड़ा करना/सुधारना**

**1254. श्री विजय कुमार खंडेलवाल : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 69 को ओबेदुल्लागंज से नागपुर तक चौड़ा करने, मजबूत बनाने और मरम्मत करने के संबंध में विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह कार्य कब तक किए जाने की संभावना है?

**पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा)** : (क) जी, हां।

(ख) ओबेदुल्लागंज से नागपुर तक राष्ट्रीय राजमार्ग 69 पर चौड़ा करने, सुदृढ़ बनाने और सड़क गुणता सुधार कार्य के लिए इस समय 32.77 करोड़ रु. धनराशि के कुल 13 कार्य चल रहे हैं और इन्हें अक्तूबर, 2007 तक पूरा करने का लक्ष्य है। आवधिक नवीकरण के अंतर्गत 5.98 करोड़ रु. के 4 कार्य चल रहे हैं जिन्हें जून, 2007 तक पूरा करने का लक्ष्य है। संपूर्ण लंबाई जिनमें वे खंड शामिल नहीं हैं जिन पर कार्य चल रहे हैं और जो निष्पादन गारंटी के अंतर्गत हैं, का साधारण मरम्मत के अंतर्गत अनुरक्षण किया जा रहा है।

(ग) राष्ट्रीय राजमार्गों का उन्नयन और अनुरक्षण एक सतत् प्रक्रिया है।

**चार लेन वाली सड़कों का प्रयोग करने हेतु टोल टैक्स**

**1255. श्री ब्रजेश पाठक : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्यवार कुल कितने कि.मी. लंबे राष्ट्रीय राजमार्गों को चार लेनों वाला बनाया गया है;

(ख) उन राज्यों का ब्यौरा क्या है जहां चार लेन वाली सड़कों के प्रयोग हेतु टोल टैक्स वसूला जा रहा है;

(ग) क्या सरकार चार लेन वाली सड़कों पर टोल टैक्स वसूलने के लिए कुल निजी कंपनियों के साथ एक करार पर हस्ताक्षर करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा)** : (क) देश में चार लेन और उससे अधिक लेन के राष्ट्रीय राजमार्गों के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, और पश्चिम बंगाल राज्यों में चार लेन और उससे अधिक लेन के राष्ट्रीय राजमार्गों पर प्रयोक्ता शुल्क प्रभारित किया जा रहा है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय राजमार्ग नियमावली (राष्ट्रीय राजमार्ग खंड और स्थायी पुल के प्रयोग के लिए शुल्क–सार्वजनिक वित्तपोषित परियोजनाएं) दिनांक 27.8.1997 सा.का.नि. 490 (अ) से संबंधित निष्पादन एजेंसी द्वारा विभागीय तौर पर अथवा निजी एजेंसी के द्वारा

प्रयोक्ता शुल्क संग्रहीत करने के लिए अनुमति प्रदान करती है। तदनुसार, प्रयोक्ता शुल्क या तो विभागीय तौर पर निजी एजेंसी को नियुक्त करके अथवा इसे प्रतिस्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया के आधार पर ठेके पर देकर संग्रहीत किया जाता है।

*विवरण*

*देश में चार लेन और उससे अधिक लेन के राष्ट्रीय राजमार्गों के ब्यौरे*

| क्रम. सं. | राज्य | कुल लंबाई (कि.मी.) |
|---|---|---|
| 1. | आंध्र प्रदेश | 1229 |
| 2. | असम | 19 |
| 3. | बिहार | 221 |
| 4. | चंडीगढ़ | 15 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 36 |
| 6. | दिल्ली | 72 |
| 7. | गोवा | 26 |
| 8. | गुजरात | 916 |
| 9. | हरियाणा | 406 |
| 10. | झारखंड | 175 |
| 11. | कर्नाटक | 546 |
| 12. | केरल | 54 |
| 13. | मध्य प्रदेश | 125 |
| 14. | महाराष्ट्र | 592 |
| 15. | मणिपुर | 14 |
| 16. | उड़ीसा | 330 |
| 17. | पंजाब | 268 |
| 18. | राजस्थान | 866 |
| 19. | तमिलनाडु | 514 |
| 20. | उत्तरांचल | 7 |
| 21. | उत्तर प्रदेश | 829 |
| 22. | पश्चिम बंगाल | 438 |

*[अनुवाद]*

**राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए टोल पॉलिसी**

**1256. श्री रवि प्रकाश वर्मा : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए टोल पॉलिसी की कार्य पद्धति बनाने हेतु एक समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा उस पर क्या कार्रवाई की गई है?

**पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा)** : (क) और (ख) राष्ट्रीय राजमार्गों की पथकर नीति की समीक्षा करने के लिए सचिवों की समिति के अंतर्गत सचिव (व्यय) की अध्यक्षता में एक उप समिति का गठन किया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

**सिस्टम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर हेतु बाजार**

**1257. श्री जी. करुणाकर रेड्डी : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत एशिया में सिस्टम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर हेतु एक तेजी से उभरता बाजार है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने भारत को विश्व में सिस्टम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का एक बड़ा बाजार बनाने हेतु कोई कार्य–योजना तैयार की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) किन–किन देशों में सिस्टम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का सबसे बड़ा बाजार है?

**संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद)** : (क) से (घ) भारत एपेक क्षेत्र (एशिया/प्रशांत महासागर तथा चीन क्षेत्र) में सॉफ्टवेयर तथा सेवाओं के लिए तेजी से विकसित होने वाले बाजारों में से एक है।

भारत सरकार तथा नैसकॉम जैसे औद्योगिक संघ समय–समय पर सतत् रूप से सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की आवश्यकताओं पर नज़र रखे हुए हैं। भारत सरकार ने 'सूचना प्रौद्योगिकी में मानव संसाधन विकास' पर एक कार्य दल का गठन किया है जिसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक अनुमानों के अनुसरण में यथोचित रूप से प्रशिक्षित सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि करने के लिए एक दीर्घावधि नीति तैयार करना है। कार्यदल की संस्तुतियों के आधार पर अन्य बातों के साथ–साथ विभिन्न अनुवर्ती कार्रवाइयां की गई हैं जैसे कि वीएलएसआई डिज़ाइन, सूचना सुरक्षा, जैव सूचना विज्ञान, अंत:निर्मित प्रणालियां आदि पर विभिन्न विशिष्ट पाठ्यक्रम शुरू करना, केन्द्रीय/राज्य/निजी क्षेत्र द्वारा की गई पहल के विभिन्न मॉडलों का इस्तेमाल

करते हुए सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित करना। सी–डैक, डीओईएसीसी, नैसकॉम आदि विभिन्न एजेंसियों के जरिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरी में विशिष्ट कुशलताओं सहित उच्च क्वालिटी की तथा उच्च स्तरीय जनशक्ति का सृजन करने के विभिन्न उपाय करना जिससे सूचना प्रौद्योगिकी तथा सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवा प्रदाता तथा प्रणाली प्रबंध सॉफ्टवेयर विकासकर्त्ता तैयार करने में सहायता मिलेगी।

सूचना प्रौद्योगिकी तथा सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं के बृहत बाजार वाले देश ये हैं : संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ, दक्षिण कोरिया एवं अन्य ओईसीडी (आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन) देश।

*[हिन्दी]*

**भारत-चीन सीमा के नजदीक सड़क परियोजनाएं**

**1258. श्री रशीद मसूद :** क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार भारत–चीन सीमा के नजदीक 27 महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं पर काम शुरू करने के किसी भी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निजी कंपनियों के माध्यम से इन परियोजनाओं का निर्माण कार्य निष्पादित किए जाने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में अभी तक क्या कार्यवाही की गई है; और

(च) इन सड़कों के निर्माण से क्या लाभ होने की संभावना है?

**पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा)** : (क) और (ख) भारत–चीन सीमा पर सीमा क्षेत्र में 608 कि.मी. के 27 सड़क संपर्कों का चरणबद्ध निर्माण करने का निर्णय लिया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) इन सड़कों के निर्माण के कार्य सीमा सड़क संगठन, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय परियोजना निर्माण कंपनी और हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग को सौंपे गए हैं।

(च) उन्नत सड़कों के निर्माण से इस क्षेत्र में परिवहन संपर्क में वृद्धि होगी।

**मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण**

**1259. श्री विजय कुमार खंडेलवाल :** क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम के अंतर्गत बनाए जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई तुलनात्मक रूप से कम है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस लंबाई में वृद्धि का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो कितने किलोमीटर लंबाई बढ़ाई जानी प्रस्तावित है;

(घ) इसे कब तक किए जाने की संभावना है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या मध्य प्रदेश में सड़कों की मरम्मत, सुदृढ़ीकरण और विस्तार के लिए धनराशि आनुपातिक रूप से मंजूर की जा रही है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा)** : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत 1517 कि.मी. लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग को निर्माण के लिए अभिनिर्धारित किया गया है जो कि सापेक्षतः कम नहीं है। इसमें एन एच डी पी–III के अंतर्गत 657 कि.मी., एन.एच.डी.पी.–III के अंतर्गत 804 कि.मी., एन.एच.डी.पी.–V के अंतर्गत 56 कि.मी. शामिल हैं, इसके अतिरिक्त एन.एच.डी.पी.–II के 42 कि.मी. एन.एच.डी.पी.–V के अंतर्गत 6 लेन का बनाने के लिए प्रस्तावित है।

(च) और (छ) मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग के अनुरक्षण, सुदृढ़ीकरण और विस्तारण के लिए निधियां राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई, गत वर्ष के दौरान निधियों के उपयोग, क्षतियों की प्रकृति और सीमा तथा निधियों आदि की समग्र उपलब्धता के आधार पर आबंटित की जा रही हैं। चालू वर्ष के दौरान आबंटित निधियां इस प्रकार हैं:

| शीर्ष | वर्ष 2006–07 में मध्य प्रदेश सरकार को आबंटित निधियां (करोड़ रु.) |
|---|---|
| मूल | 80.00 |
| अनुरक्षण और मरम्मत | 62.94 |

**परिवहन व्यवस्था हेतु विश्व बैंक की धनराशि**

**1260. श्री ब्रजेश पाठक :** क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक ने विभिन्न राज्यों में परिवहन व्यवस्था में सुधार के लिए कोई धनराशि मंजूर की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्यों को उक्त धनराशि में से कितनी धनराशि जारी की गई है?

**पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा)** : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

**अध्यक्ष महोदय** : सभा मध्याह्न 12.00 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

**पूर्वाह्न 11.26 बजे**

*तत्पश्चात् लोकसभा मध्याह्न 12.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।*

---

**मध्याह्न 12.00 बजे**

*लोक सभा मध्याह्न 12.00 बजे पुनः समवेत हुई।*

*(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)*

## सभा पटल पर रखे गए पत्र

*[अनुवाद]*

**पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी. आर. बालू)** : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 की उपधारा (4) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 673(अ) जो 26 अक्टूबर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा तूतीकोरिन पत्तन न्यास (वाहनों, उपस्कर और व्यक्तियों के लिए प्रवेश परमिट जारी करना) विनियम, 2005 का अनुमोदन किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 5061/2006]

(2) (एक) विशाखापत्तनम डॉक लेबर बोर्ड, विशाखापत्तनम के वर्ष 2005–2006 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) विशाखापत्तनम डॉक लेबर बोर्ड, विशाखापत्तनम के वर्ष 2005–2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 5062/2006]

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी)** : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:–

(1) (एक) रीजनल कैंसर सेंटर, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2004–2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रीजनल कैंसर सेंटर, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2004–2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 5063/2006]

(3) (एक) किदवई मेमोरियल इंस्टिट्यूट ऑफ ऑकोलाजी, बंगलौर के वर्ष 2004–2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) किदवई मेमोरियल इंस्टिट्यूट ऑफ ऑकोलाजी, बंगलौर के वर्ष 2004–2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 5064/2006]

(5) राष्ट्रीय आरोग्य निधि, नई दिल्ली के वर्ष 2005–2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 5065/2006]

**पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू)** : डा. शकील अहमद की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) (एक) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2005–2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2005–2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5066/2006]

(2) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 37 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):–

(एक) सेवा की गुणवत्ता के मानदंड (प्रसारण और केबल सेवाएं) (केबल टेलीविजन–सीएएस क्षेत्र) विनियम, 2006 जो 23 अगस्त, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 16–2/2006–बी एंड सीएस में प्रकाशित हुए थे।

(दो) दूरसंचार (प्रसारण और केबल सेवाएं) अंतर्संबंध (दूसरा संशोधन) विनियम, 2006 (2006 का 9) जो 24 अगस्त, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ संख्या 11–13/2006–बी एंड सीएस में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) दूरसंचार (प्रसारण और केबल सेवाएं) अंतर्संबंध (तीसरा संशोधन) विनियम, 2006 (2006 का 10) जो 4 सितम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ संख्या 6–4/2006–बी एंड सीएस में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति) (छठा संशोधन) विनियम, 2006 (2006 का 12) जो 10 अक्टूबर, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 5–4/2000–ए एंड पी (खंड II) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5067/06]

(3) भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 की धारा 74 की उपधारा (4) के अंतर्गत भारतीय डाकघर (तीसरा संशोधन) नियम, 2006 जो 18 अगस्त, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 487 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 5068/2006)

**योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन)** : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पट पर रखता हूं:–

(1) (एक) इंस्टिट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ (डेवलपमेंट प्लानिंग सेंटर), दिल्ली के वर्ष 2005–2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टिट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ (डेवलपमेंट प्लानिंग सेंटर), दिल्ली के वर्ष 2005–2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5069/2006]

---



**अपराह्न 12.04 बजे**

## गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

### 23वां प्रतिवेदन

*[अनुवाद]*

**श्री चरणजीत सिंह अटवाल** (फिल्लौर) : मैं गैर–सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का तेइसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

---

**अपराह्न 12.05 बजे**

## अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति

### 15वें से 17वां प्रतिवेदन

*[अनुवाद]*

**श्री रतिलाल कालीदास वर्मा** (धन्धुका) : मैं निम्नलिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं:–

(1) "भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण तथा उनका नियोजन" के बारे में नागर विमानन मंत्रालय से संबंधित अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति का 15वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) "सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए उचित नियोजन नीति – भूमंडलीकरण और अन्य सुधार उपायों के पश्चात् स्थिति की समीक्षा" के बारे में समिति के 22वें प्रतिवेदन (तेरहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की–गई–कार्यवाही के संबंध में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, जनजातीय कार्य–मंत्रालय, वित्त मंत्रालय (विनिवेश विभाग), भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय (लोक उद्यम विभाग) तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) से संबंधित अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति का 16वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) "पूर्वोत्तर रेलवे (एनईआर) में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण तथा उनका नियोजन" के बारे में रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) से संबंधित अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति का 17वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

**अध्यक्ष महोदय** : श्री वर्मा, मेरे विचार से अब आप अच्छा महसूस कर रहे हैं।

---

**अपराह्न 12.06 बजे**

## स्थगन प्रस्ताव

### देश में आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने और विशेष कर आतंकवाद के तेजी से बढ़ते हुए खतरे से निपटने में सरकार की विफलता के संबंध में

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : मुझे स्थगन प्रस्ताव संबंधी सूचना प्राप्त हुई है। इसका उल्लेख करने के लिए यही समय है

*...(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री प्रभुनाथ सिंह** (महाराजगंज, बिहार) : अध्यक्ष महोदय, माननीय अडवाणी जी कुछ कहना चाहते थे। *...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : मैं उनको सुनने के लिए तैयार हूं। मैं उनके आने का इंतजार कर रहा हूं। मैं इस बात पर कायम हूं।

*...(व्यवधान)*

**श्री गुरुदास दासगुप्त** (पंसकुरा) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, मुझे एक अनुरोध करना है। माननीय श्री आडवाणी जैसा चाहते हैं वैसा बोल सकते हैं। परन्तु अन्य सदस्यों को भी बोलने का मौका मिलना चाहिए। उनके भाषण के बाद, ऐसा न हो कि सदन को अपनी बात रखने का मौका न दिया जाए। *...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : मुश्किल यह है कि अध्यक्ष की बात भी यहां सुनी नहीं जाती है।

*...(व्यवधान)*

**श्री गुरुदास दासगुप्त** : हम आपसे आश्वासन चाहते हैं *...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : मेरा सभी पक्षों से केवल यही अनुरोध है कि कम से कम प्रति दिन प्रश्नकाल होना चाहिए। यह किसी नेता, विशेषकर विपक्ष के नेता का जिनका मैं व्यक्तिगत रूप से सम्मान करता हूं, अनादर करना नहीं है। मैं यह अपील सभा के सभी पक्षों के लिए कर रहा हूं।

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : यह क्या हो रहा है? माननीय सदस्यगण कृपया बैठ जाइए।

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : श्री गोयल, आपको क्या हुआ है? आपको क्या परेशानी है? कृपया बैठ जाइए।

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : यह मेरी अपील है। यह माननीय सदस्यों पर निर्भर करता है कि वे मेरी अपील को मानें या न मानें। प्रश्न काल के दौरान अनेक प्रश्न उठाए जाते हैं। मैं किसी को भी कोई मामला उठाने से रोक नहीं रहा हूं।

कृपया मुझे बताएं कि अध्यक्ष बनने के बाद मैंने किसी मामले को उठाने से मना किया है। मैं आपसे केवल अनुरोध कर रहा हूं। जैसा कि आप जानते हैं इसमें केवल दो बाधाएं अर्थात् समय और नियम की बाधाएं हैं। तब भी कभी–कभी मैं नियमों की भी अपेक्षा करता हूं। क्योंकि मैं सभी के साथ सहयोग करने का प्रयास करता हूं।

अब मुझे सभा में स्थगन प्रस्ताव का पाठ रखना है। विपक्ष के नेता *...(व्यवधान)*

**श्री लाल कृष्ण आडवाणी** (गांधीनगर) : महोदय, क्या आप स्थगन प्रस्ताव अभी चर्चा करने के लिए कह रहे हैं?

**अध्यक्ष महोदय** : नहीं। मुझे सभा की अनुमति लेनी है।

**श्री लाल कृष्ण आडवाणी** : महोदय, स्थगन प्रस्ताव अपराह्न 2 बजे लिया जाए। *...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : सभा की अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् मैं अन्य मामलों को देखूंगा।

मुझे सभा को सूचित करना है कि मुझे देश में आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने और विशेष रूप से आतंकवाद के तेजी से बढ़ते हुए खतरे से निपटने में सरकार की विफलता के संबंध में सर्वश्री बृज किशोर त्रिपाठी, प्रभुनाथ सिंह, लाल कृष्ण आडवाणी और सुबोध मोहिते से चार स्थगन प्रस्ताव के नोटिस प्राप्त हुए हैं।

मैंने श्री लाल कृष्ण आडवाणी जिनको बैलेट में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ को निम्नलिखित रूप में प्रस्ताव प्रस्तुत करने पर अपनी सहमति दी है:–

"देश में आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने में और विशेष रूप से आतंकवाद के तेजी से बढ़ते हुए खतरे से निपटने में सरकार की विफलता"।

अब श्री लाल कृष्ण आडवाणी सभा की अनुमति मांगें।

**श्री लाल कृष्ण आडवाणी** : महोदय, अभी या अपराह्न 2.00 बजे?

**अध्यक्ष महोदय** : अभी आप केवल स्वीकारोक्ति संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत करें। इस पर चर्चा बाद में होगी। लेकिन आपको सभा की अनुमति लेनी होगी।

**श्री लाल कृष्ण आडवाणी** : महोदय, मैं आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखने और विशेष कर देश में बढ़ती आतंकवादी घटनाओं से निपटने में सरकार की विफलता के संबंध में स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए सभा की अनुमति चाहता हूं। ...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : यह क्या हो रहा है? क्या यह अनुमति का विरोध है?

जो सदस्य अनुमति दिए जाने के पक्ष में हों वे कृपया अपने स्थानों पर खड़े हो जायें।

अनेक सदस्यगण खड़े हुए।

**अध्यक्ष महोदय** : मैं देख रहा हूं कि खड़े हुए सदस्यों की संख्या अपेक्षित संख्या से अधिक है।

अतः अनुमति प्रदान की जाती है। नियम 61 के अंतर्गत स्थगन प्रस्ताव अपराह्न 16.00 बजे अथवा उससे पहले लिया जाना है। नियम 62 के अंतर्गत इस पर चर्चा के लिए 2 घंटे 30 मिनट निर्धारित किए गए हैं। इस प्रस्ताव पर चर्चा अपराह्न 2 बजे की जाए। मुझे आशा है कि सभा इससे सहमत है।

हां, श्री लाल कृष्ण आडवाणी

...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री मोहन सिंह** (देवरिया) : माननीय अध्यक्ष महोदय, कल आपने नियम 193 के तहत इंटरनल सिक्यूरिटी पर बहस स्वीकार की थी और कल वह इसलिए एजेन्डा से बाहर की गई क्योंकि यह कहा गया कि उसके मूवर जो माननीय सदस्य हैं, वे उस समय मौजूद नहीं थे। मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि नियम 193 की डिबेट जो एक्सैप्टेड थी, उसका क्या हुआ?

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : मैंने नहीं कहा। वह उसी दिन इस पर चर्चा करवाने के लिए दबाव न डालने पर सहमत हो गए हैं।

...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री मोहन सिंह** : उसका क्या करेंगे? आपने आज के लिए उसको टाला था। उसकी स्थिति क्या है?



*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा के पश्चात् नियम 193 के अंतर्गत कोई चर्चा नहीं होती।

**श्री गुरुदास दासगुप्त** : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ... *(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : सभा के पास कोई कार्य नहीं है। अतः चर्चा के बिना व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं हो सकता।

...*(व्यवधान)*

---

**अपराह्न 12.08 बजे**

## सदस्यों द्वारा निवेदन

### शिबु सोरेन की दोष-सिद्धि तथा गिरफ्तारी के बारे में

*[अनुवाद]*

**श्री लाल कृष्ण आडवाणी** (गांधीनगर) : महोदय, आज सुबह जब मेरे अन्य सहयोगियों द्वारा यह मामला उठाए जाने की अनुमति मांगी गई मैंने भी अपना हाथ उठाया – आपने कहा कि इस मामले पर प्रश्नकाल के दौरान नहीं मध्याह्न 12 बजे चर्चा की जाए। मैं यह कहना चाहता हूं कि व्यक्तिगत रूप से मैं भी सहमत हूं कि प्रश्न काल निर्धारित रीति से ही चले। यदि ...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : मैं आपकी बात बाद में सुनूंगा। कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : मैं आपकी बात बाद में सुनूंगा। कृपया बैठ जाइए। श्री रूपचंद पाल यह ठीक नहीं है। मैं दूसरे पक्ष को भी तो सुनूंगा।

...*(व्यवधान)*

**श्री लाल कृष्ण आडवाणी** : यदि नियमों में यह प्रावधान है कि ऐसे अवसरों ...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : कृपया बैठ जाइए।

**श्री लाल कृष्ण आडवाणी** : यदि नियमों में यह प्रावधान है कि कोई सदस्य प्रश्न काल के स्थगन के लिए असाधारण स्थितियों में ऐसा प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकता है। ...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : यह क्या हो रहा है?

...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : वह नियम का उल्लेख कर रहे हैं। आप उसका विरोध कर रहे हैं?

*...(व्यवधान)*

**श्री लाल कृष्ण आडवाणी** : महोदय, मैंने सदस्य के रूप में भारतीय संसद को 1970 से देखा है। उससे पहले के वर्षों में मैंने एक पत्रकार के रूप में भी इसे देखा है। मैं कह सकता हूं कि कल जो कुछ भी हुआ वह संसद के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ ...*(व्यवधान)* यदि आप इसे महसूस नहीं करते, तो आप समग्र राजनीतिक व्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहे हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय, भारतीय राजनीतिक इतिहास में पहली बार मंत्रिमंडल के किसी सदस्य को हत्या का दोषी पाया गया है और उन्हें सजा हुई है ...*(व्यवधान)* अदालत से उन्हें सीधे तिहाड़ जेल ले जाया गया। फिर भी वे मानते हैं कि यह एक साधारण घटना है और इसमें असाधारण कुछ भी नहीं है। ...*(व्यवधान)* आपको तो मुझसे भी ज्यादा शर्म महसूस करना चाहिए ...*(व्यवधान)*

**श्री संतोष गंगवार** (बरेली) : महोदय, कृपया उन्हें सुनने के लिए कहा जाए ...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : मैं और क्या कर सकता हूं?

*...(व्यवधान)*

**श्री लाल कृष्ण आडवाणी** : यदि सत्ताधारी पार्टी ही मानती है कि यह साधारण–सी बात है, और इसमें असाधारण कुछ भी नहीं है, तो मैं केवल अफसोस ही जताता हूं ...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : माननीय नेता, प्रतिपक्ष, प्रश्न काल को स्थगित करने का कोई नोटिस दिया नहीं गया है।

**श्री लाल कृष्ण आडवाणी** : मैंने नहीं दिया है।

**श्री संतोष गंगवार** : मैंने नोटिस दिया है।

**अध्यक्ष महोदय** : नहीं, आपने नहीं दिया है।

**श्री लाल कृष्ण आडवाणी** : यह प्रश्न काल नहीं है। उन्होंने नोटिस दिया है।

**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न काल स्थगित करने के लिए कोई नोटिस नहीं दिया गया है।

**श्री संतोष गंगवार** : मैंने दिया है।

**अध्यक्ष महोदय** : उन्होंने इसे प्रश्न काल के बाद इसका उल्लेख करने के लिए दिया है। नहीं मैं यही मान सकता हूं। यही रिपोर्ट है।

**श्री लाल कृष्ण आडवाणी** : महोदय, आपने मुझे अभी अनुमति दी है। यह प्रश्नकाल नहीं है।

**अध्यक्ष महोदय** : मैंने आपको अनुमति दी है। यह अलग बात है। प्रश्नकाल को स्थगित करने का कोई नोटिस नहीं दिया गया है, कोई प्रस्ताव नहीं है।

**श्री लाल कृष्ण आडवाणी** : यह प्रश्नकाल नहीं है। यह प्रश्न काल के बाद का काल है।

**अध्यक्ष महोदय** : उस बारे में मैंने आपको अनुमति दी है। कहा गया था कि प्रावधान है। हां, मैं जानता हूं कि प्रावधान है।

**श्री लाल कृष्ण आडवाणी** : मैं जानता हूं।

**अध्यक्ष महोदय** : किसी ने भी उसका उल्लेख नहीं किया था।

**श्री लाल कृष्ण आडवाणी** : उसका उल्लेख किया गया था। उनका कहना है कि इसमें असाधारण कुछ नहीं है।

*[हिन्दी]*

**श्री प्रभुनाथ सिंह** (महाराजगंज, बिहार) : अध्यक्ष महोदय, मैंने क्वैश्चन ऑवर को स्थगित करने का नोटिस दिया था।

**अध्यक्ष महोदय** : आज नहीं दिया।

*...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : स्थगन प्रस्ताव के संबंध में मैंने पहले ही अनुमति दे दी है। मुझे आपका नोटिस मिला है।

*...(व्यवधान)*

**श्री लाल कृष्ण आडवाणी** : इस सरकार को कार्यभार संभाले ढाई वर्षों से भी अधिक का समय हो चुका है ...*(व्यवधान)* मुझे याद है कि जब डा. मनमोहन सिंह ने अपनी मंत्रिपरिषद बनाई थी तो उस समय ही विपक्ष ने उन मंत्रियों की छवि के बारे में एक महत्वपूर्ण सवाल उठाया था। पहली बार इस तरह की टिप्पणी की गई है। अभी तक हम राजनीति के अपराधीकरण की बात सुनते रहे हैं। पर, आज हमने सरकार को मंत्रिपरिषद के अपराधीकरण को भी देख लिया। ...*(व्यवधान)* उस समय जो जवाब दिया गया था वह यह था कि प्रधानमंत्री को अपनी टीम को चयन करने का विशेषाधिकार है। उन्होंने अपनी टीम के चयन में अपने विशेषाधिकार का प्रयोग किया है।

महोदय, इस विशेष मामले में जिस व्यक्ति को कल सजा हुई थी उन्हें जेल भेज दिया गया है। जब उनके खिलाफ गैर–जमानती वारंट जारी हुआ था, तो उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। उस समय हमें जो बताया गया था या कम से कम जो मैं जानता हूं वह यह था कि मामला झारखंड के किसी दंगे से जुड़ा हुआ था। उस समय मुझे यह नहीं मालूम था कि एक वह भी मामला चल रहा है जिसमें वह हत्या के अभियुक्त हैं।

निश्चित रूप से सरकार को, प्रधानमंत्री को इसकी जानकारी होगी क्योंकि यह वही मामला है जो सीबीआई द्वारा दायर किया गया है। स्वयं सीबीआई ने इस मामले को दायर किया है। अब इस व्यक्ति को सजा हो चुकी है। राजनीतिक विश्लेषकों की नजरों में यूपीए सरकार ने स्वयं के लिए शर्मनाक स्थिति पैदा की है।

पूरी राजनीतिक व्यवस्था केवल उनके विशेषाधिकार के प्रयोग से धूमिल और शर्मसार हुई है। शायद प्रधानमंत्री ने आवश्यक सतर्कता और सावधानी का प्रयोग नहीं किया। इसलिए मेरा अनुरोध है कि प्रधानमंत्री को सदन में आना चाहिए और स्पष्टीकरण देना चाहिए कि जब उन्हें दूसरी बार नियुक्त किया गया और जब उनके खिलाफ सीबीआई मामला दर्ज किया गया तो इस सबका क्या हुआ। जाहिर है यह बहुत पहले ही हुआ होगा और सीबीआई का मामला कोई साधारण मामला नहीं होता है। यह मामला ब्लैकमेल, अपहरण और हत्या से संबंधित है। ये सभी पहलू उससे जुड़े हुए हैं। ...*(व्यवधान)*

महोदय, मेरा कहना है कि प्रधानमंत्री को राष्ट्र से माफी मांगनी चाहिए और संसद में स्पष्टीकरण देना चाहिए। इसलिए प्रधानमंत्री निश्चित रूप से यहां आएं और यह स्पष्टीकरण दें कि उस मामले के तथ्य क्या हैं, कैसे उन्होंने अपने विशेषाधिकार का प्रयोग किया और आखिरकार हुआ क्या है और इस विषय पर जब तक संसद आश्वस्त नहीं हो जाती, तब तक यही माना जाएगा कि उन्होंने इस पूरे मामले में न्याय नहीं किया।

**अध्यक्ष महोदय** : भारतीय राजनीति में भी आवश्यक है कि सभा प्रतिदिन समुचित तरीके से कार्य करें।

श्री दासमुंशी

**संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी)** : अध्यक्ष महोदय, सरकार की ओर से ...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : हमें उन्हें सुनना चाहिए।

...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : कृपया आप अपने स्थान पर जाइए।

...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : हमें सुनना चाहिए कि वह क्या कहना चाहते हैं।

**श्री प्रियरंजन दासमुंशी** : महोदय, विपक्ष के प्रतिष्ठित नेता श्री आडवाणी जी ने टिप्पणियां की उनके जवाब में मैं सरकार की ओर से आप को बताना चाहता हूं कि इस सभा में हम लोगों ने मंत्रिपरिषद के दो सदस्यों के खिलाफ आरोप–पत्र दाखिल होते देखा है, एक तब जब लोग विपक्ष में थे और दूसरा अब जब हम लोग सत्ता पक्ष में बैठे हुए हैं ...*(व्यवधान)*



**श्री हरिन पाठक** (अहमदाबाद) : अध्यक्ष महोदय, हम प्रधानमंत्री जी का उत्तर चाहते हैं ...*(व्यवधान)*

**श्री प्रियरंजन दासमुंशी** : महोदय, यदि वे ऐसा करेंगे तो यह ठीक नहीं होगा। वे हमें धमकी न दें ...*(व्यवधान)* यदि वे मेरी बात सुनने से कतराते नहीं हैं तो वे ऐसा न करें ...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : वह संसदीय कार्य मंत्री हैं? आप उन्हें इस तरह आदेश कैसे दे सकते हैं?

...*(व्यवधान)*

**श्री प्रियरंजन दासमुंशी** : महोदय, उन्हें मेरी बात सुनने में क्यों डर लगता है? ...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : कुछ भी रिकार्ड नहीं किया जाएगा कोई भी सदस्य मेरी अनुमति के बिना बोलेगा तो वह रिकार्ड नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

**श्री प्रियरंजन दासमुंशी** : महोदय, मैं आपराधिक विधि की व्याख्या करने वाला न्याविद् नहीं हूं परंतु जहां तक विधि के बारे में मुझे ज्ञान है मैं उसके अनुसार यह कह सकता हूं कि अपराध चाहे किसी व्यक्ति की हत्या के लिए किया गया हो अथवा किसी समुदाय की हत्या के लिए किया गया हो, दोनों अपराध समान हैं। मुझे मंत्रिपरिषद देखने का सुअवसर प्राप्त हुआ है जिसमें विपक्ष के प्रतिष्ठित नेता मौजूद थे और वह उस समय पद की शपथ ले रहे थे जबकि उनके विरुद्ध सामुदायिक दंगों के जघन्य अपराध के लिए सी बी आई जांच चल रही थी ...*(व्यवधान)* उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने यह मानक तय किया था कि उन्हें अपने मंत्रिपरिषद का चुनाव करने का विवेकाधिकार है और कहा था कि जब तक कि कोई दोष सिद्ध नहीं हो जाता, वह अपराधी नहीं है। तदनुसार हमारे प्रधानमंत्री ...*(व्यवधान)* श्री हरिन पाठक, कृपया मुझे सब कुछ बोलने के लिए मत उकसाएं, तब स्थिति आपके लिए और भी शर्मनाक होगी ...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : यह ठीक नहीं है। विपक्ष के नेता ने कहा कि हर व्यक्ति को दूसरों की बातें सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...*(व्यवधान)*

**श्री प्रियरंजन दासमुंशी** : महोदय, हमारे प्रधानमंत्री ने न केवल त्यागपत्र तो लिया अपितु यह भी स्पष्ट कर दिया कि सरकार में शामिल किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई आरोप सिद्ध हो जाता है तो उसे सरकार से त्यागपत्र देना होगा। यह बिल्कुल स्पष्ट है। परंतु यह विधि शास्त्र के अनुसार मुकदमें के चलने तक हर व्यक्ति को न्यायालय

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

के समक्ष रक्षा करने का अधिकार है और मुकद्दमें के समाप्त होने तक कानून की नज़र में कोई भी दोषी नहीं है। जब आडवाणी जी पर सीबीआई द्वारा देश में न केवल किसी एक व्यक्ति को मारने अपितु दंगाईयों को देश में हजारों व्यक्तियों को मारने और मस्जिद गिराने के लिए उद्वेलित करने वाले सांप्रदायिक दंगों में संलिप्त होने का आरोप लगाए जाने के बावजूद वह देश के उप प्रधानमंत्री का पदभार संभाले हुए थे यह कितने दुर्भाग्य की बात है कि वही आडवाणी जी यह मुद्दा उठा रहे हैं। यह मेरे लिए हैरानी की बात है। मैं जानना चाहूंगा कि किस हैसियत और नैतिक अधिकार से सदन में प्रवचन दे रहे हैं। यदि यह मुद्दा किसी सदस्य द्वारा उठाया जाता है, तो बात कुछ समझ में भी आती।

महोदय, आडवाणी जी पर आरोप अभी भी हैं। अभी तक वह उस आरोप से मुक्त नहीं हुए हैं। अतएव अच्छा होगा कि वह हमें सलाह न दें। हमारे प्रधानमंत्री ने इस मामले पर बिल्कुल स्पष्ट रवैया अपनाया है और इसीलिए उन्हें सदन अथवा राष्ट्र से माफी मांगने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी ओर, उन्होंने यह सिद्ध कर दिया है कि वह और उनकी मंत्रिपरिषद कितनी पारदर्शी है?

अतएव, उन्हें अपने साथ अपने मुकदमें के पक्ष में कोई सक्षम अधिवक्ता ले जाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए क्योंकि उन पर राष्ट्र के बंटवारे और न केवल एक अपितु, हजारों व्यक्ति को मारने का आरोप लगा हुआ है ...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : एक–एक करके बोलें। मैं एक के बाद एक को बुलाऊंगा

*[हिन्दी]*

उनको बोलने दीजिए, वह आपके पार्टनर हैं।

...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव** (झंझारपुर) : अध्यक्ष महोदय ...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : आपको भी बुलाएंगे।

...*(व्यवधान)*

**श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव** : अभी आपने रूलिंग दी थी कि विपक्ष के नेता के बाद आपको बोलने का मौका देंगे। ...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : इस मुद्दे के बाद देंगे। यह क्या बात है?

**श्री प्रभुनाथ सिंह** : अध्यक्ष महोदय, जो चर्चा चल रही है ...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : कोई नहीं सुनता है।

*[अनुवाद]*

मैं आपको बोलने की अनुमति दूंगा।

*[हिन्दी]*

आप संक्षेप में बोलिए।

...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : आपके माननीय मंत्री ने सरकार की ओर से बोला है। मैंने उसे समझ लिया है। अब आप भी कुछ कहने का प्रयास कर रहे हैं। मैं उसे नहीं मानूंगा। क्या सदन ऐसा ही चलेगा? नहीं

...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री प्रभुनाथ सिंह** : अध्यक्ष महोदय, अभी जो चर्चा चल रही है, माननीय आडवाणी जी ने यह चर्चा उठाई है और प्रियरंजन दासमुंशी जी ने जो कहा है, प्रियरंजन दासमुंशी जी की बातों से मैं अंशतः सहमत हूं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी को विशेषाधिकार है, इसमें कहीं दो मत नहीं कि प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार होता है। वे जिसको चाहें, मंत्रिमंडल में रख सकते हैं। दूसरे, यह कानून में है कि जब तक किसी का दोष सिद्ध नहीं हो जाए, तब तक वह मंत्रिमंडल में शामिल हो सकता है। इसमें भी हमारी कहीं कोई आपत्ति नहीं है। हम सिर्फ एक बिन्दु उठाना चाहते हैं। हम यह बिन्दु उठाना चाहते हैं कि यह जो मामला शिबू सोरेन का था, हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते। ...*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : यह कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री प्रभुनाथ सिंह** : सर, हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं।...*

**अध्यक्ष महोदय** : यह सही नहीं है। नहीं, वह कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री प्रभुनाथ सिंह** : चूंकि सी.बी.आई. ने इसकी जांच की ...*(व्यवधान)*

---

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : उन्हें मैंने बुलाया है। मैंने उन्हें बोलने की अनुमति दी है।

*[हिन्दी]*

आप बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं।

**श्री प्रभुनाथ सिंह** : सी.बी.आई. ने जांच की। सी.बी.आई. प्रधानमंत्री के अधीन होती है। सब कुछ प्रधानमंत्री को पहले से जानकारी होगी कि इस मामले में क्या सच्चाई है और क्या सच्चाई नहीं है। यहां तक कि सी.बी.आई. ने यह भी सूचना दी होगी कि शिबू सोरेन का अन्तिम क्या होने वाला है। वैसी परिस्थिति में, अध्यक्ष महोदय, हम यह कहना चाहते हैं कि यह एक राजनैतिक साजिश भी हो सकती है।

वैसे जेल की जहां तक बात है, अब चर्चा चल रही है तो देखिये, इस सरकार में और भी लोग हैं, जैसे मान लीजिए हम पर भी आरोप हैं, हम जेल गए हुए हैं। ...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : आप बैठिये न, यह क्या बात है। उन्हें बोलने का हक है।

**श्री प्रभुनाथ सिंह** : हमारे ही खिलाफ आपको बोलने वाला कोई नहीं मिलेगा, मैं बोल देता हूं, आप सुनिये।

...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाए।

...*(व्यवधान)**

*[हिन्दी]*

**अध्यक्ष महोदय** : आप हमको बोलिये, हम क्या करें। आप लोग मेहरबानी करके बैठ जाइए। हम आपके लीडर को भी बोलने का मौका देंगे।

...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : आप वहां से बोलकर मेरे आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं। मैं आपके विरूद्ध विशेषाधिकार नोटिस जारी करूंगा। अध्यक्षपीठ के निदेश अथवा आदेश का उल्लंघन विशेषाधिकार का हनन है। यह सभी पर लागू होता है। आप बोलिए।

...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री प्रभुनाथ सिंह** : अध्यक्ष महोदय, जेल में जाने पर जेल का बन्दी एक नारा लगता है कि जब तक जेल में चना रहेगा, तब तक आना–जाना बना रहेगा, यह नारा जेल में चलता है। हम बता देते हैं, यह जेल के बन्दी का नारा है। ...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : अभी यह विषय नहीं है। ये सब बातें छोड़िये।

**श्री प्रभुनाथ सिंह** : और सरकार में वैसे भी मंत्री हैं, जो बराबर जेल में आते रहे हैं, जाते रहे हैं। ...*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : इस नाम का लोप किया जाए।

...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री प्रभुनाथ सिंह** : ऐसी स्थिति में हम आपसे कहना चाहते हैं कि दागी मंत्रियों को सरकार से निकालिये और प्रधानमंत्री जी को ... *(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : देवेन्द्र जी यह क्या बात है।

*[अनुवाद]*

मैं आपको बुलाऊंगा।

...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : अब, श्री बसुदेव आचार्य बोलेंगे।

...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव, मैं आपको बाद में बुलाऊंगा।

...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : आपको उन्हें उकसाने की आवश्यकता नहीं है।

...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री प्रभुनाथ सिंह** : मैं अपनी बात एक मिनट में समाप्त करता हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि देश में शायद यह पहली घटना घटी होगी कि मंत्री पद पर रहते हुए किसी को सजा हुई या वे जेल गए।*... मैं आपसे यही निवेदन करता हूं।

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : इस भाग का लोप किया जाए।

अब, श्री बसुदेव आचार्य बोलेंगे।

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**श्री बसुदेव आचार्य** : महोदय, न्यायालय ने कल ही श्री शिबु सोरेन जो कि संप्रग सरकार में मंत्री थे, को दोषी करार किया है ...*(व्यवधान)* प्रधानमंत्री ने उन्हें अपना त्यागपत्र देने के लिए कहा और चूंकि उन्हें दोषी करार किया गया उन्होंने तत्काल अपना त्यागपत्र दे दिया। ...*(व्यवधान)*

**श्री हरिन पाठक** (अहमदाबाद) : आपको कैसे पता चला? ...*(व्यवधान)*

**श्री बसुदेव आचार्य** : यह सब समाचार पत्रों में छपा है और सभी जानते हैं। ...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**अध्यक्ष महोदय** : क्या बात है? क्या यह क्वैश्चन–आन्सर सैशन है?

*[अनुवाद]*

आप उन से प्रश्न पूछें जा रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**अध्यक्ष महोदय** : क्या बात है? आप सीनियर मेंबर होकर ऐसा करते हैं।

*[अनुवाद]*

आप मंत्री भी रह चुके हैं। ये एक तरफा नहीं हो सकता कि आप तो बोलते जाएं और दूसरों को बोलने का मौका नहीं दें।

...*(व्यवधान)*

**श्री बसुदेव आचार्य** : जब भाजपा ने नैतिकता का प्रश्न उठाया, दागी मंत्रियों को सत्ता में बने रहेन का प्रश्न उठाया, और मंत्रियों के आपराधिक मामलों में संलिप्त रहने संबंधी भी प्रश्न उठाया तो इस बात पर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। महोदय, तत्कालीन उप प्रधानमंत्री और भाजपा के नेता छह वर्ष की लंबी अवधि के लिए राजग सरकार में बने रहे। उन को 6 दिसम्बर, 1992 को बाबरी मस्जिद ढहाने के लिए आरोप पत्र दिया गया था। बाबारी मस्जिद के ध्वस्त होने के बाद भाजपा की कार्रवाई के कारण कई बेकसूर लोगों की जानें गईं। श्री एल.के. आडवाणी, राजग सरकार के तत्कालीन उप प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ही बाबरी मस्जिद गिराई गई ...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : श्री बसुदेव आचार्य के भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**श्री बसुदेव आचार्य** : बाबरी मस्जिद के ढहने के बाद हजारों मासूम लोगों की जान गई थी। इसके लिए कौन जिम्मेदार थे? वे इसके लिए जिम्मेदार हैं। वे तीन मंत्री जिनको आरोप पत्र दिया गया था वे सरकार में बने रहे थे। हमने यह मामला इस सभा में भी उठाया था परन्तु वे छह वर्ष की लंबी अवधि तक सरकार में रहे। आज, वे नैतिकता व दागी मंत्रियों से संबंधित प्रश्न उठा रहे हैं। उन्हें यह प्रश्न उठाने का कोई अधिकार नहीं है।

**अध्यक्ष महोदय** : अब, श्री मोहन सिंह।

...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : आपका नाम श्री मोहन सिंह नहीं है। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**अध्यक्ष महोदय** : मोहन सिंह जी, आप अपनी बात कहिए।

...*(व्यवधान)*

**श्री मोहन सिंह** (देवरिया) : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि सार्वजनिक जीवन में स्टैंडर्ड्स लगातार गिर रहे हैं और दुर्भाग्य से इस देश में बड़े पदों पर ऐसे लोग विराजमान हो गए हैं, जिनके खिलाफ ऐसे ...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : श्री मोहन सिंह के भाषण के अलावा कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

*[हिन्दी]*

**श्री मोहन सिंह** : यह बात सही है कि इस देश के इतिहास में यह पहली घटना है कि जो कैबिनेट रैंक का मंत्री है, उसको कोर्ट को सजा देनी पड़ी और उन्हें कितनी सजा होगी, यह 30 तारीख को पता चलेगा। अपने कार्यकाल के एक वर्ष बीतने पर जब प्रधानमंत्री जी से अखबार वालों ने पूछा, तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो मिलीजुली सरकारें हैं, उनकी कुछ मजबूरियां हैं कि इस तरह के दागी लोगों को भी मंत्री बनाना पड़ता है, यानी प्रधानमंत्री जी ने इस बात को सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया कि दागी लोगों को मंत्री बनाना उनकी विवशता है।

लेकिन हम दूसरी बात कहना चाहते हैं। कि उन लोगों को यह प्रश्न उठाने का नैतिक अधिकार नहीं हो सकता, जो सीबीआई के तहत स्वयं चार्जशीटेड हैं और जिनके खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं। हम सभी

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

पक्षों से सिर्फ इतना निवेदन करना चाहते हैं कि हमें सार्वजनिक जीवन का एक आदर्श मानदंड, उसकी कुछ शर्तें, उसकी कुछ दिशाएं निश्चित करनी चाहिए और चाहे यह पक्ष हो, चाहे वह पक्ष हो, जिनके विरुद्ध मुकदमें चल रहे हों, किसी भी हालत में उनको बड़े पदों पर आसीन करने पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए क्योंकि यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है जिस संसद मे हम लोग बैठे हुए हैं, उस संसद के कई सदस्य आज जेल के भीतर कैद हैं और उनको कहना पड़ रहा है कि हम जेल के भीतर भी आत्महत्या कर लेंगे। सब लोग चाहे हम हों, यह पक्ष हो, वह पक्ष हो, जनता सबके बारे में बुरी राय रख रही है। इसलिए हम सब मिलकर सर्वसम्मत से सार्वजनिक जीवन के लिए एक आचार–संहिता तैयार करें। मैं ऐसा समझता हूं कि श्री शिबू सोरेन की घटना से हमें ऐसा एक संदेश मिलता है और श्रीमान्, आपको इस पर एक सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए जिससे हम एक मानदंड निर्धारित कर सकें।

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव मैं आपको अपने मामले पर बोलने के लिए अलग से बुलाऊंगा। परन्तु आप इस मामले पर कुछ बोलना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं।

*...(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**अध्यक्ष महोदय** : क्या आप इस बारे में कुछ बोलना चाहते हैं?

**श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव** : अध्यक्ष महोदय, मुझे सुनकर बहुत ताज्जुब हुआ क्योंकि यहां माननीय सदस्य बारबार टेन्टेड लोगों के बारे में चर्चा करते हैं। इस देश में एक पार्टी है जिसकी चाल, चरित्र और चेहरा स्पष्ट हो गया, जब वे सीबीआई से चार्जशीटेड रहे। *...(व्यवधान)* उन्हें कोई नैतिक हक नहीं है। *...(व्यवधान)* श्री शिबू सोरेन के सवाल पर यही बोल सकता है, जिसमें नैतिकता हो। बीजेपी का कोई नैतिक हक नहीं है। क्योंकि उनके तीन सदस्य चार्जशीटेड होकर भी लगातार मंत्री बने रहे। *...(व्यवधान)* आपकी नैतिकता के साथ हम कभी नहीं रहे। *...(व्यवधान)* हम लगातार सवाल उठाते रहे, जहां भी रहे आपके दंगाई चरित्र पर मजबूती से सवाल उठाते रहे। *...(व्यवधान)* जब बाबरी मस्जिद को ढहाया गया था, उस समय करोड़ों लोगों में असुरक्षा का भाव उत्पन्न हो गया था। उस घटना के चलते जो साम्प्रदायिक सद्भाव का ताना–बाना था, धर्मनिर्पेक्ष सिद्धान्त था, वह जगह–जगह टूटा और दंगे का माहौल बना। देश बाहर के हमलावारों से कमजोर नहीं होगा, देश आंतरिक हमलावारों से कमजोर होगा, आप लोगों के चलते देश कमजोर हो रहा है क्योंकि आप देश और समाज को धर्म के आधार पर बांटना चाहते हैं। इसलिए श्री शिबू सोरेन के सवाल पर आपको बोलने का कोई नैतिक हक नहीं है।



*[अनुवाद]*

कानून अपने हिसाब से कार्य करेगा।

**श्री गुरूदास दासगुप्त** (पंसकुरा) : महोदय, मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि मेरे सहयोगियों को मेरी बात सुनाई दे। मेरा गला खराब है।

मैं श्री प्रियरंजन दासमुंशी से सहमत हूं कि जब तक कोई व्यक्ति दोषी सिद्ध नहीं होता उसे बेगुनाह मानना चाहिए। मैं उनसे सहमत हूं। यह एक वैधानिक स्थिति है। परन्तु सार्वजनिक जीवन में नैतिकता का भी प्रश्न होता है और सार्वजनिक जीवन की नैतिका मुझसे सभा को यह बताने की हिदायत देती है कि हम स्थिति से प्रसन्न नहीं है। जो भी स्थिति पैदा हुई है उससे हम अत्यंत अप्रसन्न हैं। इससे राजनैतिक विरोधियों को सरकार को नीचा दिखाने का मौका और शस्त्र मिल गया है।

**अध्यक्ष महोदय** : मेरे नहीं। मेरा कोई विरोधी नहीं है।

*...(व्यवधान)*

**श्री गुरूदास दासगुप्त** : आप नहीं महोदय हम विपक्ष में बैठे लोगों की बात कर रहे हैं। आप इस सभा में सर्वोपरि है।

**अध्यक्ष महोदय** : मैं आशा करता हूं कि आप मुझसे ऐसा ही व्यवहार करेंगे।

*...(व्यवधान)*

**श्री गुरूदास दासगुप्त** : परन्तु महोदय, मेरा यह कहना है कि मानवीय मूल्यों से परे लोगों को मानवता की बात नहीं करनी चाहिए। *...(व्यवधान)* मेरा सिर्फ यही कहना है। *...(व्यवधान)*

**श्री हरिन पाठक** : यह आप पर भी लागू होता है।

**श्री गुरूदास दासगुप्त** : जी हां, यह मुझ पर भी लागू होता है। यह समस्या असंतोष और असहिष्णुता के कारण है *...(व्यवधान)* महोदय, मैं केवल यही कह सकता हूं।

**अध्यक्ष महोदय** : मैं आशा करता हूं कि आप मेरी समस्या समझ सकते हैं।

**श्री गुरूदास दासगुप्त** : जी, हां। ऐसा कहते हुए कि मानवीय मूल्यों से परे व्यक्तियों को मानवता की बातें नहीं करनी चाहिए। मुझे यही याद आता है कि विगत में ऐसे मौके आए थे जब आपराधिक मामले में आरोपित व्यक्ति देश के गृह मंत्री जैसे प्रतिष्ठित पद पर असीन थे। इसलिए यदि राजनीति दूषित हुई है तो कम से कम मेरे माननीय मित्र श्री आडवाणी इससे मुक्त रहने का दावा नहीं कर सकते *...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : कृपया अपनी बात जारी रखिए। आपके वक्तव्य के अलावा कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय** : श्री गुरूदास दासगुप्त के भाषण के अलावा कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाए।

*...(व्यवधान)*

**श्री गुरूदास दासगुप्त** : आप इसे देखिए *...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। कृपया व्यवस्था बनाए रखिए। सभा में व्यवस्था होनी चाहिए। यह सब क्या हो रहा है? श्री खारवेल स्वाईं अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

*...(व्यवधान)*

**श्री गुरूदास दासगुप्त** : मुद्दा यह है कि यदि संसद को कार्य करना है तो संसद में भी बोलने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि श्री आडवाणी मुझे अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें। संसद में बोलने की स्वतंत्रता की हमेशा गारंटी मिलनी चाहिए।

**श्री लाल कृष्ण आडवाणी** : उन्होंने मुझे सीधे ही इस पर प्रतिक्रिया देने के लिए कहा है। मैं यह कहता हूं कि मेरे संपूर्ण सार्वजनिक जीवन में ऐसे मौके आए हैं जब विभिन्न प्रकृति के आंदोलन हुए हैं और यदि कोई आंदोलन किसी प्रकार बहुत मजबूत हो जाता है तो अंत में पुलिस और जांच प्राधिकारी उस आंदोलन के अनेक नेताओं के विरुद्ध आरोप लगाते हैं। मुझे विश्वास है कि कम्यूनिस्ट पार्टी *...(व्यवधान)*

**श्री वसुदेव आचार्य** : किस प्रकार का आंदोलन?

**श्री लाल कृष्ण आडवाणी** : मुझे पता है कि किस प्रकार का आंदोलन। आंदोलन तो आंदोलन होता है। महोदय, एक आंदोलन तो आंदोलन होता है। और लगाए गए आरोप आपराधिक प्रकृति के होते हैं। *...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : नहीं, उनकी बात सुनिए। यह क्या हो रहा है? श्री आचार्य, कृपया बैठ जाइए।

*...(व्यवधान)*

**श्री लाल कृष्ण आडवाणी** : उन्होंने मुझसे उत्तर देने के लिए कहा है *...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : आप क्या कर रहे हैं? मेरी समझ में नहीं आ रहा है। कृपया बैठ जाइए।

कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाए। कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**अध्यक्ष महोदय** : मैंने श्री आडवाणी को उत्तर देने की अनुमति दी है।

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : कृपया बैठ जाइए। आपने ही उन्हें उत्तर देने के लिए कहा था। और वह अपना उत्तर दे रहे हैं।

**श्री लाल कृष्ण आडवाणी** : आपने ही मुझे उत्तर देने के लिए कहा था।

*[हिन्दी]*

मैंने यह घिसी–पिटी बात बहुत बार सुनी है। इसलिए मैं एक बार फिर इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूं कि मेरे जीवन में अनेक ऐसे आंदोलन हुए, जिन आंदोलनों के बाद *...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : मैं आप सभी से अपील करता हूं कि बैठ जाइए।

*...(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री लाल कृष्ण आडवाणी** : मेरे से उन्होंने स्पष्टीकरण मांगा है। *...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : आप सब मेहरबानी करके बैठ जाइए।

*...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय** : मैं सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध कर रहा हूं कि एक संवेदनशील मुद्दा उठाया गया है। हालांकि मैंने उस समय एक अनुरोध किया था कि प्रश्न काल नहीं हो सकेगा। हम एक दूसरे के मामले पर एक गरिमापूर्ण तरीके से प्रतिक्रिया दें। मैं आप सब से अपील करता हूं कि दूसरों के भाषण में कब तक व्यवधान का यह तरीका जारी रहेगा? अतः श्री दासगुप्त, आपने ही विपक्ष के नेता से उत्तर देने के लिए कहा था। वह उत्तर दे रहे हैं तो उन्हें सुनिए।

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : कोई भी, यहां दूसरों की इच्छा के अनुसार बोलने के लिए बाध्य नहीं है। प्रत्येक सदस्य वही बोलेगा जो उसे बोलना है।

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

यदि भाषा असंसदीय अथवा अपमानजनक है तो मैं यहां नियंत्रण करने के लिए हूं। यह मेरा कार्य है। आप किसी और पर नियंत्रण करने के लिए यहां नहीं है। परन्त यही सब इस सदन में हो रहा है। यहां किसी की भी इच्छा एक दूसरे को सुनने की नहीं है। फिर किस प्रकार कोई वाद–विवाद अथवा चर्चा होगी।

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : आप वह नियम बताइए मैं उनसे तुरंत चले जाने के लिए कहूंगा।

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : श्री आडवाणी जी, कृपया अपनी बात तुरंत समाप्त कीजिए। मैं सभी को मौका दे रहा हूं।

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : जो कुछ भी यहां हो रहा है वह सब नियम से बाहर है।

*...(व्यवधान)*

**श्री गुरूदास दासगुप्त** : महोदय, मेरी बात अभी समाप्त नहीं हुई है।

**अध्यक्ष महोदय** : मुझे पता है कि आप की बात पूरी नहीं हुई है। आपने उन्हें उत्तर देने के लिए कहा था और वह उत्तर दे रहे हैं। मैं क्या कर सकता हूं? आप आपत्ति नहीं उठा सकते।

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : हममें इतनी भी शालीनता नहीं है कि एक दूसरे की बात सुनें।

*[हिन्दी]*

**श्री लाल कृष्ण आडवाणी** : अध्यक्ष जी, मैं अब तक हमेशा इन बातों की उपेक्षा करता था, लेकिन आज चूंकि इसे इस प्रकार से उठाया गया है जिसके कारण मुझे लगता है कि एक बार अब मैं यह स्पष्ट रूप से कह दूं कि कभी मेरे मन पर इस बात का बोझ नहीं रहा है कि आयोध्या के आन्दोलन में मैं बहुत सक्रिय था। *...(व्यवधान)* मुझे इस बात का अफसोस जरूर रहा कि *...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

महोदय, यह उचित नहीं है *...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : मुझे खेद है। मुझे यह कहते हुए खेद है कहा।

*...(व्यवधान)*



**अध्यक्ष महोदय** : श्री आठवले, मैं आप का नाम पुकारूंगा। आपको जानना होगा। आप अपने स्थान पर भी बैठे नहीं हैं। आप जानबूझ कर मेरे और सभा के कार्य में व्यवधान पैदा कर रहे हैं।

*...(व्यवधान)*

**श्री रामदास आठवले** (पंढरपुर) : जी नहीं, महोदय, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं।

**अध्यक्ष महोदय** : जी हां, आप ऐसा ही कर रहे हैं। मुझे बहुत दुःख हो रहा है।

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : मैं इतनी बार अपील कर रहा हूं। क्या हम ऐसे गंभीर व्यक्तियों के रूप में जिनकी कुछ जिम्मेदारियां भी हों, की तरह व्यवहार नहीं कर सकते? इससे किसका लाभ हो रहा है? इससे किसको लाभ पहुंच रहा है?

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : यह आपकी गलतफहमी है कि व्यवधान उत्पन्न करने से उनका लाभ होगा और इसी कारणवश आप व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं।

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : कृपया अपने सदस्यों को कुछ सीख दें।

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : यह सभी पार्टियों पर लागू होता है। आपमें एक दूसरे की बात सुनने के लिए धैर्य क्यों नहीं है?

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : मैं इसे अभी करूंगा। बहुत हो चुका। श्री आठवले, मैं यह करने जा रहा हूं।

*...(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री लाल कृष्ण आडवाणी** : अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य को क्षमा करें, छोड़ दीजिए।

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : मैं आपको सभा से बाहर जाने के लिए कहूंगा।

*...(व्यवधान)*

**श्री लाल कृष्ण आडवाणी** : महोदय, कृपया ऐसा न करें।

**श्री प्रियरंजन दासमुंशी** : महोदय, मैं आपसे अपील करता हूं। ..*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : श्री आडवाणी जी। कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

**श्री लाल कृष्ण आडवाणी** : महोदय, मैं यह कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा ...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

अध्यक्ष जी, अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि आंदोलन में भाग लेने का मुझे गर्व है, लेकिन उस दिन, वर्ष 1992 में जो ढांचा ढह गया, उसका मुझे अफसोस है। ...*(व्यवधान)*

**मोहम्मद सलीम** (कोलकाता–उत्तर पूर्व) : तब आप कोर्ट में जाकर रिप्रेजेण्ट क्यों नहीं करते हैं? ...*(व्यवधान)* अगर ऐसा है तो हिम्मत के साथ लड़िए। ...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : आप क्या कर रहे हैं? यह क्या है? मुझे बहुत खेद है। इससे प्रतीत होता है कि आप अध्यक्षपीठ का सम्मान नहीं करते। मुझे बहुत खेद है।

...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : श्री आचार्य, मुझे बहुत खेद है।

...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : यदि आप मुझे नहीं चाहते, तो मैं चला जाऊंगा। यदि आप मुझे अध्यक्ष के रूप में नहीं चाहते, तो मैं बिना किसी अफसोस के चला जाऊंगा। मैं समग्र संसदीय लोकतंत्र की समाप्त होती व्यवस्था की अध्यक्षता नहीं कर सकता। मैं यहां रहना नहीं चाहता। यदि आप मुझे नहीं चाहते, कृपया मुझे बता दीजिए। मैं यहां से तत्काल चला जाऊंगा। मुझे ऐसा करने में एक सेकण्ड का भी समय नहीं लगेगा। लेकिन मैं उसकी अनुमति नहीं दे सकता। इसे देख नहीं सकता और बर्दाश्त नहीं कर सकता। यह किसी के लिए भी कोई मनोविनोद का मामला नहीं है।

...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : मैं सभी माननीय सदस्यों विशेषकर नेताओं से सहयोग करने का अनुरोध कर रहा हूं।

...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री लाल कृष्ण आडवाणी** : अध्यक्ष जी, मैं एक ही वाक्य कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा, वह यह है कि अयोध्या के राम जन्मभूमि आंदोलन में भाग लेने का मुझे गर्व है, लेकिन आयोध्या में उस दिन उस ढांचे के ढह जाने का मुझे सख्त अफसोस है और मैं कह सकता हूं, मैंने लिब्राहन कमीशन में भी कहा है, कि मेरा उससे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई लेना–देना नहीं है। ...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : अब, श्री ए. कृष्णस्वामी।

...*(व्यवधान)*

**श्री गुरूदास दासगुप्त** : महोदय, मेरी बात समाप्त नहीं हुई है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया उसे दो मिनट का समय और दें। ...*(व्यवधान)*

**श्री प्रियरंजन दासमुंशी** : महोदय, मैं आपके माध्यम से सभा के गणमान्य नेताओं को यह कहना चाहता हूं कि कानून की नज़र में चाहे आप निजी सचिव को मारें अथवा आंदोलन के माध्यम से अनेक लोगों को मारें – अदालत के निर्णय के अनुसार दोनों अपराध एक समान हैं। ...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : यदि आप बाधा डालेंगे, तो मैं आपको नहीं बुलाऊंगा।

...*(व्यवधान)*

**श्री गुरूदास दासगुप्त** : महोदय, सभा में यह पूरी तरह सिद्ध हो गया है कि श्री आडवाणी को बाबरी मस्जिद गिराए जाने का गर्व है ..*(व्यवधान)*

**श्री लाल कृष्ण आडवाणी** : महोदय, यह क्या है? ...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : श्री आडवाणी, इस मामले पर आपके विचार कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित हैं और आप इस बारे में कह चुके हैं।

...*(व्यवधान)*

**श्री वसुदेव आचार्य** : श्री आडवाणी, आपने यह कहा है।

**अध्यक्ष महोदय** : श्री आडवाणी, आपने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है, और आपने उस मामले में खेद व्यक्त कर दिया है।

**श्री लाल कृष्ण आडवाणी** : महोदय, मैंने लिब्राहन आयोग के सामने भी यही कहा है ...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : जी हां, वह कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित है।

...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : हो सकता है, उन्होंने आपकी बात ध्यान से नहीं सुनी। मैं आपकी बात ध्यान से सुन रहा हूं।

*...(व्यवधान)*

**श्री लाल कृष्ण आडवाणी** : लेकिन संसदीय कार्यमंत्री का हस्तक्षेप अथवा जो वह अब कह रहे हैं, वह जानबूझकर बोल रहे हैं *...(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय** : वह शब्द हटा दिया जाएगा। यह हटा दिया जायेगा।

*...(व्यवधान)*

**श्री गुरूदास दासगुप्त** : महोदय, मैं केवल यह कह रहा हूं ... *(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : श्री दासगुप्त, कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

*...(व्यवधान)*

**श्री गुरूदास दासगुप्त** : महोदय, मैं केवल यह कह रहा हूं कि विश्व के इतिहास में ऐसे आंदोलन हुए हैं जिनकी सराहना की गई है जैसे महात्मा गांधी अथवा पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में किए गए आंदोलन। लेकिन इतिहास में ऐसे भी आंदोलन हुए हैं जैसे हिटलर के नेतृत्व वाला आंदोलन जिसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक जीवन के इतिहास में काले अध्याय के रूप में माना गया है। ...*

**अध्यक्ष महोदय** : नहीं, कृपया इसे लोप कर दें।

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : मैंने इसे कार्यवाही वृत्तांत में से हटा दिया है। यह हटा दिया गया है।

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : मैंने इसे कार्यवाही वृत्तांत में से हटा दिया है। मैं ऐसे वक्तव्य को स्वीकृत नहीं करूंगा।

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : मैंने इसे कार्यवाही वृत्तांत में से हटा दिया है।

*...(व्यवधान)*

**अपराह्न 12.47½ बजे**

*(इस समय श्री हरिन पाठक और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभापटल के निकट खड़े हो गए)*

**अध्यक्ष महोदय** : मैंने इसे उसी समय कार्यवाही वृत्तांत से हटा दिया।

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।



*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : सभा की कार्यवाही को अपराह्न 2.00 बजे तक स्थगित किया जाता है।

**अपराह्न 12.48 बजे**

*तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।*

---

*लोक सभा अपराह्न 2.00 बजे पुनः समवेत हुई।*

**अपराह्न 2.00 बजे**

**(अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए)*

*[हिन्दी]*

**श्री हरिन पाठक** (अहमदाबाद) : अध्यक्ष जी, हमारे सारे सदस्य बहुत दुःखी हैं। इस सदन में, जिस तरह से दासगुप्त जी ने, इस सदन की सभी मर्यादाओं का उल्लंघन करके जो बात कही है *...(व्यवधान)* आज तक इस सदन के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है *...(व्यवधान)*

**श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव** (झंझारपुर) : हमें भी *...(व्यवधान)*

**श्री हरिन पाठक** : प्लीज, हमारी भावनाओं का सवाल है, हम आपकी इज्जत करते हैं। *...(व्यवधान)* हमारी तरफ से कभी भी किसी नेता के प्रति ऐसे *... शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है। ये निंदनीय शब्द उन्होंने इस्तेमाल किये हैं। पूरे सदन को इसकी भर्त्सना करनी चाहिए। आज अगर एक को छूट मिलेगी तो कल को यहां कोई और बोलेगा। किसी भी व्यक्ति के बारे में बोला जाएगा, माननीय सदस्य के बारे में बोला जाएगा। हमारी आपसे मांग है कि सदस्य को बुलाया जाए, वह रिग्रेट करे, माफी मांगे और इन शब्दों को वापस लिया जाए, वरना हमारे लिए सदन में स्थान ग्रहण करने में तकलीफ होगी। *...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : क्या बात कर रहे हैं?

*...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य मैं आपकी भावनाओं की कद्र करता हूं। आप याद करिए कि मैंने उन शब्दों को तत्काल हटा दिया था।

**श्री हरिन पाठक** : हम इसके लिए आपके आभारी हैं।

**अध्यक्ष महोदय** : मैंने शब्दों को तत्काल हटा दिया, और मुझे खेद है कि ऐसे कटु शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। यह किसी भी रूप में ठीक नहीं है। चूंकि ये अपमानजनक शब्द हैं अतः मैंने उन्हें तत्काल कार्यवाही वृत्तांत से हटा दिया। अतः मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि यहां पर उच्च स्तरीय चर्चा होनी चाहिए।

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**श्री हरिन पाठक** : उन्हें वह शब्द वापस लेना चाहिए।

**अध्यक्ष महोदय** : यह पूरी तरह उन पर निर्भर करता है; वह यहां उपस्थित हैं।

**श्री हरिन पाठक** : हमारी भावनाएं आहत हुई हैं। यदि इसे केवल हटा दिया जाता है, तो हमारी बात कोई नहीं सुनेगा। कृपया हमें इतना न दबाएं कि हमारे पास बोलने के अलावा कोई चारा न रहे।

**अध्यक्ष महोदय** : मैं किसी सदस्य को ऐसा करने अथवा ऐसा न करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। लेकिन यह पूरी तरह उन पर निर्भर करता है कि वह जो उचित समझें वही करें। सभा के उचित संचालन के संदर्भ में मैं उनसे इस पर विचार करने का अनुरोध करूंगा।

**श्री गुरूदास दासगुप्त** (पंसकुरा) : हमें एक–दूसरे को धमकाना नहीं चाहिए। मैं 1985 से संसद सदस्य हूं। मैं श्री आडवाणी के साथ राज्य सभा में 15 वर्षों से अधिक समय तक रहा हूं। मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। मैं नहीं जानता कि मेरे बारे में उनकी क्या राय है लेकिन मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। मुददा यह है कि मैंने एक शब्द का प्रयोग किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था; मैं इससे सहमत हूं। लेकिन मैं यह भी कहना चाहता हूं कि श्री आडवाणी ने भी ...* शब्द का प्रयोग किया, जो असंसदीय है।

**श्री हरिन पाठक** : उन्होंने आपके बाद वह शब्द बोला था।

**अध्यक्ष महोदय** : यह ठीक नहीं है। वह शब्द भी कार्यवाही वृत्तांत से हटा दिया गया है। अब, उन्होंने वह शब्द वापस ले लिया है। उन्होंने इसके लिए खेद भी व्यक्त कर दिया है।

**श्री गुरूदास दासगुप्त** : श्री आडवाणी को भी वह शब्द वापस लेना चाहिए ...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : उन्होंने खेद प्रकट कर दिया है।

**श्री गुरूदास दासगुप्त** : महोदय, श्री आडवाणी को भी वह शब्द वापस लेना चाहिए।

**मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूडी** (गढ़वाल) : उन्होंने स्पष्ट वक्तव्य दिया और उसके तत्काल बाद आपने उसे तोड़ मरोड़ दिया। उन्होंने कहा कि यह ...* था।

**अध्यक्ष महोदय** : सभा की कार्यवाही ऐसे नहीं चल सकती। आपको यह बाहर करना होगा।

**मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूडी** : आप याद कीजिए कि श्री आडवाणी ने क्या कहा था।

**अध्यक्ष महोदय** : उन्होंने कहा कि उन्हें उस शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए था।

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**श्री गुरूदास दासगुप्त** : मेरा प्रश्न यह है कि श्री आडवाणी यह नहीं मान रहे है और इसका मुझे खेद है। उन्हें यह कहना चाहिए कि उन्हें उस शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए था ..... असंसदीय शब्द है..... दोनों शब्द असंसदीय हैं। मुझे खेद है कि मुझे उस शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए था, लेकिन श्री आडवाणी को यह कहना चाहिए कि उन्हें भी उस शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए था।

**अध्यक्ष महोदय** : यह मैं उन पर छोड़ता हूं।

**श्री लाल कृष्ण आडवाणी** : प्रयोग किए गए शब्दों में अंतर है। यदि वह इसे वैसा चाहते हैं, तो यह साफ झूठ है।

**अध्यक्ष महोदय** : आडवाणी जी, इससे आपका मान बढ़ेगा।

**श्री लाल कृष्ण आडवाणी** : मैं अपना मान नहीं बढ़ाना चाहता।

**अध्यक्ष महोदय** : मैं चाहता हूं।

**श्री लाल कृष्ण आडवाणी** : मैंने प्रायः ऐसी टिप्पणियां सुनी हैं और इसीलिए भी क्योंकि उन्होंने कहा कि मुझे निजी रूप से उसका उत्तर उन्हें देना चाहिए। मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि उस आंदोलन से जुड़ने के लिए मुझे गर्व है लेकिन मुझे उसे ध्वस्त किए जाने का अत्यधिक खेद है। मैंने सैंकड़ों बार ऐसा कहा है। अतः जब उन्होंने कहा, "उन्हें उसे ध्वस्त किया गया" गर्व है" जैसा मैंने कहा, यह सही नहीं है।

**अध्यक्ष महोदय** : यह 'सही नहीं' था।

**श्री लाल कृष्ण आडवाणी** : बहरहाल, मैं इस पर आगे कुछ नहीं करना चाहता। उन्होंने जो कुछ कहा उसके लिए खेद प्रकट कर दिया। अतः इस मामले को समाप्त माना जाए।

**अध्यक्ष महोदय** : आपका बहुत–बहुत धन्यवाद। हमें इसी भावना से कार्य करना चाहिए। यह अध्याय अब समाप्त हो गया।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

*[हिन्दी]*

**श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव** : अध्यक्ष महोदय, मैं अत्यंत संवेदनशील और राष्ट्रीय महत्व के विषय को आपकी इजाजत से सदन में रखना चाहता हूं। पुलिस साप्ताहिक रिपोर्ट 2006 पेश हुई थी और उसमें आतंकवाद एवं उससे निपटने के लिए रणनीति का प्रस्तुतिकरण हुआ था। इसके तहत 25 नवम्बर, 2006 को द्वितीय दिवस में दो वरिष्ठ अधिकारी एडीजी रेलवे) लैवल के, जो आईपीएस हैं, उन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के सम्मेलन में क्षण–प्रतिक्षण कार्यक्रम दिन में बारह–साढ़े बारह बजे लखनऊ में किया।

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : क्या यह राज्य की पुलिस है?

*[हिन्दी]*

**श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव** : ऐसा उन्होंने देश के विषय में कहा है। यह स्टेट की बात नहीं है। ...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : आप क्यों इंटरवीन कर रहे हैं? मैं केवल पूछ रहा हूं। यह बहुत अनुभवी मैम्बर हैं।

**श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव** : दिनांक 28 नवम्बर, 2006 के दैनिक हिन्दुस्तान एक्सप्रेस (उर्दू) में छपे समाचार का शीर्षक "हमारते सरैया दहशत–गर्दों का महफूज मस्कन" है, जो बहुत आपत्तिजनक है। इससे ने केवल पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड ...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : सभी सदस्य सम्माननीय और जिम्मेदार हैं।

*[हिन्दी]*

**श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव** : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत संगीन मामला है। न केवल पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड के लोगों को बल्कि सम्पूर्ण देश के करोड़ों लोगों को इस समाचार द्वारा भ्रमित किया है। जिस तरह का समाचार छपा है, उससे पूरे देश में एक गलत संदेश गया है। इससे सम्पूर्ण अल्पसंख्यक समुदाय में भय और असुरक्षा का वातावरण बना है।

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : आप इसे गृह मंत्री को भेज दीजिए।

*[हिन्दी]*

**श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव** : मैं होम मिनिस्टर से मांग करता हूं कि जिन लोगों ने ऐसा जहर फैलाने का दूषित प्रचार किया है, वह धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के लिए घातक है। ...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : आपको थोड़ी पेशेंस रखनी चाहिए। क्या आप किसी को बोलने नहीं देंगे?

*[अनुवाद]*

**मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूडी** : अध्यक्ष महोदय, जो भी वह कह रहे हैं, उन्हें उसका संदर्भ देना चाहिए।

**अध्यक्ष महोदय** : उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए और तब हम देखेंगे। आप बीच में हमेशा हस्तक्षेप नहीं कर सकते।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव, कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**अध्यक्ष महोदय** : आप जिस तरह कह रहे हैं, उससे हाऊस चलने वाला नहीं है।

...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : यह क्या हो रहा है?

*[हिन्दी]*

**श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव** : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से बोलना चाहता हूं। ...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : आप ब्रीफ में अपनी बात कहें।

**श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव** : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आदेश मानने के लिए तैयार हूं। आप मुझे एक मिनट का समय दें।

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : श्री राम कृपाल यादव आप खड़े क्यों हैं?

...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव** : अध्यक्ष महोदय, भारतीय संविधान के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप का जो ढांचा है, उनमें आस्था रखने वाले करोड़ों अल्पसंख्यकों के मन में इससे असुरक्षा के भाव पैदा हो गए हैं। ...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : लेकिन आपको बताना होगा कि यह कहां से प्रकाशित हुए हैं।

...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : आपने समाचार पत्र का उल्लेख किया लेकिन समाचार पत्र का नाम नहीं लिया।

...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव** : हमने दैनिक हिन्दुस्तान एक्सप्रैस पेपर का नाम लिया है। यह वही इमारते सरिया फुलवारी शरीफ है, जिसकी मौलाना अबुल कलाम जी की अध्यक्षता में वर्ष 1921 में बुनियाद रखी गई थी। यह संस्था सामजिक, धार्मिक और जनसेवा के विभिन्न कार्यों को सम्पादित करती है। महामहिम राष्ट्रपति ए.पी.जे. अब्दुल कलाम जी ने पिछले साल, 2005 में इस संस्था का विजिट किया था, उस समय स्थानीय सांसद श्री राम कृपाल यादव भी वहां मौजूद थे। श्री राम कृपाल

यादव ने फुलवारी शरीफ में 35 लाख रुपए एमपीलैड, सांसद फंड से उपलब्ध कराकर अस्पताल का निर्माण कराया। इस अस्पताल का नाम सज्जाद है इसमें न केवल मुस्लिम बल्कि हिंदू समुदाय के लोगों का भी इलाज होता है। ...*(व्यवधान)* मेरा कहना है कि भारतीय पुलिस के दो वरिष्ठ अधिकारी ए.डी.जी. रेलवे और उत्तर प्रदेश द्वारा पुलिस सप्ताह, 2006 के द्वितीय दिवस पर जिस तरह आतंकवाद से निपटने की रणनीति का प्रश्न उत्पन्न किया गया, मैं सिर्फ आपके संज्ञान में रिपोर्ट का शीर्षक रखता हूं, मैं डिटेल नहीं बोलूंगा। इसका शीर्षक है –

*[अनुवाद]*

भारत में आतंकवाद का परिदृश्य। धीरे–धीरे अब पूरा भारत उससे प्रभावित हो गया है। आतंकवादी गतिविधियां मुस्लिम बहुल इलाकों में अधिक नोटिस की गई हैं ...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : मैं सहमत हूं। यह ऐसी अवांछित टिप्पणी है जो हमें किसी विशिष्ट समुदाय के विरुद्ध नहीं करनी चाहिए।

...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव** : यह क्या हो रहा है? ...*(व्यवधान)* पूरी कम्यूनिटी पर उंगली उठाई जा रही है। ...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : क्या हो रहा है? आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव** : आतंकवाद का फैलाव, भारत में आतंकवाद का कारण, श्रमजीवी एक्सप्रेस बम विस्फोट 2005 का अध्ययन विस्तृत जांच के दौरान, पटना के निकट फूलवाशरीफ नामक छोटी सी जगह का सामने आना ...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : इसे नोट कर लिया गया है। इसे माननीय गृह मंत्री को दे दीजिए।

...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव** : धर्मनिरपेक्ष भारतीय संविधान की मूल अवधारणा को तोड़ा गया है ...*(व्यवधान)* सोची समझी साजिश के तहत सामाजिक और धार्मिक भावना, देश की एकता, अखंडता और सम्प्रभुता को चुनौती दी गई है इसलिए माननीय गृह मंत्री जी से मैं मांग करता हूं कि देश में साम्प्रदायिक सद्भाव, सौहार्द और आंतरिक सुरक्षा को आघात पहुंचाने की नीयत रखने वाले, इस तरह की मानसिकता रखने वाले अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसकी जांच सैंट्रल एजेंसी, सी.बी.आई. से कराई जाए ताकि देश में करोड़ों लोगों के मन में असुरक्षा का भाव दूर हो सके। ...*(व्यवधान)* दोषी पदाधिकारियों को दंडित किया जाए।

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : श्री शाहनवाज़ हुसैन, नाम मत लीजिए। अन्यथा मैं आपको अनुमति नहीं दूंगा।

...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**अध्यक्ष महोदय** : ठीक है, आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : मैंने आपको अनुमति दी है। इसे माननीय गृह मंत्री को दे दीजिए।

...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री राम कृपाल यादव** (पटना) : हमने नोटिस दिया है।

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : मुझ पर दबाव मत बनाइए।

...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री राम कृपाल यादव** : हमने भी नोटिस दिया है।

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : आप चिल्लाते रहते हैं।

...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री सैयद शाहनवाज हुसैन** (भागलपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं। यहां से बोलकर हमने टी.वी. पर कोई बाइट दिया है क्योंकि मेरी पार्टी की तरफ से मुझे अधिकार है। मैं बाहर लॉबी में निकला ....*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : आपको मुझे समुचित नोटिस देनी चाहिए।

---

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*...(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**अध्यक्ष महोदय** : मुझे नोटिस चाहिए।

*...(व्यवधान)*

**श्री सैयद शाहनवाज हुसैन** : ....*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : कृपया इसे विलोप करें।

*...(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री राम कृपाल यादव** : हमने नोटिस दिया है। यह हमारे संसदीय क्षेत्र का मामला है। *...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : अभी मौका नहीं मिलेगा। कल बारह बजे मौका मिलेगा।

*...(व्यवधान)*

**श्री राम कृपाल यादव** : आप हमें मौका दीजिए।

**अध्यक्ष महोदय** : यह नोटिस अभी का नहीं है।

*...(व्यवधान)*

**श्री राम कृपाल यादव** : आप हमारी बात सुनिए।

**अध्यक्ष महोदय** : हम नहीं सुनेंगे।

*...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : श्री राम कृपाल यादव, आप बैठेंगे या नहीं?

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : मैं उन्हें बोल चुका हूं क्योंकि वे पहले नहीं बोल पाए थे। वे मामला उठाना चाहते थे।

*...(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री राम कृपाल यादव** : सर, मुझे एक मिनट बोलने का मौका दिया जाए।

**अध्यक्ष महोदय** : आधा मिनट भी नहीं मिलेगा। इस नोटिस का टाइम समाप्त हो गया। अब हम समय नहीं देंगे।

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।



**श्री राम कृपाल यादव** : इस तरह के कमैन्ट्स जा रहे हैं *...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : कार्यवाही वृत्तांत में उनका एक शब्द भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

*[हिन्दी]*

**अध्यक्ष महोदय** : हम आपको बोलने का मौका देंगे। प्रश्न काल के तुरंत बाद हम आपको मौका देंगे। आप नोटिस दे दीजिए।

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : कृपया बैठ जाइए। माननीय विपक्ष के नेता एक महत्वपूर्ण विषय पर स्थगन प्रस्तव पेश करेंगे।

*[हिन्दी]*

**श्री इलियास आज़मी** (शाहाबाद) : आपने हर पार्टी लीडर को बोलने का मौका दिया है, आप हमें भी बोलने का मौका दीजिए।

**अध्यक्ष महोदय** : वह बात खत्म हो गई, वह इश्यू खत्म हो गया।

**श्री इलियास आज़मी** : क्या हमारी पार्टी नहीं बोलेगी, क्या हमारा कोई सम्मान नहीं है?

**अध्यक्ष महोदय** : जरूर है, हम आपका बहुत सम्मान करते हैं।

**श्री इलियास आज़मी** : क्या सम्मान करते हैं।

**अध्यक्ष महोदय** : और कैसे सम्मान करेंगे, मुंह से सम्मान करेंगे।

**श्री इलियास आज़मी** : आपने हमें बोलने का मौका नहीं दिया, इसके विरोध में हम वाक–आउट करते हैं।

**अपराह्न 2.17 बजे**

*(तत्पश्चात् श्री इलियास आज़मी सभा भवन से बाहर चले गए)*

*...(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**अध्यक्ष महोदय** : हमारी तकदीर खराब है।

**अपराह्न 2.19 बजे**

## स्थगन प्रस्ताव

### देश में आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने में, विशेष रूप से आतंकवादियों के तेजी से बढ़ते हुए खतरे से निपटने में सरकार की विफलता के संबंध में-जारी

*[हिन्दी]*

**श्री लाल कृष्ण आडवाणी** (गांधीनगर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

"कि सभा अब स्थगित हो।"

अध्यक्ष महोदय, 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ। आज हमें स्वतंत्र हुए 59 साल हो गए। तब से लेकर आज तक भारत को अपने पड़ोसियों के साथ चार युद्ध लड़ने पड़े हैं। अगर कारगिल को जोड़ा जाए तो पांच युद्ध हो जाते हैं। जिनमें से चार पाकिस्तान के साथ और एक चीन के साथ लड़ा गया। लेकिन इस तथ्य को पहचानना चाहिए कि विगत 20–25 वर्षों में जब से आतंकवाद भारत में आया है और यह प्रमुख रूप से हमारे पड़ोसी के द्वारा आया है, जिसके साथ हमारे युद्ध भी हुए हैं। तब से लेकर कुल मिलाकर जो हमारी हानि हुई है, क्षति हुई है, वह उन चार–पांच युद्धों से भी बढ़कर है। इस नाते से अब तक लगभग 70 हजार लोग मारे गए हैं, जिनमें से 10 हजार हमारे सुरक्षाकर्मी हैं। इतने लोग उन चार–पांच युद्धों में भी नहीं मारे गए थे। यह सही है कि 1971 के युद्ध के कारण पाकिस्तान को इस बात की समझ आई कि प्रत्यक्ष युद्ध में वह भारत का मुकाबला नहीं कर सकता। शुरू से आखिर तक उनकी अपनी धारणाएं रही हैं और वे धारणाएं एक–एक करके निर्मूल साबित होती गईं। 1971 के युद्ध में उन्हें इतनी क्षति पहुंची कि वह न केवल युद्ध हार गये, बल्कि अपने देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा वह बंगलादेश के रूप में गंवा बैठे। छोटा सा युद्ध था। इतना ही नहीं उनके 94 हजार कैदी, प्रिजनर ऑफ वार्स भी हमारे पास थे। जिस समय उनके प्रधानमंत्री शिमला आए थे, उस समय उनके मन में सबसे बड़ी बात यह थी कि 94 हजार कैदी हमें वापस प्राप्त होने चाहिए और अगर ऐसा नहीं हुआ तो उनके लिए अपने देश में लौटना मुश्किल हो जाएगा। मैं इस बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूं, क्योंकि मैं मानता हूं कि उसके बाद उन्होंने अपनी रणनीति बदली। रणनीति बदलकर जिसे लोग "लो कॉस्ट वार" कहते हैं, उसको अपनाया और आतंकवाद को अपने राज्य की नीति का एक हिस्सा बनाया। "लो कॉस्ट वार" कितना "लो" है, इसका मुझे तब अंदाजा हुआ जब मैं सरकार में था। जब से आतंकवाद शुरू हुआ है, इस "प्रॉक्सी वार" को लड़ने के लिए हमें प्रतिवर्ष 730 करोड़ रुपये खर्च करने पड़ते हैं और उनके प्रतिवर्ष 24 करोड़ ही लगते हैं। इतना अंतर है क्योंकि हमें पता नहीं कि हमला कहां होगा। जब प्रत्यक्ष युद्ध होता है तो पता होता है कि हमला कहां होगा, कौन हमला करेगा, लेकिन यहां कुछ पता नहीं होता। इस "प्रॉक्सी वार" में "लो कॉस्ट वार" में जो हमलावार देश है, उसे पता है। लेकिन जिस पर हमला होता है उसे कुछ पता नहीं होता है और इसलिए सब जगह पर प्रबन्ध करना होता है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैं मानता हूं कि इस युद्ध की शुरूआत सत्तर के दशक के अंत और अस्सी के दशक के आरंभिक दिनों से हुई और जो आज तक चल रहा है। मैं सत्तर के दशक के अंत में एक सरकार में था और पिछले 6 साल भी रहा। सरकार में आने से पहले और इन दो अवसरों पर जो मुझे अनुभव हुआ, उसमें देश का सुरक्षा वातावरण और सुरक्षा परिदृश्य कितना बदला है, इसका प्रत्यक्ष अनुभव हुआ है। मुझे याद है कि मोरारजी भाई की सरकार से मैं सूचना और प्रसारण मंत्री था तो अपने जन्म स्थान करांची जाने का मुझे मौका मिला। और जब मैं पाकिस्तान गया तो उन दिनों वहां पर सैनिक शासन था। जो भी राजनीति में थे, सबके साथ मिलिट्री एकम्पनी करती थी, सेना की टुकड़ियां, मोटर–गाड़ियां चलती थीं। मेरे साथ एकाध कांस्टेबल कोई होगा या पाकिस्तान का अधिकारी होगा। वहां से जब आया तो कितनी सिक्योरिटी होती है। इतनी सिक्योरिटी होती है कि अगर कोई आतंकवाद की घटना होती है जिसमें बेगुनाह लोग मारे जाते हैं, तो मुझे एमबैरेसमेंट होता है कि मेरे पास इतनी सिक्योरिटी है क्योंकि

*[अनुवाद]*

मैं एक विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति हूं।

*[हिन्दी]*

वह आज तक है। इस एमबैरेसमेंट के कारण जब नये गृह मंत्री बने तो मैंने पहला पत्र लिखा कि मेरी सिक्योरिटी वापस ले लीजिए। मुझे नहीं चाहिए लेकिन उन्होंने नहीं माना। मैं समझ सकता हूं। मैं भी उनके स्थान पर होता तो नहीं मानता।

*[अनुवाद]*

दरअसल, यह आकुलता का भाव है। मैं तो बस सुरक्षा संबंधी माहौल में आए बदलाव को इंगित करने की कोशिश कर रहा हूं।

*[हिन्दी]*

वह चेंज आने के बाद भी मेरी इस सरकार से शिकायत है कि स्थिति परिवर्तित हो गई है तो भी वह मानती है कि जो आज कानून है, वह इसका मुकाबला करने के लिए पर्याप्त हैं। सारी दुनिया नहीं मानती। यू.एन.सिक्योरिटी काउंसिल ने सारी दुनिया को सलाह दी कि आप नये कानून लाओ। क्योंकि आतंकवाद एक ऐसी विभीषिका है जिसका परिचय पहले कभी किसी देश को नहीं हुआ। हमें युद्ध का अनुभव हुआ था और युद्ध के लिए "डिफैंस ऑफ इंडिया रूल्स" इत्यादि बने हुए हैं लेकिन यह तो सामान्य स्थिति है और उसमें भी आज के कानून पर्याप्त नहीं हैं।

अध्यक्ष जी, इन दिनों बड़ी चर्चा होती रही है। मुम्बई बम विस्फोट के बारे में जो केस चल रहा है। यहां विधि मंत्री और गृह मंत्री जी बैठे हुए हैं सिबल जी भी बैठे हुए हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि 1993 में जब मुम्बई में भयंकर बम विस्फोट हुए थे, उसमें कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था। उन लोगों पर तब से मुकद्दमा चल रहा था और, अब आकर वह समाप्त होने वाला है। कल ही किसी अपराधी के बारे में घोषणा हुई जिस पर बहुत सारी टिप्पणियां होती हैं। लेकिन मैं उस बात में नहीं जाकर केवल यही कहना चाहता हूं कि बहुत सारे ऐसे लोगों

[श्री लाल कृष्ण आडवाणी]

को दोषी पाया गया है। अगर "टाडा" कानून नहीं होता तो क्या यह संभव हो सकता था? क्या देश के सामान्य कानून के तहत यह हो सकता है? मैंने देखा है कि पहले ऐसे बहुत सारे अपराधी हुए, उनका कुछ नहीं होता था। वे कोई न कोई तरीका निकाल लेते और बच जाते थे। हमारी सरकार ने "टाडा" नहीं बनाया, यह कांग्रेस सरकार ने बनाया था और अचानक ही उसे खत्म कर दिया। "टाडा" इसलिए खत्म किया गया क्योंकि वह एक सम्प्रदाय के खिलाफ प्रयोग होता है – लेकिन मैं इस मत को नहीं मानता। मैं इस बात को मानता हूं कि "टाडा" या ऐसा कोई असाधारण कानून बनता है तो उसका दुरुपयोग होता है। मैं इस बात से इनकार नहीं करूंगा। मैं जानता हूं कि मैंने बड़े–बड़े "टाडा" विरोधी सम्मेलनों को सम्बोधित किया है। अहमदाबाद में हमारी तरफ से एक ऐसी कांफ्रेंस हुई थी, उसके पहले किसानों के आंदोलन के खिलाफ "टाडा" का उपयोग किया गया था और उसके तहत किसानों को गिरफ्तार किया गया था। मैं एक ऐसी कांफ्रेंस को सम्बोधित करने गया था।

*[अनुवाद]*

किसी भी कानून का दुरुपयोग हो सकता है। यहां तक कि बेहतर से बेहतर कानून का भी दुरुपयोग हुआ है।

*[हिन्दी]*

देश का एक ऐसा कानून है जो अच्छा है लेकिन उसका दुरुपयोग होता है। अभी–अभी हमने महिलाओं के पक्ष में घरेलू हिंसा निरोधक कानून पास किया है। अच्छा कानून है लेकिन उसका भी दुरुपयोग होता है। केवलमात्र इसलिए कि कानून का दुरुपयोग होता है, उसे रिपील करने का औचित्य नहीं बनता है। "टाडा" कानून को कांग्रेस सरकार ने रिपील किया, "पोटा" हमारी सरकार ने बनाया। चूंकि हमें लगता था कि यू.एन. सिक्योरिटी कौंसिल की सलाह सही है कि विश्वभर के लोकतंत्रीय देशों में उस प्रकार का कानून नहीं होता है। हां, अधिनायकवादी देशों में होता है। फिर भी यू.के. अमरीका, जर्मनी जैसे लोकतंत्रीय देशों में इस प्रकार का स्पेशल कानून बनाया गया। इसलिए हमने भी पोटा बनाया। जब हमें लगा कि प्रमुख विपक्षी दल उससे सहमत नहीं हैं, तो हमने जाइंट सैशन बुलाकर पोटा पारित किया। कांग्रेस सरकार के आते ही "पोटा" कानून को खत्म कर दिया गया। प्राइमाफेसी राय यह थी कि

*[अनुवाद]*

हम आतंकवाद की इस समस्या से निजात पा सकें। मुख्य बात यही थी।

*[हिन्दी]*

मेरा आरोप है कि आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई हेतु इस सरकार में पर्सपैक्टिव नहीं दिखता। मैं नहीं जानता कि इस संबध में चर्चायें हुईं या नहीं।

अध्यक्ष जी, वर्तमान सरकार ने सभी प्रदेशों के डी.जी.पी. और आई.जी.पी. का एक सम्मेलन बुलाया था। उस सम्मेलन में डी.आई.बी. (निदेशक, गुप्तचर ब्यूरो) श्री नरसिम्हन ने एक वक्तव्य दिया जिसमें कहा कि

*[अनुवाद]*

यह कानून अपर्याप्त है। इसे और सख्त बनाए जाने की जरूरत है।

*[हिन्दी]*

मुझे याद नहीं कि पिछले 60 साल के दौरान कभी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की उपस्थिति में किसी डी.आई.बी. ने इस प्रकार का वक्तव्य दिया है।

**गृह मंत्री (श्री शिवराज वि. पाटील)** : जो आप कह रहे हैं, वह दुरुस्त नहीं है। ऐसा डी.आई.बी. ने नहीं कहा है। जो भी अखबारों में आया है, वह ठीक नहीं है।

**श्री लाल कृष्ण आडवाणी** : मैंने उनका कंट्राडिक्शन नहीं देखा, हां आपका कंट्राडिक्शन देखा है।

**श्री शिवराज वि. पाटील** : मैं हाउस में यह बात कह रहा हूं।

**श्री लाल कृष्ण आडवाणी** : आप अभी कह रहे हैं, उनका कोई स्टेटमेंट नहीं आया है।

**श्री शिवराज वि. पाटील** : ऐसा नहीं कि समाचार पत्रों में कंट्राडिक्शन नहीं आया, इसलिए गलत है, ऐसा नहीं कहा जा सकता है।

*[अनुवाद]*

**श्री लाल कृष्ण आडवाणी** : मैं समझता हूं कि देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि उन्होंने इसे सार्वजनिक रूप से कहा है।

**श्री शिवराज वि. पाटील** : उस कांफ्रेंस का एक–एक शब्द रिकार्ड है। हमारे पास विडियो और ऑडियो दोनो ही टेप हैं। उसमें यह नहीं था। ...*(व्यवधान)*

**श्री लाल कृष्ण आडवाणी** : जो मेरे हाथ में है मैंने उसी का उल्लेख किया है कि उन्होंने क्या कहा था।

**अध्यक्ष महोदय** : आपने कहा है कि कोई खंडन नहीं आया है। अब खंडन आ गया है।

**श्री लाल कृष्ण आडवाणी** : किन्तु यह खंडन सात दिनों बाद आया

है। उन्होंने इसका खंडन नहीं किया है। यह तो मंत्री ने इसका खंडन किया है।

मैं पोटा और टाडा का संदर्भ दे रहा हूं। यदि टाडा नहीं होता तो उनमें से कुछ आदमी तो बच ही जाते।

*[हिन्दी]*

एक सज्जन के खिलाफ जब कोर्ट ने कहा कि यह दोषी है तो उसके बारे में बताया कि जावेरी बाजार में उसने पर्सनल यह जीप वहां रखी, जिसमें आर.डी.एक्स लदा हुआ था, जिसके कारण 74 लोग मारे गए।

*[अनुवाद]*

करतूत एक आदमी की थी।

*[हिन्दी]*

ऐसा करके सभी के खिलाफ अलग–अलग केस हैं। मैं आज भी आपसे अपील करता हूं कि जरा उन लोगों से सलाह करिए जो इस समस्या से डील करते हैं। कानूनी विशेषज्ञों से सलाह करिये कि क्या

*[अनुवाद]*

वास्तविकता में वर्तमान कानून के तहत आतंकवादियों को कानून की गिरफ्त में लाया जा सकता है।

*[हिन्दी]*

सामान्य कानून तो है हीं। आतंकवादियों को जो पैसा आता है, उनको जो सहायता मिलती है, इससे भी आगे आतंकवाद की उपस्थिति के बावजूद हमारे जैसे कई देशों में चर्चा चलती है कि कैपिटल पनिशमैंट समाप्त कर दो

*[अनुवाद]*

यू. के. में मृत्युदंड का प्रावधान नहीं है।

*[हिन्दी]*

हमारे यहां प्रायः यह मत बना है कि

*[अनुवाद]*

इस पर अंकुश लगाने के लिए मृत्युदंड जरूरी है।

*[हिन्दी]*

कई लोग इस पर प्रश्न उठाते हैं। उनका अधिकार है, मैं उनका सम्मान करता हूं और उस बहस में हिस्सा भी ले सकता हूं। मैं यह जरूर कहूंगा कि

*[अनुवाद]*

यदि एक प्रतिरोधक कानून जरूरी है, तो यह आतंकवादी के लिए ज्यादा जरूरी है, बजाय कि किसी सामान्य हत्यारे के लिए।

*[हिन्दी]*

जो मर्डरर हैं, जैसे यहां पर किसी व्यक्ति पर मर्डर का आरोप था और वह बच गया क्योंकि प्रॉसीक्यूशन एविडैन्स नहीं ला सका। उसके रीट्रायल के लिए कैम्पेन चला और उसमें सफलता मिली। जिसके बाद वह दंडित हुआ। वह अपराधी पाया गया कि उसने बलात्कार किया और उसके बाद हत्या की। उसकी क्लैमैन्सी की शिकायत नहीं है, उसकी मांग भी नहीं है। वह एक व्यक्ति के खिलाफ था। जघन्य अपराध था एक लड़की का बलात्कार करना और उसके बाद उसकी हत्या करना। इसलिए जिन्होंने मांग की कि इसके ऊपर फिर मुकद्मा चलना चाहिए, उन्होंने अच्छा किया और जो कोर्ट मे फैसला किया कि अब जो एविडैन्स आई है उसके आधार पर

*[अनुवाद]*

वह दोषी है और उसे मौत की सजा दी जानी चाहिए। इसे मरने तक फांसी पर लटकाया जाए।

*[हिन्दी]*

मैं दोनों की प्रशंसा करता हूं। लेकिन मैं कहता हूं कि उसकी तुलना करिये इस क्लैमैन्सी की मांग से जो अफजल के बारे में की गई है। उसने किसी व्यक्ति के खिलाफ काम नहीं किया। उसका अपराध इस संसद के खिलाफ था। पूरे देश के खिलाफ था। लोकतंत्र के खिलाफ था। उसके बाद जिस जोर से क्लैमैन्सी की मांग चली है उसमें कांग्रेस पार्टी के एक मुख्यमंत्री ने भी इसकी वकालत की है तथा एक और पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सहमत नहीं हैं। सरकार इस मामले में चुप है। निर्णय नहीं करती, जबकि उनको निर्णय कर लेना चाहिए। जनरल वैद्य के हत्यारों के लिए भी क्लैमैन्सी की मांग हुई थी। मेरी जानकारी में 15 घंटे के अंदर निर्णय होने के बाद कि फांसी की सजा होनी चाहिए, सरकार ने पुष्टि की कि फांसी हो जानी चाहिए।

**विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल)** : जिन्होंने हमारे पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या की तो आप लोगों ने उनको दंडित क्यों नहीं किया? इसके अलावा आपने टैररिस्ट लोगों को कंधार क्यों ले जाकर छोड़ दिया? ...*(व्यवधान)*

**श्री लाल कृष्ण आडवाणी** : कंधार की बात आपने बहुत बार की है। ...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : श्री कपिल सिब्बल, आप तभी बोलिए, जब आपकी बारी आएगी।

...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : मैं भविष्य में इसे रिकार्ड नहीं करवाऊंगा।

...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : आप अध्यक्षपीठ की अनुमति लीजिए।

*[हिन्दी]*

स्वाईं जी, आप बैठ जाइए।

*...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**श्री लाल कृष्ण आडवाणी** : वे मंत्री हैं। इसलिए, वे भी व्यवधान कर सकते हैं। वह केवल सदस्य ही नहीं हैं *...(व्यवधान)*

**श्री कपिल सिब्बल** : मैं व्यवधान नहीं डाल रहा हूं। मैं केवल सभा को सूचित कर रहा हूं।

*[हिन्दी]*

**श्री लाल कृष्ण आडवाणी** : अभी भी इंटरप्ट कर रहे हैं। *...(व्यवधान)* मैं बता रहा हूं कि आज आतंकवाद इतना बढ़ा है जिस पर हमारे गृह मंत्री जी कहेंगे कि यह बात सही नहीं है कि आतंकवाद बढ़ रहा है, हमने आपको तथ्य दिये हैं। महोदय, ये जो तथ्य दिए गए हैं, इन्हें देखकर लगता है कि आतंकवाद नियंत्रित हो गया है। इसे पढ़कर किसी को लगेगा कि स्थिति बड़ी अच्छी है। लेकिन मैं उस दिन हैरान हुआ जिस देश के सभी राज्यों के आई.जी.पी. एवं डी.जी.पी. की कॉन्फ्रेंस से मुझे दो की–विटनैस मिले। दो गवाह ऐसे मिले जो अपने पक्ष में बोलने के लिए तैयार थे। उनमें से एक डी.आई.बी. थे, जिसके बारे में इन्होंने 10 दिन बाद कहा कि वह रिपोर्ट सही नहीं है और दूसरे स्वयं गृह मंत्री हैं जिनका भाषण मेरे पास है। यदि मैं उस भाषण को पढ़ूंगा तो फिर एक–एक करके ये कहेंगे कि मैंने यह नहीं कहा, मैंने वह नहीं कहा। इन्होंने कहा कि–

*[अनुवाद]*

"लश्कर–ए–तयबा के कुछ सदस्यों को विशेषकर तेल प्रतिष्ठानों को तोड़फोड़ करने के लिए प्रशिक्षित भी किया जा रहा है। टापुओं, जहां आबादी पर कब्जा जमाने और उनका उपयोग भारतीय पोस्ट पर कार्रवाई करने के आतंकवादी ठिकाने के रूप में करने की योजना है।"

माननीय गृहमंत्री ने यही बात कही थी।

*[हिन्दी]*

क्या यह कोई मामूली बात है?

*[अनुवाद]*

**श्री शिवराज वि. पाटील** : मैंने यह बात डीजीपी कॉन्फ्रेंस में कही थी, न कि किसी सार्वजनिक सभा में।

**श्री लाल कृष्ण आडवाणी** : यह बात डीजीपी और आईजीपी कान्फ्रेंस में भाषण में कही गई थी जिसे प्रेस को परिचालित किया गया। मुझे यह प्रेस से प्राप्त हुआ है। मुझे यह किसी और से प्राप्त नहीं हुआ है। इस पूरे देश में प्रकाशित किया गया *...(व्यवधान)*

**श्री शिवराज वि. पाटील** : श्री आडवाणी जी, आप इसे जानते हैं।

**श्री लाल कृष्ण आडवाणी** : मैं प्रत्येक बात जानता हूं। इसलिए, मुझे आश्चर्य हुआ।

**श्री शिवराज वि. पाटील** : आप पीठासीन अधिकारी रहे हैं, आप मंत्री रहे हैं और आप यह जानते हैं कि सभा पटल पर आप यदि कोई वक्तव्य देना चाहते हैं, तो आप उसके लिए जवाबदेह होते हैं। आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि चूंकि यह अखबारों में प्रकाशित हुआ है, इसलिए आप उन पर भरोसा कर सकते हैं। एक व्यक्ति जो आप के समक्ष और पूरी सभा के समक्ष खड़ा है और कह रहा है कि जिस वक्तव्य का हवाला दिया जा रहा है वह उसके नहीं है। मैं कह रहा हूं कि आई बी निदेशक ने कोई ऐसा वक्तव्य नहीं दिया है। माननीय प्रधानमंत्री ने कोई वक्तव्य नहीं दिया है। आपको अखबारों के बजाय मुझ पर भरोसा करना चाहिए *...(व्यवधान)*

**श्री लाल कृष्ण आडवाणी** : महोदय, यह बहुत ही कठिन स्थिति है। मैं समझ सकता हूं कि कुछ *...(व्यवधान)*

**श्री शिवराज वि. पाटील** : मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूं।

**श्री लाल कृष्ण आडवाणी** : आप इनकार नहीं कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। मैं भी यही चाहता हूं। आखिरकार, यही वे प्रतियां हैं जो मुझे मिली हैं। एक वह जिसका मूल रूप में प्रारूप तैयार किया गया था और दूसरी वह, जिसका बाद में आपके द्वारा संशोधन किया गया था *...(व्यवधान)* यहां तक कि 'आतंकवादी' और 'दुश्मन' शब्दों को हटाकर उनकी जगह 'गड़बड़ी फैलाने वाला' कर दिया गया है *...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : आपने उनकी प्रारूप प्रति को भी देखा है।

**श्री लाल कृष्ण आडवाणी** : महोदय, यही मानसिकता है *...(व्यवधान)*

**श्री गुरूदास दासगुप्त** (पंसकुरा) : महोदय, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न करना चाहता हूं।

**श्री लाल कृष्ण आडवाणी** : श्री गुरूदास दासगुप्त, मैं इससे सहमत नहीं हूं *...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : श्री सिंह, आप बहुत शोर मचा रहे हैं।

**श्री गुरूदास दासगुप्त** : महोदय, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं *...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : आप इसका निर्णय नहीं कर सकते हैं। यदि मैं गलत निर्णय भी करूं, तो भी आपको मानना पड़ेगा।

**श्री गुरुदास दासगुप्त** : जब कभी कोई सदस्य किसी दस्तावेज या रिपोर्ट को उद्धृत करता है, तो उन्हें उसका प्रमाण देना होता है।

दूसरी बात कि यह बहुत ही खतरनाक स्थिति है कि जो कुछ भी वे चाहते थे अर्थात् वह प्रारूप और जो उन्होंने वास्तविक रूप से कहा है, दोनों की प्रतियां श्री लाल कृष्ण आडवाणी के हाथों में है। यह भी आप की व्यवस्था में सुरक्षा के अभाव का संकेत है ...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

**श्री बृज किशोर त्रिपाठी (पुरी)** : यह सूचना के अधिकार का जमाना है। हम प्रारूप सहित सभी कुछ प्राप्त कर सकते हैं ...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : कृपया नोट करें कि कोई भी व्यवधान मेरी अनुमति के बगैर रिकार्ड पर नहीं जाएगा।

...*(व्यवधान)*

**श्री लाल कृष्ण आडवाणी** : श्री दासगुप्त भी मेरी बात का समर्थन कर रहे हैं कि इस सरकार के अंतर्गत सुरक्षा भी खतरे में है। कोई नहीं जानता। किन्तु, जहां तक इन दस्तावेजों का सवाल है, तो इस बारे में कुछ भी गोपनीय नहीं है ...*(व्यवधान)*

**श्री गुरुदास दासगुप्त** : यहां तक कि श्री आडवाणी भी सुरक्षा के लिए जोखिम हैं ...*(व्यवधान)*

**श्री लाल कृष्ण आडवाणी** : जहां तक देश का सवाल है तो इसकी सुरक्षा के लिए मैं कोई भी खतरा मोल लेने को तैयार हूं। अब, स्थिति ऐसी है कि किसी भी चीज से इनकार नहीं किया जा सकता है, विशेषकर तब जब सूचना का अधिकार का कानून अधिनियमित हो चुका है।

**अध्यक्ष महोदय** : कानून लागू हो चुका है।

*[हिन्दी]*

**श्री लाल कृष्ण आडवाणी** : अध्यक्ष जी, इन दिनों हमको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। मैंने फटैलिटीज़ की बात कही, कॉस्ट की बात कही। आतंकवाद के कारण इन 20–25 सालों से बहुत नुकसान हुआ है और वह यह है कि कश्मीर घाटी से सभी पंडितों को निकाल दिया गया है।

*[अनुवाद]*

यह सुरक्षित है। यह बिल्कुल साफ है।

*[हिन्दी]*

जब हमारी सरकार थी, तब हमने कोशिश की कि वे वापस जा सकें, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। लेकिन अब आपकी सरकार क्या कोशिश कर रही है, मुझे इसकी जानकारी दें। उस दिन मैंने देखा कि गुजरात के दंगा पीड़ितों को सात–सात लाख रुपये देने का निर्णय किया गया है, तो मैं इतना जरूर जानना चाहूंगा कि क्या कश्मीरी पंडित, जो वर्षों पहले वहां से निकाले गए हैं या मारे गए हैं, क्या उनके बारे में भी इस दिशा में कुछ सोचा है? अगर गुजरात में भी दिया जाएगा तो मैं विश्वास करता हूं कि जो निर्णय है, उसका किसी एक सम्प्रदाय से संबंध नहीं होगा, दोनों सम्प्रदाय के जो लोग मारे गए, उन सब के बारे में होगा। मैं यह भी मानता हूं कि जिन–जिन राज्यों में खासकर के उत्तर–पूर्वी राज्यों में, पूर्वी क्षेत्र में या जम्मू–कश्मीर में और पंजाब में (अब वहां स्थिति सामान्य हो गई है) नक्सलवाद से प्रभावित इलाकों में जो राजनीतिक अस्थिरता आती है, वह बहुत गम्भीर है। मैं सुनी–सुनाई बात के आधार पर कहता हूं, मेरी किसी से प्रत्यक्ष बात नहीं हुई है, लेकिन आंध्र प्रदेश के जो पुलिस अधिकारी हैं, जिनको नक्सलवाद से डील करना पड़ता है। ...*(व्यवधान)**

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : उसे कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जा सकता है।

...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : आडवाणी जी किसी ने कहीं कुछ कहा है, तो उसे कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जा सकता है। आप इसे अच्छी तरह जानते हैं।

**श्री लाल कृष्ण आडवाणी** : क्या मैं उन लोगों का नाम बताऊं?

**अध्यक्ष महोदय** : नहीं, इस तरह से आप नाम नहीं ले सकते हैं।

**श्री लाल कृष्ण आडवाणी** : जब मैं कुछ कहता हूं तो मैं उसे हल्के तरह से नहीं कहता।

**अध्यक्ष महोदय** : मैं जानता हूं, पर नियम इसकी इजाजत नहीं देते।

**श्री लाल कृष्ण आडवाणी** : मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। अन्यथा वे मुश्किल में पड़ जाएंगे। ...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

सब गड़बड़ है। क्योंकि मैंने उसी समय कहा था कि आप नक्सलवाद के बारे में बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, जब आप नक्सलवादियों को यह आश्वासन दे रहे हैं कि उनको हथियार रखाए बिना उनसे बातचीत करना शुरू करेंगे। इसी प्रकार की बात उल्फा के बारे में भी कह सकता हूं, लेकिन नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं किसी का नाम नहीं ले

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री लाल कृष्ण आडवाणी]

सकता हूं और न ही लेना चाहता हूं। लेकिन कुल–मिलाकर हमें चिंता होती है। यहां नेपाल के माओवादी नेता प्रचण्ड जी से क्या बात होती है, मैं नहीं जानता हूं। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि पशुपति से लेकर तिरुपति तक रेड कोरिडोर बनाने की जो इच्छा है, उसे किसी प्रकार का समर्थन नहीं मिलना चाहिए। उसके बारे में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए।

अभी तो कहा गया कि सबसे बड़ी समस्या आतंकवाद है। लेकिन कुछ ही दिन पहले प्रधानमंत्री ने कहा था कि सबसे बड़ी समस्या नक्सलवाद है। यह स्वयं प्रधानमंत्री जी ने कहा था। मुम्बई की घटना के तुरन्त बाद प्रधानमंत्री का वक्तव्य आया और पाकिस्तान को दोष दिया। पाकिस्तान को दोष देने के बाद महाराष्ट्र के अधिकारियों की ओर से यह कहा गया कि हमारे पास सात ट्रेनों में हुए बम धमाकों के प्रमाण हैं।

*[अनुवाद]*

वह एक युद्ध जैसा ऑपरेशन था।

*[हिन्दी]*

पांच मिनट के अंदर सात अलग–अलग ट्रेनों में विस्फोट हो जाना और दो सौ लोगों का मारा जाना।

*[अनुवाद]*

निश्चय ही वह विस्मयकारी स्थिति थी।

*[हिन्दी]*

उसके बाद कहा कि हमारे पास प्रमाण हैं, जिन्हें हम पाकिस्तान को देंगे और दुनिया के सामने भी रखेंगे। थोड़े दिन बाद लगा, पता नहीं क्या है, प्रमाण कमजोर हैं, क्या है, क्या नहीं है। लेकिन विश्व भर में उसके कारण हमारी विश्वसनीयता पर असर हुआ। मगर उसके बाद और ज्यादा असर तब हुआ जब हवाना में प्रधानमंत्री ने बयान दिया कि

*[अनुवाद]*

पाकिस्तान स्वयं ही कट्टर पंथ और आतंकवाद का शिकार है।

*[हिन्दी]*

मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हम 6 साल सरकार में थे तो शुरू में बहुत प्रयत्न करते थे कि इसे सारी दुनिया माने कि क्रास बोर्डर टैरेरिज्म हमारे लिए बहुत गम्भीर समस्या है। लोग इण्ट्लैक्चुअली सुनते थे, लेकिन कन्विन्स नहीं होते थे कि इसे हमारा कोई पड़ोसी करवा रहा है। 9/11 के बाद स्थिति बदली और और 9/11 के बाद ये इसे मानने लगे। हमारे प्रधानमंत्री जब अमेरिकी कांग्रेस को सम्बोधित करने गये थे, उस समय उन्होंने कहा था कि यह मत समझिये कि बाकी दुनिया से आपके देश की दूरी आपको आतंकवाद से बचाये रखेगी, यह बहुत समय तक नहीं चलेगा। फिर एक दिन, 9/11 आया और उस दिन 9/11 को जो कुछ हो गया, उसके बाद ये बहुत रिसैप्टिव हुए और धीरे–धीरे करके सारी दुनिया के लोग इसे मानने लगे कि हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के बीच में वास्तव में जो सबसे बड़ी बाधा है, वह कश्मीर नहीं आतंकवाद है। पाकिस्तान कहता है कि सबसे बड़ी बाधा कश्मीर है। अगर कश्मीर का हल हो जाये तो बहुत समस्याएं सुलझ जाएंगी, सम्बन्ध बहुत नार्मल हो जाएंगे। अब सारी दुनिया मानने लगी सबसे बड़ी बाधा अगर कोई है तो क्रास बॉर्डर टैरेरिज्म है। मै मानता हूं कि आज इस बयान के बाद

*[अनुवाद]*

पाकिस्तान स्वयं आतंकवाद का शिकार है।

*[हिन्दी]*

वह एग्रेसर नहीं है, वह तो एग्रेस्ड है। दुनिया के लोग हैरान हुए कि यह क्या हुआ। अब तक ये लोग दूसरी बात करते थे। मैं यह नहीं कहता हूं कि इण्डीविजुअली कोई नहीं हो सकता है, हो सकता है। किसी इण्डीविजुअल को गुस्सा आये तो उसको मारने की इच्छा हो सकती है। यह हमारे यहां भी होता है, लेकिन

*[अनुवाद]*

इससे राज्य आतंकवाद का शिकार नहीं हो, हो जाता राज्य निरंतर आतंकवाद को बढ़ावा दे।

*[हिन्दी]*

मैं प्रणव मुखर्जी जी को कोट नहीं करना चाहता हूं, उनका कहना है, उनका स्टेटमेंट है कि पाकिस्तान ने आतंकवाद को समर्थन देना छोड़ा नहीं है। ऐसा उन्होंने कहा था।

मैं इतना जानता हूं कि जिस समय एन.डी.ए. की सरकार थी, पूरे 6 साल पाकिस्तान के बारे में हमारी नीति के दो अंश थे।

*[अनुवाद]*

इस प्रयास के दो पहलू थे।

*[हिन्दी]*

नम्बर एक – ईमानदारी से पाकिस्तान के साथ नोर्मेलसी लाने की कोशिश करनी चाहिए, नोर्मेलसी लाना, यह हमारी नीति है और नोर्मलसी लाने के लिए प्रधानमंत्री बस में चढ़कर लाहौर जाते हैं ...*(व्यवधान)*

**श्रीमती कृष्णा तीरथ** (करोलबाग) : तभी कारगिल हुआ था। ... *(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : छोड़िये, इस समय आप लोग नहीं बोल सकेंगे। आप अपने टाइम पर बोलिये।

**श्री लाल कृष्ण आडवाणी** : प्रधानमंत्री बस में यात्रा करके पाकिस्तान जाते हैं, लाहौर में जाकर उस समय के प्रधानमंत्री से मिलते हैं और उसी समय, उसी काल में कारगिल होता है। प्रधानमंत्री को कितनी जानकारी थी, मैं उस मामले में नहीं जानता, लेकिन हां, यह हुआ। इसके बावजूद चूंकि हमारी नीति नोर्मेलसी लाने की है, इसीलिए हमने जनरल मुशर्रफ को प्रेसीडेंट बनने के बाद यहां आने की दावत दी कि आगरा में आकर बातचीत करिये। वे आगरा आये और आगरा में जब उन्होंने जो स्टेंड लिया, हमारे कन्सर्न का इश्यू जो था, वह आतंकवाद था, जब उन्होंने यह स्टेंड लिया कि आतंकवाद नाम की कोई चीज भारत में नहीं है, जम्मू–कश्मीर में नहीं है, पंजाब में नहीं है और कहीं नहीं है। जम्मू–कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, वह एक स्वतंत्रता का संघर्ष है। स्वतंत्रता की लड़ाई है। आजादी की जंग है और उस आजादी की जंग में अगर कुछ बेगुनाह लोग मारे जाते हैं तो यह तो होता ही है। हमने कहा कि फिर कोई समझौता नहीं है, क्योंकि हमारी नीति के दो अंश थे, एक तो ईमानदारी से कोशिश करनी चाहिए, भारत और पाकिस्तान के बीच के संबंधों को नोर्मलाइज़ करना और दूसरा आतंकवाद के संदर्भ में कोई समझौता नहीं करना। आतंकवाद के संदर्भ में समझौता न करने का यह परिणाम निकला कि आगरा में किसी भी प्रकार का संयुक्त वक्तव्य जारी नहीं हुआ और वे वापस चले गये। मैं जानता हूं वे बहुत नाराज होकर गये। लेकिन हम समझते हैं कि अगर उन्होंने वह रवैया न अपनाया होता तो सन् 2004 की जनवरी में जो सार्क सम्मेलन के बाद इस्लामाबाद में संयुक्त वक्तव्य निकला, वह पहले ही हो गया होता। प्रधानमंत्री वाजपेयी जी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल मुशर्रफ, ने मिलकर आतंकवाद के खिलाफ वक्तव्य जारी किया और उस वक्तव्य में पाकिस्तान की ओर से कहा गया कि पाकिस्तान की भूमि, उसके किसी भी भाग या पाकिस्तान के कब्जे की किसी भूमि का उपयोग हम आतंकवाद के लिए नहीं होने देंगे। यह सार्वजनिक वक्तव्य उन्होंने दिया।

उसके बाद ही बातचीत हुई और जो बातचीत चली है, उसके अलग–अलग फेजेज हैं। मैं उसकी डिटेल्स में नहीं जाना चाहता। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आतंकवादियों के बारे में यह सार्वजनिक घोषणा करना कि पाकिस्तान स्वयं ही आतंकवाद का शिकार है, यह एक प्रकार का सर्टिफिकेट है, जिसकी वे कभी कल्पना भी नहीं करते होंगे, कि उनको कभी यह मिलेगा, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री ने उनको ऐसा सर्टिफिकेट दे दिया। मैं समझता हूं कि कुल–मिलाकर हमने आतंकवाद के खिलाफ अपनी जंग को कमजोर किया है।

**श्रीमती कृष्णा तीरथ** : अध्यक्ष महोदय, ये गलत बयानी कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। यह किसी एक पक्ष का एकाधिकार नहीं है।

*[हिन्दी]*

बोथ साइड से ऐसा चल रहा है। ऐसा किसी को नहीं करना चाहिए।

*[अनुवाद]*

सहमति व्यक्त करने या अध्यक्षपीठ से अनुमति लेने या व्यवस्था का प्रश्न उठाने का अनुरोध करने की एक व्यवस्था है।

*[हिन्दी]*

कौन ऐसा सोचता है और कौन फालो करता है?

**श्री लाल कृष्ण आडवाणी** : अध्यक्ष जी, गृह मंत्री जी देश पर बहुत उपकार करेंगे, अगर आईजीपी, डीजीपी की कान्फ्रेंस में उन्होंने वक्तव्य दिया, डीआईजी ने जो वक्तव्य दिया, वह सदन के पटल पर रख देंगे, तो हमको यह गलतफहमी नहीं होगी, जो आज है। आज आपने कहा है, अपने प्रसारित वक्तव्य के अनुसार

*[अनुवाद]*

"महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों को आतंकवाद से गंभीर खतरा है। तेल और प्राकृतिक गैस क्षेत्र, रक्षा, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के प्रतिष्ठान इसके निशाने पर हैं।"

*[हिन्दी]*

यह आपने अपने वक्तव्य में कहा है। सारे वक्तव्य आप पत्रकारों को ही क्यों देते हैं? पार्लियामेंट को भी दे दीजिए। पार्लियामेंट को डीआईजीज़ का भी बयान दे दीजिए।

**श्री शिवराज वि. पाटील** : हमने वक्तव्य स्पीकर साहब को भेज दिया है। हमने उन्हें सीडी दे दी है।

**श्री लाल कृष्ण आडवाणी** : अध्यक्ष जी, मंत्री जी कहते हैं कि उन्होंने आपको वक्तव्य दे दिया है। मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि इन दिनों में और क्या–क्या घटनाएं हुई हैं? आतंकवादी पकड़ा जाए, यह चाहे अफजल हो या मदनी हो, उसकी वकालत पोलिटिकल पार्टीज आगे बढ़कर कैसे करती हैं, असेंबली में रिजोल्यूशन पास करते हैं कि इनको पैरोल पर छोड़ दें। मदनी वह है, जिसके ऊपर एक केस चल रहा है। यह कोयंबटूर का केस है, जिसमें जब मैं अपने चुनाव अभियान में जा

[श्री लाल कृष्ण आडवाणी]

रहा था, उस दिन उनकी जो योजना थी। जिसमें 54 स्थानीय लोग मारे गए, उसकी वकालत चल रही है। मैं मसाज के मामले में नहीं जाता हूं। उनको जो सुविधाएं दी जाती हैं, वह तो हिंदुस्तान के बहुत सारे प्रदेशों में पता नहीं किस–किस को कौन–कौन सी सुविधाएं दी जाती हैं, उसका एक अलग ही किस्सा है और कुल मिलाकर संदेश देते हैं कि हमको आतंकवाद की इतनी चिंता नहीं है, हमको वोट की ज्यादा चिंता है। यह संदेश बहुत नुकसान पहुंचा रहा है कि हमें अपनी सिक्योरिटी फोर्सेज की भी इतनी चिंता नहीं है। उन्होंने एक बात और कही है।

*[अनुवाद]*

प्रेस की रिपोर्टों के अनुसार, आतंकवादियों के विरुद्ध लड़ाई लड़ने वाले सुरक्षा बलों को तत्पश्चात् सरकारी और गैर–सरकारी दोनों प्रकार के प्राधिकारियों के हाथों सभी प्रकार के उत्पीड़नों को झेलना पड़ता है।

*[हिन्दी]*

दुनिया भर के आरोप उन पर लगते हैं;

*[अनुवाद]*

इसलिए इस कानून को समुचित रूप से बदले जाने की आवश्यकता है।

*[हिन्दी]*

उन्होंने यह रिकमेंड किया है।

*[अनुवाद]*

इस तथ्य के बावजूद कि इस मामले में कानून को और ज्यादा कठोर बनाए जाने की आवश्यकता है, उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि *...(व्यवधान)*

**श्री शिवराज वि. पाटील** : मुझे खेद है कि मुझे यह कहना पड़ रहा है। वे गृह मंत्री रहे हैं वे डी जी पी के सम्मेलन से उद्धृत कर रहे हैं।

**श्री लाल कृष्ण आडवाणी** : मैंने इन दोनों के अलावा और किसी को उद्धृत नहीं किया है।

**श्री शिवराज वि. पाटील** : उनके गृह मंत्री बनने से पहले, मीडिया को इसे कवर करने की अनुमति नहीं दी जाती थी और वे वहां पर जो चर्चा की गयी थी उसमें से कुछ बातें चुनकर, किसी वक्तव्य से एक वाक्य चुनकर और फिर इसे उद्धृत कर रहे हैं। इससे देश को समुचित सुरक्षा उपलब्ध कराए जाने में वास्तव में कोई मदद नहीं होगी। कम से कम उनसे मैं यह अपेक्षा नहीं करता हूं।

**श्री कपिल सिब्बल** : यह वोट बैंक की नीति के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है।

**श्री लाल कृष्ण आडवाणी** : मैं आश्चर्यचकित रह गया जब मैंने प्रेस में आपका वक्तव्य पढ़ा। मैंने कभी भी इस तरह का भाषण नहीं दिया होगा क्योंकि यदि सरकार को जानकारी है *...(व्यवधान)*

**श्री शिवराज वि. पाटील** : आप न केवल मेरे भाषण का संदर्भ दे रहे हैं, बल्कि देश के सर्वोच्च पुलिस अधिकारी द्वारा दिए गए भाषण का भी संदर्भ दे रहे हैं और बड़े ही चयनात्मक तरीके से पूरे वाक्य की जगह एक–एक शब्द चुन रहे हैं और आप उस पर टिप्पणी कर रहे हैं। आपके गृह मंत्री बनने से पहले तक इस प्रकार के सम्मेलन हमेशा गुप्त रहते थे और आपने प्रेस को इसे कवर करने की अनुमति दी *...(व्यवधान)*

**श्री लाल कृष्ण आडवाणी** : सम्मेलन की चर्चाओं को नहीं, केवल आरंभिक भाषणों, उद्घाटन भाषणों को कवर किया गया और कुछ नहीं। मैंने किसी और भाषण का संदर्भ नहीं दिया। मैंने किसी पुलिस महानिरीक्षक या पुलिस महानिदेशक के भाषण का संदर्भ नहीं दिया है। *...(व्यवधान)*

**श्री शिवराज वि. पाटील** : वे क्या चर्चा करेंगे? आप सभा पटल पर चयनात्मक तरीके से उन्हें उद्धृत कर रहे हैं जहां आकर वे अपना बचाव भी नहीं कर सकते। *...(व्यवधान)*

**श्री लाल कृष्ण आडवाणी** : मैं जानता हूं कि आपके मंत्रालय ने भारत–अमेरिका परमाणु समझौते के संदर्भ में विरोध प्रकट किया है। मैंने यह भी देखा कि *...(व्यवधान)*

**श्री शिवराज वि. पाटील** : मैं पूर्व गृहमंत्री से यह आशा नहीं करता हूं कि वे उस सम्मेलन की चर्चाओं को उद्धृत करें जिससे कि महानिदेशकों ने हिस्सा लिया था *...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : आप सभी वरिष्ठ सदस्य हैं।

*[हिन्दी]*

**श्री लाल कृष्ण आडवाणी** : इनसे गलती हुई है और उसे कवर–अप करने के लिए मुझे दोष दे रहे हैं। *...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**श्री खारवेल स्वाईं** (बालासोर) : इसके बारे इतनी गोपनीयता क्यों बरती जा रही है? *...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : वह बहुत वरिष्ठ और सक्षम नेता हैं। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं।

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय** : श्री आडवाणी जी, आपने 38 मिनट का समय ले लिया है।

**श्री लाल कृष्ण आडवाणी** : महोदय, मैं अब अपनी बात समाप्त करने ही वाला हूं।

*[हिन्दी]*

मैंने बाकी सारे इशूज़ को डील किया है। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि पूरब की ओर से अवैध धुसपैठ के कारण जिस प्रकार का भयानक संकट हमारे लिए दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, अगर हम उसके बारे में सचेत नहीं हुए तो देश का बहुत बड़ा अहित होगा। उसके कई पहलू हैं लेकिन एक महत्वपूर्ण पहलू, जिसका निर्णय पूर्व में हुआ है, वह यह था

*[अनुवाद]*

कि हमारे पास नागरिकों का एक राष्ट्रीय रजिस्टर होना चाहिए। देश के प्रत्येक नागरिक के लिए नागरिक पहचान पत्र रखना अनिवार्य किया जाना चाहिए। इस पहचान-पत्र के बहुउद्देशीय पहचान-पत्र होना चाहिए जो निर्वाचन के उद्देश्य तथा सुरक्षा के उद्देश्यों को भी पूरा कर सकता है।

*[हिन्दी]*

फिर उसके द्वारा हम इसको नियंत्रित करें।

हमारे समय में कानून में आवश्यक संशोधन किए गए। विधान भी बनाए गए। नागरिक अधिनियम में भी संशोधन किया गया। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज़ को इस कार्य में लगाया गया था। इसमें काफी लंबा समय लगा। उन्होंने अपना कार्य पूरा कर लिया, कई वर्ष पूर्व, जब पहचान-पत्र का काम शुरू किया गया था, हमेशा यह ही कहा गया -

*[हिन्दी]*

"सौ करोड़, सवा सौ करोड़ लोगों के देश में यह कैसे होगा, बहुत मुश्किल होगा।"

*[अनुवाद]*

परंतु सूचना प्रौद्योगिकी के विकास के बाद, सभी सहमत हैं कि यह व्यवहार्य है, यह संभव है और यह कुछ समय लेगा परंतु यह कार्य अधूरे मन से नहीं होना चाहिए। मैं सरकार से, गृह मंत्री से जानना चाहूंगा कि पिछले ढ़ाई वर्षों से, जब से यह सरकार सत्ता में आई है, इस संबंध में क्या प्रगति हुई है क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण मामला है।

इससे भी बढ़कर, मैं यह कहूंगा कि बांग्लादेश सरकार के प्रति हमारा दृष्टिकोण भी सतर्कता पूर्ण और सावधानीपूर्ण होना चाहिए। पाकिस्तान के बारे में हमने हमेशा विशेष ध्यान रखा है। इसी प्रकार, यदि वहां पर कोई ट्रेनिंग कैंप हैं - शायद आई एस आई भी वहां पर रुचि ले रहा हो - बंगलादेश के साथ बातचीत करते समय हमें हमेशा उन्हें इस ओर ध्यान दिलाना चाहिए कि उनके यहां क्या हो रहा है।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जनवरी, 2004 के संयुक्त वक्तव्य द्वारा जो महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की गयी उनमें से एक यह भी कि आपसी सहमति बनी कि वर्षों से पाकिस्तान ने अपने हिस्से में आतंकवाद का जो ढांचा विकसित किया है उसे नष्ट कर दिया जाएगा। जहां तक मुझे जानकारी है, इस ढांचे को नष्ट नहीं किया गया है। इसलिए किसी एक या दो आतंकवादी घटनाओं के आधार पर पाकिस्तान से हमारे संबंधों को आंकने की बजाए हमें अपने संबंध को इस आधार पर आंकना चाहिए कि क्या वे उस ढांचे को नष्ट करने के लिए तैयार हैं जो उन्होंने वहां पर बनाया है। यह मेरा निवेदन है।

**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

"कि अब सदन की बैठक स्थगित की जाए।"

**अपराह्न 3.00 बजे**

**संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी)** : अध्यक्ष महोदय, सरकार की ओर से मैं नेता प्रतिपक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए स्थगन प्रस्ताव का जोरदार विरोध करता हूं।

मैं कई बार से आडवाणी जी को सुनता आ रहा हूं। मैं सोचता हूं कि आज हम सभी उनसे कुछ नया कुछ अच्छा सुनने की आशा करते हैं। ताकि सरकार को इस बात की जानकारी होती रहे कि कोई त्रुटि तो नहीं रह गई है। परंतु हम पूर्णतः निराश और हताश हैं कि उन्होंने कुछ भी नया नहीं कहा है। हर बार, जब आडवाणी जी बोलने के लिए खड़े होते हैं, वे अपने आप पर विश्वास की कमी के संकट से ग्रस्त हो जाते हैं। यह उनके दल की आंतरिक स्थिति का प्रतिबिम्ब हो सकता है; मैं उस पर टिप्पणी नहीं करने जा रहा हूं।

प्रत्येक सत्र में, मैं महसूस करता हूं कि *...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : उन्होंने आपके नेता को शांतिपूर्वक सुना। कृपया आप उन्हें सुनें।

*...(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**अध्यक्ष महोदय** : हाउस ऐसे नहीं चलता है।

*...(व्यवधान)*

**श्री हरिन पाठक** (अहमदाबाद) : अध्यक्ष महोदय, इनकी पार्टी का नाम लेंगे, तो पता चलेगा। *...(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**श्री प्रियरंजन दासमुंशी** : जब आपको बोलने का मौका मिलेगा तब आप बोलिये। ...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : श्री दासमुंशी के भाषण के अलावा और किसी की बात को कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। मेरी अनुमति के बिना कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

**श्री प्रियरंजन दासमुंशी** : अध्यक्ष महोदय, सभा के अभिरक्षक के रूप में आपके पास सभा के सभी रिकॉर्ड उपलब्ध हैं। पिछली बार, जब राष्ट्रीय जनजांत्रिक गठबंधन सत्ता में थी, एक स्थगन प्रस्ताव के लिए भी हमें लगातार चिल्लाना पड़ता था पर हमारी बात नहीं सुनी जाती थी। आपकी बुद्धिमत्ता, आपकी समझ और प्रमुख वाद–विवादों में सदन के सभी पक्षों को सम्मिलित करने की नयी प्रवृत्ति के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं महसूस करता हूं कि लगभग हर पक्ष में एक स्थगन प्रस्ताव होना चाहिए। मेरा प्रश्न यह है कि क्यों उसी मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव लाया जाना चाहिए।

मुद्दा आंतरिक सुरक्षा पर चर्चा से संबंधित था। भाजपा के सदस्यों ने पहले नियम 193 के अधीन एक सूचना दी और फिर अचानक सभी परम्पराओं को ताक पर रखकर इसे उन्होंने स्थगन प्रस्ताव में बदल दिया। मैं मीडिया में मेरे शुभचिंतक कहते हैं और वे बिल्कुल ठीक कहते हैं कि चूंकि हरेक बार यह साबित करना होता है कि आडवाणी जी भाजपा दल के नेता हैं और स्थगन प्रस्ताव के बिना यह साबित नहीं किया जा सकता है। यदि यह नियम 193 के अधीन चर्चा है तो दूसरे सदस्य भी बोलेंगे, पर यदि यह स्थगन–प्रस्ताव है तो नेता इस पर बोलेंगे। अतएव, आडवाणी जी, यदि आपने अपने विश्वास के संकट को दूर करने के लिए, अपने लिए लाया है तो फिर मुझे इस पर कुछ नहीं कहना है।

परंतु, महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि आडवाणी जी ने पूरे वाद–विवाद को केवल पुलिस सम्मेलन तक ही सीमित रखा। यह सरकार के खिलाफ नहीं था, यह देश में जो चल रहा है, उसके खिलाफ नहीं था। वे डी जी पी सम्मेलन के बारे में बहुत परेशान थे। यदि आप सावधानीपूर्वक देखें, उनका आधा भाषण इस बात पर केन्द्रित था कि सम्मेलन के दौरान डी जी पी ने क्या कहा और डी जी पी ने क्या नहीं कहा। यह उनका मुख्य मुद्दा था। ...*(व्यवधान)* मैं 'डी जी पी' कह रहा हूं। 'बी जे पी' नहीं।

महोदय, आडवाणी जी न केवल अपने देश के प्रतिष्ठित गृह मंत्री रहे हैं बल्कि देश के उन बड़े नेताओं में से एक हैं जो गृह मंत्रालय का अर्थ समझते हैं, जो पुलिस सम्मेलन का अर्थ समझते हैं जहां हरेक को अपनी आशंकाओं को व्यक्त करने के लिए कहा जाता है। अंत में, राजनीतिक स्तर पर मंत्री इस बात का आकलन करते हैं कि हम किस तरह का दृष्टिकोण अपनाएंगे। जब एक पुलिस महानिरीक्षक या पुलिस महानिदेशक बोलते हैं तो वे इस विश्वास के साथ बोलते हैं कि उनका दृष्टिकोण प्रशासनिक दृष्टिकोण माना जाएगा। यह सरकार के दृष्टिकोण नहीं है। सरकार के दृष्टिकोण के बारे में निर्णय नीतिगत फैसलों से लिया गया है। आडवाणी जी ने ऐसी बैठकें की होंगी। मैं यह मांग नहीं कर रहा कि उन बैठकों के कार्यवाही–सारांश सभा–पटल पर रखे जाएं। यह प्रशासन के लिए बहुत नुकसानदेह होगा। मैं अपने गृह मंत्री को भी इस बात के लिए प्रेरित या प्रोत्साहित नहीं करूंगा कि वे ऐसा करे। मुझे विश्वास है कि वे केवल कुछ दलों की मांग पर पुलिस सम्मेलन की हरेक कार्यवाही को सभा पटल पर नहीं रखेंगे; यह समुचित नहीं है। सूचना के अधिकार के अंतर्गत इसकी मांग की जा सकती है पर यह उचित नहीं है।

महोदय, मैं मुख्य मुद्दे पर वापस आता हूं। यदि हम आडवाणी जी के प्रस्ताव को ध्यानपूर्वक पढ़ें तो यह 'आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने में विशेषकर, देश में आतंकवादी खतरे में चिंताजनक वृद्धि का मुकाबला करने में सरकार की विफलता' है। आडवाणी जी ने बहुत ही कुशलतापूर्वक उस दस्तावेज का संदर्भ देना टाल दिया जो गृह मंत्रालय द्वारा सार्वजनिक की गयी थी। मैंने देखा कि उन्होंने इस दस्तावेज को लिया। परंतु उन्होंने इससे बचने की कोशिश की। इसके एक भी पृष्ठ का संदर्भ नहीं दिया। उन्होंने अपना पूरा समय डी जी पी के वक्तव्य और मीडिया के वक्तव्य को दिया न कि सरकार के आधिकारिक वक्तव्य को कि अंदरूनी बात क्या है। यदि वह अंदरूनी दस्तावेज को पढ़ते जो जम्मू और कश्मीर से लेकर सभी राज्यों के बारे मे है; उससे पर्याप्त रूप से यह साबित हो जाता है कि संप्रग सरकार ने इस मामले को पर्याप्त रूप से नियंत्रित किया है, आडवाणी जी की 'पोटा' से अधिक।

संभवतः यही कारण है कि उन्होंने इस दस्तावेज से बचना चाहा। मैं आंकड़ों में नहीं जा रहा। मैं इस बात को भी महिमामंडित नहीं कर रहा कि श्री आडवाणी के समय में एक हजार निर्दोष लोग मारे गए थे और श्री शिवराज पाटील के समय में केवल 500 मारे गए। यही कारण है कि वहां पर एक बड़ा धमाका किया गया। नहीं मैं यह नहीं कह रहा हूं। मैं केवल उस परिप्रेक्ष्य के बारे में कह रहा हूं जो उन्होंने देश में सुरक्षा के परिदृश्य के संबंध में आरंभ किया है।

हां, यह कौन नहीं जानता कि भारत आतंकवादी गतिविधियों का लक्ष्य है? कौन नहीं जानता कि भारत का विचय और इसकी समृद्धि को चोट पहुंचाना इनका लक्ष्य है? कौन नहीं जानता कि भारत के खिलाफ सबसे बड़ा खतरा देश के धर्मनिरपेक्ष ताने बाने को नष्ट करना है? उन्हें

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

हमारी तारीफ करनी चाहिए कि देश में हर प्रकार की आतंकवादी कार्रवाई के प्रमाण के बावजूद, अति गंभीर उकसावे के बावजूद, यदि कोई उपलब्धि हमने हासिल की है – मैं अपने बारे में नहीं कह रहा हूं – कि देश धर्मनिरपेक्ष तरीके से सामाजिक और राजनीतिक रूप से एक हुआ है। एक बार भी ऐसा नहीं हुआ।

उन्होंने अपना स्थान क्यों बदला? आडवाणी जी, आप बेहतर जानते हैं। क्यों वे जम्मू–कश्मीर छोड़कर अयोध्या मंदिर आ गए? क्यों वे बनारस में संकट मोचन मंदिर तक पहुंच गए? क्यों वे बंगलौर इंस्टीट्यूट ऑफ साईंस के कान्फ्रेंस तक पहुंच गए? क्यों उन्होंने अपना रुख बड़े स्थापनाओं की ओर कर लिया जहां औद्योगिक विकास और वैज्ञानिक क्षमताएं हैं? क्यों? ऐसा इसलिए है कि उनका लक्ष्य विश्व के लोगों को भारत में आने से और यहां निवेश करने से रोकने के लिए आतंक फैलाना है। चूंकि प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था है अतः वे चाहते हैं कि देश को धर्म के आधार पर बांटने का प्रयास करें।

मैं मीडिया का आभारी हूं। मीडिया सरकार की हर तरह से समालोचना कर सकता है। मीडिया विपक्ष की हर तरह से समालोचना कर सकती है। परतु जब कभी भी कोई आतंकी हमला हुआ है चाहे वह मुम्बई धमाके अथवा मालेगांव या बनारस में हुए हमले में कोई भी स्थति हो मीडिया ने ही व्यापक रूप से व्यवस्था बनाए रखने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई ताकि समाज का बंटवारा न हो। इस राष्ट्र की यह सबसे बड़ी बात है और इस देश की एकता के बारे में भी बहुत बड़ी बात है।

मैं वापिस मुख्य मुद्दे पर आना चाहूंगा। इस दस्तावेज में काफी समय लग जाएगा। मैं उसे उद्धृत नहीं करूंगा। आडवाणी जी ने कारगिल से बात शुरू की थी। जब एनडीए सत्ता में था हमें इस सदन में कारगिल पर एक दिन भी चर्चा नहीं करने दी गई। कारगिल समीक्षा समिति ने प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखे जाने के बावजूद हमें अल्पावधि चर्चा के लिए एक दिन भी चर्चा नहीं करने दी गई। आपको याद होगा कि कारगिल समीक्षा समिति की रिपोर्ट जांच आयोग अधिनियम के अंतर्गत नहीं थी। सरकार में उस समय जांच आयोग अधिनियम के अंतर्गत जांच आयोग की नियुक्ति करने का साहस नहीं था। यह केवल एक साधारण समीक्षा समिति थी। सरकार ने समीक्षा समिति की रिपोर्ट पर चर्चा की अनुमति नहीं दी और सारी बात उसी से उत्पन्न होती है।

हम जानते हैं कि तत्कालीन सरकार ने फ्रंट में किस प्रकार एक के बाद एक खामी होने दी। आतंकियों को आने दिया, जमने दिया और घाटी के एक हिस्से परा काबिज होने दिया और रातों रात एक के बाद एक पंडित को वहां से स्थानांतरित होने दिया। कश्मीरी पंडितों ने अपने घर छोड़ने शुरू कर दिये। उन्होंने दिल्ली आना शुरू कर दिया। इसी पृष्ठभूमि में उन्होंने महसूस किया कि प्रधानमंत्री की एक लाहौर यात्रा से सब कुछ ठीक हो जाएगा। लाहौर यात्रा के बाद उसके परिणाम क्या रहे मैं नहीं कहना चाहता?

अब उन्होंने कारगिल मामले को किस प्रकार लिया? कारगिल समीक्षा समिति ने कहा कि ऐसा सरकार ने खुफिया तंत्र की असफलता से हुआ और सरकार के पास पर्याप्त जानकारी होने के बावजूद सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसी कारण से कारगिल युद्ध हुआ। यह हमारी रिपोर्ट नहीं थी। यह आपकी रिपोर्ट थी। कितने आराम से उन्होंने प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया? मैं इसे सिर्फ पढ़ूंगा। कारगिल रिपोर्ट में कहा गया कि देश के जवानों को समय पर सुसज्जित न होने अपनी जान गंवानी पड़ी और खुफिया बैकअप पर सरकार की प्रतिक्रिया के अभाव में देश को तबाही का सामना करना पड़ा।

उसके बाद, हर्षपूर्वक उन्होंने देश भर में कारगिल युद्ध जीतने की बात का अभियान चलाया। तब मैंने 'कॉल ऑफ ओनर' से उद्धृत किया। यह सरकार कारगिल से निपटते हुए इतनी हर्षित कैसे महसूस कर रही थी? यह प्रमाणपत्र उन्हें किसने दिया। कारगिल समीक्षा समिति ने सरकार के विरुद्ध प्रमाणपत्र दिया। क्या आपको मालूम है कि उन्हें किस प्रकार के शानदार प्रमाणपत्र प्राप्त हुए?

मैं पृष्ठ संख्या 229 से उद्धृत करता हूं:–

"4 जनवरी, 2002 को स्ट्रोब टालबोट ने मुझे एक पत्र लिखा जिसमें उसने गंभीरतापूर्वक अपने विचार व्यक्त किए थे। कारगिल संकट के दौरान भारत अत्यधिक भड़काने वाली कार्रवाई के बावजूद अपनी नैतिकता से अडिग नहीं हुआ और जवाबी कार्रवाई करके बदला न लेने की चाह का दमन किया और ऐसा न करने पर भारत को अभूतपूर्व अंतर्राष्ट्रीय सहयोग न मिल पाता। यही नहीं 27 जुलाई, 2000 को बैंकाक एशियन क्षेत्रीय फोरम मीट के दौरान मैं मेडेलिन अलब्राईट से पुनः मिला। 1998 से अलग इस बार उसने मेरा अभिवादन गर्मजोशी से किया और गले मिलकर मेरे गालों को चूमा। वह बड़ी शालीन और प्रशंसनीय थी। "जसवंत, कारगिल मामले को बड़ी कुशलता से निपटाया। आपने एक भी गलत कदम नहीं उठाया।"

वह आपकी बपौती थी। जो आपने महसूस किया वह आपकी अपनी सोच है। क्या देश के लोगों ने आपको धन्यवाद दिया? क्या आपके प्रतिवेदन में आपको धन्यवाद दिया गया है? यदि कोई आपके गले मिलता है और चुंबन लेता है तो आपने सही वक्त पर सही कार्रवाई की। यही है आपका प्रमाणपत्र। हमारे पास यह प्रमाणपत्र नहीं है। हमारे पास जनता का प्रमाणपत्र है। आपने देखा हमने इस मामले पर किस प्रकार से कार्रवाई की।

मैं नहीं जानता कि आडवाणी जी हर बार अपने भाषण में कुछ शब्द तेज आवाज में बोलते हैं। यह आर एस एस की व्याख्या है – मैं लेख पढ़ रहा था कि बुद्धिमान व्यक्तियों द्वारा बोले जाने वाला संदेश उपयुक्त,

[श्री प्रियरंजन दासमुंशी]

शांत और गूढ़ होना चाहिए। नरसंहार पर पिछले स्थगन प्रस्ताव के दौरान श्री आडवाणी ने यह कहना प्रारंभ किया कि डोडा एक धार्मिक संहार है। आप याद करें। मैं उद्धृत नहीं कर सकता। यहां मेरे पास है।

तब संसद का सत्र प्रारंभ होने से पहले अपनी संकल्प यात्रा में असली काम गरीब लोगों के लिए संकल्प नहीं, गरीबी से प्रभावित कृषकों के लिए नहीं थी अपितु संकल्प यात्रा का मुख्य नारा था संकल्प था – 'अफजल को फांसी दो।' ...*(व्यवधान)* उसकी फांसी किसने रोकी? श्री आडवाणी जी एक सबसे अधिक जिम्मेदार नेता हैं। वह जानते हैं कि यह सजा उच्चतम न्यायालय द्वारा सुनाई गई है जहां सरकार अपील नहीं कर सकती है। वे जानते हैं कि संविधान ने नागरिक के परिवार को क्षमा की प्रार्थना करने का अधिकार दिया है और इस प्रार्थना का निपटारा भारत के राष्ट्रपति के डेस्क पर किया जाता है और इस पर यहां इस सदन में चर्चा की जा सकती है और न ही इस बारे में प्रश्न उठाया जा सकता है। परंतु उन्होंने बताया कि डोडा एक धार्मिक संहार है, यह मेरी नजरों में नहीं आया और इससे हुए नुकसान की भरपाई नहीं हो सकती जो कि मैंने पाकिस्तान जाकर जिन्नाह से बात करके किया है। अतएव अब मैं एक संकल्प ले रहा हूं कि अफजल को फांसी दी जाए। यदि मैंने ज्यादा शोर किया है और यदि 'अफजल को फांसी दो' का नारा पर्याप्त नहीं है, तब संभवतः एक दूसरी तरह का बंटवारा होगा। सुरक्षा परिदृश्य में यह इस देश की संकट की स्थिति है। हमारे यूपीए दृष्टिकोण को समझना चाहिए जिसमें हम व्यक्तियों को पहले अपने विश्वास में लेते हैं चाहे वे किसी भी धर्म के क्यों न हो क्योंकि किसी भी व्यवस्था में व्यक्ति, हथियारों और कानून की अपेक्षा बेहतर रक्षा कर पाते हैं। हमारी ऐसी सोच है। हमारा उद्देश्य आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के नाम पर देश में समाज का बंटवारा करना नहीं है। उन्होंने ठीक ही कहा था कि इस देश में समाज का बंटवारा करके इस प्रजातंत्र में कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। एक कानून से किस प्रकार सहायता मिलेगी?

श्री आडवाणी जी क्या आप बता सकते हैं और सदन को विश्वास दिला सकते हैं? आप उपप्रधानमंत्री थे। अध्यादेश के रूप में पोटा प्रभावी था। क्या आप आत्मघाती दस्ते द्वारा संसद पर हुए हमले को रोक पाए? ...*(व्यवधान)* हां उस समय अध्यादेश के रूप में पोटा प्रभावी था। मैं कहना हूं कि उस समय पोटा अधिनियम की तरह नहीं अपितु अध्यादेश के रूप में विद्यमान था। उस समय जब यह अध्यादेश के रूप में था हमारी संसद को निशाना बनाया गया और जब यह अधिनियम बना उस समय रघुनाथ मंदिर को निशाना बनाया गया। ...*(व्यवधान)*

**श्री लाल कृष्ण आडवाणी** : मैं जानता हूं कि ...*(व्यवधान)*

**श्री प्रियरंजन दासमुंशी** : जब यह अधिनियम था; अक्षरधाम मंदिर पर हमला किया गया था ...*(व्यवधान)*

**श्री लाल कृष्ण आडवाणी** : यह हत्याओं पर अंकुश लगाने के लिए नहीं है।

**श्री प्रिय रंजन दासमुंशी** : मैं वह नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि आपने स्वयं पोटा का उपयोग किया और अध्यादेश तथा अधिनियम दोनों रूप में इसका उपयोग करके क्या आप इस देश में आतंकवादियों को आगे बढ़ने से रोक सके? हर बार आपको यही कहना पड़ा कि 'मैं अपनी प्रणाली को मजबूत बना रहा हूं'। और अब आप सरकार को बता रहे हो कि – 'आप केवल कानून बदल लें तो सारी समस्याएं हल हो जाएंगी'।

मैं जानता हूं कि गुजरात में पोटा के नाम पर क्या हुआ। मैं जानता हूं। पोटा का एकमात्र उद्देश्य पूरे विश्व को केवल यही दर्शाना था कि इस देश में एक समुदाय विशेष या एक धर्म विशेष ही यह सब कर रहा है और उन्हें कानून के अंतर्गत बंदी बनाया जाना चाहिए ताकि दूसरी और बंटवारा हो सके। सरकार की ऐसी मंशा कभी नहीं थी वरना ... *(व्यवधान)*

**श्री उदय सिंह** (पूर्णिया) : यह आपके साथ ही प्रारंभ हुआ है। . ..*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : श्री उदय सिंह, आप ऐसा न करें।

**श्री प्रियरंजन दासमुंशी** : नहीं, ऐसा नहीं है ...*(व्यवधान)* मैं आपको बता दूं। आप पोटा की बात कर रहे हैं।

**अध्यक्ष महोदय** : आप क्या कर रहे हैं? आप सदन में इस तरह से व्यवहार नहीं कर सकते।

...*(व्यवधान)*

**श्री प्रियरंजन दासमुंशी** : महोदय, यह सही नहीं है ...*(व्यवधान)* श्री आडवाणी जी ने विश्व के कई देशों के उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। मुझे उनके ज्ञान के बारे में कुछ नहीं कहना है। यूएसए; यूएसए है; जर्मनी, जर्मनी है परन्तु भारत, भारत ही है। हमें अपने देश की समस्याओं का निराकरण अपनी स्थितियों के अनुरूप ही करना चाहिए। हमें अपने देश की समस्याओं को इस प्रकार सुलझाना होगा कि पूरे समाज को साथ रखा जाए। और हमें अपने देश के कार्यों को संविधान के अनुसार करना चाहिए। हमें अपने देश को अन्य राष्ट्रों के अनुसार नहीं चलाना चाहिए। हमारी प्रणाली उनसे बिल्कुल भिन्न है। हमारा समाज में अनेकतावाद है और हमें यह स्वीकार्य नहीं कि किसी भी क्षेत्र में तनाव या संशय की स्थिति हो। इसलिए, मैं यह नहीं कहता कि कोई कानून न बनाया जाए। हां, इसके लिए कानून है और हम स्थिति से निबट रहे हैं।

मैं आपको बताना चाहूंगा कि चाहे भाजपा और आडवाणी जी कितना ही उत्तेजित क्यों न हो हमारी सरकार विद्यमान कानून के

अनुसार इससे निपटने में सक्षम हैं। मैं यह बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि स्थिति से निबटने के लिए पोटा लागू किया जाएगा। आपने कानून के साथ प्रयोग किए और आप असफल रहे। श्री वाजपेयी ने कहा कि : "मैं जानता हूं कि संसद पर हमला हो सकता है।" तब भी आप इससे निपट नहीं सके। अतः देश का यह परिदृश्य अचानक से तभी उत्पन्न नहीं हुआ जब यूपीए सरकार सत्ता में आई। यूपीए आप के ही बोझे को ढो रही है।

यू पी ए के पास एक त्रिस्तरीय प्रस्ताव है। सबसे पहले लोगों को उनके धर्म और समुदाय को ध्यान में न रखकर विश्वास में लिया जाए। दूसरा, उनमें इतना विश्वास भर दिया जाए कि वे यह समझने लगें कि आतंकवाद से लड़ना केवल पुलिस और सेना का ही नहीं अपितु प्रत्येक वर्ग और समुदाय का कार्य है। मैंने देखा है कि जब मुंबई ब्लास्ट हुआ तब किसी भी राजनैतिक दल के कुछ कहने से पहले ही बम्बई के मुस्लिम समुदाय के धार्मिक नेता ने इसकी कड़ी निंदा की और स्पष्ट शब्दों में इसकी भर्तस्ना करते हुए कहा कि यह सहन नहीं किया जाना चाहिए। देश को एकजुट बनाए रखने के लिए ऐसा किए जाने की आवश्यकता है। कानून और न्यायपालिका केवल इसके बाद आते हैं। लेकिन आपको शुरुआत से ही लगता है कि हां उसके पीछे कोई है। यह किसी की आशंका पुलिस अधिकारी की निगाह हो सकती है लेकिन यह आशंका किसी राजनैतिक दल की ओर इंगित नहीं होनी चाहिए ..*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : इसे कार्यवाही वृत्तांत में शामिल न किया जाए।

*...(व्यवधान)**

**श्री प्रियरंजन दासमुंशी** : महोदय, मैं जानता हूं कि पंजाब में चुनाव हों और वहां पर गड़बड़ होनी ही है ...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए। यह आपके बोलने का समय नहीं है।

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : मैं आपको बाद में बुलाऊंगा। कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया गया है।

**श्री प्रियरंजन दासमुंशी** : महोदय, मैं श्री आडवाणी का प्रसिद्ध उद्धरण दोहराना चाहता हूं। यह श्री आडवाणी का इतना प्रसिद्ध उद्धरण है कि मैं जब भी चर्चा में भाग लेता हूं मैं इसका उल्लेख करने की ललक को रोक नहीं पाता। जब श्री आडवाणी सरकार में थे, उन्होंने संसद में अपने उत्तर में कहा था।

"इस प्रश्न का संतोषजनक उत्तर केवल यही है कि पाकिस्तान स्वयं असमर्थनीय द्वि–राष्ट्र के आधार पर बना है, और लोकतंत्र की सारहनीय परंपरा वाला ऐसा धर्मतंत्रीय राज्य है जो धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, स्वाभिमानी और निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर भारत की वास्तविकता के साथ सामंजस्य स्थापित करने में सक्षम नहीं है।"

श्री आडवाणी ने स्वयं सदन में ऐसा कहा है। लेकिन श्री आडवाणी स्वयं भी असमंजस में हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। पाकिस्तान जाने पर उन्हें सिद्धांत के प्रणेता जिन्ना का गुणगान करना चाहिए और भारत वापस लौटने पर विपक्ष को इस बात का विश्वास दिलाने का प्रयास करना चाहिए कि यह केवल मेरे लिए या फिर अन्य किसी प्रस्ताव हेतु है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि द्वि–राष्ट्रीय सिद्धांत केवल जिन्ना द्वारा नहीं बनाया गया था। श्री आडवाणी, आपको स्वयं भी यह जानने का प्रयास किया कि इस देश में ऐसा किसने किया। आप मुझसे बहुत वरिष्ठ हैं। अंत में, ऐसा नहीं हुआ और महात्मा गांधी को मार दिया गया अथवा उनकी हत्या हो गई।

आज, यदि आप इन सभी मामलों पर हमें भाषण देना चाहें तो इसका कुछ हल नहीं निकलेगा। द्वि–राष्ट्र सिद्धांत समाप्त हो चुका है और वह स्थिति भी निकल चुकी है। लेकिन यदि कोई भारत समाज को भड़काने की और विश्व को दो हिस्सों में बांटने की कोशिश करता है तो हमारी सरकार यह बर्दाश्त नहीं करेगी। हम यह स्पष्ट कर देते हैं अतः, हम धर्मनिरपेक्ष भारत के लिए अपनी पूरी ताकत से लोगों और सरकार के साथ मिलकर संविधान की मूल भावना को अक्षुण्ण रखते हुए आतंकवाद से लड़ेंगे। ऐसा नहीं है। नक्सलवाद के दौरान रोज प्रेसीडेंसी कालेज से एक विद्यार्थी नेता बम लेकर आता था और सड़कों पर धमाका करता था। उन घटनाओं में जब एक पुलिस कांस्टेबल और वाइस–चांसलर की मौत हो गई तो हमने कभी–कभी नहीं कहा कि वह चकवर्ती था या बन्धोपाध्याय था या हिन्दु था और इसलिए हिन्दु समुदाय उसका समर्थन कर रहा था। आज जब एक मुसलमान व्यक्ति बम के साथ पकड़ा जाता है तो आप कहते हैं कि वह लश्कर–ए–तोएबा का था अथवा वह फलां–फलां हैं। हां, वे हैं। लेकिन आप इसके लिए अचानक से अभियान शुरू नहीं कर सकते क्योंकि वोट बैंक की राजनीति के कारण सरकार 'क' अथवा सरकार 'ख' तुष्टीकरण से लगी है। नहीं, यह एक निन्दनीय अभियान है। आडवाणी जी मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस प्रकार को निन्दनीय अभियान से किसी भी तरह से हमारी आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने में कोई मदद नहीं मिल रही है। इस प्रकार के निन्दनीय अभियान से समुदाय के दिमाग में आशंकाएं उत्पन्न हो रही हैं।

जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, मैंने सदन में गुजरात का संदर्भ दिया था। हरिन पांडा और उन सभी बातों को उन्होंने यहां पर नहीं कहा लेकिन अहमदाबाद में हरिन पाठक के बारे में बात कर सकते हैं। क्या हुआ? शबाना आजमी और मैं वहां गए। एक मुस्लिम फकीर ने कहा,

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री प्रियरंजन दासमुंशी]

"मुझे आपसे और राष्ट्रपति जी से कुछ नहीं कहना है। आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूं कि हमें जीने दें और हमारा मताधिकार वापस ले लें।" भारतीय लोकतंत्र के लिए इससे अधिक शर्मनाक क्या हो सकता है। क्या आपने नारे सुने हैं? उस समय आप उप–प्रधानमंत्री थे। क्या आपने वहां जाकर उन्हें सांत्वना दी थी? नहीं, आपने ऐसा नहीं किया।

देश में आतंकवाद का खतरा है लेकिन सरकार अकेले इससे नहीं लड़ सकती। सरकार इस खतरे से लोगों को विश्वास में लेकर ही लड़ सकती है। हम धीरे–धीरे उस दिशा में बढ़ रहे हैं। जब सोनिया जी बनारस में मंदिर में गईं, मंदिर के मुख्य पुजारी ने कहा कि, "मुझे इस बात की खुशी है कि बनारस की घटना की हिन्दु और मुसलमान समान रूप से निंदा कर रहे हैं।" जब बिस्मिल्ला खान साहिब जीवित थे, उन्होंने भी कहा :

*[हिन्दी]*

"बनारस में हिन्दु और मुसलमान को अलग करने की हिम्मत किसी में नहीं है।

*[अनुवाद]*

ये लोग भारत की वास्तविक ताकत हैं जिनसे आतंकवाद से लड़ने में सहायता मिलती है। इस प्रकार के संदेशों से हम आतंकवाद से लड़ सकते हैं। पोटा जैसे कानूनों से आतंकवाद से नहीं लड़ा जा सकता।

*[हिन्दी]*

आप बोलते रहिए। हमारी भावना यही है। ...*(व्यवधान)* यूपीए की भावना अलग है और आपकी भावना अलग है। आप ऐसा माहौल पैदा करते हैं कि भगवान राम से लेकर पूरे हिन्दू समाज के आप ही ठेकेदार हैं, हमारे जन्मदिन में हमारी ममी ने हम को तिलक नहीं लगाया, हमारी शादी में मंत्र नहीं पढ़ा। क्या सब पढ़ाई आपने ही की है? ऐसा नहीं है। हमारे पिताजी की शादी में मंत्र पढ़ा गया और हमने भी मुंडन करवाया। क्या सब कुछ आप लोग ही करते हैं? ऐसा मत सोचिए। यह सोच कर चलिए कि देश में हिन्दू की शादी में भी बिसमिल्ला खां की शहनाई की सबसे अधिक डिमांड है और यह मान कर चलिए कि देश में बारात जाते समय वाजिद अली शाह का कुर्ता जिस पर लखनऊ के चिकन का काम होता है, पहनने में आपकी भी शान है और हमारी भी शान है। यह इंडिया का कल्चर है और इसमें सब कुछ है।

*[अनुवाद]*

महोदय, मैं अफजल के मामले पर वापस आता हूं। अफजल, जिसे फांसी दी जानी है, के लिए पहले दिन से ही अभियान शुरू हो गया। ऐसा कहा गया कि सरकार उसे फांसी देने की अनुमति नहीं दे रही। दोनों तरफ से ही प्रतिष्ठित वकील हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या फांसी का आदेश संसद द्वारा दिया जाता है अथवा सरकार द्वारा दिया जाता है? हां, आडवाणी जी यह कह सकते थे कि संसद पर हमला गंभीर मामला था और इसलिए उसे फांसी दी जाए। इसमें देरी क्यों हो रही है? कई अवसरों पर आप ज्ञापन देने के लिए राष्ट्रपति भवन जाते हैं। आप एक दिन जाकर यह क्यों नहीं पूछते कि कितना समय और चाहिए।

राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री थे।

*[हिन्दी]*

**श्री लाल मुनी चौबे** (बक्सर) : जब शाहबानो का मामला आया था ...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : यह शोभा नहीं देता।

...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा।

**श्री प्रियरंजन दासमुंशी** : राजीव गांधी की हत्या के बाद जब मामला समाप्त हुआ तो षडयंत्र में शामिल लोगों को मृत्युदंड दिया गया। क्षमायाचिका सहित सभी कागज और अन्य सभी चीजें गृह मंत्रालय के डेस्क पर मई 2004 में आई, जब आप गृहमंत्री और उपप्रधानमंत्री थे। दुर्भाग्यवश, आडवाणी जी, अफजल आपके दिमाग पर विशेष रूप से छाया हुआ है लेकिन चुनाव के बाद जब आपने कार्यालय छोड़ा तो आप यह भूल गए कि देश के प्रधानमंत्री मारे गए हैं और संबंधित मामला भी राष्ट्रपति भवन भेजा जाना चाहिए। आपने अपने कार्यकाल के दौरान इसे ठंडे बस्ते में डाले रखा। देखिए अब कौन कह रहा है। इसीलिए मैंने कहा आडवाणी जी आपने कुशाग्रता से यह संदेश दिया कि यदि आप अफजल को फांसी दिए जाने की बात कहते हैं तो आप एक वर्ग विशेष को अपराधी मानते हैं। लेकिन आप राजीव गांधी के हत्यारों के बारे में कुछ नहीं कहेंगे जिनसे संबंधित दस्तावेज आपके पास थे और आप अपने समस्त कार्यकाल के दौरान उन्हें राष्ट्रपति भवन भेजना ही भूल गए। हमने सभा में यह मांग नहीं की.

*[हिन्दी]*

आडवाणी जी, जवाब दो कि फांसी कब होगी? हमने नहीं कहा और हमने सोचा कि आप कर्तव्यपरायण हैं और कर्तव्य के अनुसार आप यह कर्तव्य भी निभाएंगे। लेकिन आपने नहीं निभाया और इसके बारे में कुछ नहीं कहा। लेकिन आपने पहले दिन से संकल्प शुरू कर दिया कि अफजल को फांसी दो। क्या पार्लियामेंट फांसी दे सकता है?

**श्री सैयद शाहनवाज हुसैन** (भागलपुर) : गुलाम नबी आजाद जी ने कहा है।

**श्री प्रियरंजन दासमुंशी** : यह नहीं बोला है।

*[अनुवाद]*

इस तरह की बातों से आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने में कोई मदद नहीं मिलेगी। इससे देश की आंतरिक सुरक्षा कमजोर होगी।

समस्त सभा और विशेष रूप से विपक्ष के नेता से मेरी अपील है कि आप गृह मंत्री को समुचित सलाह दें। वह आपकी बात सुनेंगे। आप उन्हें बुलाएं और उनसे कहें, "शिवराज जी, मैं आपके साथ चाय पीना चाहता हूं। मैं पहले ऐसा करना भूल गया था। आप अब ऐसा करें। मैंने जो उस समय किया वह गलत था। इसीलिए आप ऐसा न करें। आप ऐसा करें। यह पारस्परिक कार्य है। आप विपक्ष के नेता हैं और आप गृहमंत्री भी थे। हम आपसे सीखने का प्रयास करेंगे। लेकिन आप इस तरह का वक्तव्य और इस तरह की भाषा का प्रयोग न करें जिससे न केवल आंतरिक सुरक्षा कमजोर होगी बल्कि लोगों में भ्रम भी पैदा होगा कि संसद का एक वर्ग अभी भी देश के एक वर्ग पर संदेह करता है। इससे आंतरिक सुरक्षा सुदृढ़ नहीं होगी। जहां तक पुलिस का संबंध है, माननीय गृह मंत्री इसका उत्तर देंगे, इसका उत्तर देने के लिए वह सक्षम हैं।

मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि हम आतंकवाद का मुकाबला सफलतापूर्वक कर रहे हैं। इसी कारण निवेश में कोई कमी नहीं आई है। इसमें निरन्तर वृद्धि होती जा रही है। अब प्रतिष्ठित व्यक्ति भारत आना चाहते हैं। जम्मू और कश्मीर में पर्यटन क्षेत्र में राजग के कार्यकाल की तुलना में पांच गुना तक वृद्धि हुई है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को अब यह भरोसा है कि यदि वह भारत आएं तो चाहे कुछ हो जाए वह अपने देश वापस सकुशल लौट जाएंगे। यह देश के लिए अच्छी बात है। ऐसा देश के लोगों की इच्छाशक्ति के कारण हुआ है।

हम आतंकवादियों से भयभीत नहीं हैं। इसी कारण इतने कम समय में हमने यह सफलता प्राप्त की है। हमने कोई लम्बा–चौड़ा दावा नहीं किया है कि हमने आतंकवाद को खत्म कर दिया है। हम यह दावा भी नहीं कर रहे कि हमने हर आतंकवादी को समाप्त कर दिया है। एक ओर देश की संप्रभुता और अखण्डता को ध्यान में रखते हुए शांति प्रक्रिया जारी है और दूसरी ओर लोगों को विश्वास में लेकर आतंकवादी क्रियाकलापों को रोकने का हरसंभव प्रयास किया जा रहा है।

अतः मैं इस स्थगन प्रस्ताव का विरोध करता हूं जो केवल समाज का ध्रुवीकरण करने का प्रयास है।

**श्री बाजू बन रियान** (त्रिपुरा पूर्व) : महोदय, मैं इस प्रस्ताव का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

हमें इस प्रस्ताव पर नियम 193 के अंतर्गत कल चर्चा करनी थी। आज, हम स्थगन प्रस्ताव के अंतर्गत इस पर चर्चा कर रहे हैं। मुझे इन दोनों प्रस्तावों में कोई अंतर प्रतीत नहीं होता सिवाय इसके कि स्थगन प्रस्ताव की प्रक्रिया के माध्यम से विपक्ष द्वारा सरकार की निन्दा की जा सकती है।

मैंने गृह मंत्रालय द्वारा दिए गए दस्तावेजों को कल देखा है। उन पेपर्स में राजग और संप्रग शासन के दौरान मारे गए आतंकवादियों, मारे गए सुरक्षाकर्मियों, मारे गए चरमपंथियों के आंकड़े दिए गए हैं। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि इसमें कमी आई है।

आतंकवादी गतिविधियों में कमी आई है। हमे इस दस्तावेज पर विश्वास करना होगा। राजग शासन काल की तुलना में संप्रग शासन में आतंकवादी गतिविधियों में कमी आई है। ये सरकार की निंदा करना चाहते हैं लेकिन मुझे नहीं लगता कि पिछले दो या तीन सालों में सुरक्षा की स्थिति बिगड़ी है।

मुझे विश्वास है कि जम्मू और कश्मीर, पूर्वोत्तर, नक्सलवाद से प्रभावित राज्यों में आतंकवाद और ऐसे क्षेत्र जहां साम्प्रदायिक हिंसा हुई है, को चुनौती के रूप में लिया जाना चाहिए क्योंकि यह देश की आंतरिक सुरक्षा और कानून और व्यवस्था के लिए खतरा है। मैं पूर्वोत्तर क्षेत्र से हूं। मैंने अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में दो चरमपंथी समूहों – नेशनल लिबरेशन ऑफ त्रिपुरा और ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्सेस को देखा है। इन दोनों संगठनों को विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 के अंतर्गत 'गैरकानूनी संगठन' घोषित किया गया है। लेकिन वे आज भी सक्रिय हैं। मेरा अनुभव है कि इस सभा के सत्तारूढ़ और प्रतिपक्ष दोनों प्रमुख दल इन चरमपंथी संगठनों का साथ दे रहे हैं। यदि हम त्रिपुरा राज्य के विधानसभा और संसद हेतु पिछले तीन या चार चुनावों पर गौर करें तो पायेंगे कि इन दलों ने केवल चुनावी लाभ के लिए इन चरमपंथी संगठनों के साथ सहयोग किया था। उन्हें इसका उत्तर देना चाहिए।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम अपने देश के लोगों का प्रतिनिधित्व करने के लिए संसद में आए हैं। हम अलग–अलग राजनीतिक दलों के भी प्रतिनिधि हैं। हमें राजनीतिक दलों द्वारा नाम निर्देशित किया गया है। सभी राजनीतिक दलों की अपनी विचारधारा होती है। मुझे लगता है कि यहां के प्रमुख दल देश में आतंकवादी गतिविधियों को समाप्त नहीं करना चाहते। अन्यथा, हमारे देश की स्थिति बेहतर होती। यदि हम अपने देश में तथाकथित पद दलित लोगों, अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों, अल्पसंख्यकों की आर्थिक स्थिति पर गौर करें तो पाएंगे कि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। स्वतंत्रता के 60 वर्षों बाद भी इन क्षेत्रों में रहने वाले लोग अच्छी सड़कों, आर्थिक क्रियाकलापों, आय के स्रोत आदि से वंचित हैं।

यदि आप नक्सलवाद और चरमपंथ में शामिल लोगों को देखें तो पायेंगे कि उनमें से अधिकतर की पहचान अनुसूचित जनजाति अथवा विशिष्ट अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के रूप में की जाती है। लेकिन

[श्री बाजू बन रियान]

उनमें से अधिकतर अनुसूचित जनजाति के हैं। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के कुछ भागों, भाजपा शासित मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कुछ भागों में नक्सलवाद सक्रिय है। यदि हम नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों पर गौर करें तो पायेंगे कि इन क्षेत्रों में कोई आर्थिक क्रियाकलाप नहीं है।

उन क्षेत्रों में कोई सड़क, कोई उद्योग और कोई फैक्टरी नहीं है। वहां बेरोजगारी बढ़ी है। महोदय, इसीलिए आपके माध्यम से मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमें, राजनीतिक दलों को आतंकवाद, आतंकवादी संगठनों, नक्सलवादी संगठनों आदि के विरुद्ध सैद्धांकित रूप से अभियान चलाना चाहिए। अन्यथा केवल पुलिस बल अथवा अर्द्धसैनिक बल अथवा आधुनिक हथियारों आदि से इस समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता। हमें उनसे निपटने के लिए ऐसा करना पड़ सकता है लेकिन आतंकवादी संगठनों अथवा नक्सलवादी संगठनों की मदद कर रहे भ्रमित लोगों को यह समझाना होगा कि हम इस तरह से उन्नति नहीं कर सकते और हमें मिलजुल कर काम करना होगा और अपने देश का विकास करने का प्रयास करना होगा।

हमारे देश में अनेक विकासात्मक क्रियाकलाप चल रहे हैं। राज्यों में केन्द्र प्रायोजित योजनाएं और अन्य योजनाएं आयोजित की जा रही हैं। उनका इष्टतम उपयोग किया जाना चाहिए ताकि देश के समग्र विकास के साथ उस क्षेत्र का भी विकास किया जा सके।

*[हिन्दी]*

**श्री मोहन सिंह** (देवरिया) : अध्यक्ष महोदय, आन्तरिक सुरक्षा पर लगभग हर सदन में जितने भी इधर अधिवेशन हुए, किसी न किसी बहाने इस पर चर्चा होती रही है। आज जब आडवाणी जी अपने कार्य स्थगन प्रस्ताव के समर्थन में भाषण दे रहे थे तो मैं तर्कों की तलाश करता रहा कि ऐसा क्या जल्दी पड़ी थी उनको कार्य स्थगन प्रस्ताव के जरिये इस पर चर्चा कराने की? मोटे तौर पर लगभग उन्हीं बातों को उन्होंने कहा जो पिछले ढाई वर्षों से वह कहते चले आ रहे हैं। केवल एक चीज का उन्होंने खुलासा किया कि जब जनरल परवेज मुशर्रफ वार्ता करने के लिए आगरा आए थे तो उन्होंने अपनी संस्मरण की मोटी किताब लिखी है। वह हिन्दी और अंग्रजी दोनों में है। मैंने हिन्दी का 'अग्निपथ' पढ़ा। उसमें उन्होंने उल्लेख किया है कि वाजपेयी जी और मुशर्रफ साहब भारत पाकिस्तान के रिश्तों को सुधारने के बारे में कुछ बिन्दुओं पर सहमत हो गए थे लेकिन एक व्यक्ति ने दबाव पैदा किया जिसके चलते जो उनका संयुक्त डिक्लेरेशन था, वह बाहर नहीं आ पाया। आज आडवाणी जी ने उसका खुलासा कर दिया कि संभवतः यही वह एक व्यक्ति थे जिनकी ओर मुशर्रफ साहब ने अपनी किताब में इशारा किया है। हम उनके भाषणों से इतना चाहते थे कि आज गृह मंत्रालय ने एक दस्तावेज प्रकाशित किया और उसे सभी माननीय सदस्यों के पढ़ने के लिए प्रसारित भी किया है। मैं चाहता था कि इस दस्तावेज में जो त्रुटियां है, उनके बारे में आडवाणी जी की ओर से कुछ बात आती लेकिन उस संबंध में उन्होंने कुछ नहीं कहा, केवल उसको दिखला दिया और उस पर पटाक्षेप कर दिया लेकिन एक बात इतनी जरूर सही है कि आज इस देश में जितनी दहशत आतंकवाद से आम जनता में या बौद्धिक वर्ग में या समझदार लोगों में नहीं है, उसका एक वातावरण उस दिन बन गया जिस दिन किसी बहाने और किसी रूप में इस देश के पुलिस महानिदेशकों की बैठक में गृह मंत्री जी के हवाले से कही हुई बातों का जिक्र हिन्दुस्तान के सभी अखबारों में प्रथम प्रष्ठ पर प्रकाशित हो गया।

उसमें गम्भीर बात यह लिखी है कि जब से भारत और अमरीका में परमाणु समझौता हुआ है, तब से हमारे देश के जो परमाणु केन्द्र, विद्युत केन्द्र और शोध केन्द्र हैं, वे आतंकवादी निशाने पर आ गए हैं। इतनी गम्भीर खबर हिन्दुस्तान के अखबारों में छप गई लेकिन उसे रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है, मैं ऐसा समझता हूं कि इस बात का उल्लेख करने के पीछे उस मीटिंग में गृह मंत्री जी की मंशा जरूर रही होगी। इस पर विचार किया जाये कि इसे कैसे रोका जाए ...*(व्यवधान)*

**गृह मंत्री (श्री शिवराज वि. पाटील)** : इसी बात को लेकर मैंने श्री आडवाणी जी के बयान के संबंध में बताया। जब इस बात का खुलासा अखबारों में आया तो दूसरे दिन दिया गया ऐसा जो कहा जा रहा है, वह गलत है। मैं अभी कहना चाह रहा हूं कि अमरीका के साथ यह समझौता हुआ, इसलिए हमला होने की सम्भावना बढ़ी, ऐसा कोई वक्तव्य हमारे पास नहीं है। फिर भी उस सी.डी. की एक कॉपी स्पीकर साहब के पास भेजी है जो आज या कल दे सकते हैं।

*[अनुवाद]*

**श्री बृज किशोर त्रिपाठी** (पुरी) : ऐसा हो सकता है। ...*

**अध्यक्ष महोदय** : वह स्पष्टीकरण दे रहे हैं। वह मंत्री महोदय से सहमत हैं।

**श्री शिवराज वि. पाटील** : यदि आप ऐसा वक्तव्य देते हैं, तो विशेषाधिकार हनन करते हैं और मैं इसका उत्तर दूंगा। आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं ...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : आप इस पर ध्यान मत दीजिए। यह कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया गया है।

**श्री शिवराज वि. पाटील** : यह अत्यधिक नीचता है। मैंने इस प्रकार का वक्तव्य नहीं दिया है। यदि सभी खड़े होकर एक ही बात दोहराएं, तो इससे गलत संदेश जाता है, जिससे इस प्रकार के मामले से निपटने के लिए नीतियां और कार्यक्रम तैयार करने में ध्यान केन्द्रित

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

नहीं किया जा सकता। इससे हमारा ध्यान मुख्य बात से हटकर बेकार के मामले, जो तथ्यों पर आधारित नहीं, पर चला जाता है जिससे हमें कोई मदद नहीं मिलेगी। मैं केवल यही कहना चाहता हूं। प्रत्येक सदस्य को ऐसा ही कहना चाहिए। क्या मुझे यह कहना चाहिए कि मैंने ऐसा वक्तव्य नहीं दिया है?

**अपराह्न 3.43 बजे**

*(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)*

**श्री बृज किशोर त्रिपाठी** : आपकी राय इससे अलग हो सकती है लेकिन वह हमारे पहले नोटिस का विषय था। हमने स्थगन प्रस्ताव इस विषय पर दिया था ...*(व्यवधान)*

**श्री शिवराज वि. पाटील** : आप इसे प्रमाणित करें और इसे प्रस्तुत करें और तब इसके परिणाम भुगतने के लिए भी तैयार रहें। मुझे पता है इससे कैसे निपटना है।

**उपाध्यक्ष महोदय** : कृपया अध्यक्ष पीठ को संबोधित करें।

*[हिन्दी]*

**श्री मोहन सिंह** : उपाध्यक्ष महोदय, हर बैठक की अपनी मर्यादा होती है। जब अखबारों में खबर छप गई जिसका माननीय गृह मंत्री जी सदन में प्रतिवाद कर रहे हैं तो गृह मंत्री जी के इस वक्तव्य को उसी प्रतिवाद के रूप में लिया जाना चाहिए। लेकिन हम इस चर्चा को दूसरे ढंग से करना चाहते थे कि ऐसी चीजें जो नितांत भ्रामक हैं, जिससे पूरे देश में भय का वातावरण बनता है, क्या इस देश की मीडिया, प्रचार–तंत्र, प्रचार–तंत्र, अखबार इतने गैर–जिम्मेदार हो गये हैं कि ऐसी महत्वपूर्ण चीजें, जो अनधिकृत हैं, आधिकारिक नहीं हैं, उनका इतने बड़े पैमाने पर प्रचार हो जाये, यह कोई मामूली बात नहीं है। इस बारे में गृह मंत्रालय क्या सोचता है, मैं ऐसा समझता हूं कि आंतरिक विचार ऐसी स्थिति में होना चाहिए। इस देश में मीडिया, प्रचार–तंत्र और इस देश के समाचार–पत्रों का क्या रोल होना चाहिए, इस देश की आंतरिक सुरक्षा के सवाल पर, क्योंकि हम सभी चीजों को केवल जबान की आजादी के बहाने इतना उच्छृंखल रूप नहीं ले सकते हैं जिससे हमारी आंतरिक शान्ति को चुनौती मिलने लगे। मैं इसे दूसरे रूप में कहना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे आसपास के जितने छोटे–बड़े देश हैं, उन सभी देशों में हमारे देश के विरुद्ध आंतकवादी संगठनो की रचना हो रही है। हमारे लिये यह स्वागत का विषय है कि नेपाल में काम करने वाला जो माओवादी संगठन था, वह लोकतंत्रीय प्रक्रिया में प्रमुख हिस्सा होना चाहता है। उन्होंने एक फैसला किया है अपने सारे हथियार रख देंगे, हिंसा का रास्ता छोड़ेगे और लोकतंत्र की मुख्यधारा जो भारत में प्रवाहित हो रही है जिसका एक अंश नेपाल में दिखाई पड़ेगा, वास्तविक लोकतंत्र के वे हिस्सेदार होंगे, ऐसी खबर अखबारों में आ रही है। यह भारत की आंतरिक शांति के लिए एक बहुत ही सुखद लक्षण है और एक बहुत ही सुखदायी सूचना है। इसके बारे में हमें सोचना चाहिए कि नेपाल के माओवादियों ने जिस तरह के रास्ते को अख्तियार किया है और उन माओवादियों से हमारे देश में क्रियाशील नक्सलवादी संगठित हो रहे हैं, नक्सलवादी समूहों को ने केवल हथियारी इमदाद मिलती थी, बल्कि वैचारिक खुराक भी मिलती थी। इन संगठनों पर उसका कितना प्रभाव पड़ रहा है। क्योंकि जो दस्तावेज़ हमारे सामने आज प्रसारित हुआ है, उसके अनुसार छत्तीसगढ़ को छोड़कर सभी नक्सलवाद प्रभावित राज्यों में नक्सलवाद का ज़ोर कम हो रहा है या नक्सलवादी घटनाएं कम हो रही हैं, ऐसा उस दस्तावेज में कहा गया है।

नक्सलवाद से निपटने के लिए छत्तीसगढ़ में एक कार्य योजना गृह मंत्रालय की राय से वहां की राज्य सरकार ने बनाई थी। उस कार्य योजना के बाद नक्सलवादी गतिविधियों में खास तौर से जो निर्दोष नागरिक थे, उनकी हत्याओं में और सुरक्षा बल के सैनिकों की हत्याओं में वृद्धि हुई, ऐसा दस्तावेज के जरिये स्वीकार किया गया है। मैं कहना चाहता हूं कि जब इस तरह के प्रयोग सरकारो की ओर होते हैं, तो उन प्रयोगों के ऊपर बार–बार विचार होना चाहिए, उनकी समीक्षा होते रहनी चाहिए। कोई प्रयोग किसी भी परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए विफल हो तो उस प्रयोग को चलाते रहने में कोई बुद्धिमानी नहीं होती, मैं ऐसा समझता हूं। इसलिए जो विरोधी लोग हैं, जो दुश्मन लोग हैं, उनसे मुकाबला करने के लिए बुद्धिमान लोग हमेशा अपनी रणनीति में परिवर्तन करते रहते हैं। मैं ऐसा समझता हूं कि नेपाल की बदली हुई परिस्थितियों के हिसाब से हिन्दुस्तान के नक्सलवादी संगठनों से हमारा बर्ताव दूसरे ढंग का अब शुरू होना चाहिए और ऐसा मैं विश्वास करता हूं कि अब उनके साथ, क्योंकि यह बात बार बार भारत सरकार ने भी कही है और इधर से भी यही बात कही गई कि जब तक वे शस्त्र नहीं छोड़ते, हम उनसे कोई बातचीत नहीं करेंगे। उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू किया गया था आंध्र प्रदेश में जो किन्हीं परिस्थितियों में विफल साबित हुआ। लेकिन अब मैं ऐसा मानता हूं कि किसी भी रूप में उनसे वार्ता करने का एक नया अवसर प्रदान हुआ है और यदि इस परिप्रेक्ष्य में हम बिना किसी पुरानी हठवादिता के उनसे वार्तालाप प्रारंभ करते हैं तो मैं ऐसा समझता हूं कि उसके ठोस नतीजे भी आ सकते हैं।

जहां तक बाहर से प्रायोजित आंतकवाद का सवाल है, उसमें थोड़ी बहुत कमी आई है और उस कमी के पीछे एक कारण है कि चाहे बंगलादेश की सीमा हो चाहे पाकिस्तान से मिलने वाली सीमा हो, उसमें बहुत बड़े पैमाने पर हमने बाड़ लगाने का काम किया। मेघालय के पास करीब 750 किलोमीटर ऐसी भूमि है जिस पर बाड़ नही लगा और इधर भी 400–500 किलोमीटर ऐसा भूभाग है जिसमें बाड़ लगाने का काम नहीं कर पाए, फ्लडलाइट्स लगाने का काम हम नहीं कर पाए।

[श्री मोहन सिंह]

मैं गृह मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इस अभियान को शीघ्रातिशीघ्र पूरा किया जाना चाहिए। उसी के साथ साथ जैसा अभी प्रधान मंत्री जी ने अक्तूबर में वक्तव्य दिया और उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान से मिलकर बाहर से प्रायोजित आतंकवाद का मुकाबला करना चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान ने जो 2004 में हमें वायदा किया था, 2004 का वायदा यह था कि पाकिस्तान में जितने भी आतंकवादियों के ठिकाने हैं, पाकिस्तान की सरकार उनको खत्म कर देगी। हमारे प्रधान मंत्री जी ने बहुत सही बात कही है कि जब तक 2004 में दिए हुए अपने वचन पर पाकिस्तान अडिग नहीं होता, हम उसके साथ कोई सरोकार नहीं रखेंगे। मैं ऐसा समझता हूं कि यह संकल्प के साथ जुड़ा हुआ वक्तव्य है और इस पर भारत सरकार को टिके रहना चाहिए। फिर भी यह दस्तावेज स्वीकार करता है कि जो पाकिस्तान की तरफ से बाड़ लगाने के बावजूद घुसपैठ है, उसमें कमी नहीं आ रही है, लगातार वृद्धि हो रही है। वृद्धि होने के बावजूद भी हमारा पाकिस्तान के प्रति आतंकवाद के सवाल पर रुख नरम क्यों हो जाता है, इसके बारे में भारत सरकार बार–बार विचार करे।

उपाध्यक्ष महोदय, 16 अक्तूबर, 2006 का भारत के प्रधान मंत्री का जो वक्तव्य है, उस पर भारत सरकार को दृढ़ता से कायम रहना चाहिए कि जब तक पाकिस्तान अपने देश से संचालित होने वाले जितने भी उग्रवादी ठिकाने हैं, उन्हें सरकारी स्तर पर खत्म करने का काम नहीं करेगा, तब तक भारत सरकार उससे कोई सरोकार नहीं रखेगी। मेरा आग्रह है कि इस संबंध में भारत सरकार को दृढ़ रहना चाहिए।

महोदय, अभी कुछ दिन पहले मालेगांव में घटना हुई। दो महीने पहले मुम्बई में लगातार कई जगह विस्फोट होने की घटना हुई, लेकिन मुम्बई पुलिस आज तक यह निश्चित करने में सफल नहीं हो पाई है कि उसमें किन लोगों का हाथ था। मुम्बई पुलिस रोजाना वक्तव्य बदलती रहती है। वक्तव्य बदलने के बाद वहां की पुलिस का एक समुदाय विशेष के साथ जो व्यवहार है, उसकी मैं यहां कड़ी निन्दा करना चाहता हूं। माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी कह रहे थे कि कड़े कानून नहीं हैं। मैं उनसे आग्रह पूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि महाराष्ट्र की सरकार को जैसे कानून वह चाहती है, उससे भी कई गुना कड़ा कानून बनाकर महाराष्ट्र सरकार उस पर अमल कर रही है। वह पोटा और टाडा से भी खतरनाक है। उसका अंजाम है कि आज पूरे महाराष्ट्र में आंकड़े बताते हैं कि एक समुदाय विशेष के 5 हजार से अधिक लोगों को बिना किसी आरोप के, बिना किसी प्रकार का मुकदमा चलाए जेलों में निरुद्ध किया हुआ है। इसके कारण एक समुदाय विशेष में बड़ा असंतोष तेजी से पनप रहा है।

महोदय, हमारे सूबे का रहने वाला एक व्यक्ति कुछ दिन पहले मुम्बई हवाई अड्डे पर उतरा। उसे दादर की पुलिस पकड़ कर ले गई और 24 घंटे से अधिक उसके साथ जितना खराब मैथॉड हो सकता है वह बर्ताव किया। उसने कहा कि मैं दहशतगर्द नहीं हूं। मेरे खानदन की राष्ट्रीय आन्दोलन में जबरदस्त हिस्सेदारी रही है, मेरा सगा भाई हिन्दुस्तान की राज्य सभा का मैम्बर है। मेरे अंदर दहशतगर्द होने के कौन से चिह्न हैं? इस पर महाराष्ट्र की दादर पुलिस ने कहा कि तुम दहशतगर्दों जैसी गोल टोपी और गोल पायजामा पहनते हो। यह बहुत ही दुखद बात है। इस बारे में मैं गृह मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि यदि वे सावधान नहीं रहेंगे, तो जैसा हमारे मित्र तथा संसदीय कार्य मंत्री जी उस तरफ से कह रहे थे और बहुत अच्छी बात कह रहे थे कि यदि धर्म विशेष के मानने वालों को हमने इंगित कर के दहशतगर्द घोषित करने की बात की, तो मैं समझता हूं कि समाज में दहशतगर्दी को खत्म करना नामुमकिन बात होगी। व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन कोई समाज नहीं हो सकता। इस तरह का इम्प्रैशन महाराष्ट्र की पुलिस की अपनी सोच के चलते हो और इस तरह का व्यवहार किया जाए, तो मैं इसको अच्छा नहीं समझता। यदि ऐसा होगा, तो जिस चीज की तरफ वे इशारा कर रहे थे वह सत्य सामने आ सकता है।

महोदय, हमारे इस इलाके में, साउथ ईस्ट एशिया में एक नया परिवर्तन हो रहा है। हमने ऐसा सोचा था कि पड़ोसी देशों की ओर से भारत के अंदर जो प्रायोजित आतंकवाद है उसका सबसे बड़ा सभागार अफगानिस्तान है और हमने अफगानिस्तान को घेरने के लिए और वहां लोकशाही को स्थापित करने के लिए भारत की ओर से विकास के संबंध में जितनी भी संभव मदद हो सकती है, वह करने की कोशिश की, लेकिन आज अंतर्राष्ट्रीय समाचारों के जरिए यह खबर आ रही है कि तालिबान ने अपने हिसाब से रीग्रुपिंग कर ली है और उसके पास अत्यन्त आधुनिक हथियार हैं। खासतौर से जो हथियार सेना के पास हैं, वैसे सारे अत्यन्त आधुनिक हथियार उनके पस हो गए हैं और एफ.बी.आई. के हिसाब से, उसके आकलन के अनुसार 9/11 जैसी घटना को अंजाम देने के लिए कम से कम 3 लाख से 5 लाख यू.एस. डालर आतंकवादी संगठनों का खर्च होता है। लश्कर–ए–तैयबा के अपने आंकड़ों के अनुसार उस संगठन के पास 300 करोड़ डॉलर से अधिक की सम्पत्ति जमा हो गई है। इन आतंकवादी संगठनों के पास इतनी बड़ी मात्रा में पूंजी कहां से आ रही है? जो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी जो मुहिम चल रही है, भारत भी उसका एक हिस्सा है। इसलिए मेरा निवेदन है कि भारत को इस बात का प्रयास करना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, खासतौर कुछ देशों में जो दान–दक्षिणा के नाम से चलने वाले संगठन हैं, उनकी ओर से ऐसे संगठनों को धन नहीं दिया जाए। इस प्रकार की पहल भारत सरकार की ओर से होनी चाहिए। इसी के साथ मैं कहना चाहता हूं कि चाहे आतंकवाद हो, चाहे नक्सलवाद हो, चाहे उत्पादवाद हो, सबके पैदा होने के पीछे तीन प्रमुख कारण हैं, पहला है अशिक्षा, दूसरा है पिछड़ापन और तीसरा है आमदनी के साधनों का

अभाव। भारत सरकार यदि इसके ऊपर काबू पाना चाहती है तो उसे इन बातों पर गौर करना होगा तभी आतंकवाद को खत्म करने में भारत सरकार सफल हो सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय, अपने दस्तावेज में गृह मंत्रालय ने कहा है कि हम अर्द्धसैनिक बलों का आधुनिकीकरण करना चाहते हैं। हम राज्यों की पुलिस की खुफिया एजेंसियों को मजबूत करना चाहते हैं। हिन्दुस्तान में 750 लोगों पर एक पुलिस का जवान है, इसीलिए देश की आंतरिक व्यवस्था को संभालने में इस देश की पुलिस फोर्स अपने को असंभव पा रही है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और डीजी लोगों के वक्तव्य समाचार पत्रों में प्रकाशित हो जाते हैं, लेकिन जो आतंकवादी संगठन है, नक्सलवादी संगठन है, उत्पात मचाने वाले संगठन हैं, उनकी सूचनाएं भारत सरकार और राज्य सरकारों तक क्यों नहीं पहुंच पाती हैं? इसके बारे में हमको सोचने की आवश्यकता है। हमारी पहली कोशिश होनी चाहिए कि हमारे देश की जो खुफिया एजेंसियां हैं, उनको किस तरह से आधुनिक बनाया जाए, किस तरह से सशक्त बनाया जाए, जिससे कोई घटना होने से पहले ही हमें उसकी सूचना मिल जाए। इसके अलावा जो आतंकवादी घटना होती है, उनके आरोपियों को पकड़ कर जल्द से जल्द उनके केसिज़ का निस्तारण करके, उनको दंडित किया जा सके ताकि शासन तंत्र का भय असामाजिक तत्वों में पैदा हो सके।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस कार्यस्थगन प्रस्ताव का विरोध करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

**श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव** (झंझारपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, आंतरिक सुरक्षा के बारे में कार्यस्थगन प्रस्ताव सदन के सामने है। माननीय प्रतिपक्ष के नेता का किस उद्देश्य से यह प्रस्ताव लाए हैं? मुझे लगा कि यह यूपीए सरकार की विफलताओं पर नहीं बोल रहे हैं, ये अपने कार्यकाल की विफलताओं के बारे में बोल रहे हैं, चाहे वह पोटा का मामला हो, चाहे वह टाडा का मामला हो, चाहे कश्मीरी पंडितों का मामला हो। प्रतिपक्ष के नेता उद्देश्य क्या था? कार्यस्थगन प्रस्ताव को लाने का उद्देश्य ही उन्होंने अपने भाषण में खंडित कर दिया है। उनके भाषण को हमने बहुत ध्यान से सुना। उसमें उन्होंने लाल किले की घटना की चर्चा नहीं की, अक्षरधाम की चर्चा नहीं की, संसद पर आतंकी हमले की चर्चा नहीं की, उन्होंने केवल वोट बैंक का पोर्शन लिया। केवल वोट बैंक की बात हो रही है। वोट बैंक कौन कर रहा है? दुनिया के किसी भी लोकतांत्रिक देश में फांसी देने के लिए जुलूस नहीं निकला है। फांसी देने का काम न्यायालय का है और उसके खिलाफ महामहिम राष्ट्रपति को अपील करने का अधिकार फांसी पाए गए व्यक्ति को है। यह कानून में प्रावधान है। लेकिन फांसी देने के लिए सजधज कर जुलूस निकाला हो, यह लोकतंत्र में हमने कहीं नहीं सुना है। यह अद्भुत घटना है। हिन्दुस्तान सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। अफजल को दी गई फांसी पर इसे देश में वोट बैंक की राजनीति कौन कर रहा है? इस देश को कौन बांटना चाहता है? सामाजिक आधार पर, धर्म के आधार पर, सीमाओं के आधार पर जो भी सवाल उठते हैं, उसमें सिचुऐशन का कम्यूनलाइज करने का प्रयास किस की तरफ से होता है? सिचुऐशन को कम्यूनलाइज करना भी अपराध है। एक परिस्थिति पैदा हुई, अफजल को सजा हुई। इस सिचुएशन को कैश करना, एक्सप्लाइट करना, किसी खास संवर्ग के लोगों की भावनाओं को एक्सप्लाइट करना भी अपराध है।

**अपराह्न 4.00 बजे**

अपराध की परिभाषा को आज बदले की जरूरत है, आन्तरिक सुरक्षा पर बहस करने से पहले। मैं इसलिए कहना चाहता हूं, क्योंकि इसके पीछे भीतर जो मानसिकता है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है, नहीं तो इस मुद्दे के साथ मैं समझता हूं कि न्याय नहीं हो पायेगा। जो आन्तरिक सुरक्षा है, इसके साथ बहस में ही आप न्याय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देश में आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता है, चाहे कोई भी आतंकवादी हो, किसी भी बिरादरी का हो, किसी भी समुदाय का हो, आतंकवादी, अपराधी या जिस तरह की गतिविधि करके हिंसा फैलाकर जिस तरह का काम करते हैं, उनकी कोई जाति नहीं होती है, इसलिए आतंकवाद के बारे में सही नजरिया आज बनाने की जरूरत है। क्योंकि देश की आन्तरिक संरक्षा खतरे में डालने वालों ने किसने कंधार जाकर छोड़ा था, यह यक्ष की तरह सवाल खड़ा है कि कौन काबुल गया था, किसने आतंकवादियों को कंधार में छोड़ा था। वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, एक कुख्यात आतंकवादी को अतिथि बनाकर, गैस्ट बनाकर वहां उसकी धरती पर जाकर छोड़ा था, यह पहले कभी हुआ था क्या?

आज 58 वर्ष की आजादी में किसी सरकार ने इस प्रकार का दुस्साहस नहीं किया होगा। हम आतंकवाद पर, आन्तरिक सुरक्षा पर बहस कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि कंधार कौन गया था, वह कौन मंत्री था? मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। ...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**उपाध्यक्ष महोदय** : कृपया व्यवधान मत डालिए।

*[हिन्दी]*

**श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव** : आज वे इस सदन के सदस्य नहीं हैं। मैंने उस समय भी इसका विरोध किया था। मैंने एक-एक बात का विरोध किया था, आपको मालूम है। मैंने सिद्धांत से कभी समझौता नहीं किया, आप हाउस का रिकार्ड देख लीजिए। ...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव, कृपया अध्यक्षपीठ को सम्बोधित कीजिए।

*[हिन्दी]*

**श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव** : आप सदन की प्रोसीडिंग्स देखिये। आप तो अभी नये आये हैं, आपको हाउस के बारे में पता नहीं है। आप सन् 2000 की प्रोसीडिंग्स को निकालकर देख लीजिए कि हम क्या बोले हैं। ...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**उपाध्यक्ष महोदय** : कृपया व्यवधान मत डालिए।

...*(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव के भाषण के अलावा कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

*[हिन्दी]*

**श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव** : मैं आपको ही एड्रैस कर रहा हूं, लेकिन इस देश में यह विचार करना पड़ेगा कि हमला देसी और देसी के बीच में कभी नहीं हुआ था, यह पहली पार्टी और कट्टरपंथी जमात है, जो देश के अन्दर देसी वर्सेस देसी लड़ाई करा रही है। कम्युनिटी के नाम पर, समुदाय के नाम पर हमला नहीं होना चाहिए। हिन्दुस्तानी वर्सेस बाहर के लोगों से, जो बाहर के आतंकवादी हैं, देसी वर्सेस परदेसी का हमला होना चाहिए। इस देश में हमला हो रहा है, देश के भीतर देश के लोगों से तो आन्तरिक सुरक्षा कभी भी मजबूत नहीं हो सकती। ... *(व्यवधान)*

**श्री उदय सिंह** : यह गलत है, इस देश में ऐसा नहीं हो रहा है। ...*(व्यवधान)*

**श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव** : यह हो रहा है। आखिर झगड़ा खड़ा क्यों हो। आप इनकी एक्टिविटी देख लीजिए, आप सदन में देख रहे हैं। इससे ज्यादा क्या हो सकता है कि मैं आपके आदेश से बोल रहा हूं, यह इन लोगों का दोहराचार है। ये दोहराचार वाले लोग हैं, डबल स्टैण्डर्ड, चाल, चरित्र और चेहरा सब दो मिनट में बदल जाता है। जब अपना समय आता है तो बदल जाते हैं। अभी प्रथम समय में देखा गया होगा, कहा गया था कि किसी को मंत्रिमंडल में रखना प्रधानमंत्री का प्रोप्राइटी राइट है, लेकिन यहां उस बात को बदल दिया। दूसरी तरफ ले गये, ये हमेशा अपनी चीज ही देते हैं, अगल से बहस की दिशा बना लेते हैं, जो इनको सूट करता है, उधर से ही बहस कर देते हैं। मैं इसीलिए देश में आज जो आतंकवाद है ...*(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय** : लालू जी, आपकी पार्टी के लीडर बोल रहे हैं।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव** : उपाध्यक्ष महोदय, केवल आतंकवाद ही एकमात्र समस्या नहीं है, बल्कि नक्सलवाद, उत्तर पूर्वी राज्यों में बढ़ती हुई उग्रवादी हिंसा ...*(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय** : जब आपकी बोलने की टर्न जाएगी, आप बोल लेना। कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

...*(व्यवधान)**

**श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव** : आपका अफवाह फैलाने का काम है। ...*(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय** : रिकार्ड पर कुछ नहीं जा रहा है।

...*(व्यवधान)*

**श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव** : हम आपको बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं। आपको कैसे एलाउ किया जायेगा, मैं यील्ड नहीं कर रहा हूं, आप कैसे मौका दे रहे हैं।

*[अनुवाद]*

**उपाध्यक्ष महोदय** : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित न किया जाए।

*[हिन्दी]*

रिकार्ड पर कुछ नहीं जा रहा। लालू जी के रिमार्क्स भी रिकार्ड नहीं किए जाएंगे।

...*(व्यवधान)**

**श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव** : उपाध्यक्ष महोदय, आतंकवाद एकमात्र समस्या नहीं है। मैं बता रहा था, मैं विषय पर बोल रहा था और ये बीच में टोका–टाकी करते हैं। नक्सलवाद और उत्तर पूर्वी राज्यों में बढ़ती हुई जो उग्रवादी हिंसा है, यह समस्या जैसे चुनौती है।

यह भी मुंह बाये खड़ा हुआ है। आंतरिक सुरक्षा के सामने साम्प्रदायिकता और दंगा फैलाना, एक संप्रदाय और दूसरे संप्रदाय के बीच में टकराव करना भाईचारा खत्म करना, अमन–चैन समाप्त करना, इससे भी आंतरिक सुरक्षा खतरे में पड़ती है। आंतरिक सुरक्षा का खतरा बाहरी दुश्मन से नहीं है। आतंरिक सुरक्षा का खतरा इस देश के अदर जो कट्टरपंथी ताकत हैं, उससे खतरा है। इसी के लिए इतने सुरक्षा बल, एसटीएफ के बयान और फोर्स लगाए जाते हैं। आतरिक सुरक्षा आज हमारे लिए एक चुनौती है। चाहे कश्मीर हो या असम, नागालैंड हो या मणिपुर हो, देश के लगभग आठ–दस राज्यों में तो काफी उग्रवाद चल रहा है और मैं समझता हूं कि एक दर्जन राज्य हैं, जो आज इस तरह से नक्सल से प्रभावित हैं और इस तरह से जहां आंतरिक सुरक्षा

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

चुनौती बनी हुयी है। इसमें हमारी सेना के जवान और सुरक्षा बल और बेकसूर शहीद होते हैं। मैं समझता हूं कि आज इन राज्यों में इतने व्यापक पैमाने पर नक्सलवाद या उग्रवाद फैला हुआ है हमारे लिए जो चुनौती बना हुआ है, उसका मूल कारण है आर्थिक विषमता और सामाजिक उत्पीड़न। मैं कहना चाहता हूं कि मूल कारण पर बहस होनी चाहिए। आज इकानामिक डिस्पैरिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि कुछ लोग पैंतीस हजार फुट ऊपर उड़ते हैं, उनकी संख्या दो से पांच प्रतिशत है और बाकी पांच फीट की जमीन पर हैं। बीच की जो आर्थिक विषमता है, यह जो डिस्पैरिटी आफ इकानामी है, यह इनता ज्यादा बढ़ गई है कि ए.के. 47 से लेकर लोग खड़े हो जाते हैं। मैं इसको विकास के नजरिए से भी देखता हूं। आर्थिक विषमता जब तक दूर नहीं होगी, आंतरिक सुरक्षा का स्थायी समाधान नहीं हो सकता है। मैं इसीलिए इस बात को कहना चाहता हूं। सामाजिक उत्पीड़न के बारे में मैंने पहले ही कहा है कि कौन लोग सामाजिक उत्पीड़न करते हैं, सोशल एट्रोसिटी, एक–दूसरे में भेदभाव करना, ऊंच–नीच का भेदभाव फैलाना, जाति और संप्रदाय में देश को बांटना, यह सत्ता के लिए राम के नाम पर सारा खेल होता है। ...*(व्यवधान)* हमें यदि आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करना है, तो उस पर काबू पाने के लिए हमारी सरकार को और जनता को भी विचार करना पड़ेगा। जो आवाम है, उसको भी इसके लिए विचार करना पड़ेगा कि आंतरिक सुरक्षा कैसे महफूज रहे? आज आतंरिक सुरक्षा बनाए रखना केवल सेना और पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है। वह जिम्मेदारी हम सभी की है, सारे आवाम की है। जब तक हम मंदिर–मस्जिद, जाति, धर्म, मजहब, क्षेत्रवाद के नाम पर राजनीति करते रहेंगे, तो स्वभाविक है, हमारे लोग आपस में लड़ेंगे, प्रतिशोध की भावना उठेगी और आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा पैदा होगा। इसीलिए आज आंतरिक सुरक्षा के नाम पर बीजेपी जो वोट बैंक तैयार करने का काम करती है, उसको छोड़ दें। ...*(व्यवधान)* आज देश में चट्टानी एकता लाने की जरूरत है। हम सभी को इस देश में चट्टानी और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने की जरूरत है। जितना सांप्रदायिक सद्भाव देश के अंदर मौजूद होगा, उतना हम आतंकवाद का मुकाबला करने में कामयाब होंगे।

**उपाध्यक्ष महोदय :** आपकी पार्टी के एक और मैम्बर भी बोलने वाले हैं, आप अपनी बात को खत्म करिए।

**श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव :** मैं अपनी बात जल्द ही समाप्त करता हूं। मैं कुछ बुनियादी सवाल रखना चाहता हूं। हमारा देश बाहरी हमले से कमजोर नहीं हो सकता। मैं यह कहना चाहता हूं और दर्ज करना चाहता हूं। देश अंदर के हमले से कमजोर होगा, चाहे दंगा हो, फसाद हो, सांप्रदायिक तनाव हो, भाईचारा हो, इसको यदि कमजोर किया जाएगा, मिल्लत को आघात पहुंचाया जाएगा, तो देश कमजोर होगा। आंतरिक सुरक्षा कमजोर होगी, सांप्रदायिक सद्भाव जितना मजबूत रहेगा, उतना हमारा देश अपने दुश्मनों का मुंहतोड़ जवाब देने में कामयाब रहेगा तथा सीमापार से जो आतंकी गतिविधि चलाने की साजिश है, वह भी नाकामयाब हो सकती है। यदि देश के अदर सांप्रदायिक सद्भाव मजबूत रहे और साथ ही हमारी चट्टानी और राष्ट्रीय एकता अगर मजबूत रहेगी, तो बाहर के सीमापार आतंकवादी का मुकाबला हम कर सकते हैं। आंतरिक सुरक्षा देश की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला है। आज हमला होता कहां है, आंतरिक सुरक्षा खतरे में कब पड़ती है? जब देश के अंदर जो हमारे देश की ऐतिहासिक विरासत है, चाहे संसद भवन हो, चाहे अक्षरधाम हो, चाहे लाल किला हो, चाहे आगरा का ताजमहल हो या अयोध्या की बाबरी मस्जिद हो, उसे ढहाने का किसी को हक नहीं है। चाहें हजरत बल दरगाह हो, चाहे चारारे शरीफ हो, किसी को भी इतिहास को नष्ट करने का हक नहीं है। ...*(व्यवधान)* यदि एक को गिराएंगे तो दूसरा भी गिरेगा और इसी से आंतरिक सुरक्षा खतरे में पड़ेगी। यह हमारे पड़ोसी देश की ऐतिहासिक धरोहर हैं। देश की आन, बान, शान और सांस्कृतिक विरासत है। इतिहास और सांस्कृतिक विरासत को किसी को किसी भी हालत में मिटाने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। इसलिए इसके लिए कानून भी बना हुआ है। गृह मंत्री जी बता रहे थे कि आजादी के बाद किसी भी ऐतिहासिक इमारत को नष्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन जो तीन साल, छः साल तक चार्जशीटेड रहे, वे कैसे जोर–जोर से बोल रहे थे। कोई मस्जिद ढहा देना क्या अपराध में नहीं आता? वे सीबीआई से चार्जशीटेड हैं। क्या यह अपराध नहीं है? मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन कहना चाहता हूं कि यह भी अपराध की श्रेणी में आता है। अपराध, अपराध में मत बांटें। इसके चलते एक हजार लोगों की मौत हुई। यहां श्री शिबू सोरेन पर एक आदमी की मौत का आरोप है। ...*(व्यवधान)* कानून के तहत उन पर कार्यवाही होगी। जुलाई महीने में मुम्बई में बम ब्लास्ट हुआ, उसी तरह देश की अन्य जगहों पर बर्बरतापूर्ण घटनाएं और देश के आतंकित तत्वों और कट्टरपंथी अलगाववाद, पृथकतावादी शक्तियों का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सरकार को सख्ती से निपटना चाहिए। लोकतांत्रिक व्यवस्था में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। ऐसी विध्वंसकारी ताकतों के मनसूबों को चकनाचूर करने के लिए तत्परता से कार्य करना चाहिए और संयुक्त राज्य आरक्षी बल, चाहे इंटैलीजैंस ब्यूरो हो, चाहे खूफिया एजेंसी हो, उसे अधिक से अधिक चुस्त–दुरस्त और माडर्नाइज करके तत्परता से तेजी लानी चाहिए ताकि इस तरह की घटनाओं को सख्ती से रोका जाए।

हम इनके प्रस्ताव को सौ फीसदी नकारते हैं।

*[अनुवाद]*

**श्री ए. कृष्णास्वामी (श्रीपेरूम्बुदूर) :** श्री माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे स्थगन प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया।

सर्वप्रथम, मैं यह कहना चाहता हूं कि भा.ज.पा. को यह स्थगन

[श्री ए. कृष्णास्वामी]

प्रस्ताव लाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। जब भाजपा सत्ता में थी तब आतंकवादे अपनी चरम सीमा पर था। मैं यह नहीं कहता हूं कि जब संप्रग सरकार सत्ता में हैं तब कोई भी आतंकवादी घटनाएं नहीं हुई हैं। परन्तु भाजपा सरकार की तुलना में आतंकवादी घटनाएं बहुत कम हैं और हमारे माननीय प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में संप्रग सरकार के अधीन हमारी देश की आंतरिक सुरक्षा सुदृढ़ है।

प्रतिपक्ष के नेता द्वारा लाया गया यह स्थगन प्रस्ताव हिन्दुओं के वोट बैंक को बरकरार रखने के लिए है। भाजपा हमेशा चाहती हैं कि हिन्दु–मुसलमानों में दूरी बनी रहे और उनके हिन्दू वोट सुरक्षित रहें। जब तक भाजपा सत्ता में थी उस वक्त उस सत्य को नहीं भुलाया जा सकता कि मौलाना मसूद अजहर को आतंकवादियों को काबुल में सौंप दिया गया था जो बाद में इस्लामाबाद चला गया। यह वहीं मौलाना मसूद अजहर हैं जिसकी वजह से इस देश में इतना आतंकवाद फैल रहा है।

दूसरे, अफजल के मामले में जिसे मृत्युदंड मिला हुआ है, माननीय राष्ट्रपति के समक्ष क्षमा याचिका दायर करने का संपूर्ण अधिकार है। यथा समय पर माननीय राष्ट्रपति द्वारा इस याचिका पर निर्णय भी ले लिया जाएगा।

मैं भाजपा के सदस्यों को यह याद दिलाना चाहता हूं कि जब भाजपा सरकार सत्ता में थी तब माननीय राष्ट्रपति के पास 20 से अधिक क्षमा याचनाएं लंबित पड़ी थी। परन्तु भाजपा जानबूझकर यह कहते हुए अफजल का मामला सभा में उठा रही है कि अफजल को तुरंत फांसी होनी चाहिए। वह ऐसा क्यों कर रही है? मेरा ऐसा मानना है कि भाजपा वोट बैंक की राजनीति करके हिन्दुओं में एक संदेश देना चाहती है। भाजपा हिन्दू मुल्सिम में अलगाव को बढ़ावा देकर अपना उल्लू सीधा करना चाहती है। हम गुजरात के दंगों, गोधरा ट्रेन हादसे तथा संसद पर हुए हमले को भुला नहीं सकते हैं। आतंकवादी गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए भाजपा 'पोटा' नामक एक विशेष अधिनियम लायी थी। मैं सदस्यों से यह पूछता हूं कि क्या वह 'पोटा' द्वारा आतंकवाद पर नियंत्रण और आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने में कामयाब रही? परन्तु उन्होंने आतंकवाद पर नियंत्रण करने और आतंरिक सुरक्षा बनाए रखने के बजाए अपने राजनैतिक प्रतिद्वंदियों को उत्पीड़ित किया। 'पोटा' का उपयोग भाजपा ने अपने राजनैतिक विरोधियों को परेशान करने के लिए किया।

महोदय, भाजपा सरकार, जब सत्ता में थी तब आंतरिक सुरक्षा के मामले में असफल रही। वह 'पोटा' जैसे विशेष अधिनियम के माध्यम से कानून और व्यवस्था को बनाए रखने में असफल रही। इसी कारणवश वह 2004 में सत्ता में वापस आने में असफल रहीं। अतः मैं भाजपा के अपने सम्मानीय मित्रों से अनुरोध करूंगा कि वे स्थगन प्रस्ताव बार–बार न लाएं। वे 2009 तक खामोश रहें। चुनाव आने दीजिए हम उसका सामना करेंगे और लोगों के समर्थन से इस देश के समक्ष सभी चुनौतियों का सामना करेंगे।

अतः इन्हीं शब्दों के साथ मैं, डीएमके की ओर से इस स्थगत प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

*[हिन्दी]*

**श्री सुबोध मोहिते** (रामटेक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने आडवाणी जी का भाषण बड़े गौर से सुना। गवर्नमैंट का जो स्टैंड है, वह भी मैंने बड़े गौर से सुना। हम कहते थे कि हमारी बेसिक नीड रोटी, कपड़ा और मकान है। मुझे लगता है कि आज वह सैकेंड्री हो गयी है क्योंकि सबसे पहले जान बचाने की बात सामने आ रही है। अगर हम जान बचायेंगे तो मकान में रहेंगे, रोटी खायेंगे और कपड़ा पहनेंगे। इसका मतलब यह है कि सिक्योरिटी की प्रौब्लम कितनी ग्रे हो गयी है।

माननीय दासमुंशी जी का जो भाषण था, वह मैंने बड़े ध्यान से सुना। वह केवल पोलिटिकल स्पीच है। उस स्पीच में केवल यही था कि आडवाणी जी ने अपने टेन्योर में क्या किया और क्या नहीं किया। उसमें अफजल की क्या बात है? गवर्नमैंट इसके लिए क्या लीगल स्ट्रेटेजी ले रही है, क्या डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजी एडॉप्ट कर रही है, क्या सिक्योरिटी प्रीवेंटिव मेजर्स ले रही हैं, उनके भाषण में उसका कोई उल्लेख नहीं है। वह केवल पोलिटिकल स्पीच है।

उपाध्यक्ष महोदय, अगर सदन चाहता है कि टेरोरिज्म को खत्म किया जाये, सबके मुंह से यही बात निकलती है, ठीक है। सब टेरोरिज्म को खत्म करना चाहते हैं लेकिन क्यों इसका पोलिटिकलाइजेशन हो रहा है? अगर हम सब चाहते हैं कि एक आयरन हैंड होना चाहिए, उन पर कोई दया नहीं करनी चाहिए उन पर इतनी दया क्यों दिखाई जा रही है? इसे राजनीतिक रंग क्यों दिया जा रहा है? रियेलिटी क्या है? मैं तीन चार मिनट में अपना भाषण समाप्त करूंगा। मैं जानना चाहता हूं कि रियेलिटी क्या है? मैं समझता हूं कि गवर्नमैंट का जो स्टैंड है, वह ठीक नहीं है। वह कन्ट्राडिक्टरी स्टैंड है, बड़ा कौनफ्लिक्ट स्टैंड है। अगर हम टेरोरिज्म को स्पेशल प्रोब्लम की तरह ट्रीट करना चाहते हैं तो एनडीए गवर्नमेंट जो स्पेशल कानून 'पोटा' लायी थी, वह क्यों खत्म किया गया? उस कानून के साथ स्पेशल कोर्ट, स्पेशल डिसीजन, स्पेशल प्रोवीजन था। मेरा सरकार से सीधा सवाल है कि अगर हम स्पेशल प्रौब्लम करके इसे ट्रीट करना चाहते हैं, तो यह स्पेशल एक्ट क्यों रिपील किया गया? एक तरफ प्रधान मंत्री जी बोलते हैं कि किसी विशेष कानून की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारा एग्जीस्टिंग लॉ इतना सैल्फ सफीशिएंट है कि जो अपराध करेगा, उसको तुरंत शिक्षा मिलेगी। यह स्टेटमैंट मेरा न होगर प्राइम मिनिस्टर का है। मैं आदरणीय प्रधान मंत्री जी से रिक्वैस्ट करूंगा कि आपका स्टैंड अगर यह है कि प्रैजेंट कानून सफिशिएंट है,

तो ज्यूडिशियरी से जो बात हुई है, जो मामला कनक्लूड हुआ है जिसके इम्प्लीमैंटेशन की बात है, मतलब जो पैंडिंग्स मामले हैं, उसके लिए हमारा कानून सक्षम है। यह अलग साइड है लेकिन जिसका जजमैंट आ चुका है, जिसके इम्प्लीमेंटेशन की बात है, वह अगर पैंडिंग है, तो उसमें हम जजमैंट की बात कैसे कर सकते हैं?

उपाध्यक्ष महोदय, कहा जा रहा है कि अफजल का मामला प्रेजीडैंट के पास है। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं क्योंकि सब लोग यही कह रहे हैं कि उसमें हम कुछ नहीं बोल सकते। ऐसी बात नहीं है। आप मुझे बताइए कि कैबिनेट का इसमें अपना क्या रोल रहा है? आपने कैबिनेट में इस बारे में क्या भूमिका ली है? कांग्रेस पार्टी का अफजल के बारे में क्या ओपीनियन है? क्या व्यूह प्वाइंट है, आप यह बताइये? यूपीए सरकार का इस बारे में क्या एंगल है? आप यह बताइये कि उसे फांसी देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? आपका इस बारे में एक एंगल होना चाहिए, लेकिन आप इस पर कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं हैं। यह इनडिसीजन की स्थिति क्यों है? मेरा दूसरा सवाल यह है कि देश के राष्ट्रपति अगर चाहें तो वे किसी मामले को कब तक अपने पास लम्बित रख सकते हैं? क्या वे इसे अपने पूरा कार्यकाल तक लम्बित रख सकते हैं कि उनके पूरे टेन्योर तक फांसी नहीं दी जाएगी? इस संबंध में वैधानिक प्रावधान क्या है? कृपया हमें बताइए ...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**उपाध्यक्ष महोदय** : कृपया व्यवधान मत डालिये। कृपया बैठ जाइए।

*[हिन्दी]*

**रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद)** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि क्या हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी के निर्णय को यहां पर डिस्कस किया जाएगा? माननीय सदस्य बोल रहे हैं कि राष्ट्रपति जी से पूछा जाना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

**श्री सुबोध मोहिते** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह नहीं कह रहा हूं। ...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**श्री प्रकाश परांजपे** (ठाणे) : हम राष्ट्रपति के विरुद्ध नहीं बोल रहे हैं। हम मंत्रिमंडल के विरुद्ध बोल रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**उपाध्यक्ष महोदय** : नहीं, राष्ट्रपति जी के बारे में ऐसा नहीं कहा गया है।

...*(व्यवधान)*

**श्री लालू प्रसाद** : उपाध्यक्ष महोदय, ये लोग लगातार यही बात कह रहे हैं, इसे प्रोसीडिंग्स से निकलवाइए। ...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**उपाध्यक्ष महोदय** : कृपया व्यवधान मत डालिए।

...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री सुबोध मोहिते जी की स्पीच के अतिरिक्त कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जाएगा।

...*(व्यवधान)*

**श्री सुबोध मोहिते** : उपाध्यक्ष महोदय, महामहिम राष्ट्रपति से मुझे कोई शिकवा नहीं है और कभी हो भी नहीं सकता है। मेरा प्वाइंट यह है कि इसके बारे में लीगल प्रॉविजन क्या है, सरकार की भूमिका क्या है, कैबिनेट का डिसीजन क्या है और पार्टी का डिसीजन क्या है, यह तो सामने आना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय** : गोयल साहब, आप अपनी सीट पर जाइए।

...*(व्यवधान)*

**श्री सुबोध मोहिते** : उपाध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य है कि वर्तमान कानून पर्याप्त है किसी और कानून की आवश्यकता नहीं है वर्तमान कानून बिल्कुल सटीक है। तब विलम्ब क्यो हो रहा है। ... *(व्यवधान)* कि इस केस में डिले क्यों हो रहा है? जब आफिस आफ प्राफिट का मुद्दे पर एक्सप्लेन करने के लिए राष्ट्रपति जी के पास जा सकते हैं तो अफजल के लिए राष्ट्रपति जी के पास जा सकते है अफजल के मामले के लिए क्यों नहीं जा सकते हैं? ...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री सुबोध मोहिते के वक्तव्य के अलावा कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

*[हिन्दी]*

**श्री सुबोध मोहिते** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यहां जो कुछ भी कह रहा हूं उसके बारे में मेरे पास डाक्यूमेंट्स हैं, अगर किसी को चाहिए तो मैं उन्हें दे सकता हूं। यहां पर आदरणीय गृहमंत्री जी बैठे हुए हैं। मैं गृहमंत्री जी का सम्मान करता हूं। एक जमाना था जिसमें ग्लोबल लेबल पर पाकिस्तान को टेररिस्ट राष्ट्र घोषित करने की बात हो रही थी, सभी का मन बन गया था। लेकिन आज स्थिति क्या है? आज इस सरकार ने ऐसा कर दिया है कि हिन्दुस्तान में टेररिज्म है और पाकिस्तान में भी टेररिज्म है, हमारे पास एक साझा रणनीति होनी चाहिए और उसके बाद आप पाकिस्तान से हाथ मिलाइए इसका मतलब यह है कि जिस पाकिस्तान को हम आतंकवाद की जन्मभूमि कहते थे, उसी

[श्री सुबोध मोहिते]

पाकिस्तान को हम यह कह रहे हैं कि हमारे यहां भी आतंकवाद है, तुम्हारे यहां भी यह प्राब्लम है, अर्थात टेररिज्म कहीं तीसरी जगह से आ रहा है। गृहमंत्री जी से मेरा सवाल है कि आपने सेक्रेटरी लेवल पर पाकिस्तान के साथ एक डिस्कसन किया है। आपकी सेक्रेटरी लेवल की टॉक्स की क्या डिमाण्ड्स थीं, आपने मुंबई बम ब्लास्टस के बारे में क्या–क्या एविडेंस पाकिस्तान को दिए हैं, पाकिस्तान की क्या भूमिका रही है और पाकिस्तान ने इस पर क्या एक्शन लिया है? मैं शार्ट में बताना चाहता हूं कि जो पाकिस्तान एक दिन टेररिस्ट स्टेट था, आज हम उसकी ट्रैप में फंस रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान की और देखने का हमारा नजरिया बदल रहा है।

पाकिस्तान की जिम्मेदारी कम हुई है, चाहे 1993 के मुम्बई बम ब्लास्ट को ही क्यों न लें। मैं तीन बातों की तरफ सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मेरे पास एक प्रेस क्लिपिंग है। कुछ देर पहले जब सदन में आडवाणी जी बोल रहे थे, तो गृह मंत्री जी ने कहा था कि आप प्रेस क्लिपंग कोट मत करें। आडवाणी जी ने आठ दिन पहले की एक प्रेस क्लिपंग को कोट किया था। यह वक्तव्य पुलिस महानिरीक्षक अथवा पुलिस महानिदेशक का अथवा जिसका भी हो। उन्होंने यह नहीं कहा कि आपको कंट्राडिक्ट करना था तो एक दिन पहले क्यों नहीं किया, मैं इसमें नहीं जाऊंगा। मैं जो कोट कर रहा हूं ये प्रमुख समाचार पत्रों की कतरने हैं। यह सच है या नहीं, यह मुझे मालूम नहीं है। अगर यह सत्य है तो ठीक है, लेकिन अगर यह सत्य नहीं है तो फिर आपने एक्शन क्यों नहीं लिया, यह सवाल भी उभर कर सामने आता है।

उपाध्यक्ष जी, आप यहां बैठे हैं। आप जिस कम्युनिटी को रिप्रजेंट करते हैं, बड़े आश्चर्य की बात है कि मुख्यमंत्री जी की कांफ्रेंस में प्रधान मंत्री जी का स्टेटमेंट आया, "मुसलमानों को अलग मत करिए" मैं उसकी एक लाइन पढ़कर सुनाना चाहता हूं। उसमें कहा गया है –

"नागरिकों के, विशेषकर अल्पसंख्यक समुदाय के मूलभूत अधिकार प्रमुख चिंता का विषय होना चाहिए।"

दिनांक 6 सितम्बर के 'द हिन्दुस्तान टाइम्स' की प्रेस क्लीपिंग थी। मेरा यह कहना है कि प्रधान मंत्री जी बोलते हैं कि माइनोरिटी और मुस्लिम कम्युनिटी का फंडामेंटल कंसर्न है। इसका क्या मतलब निकलता है, इसका सीधा मतलब यही निकलता है कि इसका सीधा सा अर्थ है कि दूसरे समुदाय के मूलभूत अधिकार कम महत्वपूर्ण हैं। ...*(व्यवधान)* यही मतलब है। देश के प्रधान मंत्री जी इस प्रकार का स्टेटमेंट मैजोरिटी के खिलाफ दे सकते हैं। उनके इमोशन के खिलाफ उनका यह स्टेटमेंट आता है, तो इसका मतलब यह है कि उनकी आवाज दबाना चाहते हैं, और आप हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं कि माइनोरिटीज के खिलाफ हैं।

मेरे पास दूसरी प्रेस क्लिपिंग है। मैं साफ–साफ अपनी बात कह रहा हूं। यह 'टाइम्स ऑफ इंडिया' की है। इसमें और भी मजेदार बात है। इसमें कहा गया है कि मुलसमानों को उत्पीड़ित नहीं किया जाएगा। प्रधानमंत्री जी एक पुलिस ऑफिसर को क्या निर्देश दे सकते हैं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक स्टेटमेंट ऐसा आता है, जिसमें कहा जाता है कि पंद्रह वर्ष पूर्व, सिक्खों को संदेह की नजर से देखा जाता था। देखिए, यह बड़ा सीरियस मामला है। इसका मतलब ऐसा है कि 15 साल पहले सिखों को भी इस नजरिए से देखा गया था। इसका अर्थ यही है कि गलत तरीके से देखा गया था। मेरा प्रधान मंत्री जी से सवाल है कि आप यह कहते हैं कि 15 साल पहले जो खालिस्तान की मांग थी, गोल्डन टैम्पल पर जो अटैक हुआ और इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई, उसके नजरिए से सिखों को देखा गया, देश का नजरिया उस वक्त जो था, वह गलत था, क्या वह इसे स्पष्ट करेंगे? हम यह कहना चाहते हैं कि अगर उस वक्त सिखों को गलत नजरिए से देखा गया, तो यह सही नहीं था, ऐसा नहीं देखना चाहिए था। मैं इस चर्चा में नहीं जाऊंगा। लेकिन मुझे बताएं कि अगर इस पूरे अटैक में बहुसंख्यक लोग एक समुदाय के हैं, तो क्या हम उस कम्युनिटी को उस नजरिए से नहीं देखें?

शिवराज जी. पाटिल साहब से दूसरे सदन में मांग की गई है कि जितने भी टैररिस्ट्स हैं, जिनकी पहचान कर ली गई है और जिन्हें लोकेट किया गया है, उनकी लिस्ट डिक्लेयर करें। मेरी यह मांग नहीं है। मेरी मांग तो यह है कि आप सिर्फ डिक्लेयर ही न करें, आप सभी गांवों में और पुलिस स्टेशंस में उनके नाम और फोटो लगा दें। जो आतंकवादी हैं, जो गुनाहगार हैं, उन्हें पकड़ने के लिए आपको सभी एजेंसीज की मदद लेनी पड़ेगी। अगर आप ऐसा स्टैंड नहीं लेते हैं और समझते हैं कि ऐसा करने से समाज में डिवीजन होगा, तो यह ठीक बात नहीं है, बड़ी गंभीर बात है।

मैं आखिरी बात और कहना चाहता हूं। प्रधान मंत्री और गृह मंत्री जी का एक स्टेटमेंट है, यह बड़ा मजेदार है। उन्होंने कहा है कि देश को खतरा है, संभलकर रहिए। उन्होंने कहा कि जो हमारे धार्मिक स्थान हैं, उन पर खतरा है। उसके बाद कहा कि इकोनोमिक स्थानों पर भी खतरा है, न्यूक्लियर स्थानों पर भी खतरा है, आदमियों को भी खतरा है। क्या आप ऐसा बोलकर अपनी जवाबदेही से दूर जाना चाहते हैं? आपकी जवाबदेही क्या है? आपकी जवाबदेही यह है कि आपकी तैयारी क्या है? आप अपनी तैयारी बताने के बजाए कह रहे हैं कि खतरा है, संभल जाइए। बाद में कहेंगे कि हमने तो आपको बताया था। यह बात उससे भी गंभीर बात है, ऐसा मैं मानता हूं।

आखिरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि माइनोरिटी और मैजोरिटी का जो एंगल दिया जा रहा है वह आपकी तरफ से दिया जा रहा है। माननीय प्रधान मंत्री जी के मैंने दो एग्जाम्पल कोट किये। माननीय दास मुंशी जी ने अपना पहला पाइंट पोटा और दूसरा राष्ट्रपति जी की बात में एक्सपीडाइट करने का बोला और कहा कि आप लोग पोटा लाया था

जिसका आर्डिनेंस इन–एग्जिस्टेंस था। उसके बाद पार्लियामेंट पर अटैक हुआ। यह बड़ी हंसी वाली बात है। इतना बड़ा लीडर ऐसी बात कहे तो यह हंसने की ही बात है क्योंकि कोई एक्सटर्नल अटैक हो जाता है तो उसे कोई कानून नहीं रोकता है। देश का कानून अटैक को रोकने के लिए नहीं है, देश का कानून पनिशमेंट देने के लिए है। देश का कानून सजा देने के लिए है आक्रमण रोकने के लिए नहीं। देश का कानून यही है। आर्डिनेंस एग्जिसटेंस में था इसलिए अटैक नहीं होना चाहिए था यह कोई तर्क वाली बात मुझे हजम नहीं होती है। कल हवाई–जहाज में कोई बॉम्बिंग का देता है और आप कहते हैं कि कानून ने आपके रोका नहीं तो कानून का काम रोकना नहीं है, कानून का काम यह है कि जो टैरेरिस्ट को यहां से लोकली सुपोर्ट मिलता है, उनको पनिशमेंट देकर दुनिया को सिखाने का काम कानून का है। इसलिए यह बात जस्टिफाई होने वाली बात नहीं है।

दूसरी बात उन्होंने अपने भाषण में कही थी कि महामहिम राष्ट्रपति जी की बात में आप एक्सपीडाइट क्यों नहीं करते। मेरी आपसे प्रार्थना है कि हम तो करेंगे ही लेकिन एक सरकार के नाते आपकी भूमिका होनी चाहिए कि जब पूरा देश अफजल की फांसी के लिए देख रहा है तो आपको इसे एक्सपीडाइट करना चाहिए।

जिस पुलिस अधिकारी ने अच्छा काम किया है उसे रिवार्ड मिलना चाहिए। नागपुर में आरएसएस का मुख्यालय है। जिस ऑफिसर ने अच्छा काम किया, उसकी तारीफ होनी चाहिए। इतना बड़ा टैरेरिस्ट अटैक नागपुर के पुलिस कमिश्नर ने रोका है, मैं उनकी तारीफ करता हूं। उनका नाम एसपीएस यादव है। उनकी रिक्मेंडेशन संसद की तरफ से पुलिस अवार्ड के लिए होनी चाहिए।

*[अनुवाद]*

**श्री बृज किशोर त्रिपाठी** : माननीय, उपाध्यक्ष महोदय, इस स्थगन प्रस्ताव पर हो रही चर्चा में भाग लेते हुए मैं इस सरकार पर कानून और व्यवस्था को बनाए रखने में उनकी बड़ी असफलता का आरोप लगा रहा हूं, यह आंतरिक सुरक्षा के माले में नाकाम रही है।

**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्यों, कृपया सभा में शांति बनाए रखिए।

*...(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**उपाध्यक्ष महोदय** : आपने कोई मीटिंग करनी है तो बाहर जाकर कर सकते हैं।

*[अनुवाद]*

**श्री बृज किशोर त्रिपाठी** : महोदय, मैं आतंकवादी हमलों और अन्य संबंधित मामले, जिनका सामना देश को हाल ही के वर्षों में करना पड़ा, पर विस्तार से चर्चा नहीं करना चाहता हूं। किन्तु मैं इनके परिणामस्वरूप देश को किस हद तक भुगतना पड़ा उससे सभा को अवगत कराना चाहता हूं।

भारत में 1994 से अब तक लगभग 19000 नागरिक तथा सुरक्षा कर्मी मारे गए हैं। देश के 75,000 नागरिक जिनमें नागरिक और सुरक्षा कर्मी दोनों शामिल है आतंकवाद की भेंट चढ़ चुके हैं। *...(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री प्रकाश परांजपे** : उपाध्यक्ष जी, यहां पर होम–मिनिस्टर साहब नहीं है, न ही स्टेट मिनिस्टर साहब हैं।

**उपाध्यक्ष महोदय** : कैबिनेट मिनिस्टर बैठे हैं।

*[अनुवाद]*

**श्री बृज किशोर त्रिपाठी** : महोदय, आलोचक कहते हैं कि हम लोगों के मरने पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करते क्योंकि हमारी जनसंख्या बहुत ज्यादा है हम केवल सीमा क्षेत्र के गंवाने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। बाहरी लोगों के सामने हमारी यह छवि बहुत ही दुःखदायी एवं अपमानजनक है। शायद आतंकवाद के विरुद्ध हमारे लंबे संर्घष में हमें निढाल और नियतिवादी बना दिया है। देश की अब आंतरिक सुरक्षा की समस्या और अधिक चिन्ताजनक और खतरनाक हो गई है।

माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के समक्ष आतंकवाद के खतरे से मुकाबला करने के लिए अत्यधिक सजकता पर जोर दिया है। देश में हुई हाल की घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में यह समयानुकूल है।

महोदय, उन्होंने लगभग आतंक के विरुद्ध युद्ध घोषित किया हुआ है। परन्तु किसी को भी यह विश्वास नहीं है कि हमारे प्रधानमंत्री के पास अपनी अच्छी मंशा वह अधिकार और आतंकवाद पर प्रहार करने की क्षमता है जिससे कोई महत्वपूर्ण बदलाव लाया जा सके।

मैं माननीय गृह मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि अगस्त महीने में देश के सुरक्षा विशेषत एक प्लेटफार्म पर एक साथ आए–यह निश्चित रूप से सरकार की जानकारी में लाया गया होगा–देश की बिगड़ती आंतरिक सुरक्षा स्थिति के ऊपर उन्होंने अपनी चिन्ता व्यक्त की और कहा :– "इस संबंध में और अधिक गंभीरता से विचार किये जाने की आवश्यकता है कि क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं?" यह देश के विशेषज्ञों का कथन है, वे सुरक्षा विशेषज्ञ हैं। इसलिए सरकार को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। यह उनका कथन है।

उन्होंने यह भी विचार व्यक्त किया कि सुरक्षा संबंधी समस्याओ में लगातार वृद्धि हो रही है। गृह मंत्रालय के पिछले वार्षिक प्रतिवेदन में

[श्री बृज किशोर त्रिपाठी]

बताया गया है कि देश के एक–तिहाई हिस्से में कुछ–न–कुछ आंतरिक गड़बड़िया परिलक्षित हुई हैं और 14 राज्यों के 165 जिले माओवादी गतिविधियों से प्रभावित हैं। स्थिति अब और भी बिगड़ गयी है। परन्तु इसके निदान और बचाव के लिए कोई स्थायी रणनीति नहीं है।

मैं माननीय गृह मंत्री का ध्यान इस और आकर्षित करना चाहता हूं कि 5 सितम्बर को आयोजित, आंतरिक सुरक्षा से संबंधित मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन के दौरान केन्द्र सरकार ने यह माना कि सीमा पार आतंकवाद देश के भीतर तक फैल गया है और पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में यह तिगुना हो गया है। कश्मीर में ग्रेनेड हमलों में वृद्धि, नक्सली हिंसा में हताहतों की संख्या में वृद्धि और पूर्वोत्तर क्षेत्र में विद्रोह में कोई कमी नहीं आई है।

देश की जनता देश के उच्चतम प्राधिकारियों, विशेषकर गृह मंत्री, माननीय प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी द्वारा हाल में उद्घाटित सनसनी खेज खबरों से सकते में हैं।

यह सनसनी खेज खबर माननीय गृह मंत्री से प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने देश की पुलिस और गुप्तचर सेवाओं को उन षडयंत्र के बारे में बताया जिसके अन्तर्गत पाकिस्तान से प्रचालित आतंकवादी संगठन तेल तथा गैस स्थापनाओं, सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र, नाभिकीय स्थापनाओं, संचार नेटवर्क और रक्षा स्थापनाओं को अपना निशाना बनाने की योजना बना रहे हैं।

श्री एम.के. नारायणन, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार आतंकवादियों द्वारा नाभिकीय संयंत्रों को निशाना बनाने के बारे में पहले ही बता चुके हैं। हाल ही में श्री एम.के. नारायणन तथा माननीय गृह मंत्री ने भी नार्गाजुन सागर बांध तथा अन्य अवसंरचनात्मक स्थापनाओं जैसे बहुउद्देशीय परियोजनाओं के खतरे की ओर इशारा किया है।

आतंकवादियों की कुछ वीरान पड़े द्वीपों पर कब्जा करने और उन्हें भारतीय तटों पर आतंकवादी गतिविधियां चलाने के लिए उन्हें 'बेस' के रूप में उपयोग करने की योजना भी है। यह माननीय गृह मंत्री द्वारा कहा गया है। इसलिए मैं यह जानना चाहूंगा कि यह वक्तव्य सही है या नहीं। यदि यह सही है, तो सरकार इन सभी धमकियों से निबटने के लिए क्या कार्रवाई कर रही है? आई बी प्रमुख की टिप्पणियों के संबंध में पहले ही गृह मंत्री ने इसका खंडन कर दिया है। चूंकि मैने अपना स्थगन प्रस्ताव दिया है, मैंने यह बात अपने नोटिस में भी कही है, इसलिए मैं माननीय गृह मंत्री का ध्यान इस और पुनः आकृष्ट करना चाहता हूं।

आई बी प्रमुख श्री नरसिम्हा ने प्रधान मंत्री के समक्ष बदलते हुए परिदृश्य में एक विशेष कानून का आग्रह किया था चूंकि कानूनी ढांचा पर्याप्त नहीं था।

**श्री शिवराज वि. पाटील** : आपके इस वक्तव्य के कारण आप पर विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव भी लाया जा सकता है।

**श्री बृज किशोर त्रिपाठी** : कोई बात नहीं। यह पहले ही सभी राष्ट्रीय समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जा चुका है। मैं स्वीकार करता हूं। मैं आपका वक्तव्य स्वीकार कर रहा हूं।

**श्री शिवराज वि. पाटील** : आप राष्ट्रीय समाचार पत्रों पर निर्भर हैं और हम विशेषाधिकार हनन पर निर्भर हैं।

**श्री बृज किशोर त्रिपाठी** : मैं आपका वक्तव्य स्वीकार कर रहा हूं। यह सभा की परंपरा है। परंतु मैं इसे निश्चित रूप से सभा की जानकारी में लाउंगा कि किस प्रकार यह सभी राष्ट्रीय समाचार पत्रों में आया है। सरकार को इस संबंध में स्पष्टीकरण देना चाहिए। यह सरकार और मीडिया के बीच है।

**श्री शिवराज वि. पाटील** : मैं जिम्मेदार नहीं हूं। मैं मीडिया में नहीं लिख रहा हूं ...*(व्यवधान)*

**श्री बृज किशोर त्रिपाठी** : फिर क्या मीडिया पर विश्वास नहीं करें? क्या आप यह कह रहे हैं।

**श्री शिवराज वि. पाटील** : हम मीडिया में विश्वास करते हैं जब वह सही होता है और जहां वह सही नहीं होता है, उसे हम आपकी जानकारी में लाते हैं।

**श्री बृज किशोर त्रिपाठी** : यह किसी एक समाचार पत्र में नहीं था। यह पूरे राष्ट्रीय मीडिया में आया है ...*(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री त्रिपाठी, कृपया अध्यक्षपीठ को सम्बोधित करें।

*[हिन्दी]*

**श्री लालू प्रसाद** : किसी ने यह कहा, वह कहा। आप अपनी बात कहिए ...*(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय** : आप बीच में डिस्टर्ब न करें।

...*(व्यवधान)*

**श्री बृज किशोर त्रिपाठी** : तब माननीय गृह मंत्री जी से मैं एक बात और जानना चाहूंगा। यदि यह सच नहीं है, तो हमें बताएं, हमें वक्तव्य का, माननीय प्रधानमंत्री के भाषण का भी उसी बैठक में अध्ययन करने दें। उन्होंने कानून, आतंकवाद और विकास से संबंधित सेमिनार में क्या कहा? माननीय प्रधानमंत्री विभिन्न प्रकार के आतंकवाद के खतरों के बारे में आई बी के साथ पूरी तरह से सहमत थे। उन्होंने कहा – "काफी बड़ी मात्रा में वित्तीय और भौतिक संसाधन के उपलब्ध होने के कारण, आतंकवादी समूह आधुनिक संचार प्रणाली तथा अत्याधुनिक

प्रौद्योगिकी का उपयोग करने में सक्षम हैं' उन्होंने पुलिस प्रमुखों के उसी सेमिनार में यह भी कहा कि देश में वर्तमान कानून आतंकवादियों से निपटने के लिए पर्याप्त है। यदि यह सच नहीं है कि सेमिनार में किसी ने ऐसा कुछ कहा तो उन्हें ऐसा वक्तव्य क्यों देना पड़ा? उन्होंने ऐसा वक्तव्य दिया? वे किसका संदर्भ दे रहे थे? संदर्भ दिया जाना आवश्यक क्यों था? स्वाभाविक रूप से, कुछ लोगों ने कहा कि आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए एक विशेष कानून आवश्यक है और यही कारण था कि माननीय प्रधानमंत्री को अपने भाषण में ऐसा वक्तव्य देने के लिए बाध्य होना पड़ा कि एक विशेष कानून आवश्यक नहीं है और वर्तमान कानून आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए पर्याप्त है।

ये आतंकवादी अधिक परिष्कृत हैं और बेहतर नेटवर्क से युक्त और अपने खतरनाक इरादों को पूरा करने के लिए अत्यधिक प्रेरित रहते हैं। माननीय राष्ट्रपति जी ने यह भी प्रस्ताव किया है कि छोटे–मोटे युद्ध लड़ने, आतंकवाद का मुकाबला करने और युद्ध जैसी स्थिति का मुकाबला करने के लिए अत्याधुनिक उपकरणों से लैस एक विशेष पुलिस बल बनाया जाए। इसलिए राष्ट्रपति जी ने सरकार को सही सलाह दी कि युद्ध जैसी स्थिति है और हमारे पुलिस बल को छोटे–मोटे युद्ध जैसी स्थिति का मुकाबला करने के लिए सुसज्जित करना होगा। उन्होंने कानूनी व्यवस्था का भी संदर्भ दिया। उन्होंने कहा कि कानूनी सुधार जैसे साक्षियों को संरक्षण देने, साक्षियों की पहचान छुपा कर रखने; अपराधों का प्रशनन करने और जजों को पर्याप्त संरक्षण प्रदान करने जैसे कानूनी सुधारों से अपराध न्याय प्रणालनी पर बढ़ते दवाब को कम करने में मदद मिलेगी। उन्होंने यह भी सलाह दी कि अपराध न्याय प्रणाली में कुछ त्रुटियां हैं। यही कारण है कि हमें यह भी अवश्य देखना चाहिए कि इस सब का समाधान किस प्रकार किया जाना है, किस प्रकार अपराधियों को कानून की गिरफ्त में लाया जाना है और किस प्रकार उन्हें दंडित किया जाना है और किस प्रकार अपराध न्याय प्रणाली को बदला जाना है। राष्ट्रपति जी की भी यह सलाह है। हमें इसका निश्चित रूप से सम्मान करना चाहिए। यही कारण है कि एक विशेष कानून की जरूरत है जैसा कि आई बी प्रमुख ने सुझाव दिया था या जो भी ऐसा सुझाव दे रहे थे।

महोदय, हम सभी यह जानते हैं कि सरकार गंभीर दुविधा और भ्रम की स्थिति में है। मेरा आरोप है कि वे एक राजनीतिक रणनीति के अनुसार कार्य कर रहे हैं। परंतु यह निरर्थक है क्योंकि सरकार के पास इसे कार्यान्वित करने की ताकत नहीं है। वे सुरक्षा रणनीति में भी लगे हुए हैं परंतु वे राजनीतिक परिणामों के भय से इसे कार्यान्वित नहीं कर सकते।

यही वे कारण हैं जिनकी वजह से सरकार पिछले दो–ढाई वर्षों के दौरान आतंकवाद का मुकाबला करने में बुरी तरह असफल रही है। नष्ट किए गए आतंकवादी ठिकानों की संख्या में तेजी से कमी आयी है। अधिकांश मामलों में यह पाया गया कि आतंकवादियों द्वारा स्थानीय लोगों को आतंकवादी गतिविधियों के लिए भर्ती किया जाता है परंतु दुर्भाग्यवश माननीय प्रधानमंत्री के सुरक्षा सलाहकार उन्हें इन बातों को नहीं बता रहे हैं।

यह भी पाया गया है कि सरकार आतंकवाद के बुनियादी ढांचे को नष्ट करने के लिए गंभीर कदम नहीं उठा रही है। इस्लामाबाद का छद्म युद्ध अभी भी जारी है। पाकिस्तानी नेता हमारे देश में आतंकी गतिविधियों को चलाने के लिए आतंकियों की मदद कर रहे हैं और उन्हें भड़का रहे हैं। हमेशा की तरह सीमा पार पाक अधि कृत कश्मीर (पीओके) में करीबन 62 आतंकवादी प्रशिक्षण केन्द्र चलाए जा रहे हैं। पाकिस्तान के उत्तरी भाग से घुसपैठ भी बढ़ती जा रही है और पिछले नौ महीनों में करीबन 200 मामले प्रकाश में आए हैं ...*(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय** : कृपया सदन में शांति बनाए रखें।

**श्री बृज किशोर त्रिपाठी** : उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर–पूर्व से प्रवासी और घुसपैठिए लगातार बंग्लादेश और म्यांमार में सुरक्षित शरण पा रहे हैं। सरकार द्वारा इस मामले में देखे जाने की आवश्यकता है।

अब सीमापार आतंकवाद साऊथ ब्लाक की राजनयिक कार्यसूची का भाग नहीं लगता। हम सभी जानते हैं कि सीमा पार से संचालित आतंक ने भारत की संप्रुभत्ता और प्रगति पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव डाले है। प्रभावी न्याय और व्यवस्था तंत्र विकसित किए बिना विकास करना असंभव है।

सरकार को नक्सलवादी समस्या पर भी ध्यान देने की जरूरत है। भारत सरकार इसे राज्य की सामान्य न्याय और व्यवस्था की समस्या बताकर नहीं बच सकती सरकार को इस समस्या के पीछे की सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक समस्याओं पर विचार करना चाहिए। क्षेत्रीय असंतुलन, निरंतर कोताही और देश में व्यापत गरीबी और भूख के कारण आए पिछड़ेपन ने भी देश के बेरोजगार युवाओं को भ्रमित करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है।

सरकार की रणनीति रक्षात्मक लगती है। मैं महसूस करता हूं कि वे रक्षा के लिए किसी स्थायी रणनीति पर विचार नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम कोई अक्रामक उपाय नहीं कर रहे हैं। हम आतंकवाद के विरुद्ध केवल रक्षात्मक उपाय कर रहे हैं। आतंकवाद से निपटने के लिए सरकार को स्थायी रक्षात्मक उपाय और रणनीतियां तैयार करनी चाहिए। सभी आतंकवादियों को इस बात से अवगत करा दिया जाए कि उन्हें अपनी हर कार्रवाई का अंजाम भुगतना होगा। उन्हें इस बात का अहसास कराया जाना चाहिए कि विश्व उन्हें उनके लिए भी समान रूप से असुरक्षित होगा और राष्ट्र को आतंक के विरुद्ध लड़ाई करने के लिए अपने आपको तैयार करना होगा।

[श्री बृज किशोर त्रिपाठी]

अंत में, मैं आशा करता हूं कि यह सरकार राजनैतिक आघात जिससे यह पीड़ित है से बाहर आएगी और राष्ट्र के साथ न्याय करने के लिए सदभाव से कार्य करेगी।

सरकार देश में चलाई जा रही आतंकी गतिविधियों को रोकने के लिए क्या उपाय कर रही है? मैं सोचता हूं कि माननीय गृह मंत्री इस मुद्दे का जवाब दें क्योंकि पूरा राष्ट्र इससे पीड़ित है। हम इस अभिघात से किस प्रकार बाहर आएंगे? इस विवाद का उत्तर देते समय माननीय गृह मंत्री इस मुद्दे को भी स्पष्ट करें।

**श्री गुरूदास दासगुप्त** (पंसकुरा) : महोदय, सबसे पहले मैं इस बात को जरूर स्वीकार करूंगा कि मैंने सोचा था कि इस बहस से कुछ और तथ्य स्पष्ट होंगे परंतु जिस तरह से बहस को बिगड़ने दिया गया उससे मैं आश्चर्यचकित हूं। इस बहस से यह मुद्दा एक व्यक्ति विशेष को लटकाने और गृह मंत्री तथा सरकारी अधिकारियों के बीच बहस का प्रश्न बन गया है। इस चर्चा से यह महत्वपूर्ण प्रश्न उभरकर आया है कि यह सरकार जानबूझ कर आतंकवाद के प्रति नरम रवैया अपनाए हुए है। ऐसी मंशा नहीं रखनी चाहिए।

जैसा कि मैं समझ पाया हूं उनकी मंशा थी कि देश में आतंकवाद का सफाया करने के लिए सरकार द्वारा किए जाने वाले आवश्यक उपायों के संबंध में सरकार के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर विपक्ष के नेता स्थगन लेंगे। जिन माननीय सदस्यों ने बोला है उन्हीं ने राष्ट्र में आत्मविश्वास बनाने के बजाय लोगों में भय की भावना भर दी है। आगे, मेरी विनम्र राय है कि विपक्ष देश में वर्तमान स्थिति को आघात पहुंचाने मे सफल रहा है जो कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें देश की आंतरिक सुरक्षा जैसे सयेदनशील मुद्दे पर राजनीतिक खेल नहीं खेलने चाहिए। यदि आप इस पर राजनैतिक खेल खेलते हो तो इसका दुष्प्रभाव किसी भी पक्ष पर पड़ सकता है।

आतंकवाद के विरूद्ध लड़ाई में राष्ट्र को एकजुट होने की आवश्यकता है परतु मुझे यह कहते हुए खेद है कि दिए गए भाषणों ने देश के लोगो मे बंटवारे की भावना को जगा दिया। श्री आडवाणी जी ने यहां क्या कहा है? आतंकवाद से लड़ने के लिए उनका क्या कार्यक्रम है। मैं बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूंगा कि श्री आडवाणी आज अपनी फार्म मे नहीं है क्योंकि वे एक कमजोर विकेट पर खेल रहे थे। वे अपनी फार्म में नही थे। वे आतंवकाद से कैसे लड़ेंगे? वे आतकवाद के विरूद्ध लड़ाई टाडा, पोटा अलग कानून का उपयोग करके और अवैध प्रवजन को रोककर और अफजल को फांसी देकर करना चाहते हैं। भारत में आतंकवाद से लड़ने के लिए यही उनकी रणनीति है।

इसका मतलब लगभग यही निकलता है कि वह चाहते हैं कि पुलिस को और अधिक शक्तियां दी जाएं। वे देश में पुलिस राज्य बनाना चाहते हैं। यहीं पर हमारा उनसे मतभेद है – आतंकवाद से लड़ने के लिए किस पर विश्वास किया जाए? क्या हमें आतंकवाद से लड़ने के लिए केवल विभिन्न कानूनों और पुलिस पर निर्भर रहना चाहिए या फिर हमें लोगों पर, राष्ट्र, नागरिकों और इस देश के आतंकवाद रोधी प्रजातांत्रिक बलों पर निर्भर रहना चाहिए? उनकी अपनी रणनीति में लोगों की भूमिका के लिए एक भी शब्द नहीं है। मेरे मित्र, संसदीय कार्य मंत्री ने इसे भेजा था परंतु मैं इसे और अधिक विस्तारपूर्वक करना चाहूंगा। करीबन एक घंटे के पूरे भाषण में लोगों की कोई भूमिका नहीं थी। उन्होंने लोगों की कोई बात नहीं की, आतंकवाद के खतरे से लड़ने के लिए उन्होंने लोगों की सर्तकता की कोई बात नहीं की। उन्होंने उस आन्दोलन के बारे में बोला जिस पर उन्हें गर्व था परंतु उन्होंने भारत में आतंकवाद को समूल नष्ट करने के लिए किसी प्रसिद्ध आन्दोलन या विद्रोह के बारे में कोई बात नहीं की। उनको प्रसिद्ध आन्दोलनों और लोगों में कोई विश्वास नहीं है और नहीं सतर्कता में उनका कोई विश्वास है। उनका केवल एक ही विश्वास है कि पुलिस को आतंकवाद से लड़ने के नाम पर वो सब करने की असीमित शक्तियां प्रदान की जाएं जो वे चाहते हैं ...*(व्यवधान)*



**उपाध्यक्ष महोदय** : व्यवधान कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा और केवल श्री दासगुप्त के भाषण कार्यवाही वृत्तात में सम्मिलित किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

**श्री गुरूदास दासगुप्त** : मैं आज उसके भाषण का संदर्भ दे रहा हूं। मैंने उन्हें बहुत ध्यान से सुना था और उनका पूरा भाषण मेरे पास है। आज के भाषण में श्री आडवाणी ने न तो लोगों की भूमिका का उल्लेख किया और न ही उनकी भूमिका के विषय में एक शब्द कहा। उन्होंने उनकी बात नहीं की क्योंकि उनका जनता में विश्वास ही नहीं है उनको लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। ढांचे में, अंतिम शक्तियां जनता के पास निहित है और चूंकि उनके हृदय में लोकतांत्रिक लोकतंत्र के प्रति कोई आस्था नहीं है अतएवं वे पुलिस पर विश्वास करते है और वे भारत को एक पुलिस राज्य बनाना चाहते हैं। इस मुद्दे पर हमारा भाजपा के नेताओं के साथ मौलिक मतभेद है। आतंकवाद का सामना करने के लिए वे भारत को पुलिस राज्य में बदल देना चाहते हैं। हम उनसे बिल्कुल अलग हैं यहीं नहीं, श्री आडवाणी और मेरे मित्र माननीय मंत्री की एक बैठक के कार्यवाही सारांश दे रहे थे जो माननीय मंत्री के पास पहले ही थे। जनता में यह बताना समुचित होगा कि उस बैठक में क्या हुआ था जिसमें आतंकवाद के प्रश्न को सुलझाने के लिए पुलिस अधिकारी और सतर्कता अधिकारी मौजूद थे? क्या संसद के सभा पटल पर सामग्री प्रस्तुत करना उचित है? कृपया समझे कि इससे आप रणनीति को सुभेद्य बना रहे हैं ...*(व्यवधान)*

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*[अनुवाद]*

**उपाध्यक्ष महोदय** : कृपया परेशान न करें।

*[हिन्दी]*

**दासगुप्त जी,** आप कंटीन्यू करें।

*...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**श्री गुरूदास दासगुप्त** : हम नहीं समझते कि ये सब बातें प्रेस में आई होंगी, पर ऐसा बताकर और इस पर हायतौबा मचाकर इसका प्रकटीकरण करने और वक्तव्य देने से आप अपुष्ट पुलिस रिपोर्टों और अपुष्ट प्रेस रिपोर्टों की पुष्टि कर रहे हैं।

इन बातों को इतना बढ़ा–चढ़ाकर पेश कर अपुष्ट प्रेस रिपोर्टों को प्राथमिकता दे रहे हैं। इससे आप अपने पक्ष में बचाव का माहौल तैयार कर रहे हैं और अपनी रणनीति को सार्वजनिक कर रहे हैं। इससे यह सूचना उन लोगों तक पहुंच रही है जहां कि इसे नहीं पहुंचना नहीं चाहिए। संसद में ऐसा किया जाना शोभा नहीं देता है।

**श्री बृज किशोर त्रिपाठी** : हमें गृह मंत्री की इस बात के लिए प्रशंसा करनी चाहिए कि उन्होंने असली बात कह डाली है।

**श्री गुरूदास दासगुप्त** : हमारे कुछ सदस्यों की यही तो समस्या है। वे हर किसी को व्यवधान डालने की नियत से हमेशा बीच में टीका–टिप्पणी करते रहते हैं। उन्हें इतना भी धैर्य नहीं होता कि वे बहुविध विचारों को भी सुने। यही उनकी राजनीति की समस्या है। वे लोगों को सहन नहीं कर पाते हैं। वे विस्तृत विचारों को पचा नहीं पाते हैं। उनमें बहुआयामी विचारों को पचा पाने की क्षमता नहीं होती है। वे विरोधी विचार को झेल नहीं पाते हैं। वे नेतागिरी में विश्वास करते हैं।

**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री दासगुप्त, कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित करें।

*[हिन्दी]*

**श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन** (भागलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य इल्जाम लगा रहे हैं।

*[अनुवाद]*

**श्री गुरूदास दासगुप्त** : आप को पता होना चाहिए कि यह मेरा अधिकार है।

*[हिन्दी]*

क्या इल्ज़ाम लगा रहे हैं।

*[अनुवाद]*

**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री दासगुप्त, अध्यक्षपीठ के अलावा किसी और को संबोधित करना शोभा नहीं देता है।

*[हिन्दी]*

**डा. वल्लभभाई कथीरिया** (राजकोट) : उपाध्यक्ष जी, ये सरासर इल्जाम लगा रहे हैं।

*[अनुवाद]*

वे पूरी तरह से सभा को और इस देश के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। हम भी इस देश की सुरक्षा से उतने ही ताल्लुकात रखते हैं। देश की सुरक्षा के लिए केवल वे ही जिम्मेवार नहीं हैं।

**श्री गुरूदास दासगुप्त** : महोदय, मैं जानता हूं कि सभा में कुछ ऐसे भी सदस्य हैं जो वास्तविक रूप से कम्युनिस्ट के विरोधी हैं, न कि केवल सैद्धान्तिक रूप से। पर, आज मेरे भाषण का यह अंग नहीं है।

अब मैं दूसरी बात पर आता हूं। श्री आडवाणी किस तरह से आतंकवाद से निपटना चाहते हैं? श्री आडवाणी आतंकवाद से निपटना चाहते हैं, और इसलिए वे कहते हैं : "पाकिस्तान से सावधानीपूर्वक बात करें।" उनका कहना है : "बंग्लादेश के बारे में सचेत रहें।" वे दोनों हमारे बड़े पड़ोसी हैं। पाकिस्तान में आतंकवाद है, फिर भी उसी देश में सैंकड़ो–हजारों ऐसे भी लोग हैं जो भारत के मित्र हैं। बंगलादेश में आतंकवाद है, किन्तु बंगलादेश में ही लाखों ऐसे लोग हैं जो भारत–बंगलादेश दोस्ती में विश्वास करते हैं। हमें उन्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहिए। जब वे बोलते हैं, तो उन्हें नौकरशाही के बारे में बोलना चाहिए, उन्हें आतंकवाद के बारे में बोलना चाहिए। मैं जनता की आदर करता हूं। अंतिम निर्णायक शक्ति जनता ही होती है।

बंगलादेश और पाकिस्तान के साथ–साथ वे अफजल की बात करते हैं। वे और किस बारे में बात करते हैं? वे आतंकवाद के ठिकाने और उनकी बुनियादी ढांचों को नष्ट करने की बात करते हैं। एक और एक, फिर एक और फिर एक अर्थात चार। क्या यह भारत में आतंकवाद की संवेदनशील समस्या को साम्प्रदायिक रंग देने का तरीका नहीं है, कृपया धैर्य के साथ मेरी बात सुनिए। क्या भारत के पुनरूद्धार का यही तरीका है?

भारत एकजुट है। मैं इस सरकार को धन्यवाद देता हूं कि इसने भारत में धर्म निरपेक्षता के ढांचे को बनाए रखा है। यही कारण है कि इस सरकार का समर्थन कर रहे हैं। सरकार को मैं धन्यवाद देता हूं। धर्मनिरपेक्षता मौलिक बुनियाद है और सरकार ने इस बुनियाद की रक्षा की है। यह भारत की धर्मनिरपेक्षता की देन है कि हम भारत में

[श्री गुरूदास दासगुप्त]

आतंकवाद से लड़ सके। हमें निरंकुश पुलिस नहीं चाहिए। हमें जनता चाहिए। हमें जनता का समर्थन चाहिए। जनता के समर्थन से ही हम इस देश में सभी विदेशी एजेंटों और आतंकवाद पर लगाम कर सकते हैं। किन्तु, श्री आडवाणी को लोगों में विश्वास नहीं है।

अंत में मैं माननीय मंत्री जी की जानकारी में नक्सलवाद की समस्या को लाना चाहता हूं। नक्सली समस्या और सीमापार के आतंकवाद की समस्या एक समान नहीं है। मैं यह नहीं मानता कि सीमा–पार के आतंकवाद और नक्सलवाद की समस्या एक जैसी है। अब चूंकि लोगों में धैर्य की कमी है, समुदाय का एक बहुत बड़ा तबका यह नहीं मानता कि देश की राजनीतिक व्यवस्था जनता के हाथों में उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप दी गई है, इसलिए उनमें हताशा है।

**अपराह्न 5.00 बजे**

विश्वास की कमी है, देश की राजनीतिक व्यवस्था में भरोसा नहीं है। नक्सलवाद गरीबी से जुड़ी हुई है, नक्सलवाद बेरोजगारी से जुड़ी हुई है और नक्सलवाद असिहष्णुता से जुड़ी हुई है। नक्सलवाद का उन्मूलन राज्य की ताकत और पौरूष बल से खत्म नहीं किया जा सकता है। इसके लिए हमें अन्य प्रयास करने होंगे। हम काम का सृजन करना होगा; हमें गरीबी का उन्मूलन करना होगा और हमें मानव की मूलभूत समस्याओं से निपटने के लिए बुनियादी ढांचे के व्यापक स्रोत का सृजन करना होगा।

नेपाल में ही देखा जाए। नेपाल में नक्सलवाद ने गरीबी के नाम पर एक अदभूत राजनीतिक ताकत का रूप ले लिया है। भारत में भी यदि माननीय गृह मंत्री ने सावधानी बरती होती तो पुलिस को निरंकुश बनाने के निराधार तर्क का शिकार होने के बजाय वे गरीबी, बेरोजगारी की समस्या से निजात पा चुके होते। इस संबंध में देश की दो प्रमुख राजनीतिक पार्टियों द्वारा प्रायोजित आन्दोलन 'सालवां जूडम' का हवाला दे रहा हूं। छत्तीसगढ़ में दोनों ही राजनीतिक पार्टियां उकना वित्तपोषण कर रही हैं, उन्हें हथियारों की आपूर्ति कर रही हैं। इससे गृह युद्ध के हालात पैदा होंगे। सरकार को चाहिए कि वे इन राजनीतिक ताकतों पर नियंत्रण रखें; सरकार यह सुनिश्चित करें कि नक्सलवाद से पुलिस निपटेगी। उन्हें लोगों को दूसरे तबके के लोगों से लड़ने के लिए हथियार की आपूर्ति नहीं करनी चाहिए। यह लोगों का आवेग नहीं है, बल्कि दो राजनीतिक पार्टियों का फुरिसत खेल है। इस संबंध में मैं समझता हूं कि हम लोग उस मार्ग को नहीं अपना रहे हैं।

मेरे मित्र श्री सुधाकर रेड्डी यहां है। उन्होंने नक्सली क्षेत्र में सभा को संबोधित किया। सभा में पचहत्तर हजार लोग उपस्थित हुए थे। छत्तीसगढ़ सरकार ने सभा आयोजन की अनुमति कभी नहीं दी। अनुमति के लिए हमें उच्च न्यायालय जाना पड़ता है। श्री सुधाकर रेड्डी यहां हैं। हमने बिना किसी हथियार, बिना किसी आरडीएक्स के 75000 लोगों को इकट्ठा किया। नक्सलवाद की समस्या से निपटने का यही तरीका है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि वे धर्मनिरपेक्षता की बुनियाद की रक्षा करें। साथ ही, वे देश में व्याप्त आतंकवाद की समस्या पर काबू पाने के लिए अपने प्रयास में गति लाएं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं स्थगन प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

*[हिन्दी]*

**श्री इलियास आजमी** (शाहाबाद) : डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया चूंकि मैं बीमार हूं और कल ही हॉस्पिटल से निकलकर आया हूं।

**श्री मोहन सिंह** : आप धीरे धीरे बोलिये।

**श्री इलियास आज़मी** : डिप्टी स्पीकर साहब, आज मैं सोचता हूं कि बहुजन समाज पार्टी के एक मैम्बर की हैसियत से, बहुजन समाज पार्टी के नजरिये से और एक हिन्दुस्तानी मुसलमान क्या सोचता है आज के हालात में, उसको भी मैं सोच–समझकर अपनी संसद के रिकार्ड में लाऊं। मै। हाथ जोड़कर अपने दाहिने और बाएं बैठने वालों से कहूंगा कि चंद मिनट मेरी बातें गौर से सुन लें। आपको एतराज करना होगा तो मुझसे कर लें याफिर बाद में कर लें। आप जानते हैं मैं हमेशा इंसाफ के साथ बात करता हूं और अगर मैं भाजपा का विरोध करता हूं तो मैंने कांग्रेस का विरोध किसी से कम नहीं किया है।

उपाध्यक्ष जी, जो बात शुरू हुई है, इसकी हम में अफज़ल की फांसी का बात है। मै। वहीं से शुरू करता हूं। मैं सफाई से बता दूं कि चौधरी लाल सिंह अकेले जम्मू कश्मीर के नुमाइंदे हैं। मैं उनसे माफी चाहते हुए कहूंगा कि हिन्दुस्तानी मुसलमानों का पूरी तारीख में कभी कश्मीरी मुसलमानों से कोई गहरा ताल्लुक नहीं रहा है।

*[अनुवाद]*

**अपराह्न 5.04 बजे**

**(श्री मोहन सिंह *पीठासीन हुए*)**

*[हिन्दी]*

आज भी पाकिस्तान में हजारों शादियां हर साल हिन्दुस्तानी मुलसमानों की लाहौर से कराची तक होती हैं। मैं उस आदमी को पीएचडी की डिग्री देने की सिफारिश करूंगा अगर कोई सौ शादियां भी करोड़ों हिन्दुस्तानी मुसलमानों में करा दे और मैं नहीं जानता कि कश्मीर में मुसलमानों की क्या तादाद है, लाखों में तो है ही। अगर सौ–पचास शादियां और रिश्ता कोई तलाश कर दे तो मैं सिफारिश करूंगा कि उसको पीएचडी की डिग्री दी जाए। लेकिन आखिर कश्मीरियों के मामलात को हिन्दुस्तानी मुसलमानों से क्यों जोड़ा जाता है? वे बहुत

मज़लूम हैं, पचास–साठ सालों में जितने जुल्म उन पर हुए हैं, पूरी कौम टैररिस्ट नहीं हो गई। मैं कहता हूं कि आपको हिन्दुस्तानी मुसलमानों का शुक्रिया अदा करना चाहिए लेकिन हर चीज को उनके साथ जोड़ देना मुनासिब नहीं है।

सभापति जी, आज मुल्क में 60–70 ग्रुप टैररिज्म में मुलब्बस हैं। उनमें झारखंड, बिहार, आंध्रप्रदेश, असम, नॉर्थ ईस्ट, तमिलनाडु, कश्मीर और पंजाब के ग्रुप्स शामिल हैं। अगर आप इनमें से इंसाफ के साथ देखेंगे, तो बमुश्किल चार–पांच मुस्लिम ग्रुप हैं और उनमें से भी जैश–ए–मोहम्मद और लश्कर–ए–तैयबा जैसे ग्रुप हैं, जिनका हिन्दुस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है। आप कुल मिलाकर चार–पांच से ज्यादा ऐसे ग्रुप तलाश नहीं कर सकते, जो मुसलमानों से संबंधित हों और टैररिज्म के कामों को अंजाम दे रहे हों। अगर कोई मुसलमान एक अपराध करता है, तो वह बड़े से बड़ा अपराध बन जाता है और यदि कोई दूसरे समुदाय का व्यक्ति बड़ा अपराध भी करता है, तो वह छोटे से छोट अपराध बन जाता है – ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए।

महोदय, यहां शिव सेना के हमारे भाई दिखाई नहीं दे रहे हैं। मैं समझता हूं कि बालासाहेब ठाकरे और दाऊद इब्राहीम में फर्क करके अगर इंसाफ की लाठी चलाएंगे, तो आप देश से टैररिज्म को खत्म नहीं कर सकते। चाहे एन.डी.ए. की सरकार रही हो या यू.पी.ए. की सरकार हो, एक सिलसिला लगातार मुसलसल चलता जा रहा है कि कहीं कोई भी आतंकवादी घटना हो, पुलिस अपनी नाकामी छिपाने के लिए उसमें बैरूनी ताकतों का हाथ बता देती है। कुछ माह पहले मुम्बई की ट्रेनों में बम फटने की घटना हुई और 10 मिनट के अंदर समाचार आ गया कि इन बम धमाकों में बैरूनी हाथ है। दूसरे दिन मुख्य मंत्री का बयान भी आ गया कि इस घटना में आई.एस.आई. और पाकिस्तान का हाथ है। मैं कह रहा हूं कि पुलिस अपनी नाकामी को छिपाने के लिए कोई भी घटना हो, उसके पीछे बैरूनी हाथ होने की बात कह देती है।

महोदय, मैं हिन्दुस्तान के मुसलमानों की आवाज बहुत जोरदार तरीके से आप तक पहुंचाना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि हमारे लिए क्या यह शर्म की बात नहीं है कि अंदरूनी हाथ क्यों इतना कमजोर है कि वह मुल्क के अंदर अपने घर में घटना करने से बैरूनी हाथ को नहीं रोक सकता? मैं कहता हूं कि मुल्क में हजारों आई.पी.एस. ऑफीसर्स हैं, पुलिस कांस्टेबल से होकर इंसपैक्टर तक लाखों की संख्या में पुलिस बल के लोग है। अगर ये सब मिलकर भी बैरूनी हाथ का घटना करने से नहीं रोक पाते हैं, तो मैं कहता हूं कि इससे ज्यादा शर्मनाक बात हमारी व्यवस्था के लिए और कोई नहीं हो सकती है। अपनी नाकामी के लिए इन सारे आई.ए.एस. और आई.पी.एस. ऑफीसर्स को जहर खा लेना चाहिए या अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए या इन्हें बर्खास्त कर के नई भर्ती करनी चाहिए। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय, मैं पहले भी कह चुका हूं, मैं कही हुई बातों को दोहराना नहीं चाहता, आप लोग बार–बार पोटा का जिक्र करते हैं। मैं कहता हूं कि आप पोटा और टाडा से भी हजार गुना कड़ा कानून बना दें, कुछ नहीं होगा, जब तक कि समाज से ऊंच–नीच, जाति–भेद और समुदाय–भेद के भेदभाव को जड़ से दूर नहीं किया जाएगा। आपको हर हिन्दुस्तानी को अपने अमल से यह एहसास दिलाना होगा कि मुल्क में इंसाफ का राज है। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक आप क्या और हम क्या, सब मिलकर भी टैररिज्म को खत्म नहीं कर सकते।

महोदय, आज पहले नंबर पर महाराष्ट्र, दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश और तीसरे नंबर पर दिल्ली में अनेक लोगों को एनकाउंटर में मारा जा रहा है। आप एनकाउंटर करके लाखों इंसानों को मरवा सकते हैं, लेकिन आप इस प्रकार के कामों से टैररिज्म को नहीं रोक सकते हैं। जो मरा जाएगा उसकी नस्ल से फिर कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो बदला लेगा। ...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय** : आप अपनी बात कहिए।

**श्री इलियास आज़मी** : आप एक बात सुन लीजिए।

**सभापति महोदय** : आप समाप्त कीजिए।

**श्री इलियास आज़मी** : आप देश से टैररिज्म को समाज में बराबरी और इंसाफ का दर्जा कायम कर के ही खत्म कर सकते हैं। अगर सोसायटी में असंख्य लोगों को हजारों सालों से जानवर बनाकर रखेंगे, उनमें शिक्षा और चेतना पैदा न होने पर, वे बागी पैदा होंगे और दुनिया की कोई ताकत उन्हें बागी होने से नहीं रोक सकती है। आप लोगों को यह शोभा नहीं देता कि आप केवल आतंकवाद और नक्सलवाद की बात करें। आप लोग अपने इस्तला को बदलिए। जो नाइंसाफी से तंग आकर, जुर्म से मायूस होकर, इंसाफ से मायूस हो कर बम धमाका करता है या बाजार में गोली चलाकर लोगों को मार देता है या रात में गांव पर हमला करता है, जैसे कि बिहार में होता है तो उसे आतंकवाद ही कहेंगे। नक्सलवाद और आतंकवाद दो अलग–अलग इस्तलाहें हैं। जब तक आप इन इस्तलाहों को सही नहीं करेंगे तब तक देश को कोई भला होने वाला नहीं है। अगर आप दिन रखकर, दिनदहाड़े यूपी सरकार की मशीनरी की मदद से और केन्द्र सरकार की पूरी साजिश के साथ बाबरी मस्जिद को ढहाएंगे, करोड़ो–करोड़ इंसानों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करेंगे, उसका विरोध करने के लिए मुम्बई में लोग निकलेंगे और अपना सर रैलिंग से टकराएंगे, उन पर पुलिस से गोली चलवाएंगे, 6 दिसम्बर और 7 जनवरी को दो चरणों में हजारों इंसानों का कत्लेआम करवाएंगे और पुलिस को लगा देंगे कि वह वायरलैस पर यह ऐलान करती रहे कि मुसलमानों को बचाओ मत, उनको मारो। अगर आफताब खां जो कि ज्वाइंट कमिश्नर था, कोई आदेश दें ...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय** : आप बैठ जाइए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है।

**श्री इलियास आज़मी** : बराबर ऐलान होता रहे और कोई इंसाफ न मिले, जब कांग्रेस की सरकार की शह पर वहां की पूरी व्यवस्था एक वर्ग को मिटाने पर तुल जाए और कोई इंसाफ न मिले, न कोई मुकदमा कायम हो, न कोई अरैस्ट हो तो फिर 12 मार्च की घटना को होने से कोई ताकत नहीं रोक सकती है। 12 मार्च की घटना को जिम्मेदार जितना टाइगर मैमन है, उससे ज्यादा महाराष्ट्र की पुलिस है। उससे ज्यादा उस वक्त की कांग्रेस की सरकार है। जब आप कत्लेआम करेंगे, इंसाफ नहीं देंगे तो क्या होगा? उस समय मैं मुम्बई में मौजूद था और मैंने अपनी आंखों से देखा है। मुझे यह करने में कोई झिझक नहीं है कि यदि मेरी उम्र 20–22 साल की होती तो मैं भी आतंकवादी होकर मर गया होता, इसलिए कि यदि आप इंसाफ के सारे रास्ते बंद कर देंगे तो आतंकवाद को पैदा होने से कोई नहीं रोक सकता है। ...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय** : आप बैठ जाइए। आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है।

**श्री इलियास आज़मी** : महोदय, यह मेरी आखिरी सैन्टेंस है। मैं चाहता हूं कि संसद सदस्य इस बात को नोट करें और विचार करें कि यदि आप सोसायटी से भेदभाव और जुर्म को खत्म कर दें, आवाम के हर तबके से मायूसी मिटा दें, देश में जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव को रोक दें, उसके बाद यदि एक आदमी भी आतंकवादी हो जाए तो इलियास आज़मी को दिल्ली के सबसे बड़े चौराहे पर फांसी पर लटका दें, इलियास आज़मी अपना खून माफ करता है। ...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय** : तब तो आपकी प्रतिमा लगानी पड़ेगी।

**श्री लालू प्रसाद** : आप कह रहें है कि हम को फांसी दे दीजिएगा। लेकिन इस मुकदमे में कौन फंसेगा?

**श्री इलियास आज़मी** : मैं लिखकर दे दूंगा कि किसी को न फंसाया जाए। आखिरी जुमला पढ़ रहा हूं। श्री शिवराज पाटिल और श्री शरद पवार दोनों की महाराष्ट्र में सरकार है। आज महाराष्ट्र में सरकार जिस तरह से मुसलमानों के ऊपर टूट पड़ी है, वह शर्मनाक है। एक भी सबूत नहीं है। हमारी सरकार ने कहा था कि हम पाकिस्तान को सबूत देंगे। लेकिन हमारी सरकार ने, जब पाकिस्तान के होम मिनिस्टर आये थे, कोई सबूत नहीं दिये। जिस तरह का जुल्म का बाजार कायम है, उससे आप सिर्फ नये टैरेरिस्ट्स पैदा कर रहे हैं। शरद पवार जी आप अपने होम मिनिस्टर को, शिवराज पाटिल जी, आप अपने चीफ मिनिस्टर को समझाइये। ...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय** : आपका भाषण अब रिकार्ड पर नहीं जायेगा। आपकी कोई बात रिकार्ड पर नहीं जायेगी।

डा. रतन सिंह।

...*(व्यवधान)**

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**सभापति महोदय** : अब आप बैठिए, रिकार्ड पर कुछ नहीं जा रहा है। डा. रतन सिंह के भाषण के अलावा अब कोई बात रिकार्ड पर नहीं जायेगी। अब आप बैठिये।

...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय** : अब आप शान्त हो जाइये, आपकी बात पूरी हो गई।

...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय** : आपकी बात रिकार्ड पर नहीं जा रही है, आप क्यों बोल रहे हैं।

***डा. रतन सिंह अजनाला** (तरनतारन) : माननीय सभापति, महोदय, आपने मुझे श्री आडवाणी द्वारा लाए गए स्थगन प्रस्ताव के पक्ष में बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आंतरिक सुरक्षा से हम सबों का ताल्लुकात होना चाहिए। देश की सुरक्षा सर्वोपरि है और इसे सुदृढ़ किया जाना चाहिए। हालांकि, यह बात माननीय सदस्यों के भाषण में नहीं आई है। जो लोग मेरे साथ बैठे हुए हैं, उन्हें हिन्दू वोटों से मतलब है। वामपंथी दलों का नक्सलियों से मतलब है। सत्ता पक्ष के लोगों को मुस्लिम वोटों से मतलब है। देश की सुरक्षा से किसी को कोई लेना देना नहीं है।

महोदय, पंजाब में आतंकवाद की उत्पत्ति के लिए कौन जिम्मेवार था? इसके लिए कांग्रेस पार्टी जिम्मेवार है। देश में हुए सिक्खों के नरसंहार के लिए भी वे ही जिम्मेवार हैं। महोदय, भारत के तत्कालीन गृह मंत्री और पंजाब के तत्कालीन मुख्य मंत्री मोटी अकल के व्यक्ति थे। उनके टकराव का परिणाम हुआ कि पंजाब में आतंकवाद की उत्पत्ति हुई। इसके परिणामस्वरूप लाखों लोग मारे गए। इसी का परिणाम हुआ कि श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। उसके बाद हजारों निर्दोष सिक्खों को गाजर–मूली की तरह कतर दिए गए। महोदय, जब महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने की थी, तो प्रतिक्रिया में कितने हिन्दू लोग मारे गए थे? किन्तु, श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के पश्चात् सिखों को तत्कालीन सरकार के इशारे पर निशाना बनाया गया था।

महोदय, आजादी के साठ वर्ष हो चुके हैं। कांग्रेस पार्टी ने केन्द्र में तकरीबन 50 वर्षों तक शासन किया है। पर, कांग्रेस पार्टी ने भारतीयों को विरासत में जो दिया है वह है केवल निरक्षरता, गरीबी और दंगा। कांग्रेस पार्टी ने देश में सबसे अधिक शासन किया है, पर उसने लोगों के साथ केवल अन्याय ही किया है ...*(व्यवधान)*

* मूलतः पंजाबी में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

*[हिन्दी]*

**सभापति महोदय** : आप बैठ जाइए। आप उन्हें बोलने दीजिए। आपकी बात रिकार्ड में नहीं जा रही है।

*...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

* **डा. रतन सिंह अजनाला** : महोदय, गरीबी आतंकवाद और नक्सलवाद का मूल कारण है परंतु किसी ने भी कभी भी गरीबी के उन्मूलन का प्रयास नहीं किया। हमने देश के गरीब व्यक्तियों की बड़े आराम से उपेक्षा की है। हमने गरीबों के लिए असंख्य योजनाओं की घोषणा की है। हमने इस महान सभा में अनेक बजट पारित किए हैं। परंतु गरीबों और दबे-कुचलों तक कभी भी कोई भी मदद नहीं पहुंचती है। यदि इन योजनाओं का लाभ गरीबों और जरूरतमंद लोगों तक पहुंच जाता तो देश में कोई भी आतंकवाद, नक्सलवाद और दंगे नहीं होते। कांग्रेस पार्टी इस देश में हर प्रकार की बुराईयों के लिए जिम्मेदार है क्योंकि इसने देश पर पचास वर्षों से भी अधिक समय तक शासन किया है।

एक समय पंजाब एक समृद्ध राज्य था। परंतु पंजाब में आतंकवाद आ गया। परिणामस्वरूप राज्य में बीस वर्षों तक खून-खराबा होता रहा। इससे पंजाब पचास वर्ष पीछे चला गया है। पंजाब की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही है। शिक्षा के क्षेत्र में यह राज्य पिछड़ रहा है। आतंकवाद ने पंजाब के युवाओं पर विनाश की छाप छोड़ी है। युवाओं की एक पूरी पीढ़ी समाप्त हो गयी थी। कांग्रेस पार्टी इस विनाश की जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। इस प्रकार कांग्रेस पार्टी नक्सलवाद और आतंकवाद के उद्भव के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार थी *...(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**सभापति महोदय** : गिल साहब आप बैठ जाइए। आपकी बात रिकार्ड में नहीं जा रही है।

*...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

***डा. रतन सिंह अजनाला** : माननीय सभापति महोदय, मैं पंजाबी में बोल रहा हूं। संभवतः माननीय सदस्य पंजाबी नहीं समझते हैं। कृपया हेडफोन का उपयोग करें और भाषांतर को सुनिए।

*[हिन्दी]*

**सभापति महोदय** : आप अपनी बात जल्दी खत्म करिए।

*...(व्यवधान)*

* मूलतः पंजाबी में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

*[अनुवाद]*

**सभापति महोदय** : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

* **डा. रतन सिंह अजनाला** : माननीय सभापति महोदय, कांग्रेस पार्टी पंजाब में सत्ता में है। हवारा नाम का एक आतंकवादी जिसने स्वर्गीय मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या की थी इस अवधि के दौरान जेल से फरार हो गया। यह जानकारी स्तब्ध करने वाली है कि पंजाब सरकार इस फरार आतंकवादी को संरक्षण दे रही थी। *...(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**सभापति महोदय** : आप अपनी बात कहिए, उनकी बात रिकार्ड में नहीं जा रही है।

*[अनुवाद]*

कार्यवाही सारांश में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

*...(व्यवधान)*

* **डा. रतन सिंह अजनाला** : सभापति महोदय, ये लोग सच्चाई का सामना नहीं कर सकते। ये लोग न तो सच बोल सकते हैं और न ही सच सुन सकते हैं *...(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**सभापति महोदय** : गिल साहब आप बैठ जाइए।

*[अनुवाद]*

कृपया आप बैठ जाइए। कार्यवाही सारांश में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

*...(व्यवधान)*

* **डा. रतन सिंह अजनाला** : महोदय, हरियाणा में अनुसूचित जाति के लोगों के घरों को जला दिया गया। यदि दबे कुचले लोगों के साथ इस प्रकार का अन्याय होता रहा तो वे आतंकवादी बनने के लिए बाध्य होंगे। माननीय सदस्य हरियाणा से हैं। हरियाणा सरकार ने प्रभावित लोगों के लिए क्या किया है? महोदय मैं आश्चर्यचकित हूं। माननीय सदस्य जो हरियाणा से हैं, इस मामले पर खामोश हैं। हरियाणा में क्या हो रहा है? ये लोग भारत में आतंकवादियों के पैदा होने के लिए जिम्मेवार हैं *...(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**सभापति महोदय** : गिल साहब, आप बैठ जाइए।

*[अनुवाद]*

श्री गिल कृपया बैठ जाइए।

*...(व्यवधान)*

* मूलतः पंजाबी में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

*[अनुवाद]*

* **डा. रतन सिंह अजनाला** : महोदय, हवारा स्वर्गीय मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के लिए जिम्मेवार था। वह जेल से फरार हो गया। उसे पंजाब और हरियाणा के कांग्रेसी सरकार द्वारा संरक्षण दिया गया। वह एक सरकारी आवास से पकड़ा गया। कौन उन्हें संरक्षण दे रहा था? पंजाब में चुनाव होने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी शिरोमणि अकाली दल को नुकसान पहुंचाने के लिए आतंकवादियों का इस्तेमाल कर रही है। पंजाब के पुलिस महानिदेशक ने स्वयं ही यह कबूल किया है कि पंजाब में इस प्रकार के 300 आतंकवादी हैं जो पुलिस रिकार्ड में मृत हैं परन्तु वे वास्तव में जिंदा हैं। आतंकवादियों का उपयोग पंजाब में चुनावों के दौरान अशांति को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा।

सभापति महोदय, कांग्रेस पार्टी की आतंकवादियों को सरंक्षण देने की आदत है। क्या हम इन नीतियों के साथ आतंकवाद की बुराई को रोक सकेंगे।

*[हिन्दी]*

**सभापति महोदय** : आपने अपनी बात कह दी है, अब आप बैठ जाइए।

*[अनुवाद]*

* **डा. रतन सिंह अजनाला** : महोदय, सरकार अगर यह सोचती है कि आतंकवाद को ताकत से या पुलिस की सहायता से खत्म किया जा सकता है तो यह उसका भ्रम है। लोगों के सक्रिय सहयोग के बिना आतंकवाद को नियंतित्र नहीं किया जा सकता।

समय की मांग यह है कि गरीबों के उत्थान के लिए कार्य किया जाए। हमें पार्टी की राजनीति से उपर उठकर काम करना चाहिए। केवल तभी हम आतंकवाद को नियंत्रित कर पायेंगे।

मैं वाम दलों से अपील करता हूं कि वे दोनों तरफ की बातें न करें। उन्हें नक्सलियों का साथ नहीं देना चाहिए। यह देश के हित में नहीं है।

महोदय, मैं सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे क्षुद्र राजनीति से ऊपर उठें। आइएं हम सब आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई के लिए एकजुट हो जाएं। हमें पार्टी की राजनीति से उपर उठना चाहिए। यदि हम आपस में ही झगड़ते रहेंगे तो हम आतंकवाद को रोकने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। हमें एक होकर आतंकवाद की बुराई का मुकाबला करना चाहिए।

*[हिन्दी]*

**श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन** (भागलपुर) : सभापति महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे माननीय आडवाणी जी द्वारा सदन में लाए गए काम–रोको प्रस्ताव के समर्थन में बोलने का अवसर दिया। वैसे तो सारी बातें आ चुकी हैं और जब पांचवे, छठे वक्ता के तौर पर माननीय सदस्य खड़े होते हैं, तो कहने को कोई बात नहीं होती। ...*(व्यवधान)* सभापति जी, मैं जब भी बोलता हूं, हर बार टोका–टोकी होती है, लेकिन मुझे इससे बहुत बल मिलता है। ...*(व्यवधान)* मैं बिना टोका–टोकी के बढ़िया नहीं बोल पाता।...*(व्यवधान)*

आंतरिक सुरक्षा का विषय ऐसा नहीं है जिस पर बहुत राजनीति की जाए। मैं यहां कोई आरोप प्रत्यारोप करने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं। मैं यहां इल्जाम तराशियां करने वाला नहीं हूं, लेकिन पता नहीं, मेरे खड़े होने से ही यहां घबराहट शुरू हो गई है। मैं इसका जवाब नहीं सोच पा रहा हूं।

मैं अभी भागलपुर से 55 हजार से ज्यादा मतों से जीतकर आया हूं। इसे लेकर यहां बहुत से लोग खुश होंगे और बहुत से लोगों को परेशानी हो सकती है। मैंने सीलिंग के बारे में बोला था, लेकिन यह मेरी मेडन स्पीच मानी जाए क्योंकि मुझे आंतरिक सुरक्षा पर ही बोलना था। मैं आडवाणी जी की बात से सहमति जताते हुए कहना चाहता हूं ...*(व्यवधान)* हम गुजरात के बारे में भी बोलेंगे। भागलपुर में कांग्रेस ने जो दंगा करवाया था, मैं वहीं से जीतकर आया हूं। श्री राजीव गांधी के जमाने में वहां जो दंगा हुआ, मैं उसी जगह से जीतकर आया हूं। ... *(व्यवधान)*

**सभापति महोदय** : हल्ला–गुल्ला रिकार्ड में नहीं जाएगा।

...*(व्यवधान)*

**श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन** : भागलपुर में जो दंगा करवाया गया था, उसी के बाद लालू जी आए थे, आपका सफाया हो गया। ...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय** : आप अपनी बात कहिए।

...*(व्यवधान)*

**श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन** : सभापति महोदय, मैं अपनी समय–सीमा में रहूंगा, लेकिन जो टोका–टाकी होगी, उसके लिए आप मुझे थोड़ा और समय दीजिए। ...*(व्यवधान)* आंतकवाद का विषय ऐसा नहीं है जो एक पार्टी, एक जाति या एक धर्म का हो, इस पर जात–पात, धर्म और सीमाओं से ऊपर उठकर सोचना चाहिए। हम यही कहना चाहते हैं कि हमारे यहां इसके लिए प्रभावी कानून होना चाहिए। आतंकवाद के बारे में पूरी दुनिया के देश कानून बना रहे हैं। हम पाकिस्तान का बहुत उदाहरण देते हैं, लेकिन आज पाकिस्तान को भी आतंकवाद से पीड़ित होकर दुनिया के दवाब में मजबूरी में कदम उठाने पड़ रहे हैं। जब यहां एनडीए की सरकार थी, तब हमने पाकिस्तान के आतंकवाद को आतंकवाद कहने पर मजबूर किया था। आतंकवाद से लड़ने के लिए आप सिर्फ अनलॉफुल एक्टीविटीज (प्रिवैंशन) एक्ट से नहीं लड़ सकते।

* मूलतः पंजाबी में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

यह जरूर सही है, जैसे आडवाणी जी ने कहा कि कानून का दुरूपयोग नहीं होना चाहिए। यदि दफा 302 का दुरूपयोग होगा, तो क्या कल आप प्रस्ताव लाकर दफा 302 को खत्म कर देंगे। यदि किसी कानून का दुरूपयोग होता है तो उसे जरूर रोकना चाहिए और उसके बारे में जितनी भी आवाज उठे, उसमें हमें कोई एतराज नहीं है।

जब अमरीका में 9/11 की घटना हुई, उस समय में सिविल एविएशन मंत्री था। भारत के सामने बहुत बड़ी चुनौतियां थी। 9/11 के वक्त जब हवाई जहाज के जरिए ट्विन टावर गिराए गए, उस वक्त भारत में भी इस तरह की रचना रची गई थी। हमने एयरपोर्ट पर सिक्युरिटी बहुत टाइट कर रखी थी, इसलिए वे एयरपोर्ट पर नहीं गए। हमने वहां सीआईएसएफ लगाई हुई थी। ...*(व्यवधान)* इसलिए वे संसद में आ गए। ...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय :** मानवेन्द्र सिंह जी, आप इतने सीनियर व्यक्ति हैं, हर बात में क्यों खड़े हो जाते हैं।

**श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन :** सभापति जी, यह इतने बुजुर्ग मैम्बर हैं, लेकिन फिर भी हमारे जैसे नौजवान को बोलने नहीं दे रहे हैं। अगर मैं थोड़ा गलत बोलूं, तो आप मुझे उठकर टोकिये। मैंने लालू जी से विशेष अनुरोध किया था कि आप मेरे भाषण में जरूर बैठिए। मैंने उनको चिट्ठी लिखी थी। ...*(व्यवधान)*

**श्री लालू प्रसाद :** आप बोलिए।

**श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन :** 9/11 की घटना के बाद अमेरिका, यूरोप और ब्रिटेन में कानून बनाया गया। उस कानून को सख्ती से लागू किया जा सके, इसके लिए उसमें उपाय किये गये। लेकिन इस देश में 13 दिसम्बर की घटना हुई, पार्लियामेंट पर हमला हुआ। अगर वे आतंकवादी अंदर घुस गये होते, तो हममें से बहुत से लोग स्वर्गवासी हो गए होते। वे लोग यहां संसद में न होकर स्वर्ग में होते। उस दिन सब सांसदों की आवाज एक थी। कोई अलग आवाज नहीं थी। सब लोग एक ही आवाज में बोल रहे थे लेकिन उसके बाद राजनीति शुरू हो गयी। मैं 13वीं लोकसभा का सदस्य था। 14वीं लोकसभा में मैं थोड़ा देर से आया, लेकिन देर आया, दुरस्त आया। मैं कोई सीनियर–जूनियर मैम्बर नहीं हूं। मेरी पार्टी ने मुझे सैकेंड रो में बैठने का स्थान दिया है। श्री गुरूदास दासगुप्त कह रहे थे कि आप बड़े जूनियर मैम्बर हैं। मैं जिस रो में बैठता हूं, मेरी पार्टी ने मुझे वाजपेयी जी के ठीक पीछे बैठाया है इसलिए आपको ज्यादा प्रोब्लम नहीं देना चाहिए।

मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 5 जुलाई को यहां अयोध्या पर हमला हुआ। वह हमला क्यों हुआ? वह हमला जानबूझकर ऐसी जगह किया गया ताकि इससे देश में तनाव पैदा हो जाये। लेकिन मैं इस देश के लोगों का सलाम करता हूं। फिर 25 अगस्त को मुम्बई में ताज होटल के सामने विस्फोट किया गया, जिसमें 46 लोग मारे गये। 29 अक्टूबर को, दीवाली की पूर्व संध्या पर, हम सब लोग दीवाली और ईद मिलकर मनाते हैं, यहां हमला किया गया जिसमें काफी लोग मारे गये। उसके बाद 28 दिसम्बर को बंगलौर के टेक्नोलाजी हब पर हमलाा हुआ। फिर 7 मार्च को बनारसी में काशी पर हमला हुआ। 1 मई को डोडा के ऊध्मपुर जिले में अनके लोग मारे गये। हम लोग उस स्थान पर गये थे। ...*(व्यवधान)* 1 मई, 2006 को आरएसएस के हैडक्वार्टर पर हमला हुआ। फिर 11 जुलाई को मुम्बई में ट्रेन ब्लास्ट हुआ। यह रेल मंत्री जी का विभाग है। उनकी ट्रेन में ब्लास्ट हुआ, जिसमें 190 लोग मारे गये। वहां लोग मरते रहे और आप मजे से घोषणा करते रहे कि उसकी जांच कर रहे हैं। मेरा कहना है कि आगे हमले न हो, आपको इसके उपाय बताने चाहिए या खाली घोषणा करनी चाहिए कि हम जांच कर रहे हैं? 9/11 की घटना के बाद अमेरिका में हमला हुआ, तो ज्यादा प्लानिंग होने के कारण वे लोग दूसरा हमला नहीं कर पा रहे हैं। इस देश में मासूम लोगों की जान न ली जाये, इसके लिए हमें कुछ ठोस काम करना चाहिए, लेकिन हम उसके लिए कुछ काम नहीं कर रहे। आज यहां चर्चा हो रही है। आतंकवाद के बारे में चर्चा करते–करते बहुत सारी बातें कह दी गई हैं। प्रियरंजन दा ने ऐसे बोल दिया, जैसे लगा कि हर कोई बोल रहा है। मैं सोच रहा था कि आडवाणी जी के भाषण का जिक्र होगा इसका मतलब यह है कि आज आडवाणी जी का भाषण हिट हुआ है। इसलिए जानबूझकर श्री गुरूदास गुप्त ने कहा कि वे जमे नहीं। हमें आपसे कभी अपेक्षा भी नहीं है कि आप कहेंगे कि आडवाणी जी का भाषण बहुत अच्छा हुआ। इतना बड़ा आपका दिल नहीं है। हम आपसे ऐसी अपेक्षा नहीं करते हैं। हम जानते हैं कि आप जब बोलेंगे कि वे बहुत खराब बोले, तो हम मानेंगे कि बहुत अच्छा भाषण हुआ। यहां प्रियरंजन दा ने बात करते हुए कहा कि डीजी, आईजी की बात नहीं करनी चाहिए, जैसा हमारी पार्टी के नेता ने बोला। हम मानते हैं कि जो बात प्रैस में आयेगी, तो क्या उस पर संसद में बोलना मना है? आप रेफरैंस के तौर पर उसे दे सकते हैं। यहां भारत के निशाने की बात हुई और यहां कहा गया कि कारगिल पर चर्चा नहीं करने दी। आपको किसने मना किया? पूरे देश में इस पर चर्चा हुई है।

मैं बहुत लम्बी बात न करते हुए आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि यहां अलग–अलग जगहों की चर्चा हुई। श्री गुरूदास दासगुप्ता जी इतने सीनियर पार्लियामैंटेरियन हैं, हम उनसे कुछ सीखने के लिए यहां आये हैं। लेकिन उन्होंने कह दिया कि नक्सलवादियों ने नेपाल की गरीबी दूर की है। आप सरकार को समर्थन दे रहे हैं? क्या आप सुझाव देंगे कि नक्सलियों को बुलाकर सरकार का ट्रैनिंग कैम्प लगना चाहिए। क्या वे सरकार को बतायेंगे कि कैसे गरीबी दूर होती है? क्या इस समस्या का नक्सलवाद कोई आदर्श हो सकता है? जिन लोगों के हाथ में बंदूक है, उनकी पूजा पद्धति कुछ भी हो, इबादत के तरीके कुछ भी हो वे कभी सही नहीं ठहराए जा सकते।

[श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन]

मैं आपके जरिये कहना चाहता हूं कि आज अफजल के नाम पर क्या चर्चा हो रही है? क्या इस देश में अफजल का नाम अफजल है इसलिए बीजेपी उसका विरोध कर रही है? अगर अफजल का नाम गुरू होता तब भी भारतीय जनता पार्टी उसका उतना ही सख्त विरोध करती। हम मानते हैं कि यह मुल्क, यह संसद, यह आजादी हमें ऐसे ही नहीं मिली है, हम यहां ऐसे ही जीतकर नहीं आए हैं। हम यहां इसलिए आए क्योंकि अशफाक उल्ला खां ने इस मुल्क और संसद को बचाने के लिए फांसी का फंदा चूमा था। अशफाक उल्ला खां ने फांसी का फंदा इसलिए नहीं चूमा था कि इस मुल्क पर हमला करने वालों को बचाने की बात होगी। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह हमारा मुल्क है। ...*(व्यवधान)* मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 15 अगस्त, 1947 को इस मुल्क का बंटवारा हुआ। जिन मुसलमानों को हिन्दुस्तान से मोहब्बत नहीं थी, धर्म के नाम पर जिन्होंने बंटवारे को स्वीकार किया, वे टाटा, बाय–बाय करके पाकिस्तान चले गए। मेरे और आजमी जी के बाप–दादा ने तय किया कि यह मादरे वतन है, यह हमारी जननी मातृभूमि है। हम जिन्दा हैं तो इस मुल्क के लिए और मरेंगे तो इस मादरे वतन की ख़ाक में मिल जाएंगे। इसीलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि मुसलमान को किसी तथाकथित धर्मनिरपेक्ष नेता के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। हमने इम्तिहान दिया है। जब हिन्दुस्तान के मुसलमानों ने तय किया कि हमें इस मुल्क में रहना है तो उन्होंने किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं समझी थी। ...*(व्यवधान)* हमको न तो आडवाणी जी से सर्टिफिकेट चाहिए और न ही लालू प्रसाद जी से सर्टिफिकेट की जरूरत है। मैं मुसलमान समाज में पैदा हुआ हूं और भारत का नागरिक हूं, इस पर मुझे गर्व है। मुझे इसके लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। ...*(व्यवधान)* मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मैंने एक भी गलत बात नहीं कही है। ...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय** : हुसैन जी, आपकी पार्टी द्वारा निर्धारित किया गया समय पूरा हो गया है।

...*(व्यवधान)*

**श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन** : महोदय, मुझे डिस्टर्ब किया जा रहा है। मेरी पार्टी और आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया है, लेकिन मुझे डिस्टर्ब किया जा रहा है। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि जब एरियल शेरोन जी भारत आए थे, उस समय आडवाणी जी उनसे उपप्रधानमंत्री के रूप में मिले। तब उन्होंने बड़ी सख्ती के साथ एक बात कही थी। उस दिन से मैं आडवाणी जी की बहुत कद्र करता हूं। उन्होंने कहा था कि

*[अनुवाद]*

"हम आतंकवाद के खिलाफ हैं। हम इस्लाम के खिलाफ नहीं हैं।"

*[हिन्दी]*

एरियल शेरोन साहब से दुनिया के किसी सरबरा ने यह बात नहीं कही, जो हमारे नेता श्री आडवाणी जी ने कही। इस मुल्क के अंदर हिंदुस्तान के मुसलमानों को सारी आजादी मिली है। जो अधिकार हिन्दुस्तान में मुसलमानों को मिले हैं, वे पाकिस्तान में नहीं मिल सकते हैं, बांग्लादेश में वहां की माइनॉरिटीज को नहीं मिल सकते हैं। यहां मुसलमान राष्ट्रपति हो सकता है, चीफ जस्टिस बन सकता है, यहां मुसलमान क्रिकेट और हॉकी का कैप्टन बन सकता है। जब कोई खिलाड़ी क्रिकेट खेलने जाता है, जब इरफान पठान खेलता है और उसे चोट लगती है तो जितना दर्द उसके वालिद को होता है, उतना ही दर्द हमारे नेता श्री संतोष गंगवार, आडवाणी जी और सभापति महोदय, आपको भी होता है। यहां कुछ लोगों ने यह आरोप लगाया है कि मैं वोट बैंक बनाना चाहता हूं।

**सभापति महोदय** : आपका बोलने का समय पूरा हो गया है, अब आप बैठ जाइए।

**श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन** : महोदय, कृपया मुझे बोलने के लिए पांच मिनट का अतिरिक्त समय दे दीजिए।

महोदय, मुझे भागलपुर की जनता ने यहां भेजा है बोलने के लिए। मैं दिल की गहराई से आपसे कहना चाहता हूं कि भागलपुर से निर्वाचित होकर आया हूं। मैं वहां का रहने वाला नहीं हूं। वहां वर्ष 1989 में बहुत दंगा हुआ था। लालू जी इतने दिनों तक वहां हुकूमत में थे। आज तक 15 साल में उन प्रभावित लोगों को न्याय नहीं मिला। भागलपुर के लोगों ने हिन्दू–मुसलमान इत्तेहाद के प्रतीक के रूप में मुझे चुना गया है और यहां भेजा गया है। जहां पर फसाद हुए थे, वहां आज हमारे जैसे हिन्दू–मुस्लिम इत्तेहाद के लिए लोग काम करते हैं। हमारे लिए यह राजनीति नहीं, एक मिशन है। शाहनवाज हुसैन राजनीति के लिए नहीं, एक मिशन के लिए काम करने के लिए आया है। इसलिए मैं अफजल के मामले पर आकर अपनी बात समाप्त करूंगा। भारत एक सेकुलर डेमोक्रेटिक स्टेट है, लेकिन सउदी अरेबिया एक इस्लामी राज्य है।

*[अनुवाद]*

सऊदी अरब एक इस्लामिक देश है जहां कुरान संविधान है। सरकार के मूलभूत नियम के अनुच्छेद–1 के अनुसार – "कुरान और सुन्नत रसूल" सऊदी अरब का वास्तविक संविधान है।

*[हिन्दी]*

जहां कुरान को संविधान मानकर काम किया जाता है, वहां अगर किसी ने आतंकवाद किया हो, तो उस सऊदी अरेबिया में, अल कायदा से रिलेशन होने पर, एम्बेसी पर हमला करने के जुर्म में, शुक्रवार के दिन, नार्दर्न सऊदी सिटी अलजाफा में, सरेआम मस्जिद के सामने मुल्क

के साथ बगावत करने के लिए इल्जाम में, तीन लोगों का सर कलम कर दिया जाता है। इस्लाम में इसकी इजाजत नहीं होती है कि अगर कोई व्यक्ति मुल्क के साथ बगावत करे, हुब्बल वतनी आधा ईमान का दर्जा रखता है। कोई भी मुसलमान है, अगर वह सच्चा मुसलमान है, तो अपने मुल्क से मोहब्बत करता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अफजल की पूजा–पद्धति क्या है, यह सवाल नहीं है। कोई भी व्यक्ति अगर संसद पर हमला करने का जिम्मेदार हो, सुप्रीम कोर्ट, जिस पर हर मजहब के लोगों को विश्वास है और उसके फैसले पर यकीन करता है, उसे अगर उस पर इल्जाम लगाया है और कोई फैसला सुनाया है तो वह अमल में लाया जाना चाहिए। हम इसलिए नहीं कह रहे हैं कि वह एक मुस्लिम है। मैं कहना चाहता हूं कि यहां इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए।

सभापति महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करते हुए कहना चाहूंगा कि देश के अंदर सुरक्षा के नाम पर राजनीति करने वालों को देश की जनता माफ नहीं करेगी। ...*(व्यवधान)* मैं जीतकर इस सदन में आया हूं। आप चुप रहकर मेरी बात सुनें। आपके उम्मीदवार की वहां जमानत जब्त हो गई थी। ...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय** : आपने बहुत अच्छी चर्चा की, अब कृपया अपनी बात समाप्त करें।

**श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन** : मैं आखिरी बात कहना चाहता हूं। यहां पर सच्चर कमेटी की बात कही गई। दूसरी तरफ अकलियत का एक आदमी एनडीए में जीतकर आया है, उसे बोलने नहीं दिया जा रहा है।

**सभापति महोदय** : आप उनकी बातों की तरफ ध्यान न दें और आखिरी बात कहकर समाप्त करें।

**श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन** : आरजेडी के लोग धमकी दे रहे हैं। अकलियत के एक आदमी का जीतकर आना इन्हें पच नहीं रहा है। ये लोग अकलियत की बात करते हैं, आपके दल का कोई यादव नेता मुस्लिम नेता को धमकी दे, तो लालू जी आपको उसे डांटना चाहिए कि किसी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। हम जिस समाज में पैदा हुए, हमारे समाज के लोग डरपोक नहीं हैं, मैं किसी के डर से यहां नहीं बोल रहा हूं। शाहनवाज़ हुसैन खुदा के अलावा और किसी से नहीं डरता। ...*(व्यवधान)* मैं किसी पर इल्जाम नहीं लगा रहा हूं। मैंने बहुत ही ईमानदारी से अपनी बात को यहां कहा है। ...*(व्यवधान)* कांग्रेस पार्टी के सदस्य की तो वहां जमानत जब्त हो गई थी इसलिए आप बैठ जाएं।

**सभापति महोदय** : आपने अच्छी बात कही है, अब समाप्त करें।

**श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन** : मैं आपका आभार व्यक्त करते हुए सदन से अपील करता हूं कि देश की आंतरिक सुरक्षा के मामले में कोई राजनीति नहीं करनी चाहिए। हम सब एकजुट हैं, इकट्ठे मिलकर बोलेंगे और देश की रक्षा करेंगे।

**डा. राजेश मिश्रा** (वाराणसी) : सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से आगे आकर बोलना चाहता हूं।

**सभापति महोदय** : ठीक है।

**डा. राजेश मिश्रा** : सभापति महोदय, सदन में प्रतिपक्ष के नेता श्री लाल कृष्ण आडवाणी द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रस्ताव का मैं विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। विरोध का कारण सिर्फ यह नहीं है कि हम इस मोशन के विरोध में बोल रहे हैं। वास्तविकता यह है कि यह मोशन आंतरिक सुरक्षा पर आया है, लेकिन उधर से जब बहस होती है, तो लगता है कि यह सिर्फ देश की आतंरिक सुरक्षा पर नहीं, अफजल गुरु पर मोशन है और उस पर चर्चा हो रही है। जैसी बातें उस तरफ से हो रही हैं, उससे लगता नहीं है कि देश की आंतरिक सुरक्षा की वास्तविक स्थिति क्या है।

हमारे देश को तीन तरफ से आंतरिक सुरक्षा का खतरा है। एक तरफ बाहरी आक्रमण है, जिन्हें हम आतंकवादी कहते हैं, उनसे खतरा है, दूसरी तरफ, जो नक्सलवादियों की गतिविधियां देश के कई अंचलों में चल रही हैं, उससे आंतरिक सुरक्षा को खतरा पैदा हो रहा है और तीसरी तरफ इस देश के अंदर तमाम प्रांतों में रहने वाले जो बड़े–बड़े माफिया या डॉन हैं, उनसे भी आंतरिक सुरक्षा को खतरा आज की तारीख में कहीं न कहीं परिलक्षित हो रहा है।

मान्यवर, जब हम यह सोचते हैं कि आतंकवाद की पहली गोली कहां से चली तो हमें बरबस याद आ जाती है कि जब हिन्दुस्तान आजाद हुआ और भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को जिस व्यक्ति ने सबसे पहले गोली मारी, वहीं से पहली ईंट आतंकवाद की रखी गयी और जो लोग उनकी जमात में खड़े होते हैं, वे आतंकवाद के सबसे बड़े हिमायती हैं। हम इस बात की चर्चा नहीं करना चाहते कि एनडीए की सरकार में कहां–कहां आतंकवाद हुआ, यूपीए की सरकार में कहां–कहां आतंकवाद हुआ। हम माननीय आडवाणी जी का भाषण सुन रहे थे कि मुर्शरफ साहब को हमने आगरा वार्ता में बुलाया था, उन्होंने हमारी बात नहीं मानी और नाराज होकर हिंदुस्तान से चले गये। इससे हमारी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ा। सबको याद होगा कि एक बारात जिस तरह से जाती है और दूल्हे का स्वागत जिस तरह से दरवाजे पर होता है, उसी तरह से इन्होंने आगरा में मुर्शरफ साहब का स्वागत किया था। जब मुशर्रफ साहब ने इनकी बात नहीं मानी और इनके सीने पर मूंग की दाल रगड़ते हुए पाकिस्तान चले गये, तब इनकी सरकार निर्लज्ज होकर बोल देती है कि हमारी बात उन्होंने नहीं मानी और वापिस चले गये।

माननीय आडवाणी जी जब चर्चा कर रहे थे, तब कह रहे थे कि मैं अयोध्या के आंदोलन में था और मुझे इस बात का गर्व है। हम लोग

[डा. राजेश मिश्रा]

मैं अयोध्या के आंदोलन में था और मुझे इस बात का गर्व है। हम लोग प्रतिपक्ष के नेता से बहुत ही जूनियर हैं, नये हैं, लेकिन हम कहना चाहते हैं और हमारा यह नजरिया है कि जब कोई राष्ट्रस्तर का नेता किसी जगह जाए और वहां दंगे की आशंका हो या दंगा हो रहा हो तो उसके जाने के बाद वह दंगा शांत हो जाता है, तभी मानते हैं कि वह राष्ट्र का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति है। आडवाणी जी जाते हैं, तो पूरे हिन्दुस्तान में दंगा फैलता है।

पिछले साल बनारस के संकट–मोचन मंदिर में बम–ब्लास्ट हुआ। रेलवे स्टेशन पर पौने–सात बजे बम–ब्लास्ट हुआ। पार्लियामेंट का सत्र 8 बजे खत्म हुआ और यूपीए की चेयरमैन रात को बनारस जाती हैं और सुबह तक बनारस में रहती हैं। वहां पर लोगों से मिलती हैं, हिन्दू–मुस्लिम दोनों संप्रदायों के लोगों से मिलती हैं। ...*(व्यवधान)* आपको मेरी बात सुननी चाहिए और उससे कुछ सीखना चाहिए और माननीय आडवाणी जी को भी कहना चाहिए कि उन्हें भी ऐसा ही करना चाहिए। रात के 12 बजे जब माननीया सोनिया जी बनारस पहुंचती हैं, तो मुस्लिम सहमे हुए थे और हिंदू भी शंकित थे कि हमारे मंदिर पर आक्रमण हुआ है। सोनिया जी सब जगह जाती हैं और सुबह 6 बजे दिल्ली वापिस आ जाती हैं। शाम को पूरा बनारस शांत हो जाता है। हिन्दुस्तान और बाहर के लोग यह विश्वास ही नहीं कर पाते कि पूरा बनारस कैसे शांत हुआ? दूसरे दिन इनके नेता सुबह मंदिर के अंदर चौकी लगाते हैं और कहते हैं कि आतंकवादी को पकड़ा जाए, नहीं तो हम यहां अनशन करेंगे।

मैं वहां के आदरणीय महन्त जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने चौकी बाहर करवा दी और कहा कि यदि अनशन करना है या राजनीति करनी है तो मंदिर के बाहर जाइए, मन्दिर के अन्दर नहीं कर सकते हैं। इनके राष्ट्रीय नेता को ऐसा कहा गया। हमें यह कहते हुए फख्र है कि आज यूपीए की चेयरपर्सन का ऐसा व्यक्तित्व है कि जब वह मुम्बई बम ब्लास्ट के बाद आदरणीय रेल मंत्री के साथ जाती हैं तो दूसरे दिन मुम्बई शांत हो जाता है और वहां सामान्य गतिविधियां शुरू हो जाती हैं। आज हिन्दुस्तान की आन्तरिक सुरक्षा को बड़े–बड़े माफिया लोगों से खतरा है। मैं उदाहरण के तौर पर कहना चाहता हूं कि आज उत्तर प्रदेश के अन्दर हर जनपद में बड़े–बड़े माफिया हैं। आधे माफिया जेल में हैं, आधे जेल के बाहर हैं और आधे वहां की सरकार में मंत्री बने हैं। वहां आंतरिक सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया है। आज वहां के लोग बाहर के आतंकवादियों से कम भयभीत हैं, नक्सलाइट से कम भयभीत हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में जो माफिया हैं, जो जेल में हैं, वे वहां से 15 जिलों का संचालन करते हैं। वे जेल में बैठ कर वहां के प्रशासन का चलाते हैं। ...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय** : आपकी बात स्वीकार कर ली। आपकी बात हो गई।



...*(व्यवधान)*

**डा. राजेश मिश्रा** : वह मेरे बड़े भाई हैं। मेरे गृह जनपद से भाई हैं। एनडीए के जो लोग अफजल की बात करते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि कानूनी प्रक्रिया के तहत उन्होंने राष्ट्रपति जी को माफीनामा दिया है। उन्हें बहुत घबराहट और जल्दी है क्योंकि वह अफजल है। एनडीए के समय में इस तरह के 22 केस महामहिम राष्ट्रपति जी के रैफर किए गए थे। ...*(व्यवधान)* इनकी सरकार के समय एक के खिलाफ भी कार्रवाई नहीं हुई। उस समय इनको चिन्ता क्यों नहीं हुई। चूंकि अफजल आतंकवादी नहीं है, वह मुसलमान है। वह मुसलमान न होता तो शायद इनको चिन्ता नहीं होती। ...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय** : अब आप समाप्त करिए।

**डा. राजेश मिश्रा** : अगर आपको आतंकवाद से निपटना है तो अपना नजरिया बदलना होगा। हम किसी भी आतंकवादी को संप्रदाय या जाति के नाम पर बांट नहीं सकते। किसी भी मजहब को मानने वाला व्यक्ति अगर आतंकवादी है, तो आतंकवादी है। हर आतंकवादी के प्रति एक ही ढंग का नजरिया रखना होगा। यदि संप्रदाय को बांट कर आतंकवाद का निपटारा चाहते हैं, तो हम कह सकते हैं कि आप आतंकवादियों से नहीं लड़ा चाहते हैं। यह आरोप हम नहीं लगा रहे हैं, यह पूरे हिन्दुस्तान के लोग लगा रहे हैं। आप जब अफजल की बात करते हो, तो हर इंसान यह समझता है कि आप आतंकवादी की बात नहीं कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय** : आपकी बात हो गई। अब आपकी कोई बात रिकॉर्ड में नहीं आ रही है।

**डा. राजेश मिश्रा** : *...

**सभापति महोदय** : आपकी बात समाप्त हो गई है।

...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय** : उनकी कोई बात रिकॉर्ड में नहीं जा रही है।

...*(व्यवधान)*

**श्री प्रभुनाथ सिंह** (महाराजगंज, बिहार) : सभापति महोदय, आज यहां आंतरिक सुरक्षा के विषय पर चर्चा चल रही है। ...*(व्यवधान)* सरदार तो यहीं बैठे हुए हैं और उनकी रहनुमाई में आप काम करते हैं। सभापति महोदय, अगर इस तरह की टोकाटोकी होगी, तो मेरी जुबान भी बहक जाएगी। मैं आपसे निवेदन करता हूं क्योंकि मैं किसी के बारे में बोलना नहीं चाहता हूं, अगर लोग बोलेंगे तो मैं भी उसी भाषा में उत्तर दूंगा। मैं भाषा में कमजोर नहीं पड़ता हूं।

**सभापति महोदय** : आप चेयर को एड्रेस कीजिए।

---

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**श्री प्रभुनाथ सिंह :** सभापति महोदय, आज आंतरिक सुरक्षा के विषय पर चर्चा चल रही है। आंतरिक सुरक्षा पर चर्चा का मात्र कारण इतना ही है, सरकार भी महसूस कर रही है और सभी ने महसूस किया है कि भारत की आंतरिक सुरक्षा को खतरा है। जब कार्य–स्थगन प्रस्ताव पर यहां चर्चा होती है, तब यह माना जाता है कि कार्य स्थगन का मतलब सरकार पर सेंसर होता है। इस चर्चा में कई लोगों ने भाग लिया है और वृहद रूप में इस विषय पर चर्चा हो चुकी है, लेकिन मैं सिर्फ एक–दो बिंदुओं पर ही कहना चाहता हूं। आतंकवाद बाहर से सुनियोजित, प्रायोजित है और इस देश में आतंकवाद फैलाया गया है और हमें आतंकवाद से खतरा है, लेकिन देश के अंदर भी कहीं माओवाद है, कहीं उग्रवाद है, कहीं नक्सलवाद है और तरह–तरह के खतरों से यह देश ग्रसित हो चुका है। जब ऐसी परिस्थितियों से देश ग्रसित हो चुका है, इससे हमारी आंतरिक सुरक्षा खतरे में है। मुझे गृह मंत्री जी की किताब मिली है, जिसे मैंने पढ़ा है। वे क्या करने जा रहे हैं, उस किताब में उसकी चर्चा विस्तार से की गई है कि वह राज्यों में भी पुलिस को कितना मजबूत कर रहे हैं, कितना प्रशिक्षण दे रहे हैं, कितना धन मुहैया कराने जा रहे हैं और अर्द्ध–सैनिक बल की टुकड़ी बनाने की बात कह रहे हैं। उनके प्रतिवेदन से यह स्पष्ट है कि जो आतंकवाद यहां पहले था, वह उससे देश में घटा है। लेकिन एक अखबार में उनका बयान आया है, जिसके बारे में वह कह चुके हैं कि ऐसा बयान नहीं आया। यह भी चर्चा है कि अखबार पर कितना भरोसा किया जाए, लेकिन अब तो यह देश अखबार पर ही चलता है। रांची में एक एस.पी. का ट्रांसफर हो गया और वह अखबार में छपा तो वहां की हाई कोर्ट ने कोग्नीजेंस ले लिया और उस एस.पी. का स्थानांतरण स्थगति कर दिया गया। सदन में हम लोग चर्चा करते हैं, अखबार में समाचार निकलता है, उसी आधार पर हम यहां चर्चा करते हैं। जब अखबार के माध्यम से देश का संचालन होता है और अखबार की किसी बात को हम नहीं मानें, इसका सवाल कहां उठता है? जिस ढंग से गृह मंत्री जी का बयान अखबार में छपा है या जो उन्होंने किताब में लिखा है कि आतंकवाद देश में घट रहा है और जिस ढंग से अखबार में दिया है कि उससे देश की विभिन्न संस्थाओं को खतरा हो सकता है, यह दोनों बातें विपरीत दिशा की हैं। इन दोनों विपरीत दिशाओं के कारण देश में भय का वातावरण कायम हुआ है। इस भय के वातावरण में हम दोस्ती की रात तलाशते हैं। दोस्ती की राह तलाशना बहुत अच्छी बात है, जरूर तलाशना चाहिए लेकिन ऐसे दोस्त से सावधान रहने की जरूरत होती है क्योंकि जब हम दोस्ती का हाथ मजबूत करने के लिए उसकी तरफ बढ़ते हैं, तब कहीं न कहीं हमला होता है, यह नीयति बन चुकी है। जैसे आडवाणी जी कह रहे थे कि जब श्री अटल बिहारी यहां प्रधानमंत्री थे, तब दिल्ली से बस में बैठकर वह लाहौर गए थे, तब हमें कारगिल युद्ध का सामना करना पड़ा था। कभी–कभी ऐसा देखने को मिलता है कि जब दोस्ती की प्रक्रिया शुरू होती है तब आतंकवादी हमला होता है। हमला कहां होता है? हमला धार्मिक स्थलों या भीड़भाड़ वाले इलाकों या रेलों में होता है। इन हमलों के पीछे आतंकवादियों की मात्र एक नीयत होती है, उनकी नीयत मारने या हत्या करने की नहीं होती है बल्कि भारत की एकता और अखंडता पर हमला करने की होती है। इसका कारण है कि भारत की बनावट में देखा गया है कि विभिन्न प्रांतों में विभिन्न भाषाभाषी लोग रहते हैं, विभिन्न जाति और धर्म के लोग रहते हैं जिनका रहन–सहन और जातियां अलग हैं, लेकिन देश की अखंडता और एकता का जब भी सवाल उठता है, तब चाहे वे जिस जाति या धर्म के लोग हों, एक साथ मजबूती के साथ खड़े होते हैं और देश की अखंडता और एकता को बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं। इसी कारण वे हमला करते हैं क्योंकि अगर धार्मिक स्थलों पर हमला होगा तो वहां लोग मारे जाएंगे जिससे देश में सांप्रदायिक उन्माद फैलेगा और देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा पैदा होगा। इसी तरह से भीड़–भाड़ वाले इलाकों में हमला करके उस घटना से वे यह प्रदर्शित करना चाहते हैं, जिससे देश में दहशत का वातावरण पैदा हो। सिर्फ इतना ही नहीं, वे देश की अर्थव्यवस्था पर भी हमला करते हैं। आई.एस.आई. के माध्यम से इस देश में जो जाली रुपया भेजा जा रहा है, वह इस देश की अर्थ–व्यवस्था पर हमला है।

**सायं 6.00 बजे**

इसी तरह देश के अंदर आंध्र प्रदेश से लेकर नेपाल तक यह समस्या है। हालांकि अभी नेपाल की परिस्थिति बदली हुई है। नेपाल की बदली परिस्थिति से लगता है कि उधर से भारत को सुकून मिलेगा। उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार का बहुत बड़ा हिस्सा जो भारत से सटा हुआ है, उधर से माओवादियों का जत्था भारत के अंदर घुसता था और कोई न कोई घटना घटती रहती थी। हम महसूस करते हैं कि उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य में उग्रवाद और नक्सलवाद की नेपाल की तरफ से ही बढ़ोतरी होती थी। लेकिन अब नेपाल के माओवादी वहां की मुख्य धारा में शामिल हो रहे हैं। हम समझते हैं कि यह भारत के लिए सुकून का विषय होगा।

गृह मंत्री जी अभी यहां मौजूद नहीं है। हम सरकार से आग्रह करेंगे कि वहां के माओवादी और नक्सलवादी नेताओं से बात करनी चाहिए। यदि उनका उपयोग हो, तो चाहे आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आसाम, उड़ीसा या छत्तीसगढ़ हो, उन नेताओं से सम्पर्क करके यहां के नक्सलवादियों को भी मुख्य धारा में लाने का प्रयास करना चाहिए। देश में चाहे बाहरी आतंकवादियों के हमले हों, चाहे घर के अंदर नक्सलवादियों, माओवादियों, और उग्रवादियों के हमले हों, इनके कारण भारत में बराबर असुरक्षा की भावना बनी रहेगी। इसलिए हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं कि भारत सरकार के गृह मंत्री को चाहिए कि, वहां नक्सलवादी और माओवादियों के नेताओं से सम्पर्क करके भारत की आंतरिक सुरक्षा में अगर उनका सहयोग मिलता हो, तो हमें उनसे सहयोग लेना चाहिए।

[श्री प्रभुनाथ सिंह]

दूसरी बात मैं कहना चाहूंता हूं कि जो आंकड़े इनकी किताबों में दिये गये हैं, उन आंकड़ों के अनुसार कई वर्षों में देखा गया है कि जो नागरिक और पलिस के लोग मरे हैं, उनकी और आतंकवादियों की संख्या बराबर होती है। यद्यपि सारे साधन हमाने पास मौजूद हैं। हमारे पास सेना और अर्द्धसैनिक बलों के प्रशिक्षित लोग हैं, राज्य की पुलिस को भी आतंकवादियों से लड़ने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, लेकिन इस सबके बावजूद भी आतंकवादी अपने मकसद में कामयाब होते हैं। इसका कारण हम यह मानते हैं कि हमारी खुफिया एजेन्सी फेल हो रही है। अभी दो दिन पहले अखबार में छपा था कि दिल्ली में दो आतंकवादी पकड़े गये और वे एक साल से दिल्ली में रह रहे थे। दिल्ली देश की राजधानी है। यहां खुफिया एजेन्सी से लेकर सारी तरह का खुफिया तंत्र मौजूद है। अक्सर अखबारों में यह खबर दी जाती है, कई बार हमने अखबारों में पढ़ा है कि यदि कोई भी बाहर का व्यक्ति दिल्ली शहर में आकर रहेगा तो पहले उसे पुलिस थाने में सूचना देनी पड़ेगी। उसे अपना हुलिया भी देना होगा। उसके बाद ही वह दिल्ली में कहीं किराये का मकान लेकर रह सकता है।

**सभापति महोदय** : अब आप समाप्त कीजिए।

**श्री प्रभुनाथ सिंह** : इतनी जल्दी खत्म करें।

**सभापति महोदय** : मजबूरी है।

**श्री प्रभुनाथ सिंह** : मुझे बस एक मिनट और बोलने दीजिए। मैं कह रहा था कि इतनी मजबूत व्यवस्था के बाद भी अगर कोई आतंकवादी दिल्ली में एक–एक साल तक अपना अड्डा बनाये हुए है और खुफिया एजेन्सीज को इसके बारे में पता नहीं चलता है, तो यह माना जायेगा कि हमारा खुफिया तंत्र कमजोर है, हमारा खुफिया तंत्र इन आतंकवादियों को ढूंढ निकालने में सक्षम नहीं है। चूंकि आपने घंटी बजा दी है, इसलिए आपको धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं।

**सभापति महोदय** : सदन का समय 6 बजे तक था, यदि सदन सहमत हो तो सदन का समय एक घंटे के लिए बढ़ा दिया जाए। अभी गृह मंत्री जी को जवाब देना है। यदि आप सहमत हो तो एक घंटे में सदन की कार्रवाई समाप्त की जाए।

**श्री लालू प्रसाद** : आधा घंटे बढ़ा दिया जाए।

**सभापति महोदय** : ठीक है, सदन का समय आधा घंटे बढ़ाया जाता है।

*[अनुवाद]*

**प्रो. एम. रामदास (पांडिचेरी)** : सभापति महोदय, मैं, नेता



प्रतिपक्ष, माननीय श्री आडवाणी जी द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव के प्रत्येक शब्द का विरोध इसलिए करता हूं क्योंकि श्री लालकृष्ण आडवाणी द्वारा दिए गए तर्कों में कोई दम नहीं है। ये तर्क भ्रामक हैं और तथ्यों पर आधारित नहीं हैं।

उनका मुख्य तर्क यह है कि देश में हिंसा की घटनाओं में चिंताजनक तरीके से वृद्धि हुई है जिससे सुरक्षा की स्थिति के लए बड़ा खतरा उत्पन्न हो गया है। यदि कोई यह कहता है कि चिंताजनक स्थिति है, तो उसे तथ्यों और आंकड़ों के साथ उसे प्रमाणित भी करना चाहिए।

मैंने श्री आडवाणी जी के भाषण को पूरे ध्यान से सुना है और मैंने उनके तर्कों का कोई आधार नहीं पाया।

इसलिए मेरा यह विश्वास है कि प्रतिपक्ष के नेता का तर्क स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने अधिकांशतः केवल असंगत बातें की हैं न कि देश की सुरक्षा के मुद्दे से संबंधित बातें। आज सुबह जब उन्होंने वक्तव्य दिया उन्होंने यह कहा कि उन्हें अभ्यारोपित इसलिए किया गया था क्योंकि वह एक आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। वह किस प्रकार के आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे? क्या वह इस देश के अनुसूचित जाति के लोगों के हित में किसी आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे? क्या वह देश के अन्य पिछड़े वर्गों के हित के लिए किसी आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे जो पूरी आबादी का लगभग 60 प्रतिशत है?

जब मंडल आयोग का मामला आया उन्होंने कहा : "मंदिर मंडल से ज्यादा महत्वपूर्ण है।" यह किस प्रकार का आंदोलन था? इसलिए जो तर्क वे दे रहे हैं उसका कोई साक्ष्य नहीं है। इन चीजों को सही परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए मैं सदन को यह बताना चाहता हूं कि सुरक्षा की स्थिति को तीन मानकों के आधार पर मापना होगा। एक हमें जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों को ध्यान में रखना पड़ेगा। दूसरा, हमें नक्सलवाद की समस्या को देखना पड़ेगा और तीसरा, हमें साम्प्रदायिक स्थिति को देखना पड़ेगा। अब इन पैमानों की गणना करते समय हमें कुछ कालिक और अन्तर्कालिक तथ्यों और आंकड़ों का ध्यान रखना पड़ेगा।

आप तथ्यों को देखें, यह तथ्य घटित हुई विभिन्न घटनाओं के बारे में भारत सरकार के गृह मंत्रालय के पास उपलब्ध है। इस देश में अनेक प्रतिष्ठित अनुसंधान अध्ययन केन्द्र हैं जिन्होंने सुरक्षा की स्थिति का आकलन किया है। मैंने इन सभी तथ्यों का अध्ययन किया है। अध्ययन दर्शाते हैं कि आज सुरक्षा की स्थिति पहले से इतनी खराब नहीं है। जब इसकी तुलना पिछले कुछ सालों से की जाती है तो सुरक्षा की स्थिति खराब नहीं हुई है।

मैं आपको कुछ आंकड़े देना चाहूंगा जैसे जम्मू और कश्मीर के मामले को ही लें तो 2002 में 4038 आतंकवादी घटनाएं हुई थीं। जो अक्टूबर, 2006 में घट कर 1442 रह गई जिसका अर्थ है 2002 से

तीन–चौथाई घटनाओं में कमी आई है। 2002 में मारे गए नागरिकों की संख्या 1008 थी जो घट कर 340 रह गई है। ये तथ्य क्या दर्शाते हैं? ये आंकड़े क्या दर्शाते हैं? वे यह दर्शाते हैं कि देश में हिंसा की घटनाओं में कमी आई है और सुरक्षा की स्थिति में सुधार हो रहा है।

यदि आप पूर्वोत्तर की स्थिति को भी देखें तो 2002 में घटनाओं की संख्या 1319 थी और 2006 में यह घट कर 1000 रह गई। अतः सभी मानदंड यही दर्शाते हैं कि अब स्थिति में सुधार हो रहा है। पूर्वोत्तर में भी विशेषकर मणिपुर में भी अब स्थिति सुधर रही है। आतंकवादियों के इन तथ्यों के अलावा नक्सलवादी घटनाओं में मामूली सी बढ़ोतरी हुई है परन्तु सरकार द्वारा किये गए प्रयासों के कारण अब स्थिति पूरी तरह सुधर रही है। ...*(व्यवधान)* मैं इस सभा में संगत तथ्य पेश कर रहा हूं कृपया मुझे दो या तीन मिनट और बोलने की अनुमति दें।

**सभापति महोदय** : गृह मंत्री जी को उत्तर देना है।

**प्रो. एम. रामदास** : जी हां, महोदय प्रत्येक को बोलना है। आपने अन्य माननीय सदस्यों को बोलने के लिए 15 से 20 मिनट दिए हैं। उन्होंने सिर्फ कहानियां और जो वे चाहते हैं, वहीं कहा है। मैं अपनी बातों को तथ्यों, और आंकड़ों से प्रमाणित भी कर रहा हूं।

**सभापति महोदय** : आपकी पार्टी को केवल तीन मिनट का समय दिया गया है।

**प्रो. एम. रामदास** : यह किस प्रकार का समय का बंटवारा है।

**सभापति महोदय** : मैं क्या कर सकता हूं?

**प्रो. एम. रामदास** : मैं आप को एक और सबूत दे सकता हूं। यह गृह मंत्रालय द्वारा नहीं दिया जायेगा बल्कि सेंटर फार द स्टडी आफ डेवलपिंग सोसाइटी, द्वारा किया गया एक विख्यात अध्ययन भी यही दर्शाता है। इस अध्ययन का परिणाम 15 अगस्त, 2006 को प्रकाशित हुआ था। यह अध्ययन भारत के 883 से अधिक गांवों और 19 राज्यों के शहरी क्षेत्रों के 14,860 प्रत्यर्थियों के बारे में किए गए सर्वेक्षण पर आधारित था। अध्ययन का एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह है कि तीन–चौथाई लोग अपने इलाके में पूरी तरह सुरक्षित महसूस करते हैं और केवल पांच प्रतिशत ने कहा कि वे बहुत असुरक्षित महसूस करते हैं। इसका अर्थ यह है कि भारत रहने के लिए अधिकाधिक सुरक्षित जगह बनता जा रहा है। केवल 25 प्रतिशत लोग ही कुछ वर्ष पहले की तुलना में अपने आप को कम सुरक्षित महसूस करते हैं।

जब आप दक्षिण एशिया के देशों में इसी सेंटर अर्थात् सेंटर फार द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटी द्वारा किये गये सुरक्षा संबंधी अध्ययन की तुलना करेंगे तो पायेंगे कि दक्षिण एशियाई देशों की तुलना में भारत अधिक सुरक्षित देश है। अब आपको यह दिखाने के लिए कि भारत की सुरक्षा स्थिति अन्य देशों की तुलना में बेहतर है, कितने सबूत चाहिए?

तीसरा महत्वपूर्ण सुझाव यह है कि सुरक्षा के संबंध में लोगों की आम धारणा आतंकवाद से बिल्कुल भी जुड़ी हुई नहीं है। लोग सामान्य घटनाओं से अधिक चिन्तित होते हैं और उनके विचार में आतंकवाद मुख्य मुद्दा नहीं है।

मुसलमान तथा अन्य अल्पसंख्यक आतंकवाद को किसी समुदाय विशेष से जोड़कर नहीं देखते हैं। हिन्दुओं में भी 38 प्रतिशत हिन्दू महसूस करते हैं कि आतंकवाद किसी धार्मिक समूह से जुड़ा हुआ नहीं है। अतः बहुसंख्यक लोग महसूस करते हैं कि स्थिति बिल्कुल सुरक्षित है। मेरे द्वारा दिये गये ये दो सबूत श्री लालकृष्ण आडवाणी द्वारा सुरक्षा की स्थिति के संबंध में कही गई बातों और पेश किए गए निराशाजनक दृश्य को झूठ साबित करते हैं।

मेरा एक और मुद्दा है इसके अलावा भी डा. मनमोहन सिंह की नेतृत्व में सरकार ने पिछले ढाई वर्षों में सुरक्षा से संबंधित मामले से निपटने के लिए अनेक सकारात्मक उपाय किए हैं। उन्होंने आतंकवाद के विरुद्ध प्रतिकारक के रूप में आर्थिक विकास को अचूक उपाय के रूप में चुना है। उन्होंने बेरोजगारी उन्मूलन, लोगों में भू संसाधनों का वितरण, लोगों के लिए बड़े पैमाने पर कल्याणकारी उपाय इत्यादि जैसे कार्य करने का निर्णय लिया है। इससे देश में सौहार्द की स्थिति बनी है। माननीय गृह मंत्री मुख्य मंत्रियों, विदेशी मंत्रियों के साथ अनेक मंत्रणाए कर रहे हैं। केन्द्रीय गृह सचिव अनेक उपाय कर रहे हैं।

अतः इन सभी उपायों से ऐसा वातावरण तैयार हुआ है कि जिसमें राष्ट्र की सुरक्षा की स्थिति सुदृढ़ है। अतः माननीय प्रतिपक्ष के नेता की इस दलील को स्वीकार नहीं किया जा सकता कि आतंकवादी तथा अन्य गतिविधियों में चिन्ताजनक वृद्धि हुई है। जिससे सुरक्षा की स्थिति प्रभावित हुई है। अतः मैं सदन से श्री लालकृष्ण आडवाणी के स्थगन प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार करने का अनुरोध करता हूं।

**श्री सर्वानन्द सोनोवाल** (डिब्रूगढ़) : महोदय, यह महत्वपूर्ण मामला है। कृपया मुझे बोलने की अनुमति दीजिए ...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री संतोष गंगवार** (बरेली) : सभापति जी, हमारी पार्टी की तरफ से और लोग भी बोलने वाले हैं।

**सभापति महोदय** : आपकी पार्टी का समय समाप्त हो चुका है।

...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**श्री अब्दुल रशीद शाहीन** (बारामूला) : महोदय, हमें बोलने की अनुमति मिलनी चाहिए। कृपया हमें बोलने के लिए कुछ समय दीजिए ...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री कीरेन रिजीजू** (अरुणाचल पश्चिम) : सभापति जी, मुझे दो मिनट का समय दीजिए।

**सभापति महोदय** : आपकी पार्टी के और सदस्यों के नाम नहीं आये हैं। अगर सुबह 4 बजे तक हाउस चले तो आपके नामक आ जायेंगे। आप योगी आदित्यनाथ जी को बोलने दें, उन्हें क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? अभी तो आप बैठिए, बाद में देखेंगे।

*...(व्यवधान)*

**सभापति महोदय** : चौ. लाल सिंह जी, आप बैठिए। आपकी पार्टी ने आपका नाम नहीं दिया है। गृहमंत्री जी उत्तर देंगे, वह खुद सक्षम हैं, वह आपकी पार्टी की ओर से ही बोलेंगे।

**योगी आदित्यनाथ** (गोरखपुर) : सभापति जी, माननीय नेता विपक्ष ने देश में आंतरिक सुरक्षा के संबंध कार्य स्थगन प्रस्ताव दिया है, मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

सभापति महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जिन महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर चिन्ता व्यक्त की है, वे सचमुच में गंभीर हैं और पिछले दो–ढाई वर्षों से मैंने स्वयं भी इस बात को महसूस किया है कि सरकार देश की आंतरिक सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही है। ऐसे बहुत सारे बिन्दु हैं जिन्हें हम देखते आ रहे हैं, चाहे वह जम्मू कश्मीर के अंदर हों या देश के पूर्वोत्तर राज्यों में हो या फिर देश के बहुसंख्यक समाज के धार्मिक, आध्यात्मिक, बहुसंख्यक धार्मिक स्थल पर होने वाले हमले की बात हो, या फिर महत्वपूर्ण पर्व और त्यौहारों के अवसर पर बम विस्फोट करके बहुसंख्यक समाज में आतंक और भय का वातावरण पैदा करने का काम हो, हर उस मामले में सरकार की ओर से एक छोटी सी प्रतिक्रिया आती है कि कुछ मनचले युवकों की करामात है। क्या सचमुच में एक छोटी सी प्रतिक्रिया से हम राष्ट्रीय सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा को नज़रंदाज कर पाएंगे? लेकिन आज यही होता जा रहा है।

हमें याद है कि अप्रैल 2004 में देश के मात्र पांच राज्यों में नक्सलवाद था। आज सरकारी आंकड़ों के अनुसार 13 राज्यों में यह फैला है और अगर बिना आंकड़ों के उनको देखा जाए तो लगभग 20–21 राज्य नक्सलवादी हिंसा से किसी न किसी रूप में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हैं। आखिर उनको प्रश्रय कौन दे रहा है? अभी यहां पर चर्चा हुई थी और माननीय नेता प्रतिपक्ष ने भी उस ओर ध्यान आकर्षित किया था कि नेपाल के माओवादी नेता प्रचंड भारत आए थे। जिस व्यक्ति के हाथ हजारों निर्दोष नागरिकों की हत्या से रंगे हुए हों, भारत के अंदर या नेपाल के अंदर जिसके खिलाफ रैड कौर्नर नोटिस जारी हुआ हो, आखिर वह व्यक्ति किस प्रकार यहां पर खुले–आम घूमता है, इस प्रकार की गतिविधियों को प्रश्रय देता है? मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस बात की और आकर्षित करना चाहता हूं कि नेपाल के अंदर जिस माओवादी समस्या के शांतिपूर्ण समाधन की बात आप देख रहें हैं, सचमुच में वहां ऐसा कुछ नहीं हुआ है। वहां लूटपाट, अराजकता उसी प्रकार से है। यही नहीं, सीमावर्ती क्षेत्रों में आज मुस्लिम मुक्ति मोर्चा बनाकर भारत और नेपाल के साथ साथ जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, वहां एक कॉरिडोर बनाने का षडयंत्र पुनः प्रारंभ हो चुका है जो राष्ट्र की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के लिए खतरनाक संकेत है।

इसके अतिरिक्त जिन महत्वपूर्ण बिन्दुओं को इस सरकार ने हमेशा नज़रंदाज करके राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने का प्रयास किया है, चाहे वह देश के लोकतंत्र की सर्वोच्च संस्था देश की संसद पर हमले के षडयंत्रकारी को न्यायालय के द्वारा फांसी की सज़ा देने की बात को सरकर द्वारा आज भी हल्के ढंग से लेने का प्रयास किया जा रहा है। कांग्रेस से जुड़े हुए एक मुख्यमंत्री के द्वारा तथा एक पूर्व मुख्य मंत्री द्वारा जिस प्रकार के निम्नस्तरीय बयान उस देशद्रोही के पक्ष में देने का प्रयास किया है, वह इस बात की ओर संकेत करता है कि आखिर आतंकवाद और उग्रवाद को कहां से प्रेरित और प्रोत्साहित किया जा रहा है। गृह मंत्री इस बारे में स्थिति स्पष्ट करेंगे। बार बार इस बारे में चर्चा होती है कि आतंकवाद की कोई जात नहीं होती, लेकिन हमें यह कहते हुए अफसोस हो रहा है कि यह केवल समाज को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। आतंकवाद के नाम पर उसको सही परिप्रेक्ष्य में स्वीकार करने का प्रयास नहीं किया जा रहा है।

**सायं 6.18 बजे**

***(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)***

मैं माननीय गृह मंत्री जी से इस बात का अनुरोध करूंगा कि राष्ट्रीय सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा को जिस प्रकार से सरकार हल्केपन से ले रही है, जिस प्रकार से सच्चर कमेटी जैसी कमेटी बनाकर इस देश में मज़हब और धर्म के आधार पर पुनः दूसरे विभाजन की एक और साजिश रचने का प्रयास किया जा रहा है, मज़हबी आरक्षण देने का प्रयास देश में प्रारंभ किया जा रहा है और अफज़ल जैसे देशद्रोही तत्वों के प्रति सरकार जिस प्रकार से हल्की प्रतिक्रिया व्यक्त करके आतंरिक सुरक्षा को खतरे में डाल रही है, इन सब पर सरकार अपनी स्थिति स्पष्ट करे। यह भी बताएं कि भारत के अंदर आखिर नेपाल के माओवादी नेता किस सरकारी हैसियत से घूमने का प्रयास कर रहे हैं जबकि नेपाल के माओवादियों के भारत के नक्सलवादियों, भारत के असम के उल्फा और तमिलनाडु के कुख्यात आतंकवादियों लिट्टे से उनके संबंध जग जाहिर हैं। आई.एस.आई. इन सबको भारत विरोधी गतिविधियों के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करती है। इन सबके बावजूद के तत्व भारत के अंदर इतनी स्वच्छंदता से घूमकर भारत विरोधी गतिविधियों को हवा देते हैं। कौन नहीं जानता कि जब नेपाल में माओवादी हिंसा थी तो जेएनयू

के अंदर ये सारे माओवादी नेता घूमते थे। महोदय, तब भी जे.एन.यू. के अंदर सारे के सारे माओवादी और नक्सलवादी नेता घूमते थे और आज भी उन्हें इन संस्थाओं की ओर से हर प्रकार का प्रोत्साहन मिल रहा है।

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : योगी आदित्यनाथ जी कृपया सहयोग दें।

*[हिन्दी]*

**योगी आदित्यनाथ** : इसलिए मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि सरकार की और से भारत और नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में जो मुस्लिम मुक्ति मोर्चा बनाया जा रहा है, वह भारत की सुरक्षा के लिए एक खतरनाक स्थिति पैदा करने का प्रयास है।

**अध्यक्ष महोदय** : योगी आदित्यनाथ जी, प्लीज कोऑपरेट कीजिए।

*[अनुवाद]*

आपके दल और आपका भी बोलने का समय समाप्त हो गया है।

*[हिन्दी]*

**योगी आदित्यनाथ** : मैं कहना चाहता हूं कि सरकार इसे हल्केपन से न ले।

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : यदि आप सहयोग नहीं देते हैं तो मैं माननीय मंत्री जी को उत्तर देने के लिए आमंत्रित करूंगा।

*[हिन्दी]*

**योगी आदित्यनाथ** : मैं कहना चाहता हूं कि सरकार भारत की आन्तरिक सुरक्षा के साथ निरन्तर खिलवाड़ कर रही है चाहे फिर वह अयोध्या में राम मंदिर पर हमले का मामला हो, चाहे काशी में संकटमोचन मंदिर पर हमला करने का मामला हो, चाहे दिल्ली में दीपावली की पूर्व संध्या पर आतंकी बम विस्फोटों का मामला हो या मुम्बई में ट्रेनों में लगातार बम विस्फोटों का मामला हो। यह सब सोची–समझी साजिश के तहत किया जा रहा है, लेकिन सरकार देश की आतंरिक सुरक्षा कर अनदेखी कर रही है। इससे राष्ट्रीय सुरक्षा को भी खतरा उत्पन्न हो रहा है।

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : योगी आदित्यनाथ आपने निर्धारित समय से अधिक समय पहले ही ले लिया है।

*[हिन्दी]*

**योगी आदित्यनाथ** : महोदय, यू.पी.ए. की सरकार देश की आन्तरिक सुरक्षा की निरन्तर उपेक्षा कर रही है। इसलिए मैं नेता प्रतिपक्ष की ओर प्रस्तुत किए गए कार्य स्थगन प्रस्ताव का समर्थन करते हुए गृह मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जब वे अपना जवाब दें तो इस बारे में स्पष्ट उत्तर दें कि भारत सरकार देश की आन्तरिक सुरक्षा की लगातार क्यों उपेक्षा कर रही है।

*[अनुवाद]*

**श्री सर्वानन्द सोनोवाल** (डिब्रूगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्वोत्तर में सुरक्षा की स्थिति बहुत गंभीर है। हमारे माननीय गृह मंत्री वर्तमान स्थिति से अच्छी तरह वाकिफ हैं। असम के लोग मांग कर रहे हैं कि असम राज्य में शांति बहाल करने के लिए भारत सरकार द्वारा व्यावहारिक उपाय किए जाएं। पिछले कुछ दिनों में सैन्य कर्मियों द्वारा अनेक हत्याएं की गई थीं। उन्होंने कुछ निर्दोष नागरिकों को मारा है, उदाहरण के लिए तिनसुकिया जिले में मोहोंग बोर्डुम्सा गांव के पांच साल के लड़के देबोजीत मोरन की हत्या भारतीय सेना के कर्मियों द्वारा 8 नवम्बर को की गई थी और उसकी बहन जो सात साल की है, एम्स में जिन्दगी के लिए संघर्ष कर रही है। इस संबंध में अब तक कोई जांच शुरू नहीं की गई है। जैसा कि हम सभी प्रकार की हिंसा के विरुद्ध हैं, हम मांग करते हैं कि माननीय गृह मंत्री और भारत सरकार उल्फा और अन्य उग्रवादी संगठनों के साथ तत्काल शांति वार्ता शुरू करे ताकि पूर्वोत्तर में शांति बहाल की जा सके।

महोदय, आपकी जानकारी के लिए अभी कुछ घंटे पहले ही मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बम विस्फोट हुआ था जिसमें कुछ सैन्य कर्मी मारे गए और एक कप्तान बुरी तरह घायल हुआ था। हम सभी प्रकार की हिंसा की भर्त्सना करते हैं। जो भी हिंसा करते हैं चाहे वह उग्रवादी संगठनों अथवा सुरक्षा बलों द्वारा की गई हो इस संबंध में सरकार को ठोस राजनीतिक पहल और साथ ही समुचित उपाय करने चाहिए। भारत सरकार और सेना उन उग्रवादी संगठनों के शांति वार्ता के लिए मनाने में नाकाम रही है। इसीलिए, भारत सरकार से मेरा विनम्र अनुरोध है कि उन्हें परिश्रम, समर्पण और वचनबद्धता के साथ हर संभव उपाय करने चाहिए ताकि असम और पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में शांति बहाल की जा सके।

**अध्यक्ष महोदय** : डा. शर्मा, यदि आप सम्बद्ध करना चाहते हैं, तो ऐसा कर सकते हैं।

**डा. अरुण कुमार शर्मा** (लखीमपुर) : महोदय, देश में पूर्वोत्तर सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र है ...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : आप मेरी अनुमति के बिना खड़े होकर बोल रहे हैं। आप बहुत संयमी सदस्य हैं।

*[हिन्दी]*

मैंने आपकी पार्टी को टाइम दे दिया है।

...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : डा. शर्मा कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जा रहा है। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? एक शब्द भी रिकार्ड मत कीजिए।

*...(व्यवधान)**

**श्री सुव्रत बोस** (बारासाट) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने में सरकार की असफलता पर प्रतिपक्ष के माननीय नेता द्वारा लाए गए स्थगन प्रस्ताव का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मुझे अपनी बात बहुत संक्षेप में कहनी होगी क्योंकि समय नहीं है। अतः मैं प्रतिपक्ष के माननीय नेता के भाषण पर विभिन्न वक्ताओं द्वारा की गई टिप्पणियों को दोहराना नहीं चाहता, लेकिन मैं केवल एक बात कहना चाहूंगा जिसका उल्लेख किसी ने नहीं किया है। प्रतिपक्ष के नेता ने बहुत ही ठोस सुझाव दिया कि नागरिक पहचान पत्रों को जारी किए जाने के कार्य में तेजी लायी जानी चाहिए। यह समय की मांग है। हालांकि नागरिक पहचान पत्रों से गैरकानूनी आप्रवास समाप्त नहीं होगा लेकिन इससे कम से कम सैन्य बलों को अवैध रूप से रह रहे आप्रवासियों की पहचान करने में सुविधा होगी।

जहां तक आंतरिक सुरक्षा की स्थिति का संबंध है और जैसा गृह मंत्रालय द्वारा बताया गया है, निश्चित तौर पर यह संतोषजनक होता है कि पिछले एक वर्ष में आतंकवादी गतिविधियों पर कुछ हद तक रोक लगी है और मुझे उम्मीद है कि इसे बनाए रखा जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि हमें इस मामले में केवल इससे निश्चिन्त होकर नहीं बैठना चाहिए। मुझे लगता है इसमें आशंका और खतरा दोनों ही हैं और हमें इस बारें में अधिक सतर्क रहना चाहिए।

मैं यहां उल्लेख करना चाहता हूं कि चाहे हम उन्हें कितना ही नापसन्द करते हों, तथापि यह हमारे पड़ोसी देशों के लोगों पर कोई आक्षेप नहीं है – हम जानते हैं कि हमारे दो पड़ोसी देश आतंकवादियों को प्रशिक्षण और आश्रय देते रहे हैं और उनकी गतिविधियों में उनकी मदद कर रहे हैं। विशेषकर पश्चिम बंगाल के दृष्टिकोण से यह चिन्ता की बात है। पश्चिम बंगाल का उल्लेख स्टेटस रिपोर्ट में दिए गए आंकड़ों में नहीं किया गया है और सौभाग्य से वहां अब तक कोई बड़ी आतंकवादी घटना नहीं हुई है। लेकिन अपनी भौगोलिक स्थिति और बांग्लादेश, जो आतंकवादियों को आश्रय और प्रशिक्षण दे रहा है, से समीपता के कारण हमें अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। जैसा आप सभी जानते हैं हमारे राज्य में के एल ओ जैसे संगठनों और माओवादियों द्वारा कतिपय गतिविधियां की जा रही हैं।

मैं श्री गुरूदास दासगुप्त से सहमत हूं कि हालांकि माओवादी आंदोलन का आविर्भाव आर्थिक कारणों से हुआ है। लेकिन उनकी मदद करने वाले आतंकवादी उनका अनुचित लाभ उठा रहे हैं। अतः हमें उन्हें गंभीरता से लेना होगा और बहुत सतर्क रहना होगा। केन्द्र को भी यह देखना होगा कि पश्चिम बंगाल, असम और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में आतंकवादी गतिविधियों पर रोक लगाई जाए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि गृह मंत्रालय सक्रिय रहेगा। हम सभी को अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए तथा देश में आतंकवाद का सामना करने में भारत सरकार की मदद करनी चाहिए।

**श्री अब्दुल रशीद शाहीन (बारामूला)** : जनाबेआला, मैं चेयर के फैसले से मुत्तफिक रहता हूं। मुझे ख्याल था कि आप मुझे बोलने के लिए नहीं कहेंगे। मैं बारामूला और कूपवाड़ा की नुमाइंदगी करता हूं और कश्मीर से हूं। हम जो कि उत्तर–पूर्व और कश्मीर के लोग हैं, वे खून के दरिया में जी रहे हैं। हमें ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। हमने मोज़िज़ रहनुमाओं की तकरीरें सुनी हैं। कायदे हिज्बे इख्तिलाफ़ ने जो मोशन पेश किया है और उसके बाद जो तक़रीर सुनी है, उससे यह समझ में आया है कि जो असल प्राब्लम है, वह गायब हो गई है और आपस की नौंकझोंक चल रही है। बहरहाल यह जम्हूरियत की जान है, यह चीजें होती रहती हैं। मैं इख्तिसार के साथ यह अंर्ज़ करना चाहता हूं कि हमारी लड़ाई आजादी–ए–तक़री के लिए शुरू हो गई थी, अब वह कश्मीर के लोगों से छीनी गई है, दोनों तरफ से छीनी गई है। हम बात नहीं कर सकते हैं, सच नहीं कह सकते हैं। कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि इस सरकार के रहनुमा प्रधानमंत्री को मैं काबिले मुबारक इसलिए समझता हूं क्योंकि उन्होंने पहली बार खुलकर अकलियतों की बात कही है और कहा है कि अकलियतों को करीब लाना चाहिए, उन्हें निशाना नहीं बनाना चाहिए, उनको दूर नहीं रखना चाहिए। मैं यह कहना चाहता हूं कि मेरे दोस्त जो इस तरफ यानी हिज्बे इख्तिलाफ में बैठें, मैं इनका भी शुक्रगुजार हूं क्योंकि उस समय की सरकार के रहनुमा, उस वक्त के प्रधानमंत्री ने एक दरवाजा खोला पाकिस्तान के साथ जो लम्बी दूरी थी वह एक शक की फिज़ा थी, उसे तोड़ने के लिए दरवाजा खोला। हम कई बार पाकिस्तान जा सके और अब यह समझ में आने लगा है कि वहां के सियासी लोग, वहां के ब्यूरोक्रेसी के लोग, वहां की जूडिशयरी के लोग और वहां के आम इंसान भी अमन चाहते हैं। लेकिन इसके पीछे कौन है (आतंकवाद) वह भी एक कहानी है और हमारे जो होम मिनिस्टर हैं और इनका जो विभाग है, उनको ये सारी बातें ठीक से मालूम हैं। हमें इस बात का एतमाद है कि हमारी सरकार और इस मुल्क का एस्टेब्लिशमेंट जो है, वह स्थिति से अवगत है, लेकिन फरिश्ते नहीं बैठे हैं, जो इस मसले को एक दिन में हल कर सकें। सिर्फ यह हो सकता है कि ये जो पेचीदा मसायल हैं, जिससे यह बात आगे बढ़ जाती है, उस पर नजर रखने की जरूरत है और जो जम्हूरी निजाम को कायम

* कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

करने के लिए अपनी जानों पर खेलकर कश्मीर में जो चुनकर आये हैं, चाहे वे पंचायत के मैम्बर हैं, असेम्बली के मैम्बर हैं, पार्लियामेंट के मैम्बर हैं, उन लोगों को एतमाद में लेने से सारे मसायल हल हो सकते हैं। मैं यह दरख्वास्त करना चाहता हूं कि इस सिलसिले को तोड़ने के लिए जो सैकुलर निजाम है और सैकुलर सोच है, जो हमारी रवायत है, जिससे हमारे मुल्क की इज्जत और हमारे मुल्क का इत्तेहाद, हमारे मुल्क की जम्हूरियत आगे बढ़ती है, उसकी आबयारी करने के लिए हमारी हिज्बे इख्तिलाफ के रहनुमाओं से यही दरख्वास्त है और सरकार से भी यही दरख्वास्त है कि उसकी आबयारी हो तो काश्मीर में जो मुसीबतें खड़ी हो गई हैं, उसके जो हमलावर हैं, सैकुलर निजाम के जो हमलावर हैं, वे नाकाम हो जाएंगे और अमन आयेगा, अमन जरूर आयेगा। लेकिन हम सब लोगों को मुत्तहिद होकर इन मामलों को देखना होगा। अगर हम इख्तेलाफात में जुटे रहे तो मुखालिफीन उसका फायदा उठाएंगे।

मैं इन्हीं अल्फाज़ में होम मिनिस्टर साहब से यह दरख्वास्त करूंगा कि जो ड्रग्स की मूवमेंट है, उस पर खात तौर पर नजर रखी जाये। मेरे इलाके में जो हदे मुतारका के इस तरह है, नियंत्रण रेखा के इस तरफ है, जो पोजीशन वहां है, क्योंकि ड्रग्स का मूवमेंट भी दहशतगर्दी की बुनियाद है, उस पर सरकार खास तौर पर नजर रखे। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं।

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : आपके सहयोग के लिए धन्यवाद।

**श्री आठवले** : केवल तीन मिनट।

चर्चा समाप्त होने तक सभा का समय बढ़ा दिया जाए।

**अनेक माननीय सदस्य** : जी हां, महोदय।

**अध्यक्ष महोदय** : ठीक है।

**جناب عبدالرشید شاہین (بارہ مولا)**: جناب عالی، میں چیر کے فیصلے سے متفق رہتا ہوں۔ مجھے خیال تھا کہ آپ مجھے بولنے کے لئے نہیں کہیں گے۔ میں بارہ مولا اور کپواڑہ کی نمائندگی کرتا ہوں، اور کشمیر سے ہوں ہم جو کہ نارتھ ایسٹ اور کشمیر کے لوگ ہیں وہ خون کے دریا میں جی رہے ہیں۔ ہمیں زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے معزز رہنماؤں کی تقریریں سنی ہیں، قائدے حزب اختلاف نے جو موشن پیش کیا ہے اور اس کے بعد جو تقریر سنی ہے، اس سے یہ سمجھ میں آیا ہے کہ جو پرویلم ہے وہ غالب ہو گئی ہے اور انہیں کی نوک جھوک چل رہی ہے۔ بہرحال یہ جمہوریت کی جان ہے یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں میں اختصار کے ساتھ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری لڑائی آزادی ہے تقریر کے لئے شروع ہوگئی تھی، وہ کشمیری لوگوں سے چھینی گئی، دونوں طرف سے چھینی گئی ہم بات نہیں کر سکتے ہیں، سچ نہیں کہہ سکتے ہیں، کوئی سننے کے لئے تیار نہیں ہے۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس سرکار کے رہنما وزیر اعظم ہیں، ان کو میں قابل مبارک اس لئے سمجھتا ہوں کہ انہوں نے پہلی بار اقلیتوں کی کھل کر بات کہی ہے، اور کہا ہے کہ اقلیتوں کو قریب لانا چاہئے، انہیں نشانہ نہیں بنانا چاہیے، ان کو دور نہیں رکھنا چاہئے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے دوست جو اس طرف بیٹھے ہیں میں ان کا بھی شکر گزار ہوں کیونکہ اس وقت کی سرکار کے رہنما، اس وقت کے وزیر اعظم انہوں نے ایک دروازہ کھولا۔ پاکستان کے ساتھ جو لمبی دوری تھی، ایک شک کی فضا تھی اسے توڑنے کے لئے دروازہ کھولا، ہم کئی بار پاکستان جا سکے، اور اب یہ سمجھ میں آنے لگا ہے کہ وہاں کے سیاسی لوگ، وہاں کے بیوروکریسی کے لوگ، وہاں کی جو ٹیشری کے لوگ اور وہاں کے عام انسان بھی امن چاہتے ہیں۔ لیکن اس کے بیچ میں کون ہے، وہاں بھی ایک کہانی ہے اور ہمارے جو بوم منسٹر ہے اور ان کا جو وہیانگ ہے، ان کو یہ ساری باتیں ٹھیک سے معلوم ہے۔ ہمیں اس بات کا اعتماد ہے کہ ہماری سرکار اور اس ملک کا جو ایسٹیبلشمینٹ جو ہے وہ ایلاو تو دی سچویشن ہے، لیکن فرشتے نہیں بیٹھے ہیں، جو اس پرویلم کو ایک دن میں حل کر سکتے ہیں۔ صرف یہ ہو سکتا ہے کہ ان کو جو مسائل ہیں، جس سے یہ آگے بڑھ جاتی ہیں اس پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے، اور جو جمہوری نظام کو قائم کرنے کے لئے اپنی جانوں پر کھیل کر کشمیر میں آنے ہیں چاہے وہ پنچائت کے ممبر ہیں، اسمبلی کے ممبر ہیں، پارلیمنٹ کے ممبر ہیں، ان لوگوں کو اعتماد میں لینے سے سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ میں یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ اس سلسلے کو توڑنے کے لئے جو سیکولر نظام ہے، اور سیکولر سوچ ہے، جو ہماری روایت ہے، جس سے ہمارے ملک کی عزت، ہمارے ملک کا اتحاد اور ہمارے ملک کی جمہوریت آگے بڑھتی ہے، اس کی آبیاری کرنے کے لئے ہماری حزب اختلاف کے رہنماؤں سے یہی درخواست ہے اور سرکار سے بھی یہی درخواست ہے کہ اس کی آبیاری ہوگی تو کشمیر میں جو مصیبتیں کھڑی ہو گئی ہیں، اس کے جو حملاور ہیں، سیکولر نظام کے جو حملاور ہیں وہ ناکام ہوجائینگے اور امن آئیگا، امن ضرور آئیگا لیکن ہم سب لوگوں کو اتحاد سے ان معاملوں کو دیکھنا ہوگا۔ اگر ہم اختلاف جڑے رہے تو مخالفین اس کا فائدہ اٹھا لینگے۔

میں انہیں الفاظ میں بوم منسٹر صاحب سے یہ درخواست کروں گا کہ جو ڈرگس کی موومنٹ ہے اس پر خاص طور پر نظر رکھی جائے۔ میرے علاقے میں جو حد متارکہ کے اس طرف ہے، لائن آف ایکچول کنٹرول کے اس طرف ہے، جو پوزیشن وہاں ہے، کیونکہ ڈرگس کی موومنٹ بھی دہشت گردی کی بنیاد ہے، اس پر سرکار خاص طور پر نظر رکھے، میں اپنا شکریہ ادا کرتا ہوں۔

*[हिन्दी]*

**श्री रामदास आठवले (पंढरपुर)** : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं, आभारी हूं। मैं समझ रहा था कि आप मेरे ऊपर बहुत नाराज हैं, मगर आपने मुझे वक्त दे दिया है तो अन्तरिम सुरक्षा के बारे में यहां आडवाणी साहब ने जो प्रस्ताव रखा है ...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : मैं नाराज नहीं हूं। मैं अपनी विनम्रता से देश के लोगों के विचारों से जुड़ने का प्रयास कर रहा हूं।

*[हिन्दी]*

**श्री रामदास आठवले** : यहां देश की आन्तरिक सुरक्षा के संबंध में हम सब लोग चर्चा कर रहे हैं। हम तो आडवाणी साहब के प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं, मगर आन्तरिक सुरक्षा के बारे में हम सब लोगों को विचार करने की आवश्यकता है। ...*(व्यवधान)* एक दूसरे की

[श्री रामदास आठवले]

सुरक्षा करने की जिम्मेदारी हम सब लोगों की है। बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने देश को जो संविधान दिया, हिन्दू, मुस्लिम, दलित, सभा जाति, धर्म के लोगों की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी हम सब पर दे दी है और इसीलिए सुरक्षा के बारे में राजनीति नहीं खेलनी चाहिए।

एक तो हम यह समझते हैं कि अपने देश में जो बम ब्लास्ट हो रहे हैं, उसका कारण यह है कि 6 दिसम्बर, 1992 को जब बाबरी मस्जिद को गिराया गया तो उसके बाद यहां बम ब्लास्ट की संख्या बढ़ती जा रही है, आतंकवाद बढ़ता जा रहा है, दलितों पर अत्याचार होते जा रहे हैं। महाराष्ट्र में खैरअंजली नाम का जो गांव है, वह आज देश की आजादी की 15 अगस्त को 60 साल पूरे हो जाएंगे, लेनि आज भी दलितों की हत्या करने का प्रयत्न हो रहा है। इस जातिवाद को खत्म करने के लिए हम सब लोगों को एक साथ होना चाहिए, एक साथ आना चाहिए।

आडवाणी साहब का यहां मैं शुक्रगुजार हूं, मैं आपका अभिनन्दन इसलिए करता हूं कि आपने बाबरी मस्जिद गिराने का दुख व्यक्त किया है, इसलिएस मैं आपसे अपील करता हूं कि जिस जगह पर बाबरी मस्जिद को गिराया है, उस जगह पर हम सब लोग मिलकर बाबरी मस्जिद को बनाते हैं और अपने देश में जो नेशनल इंटीग्रेशन है, उसको हम सब को एक साथ बनाने का प्रयत्न करने की आवश्यकता है। मंदिर की भी सुरक्षा होनी चाहिए, मस्जिद की भी सुरक्षा होनी चाहिए, गुरूद्वारे की, बौद्ध विहार की सुरक्षा होनी चाहिए। अगर उनकी सुरक्षा हो जायेगी तो अपनी सुरक्षा हो जायेगी।

मैं ज्यादा वक्त ले लूंगा तो आप नाराज हो सकते हैं, इसलिए मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए इतना ही अपील करता हूं कि हम सब लोग मिलकर जो नक्सलाइट मूवमेंट है, दलित पर अत्याचार है, मुस्लिम पर अत्याचार होगा, हिन्दू पर भी अत्याचार होता होगा, उसका भी मुकाबला हम सब लोगों को मिलकर करने की आवश्यकता है। हम सभी एक हैं, इस तरह का नारा गूंजना चाहिए। मुशर्रफ को मालूम होना चाहिए कि आडवाणी जी भी हमारे साथ आ गए हैं। पूरा देश एक साथ है, यह संदेश जाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आंतरिक सुरक्षा के लिए शिवराज पाटिल साहब से अपील करता हूं, आप अच्छे विद्वान हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, हमारे महाराष्ट्र से हैं, आपके माध्यम से हमें काफी उम्मीदें हैं। आप ऐसी व्यवस्था कीजिए, जिससे सभी की रक्षा हो सके। मेरी मांग यह है कि अगर दलितों की सुरक्षा करने में पुलिस उतनी सक्षम नहीं है, तो दलितों को हथियार का पैमाना मिलना चाहिए। यही हमारी मांग है और इस बारे में विचार करने की आवश्यकता है। मैं अगर आगे बोलूंगा, तो आप नाराज हो सकते हैं, इसलिए मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं।

**अध्यक्ष महोदय** : आपको चेयर के साथ भी को–ऑपरेट करना चाहिए।



*[अनुवाद]*

**श्री अधीर चौधरी** (बरहामपुर, पश्चिम बंगाल) : मैं स्थगन प्रस्ताव का स्पष्ट रूप से विरोध करता हूं जो कि हमारे पूर्व उप–प्रधानमंत्री और वर्तमान में प्रतिपक्ष के नेता श्री आडवाणी जी द्वारा लाया गया है। रिवाज के तौर पर, उन्होंने इसमें सुरक्षा की स्थिति के बारे में बताया है जो उनके अस्पष्ट दृष्टिकोण और अल्पकालिक सोच को दर्शाता है।

हमें यह स्वीकार करना होगा कि किसी भी व्यक्ति की सुरक्षा व्यक्ति द्वारा हाथ में बंदूक लेकर नहीं की जा सकती क्योंकि सुरक्षा कोई सैन्य हार्डवेयर नहीं है यद्यपि यह भी इसका एक हिस्सा है; सुरक्षा कोई सैन्य बल नहीं है, यद्यपि इसमें यह शामिल है; सुरक्षा कोई सैन्य गतिविधि नहीं है, यद्यपि इसे यह परिवेष्टित करता है। परंतु तथ्य यह है कि सरकार हमारे राष्ट्रीय मूल्यों के संवर्धन तथा प्रफलन और उसकी सभी मौजूदा तथा संभावित खतरों से सुरक्षा करने के लिए सहायक राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय रणनीतिक वातावरण सृजित करने के लिए जोरदार प्रयास कर रही है। यह सरकार इस नीति को सही तरीके से आगे बढ़ा रही है। हम विश्वास करते हैं कि विकास के बिना कोई सुरक्षा नहीं हो सकती। इसलिए यह सरकार 'भारत–निर्माण, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम और अनेक अन्य कार्यक्रमों के अन्तर्गत विकास पथ का कड़ाई से अनुसरण कर रही है; हम विश्वास करते हैं कि केवल बंदूक से सुरक्षा परिदृश्य के सुधारा नहीं जा सकता।

मैं यह जानकर आश्चर्यचकित हूं कि श्री आडवाणी जी जिन्होंने आई एस आई द्वारा उनकी भूमि पर गैर–भारतीय गतिविधियों पर खर्च की जाने वाली राशि का पता लगाने के लिए काफी जोर लगाया परंतु उन्होंने आंतरिक सुरक्षा की स्थिति के बारे में हमारे गृह मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को देखने का कष्ट नहीं किया। इस रिपोर्ट में जो जीवंत चित्रण किया गया है, वह इस बात का स्पष्ट सबूत है और कोई भी हमारे देश के सुरक्षा की स्थिति में सुधार को आसानी से समझ सकता है। तथापि अभी भी बहुत किया जाना बाकी है।

मैं 2–3 बिंदु उठाना चाहता हूं। मैं देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र से आता हूं। भारत–बांग्लादेश सीमा हमारे क्षेत्र के बहुत नजदीक है। गृह मंत्री को निश्चिय ही यह जानकारी होगी कि आतंकवादी और घुसपैठ की गतिविधियां अब धीरे–धीरे पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्र में केन्द्रित हो गयी हैं क्योंकि बांग्लोदश की सरकार की ढिलाई के कारण वह भारत–विरोधी गतिविधियों का आश्रय–स्थल बन गया है। अब यह पाया गया है कि विदेशी अंतःक्षेत्र के नाम पर किए गए अवैध कब्जों का घुसपैठियों द्वारा आतंकवादी गतिविधियों के लिए दुरूपयोग किया जा रहा है।

कुछ दिनों पहले, उत्तरी बंगाल के बेलेकोबा रेलवे स्टेशन पर एक बम धमाका हुआ था। इसलिए, मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि वह इस

मामले को बांग्लादेश सरकार के साथ उठाए। पूर्व में इंदिरा गांधी और मुजीबुर रहमान अवैध कब्जों या उन विदेशी अंतःक्षेत्रों की अदला–बदली के लिए सहमत हो गए थे।

इस रिपोर्ट में, सरकार ने आसूचना संबंधी बुनियादी ढांचे पर विशेष बल दिया है। मैं माननीय गृह मंत्री का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहूंगा कि हम आसूचना संबंधी बुनियादी ढांचे के लिए बहुत अधिक भुगतान कर रहे हैं क्योंकि आसूचना एकदम अचानक से मुहैया नहीं करायी जा सकती। इसे खरीदना पड़ता है और आसूचना खरीदने के लिए स्रोत राशि के रूप में आपको अधिक भुगतान करना पड़ता है। मेरे राज्य पश्चिम बंगाल के नक्सल प्रभावित जिलों में स्रोत राशि के लिए केवल 3 लाख रुपए दिए जा रहे हैं।

**अध्यक्ष महोदय** : इन विषयों पर सार्वजनिक रूप से चर्चा नहीं कीजिए।

**श्री अधीर चौधरी** : यदि इन तीन लाख रुपयों को 30 पुलिस स्टेशनों में वितरित किया जाता है तो – एक नक्सल प्रभावित जिले में तीस पुलिस स्टेशन होते हैं – आंकड़ों की दृष्टि से हरेक थाने को आसूचना पर खर्च करने के लिए प्रतिदिन तीस या चालीस रुपए मिलते हैं। स्वाभाविक रूप से आसूचना प्राप्त करने के लिए आपको स्रोत राशि के रूप में अधिक खर्च करना पड़ेगा ...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : इन मामलों पर सार्वजनिक रूप से चर्चा नहीं की जाती है।

**श्री अधीर चौधरी** : पश्चिम बंगाल का सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र बांग्लादेश से आ रहे घुसपैठियों के पैर जमाने लिए सर्वाधिक उपयुक्त जगह बन जाएगा ...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : आपने अपनी बात काफी अच्छे तरीके से रख दी है।

**श्री अधीर चौधरी** : उन विस्तीर्ण द्वीपों में वस्तुतः प्रशासन का कोई अस्तित्व ही नहीं है। इसलिए, मैं माननीय गृह मंत्री से अनुरोध करूंगा कि उन अलग–थलग पड़े हुए द्वीपों पर विशेष ध्यान दें जो एक जोखिम भरे बड़े क्षेत्र में फैले हुए हैं और घुसपैठियों द्वारा उपयोग किए जाने के अनुकूल साबित हो सकते हैं।

**अध्यक्ष महोदय** : आपका बहुत–बहुत धन्यवाद। आपने हमेशा की तरह अपनी बात सुस्पष्ट तरीके से कही है। आपने बहुत अच्छे मुद्दे उठाए हैं।

**श्री अधीर चौधरी** : समय की कमी के कारण मैं अपना भाषण समाप्त कर रहा हूं। मैं सरकार और गृह मंत्री को धन्यवाद देता हूं कि वे सुरक्षा की स्थिति में सुधार के लिए पुरजोर प्रयास कर रहे हैं, यद्यपि हम जानते हैं कि आंतरिक सुरक्षा प्रबंध एक बहुत बड़ा कार्य है।

**अध्यक्ष महोदय** : आपको अध्यक्षपीठ को भी धन्यवाद देना चाहिए क्योंकि मैंने आपको बोलने का अवसर दिया।

**श्री अधीर चौधरी** : धन्यवाद, महोदय।

**सायं 6.42 बजे**

*[हिन्दी]*

**श्री तापिर गाव** (अरुणाचल पूर्व) : अध्यक्ष महोदय, आडवाणी जी ने जो प्रस्ताव रखा है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। यहां जब भी आतंरिक समस्या के बारे में डिकशान होती है, तब पूर्वोत्तर राज्यों की समस्या के बारे में भी गहराई से विचार करना चाहिए। मैंने गृह मंत्री जी के रिटन जवाब को गहराई से पढ़ा है। मैं इस सदन को बताना चाहता हूं कि पूर्वोत्तर राज्यों में 50 से ज्यादा आतंकवादी गुट हैं। पूर्वोत्तर राज्य के लोगों को शान्ति प्रदान करने की जिम्मेदारी यूपीए सरकार पर है। आप एनएससीएन (आईएन) के साथ जो पीस टॉक, सीज फायर एक्सटैंड करते जा रहे हैं, मैं गृह मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि यह केवल पूर्वोत्तर राज्यों का ही सिर दर्द नहीं बन रहा है बल्कि देश का सिर दर्द बन रहा है। एनएससीएन (आईएन) को दस साल हो गए। उसकी नेगोसिएशन, अंडरस्टैंडिंग, सीज फायर होती जा रही है। जब तक एनएससीएन (आईएन) समस्या का हल नहीं होगा, तब तक पूर्वोत्तर राज्यों में उलफा, मणिपुर, त्रिपुरा की समस्या का कभी हल नहीं होगा। इसलिए मैं यूपीए सरकार से दरख्वास्त करूंगा कि इसके लिए पोलीटिकल विल की जरूरत है, करेज की जरूरत है। एनएससीएन (आईएन) और एनएससीएन (के) के साथ डिस्कशन कर समाधान जरूर निकालना चाहिए, तब पूर्वोत्तर राज्यों को शान्ति मिलेगी। अभी उलफा के साथ सीज फायर ब्रेक हुआ। असम के मेरे साथियों ने आपके पास जो प्रस्ताव रखा है, मैं उसका दिल से समर्थन करता हूं और कहना चाहता हूं कि आपको उलफा के साथ जो पीस टॉक शुरू करनी चाहिए। पूर्वोत्तर राज्य लैंड–लॉक्ट प्रदेश है और माननीय स्पीकर साहब का जन्म स्थान है। उनके उस जन्म स्थान में हमें शान्ति चाहिए, वहां के लोगों को शान्ति चाहिए।

मैं आपको दो–तीन सुझाव देना चाहता हूं। आपको सिर्फ पैरामिलिट्री फोर्सेज के माडर्नाजेशन ऑफ आर्म्स एंड एम्यूनेशन तक सीमित नहीं होना चाहिए। पंजाब पुलिस काबिले तारीफ है। पंजाब पुलिस ने जैसे पंजाब की सिचुएशन हल की वैसे पूर्वोत्तर राज्यों की पुलिस–असम, नागालैंड, मणिपुर आदि हर प्रदेश की पुलिस को आपको हर तरह का गोला–बारूद देना होगा। इस चीज को जब तक हम नहीं करेंगे तब तक यह समस्या पूर्वोत्तर राज्यों में होगी। मैं मणिपुर का एक उदाहरण देना चाहता हूं। ...(कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।)

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*[हिन्दी]*

**श्री तापिर गाव** : यह बात सही है। यह बात पेपर में आई है। इसे सारी दुनिया जानती है। ...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : कृपया अब आप अपनी बात समाप्त करें।

**श्री तापिर गाव** : महोदय मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।

**अध्यक्ष महोदय** : अब आपके दल के लिए कोई समय नहीं बचा है।

*[हिन्दी]*

**श्री तापिर गाव** : मैं थोड़े समय में ही अपनी बात समाप्त करूंगा। ...*(व्यवधान)* जो बॉर्डर फैंसिंग इश्यू है। ...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : अब कुछ मिनटों का प्रश्न ही नहीं है।

*[हिन्दी]*

**श्री तापिर गाव** : बंगलादेश के साथ जितनी हमारी बाउंड्रीज हैं, उसकी बार्डर फैंसिंग इश्यू को हमें मजबूती से उठाना चाहिए। म्यांमार से जितना आर्म्स एंड एम्यूनेशन आ रहा है, वहां से ड्रग ट्रैफिकिंग हो रही है, वह हमारे पूर्वोत्तर राज्यों के लिए बहुत बड़ी समस्या है। ...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : मैंने आपको बोलने के लिए पूरा टाइम दे दिया है।

...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : श्री कीरेन रिजीजू ने इस मामले से अपने आपको सम्बद्ध किया है।

*[हिन्दी]*

**श्री तापिर गाव** : पूर्वोत्तर राज्यों में, जैसे मणिपुर है, वहां स्पेशल आर्म्ड फोर्स पावर एक्ट बनाने के बारे में सदन में काफी चर्चा हुई। आर्म्ड फोर्स पावर एक्ट के लिए आपने एक स्टडी कमेटी का गठन किया है। मैं जानना चाहता हूं कि उस स्टडी कमेटी की रिपोर्ट कब पेश होगी और उस पर आप कब एक्शन लेंगे? अभी मणिपुर में फिर इलैक्शन होने हैं।

*[अनुवाद]*

पूर्वोत्तर क्षेत्र की जनता की ओर से,

*[हिन्दी]*

मुझे एक चीज का दुख है कि प्रधान मंत्री जी को 27 तारीख को मणिपुर जाना था लेकिन वह दौरा पोस्टपोंड हो गया। उसका कारण यह है कि वहां स्थिति ठीक नहीं है, शांति नहीं है। मेरी आपसे डिमांड है कि मणिपुर में सबसे पहले प्रैजीडैंट रूल होना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : अब कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। आपके प्रति मेरा जो स्नेह है, उसका दुरुपयोग न करें।

...*(व्यवधान)**

**श्री शिवराज वि. पाटील** : महोदय, हम भारत में सुरक्षा की स्थिति पर चर्चा का स्वागत करते हैं। मैं इस सभा के उन सभी माननीय सदस्यों को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने निहायत प्रासंगिक मुद्दे उठाए हैं और निश्चित रूप से हम देश और देशवासियों को सुरक्षा मुहैया कराने के संबंध में निर्णय लेते समय इन बातों का ख्याल रखेंगे।

दरअसल, राष्ट्रीय सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा और कानून–व्यवस्था – सुरक्षा के तीन मुख्य पहलू हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा अर्द्ध–सैनिक बल तथा कुछ मामलों में पुलिस और देश की जनता के सहयोग से रक्षा बल द्वारा प्रदान की जाती है।

आंतरिक सुरक्षा भारत सरकार द्वारा प्रदान किए जाने की अपेक्षा की जाती है। किन्तु, आंतरिक सुरक्षा का अर्थ हमें स्पष्ट शब्दों में समझना होगा और यदि हम इसका अर्थ स्पष्ट रूप से नहीं समझ पाते हैं, तो उलझ जाएंगे और अनावश्यक रूप से भ्रम की स्थिति पैदा होती रहेगी। भारत सरकार के लिए यह कतई संभव नहीं है कि वे राज्यों में हालात को काबू करने के लिए राज्य सरकारों को हर मामले में अर्द्ध सैनिक बल भेजें या उन्हें रक्षा बल उपलब्ध कराएं। जब कभी कोई अनुरोध होता है, कभी कोई मांग होती है तो इन बलों को उन्हें उपलब्ध कराया जाता है और फिर यह राज्य सरकार पर छोड़ दिया जाता है कि वह अपने प्रांत में स्थिति से कैसे निपटती है। यदि भारत सरकार को यह लगता है कि यह उसके नियंत्रण से परे है, या हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि वहां असाधारण कदम उठाए जाने की निहायत आवश्यकता है, तो वैसी स्थिति में विधान में यथाप्रदत्त व्यवस्था के मुताबिक वैसे कदम भी उठाए जाते हैं।

आंतरिक सुरक्षा पर चर्चा करते हुए हमें इस सच्चाई को साफ–साफ समझना होगा। इसका मतलब यह नहीं है कि भारत सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि सुरक्षा प्रदान करने

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

की जवाबदेही केवल राज्य सरकार की ही बनती है। इसका मतलब है कि राष्ट्रीय सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा और कुछेक मामलों में राज्यों में कानून–व्यवस्था की स्थिति बहाल करने के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच आपसी तालमेल और सहयोग होना चाहिए। इसे हम सब को जो नीतियों पर विचार करने के लिए यहां बैठे हैं और सरकार वे देश को दिशा प्रदान करने की स्थिति में हैं, स्पष्ट शब्दों में समझाना होगा कि हमारे देश की इस समस्या से हमें कैसे निपटना है। एकमात्र अनुरोध जो मैं इस सभा में कर सकता हूं वह यह है कि इस मसले पर चर्चा करते हुए हमें इस बात पर विचार करना चाहिए कि हमारे संविधान द्वारा सुरक्षा को किस तरह की अहमियत दी गई है। यदि हम अपने संविधान की सातवीं अनुसूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का अध्ययन करें तो हमें पता चलेगा कि सुरक्षा हमारी पहला ऐसा विषय है। जिसका उल्लेख इन तीनों ही सूचियों में किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा का उल्लेख संघ सूची में किया गया है, कानून–व्यवस्था का उल्लेख राज्य सूची में किया गया है और दंड कानून व प्रक्रिया तथा अन्य चीजों का उल्लेख समवर्ती सूची में किया गया है। संविधान में सुरक्षा पहले आती है और फिर विकास व अन्य विषय आते हैं। मैं इस विषय पर ज्यादा जोर क्यों दे रहा हूं, इसका कारण है कि आजकल विकास को काफी अधिक महत्व दे रहे हैं। यह उचित भी है, किन्तु, यदि हम सुरक्षा के इस महत्व को समझने में नाकाम होते हैं, तो हमें आर्थिक विकास की गति को भी आगे गति प्रदान करने में काफी कठिनाई होगी। इसलिए ये दोनों ही चीजें – आर्थिक विकास और सुरक्षा समानान्तर चलने चाहिए।

जहां तक संविधान का सवाल है, तो उसमें सुरक्षा को पहली प्राथमिकता दी गई है और दूसरी प्राथमिकता अन्य चीजों को दी गई है। यह बहुत सही है कि आर्थिक विकास के बगैर सुरक्षा प्रदान नहीं की जा सकती है और सुरक्षा के बगैर आर्थिक विकास भी उस तरह से नहीं हो सकता है जिस तरह से होना चाहिए। हम प्रत्येक सत्र में इस विषय पर एक या अन्य रूप में चर्चा कर सकते हैं, सभा में जिस किसी भी तरह चर्चा कराई जाए, जो भी तरीका पीठासीन अधिकारियों व हम सभी को स्वीकार्य हो, मुझे उस पर कोई आपत्ति नहीं होगी; किन्तु यदि हम इस विषय पर सही तरीके से चर्चा करते हैं तो उससे हम सभी को फायदा होता है और यदि हम अपने आपको केवल औपचारिकतापूर्वक इसमें शामिल करते हैं, तो भी इस विषय पर सम्यक तरीके से विचार करने में कठिनाई पैदा होती है।

यही एकमात्र अनुरोध है जो मैं इस सभा में करना चाहता हूं। इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करते हुए मैं यह कहना चाहूंगा कि पहला उत्तरदायित्व जो हमें पूरा करना चाहिए वह यह है कि हमें नीतियों पर विचार करना चाहिए। नीतियां और किसी भी चीज से ज्यादा महत्वपूर्ण है। फिर, आवश्यक हुआ, तो हम कानून पर विचार कर सकते हैं। फिर, हम योजनाओं पर विचार कर सकते हैं, किन्तु जब हम अपना समय व्यक्ति विशेष और दुर्घअनाओं पर चर्चा करने में गंवा देते हैं, तो संभवतः यह बताना काफी कठिन हो जाता है कि कैसे कोई व्यक्ति ने यह काम किया और कैसे कोई घटना को अंजाम दिया गया। यही कारण है कि व्यक्ति विशेष और घटनाओं के विरुद्ध अनगिनत उद्धरण दिए जा सकते हैं और आम तौर पर इन मामलों की सुनवाई संसद में न होकर अदालतों में की जाती है। यदि इस नीति पर अमल हो, तो निश्चित तौर पर यह चर्चा जो सुरक्षा मामलों से ताल्लुकात रखती है, काफी उपयोगी सिद्ध होगी। हमारे लिए यह सौभाग्य की ही बात है कि हमारे सांसद काफी अनुभवी और बहुत ही विचारवान लोग हैं। ऐसा विरले ही होता है कि यहां दिए गए वक्तव्य वे हम सभी को अच्छे न लगें। पर, इतना तो तय है कि वे लोग सरकार और देश को दिशा देने की स्थिति में जरुर हैं और इस मसले पर चर्चा के लिए संसद से बेहतर और कोई फोरम नहीं है। मैं इस चर्चा को इसी दृष्टि से देख रहा हूं।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है। कहा जाता है कि हमारे देश में सुरक्षा के हालात बिगडे हैं और इसलिए हमें इस विषय पर चर्चा करनी चाहिए। श्री आडवाणी जी का मैं बहुत सम्मान करता हूं। यदि उन्होंने सही में ऐसा महसूस किया होता तो वे इस सच्चाई की पुष्टि के लिए आंकड़ें बताते, तथ्य और तर्क प्रस्तुत करते। उन्होंने न तो यह कहा है कि स्थिति अच्छी है और न ही यह कहा है कि स्थिति बुरी है। पर, इन्होंने तो कतिपय मुद्दे उछाल दिए हैं। यदि मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, तो मैं इस चीज के उस रूप में ले रहा हूं जो बड़ी ही जवाबदेही पूर्वक बोली गई है, न कि गैर–जिम्मेदाराना तरीके से। उन्होंने यह नहीं कहा है कि जम्मू और कश्मीर व पूर्वोत्तर राज्यों में हालात बुरे हैं और नक्सल प्रभावित राज्य बुरी स्थिति में हैं। उन्होंने ऐसा नहीं कहा है और हम इस बहस में उस रवैये का सम्मान करते हैं। पर मेरा कहना इतना जरूर है कि इनसे इतर ऐसे माननीय सदस्य हैं। जिन्होंने यह कहा है कि हालात बिगड़े हैं। उन्होंने यह कहा है कि जम्मू और कश्मीर व पूर्वोत्तर राज्यों में हालात बिगड़े हैं और नक्सल प्रभावित राज्यों में हालात बिगड़ रहे हैं। यह मेरे लिए आवश्यक नहीं है कि जो कुछ भी उन्होंने कहा है उसका बचाव करने या उसका खंडन करने के लिए मैं इन सब के विस्तार में जाऊं। सरकार ने सूचना एकत्र की है और यह सदस्यों को दी जा चुकी है। यदि वे इस पुस्तक को पढ़ेंगे, तो उससे स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। हमने यह नहीं कहा है कि सब कुछ ठीक–ठाक है और कहीं कोई कठिनाई नहीं है या फिर हर जगह हालात अच्छे हैं। हमने पुस्तक में ऐसा नहीं कहा है। जिस किसी ने भी इस पुस्तक को पढ़ा है, उसने इसकी तारीफ की है। यहां सकारात्मक और नकारात्मक मुद्दों का उल्लेख किया गया है। यदि आप सकारात्मक और नकारात्मक मुद्दों को ले और उनका जोड़ करें, तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि जम्मू और कश्मीर में स्थिति में तेजी से सुधार हो रहा है। हमने वास्तव

[श्री शिवराज वि. पाटील]

वास्ता में क्या किया है कि हमने यहां एक ग्राफ दिया है। एक नजर में हम देख सकते हैं कि ग्राफ नीचे जा रहा है अथवा ऊपर। बिना एक भी पंक्ति पढ़े, कोई भी सही निष्कार्ष पर पहुंच सकता है। यदि यह तथ्य सही नहीं है तो हम इसे ठीक कर देंगे। परन्तु मैं ये तथ्य दे दूंगा। मैंने इन तथ्यों को प्रमाणित किया है और मैंने इसे सभा पटल पर रखा है। यह सब कार्य जिम्मेदारी से किया गया है। जहां तक जम्मू और कश्मीर की स्थिति का संबंध है, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं। जहां तक पूर्वोत्तर राज्यों का संबंध है, वहां स्थिति में काफी सुधार हुआ है। ग्राफ को देखिऐ। ग्राफ दर्शाता है कि पूर्वोत्तर की स्थिति में जम्मू और कश्मीर की तरह सुधार नहीं हुआ है परन्तु कुछ हद तक तो स्थिति में सुधार हुआ है। यदि हमें पूर्वोत्तर राज्यों की स्थिति पर विचार करना पड़े तो विभिन्न राज्यों की स्थिति भिन्न है। मिजोरम और अरूणाचल प्रदेश में शांति है। त्रिपुरा में भी स्थिति में काफी सुधार देखा गया है।

**सायं 7.00 बजे**

त्रिपुरा में 40 प्रतिशत तक सुधार देखा गया है। मेघालय में स्थिति काफी अच्छी है परन्तु अब स्थिति थोड़ी सी बिगड़ी है। असम में स्थिति में उतार–चढ़ाव रहता है। कभी यह अच्छी हो जाती है कभी खराब हो जाती है। यह लगभग ऐसी ही बनी हुई है। मणिपुर में ऐसे राज्य में है जो हमारे लिए काफी चिन्ता का विषय रहा है, परन्तु स्थिति में काफी सुधार हुआ है। नागालैंड में स्थिति काफी अच्छी है परन्तु दुर्भाग्य से वहां जनजातियों और पार्टियों के बीच टकराव के कारण नागालैण्ड की स्थिति कुछ खराब हो गई है।

यदि हम पूर्वोत्तर राज्यों की स्थिति को देखें तो कुल मिलाकर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि निश्चित रूप से स्थिति में थोड़ा–सा सुधार हुआ है। निश्चित रूप से स्थिति बिगड़ी नहीं है। मैंने भिन्न राज्यों की स्थिति पर अलग–अलग टिप्पणी दी है। यदि हम कुल मिलाकर देखें तो स्थिति यही है।

हम नक्सल प्रभावित राज्यों को देखें तो कुछ नक्सल प्रभावित राज्यों में भी स्थिति में काफी सुधार हुआ है। आंध्र प्रदेश सबसे अधिक प्रभावित राज्यों में था किन्तु आंध्र प्रदेश में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के मामले में अद्भुत प्रगति हुई है। हमने यहां सिर्फ एक ग्राफ दिया है और इस ग्राफ पर एक नजर डालने से पता चलता है कि आंध्र प्रदेश में किस प्रकार का सुधार हुआ है। आंध्र प्रदेश सरकार इस आंदोलन के नेताओं से बातचीत करने की इच्छुक है। परन्तु जब उनसे हिंसा त्यागने का और हथियार डालने का अनुरोध किया गया था परन्तु जब यह संभव नहीं हुआ तो बातचीत को स्थगित कर दिया गया और कार्रवाई की गई जो काफी प्रभावी साबित हुई। बिहार में भी स्थिति में सुधार हुआ है। झारखंड में भी स्थिति में थोड़ा सुधार आया है। उड़ीसा में स्थिति बहुत अच्छी थी, परन्तु अब थोड़ी सी खराब हुई है। जो राज्य बुरी तरह प्रभावित है, वह है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य इतना अधिक प्रभावित है कि सभी राज्यों की एकत्रित लगभग चालीस प्रतिशत हत्याओं और सत्तर प्रतिशत घटनाओं में छत्तीसगढ़ की स्थिति के कारण ही बढ़ोत्तरी दिख रही है। मैं राज्य सरकार को दोष नहीं दे रहा हूं। यह नहीं सोचना चाहिए कि क्योंकि वे दूसरे दल से संबंधित है हम उन पर दोष मढ़ रहे हैं। मैं उन्हें दोष नहीं दे रहा हूं। चूंकि अन्य राज्यों में नक्सलियों पर कार्रवाई की गई है संभवतः नक्सली उस राज्य में पलायन कर गये हों और वहां स्थिति बिगड़ गई। हम उनकी सहायता करेंगे और राज्य सरकार ने भी कहा है कि वह आवश्यक कार्रवाई करेंगे।

मुझे इससे अधिक कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। मेरा आपसे सिर्फ एक अनुरोध है कि "कृपया इसे पढ़िए। कृपया हमने जो ग्राफ दिए हैं, उन पर एक नजर डालिए।" यदि आप समझते हैं कि यह सही नहीं है और यह आपके राज्य की विद्यमान वास्तविक स्थिति से मेल नहीं खाते हैं तो आप हमें बता सकते हैं। यदि आवश्यक हुआ तो हम इसमें सुधार करेंगे। परन्तु मेरी राय यह है कि यह तथ्य और आंकड़ें राज्यों से प्राप्त जानकारी के आधार पर संकलित किए गए हैं। ये वे तथ्य और आंकड़े नहीं है तो हमने स्वयं एकत्रित किए हैं। परन्तु ये तथ्य एवं आंकड़ें उनके द्वारा दिए गए हैं। ये तथ्य एवं आंकड़ें देते हुए वे बहुत सतर्क और सही थे।

हमें एक मुद्दे पर विचार करना होगा और वह है देश में साम्प्रदायिक हिंसा। सौभाग्य से हमारे देश में साम्प्रदायिक स्थिति ज्यादा खराब नहीं हुई है। इनमें थोड़ी बढ़ोत्तरी हुई है, परन्तु स्थिति खराब नहीं हुई है। मैं यह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अन्यथा मेरी बात को यह कह कर उद्धृत किया जाएगा कि साम्प्रदायिक स्थिति बिगड़ी है। मैं यह नहीं कह रहा हूं, थोड़ी सी बढ़ोत्तरी का रूझान है। परन्तु देश में साम्प्रदायिक हिंसा के संबंध में जो अत्यावश्यक बात हुई है वह यह है। आयोध्या पर हमला हुआ था। बनारस में मंदिर पर हमला किया गया था। दिल्ली में मस्जिद पर आक्रमण किया गया था। मालेगांव में मस्जिद पर हमला किया गया और मुम्बई में ट्रेन पर आक्रमण किया गया था। जब इन धार्मिक और अन्य स्थानों पर हमले हुए तो लोग कैसे पेश आये थे? मुझे सभा को यह बताते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि श्रीमती सोनिया गांधी ने कुछ घंटों के भीतर इन सभी स्थलों का दौरा किया। जब हममें से किसी ने कहा कि हम चलें जाएंगे तो उन्होंने कहा कि 'नहीं जब आप लोग जा सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं।' अब लोगों ने इन स्थानों का दौरा करना आरंभ कर दिया है और इसे अलग दृष्टिकोण से देख रहे हैं। वे कहते हैं कि इससे क्या हुआ। मैं निवम्रता से इस सभा को यह बताना चाहता हूं कि इन स्थानों पर किए गए दौरे का जो परिणाम निकला वह यह कि लोगों में यह आत्मविश्वास आ गया कि वो अकेले नहीं है, उनकी

सहायता की जायेगी। वास्तव में इसी कारण जब हम बनारस गए हमने वहां लोगों से मुलाकात की और वापस आ गए।

मुझे इस सम्माननीय सभा के ध्यानार्थ यह बात लाते हुए बहुत खुशी हो रही है कि जब जामा मस्जिद पर हमला किया गया था हमें थोड़ी सी चिन्ता हुई थी। परंतु जामा मस्जिद के इमाम बाहर आए और कहा कि यदि बनारस के लोग मुसीबत की इस घड़ी में समझदारी से काम ले सकते हैं तो क्या हम दिल्ली वाले नहीं समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों किया गया? जो ऐसा कर रहे हैं, उनका कोई धर्म नहीं है। वे मानवता के दुश्मन हैं। जब हम मालेगांव गए, श्रीमती सोनिया गांधी वहां थीं और हम सभी वहां थे। श्री लालू प्रसाद जी मुंबई में थे। जब हम मालेगांव गए, उन्होंने जो कहा वह यह था कि यदि मुंबई के लोग जिम्मेदारी से पेश आ सकते हैं, तो हम भी ऐसा क्यों नहीं कर सकते? मैं आपको बताता हूं कि लोगों ने सड़क पर गाड़ियों में माइक्रोफोन लगा रखा था जिसके माध्यम से लोगों से अनुरोध किया जा रहा था कि वे संयम बरते और ऐसा कुछ भी न करें, जिससे और समस्या पैदा हो। दौरों का यही परिणाम निकला। यह हमारी सहानुभूति और विश्वास का परिणाम है। हमने उन्हें वह विश्वास देने का प्रयास किया और सौभाग्य से वास्तव में ऐसा हुआ भी है। यह लोग समझ पाये हैं। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो हुई है।

मैं बहुत खुश हूं कि हमारे देश में सौभाग्य से साम्प्रदायिक स्थिति सुरक्षा बलों से ज्यादा लोगों द्वारा नियंत्रित की जाती है। हमें लोगों के विवेक और उनकी समझदारी की सराहना करनी चाहिए। साम्प्रदायिक सद्भाव पर मुझे इतना ही कहना है।

कृपया मुझे गलत मत समझिए, यदि आप अफजल के मामले को देखें, तो जिस रूप में इसे उठाया जा रहा है। उसका इन स्थानों पर जो प्रभाव बना है वह इसके एकदम विपरीत है। लोग यह महसूस कर रहे हैं कि जिस प्रकार इस मामले को उठाया जा रहा है उसका कुछ अप्रत्यक्ष अथवा अन्य उद्देश्य है। यदि इससे बचा जाए, तो हम यहां उपस्थित सभी नेताओं के आभारी रहेंगे। जहां तक अफजल के मामले का संबंध है, यह आवश्यक नहीं है कि इसे उस रूप में उठाया जाए, जिस रूप में उठाया गया है।

इस सभा में माननीय सदस्य द्वारा मृत्यु दण्ड को समाप्त करने संबंधी प्रस्ताव, जिसे उन्होंने बहुत बढ़िया रीति से प्रस्तुत किया गया, इस पर हुई चर्चा का उत्तर देते हुए मैंने आंकड़े प्रस्तुत किए थे कि पिछले पांच वर्षों में केवल एक व्यक्ति को फांसी दी गई थी। हमारे पास 1997 से मामले लंबित पड़े हैं। हम में से कुछ अप्रसन्न हैं और महसूस करते हैं कि राजीव गांधी का मामला भी सरकार के पास करीब पांच वर्षों तक लंबित रहा था। और इसे राष्ट्रपति के पास नहीं भेजा गया था। इस आधार पर हम सभी के लिए ऐसा कहना आवश्यक क्यों हैं कि "ऐसा कीजिए और वैसा मत कीजिए।" न्यायप्रक्रिया में समय लगेगा। संवैधानिक रूप से हम इसका निपटान करना चाहते हैं ...*(व्यवधान)*

हम अपनी ओर से अच्छा व्यवहार करना चाहते हैं।

इस बीच एक और बात हुई है कि इस संबंध में उच्चतम न्यायालय द्वारार निर्णय दिया गया। वह निर्णय उपयुक्त है। निर्णय में कहा गया कि यदि क्षमा दी जाती है, चाहे वह अच्छे व्यवहार के लिए दी गई हो, इस मामले पर न्यायालय द्वारा विचार किया जा सकता है। यदि क्षमा नहीं दी जाती, तो भी न्यायालय इस पर विचार कर सकता है। क्षमा प्रदान करना कार्यपालिका का उत्तरदायित्व है लेकिन क्या यह उचित रूप से की गई है अथवा नहीं, इस पर न्यायालय विचार कर सकता है। ऐसा उन्होंने कहा है। इन सभी तथ्यों को देखते हुए हमें बहुत सावधान रहना होगा। इस प्रकार के मामले में फांसी दिए जाने वाले व्यक्ति के लिए हम इतनी चिन्ता क्यों कर रहे हैं? संविधान और नियमों के अनुसार जो भी किया जाना है, चाहे वह हमें पसन्द हो अथवा नहीं, वह किया जायेगा। लेकिन हम ऐसा क्यों कहते हैं कि हम ऐसा करने जा रहे हैं और ऐसा कर रहे हैं और उन लोगों पर अतिरिक्त संवैधानिक दबाव बनाते हैं जिन्हें अपनी राय देनी है। यदि हम अतिरिक्त संवैधानिक दबाव बनाते हैं, तो किसी भी इंसान से गलती हो सकती है। यहां तक कि संसद में भी ऐसा होता है, जब मामला न्यायालय में लंबित होता है, तो हमें उस मामले पर चर्चा करने नहीं दिया जाता है तथा मामले को न्याय के निर्णयाधीन माना जाता है। जब किसी को फांसी दी जानी है अथवा मृत्युदण्ड दिया गया है, तो हम थोड़ इंतजार क्यों नहीं करते और इसे उचित रीति से होने दें। मेरा केवल यही अनुरोध है। यहां उपस्थित सहयोगियों से अनुरोध है कि कृपया निर्णय में विश्वास रखिए और इस प्रकार की स्थिति पैदा मत कीजिए कि इसे इस रीति से निपटाया जाए, जो देश की एकता और समुदायों के बीच सद्भावना बनाए रखने के लिए सही न हो। मुझे इस सभा के समक्ष यही निवेदन करना है।

कुछ सदस्यों द्वारा उठाए गए कुछ प्रश्न महत्वपूर्ण थे। महत्वपूर्ण प्रश्न है : "आप चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण भाग यही है। इसकी आलोचना करते हुए भी माननीय सदस्यों ने कतिपय सुझाव दिए हैं। उनके विचारों के अनुसार उन्होंने कतिपय सुझाव दिए। हम उन्हें स्वीकार कर सकते हैं। हम उन्हें स्वीकार नहीं भी कर सकते। हम उनके आशोधन कर सकते हैं। लेकिन सभी पक्षों के सभी माननीय सदस्यों ने अपने सुझाव दिए हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन यह पता लगाने का प्रयास करना माननीय सदस्यों के लिए स्वाभाविक है कि सरकार बेहतर सुरक्षा प्रदान करने के लिए क्या करेगी।

मैं यह कह रहा हूं कि स्थिति नियंत्रण में है। स्थिति बिगड़ी नहीं है। इसमें सुधार हुआ है। लेकिन हम इसी के सहारे नहीं बैठ सकते। हम ऐसा नहीं कह सकते कि सब कुछ ठीक है और इसमें किसी समुदाय

[श्री शिवराज वि. पाटील]

की आवश्यकता नहीं है। मामला यह नहीं है। प्रश्न है कि : क्या किया जा सकता है? संक्षेप में मैं यह कहना चाहता हूं कि हम पुलिस – संघीय पुलिस और राज्य पुलिस को सुदृढ़ करना चाहते हैं। हम यह अनुरोध करते रहे हैं कि हमें पुलिस को सुदृढ़ करने और उनकी संख्या बढ़ाने पर और अधिक निधि व्यय करनी चाहिए ताकि पुलिस जनसंख्या का अनुपात शीघ्र ही संतोषजनक बन जाए। हम राज्य सरकारों से भी यह अनुरोध कर रहे हैं कि वे अपने राज्यों में उनकी संख्या में वृद्धि करें।

दूसरी बात यह है कि उन्हें आधुनिक बनाया जाना चाहिए। उन्हें उचित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए और उनका मनोबल बढ़ाया जाना चाहिए। हम वास्तव में यही करने का प्रयास कर रहे हैं।

दूसरी बात यह है। कुछ माननीय सदस्यों ने सही कहा है कि सुरक्षा का मूल आधार आसूचना है। जब हम आतंवादियों तथा नक्सलियों से निपटते हैं, तो आसूचना सबसे महत्वपूर्ण होती है। आसूचना से शक्तिशाली, उपयोगी और प्रभावी कुछ भी नहीं हो सकता। हमने राष्ट्रीय स्तर और साथ ही राज्य स्तर पर भी आसूचना तंत्र को सुदृढ़ करने का निर्णय लिया है।

हम राज्य सरकारों की आसूचना एजेंसियों की विशेष शाखाओं में अधिक कर्मचारियों की भर्ती करने, उन्हें अत्याधुनिक उपकरण प्रदान करने, उन्हें बेहतर प्रशिक्षण देकर और अधिक से अधिक सुविधाएं प्रदान करने की दृष्टि से उन्हें सुदृढ़ करने की बात कर रहे हैं। वस्तुतः हम यही कर रहे हैं।

हमने यह भी देखा है कि हमारे देश की सीमाएं आतंकवादियों को देश के एक भाग से दूसरे भाग में जाने के लिए कोई बाधा पैदा नहीं करती। इसी कारण हम राज्य सरकारों से कह रहे हैं कि वे अपनी योजनाएं बनाएं, अपनी योजनाओं पर एक–दूसरे से चर्चा करें केन्द्र सरकार से भी परामर्श करें। और हमने कहा कि हम उनकी सहायता करने के लिए एकदम तैयार हैं। हम कह रहे हैं कि आधुनिक प्रौद्योगिकी का लाभ उन्हें भी दिया जाना चाहिए।

महोदय, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और अन्यों ने अपने दौरे के दौरान कहा कि उन्हें अपने राज्य की स्थिति से निपटने के लिए अत्याधुनिक उपकरण दिए जाएं। हमने उन्हें तत्काल अत्याधुनिक उपकरण और अन्य चीजें उपलब्ध करा दी। मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि वे लोग घायलों को पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टर सेवा चाहते थे और हमने वह उपलब्ध कराई। उन्होंने कहा कि जब पुलिस बल नक्सलियों और अन्य से लड़ने जाते हैं, तो वे लोग मारे जाते हैं और इसलिए उन्हें सुसज्जित वाहन उपलब्ध कराए जाने चाहिए और हमने उन्हें वह भी उपलब्ध कराया। फिर उन्होंने आसूचना एकत्र करने के लिए कुछ उपकरणों की मांग की और हमने उनकी यह मांग भी पूरी की। वे अपने प्रयास में सफल हों, हमने उन्हें इसकी शुभकामनाएं दी। इसके अतिरिक्त मैं यह कहना चाहता हूं कि नक्सली समस्याओं से प्रभावित राज्यों को केन्द्रीय बल की 36 बटालियन दी जाती है। इसमें तकरीबन 36000 पुलिस बल और अधिकारी होते हैं जो किसी छोटे देश की सेना के बराबर हैं। यह सब हमने किया है। इतना ही नहीं, बल्कि हमने यह भी कहा है कि यदि वे अर्द्ध सैनिक बलों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनसे तीन वर्षों तक कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा। पहले उनसे शुल्क लिए जाते रहे हैं। उनसे पैसे देने के लिए कहा जाता था, किन्तु अब हमने निर्णय लिया है कि तीन वर्षों तक उनसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।

महोदय, दूसरी चीज जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं, वह यह है कि पुलिस और लोगों के अनुपात को बढ़ाया जाए। मुझे यह बताया गया कि कुछ प्राइवेट एजेंसियां हैं जो इसमें मदद कर सकती हैं। हमने कानून पारित किया है और यदि प्राइवेट एजेंसियां मदद कर सकती हैं और निजी प्रतिष्ठानों व व्यक्ति विशेष को सुरक्षा मुहैया करा सकती हैं, तब तो बहुत से लोग सरकारी कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए उपलब्ध हो सकेंगे।

हम दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता, बंगलौर आदि जैसे बड़े नगरों, महानगरों में सुरक्षा मुहैया कराने की अच्छी योजनाएं बनाने जा रहे हैं। मुझे सदस्य यह नहीं सोचें कि मैं इन नगरों का उल्लेख केवल इसलिए कर रहा हूं कि यह सुविधा केवल इन्हीं को दी जाए। हम अन्य नगरों में भी यह सुविधा मुहैया कराएंगे।

फिर हम मरुस्थलीय क्षेत्रों के लिए बनी नीतियों को भी सुदृढ़ करेंगे। किसी ने बांग्लादेश से लगी सीमा पर बाड़ लगाने के बारे में प्रश्न किया था। मुझे बताया गया है कि यह काम दिसम्बर के अन्त तक पूरा हो जाएगा। यदि यह दिसम्बर के अन्त तक पूरा नहीं होता है, तो इसमें एक या दो महीने का समय और लग सकता है, पर लोग काम पर लगे हुए हैं और वे इसे पूरा करेंगे।

महोदय, हम लोग अपने पड़ोसी देश; यथा पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका तथा अन्य देशों से बात कर रहे हैं और हमने कानूनी सहायता व प्रत्यर्पन के लिए उनके साथ कई समझौते किए हैं। हमने उनसे यह भी अनुरोध किया है कि वे अपने सीमा क्षेत्र से आंतकवादियों तक धन पहुंचने न दें। कुछ सदस्यों ने आतंकवाद से लड़ने की संज्ञा छोटे स्तर के युद्ध या परोक्ष युद्ध या इसी तरह के किसी युद्ध को दी है। यदि कोई इस तरह के शब्द का इस्तेमाल करता है, तो कोई और इस पर आपत्ति जताता है। यदि कोई कहता है कि हालात अच्छे हैं, तो भी कोई अन्य आपत्ति जताता है। पर, इस तरह के हालात उभरते रहते हैं। यही कारण है कि अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में हम इन देशों से कहते हैं कि वे कैसे लोगों को जिनके पास छोटे–छोटे अत्याधुनिक

हथियार व विस्फोट का इस्तेमाल करने की सरकार से अनुमति या लाइसेंस नहीं है, ये हथियार व विस्फोटक न बेचें क्योंकि इन हथियारों व विस्फोटकों का इस्तेमाल आतंकवादियों द्वारा किया जा सकता है।

फिर हमें बताया गया कि अर्थव्यवस्था का विकास बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ माननीय सदस्यों ने इस बात पर समुचित तरीके से जोर दिया था। यही कारण है कि हमने जम्मू और कश्मीर को एक पैकेज दिया है, जो 24000 करोड़ रुपए का है। जब हम इतनी बड़ी राशि देते हैं, तो लोग कहते हैं कि कहां गया यह पैसा, कहां यह गायब हो गया, हमें क्यों नहीं यह दिखाई देती है। इस पैसे का इस्तेमाल विद्युत केन्द्र, सड़क, सिंचाई बांध, स्कूल, अस्पताल और ऐसे ही चीजों के निर्माण में किया जा रहा है। इसके बाद हम लोगों को योजनाओं के माध्यम से, रोजगार गारंटी योजना व अन्य योजनाओं के माध्यम से रोजगार मुहैया कराने की भी कोशिश कर रहे हैं।

पूर्वोत्तर राज्यों से आने वाले एक सदस्य ने कहा कि उल्फा से बातचीत जारी रखिए। मैं बताना चाहता हूं कि सरकार ने ऐसा नहीं कहा है कि हम उल्फा से बातचीत नहीं करेंगे। सरकार जो कह रही है वह यह है कि जब हम बातचीत कर रहे होते हैं, तो कृपया कर ऐसा कुछ न करें जिससे कि निर्दोष लोगों को चोट पहुंचे। हम कह रहे हैं कि यदि जबरन वसूली का धंधा जारी है, तो इसे रोका जाना चाहिए। इस तरह के किए भी कार्य को रोका जाना चाहिए। हमने उल्फा से बातचीत को विराम नहीं दिया है। हमने हमेशा से कहा है और किसी ने मुझसे प्रेजिडेंट कैनेडी के उद्धरण को भी उद्धृत किया है, "हम बातचीत के लिए डरेंगे नहीं या हम डरकर भी बात नहीं करेंगे।" हम ऐसे किसी भी व्यक्ति से बातचीत करना चाहते हैं, जो हिंसा को छोड़ना चाहेंगे, हथियार से नाता तोड़ना चाहेंगे। पर केवल यही चीज नहीं है जिस पर कि हम उपस्थित रहेंगे।

इसके साथ ही, कुछ और बाते हैं, जिनका मैं सरसरी तौर पर हवाला देना चाहूंगा और फिर मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। निरोधक कानून भी होने चाहिए। यही बात श्री एल.के. अडवाणी जी ने भी कही थी – और वे यह बात कहते भी आए हैं। शायद वे इसमें विश्वास करते हैं। यदि यह प्रस्ताव माननीय नेता, प्रतिपक्ष की ओर से आता है, तो हमें ऐसे प्रस्ताव पर कोई मतभेद नहीं है। हम गंभीरता से इस पर गौर करेंगे। यद्यपि हमने पोटा को निरस्त कर दिया है फिर भी पोटा के अच्छे प्रावधानों को विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण अधिनियम) में ले लिया गया है और साथ ही, और भी ऐसे अन्य कानून हैं जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है।

मुझे एक कहानी याद है और मैं इस कहानी को दुहराते रहता हूं क्योंकि इससे यह बात बहुत साफ हो जाती है। दो दोस्त थे और दोनों ही शिकारी थे। एक ने कहा, "मैं शिकार पर जाता हूं, मैं बंदूक तो ले जाता हूं, पर बुलेट नहीं ले जाता। जब बाघ आता है, तो मैं बंदूक दिखाता हूं और वह मर जाता है और मेरा काम हो जाता है।" दूसरे दोस्त ने कहा, 'ओह! यह तो कुछ नहीं है, जब मैं शिकार पर जाता हूं, तो मैं न तो बंदूक ले जाता हूं और न ही बुलेट। मैं अपनी जेब में केवल लाइसेंस ले जाता हूं। जब बाघ आता है, तो मैं उसे लाइसेंस दिखाता हूं।' यह ऐसा ही कुछ है। कानून की आवश्यकता है, सजा देने के लिए कानून की जरूरत है, पर क्या कानून से आतंकवादी गतिविधियों पर विराम लगेगा सचमुच ही एक सवाल है। यदि कानून बहुत ही सख्त व निरोधात्मक हो, तो इसका उपयोग और दुरुपयोग दोनों ही हो सकता है। यहां तक कि संतुलित कानूनों का भी दुरुपयोग हुआ है और इसी चीज को हम ध्यान में रख रहे हैं। साथ ही, हम इन कानूनों का तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। पोटा को निरस्त करने से जो बदलाव आया है, वह यह है कि इसमें अभियोग सिद्ध करने का दायित्व अभियोजन से अभियुक्त पर चला गया है।

महोदय, कान्फ्रेंस में इस पर विस्तार से चर्चा हुई थी। मैं इस बात को गंभीरता से महसूस करता हूं कि यदि कांफ्रेंस में इस बात पर चर्चा नहीं हुई होती, तो यह बेहतर होता क्योंकि वह कांफ्रेंस कोई आम सभा नहीं थी और वह कोई मीडिया के लिए नहीं बुलायी गयी थी। हम इसी परम्परा का अनुसरण कर रहे थे जो पहले से स्थापित है और वह कोई बुरी भी नहीं है। जो कुछ भी हम कान्फ्रेंस में करते हैं वह हमेशा पूरी तरह से गोपनीय नहीं रह पाती है। किन्तु, यदि यह चर्चा सही तरीके से प्रस्तुत की जाती हो, तो बेहतर छवि का सृजन हो सकता है। किन्तु, यदि कोई गलती हो जाती है, तो इससे ढेर सारी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है और इस तरह इससे कुछ समस्याएं खड़ी हो गई हैं।

मैं यह कह रहा हूं कि मैंने इस तरह का वक्तव्य नहीं दिया है। वे कहते हैं कि यह कैसे आया? मैं कैसे बता सकता हूं कि यह कैसे आया? आपको उन लोगों से पूछना चाहिए जो इस बात को मीडिया में लाने के लिए उत्तरदायी है। मैं केवल इतना कह सकता हूं कि मैंने ऐसा नहीं कहा है। यदि मैंने कोई गलती की है या गलत सूचना दी है, आप मेरे खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। परंतु मैं किस प्रकार यह बता सकता हूं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, किस प्रकार किया और अन्य सभी बातें। मैं कैसे बता सकता हूं?

इस वाद–विवाद में एक ऐसी चीज है जिसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है। कुछ लोगों ने कुछ कहा, आप उसकी व्याख्या करें। वे मुझसे यह नहीं पूछ रहे हैं कि आपने यह वक्तव्य दिया और आप स्पष्ट करें। यदि उन्होंने ऐसा किया होता तो मैं उसके बारे में स्पष्टीकरण देता। परंतु किसी बैठक में किसी व्यक्ति ने कुछ कहा, आपने उसका स्पष्टीकरण दिया। विदेश में कहीं प्रधानमंत्री के नाम पर कुछ कहा गया, उन्होंने वक्तव्य दिया, आप स्पष्टीकरण दें। इस तरह के वाद–विवाद से कोई मदद नहीं मिलेगी। आप कोई राजनीतिक मुद्दा उठा सकते हैं या फिर उन लोगों की कुछ सराहना पा सकते हैं जो वाद–विवाद और भाषण

[श्री शिवराज वि. पाटील]

को ज्यादा मसालेदार बनाना चाहते हैं पर इसमें हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचेंगे और ऐसा करना आवश्यक नहीं है। मैं विनम्रतापूर्वक कहूंगा कि स्थिति बिगड़ी नहीं है, स्थिति में सुधार हुआ है। मुझे विश्वास है कि आप भी चाहते हैं और मैं भी चाहता हूं कि स्थिति में और सुधार हो और हम निश्चित रूप से आपकी सलाह पर चलेंगे, निश्चित रूप से श्री आडवाणी जी और अन्य लोगों की सलाह पर भी चलेंगे। मैं यह वादा नहीं करता कि हमें जो भी सुझाव दिया जाएगा हम उसे स्वीकार कर लेंगे। परंतु फिर भी यहां पर किसी वरिष्ठ सदस्य द्वारा दिए जाने वाले सुझाव को हम अत्यधिक महत्व देंगे और यह हमारे लिए बहुत उपयोगी होगा।

एक सबसे महत्वपूर्ण बात जिसे मैं हमेशा दोहराता रहा हूं कि भारत में 99 प्रतिशत लोग शांतिप्रिय हैं और उनका समर्थन बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी बात जो मैं कह रहा हूं वह यह है कि आपके सैन्यबल, चाहे वे रक्षा सेनाएं हों या अर्द्धसैन्य बल या राज्य पुलिस या अन्य बल जो उपलब्ध हैं वे इतने ताकतवर हैं कि हमें इन चीजों से डरने की आवश्यकता नहीं है। हम अपनी मौत से पहले कई बार नहीं मरना चाहते। हम इस समस्या का समाधान आत्मविश्वास के साथ करना चाहते हैं और हमारे पास आत्मविश्वास है। हमारे पास आत्मविश्वास है क्योंकि हम जानते हैं कि आपमें आत्म–विश्वास है और लोगों में आत्मविश्वास है।

हो सकता है स्थिति बहुत अच्छी नहीं हो परंतु स्थिति नियंत्रण में है और आपकी सहायता और सहयोग से हम निश्चित रूप से अपने कर्त्तव्य को पूरा करेंगे, यदि आपकी शत–प्रतिशत संतुष्टि तक नहीं तो भी निश्चित रूप से उन लोगों की संतुष्टि तक जो यह स्पष्ट रूप से जानते हैं कि क्या किया जा सकता है और क्या नहीं किया जा सकता है।

महोदय, मुझे इससे अधिक कुछ नहीं कहना है।

**सायं 7.28 बजे**

**श्री लाल कृष्ण आडवाणी** : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने सावधानीपूर्वक केन्द्रीय गृह मंत्री को सुना है। उन्होंने अपने भाषण में कई बार यह व्यक्त किया कि वह मेरा सम्मान करते हैं और मेरा सहयोग, दिशा–निर्देश आदि लेना चाहेंगे। मैं कह सकता हूं कि यह एक आपसी भावना है।

यह सम्मेलन संभवतः 22 और 21 तारीख को हुआ था मुझे पूरा पता नहीं परंतु लगभग एक सप्ताह पहले यह हुआ था और देश में पूरे प्रेस में यह सुर्खियों में था। यह पुलिस महानिदेशकों या पुलिस महानिरीक्षकों के साथ चर्चा नहीं थी और यह उद्घाटन भाषण था जो औपचारिक रूप से प्रेस को दिया गया था ...*(व्यवधान)*

**श्री शिवराज वि. पाटील** : अगले ही दिन मैंने इसका खंडन किया था ...*(व्यवधान)*

**श्री लाल कृष्ण आडवाणी** : क्या आपने इसका खंडन किया? नहीं। मैंने यह खंडन पढ़ा था जिसमें मात्र यह कहा गया था कि परमाणु संधि के संदर्भ में भारत–अमेरिका करार का संदर्भ दिया जाना गलत है। मैंने यह खंडन भी देखा है। इसलिए मेरे लिए बाकी का भाषण केवल भाषण था और इस बाकी भाषण ने ही मुझे स्थगन प्रस्ताव पर सोचने के लिए मजबूर किया। मैं इस समय स्पष्ट रूप से यह मानूंगा कि जिस तरीके से मैंने स्थगन प्रस्ताव पेश किया है यह स्थगन प्रस्ताव के रूप में नहीं है। मैं नियम 193 के अधीन चर्चा के लिए तैयार हो जाता यदि मुझे यह पता होता कि पूरी प्रेस रिपोर्ट निराधार है ...*(व्यवधान)*

**श्री शिवराज वि. पाटील** : मैंने यह कहा था। मैं यह आपके ध्यान में लाया था ...*(व्यवधान)*

**श्री लाल कृष्ण आडवाणी** : आप इसे अध्यक्ष महोदय के ध्यान में लाए न कि देश को इसकी जानकारी दी।

देश में अधिकांश लोगों ने यह पढ़ा कि समुद्र–तट पर स्थित हमारे संस्थापनाओं को आतंवादियों से खतरा तो लश्कर–ए–तोयबा के आतंकवादी वीरान द्वीपों पर कब्जा करने और देश के तटीय क्षेत्रों पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। यह उसमें सुस्पष्ट था। उस समय मेरे पास वह दस्तावेज नहीं था जो अब आपने दिया है। आज मैं उन आंकड़ों का उल्लेख यह सिद्ध करने के लिए नहीं करना चाहता कि स्थिति बदतर हो गई यद्यपि मैं यह कह सकता हूं कि इन दो आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रों जम्मू–कश्मीर और पूर्वोत्तर क्षेत्र को छोड़कर देश के शेष हिस्सों में इन वर्षों के दौरान बहुत अधिक आतंकवादी घटनाएं नहीं हुई हैं। शायद, किसी ने मुझे बताया कि देश के बाकी हिस्से में भी इन पिछले 58 वर्षों में मृतकों की संख्या सर्वाधिक है। मैं गलत भी हो सकता हूं। मैं नहीं जानता। परन्तु मैं सिर्फ आंकड़ों संबंधी मुद्दे को नहीं उठाना चाहता और न ही उस आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना चाहता हूं।

अतः मैं चाहता था कि यह स्थगन प्रस्ताव प्रेस में प्रकाशित गृह मंत्री के भाषण के आधार पर, लाया जाए। जिस क्षण उन्होंने यह कहा कि मैंने यह नहीं कहा है मैंने स्थगन प्रस्ताव लाने का विचार छोड़ दिया किन्तु इसके साथ ही मैं समझता हूं कि उस संक्षिप्त अंश के अलावा प्रेस में जो कुछ भी प्रकाशित हुआ उसका खंडन न करके स्वयं गृह मंत्रालय की ओर से चूक हुई है।

यह कहकर मैं सिर्फ एक या दो मुद्दे पर बोलकर उसके बाद अपनी बात समाप्त कर दूंगा। सबसे पहले मेरा पुरजोर मत है कि यह लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता है जो भारत को वर्तमान ताकत देता है। यदि ये दो विशेषताएं न हों तो हम उतने मजबूत नहीं होंगे, जितने हैं ...*(व्यवधान)* मैंने यह पहले भी कहा है। श्री सिब्बल यहां उपस्थित हैं।

मैंने ये अनेक बार कहा है। मैं इसे यहां उद्धृत नहीं करना चाहता, जो मैंने उस समय भारत में मुसलमानों के बारे में कहा था। मैंने यह क्यों कहा था? जम्मू–कश्मीर में भी, जहां आतंकवादी सक्रिय हैं, जेहादी सक्रिय हैं, सीमापार से लोग आते हैं; अफगानिस्तान से यहां तक कि सूडान से लोग आते हैं; परन्तु यहां से कोई नहीं आता है, क्यों? क्योंकि सिद्धांतः मुस्लिम समुदाय कई कारणों से असंतुष्ट हो सकता है जैस कि अन्य समुदाय हैं; परन्तु वे नहीं आए हैं।

'द वर्ल्ड इस फ्लैट', थॉमस फ्रेडमैन ने कहा है कि पाकिस्तान ने हमें ग्वांटानामों कारागृह में बंद करने के लिए 500 अल–कायदा के लोग दिए हैं। उसमें से एक भी भारतीय नहीं है क्यों? उन्होंने उत्तर दिया और कहा कि उनका उत्तर 'संदर्भ' है और विशेषकर "भारत की धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक संबंधों पर अहिंसा और हिन्दु सहिष्णुता की परंपरा का गहरा प्रभाव पडा है।" यह पूर्णतः सत्य है। जब बार–बार यह कहा जाता है कि इस देश की जनता को दोष नहीं दिया जा सकता तो मैं सहमत हूं। पर उसी समय जब मैं सरकार को दोष देता हूं तो मैं आंकड़ों के संबंध में विचार नहीं कर रहा हूं परन्तु मैं हमारे अनेक वक्तव्यों, अनेक कथनों हमारे अनेक निर्णयों से जो संदेश जाता है और जिसमें मैं 'पोटा' को रद्द करना भी शामिल कर रहा हूं, के बारे में विचार कर रहा हूं, जो यह संदेश जाता है कि इन लोगों को लेशमात्र भी चिंता नहीं है।

आपके विचार से 'पोटा' अथवा 'टाडा' हमें पुलिस राज बनाती है? यदि ऐसा होता तो विश्व के लगभग सभी लोकतांत्रिक देशों में पुलिस राज होता।

**श्री गुरूदास दासगुप्त** : जी नहीं।

**श्री लाल कृष्ण आडवाणी** : जी नहीं, यह सच नहीं है। मैं इससे सहमत नहीं हूं। ऐसी परिस्थितियां आई हैं, जहां राज्य द्वारा ऐसी असाधारण शक्तियों को अपने हाथ में लेना न्यायोचित होता है। यदि यह न्यायोचित नहीं है तो क्या है?

**श्री गुरूदास दासगुप्त** : मैंने यह नहीं कहा था। मैंने कहा था कि आपने पुलिस को अधिक शक्तियां देने की बात की है, आपने कड़े कानूनों की बात की है; आपने 'टाडा' की बात की है; और आपने 'पोटा' की बात की है। आपने अपने भाषण में लोकतंत्र और जनता का जिक्र कभी नहीं किया। अतः मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि आप पुलिस राज चाहते हैं।

*[हिन्दी]*

**श्री लाल कृष्ण आडवाणी** : बहुत अच्छा।

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : अब मैं माननीय प्रतिपक्ष के नेता से अनुरोध करूंगा कि वे और कोई दलील न दें।

**श्री लाल कृष्ण आडवाणी** : परन्तु यह सदन के नेता के लिए नहीं है जो यहां उपस्थित हैं। मेरे पास अक्टूबर 18 को दिया गया एक वक्तव्य है जिसमें कहा गया है कि सीमा पार आतंकवाद का पाकिस्तान में न केवल जम्मू और कश्मीर बल्कि देश के अन्य भाग में भी कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है।

उन्होंने आगे कहा कि "पाकिस्तान द्वारा आतंकवादी ग्रुप पर कभी कभार लगाई गई पाबंदी ऊपरी और निरकणीय है। पाकिस्तान अधिगृहित कश्मीर में आतंकवादी प्रशिक्षण और संचार–आधार संरचना अक्षुण्ण है।"

अब, यही वजह है कि मैं माननीय गृह मंत्री से यह अपील करना चाहता हूं और इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि आपको संयुक्त तंत्र के बारे में सोचना होगा। सर्वप्रथम, मैं इस तरीके अर्थात् आतंकवाद से निपटने के लिए एक संयुक्त भारत–पाक तंत्र के प्रति सशंकित हूं। इसमें इतना ही अविश्वास किया जा सकता है जितना माननीय प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य में कि पाकिस्तान स्वयं भी आतंकवाद से पीड़ित है। यदि वह सचमुच इस मामले में गंभीर है तो भी दुनिया के सामने वे उस बात पर कायम नहीं रह पाते, जो वे कह रहे हैं। हम अन्य ताकतों, पश्चिमी ताकतों, यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और अमरीका से कह रहे हैं कि वे पाकिस्तान में उसके द्वारा तैयार आतंकवादी तंत्र को नष्ट करने के लिए उन पर दबाव डालें। यह सब करने की बजाय हम संयुक्त रूप से आतंकवाद का सामना करने की बात कर रहे हैं।

इससे पहले कि आप यह अभियान शुरू करें, मुझे दो बातें कहनी है। पहला, आप इस प्रक्रिया को शुरू करने से पहले इस आतंवादी तंत्र के बारे में पाकिस्तान से सीधे तौर पर बात करें। दूसरा, इंटरपोल द्वारा फरार घोषित किए गए आतंकवादियों में से 20 आतंकवादी जिनका हमने दावा किया है, मैं नहीं जानता कि उनमें से कितने जीवित हैं, और आप वे कहां हैं, लेकिन हमारी मांग यह होनी चाहिए कि उन्हें भारत को सौंपा जाए।

ऐसे कदम उठाने से एक संदेश जायेगा कि हम पाकिस्तान के साथ मित्रता तो चाहते हैं, पर हम ऐसी मित्रता नहीं जिससे पाकिस्तान को लगे कि 'किसी की तरह कश्मीर उनका हो जाएगा। उन्होंने मुझे एक नॉन–पेपर दिया है जिनसे मेरे कुछ उद्देश्य पूरे होते हैं।' हमें इस बात पर गौर करना चाहिए कि जहां तक भारत–पाक संबंधों की बात है तो इसमें सारा ध्यान आतंकवाद पर ही केन्द्रित हो। हमारा ध्यान इसी पर केन्द्रित होना चाहिए। हमें कश्मीर सहित सभी मुद्दों पर संयुक्त वार्ता करनी चाहिए। लेकिन आतंकवाद से हमारा ध्यान नहीं हटना चाहिए।

महोदय, मेरा और आगरा तथा जनरल मुशर्रफ की किताब का भी हवाला दिया गया। मैं एक बात को फिर कहना चाहता हूं कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी सामान्यतः इस प्रकार के वक्तव्य नहीं देते हैं। उन्होंने आगरा का उल्लेख किताब प्रकाशित होने के पश्चात् इस प्रकार किया

[श्री लाल कृष्ण आडवाणी]

था : "आगरा में हमारी बातचीत के दौरान जनरल मुशर्रफ ने कहा कि जम्मू और कश्मीर में हो रही हिंसा को आतंकवाद नहीं कहा जा सकता है। वह यह दावा करते रहे कि राज्य में हो रहा खून–खराबा लोगों की आजादी की लड़ाई है। जनरल मुशर्रफ के इसी दृष्टिकोण को भारत ने स्वीकार नहीं किया और इसी कारण आगरा वार्ता अफसल हुई।"

यह कहने पर मुझे इस बात की खुशी है कि जब आपने ऐसा कहा कि संविधान की सभी तीनों सूचियों में आर्थिक विकास की अपेक्षा सुरक्षा को आर्थिक प्राथमिकता दी जाती है। अतः मुझे आश्चर्य है कि यूपीए सरकार का हॉलमार्क न्यूनतम साझा कार्यक्रम है और इस न्यूनतम साझा कार्यक्रम में पोटा को रद्द करने के अलावा सुरक्षा के बारे में कुछ नहीं कहा गया है ...*(व्यवधान)*

**श्री शिवराज वि. पाटील** : यदि आपने इस मामले को उठाया होता तो मैं आपको न्यूनतम साझा कार्यक्रम पढ़कर सुना देता। मैं इसका एक–एक शब्द पढ़कर सुना दूंगा। ...*(व्यवधान)*

**श्री लाल कृष्ण आडवाणी** : मैंने इसे पढ़ लिया है। मुझे मालूम है कि इसमें और क्या लिखा है।

मुझे यह कहते हुए खेद है कि पूरी चर्चा में आपको छोड़कर अन्य सभी ने राष्ट्रपति को भेजी गई क्षमा–याचना का उल्लेख इस आधार पर किया कि इस पर निर्णय राष्ट्रपति को लेना है तथा सरकार को इस पर कुछ नहीं कहना है। सच्चाई यह है कि आप अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा कि इस पर निर्णय कार्यपालिका को लेना है और इसलिए यह आप पर छोड़ देना चाहिए और आप ही इस पर उचित समय पर उचित रीति से निर्णय लेंगे। इस मामले पर भी मैं यह कहना चाहता हूं कि अनुच्छेद 72 एक ऐसा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति को क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलबंन, परिहार या लघुकरण की शक्ति प्रदान करता है। इस पर टिप्पणी करने वालों में से एक श्री पी.एम. बख्शी ने कहा कि उनका यह मत तर्कपूर्ण लगता है कि राष्ट्रपति की अन्य शक्तियों के समान इस शक्ति का प्रयोग केबिनेट की सलाह पर ही करना चाहिए।

इसके अतिरिक्त यदि इसमें कोई शंका हो, तो उच्चतम न्यायालय ने केहर सिंह मामले में स्पष्ट निर्णय देकर इस शंका को दूर कर दिया है।

"राष्ट्रपति को क्षमा देने की अपनी शक्ति का प्रयोग अपनी मंत्रिपरिषद की सलाह पर करना चाहिए।"

अतः यदि आप इस पर शीघ्र निर्णय लेते हैं, तो इसमें दोनों ओर से की जा रही वर्तमान चर्चाएं समाप्त हो जाएंगी। वास्तव में आप इस पर निर्णय न लेकर देश को दण्ड दे रहे हैं और देश को विभाजित कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त आप हम पर देश को बांटने का आरोप लगा रहे हैं, जो सही नहीं है ...*(व्यवधान)*

**श्री शिवराज वि. पाटील** : राजीव गांधी की फाइल को पांच वर्षों तक रखने के लिए क्या स्पष्टीकरण है? ...*(व्यवधान)*

**श्री लाल कृष्ण आडवाणी** : मैं इस मामले में निश्चय ही स्थिति का पता लगाना चाहूंगा। पांच वर्षों का मतलब है कि ...*(व्यवधान)* मैंने ऐसा कभी नहीं देखा है। किन्तु जब आप कहते हैं पांच वर्ष, तो ..*(व्यवधान)*

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल)** : ऐसा कैसे हो सकता है कि तत्कालीन गृह मंत्री ने उस फाइल को देखा ही नहीं? ...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : कृपया सभा में लगातार टीका–टिप्पणी न करें।

...*(व्यवधान)*

**श्री लाल कृष्ण आडवाणी** : श्री राजीव गांधी का निधन 1991 में हुआ था, जिसका मतलब था कि ...*(व्यवधान)* मैं निश्चय ही इस बात का पता लगाऊंगा कि आखिरकार इस मामले में क्या हुआ है। किन्तु इसके साथ ही इस विशेष मामले में – जब देश में मतभेद उत्पन्न हो रहा है और अभियान चलाया जा रहा है – यह नहीं भूलना चाहिए कि 13 दिसम्बर का दिन भी जल्दी ही आ रहा है। हम सभी फिर उन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए वहां जाएंगे। यदि यह लोग न होते तो मैं समझता हूं कि 13 दिसम्बर का दिन अमेरिका के 11 सितम्बर के दिन से भी ज्यादा बुरा होता। इस तरह का नरसंहार होता कि देश में लोकतंत्र का वजूद ही खत्म हो जाता। हम शहीदों के परिवारों के प्रति अपना दायित्व स्वीकार करते हैं। इसलिए इस मामले में हमें शीघ्र निर्णय लेना चाहिए; इसे लम्बा नहीं खींचा जाना चाहिए।

प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वे इस बात को दिमाग से निकाल दें कि इस मामले में एक मात्र राष्ट्रपति ही हैं, जो अपने विवेकाधिकार से निर्णय लेता है, जबकि होता यह है कि राष्ट्रपति ने मंत्रिमंडल के सहयोग और सलाह की जरूरत होती है। इस मामले में जल्द ही एक बैठक बुलाएं और इस बारे में निर्णय लें। ...*(व्यवधान)*

**श्री पवन कुमार बंसल** : इस मामले में कुछ प्रक्रिया है जिस का अनुसरण किया जाना होता है ...*(व्यवधान)*

**श्री लाल कृष्ण आडवाणी** : इस आधार पर भी कोई प्रतिबद्धता व्यक्त नहीं की गई है। मैं समझता हूं कि इस समय जो मतदान होना है मैं उसमें भाग नहीं ले सकता। अतः मैं सभा भवन से बाहर जाना चाहूंगा।

**सायं 7.41 बजे**

*(इस समय श्री लाल कृष्ण आडवाणी और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।)*

**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

*"कि सभा अब स्थगित होती है।"*

*प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।*

---

**सायं 7.41½ बजे**

## नियम 377 के अधीन मामले*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : आज के लिए सूचीबद्ध नियम 377 के अधीन मामले को सभा पटल पर रखा हुआ माना जाता है। कृपया सभा में शांति बनाए रखें।

*...(व्यवधान)*

### (एक) देश में मधुमेह के बढ़ते हुए मामलों को रोकने हेतु कदम उठाए जाने की आवश्यकता

**श्री एन.एस.वी. चित्तन** (डिंडीगुल) : पाश्चात्यकरण और भूमंडलीकरण के साथ ही मधुमेह का रोग महामारी है के रूप में पांव फैला चुका है। वर्ष 2003 में भारत में इसके 33 मिलियन मामले पाए गए हैं जो अपने आप में अनोखा है और यह दुखद है कि भारत विश्व में मधुमेह का गढ़ बन चुका है। यह आंकड़ा वर्ष 2025 तक 57.9 मिलियन तक होने की प्रत्याक्षा है। तकरीबन प्रत्येक 5 भारतीयों में एक मधुमेह रोग से पीड़ित है। मधुमेह उपचार संबंधी औषधि का विश्व बाजार वर्ष 2005 में 3 बिलियन डॉलर था। मधुमेह चुपचाप मौत को आमंत्रण देने वाली बीमारी है। यह विश्व में चौथ ऐसा अग्रणी रोग है, जो लोगों की मौत का कारण बनता है। यह ठीक तो हो नहीं सकता है, पर इसे प्रभावी तरीके से नियंत्रित किया जा सकता है, टाला जा सकता है अथवा इससे बचाव भी किया जा सकता है। मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति को दिल का दौरा पड़ने का खतरा उतना ही होता है जितना कि उस व्यक्ति को जिसे पहले ही दिल का दौरा पड़ चुका है। नियंत्रण से बाहर जा चुकी मधुमेह बीमारी पक्षाघात, दिल का दौरा, गुर्दे का काम न करना, अंधापन, पांव विच्छेदन, तंत्रिकाआं का नष्ट होना और मौत का कारण बन सकती है।

मधुमेह अब केवल शहरी बीमारी नहीं रह गया है और इससे समाज के सभी सामाजिक तरह के तथा आर्थिक स्तर के लोग प्रभावित हैं। विदेशियों की तुलना में भारतीयों को यह बीमारी 10 से 15 वर्ष पहले ही हो जाती है। मधुमेह रोगियों की कुल आबादी में से 50 प्रतिशत लोग 50 वर्ष से कम उम्र के हैं। आनुवांशिक कारणों के साथ साथ निरुद्योगी जीवन शैली, मोटापा, व्यायाम की कमी, अत्याधिक कैलोरी वाले परिष्कृत प्रसंस्करत खाद्य पदार्थों को खाने की आदत, पाश्चत्य आहार इस रोग के मुख्य कारण हैं। हमें लोगों को सक्रिय जीवन शैली, नियमित व्यायाम या सप्ताह में 5 बार कम से कम 45 मिनट तक टहलने के बारे में शिक्षित करने पर अत्यधिक ध्यान देने की जरूरत है।

सब्जियां, फल, पूरे अनाज और फाइबर की प्रचुरता वाले भोजन मधुमेह को रोकने के लिए आवश्यक हैं। कमर की मोटाई कम करने के साथ–साथ वजन कम करना जरूरी है। कमर की मोटाई कम करने से व्यक्ति की उम्र बढ़ सकती है। यह स्वास्थ्य शिक्षा सभी बच्चों तथा व्यस्कों को दी जानी चाहिए चाहे उन्हें मधुमेह हो या नहीं हो। सभी गर्भवती महिलाओं की मधुमेह की जांच जरूर की जानी चाहिए क्योंकि इससे मां और बच्चे दोनों के लिए अत्यधिक जोखिम है।

मैं भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि वह इस व्यापक समस्या को जड़ से निपटने के लिए युद्ध स्तर पर उपाय करें। मधुमेह से बचने, मधुमेह के प्रसार को नियंत्रित करने और इसे रोकने के लिए निदान तथा प्रगतिशील जन स्वास्थ्य कार्यक्रमों संबंधी अनुसंधान बढ़ावा देने के लिए हमें प्रभावी कदक उठाने की आवश्यकता है।

### (दो) गुजरात में मेहसाना में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा अर्जित लाभ में से उन किसानों को हिस्सा दिए जाने की आवश्यकता जिनकी जमीन तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा तेल और गैस की खोज के लिए अधिगृहीत की गई थी

*[हिन्दी]*

**श्री जीवाभाई ए. पटेल** (मेहसाना) : महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र मेहसाना में जिन लोगों की जमीन ओ.एन.जी.सी. ने तेल एवं गैस निकालने के लिए अधिग्रहीत की है, वे मध्यम एवं छोटे किसान हैं जो अपने परिवार के लालन पालन हेतु इन्हीं जमीन पर आश्रित हैं और जमीन को कम राशि का मुआवजा देकर उनकी जमीन ले ली जाती है और ओ.एन.जी.सी. इन जमीनों से करोड़ों रुपए का तेल एवं गैस निकालता है, परन्तु जिन लोगों की जमीन से तेल एवं गैस निकालता है, रोजगार के अभाव में उनके परिवार का जीवन नरकीय हो जाता है। ओ.एन.जी.सी. एक कम्पनी है और उसके शेयर खरीदने एवं बेचने का विचार सरकार कर रही है। अतः मेरा सरकार से कहना है कि जिन लोगों की जमीन को लिया गया है उनको ओ.एन.जी.सी. कम्पनी का शेयर होल्डर बनना चाहिए जिससे गरीब किसान अपने परिवार का लालन–पालन कर सकें एवं ओ.एन.जी.सी. के लाभ का कुछ अंश इन गरीब किसानों को मिल सके।

* सभा पटल पर रखे माने गए।

सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि इस प्रस्ताव पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाये।

**(तीन) तमिलनाडु के कोयम्बटूर और मदुरै में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय खोले जाने की आवश्यकता**

*[अनुवाद]*

**श्री एस. के. खारवेनथन** (पलानी) : तमिलनाडु में केवल दो पासपोर्ट कार्यालय हैं – एक चेन्नई में और दूसरा तिरूचिरापल्ली में। तमिलनाडु के दक्षिणी हिस्सों से बड़ी संख्या में लोग अपने पासपोर्ट के लिए त्रिचि के पासपोर्ट कार्याय में आवेदन कर रहे हैं और उन्हें अपना पासपोट प्राप्त करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए राज्य के लोगों ने अनुरोध किया है कि मदुरै में एक क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय खोला जाए पर यह प्रस्ताव सरकार के पास लंबित है।

महोदय, मैं यहां पर यह भी उल्लेख करना चाहता हूं कि कोयम्बटूर शहर चेन्नई के बाद सबसे अधिक विकासशील शहर है। इसके निकट में स्थित तिरूपुर वस्त्र केन्द्रों में से एक है और यहां पर हजारों हौज़री के एकक कार्य कर रहे हैं। तिरूपुर, नीलगिरी, सेलम, नामाकिकल, कोयम्बटूर तथा निकटवर्ती क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग विदेश जाते हैं। प्रति वर्ष 50,000 से अधिक लोग चेन्नई क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यलय से पासपोर्ट के लिए आवेदन करते हैं। वर्ष 2005 के दौरान, चेन्नई क्षेत्रीय कार्यालय में 2,54,498 आवेदन प्राप्त हुए, परंतु इस वर्ष अक्टूबर तक लगभग 2,42,289 व्यक्तियों ने पासपोर्ट के लिए आवेदन किया है, जिसमें से लगभग 55,000 आवेदन केवल कोयम्बटूर क्षेत्र से प्राप्त हुए। अपने पासपोर्ट लेने के लिए उन्हें 400 कि.मी. से भी अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। इसमें काफी समय लगता है और उनके लिए अनावश्यक कठिनाई पैदा करता है। साथ ही, कोयम्बटूर सूचना प्रौद्योगिकी के केन्द्र के रूप में भी विकसित हो रहा है। कोयम्बटूर और तिरूपुर नगर निगम हैं। कोयम्बटूर स्थित जिला पासपोर्ट संग्रहण केन्द्र के माध्यम से पिछले वर्ष लगभग 14,000 लोगों ने नए पासपोर्ट जारी करने के लिए आवेदन किए और इस वर्ष अक्टूबर के अंत तक 14 हजार से अधिक आवेदन किए गए।

इसलिए, कोयम्बटूर में अविलम्ब एक क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय खोले जाने की भी आवश्यकता है। अतएव, मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे प्राधिकारियों को कोयम्बटूर के साथ–साथ मदुरै में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय खोले के निदेश दें।

**(चार) गुजरात वन विभाग द्वारा जूनागढ़ जिले के ग्रामवासियों की अधिगृहीत भूमि पर उनका भू-स्वामित्व अधिकार बहाल किए जाने की आवश्यकता**

*[हिन्दी]*

**श्री जसुभाई धानाभाई बारड़** (जूनागढ़) : महोदय, मेरे दिनांक 04.05.2005 को नियम 377 के अधीन निम्नलिखित सूचना दी गई थी कि:

गुजरात राज्य के वन विभाग ने जो सैन्चुरी भूमि को प्रोजेक्ट करने के लिए गुजरात के जूनागढ़ जिले के 47 रेवेन्यू गांवों के पास से रेवेन्यू भूमि ली गई थी और सन् 1962, 63, 67 में सैटलमेंट कमिश्नर नियुक्त किए थे। इन सैटलमेंट कमिश्नर ने वर्ष 1970 में अपनी रिपोर्ट गुजरात सरकार को सौंप दी और रिपोर्ट के अनुसार जूनागढ़ जिले के 47 गांवों से 2300 हेक्टेयर रेवेन्यू भूमि 1975 में प्रोजेक्ट वन के रूप में घोषित की गई। सैटलमेंट कमिश्नर की रिपोर्ट के मुताबिक जो रेवेन्यू भूमि जिस गांव से ली गई है, उसी गांव के नागरिकों के अधिकार और हक बरकरार रखा जायेगा और किस किस हक को रखा गया है, उसका विवरण भी इस रिपोर्ट में है। सन् 1975 में इस रेवेन्यू भूमि को प्रोजेक्ट वन घोषित किये जाने के 35 वर्षों के बाद भी गांव वालों को उनका हक नहीं दिया गया है।

इस सूचना के पश्चात् पर्यावरण एवं वन राज्य मंत्री जी ने दिनांक 22.02.2006 डी.ओ. नं. 10–53/2005 एफ सी द्वारा जो जवाब हमें दिया है, उसके अनुसार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार ने गांव वालों को उनके हक और जरूरत की सभी सुविधाएं दिए जाने का आदेश दिया है। लेकिन अभी तक राज्य सरकार द्वारा इन आदेशों पर अमल नहीं किया गया है। आज भी सभी गांव वाले अपने हक से वंचित हैं।

मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि राज्य सरकार को दिये गये आदेशों से अवगत कराया जाये और उन्हें शीघ्र ही उचित कार्यवाही करने के लिए आदेश दिए जाएं।

**(पांच) अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के किसानों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से राजसहायता प्राप्त राशन प्रदान किए जाने की आवश्यकता**

*[अनुवाद]*

**श्री मनोरंजन भक्त** (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) : मैं इस सभा का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि दक्षिणी अंडमान, मध्य अंडमान, उत्तरी अंडमान के कुछ हिस्सों में लगातार बारिश और जल–भराव के कारण पूरे अंडमान निकोबार द्वीपसमूह में धान और अन्य सब्जियों की फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गयी है और किसान संबंधित अधिकारियों से गुहार कर रहे हैं पर इसका कोई परिणाम नहीं निकला है। पूरे देश भर में किसानों की आत्महत्या की प्रवृत्ति अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी देखी गई है जहां लोग मानसिक अवसाद से पीड़ित हैं। इस प्रकार की परिस्थितियों में, यह नितांत आवश्यक है कि बहुत बड़ी संख्या में किसान जिनकी फसल नष्ट हो गयी है उन्हें कम दर पर अनाज, गेहूं तथा चावल उपलब्ध कराए जाने के लिए राशन कार्ड दिया जाना चाहिए। हमारी मुख्य चिंता किसान के परिवार को बचाने की है। इस संबंध में भारत सरकार द्वारा तत्काल कार्रवाई आवश्यक है।

**(छह) हिमाचली भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता**

*[हिन्दी]*

**डा. कर्नल (सेवानिवृत्त) धनीराम शांडिल्य** (शिमला) : महोदय, हिमाचल प्रदेश एक प्रगतिशील एवं विकासशील प्रदेश है। इस पहाड़ी राज्य ने आधारभूत संरचना, आधुनिकी प्रौद्योगिकी, शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार एवं सामाजिक कल्याण जैसे क्षेत्रों में राष्ट्रीय स्तर के सम्मानजनक कीर्तिमान स्थापित किए हैं, परन्तु विडम्बना है कि हिमाचली पहाड़ी भाषा को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त नहीं है। मान्यवर, हिमाचली पहाड़ी भाषा 60 लाख हिमाचलियों की भाषा है। इस पहाड़ी भाषा का करीब 500 वर्ष पुराना इतिहास है। राजाओं के राज्य के समय में यह राजकाज की भाषा रही है और कोर्ट कचहरी में भी इसी भाषा का प्रयोग के प्रमाण मिले हैं। पुराने समय के वैद्यक, ज्योतिष के ग्रंथों तथा पौराणिक ग्रंथों के अनुवाद भी हिमाचली पहाड़ी भाषा में मिलते हैं। हिन्दी के हस्तलिखित ग्रंथों में भी हिमाचली कविताएं उपलब्ध हैं। विशाल हिमाचल के गठन के समय भी हिमाचली पहाड़ी भाषा–भाषी पंजाब से हिमाचल में मिलाए गए थे। पिछले 40 वर्षों में इस भाषा में लगभग 1500 पुस्तकें रची गई हैं।

मान्यवर, इन तथ्यों के मद्देनजर मेरा केन्द्रीय सरकार से पुरजोर अनुरोध है कि हिमाचली पहाड़ी भाषा को संविधान की 8वीं सूची में सम्मिलित किया जाये ताकि इस भाषा को गौरवपूर्ण स्थान मिले और प्रदेश के लेखकों व साहित्यकारों को इस भाषा के माध्यम से प्रोत्साहन मिले।

**(सात) उड़ीसा में खनन कार्य के लिए महानदी कोलफील्ड लिमिटेड द्वारा भूमि अधिग्रहण के कारण विस्थापितों का पुनर्वास किए जाने की आवश्यकता**

**श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव** (बोलनगीर) : मैं सरकार का ध्यान महानदी कोल फील्ड द्वारा भूमि अधिग्रहण किए जाने के कारण विस्थापित हुए लोगों के पुनर्वास और पुनःस्थापन की समस्या की ओर आकर्षित करना चाहती हूं।

कंपनी द्वारा कोल बियरिंग एक्ट के अंतर्गत खदान कार्य हेतु भूमि का अधिग्रहण किया गया है। भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया पूरी होने में लगभग 20 वर्ष लगते हैं। पदमावतीपुर, कलमछुई, रकास और सोलाडा गांवों में भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया अभी भी पूरी नहीं हुई है।

बालंदा गांव में खदानों का पूरा उपयोग हो चुका है, पूरा कोयला निकाला जा चुका है तथा अब खदानें भी बंद कर दी गई हैं। लेकिन सच यह है कि ग्रामीणों के पुनर्वास और पुनःस्थापन का कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है।

कंपनी ने अभी भी विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास, स्थानीय युवाओं के नियोजन और क्षेत्र के स्वच्छता, वनारोपण तथा परिधीय विकास के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया है।

कंपनी को उड़ीसा सरकार की हाल ही की पुनर्वास और पुनःस्थापन नीति तथा पुनर्वास और परिधीय विकास संबंधी सलाहकार समिति के निर्णय का पालन भी करना है।

वर्तमान में लगभग 5000 पात्र व्यक्ति एमसीएल द्वारा नियुक्ति किए जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

मैं चाहती हूं कि सरकार द्वारा इसमें तत्काल हस्तक्षेप किया जाए ताकि उन प्रभावित व्यक्तियों को न्याय दिलाना सुनिश्चित किया जा सके जिनकी भूमि महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा अधिगृहीत की गई है।

**(आठ) महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में बैंकों/स्थानीय प्राधिकरणों को किसानों को नए फसल ऋण संवितरण के समय बकाया ऋण की कटौती न करने का अनुदेश दिए जाने की आवश्यकता**

**श्री हरिभाऊ राठौड़** (यवतमाल) : माननीय प्रधानमंत्री द्वारा विदर्भ क्षेत्र का दौरा करने और विदर्भ पैकेज की घोषणा के पश्चात्, वहां पर इस बात को लेकर खुशी की लहर दौड़ पड़ी थी कि अब इस क्षेत्र के गरीब किसानों की स्थिति में सुधार आ जाएगा। लेकिन 9 महीने से अधिक समय के बाद भी स्थानीय स्तर पर पैकेज का उचित प्रकार से कार्यान्वयन न किए जाने के कारण किसान अभी भी खराब वित्तीय स्थिति, ऋण के बोझ, खराब फसल इत्यादि के कारण व्यथित हैं और अब इन किसानों के पास आत्महत्या के अतिरिक्त कोई और विकल्प नहीं हैं और इसी प्रकार इस क्षेत्र में अभी भी किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं। बैंक प्राधिकारी प्रभावित किसानों को नया फसल ऋण देते समय उनसे पुराने ऋण की बकाया राशि की भी कटौती कर रहे हैं। विदर्भ पैकेज में कहीं भी ऐसा उल्लेख नहीं है कि नया ऋण देते हुए उसमें से पुराने ऋण की कटौती की जाएगी। यह आवश्यक है कि बैंक/स्थानीय प्राधिकारियों के बेतुके रवैये से विदर्भ क्षेत्र के प्रभावित किसानों की सुरक्षा की जाए और बैंक/स्थानीय प्राधिकारियों को इस संबंध में नए निर्देश जारी किए जाएं कि किसानों को नया फसल ऋण वितरित करते समय उनके बकाया ऋण की कटौती न की जाए।

**(नौ) कर्नाटक के हवेरी जिले में रसोई गैस की पर्याप्त आपूर्ति किए जाने की आवश्यकता**

**श्री मंजुनाथ कुन्नुर** (धारवाड़ दक्षिण) : मैं सरकार का ध्यान अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र धारवाड़ दक्षिण (कर्नाटक) के हावेरी जिले में रसोई गैस की अत्यधिक कमी की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं।

यद्यपि पूरे कर्नाटक में रसोई गैस की कमी है लेकिन हावेरी जिला

सबसे अधिक प्रभावित है। हावेरी सबसे पिछड़ा हुआ सूखा–प्रभावित ग्रामीण जिला है। वहां हर साल सूखा पड़ता है और ऐसे परिदृश्य में लोगों को अपनी दैनंदिन आवश्यकताओं की पूर्ति करने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। यहां पर लोगों के लिए कोई फैक्टरी अथवा आय का साधन नहीं है। इसलिए जब आय कम होती है तो अपनी खाना पकाने संबंधी आवश्यकताओं के लिए वे स्वाभाविक रूप से ईंधन के सस्ते साधनों पर निर्भर होते हैं। इस कारण से लोगों में आक्रोश है और वे वहां पर रसोई गैस की पर्याप्त आपूर्ति की मांग कर रहे हैं।

सरकार इस बात को मानती है कि वर्तमान में लोगों के लिए रसोई गैस ही एकमात्र व्यवहार्य और ईंधन का सस्ता स्रोत है। यदि ऐसे ईंधन की कमी होगी तो वे अपनी दैनन्दिन खाना पकाने संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे करेंगे। यही नहीं, वहां पर स्थानीय लोगों को कुशल और व्यापक सेवा उपलब्ध कराने के लिए रसोई गैस वितरकों की भी कमी है। हावेरी जिले के शिग्गांव और हिवकेरुर तालुका में इनकी विशिष्ट कमी है।

अतः, मेरा सरकार से अनुरोध है कि वहां पर जनहित में रसोई गैस की पर्याप्त आपूर्ति और रसोई गैस वितरक नियुक्त करने के लिए तत्काल आवश्यक कदम उठाए जाएं।

**(दस) पंजाब के होशियारपुर, रोपड़ और गुरूदासपुर जिलों के बहुमुखी विकास के लिए विशेष वित्तीय पैकेज दिए जाने की आवश्यकता**

*[हिन्दी]*

**श्री अविनाश राय खन्ना** (होशियारपुर) : महोदय, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार का ध्यान पंजाब के होशियारपुर, रोपड़, गुरदासपुर जिलों के कण्डी य वीत क्षेत्रों की समस्याओं की ओर दिलाना चाहता हूं। इन क्षेत्र के लोगों को काफी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। यहां न तो पीने का पानी है और न खेती के लिए पानी की सुविधा है। इन क्षेत्रों में सड़कों की हालत बहुत ही खराब है। लोगों के पास सम्पर्क के साधन भी नहीं है। फसल भी वर्षा पर निर्भर करती है और क्षेत्र के लोग सूखे की समस्याओं से कई वर्षों से जूझ रहे हैं और साधनों की भारी कमी है, लोगों के पास रोजगार नहीं है। इससे गुजारा चलाना भी मुश्किल है। मेरा केन्द्र सरकार से विशेष आग्रह है कि इन क्षेत्र की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए इन जिलों पर विशेष ध्यान दिया जाये और इस क्षेत्र को विशेष आर्थिक पैकेज दिया जाये जिससे इस क्षेत्र का समुचित विकास हो सके।

**(ग्यारह) राजस्थान के अजमेर जिले को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत शामिल किए जाने की आवश्यकता**

**प्रो. रासा सिंह रावत** (अजमेर) : महोदय, 01 फरवरी, 2006 से क्रियान्वित की जा रही राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत राजस्थान के केवल 5 जिले ही सम्मिलित किए गए हैं। पिछले कई वर्षों से निरंतर वर्षा की की अत्यधिक कमी के कारण अजमेर जिला भयंकर अकाल एवं सूखे की समस्या से पीड़ित हैं। कुओं का जलस्तर बहुत नीचे चला गया है। ग्रामीण क्षेत्र के नौजवान भयंकर बेरोजगारी से ग्रस्त हैं। जिले के किसानों एवं मजदूरों की स्थिति आर्थिक दृष्टि से कमजोर होती जा रही है। निरंतर अकाल एवं सूखे की स्थिति से कृषि एवं पशुपालन पर निर्भर किसानों को रोजगार नहीं के बराबर मिलने के कारण बड़े पैमाने पर आबादी का निष्क्रमण हो रहा है। राजस्थान के बीचोंबीच स्थिति यह जिला लगातार 7वें वर्ष अकाल की चपेट में है। पशुधन कम होता जा रहा है। इस वर्ष भी राज्य सरकार ने अजमेर जिले के 1050 गांवों को अकालग्रस्त घोषित किया है। अजमेर जिले के अधिकांश तालाब सूखे हैं। जिले के अधिकांश क्षेत्रों में औसत से भी कम वर्षा हुई है। अजमेर की आनासागर, फायसागर तथा सुप्रसिद्ध पुकर सरोवर में बहुत थोड़ा पानी रह गया है।

अजमेर जिले के ग्रामीण क्षेत्र में 8 पंचायत समितियां हैं जिनमें अंराई, भिनाय, जवाजा, पीसांगन, सिलौरा, श्रीनगर ये 6 पंचायत समितियां अतिशोषित श्रेणी में आती हैं। बाकी बची 2 पंचायत समितियां केकड़ी व मसूदा भूजल के मापदंडानुसार अति संवेदनशील श्रेणी में आती हैं। मानसून पूर्व भूजल सर्वेक्षण से ज्ञात होता है कि जहां 1984 में औसत भूजल स्तर 7.79 मीटर अंकित हुआ था वह सन 2004 में 15. 90 मीटर गहराई तक पहुंच गया। इस प्रकार 41 सें.मी. प्रतिवर्ष औसत भूजल स्तर में गिरावट हो रही है। अजमेर जिले के एक ओर रेगिस्तान का प्रसार तेजी से हो रहा है। जिले की स्थिति पैदावार की दृष्टि से दयनीय है। अजमेर जिले के 14 लाख किसानों की जोत का औसत 2.33 प्रति हैक्टेयर है जो अनार्थिक है। काबिल काश्त भूमि की उपलब्धता में कमी आ रही है। बांधों एवं तालाबों में पानी की आवक नहीं के बराबर है।

अतः भारत सरकार से अनुरोध है कि अजमेर जिले को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत सम्मिलित कर जिले के ग्रामीण अंचल में रहने वाले एवं खेती पर आधारित किसानों को रोजगार उपलब्ध करवाया जाए। इस योजना की सभी पात्रताओं को अजमेर जिला पूरा करता है।

**(बारह) एच एफ सी एल, एफ सी एल और पी पी सी एल को बंद पड़े संयंत्रों को पुनः चालू किए जाने की आवश्यकता**

*[अनुवाद]*

**श्री सुनील खां** (दुर्गापुर) : यह चिंता का विषय है कि अपर्याप्त घरेलू उत्पादन के कारण हुई कमी को पूरा करने के लिए सरकार ने उच्च अंतर्राष्ट्रीय कीमतों पर बड़ी मात्रा में आयात का सहारा लिया है। वर्ष 2002–03 के दौरान यह प्रबल आशंका थी कि देश शीघ्र ही आयात पर आश्रित हो जाएगा जब हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन के

दुर्गापुर, बरौनी और हल्दिया, फर्टिलाइजर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के सिंदरी, गोरखपुर, रामागुंडम और तालचेर तथा पाइराइट्स एण्ड फॉस्फेट्स केमिकल्स लिमिटेड के अनिहोरा तथा सालादिसपुरा स्थित उर्वरक उत्पादन संयंत्र महंगे कच्चे माल के उपयोग के कारण उच्चतर उत्पादन लागत के तर्क पर बंद कर दिए गए। यह भी रिपोर्ट दी गयी है कि मदुरई फर्टिलाइजर लिमिटेड की इकाईयों को भी बंद किया जा रहा है। पिछले वर्ष लगभग 2 मिलियन टन यूरिया का आयात किया गया और वर्तमान वर्ष के दौरान यूरिया का आयात 4.6 मिलियन टन के रिकार्ड स्तर पर पहुंच गया। डी ए पी का आयात 3 मिलयन टन और एम डी पी का आयात 4 मिलियन टन के लगभग है। यह रिपोर्ट दी गई है कि आयातित यूरिया की फार्म गेट लागत 13,000 रुपए प्रति टन है जबकि घरेलू यूरिया की अनुमानित औसत लागत 10,500 रुपए प्रति टन है। बंद एककों को पुनरुज्जीवित करने तथा पुनः चालू करने और मौजूदा क्षमताओं के अवरोधों को दूर करने का विस्तार करने के लिए समय पर निर्णय लिए जाने से इस स्थिति से काफी हद तक बचा जा सकता था।

मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूं कि वह एच एफ सी एल, एफ सी एल और पी पी सी एल के सभी बन्द पड़े संयंत्रों को पुनरुज्जीवित करें और उन्हें पूरा चालू करें तथा मौजूदा संयंत्रों की बाधाओं को दूर करने, उनका विस्तार करने के सभी लंबित प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान करें।

**(तेरह) मत्स्य गांधी एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 2619/2620 को मंगलौर से कुन्नुर तक बढ़ाए जाने की आवश्यकता**

**श्री पी. करूणाकरन** (कासरगोड) : केरल के रेल यात्री विशेषकर केरल के उत्तरी क्षेत्र के रेल यात्री मंगलोर से दक्षिणी केरल के लिए प्रर्याप्त रेलगाड़ियों की अनुपलब्धता के कारण कठिनाई का सामना कर रहे हैं।

एक्सप्रेस ट्रेन सं. 2619/2620 जो बंगलोर से मंगलोर तक चलती है, मंगलोर में 10 घंटे ठहरती है। कन्नूर और मंगलोर के बीच की दूरी लगभग 150 कि.मी. है जिसको तय करने के लिए मुश्किल से दो घंटे लगेंगे। यदि मत्स्यगंधा एक्सप्रेस ट्रेन सं. 2619/2620 को मंगलूर से कन्नौर तक विस्तार किया जाए, तो यह उत्तरी केरल के लोगों के लिए मददगार सिद्ध होगा।

**(चौदह) दिल्ली विकास प्राधिकरण और रजिस्ट्रार ऑफ को-आपरेटिव सोसायटी को उन को-आपरेटिव सोसायटियों के फ्लैटों के आबंटन की प्रक्रिया शुरू करने का अनुदेश दिए जाने की आवश्यकता, जो किसी घोटाले में संलिप्त नहीं है।**

*[हिन्दी]*

**श्री रेवती रमन सिंह** (इलाहाबाद) : महोदय, रजिस्ट्रार ऑफ कोपरेटिव सोसाइटीज कार्यालय, नई दिल्ली के कथित तौर पर कुछ सहकारी समितियों के पुनरुद्धार में हाथ होने के कारण सी.बी.आई. इसकी जांच कर रही है। लेकिन यहां यह कामकाज बिल्कुल ठप्प है। परिणामस्वरूप इन समितियों द्वारा निर्मित फ्लैटों के आबंटन का काम बिल्कुल ठप्प है। मात्र एक छत या घर पाने के लिए सदस्यों ने ऋण लेकर फ्लैट की कीमत का भुगतान किया है और हर माह भारी किस्त चुकानी पड़ रही है। किराये के मकान में भी रहना पड़ रहा है। ऐसे सदस्यों को फ्लैट का आबंटन न होने के कारण वित्तीय कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। सरकार डी.डी.ए. तथा रजिस्ट्रार के कार्यालय को आदेश दे कि फ्लैट आबंटन का काम उन समितियों के लिए पूरा करे जहां कोई धांधली नहीं है।

**(पन्द्रह) उत्तर प्रदेश में आगरा और औरेया के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 निर्माण में प्रयुक्त की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता के बारे में जांच किए जाने की आवश्यकता**

**श्री रघुराज सिंह शाक्य** (इटावा) : महोदय, के माध्यम से माननीय भूतल परिवहन मंत्री जी का ध्यान राष्ट्र हित की प्रमुख समस्या की ओर आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीय राजमार्ग सं.–2 का निर्माण कार्य बहुत ही शीघ्र गति से हो रहा है। यह सराहनीय कार्य है, किंतु निर्माण कार्य आगरा एवं औरेया के बीच हो रहा है वह गुणवत्ता एवं मानव विहीन है, जिससे राष्ट्रीय पथ की लाइफ बहुत ही कम होगी।

अस्तु माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि मामले का शीघ्र जांच कराकर गुणवत्ता एवं मानकपूर्ण कार्य सुनिश्चित किया जाए जिससे राष्ट्रीय सम्पत्ति का निर्माण हो सके।

**(सोलह) बिहार के सीतामढ़ी और शिवहर जिले के लिए टी.डी.एम. के पदों का सृजन किए जाने की आवश्यकता**

**श्री सीता राम यादव** (सीतामढ़ी) : महोदय, बिहार राज्य के दरभंगा प्रमंडल के सभी तीनों जिला क्रमशः दरभंगा, मधुबनी एवं समस्तीपुर में टी.डी.एम. का पद सृजित है एवं कार्यरत हैं। तिरहूत प्रमंडल के मुजफ्फरपुर जिला एवं हाजीपुर, वैशाली जिला में टी.डी.एम. का पद सृजित है, लेकिन सीतामढ़ी एवं शिवहर दो जिला पर एक टी. डी.एम. का पद सीतामढ़ी में अभी तक सृजित नहीं हुआ है। सीतामढ़ी टी.डी.एम. पद के लिए सभी योग्यता रखता है एवं जनहित में अति आवश्यक है। महाप्रबंधक, मुजफ्फरपुर एवं मुख्य महाप्रबंधक, पटना के द्वारा इस संदर्भ में प्रस्ताव भेजा जा चुका है एवं मेरे द्वारा भी संचार मंत्री को कई पत्र लिखे गए हैं।

अतः मैं सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि सीतामढ़ी एवं शिवहर, जिला के लिए सीतामढ़ी में एक टी.डी.एम. का पद सृजित कर टी.डी.एम. का पदस्थापन किया जाये।

**(सत्रह) नई दिल्ली के नेताजी नगर स्थित वरिष्ठ नागरिक सदन, सांध्य के कार्यकरण की जांच किए जाने की आवश्यकता**

*[अनुवाद]*

**श्री सुव्रत बोस** (बारासाट) : नेताजी नगर, नई दिल्ली में वरिष्ठ नागरिकों के लिए सांध्य नामक एक आश्रम है जो वर्तमान में एनडीएमसी की उपेक्षा के कारण बहुत ही बुरी स्थिति में है। 27.8.2003 को एनडीएमसी ने इस आश्रम में मैनेजर के पद पर नियुक्ति हेतु एक विज्ञापन दिया था जिसके लिए उम्र सीमा 30 से 50 वर्ष रखी गई थी, जो बहुत ही विस्मित करने वाली बात है, क्योंकि पहले यह परम्परा रही है कि इस पद पर अधिकांशतः अवकाश प्राप्त व्यक्तियों की ही नियुक्ति की जाती थी। विज्ञापन में इस बात का उल्लेख किया गया था कि यह नियुक्ति करार के आधार पर पहले एक वर्ष की अवधि के लिए होगी और नियुक्ति की जाती थी। विज्ञापन में इस बात का उल्लेख किया गया था कि यह नियुक्ति करार के आधार पर पहले एक वर्ष की अवधि के लिए होगी और नियुक्त व्यक्ति का रेखा–विस्तार उसके कार्य–निष्पादन के आधार पर समय–समय पर आगे भी किया जाएगा। कतिपय उदाहरणों से मैं यह समझता हूं कि तीस वर्ष के किसी युवा व्यक्ति के लिए यह कदापि संभव नहीं है कि वे साठ या अस्सी साल के वरिष्ठ नागरिकों की जरूरतों को समझें या इस बात को महसूस करें कि आखिरकार उनकी देखभाल कैसे की जाए। यह तो केवल एक समान उम्र के लोग की महसूस या समझ सकते हैं। मैं यह भी मानता हूं कि सांध्य सीनियर सिटीजन में कई तरह की बड़ी–बड़ी अनियमितताएं हैं, यथा खराब गुणवत्ता वाले खाद्य या पेय पदार्थ, इनकी अपर्याप्त मात्रा, कैम्पस की साफ–सफाई का न होना, वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल न किया जाना, आदि–आदि। इस उम्र का एक वरिष्ठ नागरिक होने के नाते, मैं उन कठिनाइयों को महसूस कर सकता हूं जिनसे वे लोग जूझ रहे हैं। अतः माननीय मंत्री से मेरा अनुरोध है कि वे वरिष्ठ नागरिकों की कठिनाइयों की जांच करने के लिए एक सचिव स्तरीय जांच बैठाई जाए क्योंकि वे निरंतर दहशत में जी रहे हैं, और साथ ही, युवा मैनेजर की नियुक्ति की भी जांच कराई जाए। माननीय मंत्री से मेरा यह भी अनुरोध है कि इस सीनियर सिटीजन्स होम में मैनेजर के पद पर किसी अवकाश प्राप्त व्यक्ति को नियुक्त किया जाए जिससे कि वे वरिष्ठ नागरिकों की दुख–दर्द को समझ सके।

**(अठारह) पश्चिम बंगाल में सुंदरवन, में बी.एस.एन.एल. की सेवाओं में सुधार किए जाने की आवश्यकता**

**श्री सनत कुमार मंडल** (जयनगर) : मैं सरकार का ध्यान ग्रामीण दूरसंचार क्षेत्र में, विशेषकर पश्चिम बंगाल के सुन्दरवन क्षेत्र में, बीएसएनएल की भूमि की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

कैनिंग सुन्दरवन गेटवे और सैंकड़ों पर्यटकों के आकर्षण का केन्द्र है। सुन्दरवन विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। यहां बांध संरक्षण क्षेत्र, घने जंगल और नेशनल पार्क हैं। हालांकि बीएसएनएल द्वारा यहां दी गई मौजूदा संचार संविधाएं संतोषप्रद नहीं हैं।

मेरे संसदीय क्षेत्र में कैनिंग सब डिविजनल टाउन में मोबाइल सुविधा में निःसंदेह सुधार आया है। फिर भी, वहां समस्याएं हैं। मेरा यह अनुभव है कि जब कोई मोबाइल होल्डर कैनिंग बीएसएनएल मोबाइल टावर में 2 कि.मी. दूर जाता है, तो उसके मोबाइल का सिगनल गायब हो जाता है। अतः बीएसएनएल मोबाइल उपभोक्ताओं के फायदे के लिए कैनिंग टाउन के मोबाइल टावर की क्षमता बढ़ाई जानी चाहिए। दूसरी बात, कि लैण्ड लाइन उपभोक्ताओं के हित में कैनिंग पुलिस स्टेशन के अंतर्गत जीवन..... दूरभाष केन्द्र की क्षमता भी बढ़ाई जानी चाहिए।

हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में डब्ल्यूएलएल का विकल्प भी उपलब्ध है, फिर भी डब्ल्यू एल एल बीटीएस की क्षमता प्रति बीटीएस 1500 तक बढ़ाई जानी चाहिए और एक्सचेंज सिस्टम टेक्नोलॉजी का भी उन्नयन किया जाना चाहिए। वर्तमान में अधिकांश बीटीएस पर क्षमता से अधिक लोड है। फिर भी इन पर प्रतीक्षा सूची का दबाव बढ़ता जा रहा है।

अतः, मेरा सरकार से अनुरोध है कि वे पश्चिम बंगाल के सुन्दरवन क्षेत्र में दूरसंचार क्षेत्र की मौजूदा समस्याओं को दूर करें।

**(उन्नीस) किसानों को ऋण राहत देने के लिए केन्द्रीय कृषि ऋण राहत कानून बनाए जाने की आवश्यकता**

**श्री के. फ्रांसिस जार्ज** (इदुक्की) : केरल कृषि ऋण राहत विधेयक केरल विधानसभा के अंतिम सत्र में प्रस्तुत किया गया था। इस विधेयक का उद्देश्य, कृषि के क्षेत्र में संकट से ग्रसित किसान, जो अपने कृषि ऋण को नहीं चुका पाते हैं, को राहत प्रदान करना है। राज्य के इस विधान के दायरे में राष्ट्रीयकृत बैंकों को नहीं लाया जा सकता है, जिससे इस विधान की प्रभावशीलता सीमित हो जाती है, जबकि बड़ी संख्या में किसान राष्ट्रीयकृत बैंकों से ही ऋण ले पाते हैं।

जैसा कि देश के विभिन्न राज्यों में किसान कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, इसलिए किसानों को ऋण संबंधी राहत प्रदान करने वाला यह केन्द्रीय विधान अधिक प्रासंगिक होगा और समग्र रूप से पूरे देश के लिए उपयोगी होगा।

अतः, सरकार से मेरा अनुरोध है कि वे जल्द से जल्द केन्द्रीय कृषि ऋण राहत विधेयक लाए।

**सायं 7.42 बजे**

## मंत्री द्वारा वक्तव्य

### पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय :** अब पेट्रोमिलयम और प्राकृतिक गैस मंत्री श्री मुरली देवरा वक्तव्य देंगे। यदि आप चाहें तो इसे सभा पटल पर रख सकते हैं। क्या आप इसे पढ़ना चाहते हैं?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री मुरली देवरा) :** महोदय, आपकी अनुमति से मैं पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों के बारे में अपने वक्तव्य* की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं:

अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजारों में मूल्यों में गिरावट के कारण पेट्रोल और डीजल के खुदरा मूल्यों में कमी के लिए आम जनता ने बड़ी उम्मीद लगाई हुई है। यू पी ए की अध्यक्षा तथा कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी ने भी आमतौर पर उपभोक्ताओं और विशेष रूप से समाज के कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा के लिए पेट्रोल और डीजल के मूल्यों में समुचित रूप से कमी करने के लिए सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। सरकार को पेट्रोल और डीजल के मूल्यों में कमी करने के बारे में माननीय संसद सदस्यों से भी अनुरोध प्राप्त हुआ है। इस संदर्भ में, माननीय सदस्यों को ज्ञात है कि पिछले वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल के मूल्य बहुत बढ़े हैं जिससे हमारी अर्थव्यवस्था और तेल कंपनियों पर भारी बोझ पड़ा है।

न्यूनतम साझा कार्यक्रम के अंतर्गत यू पी ए सरकार आम आदमी और समाज के सबसे कमजोर वर्ग की रक्षा की अपनी वचनबद्धता पर अडिग है और इसीलिए पिछले दो वर्षों में पी डी एस मिट्टी तेल और एल पी जी के मूल्य नहीं बढ़ाए गए हैं।

आम आदमी पर संभव कम से कम भार डालने और अपनी नवरत्न कंपनियों की हालत की रक्षा के लिए हमने उच्च अंतर्राष्ट्रीय तेल मूल्यों के प्रभावों से निपटने के लिए समान भार वहन की नीति तैयार की है।

इसी के अनुरूप बढ़े हुए अंतर्राष्ट्रीय तेल मूल्यों का 87% भार तेल बाण्डों और तेल पी एसयूज के माध्यम से सरकार द्वारा वहन किया गया। लगभग 10 रुपए प्रति लीटर प्रत्येक की अपेक्षित वृद्धि की तुलना में, मूल्यों में जून, 2006 में पेट्रोल और डीजल में क्रमशः 4 रुपए और 2 रुपए की मामूली वृद्धि की गई। आपको याद होगा कि उस समय कच्चे तेल के भारतीय बास्केट के लिए प्रचलित अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य 67 अमरीकी डालर प्रति बैरल था।

जून, 2006 में इस मामूली वृद्धि को लागू करते समय सरकार ने संसद सदस्यों और जन साधारण को आश्वासन दिया था कि वह अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों पर कड़ी नजर रखेगी और यदि मूल्य कम हो जाते हैं और स्थिर हो जाते हैं तो वह इसकी समीक्षा के लिए तैयार रहेगी।

अगस्त, 2006 में, मूल्य 75 अमरीकी डालर प्रति बैरल छू गया। हमारा भार अत्याधिक बढ़ गया। किन्तु हमने मूल्य स्थिर बनाए रखे।

आज भारतीय बास्केट का मूल्य 56–58 अमरीकी डालर प्रति बैरल की श्रंखला में है। पेट्रोल और डीजल पर हानियों/अल्प वसूलियों की सीमा कम हुई है, तथापि, एल पी जी और मिट्टी तेल के संबंध में स्थिति कठिन बनी हुई है क्योंकि इन उत्पादों में कोई मूल्य वृद्धि नहीं की गई थी।

सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह जी के मार्गदर्शन में इन सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर पेट्रोल का 2 (दो) रुपए प्रति ली. और डीजल का 1 (एक) रुपया प्रति ली. आज रात्रि से सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों के लिए खुदरा बिक्री (दिल्ली आधारित) कम करने का निर्णय लिया है।

हम अंतर्राष्ट्रीय तेल मूल्यों पर कड़ी निगरानी रख रहे हैं और तदनुसार भविष्य में खुदरा मूल्यों में संशोधन पर विचार करेंगे।

हम अति जरूरतमंद समूह को मिट्टी का तेल लगभग 14 रुपए प्रति लीटर की राज सहायता के साथ लगभग 9 रुपए प्रति लीटर पर उपलब्ध कराना जारी रखेंगे। यह सी एम पी की प्रतिबद्धता के अनुसार है। आगे, गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों को खाद्य पदार्थों पर राज सहायता ईंधन पर दी जा रही राज सहायता के लिहाज में ही है। मंत्रालय सतर्क है कि बेईमान तत्व मिलावट के रूप में इन ईंधनों को प्रयोग करके इस राज सहायता के फायदे न उठा पाएं। इसलिए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वास्तव में हकदार उपभोक्ता अपने हक से वंचित न रहे हम नई योजना को क्रियान्वित कर रहे हैं और मिलावट विरोधी अभियान को जारी रखे हैं।

**अध्यक्ष महोदय :** ठीक है, इसे सभा पटल पर रख दिया गया है।

सभा कल 30 नम्बर, 2006 के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित होती है।

**सायं 7.43 बजे**

*तत्पश्चात् लोकसभा गुरुवार, 30 नवम्बर, 2006/9 अग्रहायण 1928 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।*

---

*सभापटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 5070/2006

अनुबंध-I

*तारांकित प्रश्नों की सदस्य–वार अनुक्रमणिका*

| क्रम सं. | सदस्य का नाम | तारांकित प्रश्नों की संख्या |
|---|---|---|
| 1. | श्री के.सी. पल्लानी शामी | 102 |
| | श्री आनंदराव विठोबा अडसूल | |
| 2. | श्री गिरिधारी लाल यादव | 103 |
| | श्री हन्नान मोल्लाह | |
| 3. | श्री काशीराम राणा | 104 |
| | श्री हितेन बर्मन | |
| 4. | श्री राम कृपाल यादव | 105 |
| 5. | श्री जसुभाई धानाभाई बारड़ | 106 |
| 6. | श्री कीरेन रिजीजू | 107 |
| | श्री संतोष गंगवार | |
| 7. | श्री जीवाभाई ए. पटेल | 108 |
| | श्री हरिकेवल प्रसाद | |
| 8. | श्री किसनभाई वी. पटेल | 109 |
| | श्री रशीद मसूद | |
| 9. | श्री के.एस. राव | 110 |
| 10. | प्रो. महादेवराव शिवनकर | 111 |
| | श्री कैलाश नाथ सिंह यादव | |
| 11. | श्री तुकाराम गंगाधर गदाख | 112 |
| 12. | श्री चन्द्रभूषण सिंह | 113 |
| | श्री एल. राजगोपाल | |
| 13. | श्री अनवर हुसैन | 114 |
| 14. | श्री सनत कुमार मंडल | 115 |
| 15. | श्री सर्वानन्द सोनोवाल | 116 |
| | श्री मणी कुमार सुब्बा | |
| 16. | श्री प्रभुनाथ सिंह | 117 |
| 17. | श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता | 118 |
| 18. | श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़ | 119 |
| | श्री निखिल कुमार | |
| 19. | श्री बसुदेव आचार्य | 120 |
| | श्री असादूददीन ओवेसी | |
| 20. | कुंवर मानवेन्द्र सिंह | 121 |

*अतारांकित प्रश्नों की सदस्य–वार अनुक्रमणिका*

| क्रम सं. | सदस्य का नाम | प्रश्न संख्या |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | आचार्य, श्री बसुदेव | 1179 |
| 2. | आदित्यनाथ, योगी | 1118, 1236 |
| 3. | अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा | 1152, 1168, 1196, 1251 |
| 4. | अग्रवाल, डा. धीरेंद्र | 1076, 1159, 1170, 1225 |
| 5. | अहीर, श्री हंसराज जी. | 1121, 1124, 1241 |
| 6. | आठवले, श्री रामदास | 1089, 1155, 1200, 1209, 1212 |
| 7. | आजमी, श्री इलियास | 1085 |
| 8. | "बाबा", श्री के.सी. सिंह | 1196 |
| 9. | बारड़, श्री जसुभाई धानाभाई | 1162 |
| 10. | बर्मन, श्री हितेन | 1122 |
| 11. | बर्क, डा. शफीकुर्रहमान | 1224 |
| 12. | बखला, श्री जोवाकिम | 1218 |
| 13. | भडाना, श्री अवतार सिंह | 1101 |
| 14. | बिश्नोई, श्री जसवंत सिंह | 1227 |
| 15. | बिश्नोई, श्री कुलदीप | 1067, 1156 |
| 16. | बोस, श्री सुब्रत | 1100 |
| 17. | बुधौलिया, श्री राजनरायन | 1096 |
| 18. | चक्रवर्ती, श्री स्वदेश | 1077 |
| 19. | चौरे, श्री बापू हरी | 1114 |
| 20. | चावड़ा, श्री हरिसिंह | 1225, 1239 |
| 21. | चिन्ता मोहन, डा. | 1123, 1237 |
| 22. | चित्तन, श्री एन.एस.वी. | 1214, 1235 |
| 23. | देवरा, श्री मिलिन्द | 1217, 1234 |
| 24. | धनराजू, डा. के. | 1119, 1178 |
| 25. | धोत्रे, श्री संजय | 1114 |
| 26. | फर्नान्डीस, श्री जार्ज | 1220 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 27. | गदाख, श्री तुकाराम गंगाधर | 1150 |
| 28. | गढ़वी, श्री पी.एस. | 1164 |
| 29. | गयकवाड़, श्री एकनाथ महादेव | 1187, 1250 |
| 30. | गांधी, श्रीमती मेनका | 1097 |
| 31. | गंगवार, श्री संतोष | 1154, 1206 |
| 32. | गवली, श्रीमती भावना पुंडलिकराव | 1114 |
| 33. | हर्ष कुमार, श्री जी.वी. | 1087, 1093, 1211 |
| 34. | हसन, चौधरी मुनव्वर | 1143 |
| 35. | हसन, श्री अनवर | 1160, 1195 |
| 36. | जगन्नाथ, डा. एम. | 1127, 1181, 1235 |
| 37. | जय प्रकाश, श्री (मोहनलाल गंज) | 1075, 1183 |
| 38. | झा, श्री रघुनाथ | 1090, 1120, 1173, 1203, 1253 |
| 39. | जोगी, श्री अजीत | 1134 |
| 40. | जोशी, श्री प्रहलाद | 1113 |
| 41. | कनोडीया, श्री महेश | 1208 |
| 42. | करूणाकरन, श्री पी. | 1216 |
| 43. | कथीरिया, डा. वल्लभभाई | 1137 |
| 44. | खैरे, श्री चंद्रकांत | 1105, 1186 |
| 45. | खंडेलवाल, श्री विजय कुमार | 1117, 1176, 1254, 1259, 1247 |
| 46. | खंडूडी, मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र | 1083 |
| 47. | खन्ना, श्री अविनाश राय | 1193 |
| 48. | खारवेनम्थन, श्री एस.के. | 1081, 1149, 1191, 1204, 1213 |
| 49. | कौशल, श्री रघुवीर सिंह | 1069 |
| 50. | कृष्ण, श्री विजय | 1168 |
| 51. | कृष्णदास, श्री एन.एन. | 1228 |
| 52. | कुन्नुर, श्री मंजुनाथ | 1079 |
| 53. | कुरूप, एडवोकेट सुरेश | 1137 |
| 54. | "ललन", श्री राजीव रंजन सिंह | 1165 |
| 55. | लक्ष्मण, श्रीमती सुशीला बंगारू | 1104, 1136 |
| 56. | महाजन, श्रीमती सुमित्रा | 1126 |
| 57. | महतो, श्री सुनिल कुमार | 1076, 1082, 1170 |
| 58. | महतो, श्री टेक लाल | 1138 |
| 59. | माझी, श्री परसुराम | 1139 |
| 60. | मंडल, श्री सनत कुमार | 1161 |
| 61. | माने, श्रीमती निवेदिता | 1093, 1187, 1250 |
| 62. | मनोज, डा. के.एस. | 1135 |
| 63. | मसूद, श्री रशीद | 1174, 1199, 1252, 1258 |
| 64. | मेघवाल, श्री कैलाश | 1088 |
| 65. | मेहता, श्री भुवनेश्वर प्रसाद | 1169 |
| 66. | मिस्त्री, श्री मधुसूदन | 1109, 1172 |
| 67. | मोघे, श्री कृष्ण मुरारी | 1091 |
| 68. | मोहले, श्री पुन्नूलाल | 1071 |
| 69. | मोहन, श्री पी. | 1092 |
| 70. | मो. ताहिर, श्री | 1230 |
| 71. | मंडल, श्री अबु अयीश | 1221 |
| 72. | मुर्मू, श्री हेमलाल | 1103, 1166 |
| 73. | मुर्मू, श्री रूपचन्द | 1108 |
| 74. | नरहिरे, श्रीमती कल्पना रमेश | 1094, 1180 |
| 75. | निखिल कुमार, श्री | 1232 |
| 76. | ओराम, श्री जुएल | 1226, 1238, 1248 |
| 77. | ओवेसी, श्री असादूद्दीन | 1070, 1145, 1189, 1210 |
| 78. | पल्लानी शामी, श्री के.सी. | 1146, 1147 |
| 79. | पाण्डा, श्री प्रबोध | 1110 |
| 80. | परस्ते, श्री दलपत सिंह | 1074, 1153 |
| 81. | पटेल, श्री जीवाभाई ए. | 1159, 1163, 1192 1205 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 82. | पटेल, श्री किसनभाई वी. | 1151, 1245 |
| 83. | पटैरिया, श्रीमती नीता | 1215 |
| 84. | पाठक, श्री ब्रजेश | 1131, 1185, 1201, 1255, 1260 |
| 85. | पाटील, श्रीमती रूपाताई डी. | 1112 |
| 86. | पाटील, श्री श्रीनिवास दादासाहेब | 1073, 1184 |
| 87. | पटले, श्री शिशुपाल एन. | 1075, 1111 |
| 88. | राजगोपाल, श्री एल. | 1158, 1198, 1208 |
| 89. | रामदास, प्रो. एम. | 1164 |
| 90. | रामकृष्णा, श्री बाडिगा | 1120, 1156 |
| 91. | राणा, श्री काशीराम | 1144, 1192, 1205 |
| 92. | राव, श्री के.एस. | 1089, 1164, 1246 |
| 93. | राव, श्री रायापति सांबासिवा | 1104, 1167, 1244 |
| 94. | राठौड़, श्री हरिभाऊ | 1098 |
| 95. | रवीन्द्रन, श्री पन्नियन | 1229 |
| 96. | रावले, श्री मोहन | 1129 |
| 97. | रेड्डी, श्री जी. करूणाकर | 1080, 1148, 1197, 1207, 1257 |
| 98. | रेड्डी, श्री एम. श्रीनिवासुलु | 1164 |
| 99. | रेड्डी, श्री एन. जनार्दन | 1084 |
| 100. | रेंगे पाटील, श्री तुकाराम गणपतराव | 1163, 1222 |
| 101. | रिजीजू, श्री कीरेन | 1195 |
| 102. | सरडगी, श्री इकबाल अहमद | 1104, 1128, 1174, 1182 |
| 103. | सत्यनारायण, श्री सर्वे | 1155, 1195 |
| 104. | सत्पथी, श्री तथागत | 1078 |
| 105. | सिंधिया, श्री ज्योतिरादित्य माधवराव | 1095, 1183, 1249 |
| 106. | सेन, श्रीमती मिनाती | 1088 |
| 107. | शिवाजीराव, अधलराव पाटील | 1168, 1196 |
| 108. | शिवन्ना, श्री एम. | 1102 |
| 109. | शिवनकर, प्रो. महादेवराव | 1157, 1193, 1206, 1211 |
| 110. | सिद्दीश्वर, श्री जी.एम. | 1116, 1175, 1240 |
| 111. | सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी | 1161 |
| 112. | सिंह, श्री चन्द्र भूषण | 1165, 1194 |
| 113. | सिंह, श्री दुष्यंत | 1125, 1233, 1242 |
| 114. | सिंह, श्री गणेश | 1223 |
| 115. | सिंह, श्री गणेश प्रसाद | 1231 |
| 116. | सिंह, श्री कीर्ति वर्धन | 1187, 1250 |
| 117. | सिंह, श्री मोहन | 1133 |
| 118. | सिंह, श्री प्रभुनाथ | 1253 |
| 119. | सिंह, श्रीमती प्रतिभा | 1113, 1132 |
| 120. | सिंह, श्री राकेश | 1106 |
| 121. | सिंह, श्री रेवती रमन | 1142 |
| 122. | सिंह, श्री सुग्रीव | 1219, 1245 |
| 123. | सिंह, श्री उदय | 1099 |
| 124. | सोलंकी, श्री भूपेन्द्र सिंह | 1208 |
| 125. | सुब्बारायण, श्री के. | 1104 |
| 126. | सुगावनम, श्री ई.जी. | 1072, 1146, 1190 |
| 127. | सुजाता, श्रीमती सी.एस. | 1141, 1177 |
| 128. | सुमन, श्री रामजीलाल | 1123, 1237 |
| 129. | सुरेन्द्रन, श्री चेंगरा | 1141 |
| 130. | थामस, श्री पी.सी. | 1115 |
| 131. | तोपदार, श्री तरित बरण | 1130 |
| 132. | त्रिपाठी, श्री बृज किशोर | 1107, 1188, 1202 |
| 133. | वल्लभनेनी, श्री बालासोवरी | 1113, 1164 |
| 134. | वर्मा, श्री रवि प्रकाश | 1086, 1188, 1196, 1251, 1256 |
| 135. | यादव, श्री गिरिधारी | 1161 |
| 136. | यादव, श्री कैलाश नाथ सिंह | 1111, 1171, 1211, 1243 |
| 137. | यादव, श्री पारसनाथ | 1164 |
| 138. | यादव, श्री राम कृपाल | 1156 |

**अनुबंध-II**

*तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय–वार अनुक्रमणिका*

**प्रश्न-सूची**
**(मंत्रालय-वार)**


| | |
|---|---|
| प्रधानमंत्री | |
| परमाणु ऊर्जा | |
| कोयला | 118 |
| संचार और सूचना प्रौद्योगिकी | 105, 108, 120, 121 |
| उत्तर–पूर्व क्षेत्र विकास | |
| विदेश | 114, 119 |
| स्वास्थ्य और परिवार कल्याण | 102, 103, 107, 109, 111, 112, 113, 117 |
| प्रवासी भारतीय कार्य | |
| पंचायती राज | |
| कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन | 115 |
| योजना | 110 |
| पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग | 104, 106, 116 |
| अंतरिक्ष | |
| सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन | |
| युवक कार्यक्रम और खेल | |


---

*अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय–वार अनुक्रमणिका*

**प्रश्न-सूची**

**(मंत्रालय-वार)**


| | |
|---|---|
| प्रधानमंत्री | |
| परमाणु ऊर्जा | 1087, 1091, 1095, 1125, 1127 |
| कोयला | 1105, 1169, 1170, 1179, 1210, 1243, 1245 |
| संचार और सूचना प्रौद्योगिकी | 1070, 1073, 1076, 1082, 1096, 1100, 1103, 1113, 1115, 1117, 1121, 1124, 1131, 1134, 1140, 1143, 1161, 1162, 1177, 1180, 1181, 1186, 1191, 1192, 1201, 1204, 1214, 1257 |
| उत्तर–पूर्व क्षेत्र विकास | 1133, 1160 |
| विदेश | 1074, 1083, 1085, 1101, 1104, 1118, 1119, 1132, 1138, 1142, 1150, 1153, 1154, 1189, 1193, 1208, 1209, 1212, 1213, 1217 |
| स्वास्थ्य और परिवार कल्याण | 1075, 1078, 1080, 1081, 1084, 1086, 1093, 1097, 1098, 1099, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1114, 1120, 1129, 1135, 1139, 1145, 1147, |

| | |
|---|---|
| | 1149, 1152, 1157, 1158, 1163, 1165, 1168, 1171, 1172, 1173, 1175, 1182, 1185, 1190, 1194, 1196, 1199, 1203, 1206, 1211, 1218, 1222, 1230, 1232, 1234, 1235, 1244, 1249 |
| प्रवासी भारतीय कार्य | 1088, 1126, 1141, 1146, 1178, 1205 |
| पंचायती राज | 1148, 1197, 1198, 1241 |
| कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन | 1067, 1069, 1072, 1089, 1090, 1092, 1137, 1159, 1174, 1184, 1200, 1215, 1253 |
| योजना | 1068, 1071, 1094, 1123, 1128, 1130, 1155, 1166, 1187, 1202, 1246 |
| पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग | 1102, 1164, 1176, 1207, 1216, 1219, 1220, 1221, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1231, 1233, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1242, 1247, 1248, 1250, 1251, 1252, 1254, 1255, 1256, 1258, 1259, 1260 |
| अंतरिक्ष | 1151, 1156 |
| सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन | 1136, 1144 |
| युवक कार्यक्रम और खेल | 1079, 1116, 1122, 1167, 1183, 1188 |

## इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद–विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

## लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का लोक सभा टी. वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

## लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद–विवाद के हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली–110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

पी.एल.एस.–48/23/6/2006 ( एन० )



© 2006 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (ग्यारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और श्री एन्टरप्राइजेज, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।